वार्षिक रिपोर्ट
2012-13

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
गृह मंत्रालय

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

वार्षिक रिपोर्ट

2012-13

आंतरिक सुरक्षा, राज्य, गृह, जम्मू और कश्मीर
तथा सीमा प्रबंधन विभाग

विषय सूची

अध्याय-I गृह मंत्रालय का कार्य क्षेत्र और संगठनात्मक ढांचा	1-4
अध्याय-II आन्तरिक सुरक्षा	5-27
अध्याय-III सीमा प्रबंधन	28-47
अध्याय-IV केन्द्र–राज्य संबंध	48-50
अध्याय-V देश में अपराध परिदृश्य	51-62
अध्याय-VI मानवाधिकार और राष्ट्रीय एकता	63-71
अध्याय-VII संघ राज्य क्षेत्र	72-96
अध्याय-VIII पुलिस बल	97-120
अध्याय-IX अन्य पुलिस संगठन एवं संस्थाएं	121-138
अध्याय-X आपदा प्रबंधन	139-155
अध्याय-XI अंतरराष्ट्रीय सहयोग	156-166
अध्याय-XII महत्वपूर्ण पहलें और योजनाएं	167-175
अध्याय-XIII विदेशी राष्ट्रिक, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन और पुनर्वास	176-186
अध्याय-XIV भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त	187-197
अध्याय-XV विविध विषय	198-208
अनुलग्नक	209-237

अध्याय I

गृह मंत्रालय का कार्य क्षेत्र और संगठनात्मक ढांचा

1.1 गृह मंत्रालय विभिन्न प्रकार के दायित्वों का निर्वहन करता है जिनमें देश की आंतरिक सुरक्षा, सीमा प्रबंधन, केंद्र-राज्य संबंध, संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का प्रबंधन, आपदा प्रबंधन आदि महत्वपूर्ण हैं। यद्यपि भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में सूची II- ''राज्य सूची'' की प्रविष्टि 1 और 2 के अनुसार ''लोक व्यवस्था'' और ''पुलिस'' राज्यों के उत्तरदायित्व हैं, तथापि संविधान के अनुच्छेद 355 में संघ को यह दायित्व सौंपा गया है कि वह प्रत्येक राज्य को बाहरी आक्रमण और आंतरिक गड़बड़ी के संबंध में सुरक्षा प्रदान करे और यह सुनिश्चित करे कि प्रत्येक राज्य का शासन, संविधान के उपबंधों के अनुरूप चलाया जा रहा है। इन दायित्वों के अनुसरण में, गृह मंत्रालय, राज्यों के संवैधानिक अधिकारों की उपेक्षा किए बिना, सुरक्षा, शांति और सद्भावना बनाए रखने के लिए राज्य सरकारों की आंतरिक सुरक्षा की स्थिति पर लगातार निगरानी रखता है, उपयुक्त सलाह जारी करता है, आसूचना संबंधी जानकारी का आदान-प्रदान करता है, जनशक्ति और वित्तीय सहायता, मार्गदर्शन तथा सुविज्ञ राय प्रदान करता है।

1.2 भारत सरकार (कार्य आवंटन) नियमावली, 1961 के अन्तर्गत गृह मंत्रालय के निम्नलिखित संघटक विभाग हैंः-

- **आंतरिक सुरक्षा विभाग**, भारतीय पुलिस सेवा, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, आंतरिक सुरक्षा और कानून और व्यवस्था, विद्रोह, आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद, प्रतिकूल विदेशी एजेंसियों की गतिविधियों, आतंकवादियों के वित्तपोषण, पुनर्वास, वीजा प्रदान करने और अन्य आप्रवासन संबंधी मामले और सुरक्षागत स्वीकृति प्रदान किए जाने आदि संबंधी कार्य देखता है;

- **राज्य विभाग,** केंद्र-राज्य संबंधों, अंतर्राज्य संबंधों, संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन, मानवाधिकार, कारागार सुधार, पुलिस सुधार आदि संबंधी मामले देखता है;

- **गृह विभाग,** राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति द्वारा कार्यभार ग्रहण करने संबंधी अधिसूचना, प्रधानमंत्री, मंत्रियों, राज्यपालों की नियुक्ति/त्यागपत्र संबंधी अधिसूचना, राज्य सभा/लोक सभा में नामांकन, आबादी की जनगणना और जन्म-मृत्यु पंजीकरण आदि का कार्य देखता है;

- **जम्मू और कश्मीर कार्य विभाग,** जम्मू और कश्मीर राज्य से संबंधित सांविधानिक उपबंधों तथा विदेश मंत्रालय से संबंधित मामलों को छोड़कर राज्य से संबंधित अन्य सभी मामलों को देखता है;

- **सीमा प्रबंधन विभाग,** तटवर्ती सीमाओं सहित अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के प्रबंधन, सीमा चौकसी को सुदृढ़ करने और संबंधित आधारभूत ढांचे का सृजन करने, सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास आदि का कार्य देखता है;

- **राजभाषा विभाग,** राजभाषा से संबंधित संविधान के उपबंधों तथा राजभाषा अधिनियम, 1963 के उपबंधों के कार्यान्वयन का कार्य देखता है।

1.3 आंतरिक सुरक्षा विभाग, राज्य विभाग, गृह विभाग, जम्मू और कश्मीर कार्य विभाग तथा सीमा प्रबंधन विभाग, पृथक-पृथक रूप से कार्य नहीं करते हैं। ये सभी विभाग, केंद्रीय गृह सचिव के अधीन कार्य करते हैं और परस्पर सम्बद्ध रहते हैं। सीमा प्रबंधन विभाग के लिए भी एक पदनामित सचिव हैं। राजभाषा विभाग में पृथक रूप से एक सचिव हैं और वे स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं। इसलिए गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में राजभाषा विभाग के कार्यकलापों का उल्लेख नहीं किया जाता है।

1.4 वर्ष के दौरान गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग को छोड़कर) में मंत्रियों, गृह सचिव, सचिवों, विशेष सचिवों,

अपर सचिवों और संयुक्त सचिवों के पद पर रहे/पदासीन अधिकारियों के बारे में सूचना **अनुलग्नक - I** में दी गई है। संगठनात्मक चार्ट भी **अनुलग्नक - II** में दिया गया है।

1.5 गृह मंत्रालय के विभिन्न प्रभाग और उनके मुख्य दायित्व क्षेत्र निम्नानुसार हैंः

प्रशासन प्रभाग

1.6 प्रशासन प्रभाग का दायित्व सभी प्रशासनिक और सतर्कता मामलों को देखना, मंत्रालय के विभिन्न प्रभागों में कार्य का आबंटन करना और पूर्वता अधिपत्र, पद्म पुरस्कार, शौर्य पुरस्कार, जीवन रक्षा पदक, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान, भारत का राष्ट्रीय संप्रतीक और सचिवालय सुरक्षा संगठन के मामलों को देखना है। यह प्रभाग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 से संबंधित मामलों को भी देखता है।

सीमा प्रबंधन प्रभाग

1.7 यह प्रभाग, तटीय सीमाओं सहित अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के प्रबंधन के लिए देश की प्रशासनिक, राजनयिक, सुरक्षा, आसूचना, विधिक, विनियामक और आर्थिक एजेंसियों द्वारा समन्वय और ठोस कार्रवाई किए जाने संबंधी मामलों और सीमाओं पर एकीकृत जांच चौकियों, सीमा चौकियों (बी ओ पी), सड़कों का निर्माण करने/बाड़ लगाने और तेज रोशनी की व्यवस्था करने जैसी आधारभूत सुविधाओं का सृजन करने और सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम संबंधी मामलों को देखता है।

समन्वय प्रभाग

1.8 यह प्रभाग मंत्रालय के अंदर समन्वय संबंधी कार्य, संसदीय मामले, लोक शिकायत, मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के प्रकाशन, रिकार्ड प्रतिधारण समय-सूची, मंत्रालय के वर्गीकृत और गैर-वर्गीकृत रिकार्डों के अभिरक्षण, आंतरिक कार्य अध्ययन, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और विकलांग व्यक्तियों के रोजगार संबंधी विभिन्न रिपोर्टें कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को प्रस्तुत किए जाने संबंधी आदि कार्य करता है।

केंद्र-राज्य प्रभाग

1.9 यह प्रभाग, केन्द्र-राज्य संबंधों का कार्य देखता है जिसमें इस प्रकार के संबंधों को शासित करने वाले सांविधानिक प्रावधानों का कार्यकरण, राज्यपालों की नियुक्ति, नए राज्यों का सृजन, राज्य सभा/लोक सभा के लिए नामांकन, अंतर्राज्यीय सीमा विवाद, राज्यों में अपराध की स्थिति पर निगरानी रखना, राष्ट्रपति शासन लगाना इत्यादि शामिल है।

आपदा प्रबंधन प्रभाग

1.10 इस प्रभाग का दायित्व विधायन, नीति और क्षमता निर्माण, निवारण, प्रशमन, दीर्घकालिक पुनर्वास, कार्रवाई, राहत तथा प्राकृतिक और मानव निर्मित आपदाओं (सूखा और महामारी को छोड़कर) से निपटने के लिए तैयारी करना है।

वित्त प्रभाग

1.11 इस प्रभाग का दायित्व मंत्रालय का बजट तैयार करना, उसको संचालित और नियंत्रित करना है तथा व्यय नियंत्रण और अनुवीक्षण किए जाने तथा वित्तीय सलाह आदि से संबंधित अन्य मामलों संबंधी कार्य करता है।

विदेशी प्रभाग

1.12 यह प्रभाग, वीजा, संरक्षित क्षेत्र परमिट (पीएपी)/प्रतिबंधित क्षेत्र परमिट (आरएपी) प्रणाली, आप्रवासन, नागरिकता, भारत की विदेशी नागरिकता, विदेशी अभिदाय की प्राप्ति तथा अतिथि सत्कार से संबंधित सभी मामलों को देखता है।

स्वतंत्रता सेनानी और पुनर्वास प्रभाग

1.13 यह प्रभाग, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्कीम और भूतपूर्व पश्चिमी पाकिस्तान/पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित लोगों के पुनर्वास के लिए योजनाएं बनाता है और इन्हें कार्यान्वित करता है तथा श्रीलंकाई और तिब्बती शरणार्थियों को राहत देने की व्यवस्था करता है।

मानवाधिकार प्रभाग

1.14 यह प्रभाग, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम और राष्ट्रीय एकता, साम्प्रदायिक सद्भावना और अयोध्या से संबंधित मामलों को देखता है।

आंतरिक सुरक्षा प्रभाग

1.15 आंतरिक सुरक्षा-I प्रभाग, विभिन्न गुटों/उग्रवादी संगठनों की राष्ट्र विरोधी और विध्वंसात्मक गतिविधियों सहित आंतरिक सुरक्षा और कानून और व्यवस्था, आतंकवादियों के वित्त पोषण, आतंकवाद से संबंधित नीति और परिचालनात्मक मुद्दों, सुरक्षा स्वीकृति, आई एस आई की गतिविधियों के अनुवीक्षण, आतंकवाद को रोकने के संबंध में गृह सचिव स्तरीय वार्ता संबंधी मामलों को देखता है।

1.16 आन्तरिक सुरक्षा-II प्रभाग हथियारों और विस्फोटकों, प्रत्यर्पण, स्वापक और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो और राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम से संबंधित मामलों को देखता है।

जम्मू और कश्मीर प्रभाग

1.17 यह प्रभाग, भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 सहित सांविधानिक मामलों तथा जम्मू और कश्मीर के संबंध में सामान्य नीति विषयक मामलों और उस राज्य में आतंकवाद/उग्रवाद से संबंधित मामलों को देखता है। यह प्रभाग, जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री के पैकेज के कार्यान्वयन के लिए भी जिम्मेदार है।

न्यायिक प्रभाग

1.18 यह प्रभाग, भारतीय दंड संहिता (आई पी सी) और दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) और जांच आयोग अधिनियम के विधायी पहलुओं से संबंधित सभी मामलों को देखता है। यह संविधान के तहत राष्ट्रपति की सहमति की अपेक्षा वाले राज्य विधायनों, स्वतंत्रता से पहले के भूतपूर्व शासकों को राजनयिक पेंशन देने और भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत दया याचिका से संबंधित मामलों को भी देखता है।

नक्सल प्रबंधन प्रभाग

1.19 मंत्रालय में इस प्रभाग का गठन सुरक्षा और विकास दोनों दृष्टिकोणों से नक्सली खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 19 अक्तूबर, 2006 को किया गया था। यह नक्सली स्थिति और प्रभावित राज्यों द्वारा नक्सली समस्या से निपटने के लिए किए जा रहे उपायों पर नजर रखता है जिसका उद्देश्य प्रभावित राज्यों द्वारा तैयार की गई/तैयार की जाने वाली स्थान-विशिष्ट कार्य योजनाओं के अनुरूप मूलभूत पुलिस व्यवस्था और विकास दायित्वों में सुधार करना है। यह प्रभाग, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में संबंधित मंत्रालयों/विभागों की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं के उचित कार्यान्वयन तथा ऐसी योजनाओं के अंतर्गत जारी की गई निधियों के इष्टतम उपयोग की समीक्षा भी करता है।

पूर्वोत्तर प्रभाग

1.20 यह प्रभाग, पूर्वोत्तर राज्यों में आंतरिक सुरक्षा और कानून और व्यवस्था की स्थिति को देखता है जिसमें उस क्षेत्र में विद्रोह से संबंधित मामले और वहां पर सक्रिय विभिन्न उग्रवादी समूहों के साथ बातचीत करना शामिल है।

पुलिस प्रभाग

1.21 पुलिस-I प्रभाग, भारतीय पुलिस सेवा (आई पी एस) के संबंध में संवर्ग (काडर) नियंत्रण प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है और पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण, अनुकरणीय/विशिष्ट सेवा तथा शौर्य के लिए राष्ट्रपति के पुलिस पदक आदि से संबंधित सभी मामलों को भी देखता है।

1.22 पुलिस-II प्रभाग केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों तथा उनकी तैनाती से संबंधित सभी मामलों को देखता है।

पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग

1.23 यह प्रभाग, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए विभिन्न मदों की व्यवस्था/प्रापण, पुलिस सुधार आदि से संबंधित कार्य करता है।

नीति नियोजन प्रभाग

1.24 यह प्रभाग सार्क के आंतरिक/गृह मंत्रियों की बैठकों, आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों, आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अन्तर्राष्ट्रीय

प्रसंविदाओं, द्विपक्षीय सहायता संधियों के बारे में नीति निर्धारण और सम्बन्धित कार्यमदों और अति विशिष्ट व्यक्तियों/महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों की सुरक्षा से संबंधित कार्य देखता है।

संघ राज्य क्षेत्र प्रभाग

1.25 यह प्रभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सहित संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित सभी विधायी और संवैधानिक मामलों को देखता है। यह भारतीय प्रशासनिक सेवा (आई ए एस)/भारतीय पुलिस सेवा(आई पी एस) के अरूणाचल प्रदेश-गोवा-मिजोरम और संघ राज्य क्षेत्र (ए जी एम यू टी) और दिल्ली-अंडमान और निकोबार द्वीप समूह सिविल सेवा (दानिक्स) / दिल्ली-अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पुलिस सेवा (दानिप्स) के संवर्ग (काडर) नियंत्रण प्राधिकरण का कार्य भी देखता है। यह संघ राज्य क्षेत्रों में अपराध तथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की निगरानी करने के लिए उत्तरदायी है।

❖❖❖

अध्याय II आंतरिक सुरक्षा

सिंहावलोकन

2.1.1 विगत वर्षों की तुलना में वर्ष 2012 में देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। सीमा पार से घुसपैठ के स्तर और इसके परिणामस्वरुप कश्मीर घाटी में आतंकवादी क्रियाकलापों में काफी गिरावट आई है। आतंकवादी हिंसा की घटनाओं में गिरावट आई है जो वर्ष 2009 में 499, 2010 में 488, 2011 में 340 थी, वह वर्ष 2012 में कम होकर 192 रह गई। मारे गए सुरक्षा बल के कार्मिकों की संख्या में भी कमी आई है जो वर्ष 2009 में 79, 2010 में 69, 2011 में 33 थी, वह वर्ष 2012 में कम होकर 15 रह गई। मारे गए सिविलियनों की संख्या में भी कमी आई है जो वर्ष 2009 में 71, 2010 में 47, 2011 में 31 थी, वह वर्ष 2012 में कम होकर 15 रह गई। मारे गए आतंकवादियों की संख्या में भी गिरावट आई है जो 2009 में 239, 2010 में 232 और 2011 में 100 थी, वह वर्ष 2012 में कम होकर 72 रह गई जिससे नियंत्रण रेखा पर बेहतर निगरानी का प्रभाव दिखाई देता है और इसके परिणामस्वरुप घुसपैठ भी कम हुई है।

2.1.2 पुणे में दिनांक 01.08.2012 को कम क्षमता के क्रमिक बम विस्फोटों और नई दिल्ली में दिनांक 13.02.2012 को इजराइली दूतावास की कार में हुए स्टिकर बम विस्फोट की घटनाओं को छोड़कर भीतरी प्रदेश में आतंकवाद काफी हद तक नियंत्रण में रहा। इन दो घटनाओं में कोई हताहत नहीं हुआ। पुणे की घटना में एक व्यक्ति और नई दिल्ली की घटना में चार व्यक्ति घायल हुए। इसके अलावा दिल्ली पुलिस ने अक्तूबर, 2012 में इंडियन मुजाहिदीन नामक एक प्रमुख आतंकवादी माड्यूल को निष्क्रिय किया।

2.1.3 वर्ष 2012 में वामपंथी उग्रवादी (एलडब्ल्यूई) ग्रुपों द्वारा की गई हिंसा और इसके परिणामस्वरुप हुई हत्याओं की संख्या में भी लगातार दूसरे वर्ष काफी गिरावट आई है। वर्ष के दौरान एल डब्ल्यू ई की 1,412 घटनायें हुईं जिनमें 414 लोगों की मौत हुई (300 सिविलियन और 114 सुरक्षा कार्मिक), जबकि वर्ष 2011 में एलडब्ल्यूई की 1,760 घटनायें हुई थीं जिनमें 611 लोगों की मौत हुई थी (469 सिविलियन और 142 सुरक्षा कार्मिक)। वर्ष 2010 में एल डब्ल्यू ई की 2,213 घटनायें हुईं थीं जिनमें 1,005 मौतें हुई थीं (720 सिविलियन और 285 सुरक्षा कार्मिक)। सी पी आई (माओवादी) के शीर्ष नेतृत्व के महत्वपूर्ण तत्वों को गिरफ्तार/निष्क्रिय करने में सुरक्षा बल सफल हुए हैं। एलडब्ल्यूई प्रभावित सभी राज्यों में माओवादियों के गढ़ से सुरक्षा बलों द्वारा महत्वपूर्ण भूमि क्षेत्र वापस लिया गया। तथापि, यह लम्बे समय तक चलने वाली लड़ाई है और इसके लिए सुरक्षा और विकास दोनों क्षेत्रों में ध्यान दिए जाने की जरुरत है।

2.1.4 वर्ष 2012 में देश में सांप्रदायिक स्थिति कुल मिलाकर नियंत्रण में रही। आठ राज्यों वाले पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न उग्रवादी गुटों की गतिविधियों की वजह से, जिनकी अलग-अलग मांगें हैं, सुरक्षा परिदृश्य जटिल है। दिनांक 19.07.2012 को कोकराझार (असम) में सांप्रदायिक हिंसा हुई और यह बाद में चिरांग और धुब्री जिलों में फैल गई जिसमें 99 लोगों की मौत हुई तथा 4.85 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो गए। उन्हें विभिन्न राहत शिविरों में रखा गया। नवम्बर, 2012 में असम के कोकराझार जिले में हिंसा की और घटनायें हुईं जिनमें 10 व्यक्ति मारे गए। गृह मंत्रालय ने राज्य सरकार के साथ निकट समन्वय बनाए रखा ताकि स्थापित किए गए राहत शिविरों में प्रभावित लोगों को सहायता प्रदान करने और दैनिक जरुरतों को पूरा करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जा सकें।

जम्मू और कश्मीर

सिंहावलोकन

2.2.1 विगत वर्षों की तुलना में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति में सुधार के स्पष्ट संकेत दिखाई दिए। कश्मीर घाटी में सीमा पार से घुसपैठ के स्तर और इसके परिणामस्वरुप आतंकवादी क्रियाकलापों में काफी गिरावट आई है। आतंकवादी हिंसा की घटनाओं में कमी आई है जो वर्ष 2009 में 499, 2010 में 488 और 2011 में 340 थी, वह वर्ष 2012 में कम होकर 192 रह गई।

सुरक्षा की स्थिति

2.2.2 जम्मू और कश्मीर राज्य (जे एंड के) सीमा पार से प्रायोजित और समर्थित आतंकवाद और अलगाववादी हिंसा से लगभग दो दशकों से प्रभावित रहा है। जे एंड के में उग्रवाद शुरु होने से लेकर अब तक 13,861 सिविलियन और 4,822 सुरक्षा बलों के कार्मिक मारे गए हैं (दिनांक 31.12.2012 तक)। वर्ष 2005 से आगे के आंकड़े नीचे की सारणी में दर्शाये गए हैं:

जे एंड के में आतंकवादी हिंसा की प्रवृत्ति

वर्ष	घटनाएं	मारे गए सुरक्षा बलों के कार्मिक	मारे गए सिविलियन	मारे गए आतंकवादी
2005	1990	189	557	917
2006	1667	151	389	591
2007	1092	110	158	472
2008	708	75	91	339
2009	499	79	71	239
2010	488	69	47	232
2011	340	33	31	100
2012	220	15	15	72

2.2.3 इस सारणी से पता चलता है कि वर्ष 2012 में विगत वर्ष की तुलना में आतंकवादी घटनाओं और हताहत हुए सिविलियनों तथा सुरक्षा बलों के कार्मिकों की संख्या में काफी गिरावट आई है। वर्ष 2011 की तुलना में वर्ष 2012 में आतंकवादी घटनाओं की संख्या में 35.29% की गिरावट और हताहत हुए सिविलियनों तथा एस एफ कार्मिकों में क्रमशः 54.54% और 51.61% की गिरावट आई है। वर्ष के दौरान 72 आतंकवादी भी निष्क्रिय किए गए । वर्ष के दौरान कश्मीर घाटी किसी बड़ी कानून और व्यवस्था/सिविल अशांति से अपेक्षाकृत रुप से मुक्त रही।

2.2.4 वर्ष 2005 से जम्मू और कश्मीर में सूचित किए गए घुसपैठ के प्रयास नीचे की सारणी में दिए गए हैं:-

वर्ष	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	अक्तूबर 2012
कुल	597	573	535	342	485	489	247	249

2.2.5 तथापि, कैलेण्डर वर्ष 2012 के दौरान घुसपैठ के प्रयासों में वृद्धि दिखाई दी है, जो 2011 के दौरान घुसपैठ के 247 प्रयासों की तुलना में 264 है।

2.2.6 केन्द्र सरकार ने राज्य सरकार के साथ मिलकर सीमा पार की घुसपैठ रोकने के लिए बहु-आयामी दृष्टिकोण अपनाया है जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ, अंतर्राष्ट्रीय सीमा/नियंत्रण रेखा के साथ-साथ तथा हर समय बदल रहे घुसपैठ के मार्गों के निकट सीमा प्रबंधन को सुदृढ़ बनाना और बहुस्तरीय तथा बहु-मॉडल की तैनाती करना, सीमा पर बाड़ का निर्माण करना, एस एफ के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी, हथियार और उपस्कर का प्रावधान करना, बेहतर आसूचना और परिचालनात्मक समन्वय और घुसपैठ रोकने के लिए आसूचना का सुचारु प्रवाह सुनिश्चित करना और राज्य के अंदर आतंकवादियों के विरुद्ध कार्रवाई करना शामिल है।

2.2.7 राज्य की शांति में बाधा डालने के लिए उग्रवादियों के प्रयासों और क्षमताओं को निष्क्रिय करने के लिए सरकार ने आतंकवादियों के विरुद्ध विभिन्न रणनीतियां अपनाई हैं। सरकार ने युवाओं को मुख्य धारा में लाने की नीतियों को भी बढ़ावा दिया है और उग्रवाद में शामिल होने से स्थानीय युवाओं को हतोत्साहित किया है।

2.2.8 जे एंड के की सुरक्षा की स्थिति पर जे एंड के के मुख्य मंत्री द्वारा एकीकृत मुख्यालय/कमान में राज्य सरकार, सेना, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ प्रतिनिधियों के साथ निगरानी रखी जाती है और समीक्षा की जाती है। गृह मंत्रालय भी राज्य सरकार और रक्षा मंत्रालय के साथ मिलकर सुरक्षा से संबंधित स्थिति की गहन और लगातार मानीटरिंग करता है।

2.2.9 सरकार का निम्नलिखित कार्य करने का प्रयास रहा है:

(i) सीमा पार से आतंकवादियों की घुसपैठ कम करने के लिए सभी एस एफ द्वारा तुरंत उचित उपाय करना; और उन आतंकवादियों की पहचान करना, पता लगाना और गिरफ्तार करना जो सीमा पार करें; और उनके स्थानीय साथियों के विरुद्ध भी यही कार्रवाई करना;

(ii) यह सुनिश्चित करना कि प्रजातांत्रिक प्रक्रिया अपनाई जाए और राज्य में उग्रवाद के प्रभावों के कारण लोगों के सामने आ रही सामाजिक-आर्थिक समस्या को प्रभावी ढंग से निपटाने के लिए सिविल प्रशासन की बहाली को प्राथमिकता दी जाए; और

(iii) स्थाई शांति सुनिश्चित की जाए और राज्य में सभी वर्गों के उन लोगों को पर्याप्त अवसर प्रदान करना और उन्हें प्रभावी ढंग से अपने विचार प्रकट करने का अवसर प्रदान करना तथा उनकी वास्तविक शिकायतों को दूर करना।

2.2.10 राज्य सरकार की पहलों में उसकी सहायता करने के लिए केन्द्र सरकार यथा आवश्यक केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल उपलब्ध करा रही है और राज्य पुलिस को सुदृढ़ बनाने में भी सहायता कर रही है। भारत सरकार, सुरक्षा से संबंधित विभिन्न उपायों पर राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे व्यय की भी प्रतिपूर्ति करती है। इनमें सिपाहियों को लाने-ले-जाने में हो रहे व्यय, सामग्री की आपूर्ति, आवास का किराया, विशेष पुलिस अधिकारियों को मानदेय, सिविक कार्रवाई कार्यक्रम, एअर-लिफ्ट प्रभार, इंडिया रिजर्व बटालियनें गठित करने की लागत, परिवहन, ठहरने और खान-पान का व्यय, सुरक्षा बलों के लिए वैकल्पिक आवास आदि शामिल हैं। सुरक्षा से संबंधित व्यय (पुलिस) [एस आर ई (पी)] के तहत प्रतिपूर्ति की गई कुल राशि (वर्ष 1989 से दिनांक 28.02.2013 तक) 4,187.87 करोड़ रुपए है। चालू वित्त वर्ष के दौरान जे एंड के सरकार को फरवरी, 2013 तक एस आर ई (पी) के तहत 249.95 करोड़ रुपए की राशि की प्रतिपूर्ति की जा चुकी है।

आर्थिक विकास

जम्मू और कश्मीर को केन्द्रीय सहायता

2.2.11 केन्द्र सरकार, चहुंमुखी आर्थिक विकास करने के राज्य सरकार के प्रयासों और लोगों को लाभप्रद रोजगार के अवसर प्रदान करने में राज्य सरकार का निरंतर रुप से समर्थन और सहायता करती रही है जिसमें नियोजित और संतुलित क्षेत्रीय विकास पर ध्यान दिया जाता है। भौतिक, आर्थिक और सामाजिक अवसंरचना का निर्माण करने को प्राथमिकता दी जाती है जिसके द्वारा राज्य के लोगों की जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के अलावा संभावित उत्पादकता में सुधार किया जाता है।

जम्मू और कश्मीर के लिए प्रधानमंत्री की पुनर्निर्माण योजना (पी एम आर पी)-2004

2.2.12 प्रधान मंत्री ने 17.11.2004 और 18.11.2004 के जम्मू और कश्मीर के अपने दौरे के दौरान, लगभग 24,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से जम्मू और कश्मीर के लिए एक ऐसी पुनर्निर्माण योजना की घोषणा की जिसमें मोटे तौर पर वे परियोजनाएं/ स्कीमें शामिल हैं जिनका उद्देश्य रोजगार और आय सृजन के कार्यकलापों पर जोर देते हुए आर्थिक आधारभूत संरचना का विस्तार करना और बुनियादी सेवाओं का प्रावधान करना तथा जम्मू और कश्मीर में उग्रवाद से प्रभावित विभिन्न ग्रुपों को राहत और पुनर्वास प्रदान करना है। प्रधानमंत्री की पुनर्निर्माण योजना में शामिल सभी स्कीमों की वर्तमान अनुमानित लागत 32,009 करोड़ रुपए है।

2.2.13 पुनर्निर्माण योजना-2004 में परिकल्पित परियोजनाओं/ स्कीमों का कार्यान्वयन संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा राज्य सरकार के साथ परामर्श करके किया जाता है। पी एम आर पी की 67 परियोजनाओं/स्कीमों के कार्यान्वयन की प्रगति पर, जिसमें 19 मंत्रालय शामिल हैं, गृह मंत्रालय और योजना आयोग द्वारा नियमित रुप से निगरानी रखी जा रही है। उक्त 67 परियोजनाओं/स्कीमों में से 33 परियोजनाएं/स्कीमें पूरी हो चुकी है। शेष 34 परियोजनाओं/स्कीमों में से 29 परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और बाकी 03 परियोजनाएं तैयारी की अवस्था में है और दो परियोजनाएं संबंधित मंत्रालयों के कार्यक्रमों में शामिल कर ली गई हैं।

2.2.14 कुछ बड़ी परियोजनायें और उनकी प्रगति की वर्तमान स्थिति निम्नलिखित सारणी में दी गई है:

क्र. सं.	परियोजना	स्थिति
	विद्युत क्षेत्र	
1.	चुटक हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजना (एच ई पी)	यूनिट I, II और III को समय पर पूरा कर दिया गया है और यूनिट IV को शीघ्र ही पूरा कर दिया जाएगा।
2.	उरी-II एचईपी	नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पॉवर कारपोरेशन (एन एच पी सी) में रोजगार की मांग कर रहे स्थानीय निवासियों द्वारा इस समय किये जा रहे आंदोलन और काम रोके जाने के कारण मार्च 2013 तक परियोजना शुरु की जाएगी।

क्र. सं.	परियोजना	स्थिति
3.	समूचे राज्य में सभी गांवों का विद्युतीकरण	एनएचपीसी ने 2,710, गांवों का विद्युतीकरण किया है और गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे 48,769 परिवारों को बिजली के कनेक्शन प्रदान किए हैं।
4.	जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में पॉवर ट्रांसमिशन और वितरण नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण कार्य	परियोजना के तहत 73 योजनाओं में से 42 योजनायें (19 ग्रिड स्टेशन, 20 ट्रांसमिशन लाइनें और 3बे) पूरी हो चुकी हैं।
	सड़क क्षेत्र	
1	डोमेल-कटरा सड़क	पूरी हो गई है।
2	नरबल-तंगमर्ग सड़क	काफी पूरी हो गई है।
3	मुगल रोड	मार्च, 2013 तक पूरा होने की संभावना है।
4	बटोट-किश्तवाड़ सड़क (एनएच 1 बी)	कार्य प्रगति पर है।
5	दो लेन वाली कारगिल से होकर श्रीनगर- लेह सड़क (एन-एच-1 डी)	
6	श्रीनगर-उरी-एलओसी सड़क का उन्नयन	
	अन्य क्षेत्र	
1	कश्मीरी प्रवासियों के लिए दो कमरों के आवास	परियोजना पूरी हो गई है।5,242 दो कमरों के आवासों का निर्माण किया गया है।

जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष उद्योग की पहल (एस आई आई जे एंड के)

2.2.15 प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष डा. सी. रंगराजन की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ ग्रुप को जम्मू और कश्मीर राज्य के लिए जाब प्लान तैयार करने का कार्य सौंपा गया था और उसने जम्मू और कश्मीर के लिए विशेष उद्योग की पहल की योजना की सिफारिश की है। इस योजना के द्वारा पांच वर्ष की अवधि में 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अधिक वृद्धि वाले महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रतिवर्ष जम्मू और कश्मीर में 8,000 स्नातकों और अन्य शिक्षित युवकों को कौशल प्रदान करना और रोजगार के अवसरों में वृद्धि किया जाना है। कार्यक्रम में प्रशिक्षित मानव शक्ति को अच्छे वेतन वाले रोजगार प्रदान किए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इस योजना का कार्यान्वयन, राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एन एस डी सी) और कारपोरेट क्षेत्र द्वारा पब्लिक प्राइवेट भागीदारी पद्धति पर किया जा रहा है।

2.2.16 30,515 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित करने के लिए 27 कम्पनियों के प्रस्ताव अनुमोदित किए गए हैं। 1,169 उममीदवार पहले से ही 11 कम्पनियों के साथ 'उड़ान' योजना के विभिन्न चरणों में हैं। लगभग 8,810 विद्यार्थियों ने एनएसडीसी की 'उड़ान' वेबसाइट पर अपना पंजीकरण कराया है।

जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों के लिए विशेष कार्यबल

2.2.17 जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों की विकासात्मक जरुरतों को पूरा करने के उद्देश्य से, जिसमें अवसंरचना की कमियों और उचित सिफारिशें करने का विशेष संदर्भ निहित है, जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों के लिए क्रमशः योजना आयोग के सदस्य डा. अभिजीत सेन और योजना आयोग के सदस्य डा. नरेन्द्र जाधव की अध्यक्षता में दो विशेष कार्य बलों (एसटीएफ) का गठन किया गया था। जम्मू और लद्दाख क्षेत्रों में 24 माह की समयावधि में तत्काल कार्यान्वित किए जाने के लिए क्रमशः 497 करोड़ रुपए और 416 करोड़ रुपए की कुल लागत की अल्पावधिक परियोजनाओं की सिफारिश की गई है। योजना आयोग ने दिनांक 13.07.2012 को हुई अपनी बैठक में वर्ष 2012-13 के लिए राज्य योजना में जम्मू के लिए 150 करोड़ रुपए और लेह के लिए 50 करोड़ रुपए तथा कारगिल प्राथमिकता प्राप्त परियोजनाओं के लिए 50 करोड़ रुपए और स्थाई जीर्णोद्वार कार्यों के लिए 50 करोड़ रुपए के आवंटन का अनुमोदन किया है। अधिकांश परियोजनाओं में कार्य शुरु हो चुका है।

कश्मीरी प्रवासियों को राहत और पुनर्वास

2.2.18 जम्मू व कश्मीर में आतंकवादी हिंसा/उग्रवाद की वजह से, विशेषकर इसके पहले दौर में घाटी से कश्मीरी पंडितों का बड़े पैमाने पर जम्मू, दिल्ली और देश के अन्य भागों में प्रवास हुआ। वित्तीय सहायता/राहत तथा अन्य पहलों के माध्यम से विगत वर्षों से कई उपाय किए गए हैं ताकि एक वृहत् नीतिगत ढांचे के अन्तर्गत प्रभावित परिवारों को इस आधार पर सहायता एवं मदद दी जा सके कि जो लोग प्रवास कर गए हैं, वे आखिरकार घाटी में लौट आएंगे।

2.2.19 कुल 59,442 कश्मीरी प्रवासी परिवार हैं, जो जम्मू (38,119), दिल्ली (19,338) और अन्य राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (1,985) में हैं। राज्य सरकार, जम्मू क्षेत्र में रह रहे 17,248 पात्र परिवारों को अधिकतम 6,600 रुपए प्रति परिवार प्रतिमाह की सीमा तक प्रति व्यक्ति 1,650 रुपए की नगद राहत और सूखा राशन प्रदान कर रही है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार भी 3,385 पात्र परिवारों को 6,600 रुपए प्रति परिवार प्रतिमाह की सीमा तक प्रति व्यक्ति 1,650 रुपए की नगद राहत दे रही है। अन्य राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन भी अपने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में रह रहे कश्मीरी प्रवासियों को उनके द्वारा निर्धारित किए गए मानदण्डों के अनुरुप प्रवासियों को राहत प्रदान कर रहे हैं।

2.2.20 सरकार ने भी इन प्रवासी परिवारों को पक्का आश्रय प्रदान करने के लिए उपाय किए हैं। प्रधान मंत्री की घोषणा और अंतर-मंत्रालयी टीम (आई एम टी) की सिफारिशों के अनुसरण में, जम्मू में इस समय शिविरों में रह रहे सभी प्रवासी परिवारों को खपाने के लिए 385 करोड़ रुपए के व्यय से दो कमरे वाले 5,242 मकानों का निर्माण किया गया है।

2.2.21 कश्मीरी प्रवासियों की वापसी को सुकर बनाने के लिए, केन्द्र सरकार ने 22.90 करोड़ रुपए की लागत से प्रयोगात्मक आधार पर बडगाम जिले में शेखपुरा में 200 फ्लैटों के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की। फ्लैटों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। मट्टन अनंतनाग में 18 और फ्लैटों का निर्माण पूरा हो चुका है। इन फ्लैटों का आबंटन साझा आधार पर उन प्रवासियों को किया गया है, जिनकी नियुक्ति पी एम पैकेज के रोजगार संघटक के तहत की गई है।

कश्मीरी प्रवासियों के लिए प्रधान मंत्री का पैकेज -2008

2.2.22 प्रधान मंत्री ने दिनांक 25.04.2008 को जम्मू व कश्मीर के अपने दौरे के दौरान, अन्य तथ्यों के साथ-साथ, घाटी में कश्मीरी प्रवासियों की वापसी एवं पुनर्वास के लिए 1,618.40 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की। इस पैकेज में आवास, अस्थाई निवास, नगद राहत की निरन्तरता, छात्रों के लिए छात्रवृत्तियाँ, रोजगार, कृषकों/बागवानी करने वालों को सहायता तथा ऋणों पर ब्याज की माफी के लिए सहायता का प्रावधान शामिल है।

2.2.23 राज्य सरकार ने पैकेज के प्रभावी कार्यान्वयन की देखरेख करने के लिए जम्मू व कश्मीर के राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में सितम्बर, 2009 में एक शीर्ष सलाहकार समिति का गठन किया है। राज्य सरकार ने कश्मीर के प्रवासी बेरोजगार युवाओं के लिए 3,000 अतिरिक्त पदों का सृजन किया है। भर्ती नियम भी अधिसूचित कर दिए गए हैं। अब तक 2,184 प्रवासियों को नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं जिनमें से 1,446 उम्मीदवारों ने घाटी में पदों का कार्यभार ग्रहण कर लिया है। तथापि, यथा स्थिति बनाए रखने के उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार प्रक्रिया रोक दी गई है।

2.2.24 कश्मीरी पंडितों को अस्थाई आवास प्रदान करने के संघटक के तहत 505 यूनिटों का निर्माण शुरु किया गया है। 405 यूनिटों का निर्माण पूरा हो चुका है। शेष यूनिटों का निर्माण भी शीघ्र पूरा होने की आशा है। पूरी हुई यूनिटों का आवंटन साझा आधार पर उन कश्मीरी प्रवासियों को किया गया है जो रोजगार संघटक के तहत घाटी में आ गए हैं।

2.2.25 भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान राहत और पुनर्वास व्यय के लिए 106.62 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति की है।

2.2.26 उग्रवाद से पीड़ित लोगों को मनोवैज्ञानिक सहायता और आर्थिक पुनर्वास प्रदान करने के उद्देश्य से जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार ने उग्रवाद से पीड़ित विधवाओं, अनाथों, विकलांग व्यक्तियों और वृद्ध लोगों के पुनर्वास के लिए वर्ष 1995 में एक परिषद का गठन किया था। इस परिषद का पंजीकरण, जम्मू और कश्मीर में विधवा, अनाथ, विकलांग और वृद्ध व्यक्तियों (उग्रवाद के पीड़ित) की पुनर्वास परिषद' के नाम से सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के तहत

सोसाइटी के रुप में किया गया है। भारत सरकार भी समय-समय पर कारपस/अनुदान के रुप में जे एंड के पुनर्वास परिषद को सहायता प्रदान करती रही है।

2.2.27 राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2012-13 के दौरान जे एंड के पुनर्वास परिषद की योजनाओं के तहत 3,660 विधवाओं, 2,098 अनाथों, 2,400 वृद्ध व्यक्तियों और 997 शारीरिक रुप से विकलांग व्यक्तियों को शामिल किया गया है।

नियंत्रण रेखा पार के लोगों का एक-दूसरे के साथ संपर्क स्थापित करना (विश्वास निर्माण के उपाय)

2.2.28 भारत सरकार ने नियंत्रण रेखा पार यात्रा करने और नियंत्रण रेखा पार व्यापार करने सहित नियंत्रण रेखा पार के लोगों को एक-दूसरे के साथ संपर्क बढ़ाने हेतु विभिन्न उपाय शुरु किए हैं। इन दो पहलों की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं।

नियंत्रण रेखा पार यात्रा

2.2.29 एक-दूसरे के साथ संपर्क स्थापित किए जाने को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 07.04.2005 से श्रीनगर-मुजफ्फराबाद पाक्षिक बस सेवा शुरु की गई थी और इसके बाद दिनांक 20.06.2006 से पुंछ-रावलकोट मार्ग पर शुरु की गई थी। नियंत्रण रेखा के दोनों ओर से विश्वास निर्माण के इस उपाय पर अच्छी प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए श्रीनगर-मुजफ्फराबाद और पुंछ-रावलकोट मार्ग की पाक्षिक बस सेवा को क्रमशः दिनांक 11.09.2008 और 08.09.2008 से साप्ताहिक सेवा में परिवर्तित कर दिया गया था। दिनांक 31.12.2012 तक जिन यात्रियों ने श्रीनगर-मुजफ्फराबाद और पुंछ-रावलकोट मार्गों पर इन सेवाओं का लाभ उठाया उनकी संख्या क्रमश 8,658 और 11,033 है।

2.2.30 भारत के विदेश मंत्री और पाकिस्तान के विदेश मंत्री की दिनांक 08.09.2012 को हुई बैठक के दौरान नियंत्रण रेखा के दोनों ओर से यात्रा के आधार को और व्यापक बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए । इनमें नियंत्रण रेखा पार की यात्रा का विस्तार पर्यटन और धार्मिक आयोजन के लिए किया जाना शामिल है। सहमत उपायों का कार्यान्वयन करने के लिए क्रियापद्धति तैयार की जा रही है।

नियंत्रण रेखा पार व्यापार

2.2.31 दिनांक 23.09.2008 को 63वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के समय भारत के प्रधान मंत्री की पाकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ हुई बैठक के दौरान दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि दिनांक 21.10.2008 से नियंत्रण रेखा पार से व्यापार शुरु किया जाए। तदनुसार, श्रीनगर-मुजफ्फराबाद और पुंछ-रावलकोट मार्गों पर 21 अनुमोदित मदों पर शुल्क मुक्त व्यापार दिनांक 21.10.2008 से शुरु हुआ। दिसम्बर के अंत तक, इन दो मार्गों से 21,765 ट्रक सीमा पार करके पाक अधिकृत कश्मीर गए और 16,130 ट्रक सीमा पार कर भारत आए।

युवा विनिमय कार्यक्रम

2.2.32 गृह मंत्रालय, जम्मू एवं कश्मीर कार्य विभाग ने राज्य सरकार सहित विभिन्न एजेंसियों के साथ समन्वय करके युवा विनिमय कार्यक्रम आयोजित किए हैं ताकि जम्मू और कश्मीर के युवाओं को देश के दूसरे राज्यों में रह रहे लोगों के विकास और विभिन्न संस्कृतियों के सामने लाया जा सके। इस वर्ष जम्मू और कश्मीर राज्य पुनर्वास परिषद ने ''वतन को जानो'' कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों के रुप में अधिकांशतः उन बच्चों की पहचान की है जो उग्रवाद के पीड़ित हैं और जम्मू एवं कश्मीर के समाज के कमजोर वर्गों से हैं। इस कार्यक्रम के तहत 15-20 वर्ष की आयु समूह के शिक्षित युवाओं के समूहों ने दिनांक 31.01.2012 से 08.02.2012 तक देश के विभिन्न भागों का दौरा किया और उन्हें देश की विविध सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत के बारे में बताया गया। जिन 158 बच्चों (31 बालिकाओं और 127 बालक) ने इस कार्यक्रम में भाग लिया उनमें से अधिकांश बच्चे जम्मू और कश्मीर राज्य में उग्रवाद से प्रभावित परिवारों से थे।

2.2.33 वर्ष 2012-13 में जम्मू और कश्मीर खेल परिषद को जम्मू, श्रीनगर और बारामुला में फुटबाल प्रदर्शनी मैच आयोजित किए जाने के लिए 35.30 लाख रूपए की वित्तीय सहायता दी गई। जम्मू और कश्मीर खेल परिषद द्वारा 4 मैच आयोजित किए गए। दो मैच जून 2012 में जम्मू और कश्मीर XI और मो. स्पोर्टिंग क्लब के बीच और दो अन्य मैच सितम्बर 2012 में जम्मू और कश्मीर XI और मोहन बागान क्लब के बीच आयोजित किए गए।

जम्मू और कश्मीर की अद्यतन स्थिति

2.2.34 राज्य में हो रहे सकारात्मक विकास कार्यों को दर्शाने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा पहल की गई है, जिसमें अक्तूबर,

2009 में ''जम्मू और कश्मीर की अद्यतन स्थिति'' नामक एक मासिक समाचार पत्रिका शुरु की गई है। पत्रिका में राज्य के सभी तीन क्षेत्रों को शामिल किया गया है जिसमें लोगों की उपलब्धियों पर जोर दिया गया है। पत्रिका की साफ्ट प्रति गृह मंत्रालय की वेब साइट (http://mha.gov.in) पर और www.jammuandkashmirupdate.com पर भी उपलब्ध है।

अमरनाथ यात्रा

2.2.35 इस वर्ष यात्रा दिनांक 25.06.2012 से शुरु हुई और दिनांक 02.08.2012 को संपन्न हुई। अमरनाथ गुफा में कुल 6.21 लाख तीर्थ यात्रियों ने भगवान शिव के बर्फ से बने लिंग के दर्शन किए। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यात्रा शांतिपूर्वक सम्पन्न हो, आधार शिविरों और मार्ग में पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्थाएं की गई थीं।

पूर्वोत्तर

2.3.1 पूर्वोत्तर क्षेत्र, जिसमें आठ राज्य यथा असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, सिक्किम और त्रिपुरा शामिल हैं, अलग-अलग भाषाओं, बोलियों और सामाजिक-आर्थिक पहचान के साथ 200 से अधिक जातीय दलों सहित एक जटिल सांस्कृतिक और जातीय गठबंधन को प्रस्तुत करता है। कुछेक पूर्वोत्तर राज्यों की सुरक्षा स्थिति विभिन्न आतंकवादी गुटों द्वारा की जा रही भिन्न-भिन्न तरह की मांगों के कारण कुछ समय से जटिल बनी रही है। विगत पांच वर्षों के दौरान कुल मिलाकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंसा का प्रोफाइल नीचे दिया गया है:-

वर्ष 2007 से 2013 (28.02.2013 तक) की अवधि के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा की स्थिति

शीर्ष	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 (28.02.2013 तक)
घटनाएं	1489	1561	1297	773	627	1025	113
गिरफ्तार किए गए/मारे गए/आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	2875	4318	3842	3306	2746	3562	524
मारे गए सुरक्षा बलों के कार्मिक	79	46	42	20	32	14	004
मारे गए नागरिक	498	466	264	94	70	97	007

2.3.2 पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिसा की अधिकांश घटनाएं असम और मणिपुर राज्यों में हुई। नागालैंड और मेघालय में हिंसा का स्तर विगत वर्ष से अधिक रहा। त्रिपुरा, मिजोरम और सिक्किम में शांति रही। अरुणाचल प्रदेश में कुछ घटनाओं को छोड़कर स्थिति शांतिपूर्ण रही। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विगत आठ वर्षों (वर्ष 2005 से 2012 तक) के दौरान हिंसा का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

2.3.3 गृह मंत्रालय द्वारा विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 की धारा 3 के तहत जारी विदेशियों विषयक (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 के अन्तर्गत संपूर्ण अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के कुछेक भाग ''संरक्षित क्षेत्र'' हैं। सिक्किम के भी कुछ क्षेत्रों को विदेशियों विषयक (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश, 1963 के तहत प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया है। विदेशियों विषयक (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 और विदेशियों विषयक (प्रतिबंधित क्षेत्र) आदेश, 1963 के अनुसार, केन्द्र सरकार अथवा इस हेतु केन्द्र सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी भी अधिकारी द्वारा जारी अनुज्ञप्ति के तहत और इसके अनुसार को छोड़कर कोई भी विदेशी ऐसे किसी संरक्षित क्षेत्र/प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा अथवा उसमें नहीं ठहरेगा। पूर्वोत्तर राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर पी ए पी/आर ए पी प्रणाली की छूट के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। मणिपुर, मिजोरम और नागालैण्ड राज्यों के समग्र क्षेत्र को विदेशियों विषयक (संरक्षित क्षेत्र) आदेश, 1958 के तहत अधिसूचित संरक्षित क्षेत्र प्रणाली से कतिपय शर्तों के अध्यधीन बाहर रखा गया है।

असम

2.3.4 जुलाई-अगस्त, 2012 में असम में बोडोलैंड प्रादेशिक स्वायत्त जिला (बीटीएडी) क्षेत्रों में हाल की जातीय हिंसा को छोड़कर वर्ष 2010 के शुरु से असम में सुरक्षा की स्थिति में वर्ष-दर-वर्ष मामूली अन्तर के साथ सुधार हुआ है। दिनांक 31.12.2012 तक युनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम [उल्फा

(वार्ता-विरोधी)], नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड [एन डी एफ बी (वार्ता-विरोधी)], कुकी पीपुल्स लिबरेशन टाइगर्स (के पी एल टी) और अन्य यूजी ग्रुपों द्वारा की गई हिंसा की 169 घटनाओं में सुरक्षा बलों के 05 कार्मिकों सहित कुल 27 व्यक्ति मारे गए जबकि विगत वर्ष की तदनुरुपी अवधि के दौरान 145 घटनाओं में सुरक्षा बलों के 14 कार्मिकों सहित 18 व्यक्ति मारे गए थे।

2.3.5 जातीय हिंसा को नियंत्रित करने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय ने असम के कोकराझार में दिनांक 19.07.2012 को भड़की सांप्रदायिक हिंसा के दौरान शांति बहाली के लिए तत्काल और तुरंत आवश्यक कदम उठाए। यह हिंसा बाद में चिरांग और धुब्री जिलों में भी फैली जिसमें 99 जानें गईं और शुरु में 4.85 लाख से अधिक व्यक्ति विस्थापित हुए जिन्हें राहत शिविरों में रखा गया। नवम्बर, 2012 में असम के कोकराझार जिले में हिंसा की और घटनाएं हुईं जिनमें 10 व्यक्ति मारे गए। सुरक्षा की स्थिति और राज्य सरकार द्वारा स्थापित राहत शिविरों में रह रहे विस्थापित व्यक्तियों को प्रदान की गई राहत का जायजा लेने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ अधिकारियों ने जुलाई, 2012 में असम का दौरा किया। केन्द्रीय गृह मंत्री ने असम के मुख्य मंत्री के साथ बैठकें कीं और हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों का भी दौरा किया। गृह मंत्रालय ने दैनिक आधार पर असम की स्थिति पर नजर रखी। गृह मंत्रालय ने असम राज्य में पहले से तैनात सी ए पी एफ की 117 कपंनियों के अलावा हिंसा से प्रभावित क्षेत्रों में केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी ए पी एफ) की 68 अतिरिक्त कंपनियां भी प्रदान की। प्रभावित लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में 127 पुलिस पिकेट भी स्थापित की गई हैं। इस समय सुरक्षा की स्थिति नियंत्रण में है और उस पर नियमित रुप से निगरानी रखी जा रही है। दिनांक 07-03-2013 की स्थिति के अनुसार, 4.80 लाख से अधिक लोग अपने-अपने मूल स्थानों पर वापस लौट गए हैं।

2.3.6 असम के गोलपाड़ा जिले में, राभा जनजाति के लिए राज्य के विधान के तहत एक स्वायत्त परिषद की स्थापना की गई है, जिसमें असम के गोलपाड़ा और बारपेटा जिलों के 779 गांव शामिल हैं। परिषद के चुनाव आयोजित करने के लिए निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का कार्य राज्य सरकार द्वारा अभी पूरा किया जाना है। इस समय, इस क्षेत्र में पंचायती राज प्रणाली लागू है और राज्य सरकार ने पंचायत के चुनाव फरवरी, 2013 में कराए थे। राभा जनजाति अपने क्षेत्र में पंचायतों के चुनाव का विरोध कर रही थी। इसके परिणामस्वरूप, 12 फरवरी, 2013 को पुलिस कार्रवाई में 14 व्यक्तियों की मृत्यु हुई और सामूहिक संघर्ष में 7 व्यक्तियों की मृत्यु हुई। क्षेत्र में सेना और सीएपीएफ की अतिरिक्त कम्पनियां तैनात की गई थीं और स्थिति 24 घंट के अन्दर नियंत्रण में ला दी गई थी। 19,000 से अधिक व्यक्तियों ने राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए गए राहत शिविरों में शरण ली। उन्हें राहत सामग्रियां उपलब्ध कराई जा रही हैं। दिनांक 02.03.2013 की स्थिति के अनुसार 8,741 व्यक्ति राहत शिविरों में रह रहे थे, जबकि शेष व्यक्ति अपने घर वापस चले गए थे।

2.3.7 जिन समूहों ने हिंसा त्यागने के प्रति इच्छा जताई है और जो भारतीय संविधान के अंतर्गत अपनी समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से हल करना चाहते हैं उन विभिन्न समूहों के साथ कार्रवाई स्थगन करार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। जिन समूहों ने कार्रवाई स्थगन करार पर हस्ताक्षर किए हैं, वे हैं नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एन डी एफ बी)/पी, युनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा), अचिक नेशनल वालंटियर काउंसिल (ए एन वी सी), कुकी नेशनल आर्गेनाइजेशन (के एन ओ) और युनाइटेड पीपुल्स फ्रंट (यू पी एफ)। नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड (एन एस सी एन) के सभी गुटों के साथ संघर्ष विराम जारी है।

2.3.8 जो ग्रुप/गुट हिंसा त्यागने, हथियार डालने और भारत के संविधान का पालन करने के लिए तैयार हैं, सरकार उस ग्रुप/गुट के साथ वार्ता करने के लिए तैयार है। तथापि, यदि भविष्य में कोई स्प्लिन्टर ग्रुप होगा, तो सरकार उनसे वार्ता करने पर विचार नहीं करेगी। असम में एन डी एफ बी/पी और उल्फा के साथ और मेघालय में ए एन वी सी के साथ शांति वार्ता जारी है। एन डी एफ बी/पी टी के साथ शांति वार्ता जारी है। उल्फा ने दिनांक 05.08.2011 को केन्द्रीय गृह मंत्री को अपना विस्तृत मांग पत्र प्रस्तुत किया है। भारत सरकार के प्रतिनिधि (श्री पी.सी. हलदर), जिन्हें उल्फा की मांगों पर उनके साथ वार्ता शुरु करने के लिए प्राधिकृत किया गया है, ने उल्फा के साथ वार्ता शुरु कर दी है। केन्द्रीय गृह सचिव ने दिनांक 29.06.2012 को भारत सरकार के प्रतिनिधि और उल्फा नेताओं के साथ हुई वार्ताओं की स्थिति की समीक्षा की।

2.3.9 यद्यपि एन डी एफ बी/पी और उल्फा के साथ हुई वार्ता में शांति प्रक्रिया की ओर सकारात्मक रुख अपनाया गया

केन्द्रीय गृह सचिव श्री आर.के. सिंह वार्ता की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए दिनांक 29.06.2012 को उल्फा के अध्यक्ष अरबिन्दो राजखोवा के नेतृत्व में उल्फा के प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता करते हुए

है, तथापि परेश बरुआ के नेतृत्व वाला उल्फा/एटी उदासीन बना हुआ है। वर्ष के दौरान, केन्द्र सरकार, असम सरकार और दीमा हलम दाओगाह (डीएचडी) और डी एच डी (जोएल) समूह) द्वारा दिनांक 08.10.2012 को त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन (एम ओ एस) पर हस्ताक्षर हुए। एम ओ एस में असम में नार्थ कछार हिल्स ऑटोनामस काउंसिल की स्वयत्तता बढ़ाने और क्षेत्र में तेजी से सामाजिक-आर्थिक और शैक्षिक विकास के लिए एक विशेष पैकेज का भी प्रावधान है।

मणिपुर

2.3.10 पूर्वोत्तर क्षेत्र में हिंसा की अधिकांश घटनाएं मणिपुर में होनी जारी रहीं। हिंसा के लिए मइतेई भूमिगत ग्रुप या घाटी में स्थित विद्रोही ग्रुप मुख्य रुप से जिम्मेदार हैं, यद्यपि नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड और जलियांगरोंग युनाइटेड फ्रंट के गुटों के बीच आपस में झड़प होने की घटनाओं की सूचना भी मिली है। विगत वर्ष की हिंसा की घटनाओं (298) की तुलना में चालू वित्त वर्ष (31.12.2012 तक) के दौरान हिंसा की घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है जो बढ़कर 518 हो गई है। तथापि, यह मुख्यतः राज्य विधान सभा के आम चुनावों के दौरान वी बी आई जी के क्रियालापों में हुई वृद्धि के कारण हुआ है। विद्रोह रोकने के निरंतर प्रयासों के कारण वर्ष 2012 में 1,701 विद्रोहियों को गिरफ्तार किया गया, मारा गया और उन्होंने आत्मसमर्पण किया। कुछ वी बी आई जी के कई शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार किए जाने से ये ग्रुप अब तितर-बितर हो गए हैं और इस बात की संभावना काफी बढ़ गई है कि वे हिंसा का मार्ग त्याग दें।

नागालैण्ड

2.3.11 नागालैण्ड में हिंसा मुख्य रुप से विभिन्न दलों के बीच अन्तर-गुटीय झड़पों के रूप में होती रही है। प्रमुख बागी दलों यथा नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैण्ड (इसाक मुइवाह) (एन एस सी एन)/(आई एम) और नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल आफ नागालैण्ड (खापलांग) (एन एस सी एन) (के) के बीच अन्तर-गुटीय हिंसा की घटनाओं की संख्या में वर्ष 2012 के दौरान मामूली वृद्धि हुई है। एन एस सी एन (खापलांग) में दरार पड़ने और गुटों में अधिक झड़पें होने के कारण वर्ष 2012 के दौरान राज्य में हिंसा की घटनाओं में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है।

2.3.12 छह नागा जनजातियों के एक शीर्ष निकाय-ईस्टर्न नागा पीपुल्स आर्गनाइजेशन (ई एन पी ओ) ने नागालैण्ड के चार पूर्वी जिलों (मों, त्वेनसैंग, किफिरे और लांगलेंग) और अरुणाचल प्रदेश के दो जिलों (तिरप और चांगलांग) को मिलाकर एक पृथक राज्य बनाए जाने और भारत संघ के अंदर विशेष दर्जा देने की मांग उठायी है।

2.3.13 नागा शान्ति वार्ता हेतु भारत सरकार के प्रतिनिधि श्री आर.एस. पाण्डे, एन एस सी एन (आई/एम) के साथ बातचीत करते रहे हैं।

2.3.14 पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय प्रमुख उग्रवादी/बागी गुटों को **अनुलग्नक-IV** में दर्शाया गया है।

स्थिति से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम

2.3.15 अलग-अलग वंशीय दलों की बहुलता और क्षेत्र में परिणामी जटिल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए, सरकार ऐसे दलों के साथ वार्ता के लिए तैयार है जो चरणबद्ध तरीके से हिंसा को छोड़ने के लिए तैयार हैं। परिणामस्वरुप, जिन दलों ने हिंसा त्यागने की मंशा व्यक्त की और भारत के संविधान की रूपरेखा के तहत अपनी समस्याओं का शांतिपूर्ण हल चाहा, उन कई ग्रुपों के साथ कार्रवाई स्थगन (एस ओ ओ) करार किए गए हैं।

2.3.16 भारत सरकार, असम सरकार और एन डी एफ बी के बीच कार्रवाई स्थगन (एस ओ ओ) करार पर हस्ताक्षर दिनांक 24.05.2005 को किए गए थे और यह 01.06.2005 से प्रभावी है। कार्रवाई स्थगन करार को समय-समय पर बढ़ाया गया है। एन.डी.एफ.बी. के साथ हस्ताक्षरित कार्रवाई स्थगन करार के सहमत मूल नियमों में संशोधन किया गया है और यह 31.12.2013 तक वैध है।

2.3.17 सरकार ने दिनांक 23.07.2004 से मेघालय में अचिक नेशनल वॉलन्टियर काउंसिल (ए एन वी सी) के साथ कार्रवाई स्थगन करार पर हस्ताक्षर किया है। इस संगठन के साथ यह एस ओ ओ करार 30.09.2013 तक वैध है।

2.3.18 श्री पी.सी. हलदर, जिन्हें एन डी एफ बी और ए एन बी सी के साथ बातचीत करने के लिए भारत सरकार का प्रतिनिधि नियुक्त किया गया था, ने इन संगठनों के साथ शान्ति वार्ता जारी रखी।

2.3.19 मणिपुर में कुकी ग्रुपों के साथ कार्रवाई स्थगन करार (एस ओ ओ) पर 23.08.2008 को हस्ताक्षर किया किया गया है और यह 21.08.2013 तक वैध है।

2.3.20 इन ग्रुपों के संबंध में सहमत मूल नियमों के कार्यान्वयन की आवधिक समीक्षा, भारत सरकार, राज्य सरकार, सुरक्षा बलों और संबंधित गुटों के प्रतिनिधियों वाले एक संयुक्त निगरानी दल द्वारा की जाती है।

2.3.21 केन्द्र सरकार ने उग्रवाद–रोधी कार्रवाई करने और सुभेद्य स्थापनाओं एवं संस्थानों में सुरक्षा मुहैया कराने के लिए राज्य प्राधिकारियों की मदद हेतु केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी ए पी एफ) की तैनाती की है; केन्द्र सरकार सतत आधार पर राज्य सरकारों के साथ आसूचना का आदान-प्रदान भी करती है। पुलिस आधुनिकीकरण स्कीम के तहत यह पुलिस बलों को सुदृढ़ बनाने के लिए वित्तीय सहायता भी देती है। सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति के जरिए केन्द्रीय बलों/ सेना के रखरखाव, पीड़ितों को मुआवजा, इंडिया रिजर्व बटालियनें आदि गठित करने की लागत सहित विद्रोह के कारण हुए व्यय को पूरा करने के लिए पूर्वोत्तर के राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है।

2.3.22 निम्नलिखित तथ्यों से असम में शांति प्रक्रिया के परिणाम स्पष्ट हो जाते हैंः (i) समझौता हुआ और यूपीडीएस ने अपना विघटन कर लिया। (ii) डीएचडी/जे के साथ समझौता हुआ और इसने अपना विघटन कर लिया (iii) डीएचडी (एन) विघटन की प्रक्रिया में है।

2.3.23 मेघालय में, एएनवीसी के साथ समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप प्रदान किया गया है।

2.3.24 मणिपुर में, भारत सरकार द्वारा की गई एक बड़ी पहल के परिणामस्वरूप, तीन मेइतेई विद्रोही समूहों ने अपने काडरों और नेताओं के आत्मसमर्पण के लिए दिनांक 13.02.2013 को भारत सरकार और राज्य सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यूनाइटेड रिवोल्यूशनरी फ्रंट (यूआरएफ), जिसमें कांगलेईपाक काम्युनिस्ट पार्टी (केसीपी) के विभिन्न गुट शामिल हैं और इसके मिलिटरी विंग मणिपुर आर्मी (एमए) ने 90 काडरों और 50 हथियारों केसाथ आत्मसमर्पण किया। यूआरएफ के मुख्य संघटक केसीपी (लांहेइबा), केसीपी (चिंगखेंगांबा) और केसीपी (सुनील मेइतेई) हैं। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला

दूसरा समूह केसीपी (लाम्फेल) था जिसमें केसीपी के तीन गुट अर्थात केसीपी (लाम्फेल), केसीपी (सिटी मेइतेई) और केसीपी (ताइबांगांबा) शामिल हैं और इसने 40 काडरों और 27 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया। समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने वाला तीसरा समूह कांगलेई यवल कन्ना लुप (केवाईकेएल) के दो गुट अर्थात अथाउबा गुट और अचाउबा गुट है। इस समूह ने 67 काडरों और 61 हथियारों के साथ आत्मसमर्पण किया।

इंडिया रिजर्व बटालियनों (आई आर बटालियनों) का गठन

2.3.25 भारत सरकार, विद्रोह/उग्रवाद से निपटने के लिए राज्य सरकारों के पुलिस बलों को संवर्धित और उन्नत बनाने के लिए उनकी मदद करती है। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों हेतु 51 इंडिया रिजर्व बटालियनों (आई आर बटालियनों) को मंजूरी प्रदान की गई है। इनमें ये शामिल हैं; असम के लिए 09, त्रिपुरा के लिए 09 और मणिपुर के लिए 09, नागालैण्ड के लिए 07, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में प्रत्येक के लिए पाँच-पाँच, मेघालय के लिए 04 तथा सिक्किम के लिए 03 बटालियनें। मंजूर की गईं 51 बटालियनों में से अब तक 48 इंडिया रिजर्व बटालियनों का गठन, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों में कर दिया गया है।

सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) की प्रतिपूर्ति

2.3.26 केन्द्र सरकार उग्रवाद/विद्रोह से प्रभावित राज्यों हेतु सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) की प्रतिपूर्ति की स्कीम का कार्यान्वयन कर रही है। इस स्कीम को मिजोरम और सिक्किम को छोड़कर इस क्षेत्र के सभी राज्यों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इसके अन्तर्गत, इंडिया रिजर्व बटालियनों के गठन, राज्य में तैनात सी ए पी एफ को प्रदान किए गए संभार तंत्र, उग्रवादी हिंसा के पीड़ितों को अनुग्रह अदायगी एवं सहानुभूति राहत, अभियानों में पी ओ एल (पेट्रोल, तेल और ल्यूब्रीकैन्ट) पर किए गए खर्च का 75% तथा सुरक्षा उद्देश्य के लिए तैनात ग्रामीण गार्डों/ग्रामीण रक्षा समितियों/होम गार्डों को प्रदान किए गए मानदेय और ऐसे ग्रुपों, जिनके साथ केन्द्र सरकार/राज्य सरकारों ने कार्रवाइयों को आस्थगित रखने हेतु करार किया है, के लिए स्थापित किए गए निर्धारित शिविरों के अनुरक्षण पर खर्च किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति की जा रही है।

2.3.27 विगत दस वर्षों के दौरान एस आर ई स्कीम के अन्तर्गत पूर्वोत्तर राज्यों को जारी सहायता के राज्यवार ब्यौरे **अनुलग्नक-V** में दिए गए हैं। चालू वर्ष (2012-13) के बजट अनुमान (बीई) में 290 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

2.3.28 जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, सुरक्षा से संबंधित व्यय (एस आर ई) की प्रतिपूर्ति योजना के तहत ग्राम रक्षा दलों (वी डी पी)/ग्राम गार्डों (वी जी)/विशेष पुलिस अधिकारियों (एस पी ओ) पर किए गए व्यय की 100% तक की प्रतिपूर्ति संबंधित राज्य सरकारों को की जा रही है। उग्रवाद से प्रभावित प्रत्येक राज्य में एस आर ई योजना के तहत प्रतिपूर्ति के लिए पात्र वी डी पी/वी जी/एसपीओ की संख्या, प्रतिपूर्ति किए जाने से पहले गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की जानी होती है। वी डी पी/वी जी/एसपीओ की तैनाती असम, मणिपुर, नागालैंड और त्रिपुरा में की गई है। वी डी पी/वी जी/एसपीओ के कर्तव्यों में परियोजनाओं को सुरक्षा प्रदान करने के साथ-साथ आसूचना एकत्र करने में राज्य पुलिस की सहायता करना शामिल है। राज्य सरकारें विभिन्न दरों पर वी डी पी/वी जी/एसपीओ को पारिश्रमिक का भुगतान कर रही हैं। तथापि, एस आर ई योजना के तहत प्रतिपूर्ति किए जाने के प्रयोजनार्थ प्रति वी डी पी/ वी जी/ एसपीओ पारिश्रमिक, जो 500/-रूपए प्रतिमाह तक सीमित था, दिनांक 08.12.2010 से बढ़ाकर 1500/-रूपए प्रतिमाह कर दिया गया है।

पूर्वोत्तर में उग्रवादियों के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास संबंधी योजना में संशोधन

2.3.29 गृह मंत्रालय दिनांक 01.04.1998 से उग्रवादियों के आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास संबंधी एक योजना कार्यान्वित कर रहा है। इस योजना में वर्ष 2000, 2006, 2009, 2010, 2011 और 2012 में संशोधन किया गया है। संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार :

(क) प्रत्येक आत्मसमर्पणकर्ता को 1.5 लाख रुपए का तत्काल अनुदान दिया जाएगा जिसे 3 वर्षों की अवधि के लिए सावधि जमा के रूप में आत्मसमर्पणकर्ता के नाम से बैंक में रखा जाएगा। इस धनराशि का प्रयोग आत्मसमर्पणकर्ता द्वारा स्वरोजगार हेतु बैंक से ऋण हासिल करते समय

कोलैटरल सिक्यूरिटी/मार्जिन मनी के रूप में किया जा सकता है;

(ख) दिनांक 01.12.2009 से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रत्येक आत्मसमर्पणकर्ता के वजीफे को 2,000 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 3,500 रुपए प्रतिमाह करना। राज्य सरकारें, यदि लाभार्थियों को एक वर्ष से अधिक समय तक सहायता देनी अपेक्षित समझती हैं; तो वे इस मंत्रालय से परामर्श कर सकती हैं; और

(ग) आत्मसमर्पणकर्ताओं को स्वरोजगार हेतु व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रावधान करना।

2.3.30 वर्ष 2005 से 2012 (31.10.2012 तक) तक जिन उग्रवादियों ने आत्मसमर्पण किया उनकी संख्या नीचे दी गई है:-

वर्ष	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012 (31.10.2012तक)
उग्रवादियों की संख्या	555	1430	524	1112	1109	846	1122	1195

राज्य पुलिस बलों का आधुनिकीकरण (एम पी एफ)

2.3.31 गृह मंत्रालय, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण हेतु राज्य सरकारों को सहायता प्रदान कर रहा है। इस स्कीम के अन्तर्गत, अन्य बातों के साथ-साथ, निगरानी, संचार, विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं हेतु आधुनिक उपकरणों की अधिप्राप्ति, हथियार, वाहनों, कम्प्यूटरीकरण, प्रशिक्षण आधारभूत संरचना तथा पुलिस आधारभूत संरचना जैसे कि आवास/पुलिस स्टेशन/बाह्य चौकियों/बैरक आदि के निर्माण हेतु सहायता प्रदान की जा रही है। एम पी एफ योजना के अन्तर्गत सभी पूर्वोत्तर राज्य, पुलिस बलों का आधुनिकीकरण करने की अपनी अनुमोदित वार्षिक योजना हेतु 100% केन्द्रीय सहायता पाने के हकदार हैं। वर्ष 2000-01 से लेकर अब तक राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण संबंधी योजना के अन्तर्गत नगद/वस्तु रूप में निर्गत की गई निधि का राज्यवार विवरण **अनुलग्नक-VI** में दिया गया है।

ब्रू प्रवासियों की त्रिपुरा से मिजोरम में वापसी

2.3.32 मिजो ग्रामीणों द्वारा अल्पसंख्यक रियांग जनजातियों पर हमले किए जाने के कारण कई ब्रू (रियांग) परिवार अक्तूबर, 1997 के बाद से पश्चिम मिजोरम से उत्तर त्रिपुरा में पलायन कर गए हैं। ऐसे ब्रू प्रवासियों की संख्या लगभग 30,000 (5000 परिवार हैं) जिन्हें त्रिपुरा के कंचनपुर जिले में स्थापित शिविरों में आश्रय दिया गया है।

2.3.33 भारत सरकार, ब्रू परिवारों के पुनर्वास/पुनरुद्धार के लिए मिजोरम सरकार और विभिन्न राहत शिविरों में रखे गए ब्रू परिवारों के भरण-पाषेण के लिए त्रिपुरा सरकार को अनुदान सहायता प्रदान करती रही है। ब्रू परिवारों के पुनर्वास के लिए मिजोरम सरकार को वर्ष 2011-12 और 2012-13 में क्रमशः 9.96 करोड़ रुपए और 7.86 करोड़ रुपए की अनुदान सहायता सहायता जारी की गई। इसके अलावा, त्रिपुरा के विभिन्न राहत शिविरों में रखे गए ब्रू परिवारों के भरण-पोषण के लिए त्रिपुरा सरकार को वर्ष 2011-12 और 2012-13 में क्रमशः 29.35 करोड़ रुपए और 6 करोड़ रुपए (31.12.2012 तक) की अनुदान सहायता जारी की गई थी।

2.3.34 गृह मंत्रालय द्वारा मिजोरम और त्रिपुरा सरकारों के साथ निरंतर रुप से संपर्क किए जाने के परिणामस्वरुप ब्रू (रियांग) शरणार्थियों के प्रत्यावर्तन की प्रक्रिया नवम्बर, 2010 में शुरु हुई और यह मई/जून, 2011 तक जारी रही (तीन बैचों में)। इसके परिणामस्वरुप, जून, 2011 तक मिजोरम से लगभग 800 परिवारों (लगभग 4000 सदस्य) का प्रत्यावर्तन किया गया है जिसमें स्वयं-प्रत्यावर्तित परिवार भी शामिल हैं। यह नवम्बर, 2009 में हुई हिंसा की नई घटनाओं के कारण मिजोरम और त्रिपुरा से विस्थापित लगभग 459 ब्रू परिवारों के प्रत्यावर्तन के अलावा है। इसके बाद, त्रिपुरा में रह रहे कुछ ब्रू लोगों द्वारा उत्तरी त्रिपुरा की सखन पहाड़ियों (जहां उन्हें मूल रुप से बसाया गया था) से कथित रुप से विस्थापित

लगभग 83 मिजो परिवारों के पुनर्वास की मांग को लेकर कतिपय मिजो एनजीओ द्वारा किए गए विरोध के कारण आगे का प्रत्यावर्तन रुक गया। उत्तरी त्रिपुरा की सखन पहाड़ियों के विस्थापित मिजो, उसी तरह के पर्याप्त पुनर्वास पैकेज की मांग कर रहे थे जो विस्थापित मिजोरम ब्रू लोगों को दिया जा रहा है।

2.3.35 उत्तरी त्रिपुरा की सखन पहाड़ियों के 83 विस्थापित मिजो परिवारों में से प्रत्येक परिवार को जुलाई, 2012 में 1.50 लाख रुपए का पुनर्वास पैकेज संवितरित करके सखन मिजो लोगों का मामला सौहार्दपूर्वक निपटा दिया गया है।

2.3.36 मिजोरम राज्य सरकार ने अप्रैल-मई, 2012 में चौथे बैच में 669 ब्रू (रियांग) परिवारों के प्रत्यावर्तन के लिए एक वापसी योजना बनाई। ब्रू प्रत्यावर्तन के चौथे चरण को शुरु करने के लिए अग्रिम के रुप में जून, 2012 में 7.87 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई। लेकिन कुछ ब्रू नेताओं द्वारा प्रतिरोध किए जाने और दुष्प्रचार अभियान के कारण योजना के अनुसार प्रत्यावर्तन नहीं किया जा सका। इसके परिणामस्वरुप, केवल 7 (सात) ब्रू परिवार ही मिजोरम वापस भेजे जा सके।

2.3.37 प्रत्यावर्तन प्रक्रिया पूरी करने की समय-सीमा निश्चित करने के लिए मिजोरम और त्रिपुरा राज्य सरकारों के साथ नई दिल्ली में दिनांक 05.11.2012 को संयुक्त सचिव (एन ई), गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में त्रिपक्षीय बैठक हुई। इस मामले में अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

2.3.38 शेष भारत के साथ दूर-दराज के क्षेत्रों को जोड़ने और क्षेत्रों को हवाई सेवा प्रदान करने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय की सब्सिडी से योजनेतर स्कीम के तहत अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में हेलीकाप्टर सेवायें प्रदान की जा रही हैं। सब्सिडी, यात्रियों से प्राप्त की गई राशि का समायोजन करने के बाद परिचालनात्मक लागत के 75% तक सीमित है। सब्सिडी सीमित रखने के प्रयोजनार्थ प्रत्येक हेलीकाप्टर के उड़ने के घंटों की वार्षिक सीमा निश्चित की गई है।

2.3.39 हेलीकाप्टर सेवायें चलाने के लिए निम्नलिखित ब्यौरे के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा मंजूरी प्रदान की गई हैः

राज्य सरकारों द्वारा पट्टे पर लिए गए हेलीकाप्टर	हेलीकाप्टर की किस्म	प्रति वर्ष मंजूर किए गए उड़ने के घंटों की संख्या
त्रिपुरा	डॉफिन दो इंजन	480
अरुणाचल प्रदेश	प्रथम एम आई-172	960
	द्वितीय एम आई-172	1200
	बेल-412 दो इंजन	1300
सिक्किम	बेल-406 एक इंजन/ दो इंजन	1200
मेघालय	डॉफिन दो इंजन	720
नागालैंड	डॉफिन/बेल दो इंजन	480
मिजोरम	डॉफिन दो इंजन	960

2.3.40 राज्य सरकारों को उड़ने के घंटों की अधिकतम सीमा से अधिक हेलीकाप्टर सेवा परिचालित करने की अनुमति दी गई है। लेकिन इन राज्यों में चल रही प्रत्येक प्रकार की हेलीकाप्टर सेवा के लिए निश्चित की गई उड़ने की सीमा पर सब्सिडी की सीमा लागू रहेगी। गृह मंत्रालय की सब्सिडी का समायोजन करने के बाद हेलीकाप्टर सेवायें चलाने के लिए शेष राशि, संबंधित राज्य सरकारों द्वारा वहन की जाती है। वर्ष 2012-13 के लिए फरवरी, 2013 तक लगभग 23.9 करोड़ रूपए जारी कर दिए गए हैं।

वामपंथी उग्रवादी (एल डब्ल्यू ई) विद्रोह

सिंहावलोकन

2.4.1 यद्यपि भारत के कतिपय भागों में पिछले कुछ दशकों से वामपंथी उग्रवाद (एल डब्ल्यू ई) के कुछ ग्रुप सक्रिय हैं लेकिन पिछले दशक या इसके आस-पास की अवधि के दौरान समस्या का गंभीर स्वरुप दिखाई दिया है। भौगोलिक फैलाव की दृष्टि से छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा और बिहार सर्वाधिक प्रभावित राज्य हैं। एलडब्ल्यूई की समस्या, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के कुछ क्षेत्रों में हैं। सी पी आई (माओवादी) अभी

भी सर्वाधिक प्रमुख और हिंसक एलडब्ल्यूई ग्रुप बना हुआ है जिसने हिंसा और हत्या की 80% से अधिक वारदातें कीं। एलडब्ल्यूई उग्रवादी हिंसा का राज्य-वार ब्यौरा नीचे की सारणी में दिया गया हैः-

वर्ष 2009 से 2012 के दौरान राज्य-वार वामपंथी उग्रवादी हिंसा

राज्य	2009		2010		2011		2012	
	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें	घटनाएं	मौतें
आन्ध्र प्रदेश	66	18	100	24	54	09	67	13
बिहार	232	72	307	97	316	63	166	44
छत्तीसगढ़	529	290	625	343	465	204	370	109
झारखंड	742	208	501	157	517	182	480	163
मध्य प्रदेश	1	0	7	1	08	00	11	0
महाराष्ट्र	154	93	94	45	109	54	134	41
ओडिशा	266	67	218	79	192	53	171	45
उत्तर प्रदेश	8	2	6	1	01	00	02	0
पश्चिम बंगाल	255	158	350	258	92	45	06	0
अन्य	5	0	5	0	06	01	08	0
कुल	**2258**	**908**	**2213**	**1005**	**1760**	**611**	**1415**	**415**

सी पी आई (माओवादी) पर प्रतिबंध

2.4.2 सी पी आई (माओवादी), जो हिंसा की सर्वाधिक घटनाओं और हत्याओं के लिए जिम्मेदार प्रमुख वामपंथी उग्रवादी संगठन है, को विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के तहत इसके सभी गुटों और मुख्य संगठनों के साथ आतंकवादी संगठनों की अनुसूची में शामिल किया गया है।

सरकार की नीति

2.4.3 सरकार की नीति सुरक्षा, विकास, स्थानीय समुदायों के अधिकार सुनिश्चित करने और सुशासन को बढ़ावा देने के क्षेत्रों में वामपंथी उग्रवादी गतिविधियों से समग्र तरीके से निपट ने की है। दशकों पुरानी इस समस्या से निपटने में, विभिन्न उच्च स्तरीय विचार-विमर्शों और संबंधित राज्य सरकारों के साथ सम्पर्कों के बाद, यह उपयुक्त समझा गया है कि एक एकीकृत नीति आवश्यक है। इसको ध्यान में रखते हुए सरकार का ध्यान वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में सुरक्षा विकास और शासन की कमियों को दूर करने पर है। तदनुसार, सरकार ने सुरक्षा और विकास के क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिए जाने के लिए 9 राज्यों में 106 जिलों की पहचान की है।

2.4.4 सरकार का दृष्टिकोण और नीति यह है कि मुख्यतः उपर्युक्त दो क्षेत्रों में संबंधित राज्य सरकारों की क्षमता निर्माण को सुकर बनाकर वामपंथी उग्रवादी हिंसा से प्रभावी ढंग से निपटा जाए। तदनुसार, सरकार, सुरक्षा वातावरण में सुधार करने संबंधी योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है अर्थात् सुरक्षा से संबंधित व्यय योजना, विशेष अवसंरचना योजना, सुरक्षित पुलिस स्टेशनों के निर्माण की योजना आदि। इसके साथ ही विकास और शासन के मुद्दों पर, विशेष रुप से महत्वपूर्ण स्तर पर, भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस संदर्भ में राज्यों को पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, प्रधान मंत्री की ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आश्रम स्कूल, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना और सर्व शिक्षा अभियान आदि जैसी विशेष महत्व वाली विभिन्न केन्द्रीय योजनाओं के तहत निधियां आबंटित की जाती हैं। इन योजनाओं के कार्यान्वयन पर राज्य सरकारों के साथ-साथ केन्द्र सरकार द्वारा भी निकट से नजर रखी जाती है। इसके अलावा, सरकार चुने हुए 82 जिलों में लोक अवसंरचना और सेवाओं में विकासात्मक कमी को दूर करने के लिए एकीकृत कार्य योजना (आई ए पी) कार्यान्वित कर रही है।

सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के माध्यम से भारत के वामपंथी उग्रवाद से सर्वाधिक प्रभावित 34 जिलों में महत्वाकांक्षी सड़क विकास योजना भी कार्यान्वित कर रही है। वन अधिकार अधिनियम, 2006 का कार्यान्वयन, विशेष रुप से व्यक्तियों और समुदाओं को हक विलेख आबंटित किए जाने संबंधी उपबंधों का कार्यान्वयन किया जाना, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र है।

समीक्षा एवं अनुवीक्षण तंत्र

2.4.5 सरकार ने वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) की समस्या के विभिन्न पहलुओं और उनसे निपटने के आवश्यक उपायों के संदर्भ में अनेक समीक्षा और अनुवीक्षण तंत्र स्थापित किए हैं। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं :-

(i) राजनीतिक, सुरक्षा और विकास के मोर्चे पर वामपंथी उग्रवादी समस्या से निपटने के लिए समन्वित नीति और विशिष्ट उपायों को तैयार करने के लिए केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में संबंधित राज्यों के मुख्य मंत्रियों की एक स्थायी समिति।

(ii) कई प्रकार के विकास एवं सुरक्षा उपायों की समीक्षा करने के लिए मंत्रिमंडल सचिव के तहत एक समीक्षा समूह (पूर्व कथित कार्य बल)।

(iii) जिन राज्य सरकारों का प्रतिनिधित्व मुख्य सचिवों एवं पुलिस महानिदेशकों द्वारा किया जाता है, वहाँ राज्य सरकारों के प्रयासों की समीक्षा एवं उनका समन्वय करने के लिए केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक समन्वय केन्द्र की स्थापना करना।

(iv) एलडब्ल्यूई-रोधी प्रयासों की निगरानी और समन्वय करने के लिए आसूचना एजेंसियों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राज्य पुलिस बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विशेष सचिव (आंतरिक सुरक्षा), गृह मंत्रालय के अधीन एक कार्यबल का गठन करना।

(v) वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में स्थानीय जरुरतों और स्थितियों को ध्यान में रखते हुए विभिन्न विकास कार्यक्रमों और प्रमुख योजनाओं के कार्यान्वयन से संबंधित वर्तमान निर्देशों को हटाने या उनमें संशोधन करने के लिए सरकार द्वारा सदस्य सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता में अधिकारियों के अधिकार प्राप्त समूह का गठन किया गया है। प्रभावित राज्यों से राज्य में भी अधिकार प्राप्त समूह का गठन करने के लिए कहा गया है।

केन्द्र सरकार द्वारा किए गए विशिष्ट उपाय

2.4.6 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' चूंकि राज्य के विषय हैं, अतः कानून एवं व्यवस्था को बनाए रखने के संबंध में कार्रवाई करना प्राथमिकतः उन्हीं संबंधित राज्य सरकारों के दायरे में आता है। केन्द्र सरकार स्थिति की गहन रूप से निगरानी करती है और कई तरीके से एलडब्ल्यूई समस्या से निपटने में उनके प्रयासों में समन्वय और सहायता प्रदान करती है। इनमें केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी ए पी एफ) तथा कमाण्डो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन (कोबरा) को मुहैया कराया जाना; इण्डिया रिजर्व (आई आर) बटालियनों की स्वीकृति प्रदान करना, विद्रोह-रोधी एवं आतंकवाद-विरोधी (सी आई ए टी) विद्यालयों की स्थापना करना; राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना (एम पी एफ स्कीम) के अन्तर्गत राज्य पुलिस एवं उनके आसूचना तंत्र को आधुनिक बनाना तथा उन्नत करना; सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) योजना के अन्तर्गत सुरक्षा संबंधी व्यय की प्रतिपूर्ति करना; वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों में विशेष अवसंरचना योजना के अन्तर्गत मुख्य अवसंरचनात्मक कमियों को पूरा करना; एल डब्ल्यू ई प्रभावित जिलों में 400 सुरक्षित पुलिस स्टेशनों के निर्माण/सुदृढ़ीकरण के लिए सहायता; रक्षा मंत्रालय, केन्द्रीय पुलिस संगठनों तथा पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के माध्यम से राज्य पुलिस के प्रशिक्षण में सहायता करना; आसूचना का आदान-प्रदान करना; अन्तर-राज्यीय समन्वय की सुविधा प्रदान करना; सामुदायिक पुलिस व्यवस्था एवं नागरिक कार्रवाइयों में सहायता देना तथा विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों की श्रृंखलाबद्ध योजनाओं के माध्यम से विकास कार्यों में सहायता प्रदान करना शामिल है।

भारत सरकार के हस्तक्षेप

क) सुरक्षा से संबंधित उपाय

(I) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी ए पी एफ) की तैनाती

2.4.7 आन्ध्र प्रदेश, बिहार छत्तीसगढ, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, उत्तर प्रदेश एवं पश्चिम बंगाल राज्यों में राज्य

पुलिस की सहायता करने के लिए इस समय केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 81 बटालियनें तैनात हैं। इस संख्या में और वृद्धि होने की संभावना है।

(II) कोबरा बटालियन

2.4.8 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी आर पी एफ) के एक भाग के रूप में प्रशिक्षित और सुसज्जित कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन (कोबरा) नामक विशेषज्ञ बल की बटालियनों का गठन विद्रोह-रोधी और जंगल युद्ध कार्रवाइयों के लिए किया गया है। इन कोबरा बटालियनों की तैनाती एलडब्ल्यूई प्रभावित राज्यों में की गई है।

(III) सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) योजना

2.4.9 सुरक्षा संबंधी व्यय (एस आर ई) योजना के अन्तर्गत संघ सरकार, सुरक्षा बलों के अनुग्रह भुगतान, प्रशिक्षण तथा संचालनात्मक आवश्यकताओं से संबंधित व्यय के साथ-साथ संबंधित राज्य सरकार की समर्पण एवं पुनर्वास नीति के अनुरुप आत्मसमर्पण करने वाले वामपंथी उग्रवादी कैडरों, सामुदायिक पुलिस व्यवस्था, ग्राम रक्षा समितियों के लिए सुरक्षा संबंधी अवसंरचना तथा प्रचार सामग्री के लिए सहायता की प्रतिपूर्ति करती है। योजना के अंतर्गत बीई 2012-13 में 207.54 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है जिसमें से 28.02.2013 तक 171.56 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

(IV) सुरक्षित पुलिस स्टेशन

2.4.10 केन्द्र सरकार, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित जिलों के प्रत्येक पुलिस स्टेशन को 80:20 के आधार पर 2 करोड़ रूपए की दर से 400 पुलिस स्टेशनों को सुरक्षित बनाने के लिए निर्माण/उनके सुदृढ़ीकरण में राज्य सरकारों की सहायता करने की एक योजना कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के तहत वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान राज्यों को 220 करोड़ रूपए जारी किए गए। चालू वर्ष 2012-13 (28.02.2013 तक) के दौरान 136.50 करोड़ रूपए जारी कर दिए गए हैं।

(V) विशेष अवसंरचना संबंधी योजना

2.4.11 ऐसे महत्वपूर्ण अवसंरचना अन्तराल, जिन्हें विद्यमान योजनाओं के तहत कवर नहीं किया जा सका, को पाटने के लिए 500 करोड़ रुपए के परिव्यय से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजनावधि में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों में विशेष अवसंरचना संबंधी योजना अनुमोदित की गई थी। ये अन्तराल अगम्य क्षेत्रों में विद्यमान सड़कों/रास्तों का उन्नयन करके पुलिस/सुरक्षा बलों की आवाजाही की आवश्यकताओं, दूर-दराज एवं बीहड़ क्षेत्र में सामरिक स्थानों में सुरक्षित कैम्पिंग स्थलों और हेलीपैड उपलब्ध कराने, संवेदनशील क्षेत्रों में स्थित पुलिस स्टेशनों/चौकियों की सुरक्षा को बढ़ाने के उपाय आदि से संबंधित हो सकते हैं। इस योजना के तहत राज्यों को अब तक 445.82 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं (वर्ष 2008-09 में 100 करोड़ रुपए, वर्ष 2009-10 में 30 करोड़ रुपए, वर्ष 2010-11 में 130 करोड़ रुपए और वर्ष 2011-12 में 185.82 करोड़ रूपए)। इस योजना को कतिपय संशोधनों के साथ 12वीं पंचवर्षीय योजना में जारी रखने का प्रस्ताव विचाराधीन है।

(VI) इंडिया रिजर्व बटालियनें

2.4.12 वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित राज्यों को राज्य के सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए इंडिया रिजर्व (आई आर) बटालियनें मंजूर की गई हैं। नक्सल प्रभावित 9 राज्यों को 37 इंडिया रिजर्व (आई आर) बटालियनें मंजूर की गई थीं। आन्ध्र प्रदेश, झारखंड और महाराष्ट्र की एक-एक बटालियन को विशेषज्ञ इंडिया रिजर्व बटालियन (एस आई आर बी) के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। इसके अलावा आंध्र प्रदेश (1), बिहार (1), छत्तीसगढ़ (2), झारखंड (2), ओडिशा (2) और महाराष्ट्र (1) के एल डब्ल्यू ई राज्यों में 09 नई एस आई आर बी गठित किए जाने का अनुमोदन किया गया है ।

(VII) सी आई ए टी विद्यालय

2.4.13 11वीं योजना अवधि के दौरान विद्रोह-रोधी और आतंकवाद-रोधी (सी आई ए टी) 20 विद्यालय स्थापित किए जाने के लिए एक योजना का अनुमोदन किया गया था जिसमें असम राज्य के लिए 04 और एलडब्ल्यूई प्रभावित राज्यों के लिए 16 विद्यालय थे। गृह मंत्रालय, प्रत्येक विद्यालय के लिए अवसरंचना का विकास करने के लिए 1.5 करोड़ रुपए की राशि प्रदान कर रहा है। मंत्रालय, आवर्ती व्यय और उपकरण उन्नयन व्यय को भी वहन कर रहा है। राज्य सरकारों द्वारा इन विद्यालयों के लिए जमीन प्रदान की जाती है। वे सी आई ए टी विद्यालय चलाने के लिए प्रशासनिक सहायता भी प्रदान करेंगे।

2.4.14 एलडब्ल्यूई प्रभावित राज्यों को मंजूर किए गए सी आई ए टी विद्यालयों की वर्तमान स्थिति निम्नवत है:

राज्य का नाम	मूल आवंटन	संशोधित आवंटन	कार्यात्मक
बिहार	4	3	3
छत्तीसगढ़	4	4	4
झारखण्ड	4	4	2
ओडिशा	4	3	2
पश्चिम बंगाल	-	1	1
कुल	**16**	**15**	**12**

वर्तमान विद्यालय 12वीं योजना (2012-17) के दौरान भारत सरकार से निधियां प्राप्त करते रहेंगे।

(VIII) केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी ए पी एफ) में भर्ती

2.4.15 कर्मठ युवाओं को आतंकवाद या वामपंथी उग्रवाद की राहों से निकाल कर बाहर लाने के क्रम में, भर्ती संबंधी दिशानिर्देशों को संशोधित कर दिया गया है जिससे कि सी ए पी एफ में 40% भर्ती सीमा क्षेत्रों तथा आतंकवाद या वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों से की जा सके।

ख) विकास संबंधी उपाय

2.4.16 (i) **महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी:** योजना आयोग, 82 एकीकृत कार्य योजना (आई ए पी)जिलों में महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी कर रहा है और निम्नलिखित योजनाओं की वीडियो कान्फरेंसिंग के माध्यम से इसके कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा भी करता रहा है:-

(क) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई);

(ख) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन आर एच एम) ;

(ग) आश्रम विद्यालय;

(घ) महात्मा गाँधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी अधिनियम (मनरेगा) ;

(ङ) सर्व शिक्षा अभियान (एस एस ए) ;

(च) राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन आर डी डब्ल्यू पी) ;

(छ) राजीव गाँधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना (आर जी जी वी वाई)

(ज) एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आई सी डी एस)

(झ) इंदिरा आवास योजना (आई ए वाई)

(ञ) अनुसूचित जन जातियां और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 ।

(ii) योजना आयोग, तेजी से विकास करने के लिए चुने हुए 82 आदिवासी और पिछड़े जिलों में एकीकृत कार्य योजना (आई ए पी) का कार्यान्वयन कर रहा है। इस पहल का उद्देश्य, इन प्रभावित/आस-पास के जिलों में लोक अवसरंचना और सेवा प्रदान करना है। शुरु में 60 जिलों को वित्तीय वर्ष 2010-11 और 2011-12 के दौरान क्रमशः 25 करोड़ रुपए और 30 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई थी। इस योजना को अब 22 और एलडब्ल्यूई प्रभावित जिलों तक बढ़ा दिया गया है जिससे इनकी कुल संख्या 82 हो गई है। योजना के तहत संबंधित जिलों को दिनांक 28.02.2013 तक कुल 5,440 करोड़ रूपए की राशि जारी की जा चुकी है।

(iii) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, एल डब्ल्यू ई क्षेत्रों के लिए 7,300 करोड़ रूपए के परिव्यय से सड़क आवश्यकता योजना-I कार्यान्वित कर रहा है जिसके तहत एलडब्ल्यूई से सर्वाधिक प्रभावित 34 जिलों में 5,477 किमी. लम्बी सड़क बनाई जाएगी। राज्य सरकारों से प्राप्त प्राथमिकता के आधार पर सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के साथ परामर्श करके गृह मंत्रालय द्वारा सड़क आवश्यकता योजना के चरण-II को अंतिम रुप दिया गया है। सड़क आवश्यकता योजना के प्रस्तावित चरण-II में पुलों सहित कुल 5,624 किमी. लम्बी सड़क के लिए 9,400 करोड़ रुपए की लागत का अनुमान है। इस समय यह विचाराधीन है।

(iv) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पी एम जी एस वाई) के तहत एल डब्ल्यू ई प्रभावित क्षेत्रों के लिए पुलों की

अधिकतम लम्बाई के मानदंडों को 50 मीटर से बढ़ाकर 75 मीटर और पी एम जी एस वाई के तहत रिहाइशी कवरेज के जनसंख्या मानदंडों में 500 की जनसंख्या को 250 कर दिया गया है। इसके अलावा पी एम जी एस वाई के तहत निविदा पैकेज की न्यूनतम राशि भी घटा कर 50 लाख रूपए कर दी गई है।

(v) अनुसूचित जनजातीय लड़कियों और लड़कों तथा जनजातीय उप-योजना क्षेत्रों में आश्रम विद्यालयों के लिए होस्टल स्थापित करने हेतु 100% अनुदान आधार पर निधियों का प्रावधान किया गया है (एल डब्ल्यू ई प्रभावित जिलों के लिए 50:50 के अनुपात की तुलना में अनुमोदित किया गया है)।

(vi) वन एवं पर्यावरण मंत्रालय ने स्कूल, डिस्पेंसरी/अस्पताल, विद्युत और दूर संचार लाइनों, पेय जल, जल/वर्षा के जल को एकत्र करने के ढांचे, लघु सिंचाई नहर, ऊर्जा के गैर-परंपरागत स्रोत, कौशल उन्नयन/व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, पावर सब-स्टेशन, ग्रामीण सड़क, संचार पोस्ट जैसे क्रियाकलापों; और संवेदनशील क्षेत्रों में पुलिस स्टेशन/आउट पोस्ट/सीमावर्ती चौकी/निगरानी चौकी जैसी पुलिस स्थापनाओं और आप्टिकल फाइबर केबल, टेलीफोन लाइन तथा पेयजल आपूर्ति लाइनें बिछाने के लिए एलडब्ल्यूई प्रभावित क्षेत्रों में 1.00 हेक्टेयर से 5.00 हेक्टेयर वन भूमि के विपथन के लिए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा 2 के तहत सामान्य अनुमोदन किया है।

(vii) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने यह भी निर्णय लिया है कि मूल 60 आई ए पी जिलों के लिए उक्त सामान्य अनुमोदन के अनुसरण में जिस वन भूमि का विपथन किया गया है उसके बदले कोई वृक्षारोपण मुआवजा नहीं दिया जाएगा।

(viii) इंदिरा आवास योजना (आई ए वाई) के अंतर्गत एल डब्ल्यू ई प्रभावित जिलों के लिए आई ए वाई मकान की प्रति यूनिट लागत की अधिकतम सीमा 45,000 रूपए से बढ़ाकर 48,000 रूपए कर दी गई है।

(ix) पंचायत (अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार) अधिनियम, 1996 (पी ई एस ए) और अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता) अधिनियम, 2006 के उपबंधों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के लिए संबंधित राज्य सरकारों से बार-बार कहा जाता रहा है। आदिवासी कार्य मंत्रालय ने वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत वन अधिकारों को शीघ्र मान्यता देने के लिए राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दिनांक 12.07.2012 को विस्तृत मार्गनिर्देश जारी किए हैं और साथ ही अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों को मान्यता) नियम, 2008 को सुदृढ़ बनाने के लिए 06.09.2012 को इनमें संशोधन किया है।

(x) पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी आर जी एफ) के तहत और निधियां जारी किए जाने के लिए निधियों के 80% उपयोग की सीमा में संशोधन करके उसे 60% उपयोग कर दिया गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए परिवर्तन किया गया है कि बी आर जी एफ के तहत राज्य से स्थानीय निकायों को तेजी से निधियां जारी की जा सकें। इसके अलावा बी आर जी एफ के तहत जिला योजनायें और उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एच पी सी) निगरानी समिति के रुप में कार्य करेगी और विस्तृत दिशानिर्देश जारी करेगी।

सिविक कार्रवाई कार्यक्रम

2.4.17 इस योजना के तहत एल डब्ल्यू ई प्रभावित राज्यों में सिविक कार्रवाई कार्यक्रम शुरु करने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी ए पी एफ) को वित्तीय अनुदान मंजूर किया जाता है। यह एक सफल योजना है जिसका उद्देश्य स्थानीय लोगों और सुरक्षा बलों के बीच संबंध स्थापित करना है। वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान सिविक कार्रवाई कार्यक्रम के तहत 20 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया है जिसमें से 28.02.2013 तक सी ए पी एफ को 13.27 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी गई है।

आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति

2.4.18 इस समय, पुनर्वास पैकेज में, अन्य बातों के साथ-साथ, तीन वर्षों के लिए 2,000 रूपए की वृत्तिका, व्यावसायिक प्रशिक्षण, 1.5 लाख रूपए का तत्काल अनुदान और हथियारों के समर्पण के लिए प्रोत्साहन शामिल है। वामपंथी उग्रवादियों के आत्मसमर्पण-सह-पुनर्वास के लिए बेहतर वित्तीय पैकेज का प्रस्ताव करने वाले संशोधित दिशानिर्देशों, जिसमें अन्य बातों के

साथ-साथ शीर्ष वामपंथी उग्रवादी काडरों के लिए 36 महीने की अधिकतम अवधि के लिए 4,000 रूपए की मासिक वृत्तिका सहित 2.5 लाख रूपए और खूंखार वामपंथी उग्रवादी काडरों के लिए 1.5 लाख रूपए के तत्काल अनुदान का प्रस्ताव है, को शीघ्र कार्यान्वित किए जाने की संभावना है।

आतंकवादी / सांप्रदायिक / नक्सली हिंसा के सिविलयन पीड़ितों/पीड़ितों के परिवार को सहायता देने की केन्द्रीय योजना

2.4.19 इस योजना का व्यापक उद्देश्य आतंकवादी, सांप्रदायिक और नक्सली हिंसा के पीड़ितों के परिवारों की सहायता करना है। इस योजना के तहत प्रभावित परिवार को प्रत्येक मृत्यु या स्थाई अपंगता के मामले में 3 लाख रुपए की राशि दी जाती है। यह 3 लाख रुपए की राशि 3 वर्ष की न्यूनतम निरुद्ध अवधि के लिए किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा खाते में रखी जाएगी। इस राशि का ब्याज, तिमाही आधार पर लाभार्थी के बचत खाते में बैंक द्वारा सीधे ही जमा किया जाएगा। निरुद्ध अवधि की समाप्ति पर 3 लाख रुपए का मूलधन लाभार्थी के बचत खाते में सीधे ही अंतरित कर दिया जाएगा। वित्तीय सहायता, राज्य सरकार की ओर से जिला मजिस्ट्रेट/उप आयुक्त/कलेक्टर द्वारा जारी की जाती है। बाद में गृह मंत्रालय द्वारा इस राशि की प्रतिपूर्ति राज्य सरकार को की जाती है। वर्ष 2012-13 के दौरान गृह मंत्रालय द्वारा 4.71 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है।

निष्कर्ष

2.4.20 चालू वर्ष में सी पी आई (माओवादी) द्वारा की गई हिंसा की घटनाओं में कमी आई है। विगत वर्ष की प्रवृत्ति इस वर्ष भी जारी रही। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश राज्यों में कमोबेश स्थिति शांत रही। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल राज्यों में स्थिति पूर्णतः बदल गई। बिहार और ओडिशा राज्यों में भी सुरक्षा वातावरण में सुधार हुआ है। तथापि, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य एलडब्ल्यूई विद्रोह के मुख्य केन्द्र बने रहे। भारत सरकार ने संबंधित राज्यों के साथ मिलकर सुरक्षा और विकास संबंधी योजनाओं के माध्यम से 'क्लीयर, होल्ड और डिवेलप' दृष्टिकोण अपनाया है। एल डब्ल्यू ई प्रभावित कई राज्यों में इनका काफी असर हुआ है। तथापि, सी पी आई (माओवादी) विकास संबंधी अवसंरचनाओं पर अभी भी हमला कर रहा है ताकि वे अपने प्रभुत्व वाले क्षेत्रों के लोगों को विकास की मुख्यधारा की प्रक्रिया से उपेक्षित और अलग-थलग कर सकें। लेकिन पहले जो क्षेत्र एलडब्ल्यूई समस्या से प्रभावित थे उनमें से काफी व्यापक क्षेत्रों में अब यह महसूस किया जाने लगा है कि माओवादियों की खोखली आदर्शवादिता है। इन क्षेत्रों में यह विश्वास बढ़ रहा है कि सी पी आई (माओवादी) का सिद्धांत वर्तमान भारतीय समाज और विश्व की इच्छाओं और आकांक्षाओं के बिल्कुल विपरीत है। इसके अलावा, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे राज्यों में सी पी आई (माओवादी) की नृशंस हिंसा से उनका व्यापक विरोध हो रहा है। इसके अलावा, सी पी आई (माओवादी) के अग्रणी संगठनों और उनके चीयरलीडरों की अगुवाई में उनके प्रचार तंत्र का भी पर्दाफाश हो गया है।

2.4.21 भारत सरकार का यह विश्वास है कि सुरक्षा, विकास, शासन की वर्तमान नीति को जारी रखने और आदिवासियों तथा अन्य कमजोर समुदायों को उनका हक प्रदान करने से एल डब्ल्यू ई का विद्रोह और इसके संवर्धन का आधार काफी कमजोर पड़ जाएगा।

आंतरिक सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाने हेतु किए गए उपाय

2.5.1 वर्ष 2012-13 में गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र को सुदृढ़ बनाने और उसका उन्नयन करने के लिए विगत वर्षों में की गई पहलों को मजबूत बनाना जारी रखा तथा आतंकवाद द्वारा पेश गंभीर चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए नए उपाय भी शुरु किए। इनमें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन आई ए) को और सुदृढ़ बनाना, मल्टी एजेंसी सेंटर (एम ए सी)-स्टेट्स मल्टी एजेंसी सेंटर (एस एम ए सी) नेटवर्क में और अधिक संपर्क स्थापित करना और गृह मंत्रालय में कांबेटिंग फाइनांसिंग टेररिज्म (सी एफ टी) नामक एक समर्पित सेल की स्थापना करना शामिल है ताकि आतंकवाद का वित्तपोषण करने और जाली भारतीय करेंसी नोट (एफ आई सी एन) के नीति संबंधी मुद्दों के मामलों को निपटाया जा सके। दिसम्बर, 2012 तक एम ए सी- एस एम ए सी कनेक्टिविटी योजना के तहत 362 स्थानों को जोड़ा जा चुका है। ऐसे 49 खातों को बंद कर दिया गया है जिनके बारे में संदेह था कि वे आतंकवाद का वित्तपोषण कर रहे हैं।

विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967

2.5.2 व्यक्तियों और संघों के कतिपय विधिविरुद्ध क्रियाकलापों और उनसे जुड़े मामलों को और प्रभावी ढंग से रोकने के लिए विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 को अधिनियमित किया गया है।

2.5.3 संसद ने विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण), संशोधन विधेयक, 2012 को दिनांक 20.12.2012 को पारित किया और यह दिनांक 01.02.2013 से प्रभावी हो गया है। विधेयक में देश की आर्थिक सुरक्षा और उच्च गुणवत्ता वाली जाली भारत की कागजी मुद्रा के उत्पादन, तस्करी या परिचालन के माध्यम से भारत की मौद्रिक स्थिरता को जोखिम/खतरे को शामिल करके ''आतंकवादी अधिनियम'' के दायरे को बढ़ाया गया है। कानून में किसी संघ को विधिविरुद्ध घोषित किए जाने की अवधि को दो से बढ़ाकर पांच वर्ष करने, उच्च स्तर की जाली मुद्रा का अपराधीकरण और कंपनियों, सोसाइटियों या ट्रस्टों के अपराधों को इसके अंतर्गत लाने तथा उनको दंड देने का प्रावधान है।

राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (नेटग्रिड) की स्थापना

2.5.4 सरकार ने गृह मंत्रालय के एक संबद्ध कार्यालय के रूप में राष्ट्रीय आसूचना ग्रिड (नेटग्रिड) की स्थापना की है। नेटग्रिड, आतंकवाद और आन्तरिक सुरक्षा के खतरों का मुकाबला करने के लिए कार्रवाई योग्य आसूचना तैयार करने के लिए डाटा-बेसों का संयोजन करेगा। इसलिए, नेटग्रिड की स्थापना एक ऐसी सुविधा का सृजन करने के लिए की गयी है जो आन्तरिक सुरक्षा के खतरों का मुकाबला करने में भारत की क्षमता को समुन्नत करे। नेटग्रिड की परिकल्पना एक ऐसे सूचना प्रौद्योगिकी ढांचे के रुप में की गई है जिस तक पहुंच, मिलान, विश्लेषण, परस्पर संबंध बनाया जाएगा, भविष्यवाणी की जाएगी और जो सूचना का तेजी से वितरण कर सकेगा। नेटग्रिड के प्रमुख, मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सी ई ओ) होंगे। विभिन्न स्तरों पर 39 पदों का सृजन किया गया है। सरकार ने दिनांक 06.06.2011 को डीपीआर का अनुमोदन ''सिद्धांत' रुप में कर दिया है। योजना आयोग ने इसका अनुमोदन केन्द्रीय योजना स्कीम के रुप में किया है। वर्ष 2012 में ई एफ सी ने दिनांक 23.01.2012 को डी पी आर प्रस्तुत की और सी सी एस ने नेटग्रिड परियोजना की स्थापना, होराइजन-I और होराइजन-II के कुछ तत्वों के कार्यान्वयन के लिए 1002.97 करोड़ रुपए की राशि के लिए दिनांक 14.06. 2012 को डीपीआर का अनुमोदन किया। नेटग्रिड की स्थापना और पहले होराइजन का कार्य प्रगति पर है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन आई ए)

2.5.5 केन्द्रीय आतंकवाद-रोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रुप में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एन आई ए) का गठन, एन आई ए अधिनियम, 2008 के तहत किया गया था। इसके अधिनिर्णय के अनुसरण में एन आई ए, आतंकवाद-रोधी जांच, मिलान और विश्लेषण करती है तथा साथ ही केन्द्र और राज्य, दोनों स्तरों पर सहायक आसूचना एजेंसियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को भी सूचना प्रदान करती है। एन आई ए का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके शाखा कार्यालय हैदराबाद और गुवाहाटी में हैं। वर्ष 2012 में मुम्बई, लखनऊ और कोच्चि शाखाओं ने कार्य करना शुरु किया । इस समय एन आई ए के कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 657 है। अब तक (अर्थात दिसम्बर, 2012 तक) 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एन आई ए की 39 विशेष अदालतें अधिसूचित की गई हैं। दिनांक 31.12.2012 तक एन आई ए को 52 मामले सौंपे गए हैं जिनमें से 17 मामले वर्ष 2012 में सौंपे गए थे। एन आई ए के लिए अपराध जांच नियमावली, 2011 और एन आई ए प्रशासनिक नियमावली, 2012 को अंतिम रुप दे दिया गया है और इन्हें प्रकाशित किया गया है।

वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफ ए टी एफ)

2.5.6 काले धन को वैध करने और आतंकवाद को वित्तीय सहायता प्रदान करने से रोकने के लिए वित्तीय कार्रवाई कार्य बल (एफ ए टी एफ) नामक अंतर-सरकार संगठन ने कतिपय सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों को विधायन और अन्य विधिक रुप से मान्य उपायों के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वित किया जाना अभिप्रेत है। सभी देशों के आतंकवादी क्रियाकलापों और काले धन को वैध करने से संबंधित विधायी ढांचे की एफ ए टी एफ द्वारा निरंतर रूप से समीक्षा की जा रही है। कार्यान्वयन की चुनौतियों, अदालत की व्याख्याओं आदि के अनुसार एफ ए टी एफ की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने और अंतर-मंत्रालय ग्रुप (आई एम जी) की सिफारिशों को पूरा करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया था कि विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में संशोधन किया जाए और इससे संबंधित संशोधन विधेयक को संसद ने दिनांक 20.12.2012 को पारित किया था और यह दिनांक 01.02.2013 से प्रभावी हो गया है।

2.5.7 देश के अंदर जाली मुद्रा के परिचालन के खतरे को रोकने के लिए राज्यों/केन्द्र की विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के बीच आसूचना/सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए गृह मंत्रालय में एक विशेष एफ आई सी एन समन्वय ग्रुप (एफ सी ओ आर डी) का गठन किया गया है।

भारत और पाकिस्तान के बीच गृह सचिव स्तर की वार्ता

2.5.8 फिर से आरंभ हुई द्विपक्षीय वार्ता के तहत भारत-पाकिस्तान के गृह सचिव/आंतरिक सचिव स्तर की वार्ता का दूसरा दौर दिनांक 24.05.2012 से 25.05.2012 को इस्लामाबाद में संपन्न हुआ। इनकी यह बैठक सौहार्द और मैत्री पूर्ण वातावरण में हुई। बैठक के बाद दोनों तरफ से संयुक्त वक्तव्य जारी किया गया। दोनों ही पक्ष इस बात से सहमत थे कि आतंकवाद, शांति और सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ है और दोनों ही पक्ष इस बात के लिए प्रतिबद्ध थे कि द्विपक्षीय संबंधों को सामान्य बनाया जाए।

पाकिस्तान के न्यायिक आयोग का दौरा

2.5.9 पाकिस्तान के न्यायिक आयोग ने दिनांक 14.03.2012 से 21.03.2012 तक भारत (मुम्बई) का दौरा किया और मुम्बई पर हुए आतंकी हमले के सात (07) अभियुक्तों/षडयंत्रकारियों के विचारण के सिलसिले में चार भारतीय गवाहों के बयान/साक्ष्य दर्ज किए जिन्हें गिरफ्तार किया गया था और जो पाकिस्तान में विचारणाधीन हैं।

पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री का दौरा

2.5.10 पाकिस्तान के आंतरिक मंत्री श्री रहमान मलिक ने दिनांक 14.12.2012 से 16.12.2012 तक नई दिल्ली का दौरा किया जहां उन्होंने नए वीजा करार को शुरु किए जाने की घोषणा की और इस बात पर भी सहमति प्रकट की कि पाकिस्तान के न्यायिक आयोग के दूसरे दौरे के संशोधित विचारणीय विषयों को अंतिम रुप देने के लिए भारतीय प्रतिनिधि मंडल पाकिस्तान का दौरा करेगा। तदनुसार, भारतीय प्रतिनिधि मंडल ने दिनांक 19.12.2012 से 26.12.2012 तक पाकिस्तान का दौरा किया।

आंतरिक सुरक्षा पर मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

2.5.11 आंतरिक सुरक्षा पर मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन दिनांक 16.04.2012 को नई दिल्ली में हुआ। केन्द्रीय गृह मंत्री ने सम्मेलन में सहभागियों का स्वागत किया

आंतरिक सुरक्षा पर दिनांक 16.04.2012 को नई दिल्ली में आयोजित मुख्य मंत्रियों का सम्मेलन

और प्रधान मंत्री ने सम्मेलन का उद्घाटन किया। दिनांक 01.02.2011 को हुए मुख्य मंत्रियों के पिछले सम्मेलन में उठे महत्वपूर्ण बिंदुओं पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट की समीक्षा की गई। सम्मेलन में सीमा पार से बाहरी खतरे, वामपंथी आतंकवाद, पुलिस सुधार और क्षमता निर्माण, पुलिस बलों का आधुनिकीकरण (एम पी एफ), राष्ट्रीय आतंकवाद-रोधी केन्द्र (एन सी टी सी) का सुदृढ़ीकरण शुरु किया जाना, आसूचना विंग का सुदृढ़ीकरण, आर्थिक अपराध, अपराध और अपराधी का पता लगाने की नेटवर्क प्रणाली (सी सी टी एन एस), नेटग्रिड, तटीय सुरक्षा के मुद्दे से लेकर सीमा प्रबंधन, अदालतों में लम्बित मामलों से संबंधित आपराधिक न्याय प्रणाली के पहलुओं, एकीकृत कार्य योजना आदि जैसी आंतरिक सुरक्षा से संबंधित वर्तमान चुनौतियों पर चर्चा हुई।

गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन (जी टी ए)

2.6.1 गोरखालैंड क्षेत्रीय प्रशासन (जी टी ए) नामक एक स्वायत्त निकाय की स्थापना करने के लिए दिनांक 18.07.2011 को भारत सरकार, पश्चिम बंगाल सरकार और गोरखा मुक्ति मोर्चा (जी जे एम) के बीच एक करार पर हस्ताक्षर हुए जो क्षेत्र का प्रशासन करेगा ताकि सामाजिक-आर्थिक, अवसंरचनात्मक, शैक्षिक, सांस्कृतिक और भाषाई विकास तेजी से किया जा सके जिससे क्षेत्र के लोगों का चहुंमुखी विकास हो। दिनांक 03.08.2012 को जी टी ए का गठन किए जाने के बाद राज्य सरकार द्वारा दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल अधिनियम 1988 निरस्त कर दिया गया है।

2.6.2 करार के खंड 14 के अनुसार भारत सरकार और पश्चिम बंगाल राज्य सरकार, क्षेत्र के समग्र विकास के लिए जी टी ए को हर संभव सहायता प्रदान करेंगी। भारत सरकार, पश्चिम बंगाल राज्य सरकार को प्रदान की गई सामान्य योजना सहायता के अतिरिक्त जी टी ए में सामाजिक-आर्थिक अवसंरचना का विकास करने के लिए परियोजनाओं के वास्ते 3 वर्ष के लिए 200 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। इस संबंध में चालू वित्त वर्ष के दौरान जी टी ए को 65 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं।

सुरक्षा

अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों (वी आई पी) की सुरक्षा

2.7.1 अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों को सामाजिक और सार्वजनिक जीवन में उनकी सार्वजनिक हैसियत की वजह से हमेशा खतरा बना रहता है। आतंकवादी/उग्रवादी समूहों से समय के साथ-साथ खतरा बढ़ता रहा है जिसके फलस्वरूप अति महत्वपूर्ण व्यक्तियों और अति विशिष्ट हस्तियों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराना अनिवार्य हो गया है। चूंकि वी आई पी की सुरक्षा को खतरा एक हमेशा बढ़ते रहने वाला कारक है, अतः गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की जाती है। आतंकवादियों और उग्रवादियों के मंसूबों को प्रभावकारी रूप से विफल करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति द्वारा सुरक्षा व्यवस्थाओं का आकलन किया जाता है ताकि देश में लोक व्यवस्था और शान्ति कायम रखी जा सके।

2.7.2 राज्य सरकारों को भी सतत रूप से वी आई पी सुरक्षा और उनके आवागमन से संबंधित सुरक्षा मुद्दों के बारे में गृह मंत्रालय द्वारा आगाह किया जाता है। इस संबंध में, उन्हें आवधिक रूप से यथा आवश्यक सलाहें जारी की जाती हैं। वी आई पी सुरक्षा ड्यूटियों के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एन एस जी), सीमा सुरक्षा बल (बी एस एफ), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आई टी बी पी) और केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल(सी आई एस एफ) के प्रशिक्षण संस्थानों में पुलिस कमाण्डो के लिए विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

2.7.3 मई, 2001 में मंत्रियों के समूह (जी ओ एम) ने यह सिफारिश की थी कि वी आई पी सुरक्षा के लिए केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी आई एस एफ) में एक विशेष सुरक्षा ग्रुप (एस एस जी) का सृजन किया जाए। तदनुसार, सी आई एस एफ अपने कार्मिकों को अत्यधिक खतरे वाली विशिष्ट हस्तियों/व्यक्तियों की शारीरिक सुरक्षा, सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को बचाकर निकालने तथा सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को स्थानिक एवं सचल सुरक्षा प्रदान करने के प्रयोजनार्थ प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है। इस प्रयोजनार्थ सी आई एस एफ में एक विशेष सुरक्षा ग्रुप (एस एस जी) का सृजन कर दिया गया है।

विमानपत्तन सुरक्षा/मेट्रो सुरक्षा

2.7.4 संयुक्त राज्य अमेरिका (यू एस ए) में 11 सितम्बर, 2001 को हुए हमले के पश्चात, वर्तमान में विमानन क्षेत्र की सुरक्षा पर विशेष रूप से जोर दिया जा रहा है। अधुनातन सुरक्षा उपकरणों के अधिप्रापण और हवाई अड्डों पर सी आई एस एफ के सुरक्षा कार्मिकों की तैनाती बढ़ाने पर सावधानीपूर्वक ध्यान दिया गया है। नागर विमानन मंत्रालय, आसूचना ब्यूरो, सी आई एस एफ और अन्यों के साथ परामर्श करके किसी भी तरह

की आकस्मिक स्थिति से निपटने के लिए आपात योजनाएं भी तैयार की गई हैं। इनके अतिरिक्त, उनके लिए मौजूदा खतरे की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए देश में सभी नागर विमानपत्तनों पर सुरक्षा व्यवस्था को अधिकाधिक सुदृढ़ करने के बारे में समय-समय पर सलाहें भी जारी की जाती हैं।

2.7.5 देश में मेट्रो रेलवे को सुरक्षा प्रदान करने के संबंध में कोलकाता मेट्रो को सुरक्षा, कोलकाता पुलिस के साथ रेलवे पुलिस बल द्वारा प्रदान की जाती है। दिल्ली मेट्रो के लिए सी आई एस एफ द्वारा सुरक्षा मुहैया करायी जाती है जिसकी समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

महत्वपूर्ण स्थापनाओं की सुरक्षा

2.7.6 देश में महत्वपूर्ण स्थापनाओं की सुरक्षा, मूल रूप से संबंधित मंत्रालयों/विभागों/राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। तथापि, गृह मंत्रालय, केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई मौजूदा सुरक्षा व्यवस्थाओं की आवधिक समीक्षा के आधार पर उन्हें विभिन्न स्थापनाओं की सुरक्षा अपेक्षाओं के बारे में समय-समय पर सलाह देता है। इसके अलावा, महत्वपूर्ण स्थापनाओं के बारे में केन्द्रीय सुरक्षा एजेंसियों से प्राप्त खतरे संबंधी सूचनाओं का तत्काल संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/ मंत्रालयों के साथ भी आदान-प्रदान किया जाता है।

2.7.7 खतरे की संभावनाओं और संवदेनशीलता के आधार पर केन्द्रीय आसूचना एजेंसियां, ऐसे संयंत्रों/स्थापनाओं को पर्याप्त सुरक्षोपाय मुहैया कराने हेतु उन्हें महत्वपूर्ण स्थापनाओं की क, ख और ग श्रेणी में वर्गीकृत करती हैं। सुरक्षा पहलुओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने और अद्यतन करने के लिए इन स्थापनाओं की आवधिक सुरक्षा समीक्षा भी की जाती है।

❖❖❖

अध्याय III सीमा प्रबंधन

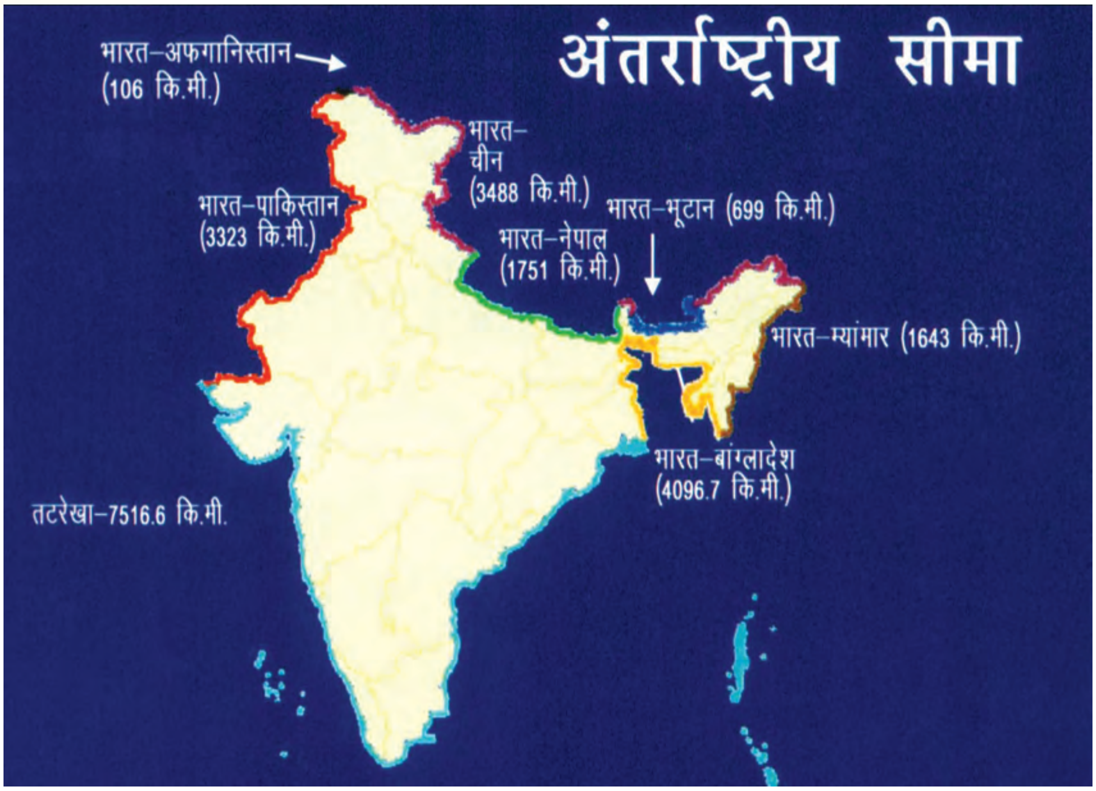

पृष्ठभूमि

3.1 भारत की भू-सीमा 15,106.7 किमी. और द्वीप क्षेत्रों सहित तट रेखा 7,516.6 किमी. है। पड़ोसी देशों के साथ भू-सीमाओं की लंबाई निम्नानुसार है :-

देश का नाम	सीमा की लंबाई (किमी. में)
बांग्लादेश	4,096.7
चीन	3,488.0
पाकिस्तान	3,323.0
नेपाल	1,751.0
म्यांमार	1,643.0
भूटान	699.0
अफगानिस्तान	106.0
कुल	**15,106.7**

3.2 देश-विरोधी तत्वों से देश की सीमाओं को सुरक्षित रखना और ऐसी प्रणालियों की व्यवस्था करना सीमा प्रबंधन के मुख्य उद्देश्यों में से है जो विधिसम्मत व्यापार और वाणिज्य को सुकर बनाते हुए ऐसे तत्वों को रोकने में सक्षम हों। सीमाओं का उचित प्रबंधन, जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, कई चुनौतियां प्रस्तुत करता है और इसमें सीमाओं की सुरक्षा करने और इनके सर्वोत्तम हितों को पूरा करने के लिए देश की प्रशासनिक, राजनयिक, सुरक्षा, आसूचना, कानूनी, विनियामक और आर्थिक एजेंसियों द्वारा समन्वय और सुनियोजित कार्रवाई किया जाना शामिल है।

3.3 अंतर्राष्ट्रीय भू-सीमा और तटवर्ती सीमाओं के प्रबंधन, सीमावर्ती पुलिस व्यवस्था और चौकसी को सुदृढ़ करने, सीमाओं पर सड़क बनाने, बाड़ लगाने तथा तेज रोशनी की व्यवस्था करने जैसे आधारभूत कार्य करने तथा सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी ए डी पी) का कार्यान्वयन करने के लिए जनवरी, 2004 में गृह मंत्रालय में सीमा प्रबंधन विभाग गठित किया गया था।

3.4 सीमाओं को सुरक्षित रखने और देश के सीमावर्ती क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं का सृजन करने की रणनीति के एक भाग के रूप में सीमा प्रबंधन विभाग ने कई पहलें की हैं। इनमें भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमाओं पर बाड़ लगाना, तेज रोशनी की व्यवस्था करना और सड़कों का निर्माण करना, देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के विभिन्न स्थानों पर एकीकृत जांच चौकियों का विकास करना और भारत-चीन और भारत - नेपाल सीमाओं पर सड़कों का निर्माण करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, सीमा प्रबंधन के व्यापक दृष्टि कोण के एक भाग के रूप में विभाग ने बी ए डी पी के तहत सीमावर्ती क्षेत्रों में कई विकासात्मक कार्य शुरु किए हैं।

अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर सतर्कता

सीमा पर बाड़ लगाना तथा तेज रोशनी की व्यवस्था करना

3.5 भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश सीमाओं से होने वाली घुसपैठ, तस्करी और अन्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से, सरकार ने इन सीमाओं पर बाड़ लगाने, तेज रोशनी की व्यवस्था करने तथा सड़कों के निर्माण का कार्य प्रारंभ किया है।

भारत-बांग्लादेश सीमा

3.6 भारत की तरफ से भारत-बांग्लादेश की सीमा, पश्चिम बंगाल (2,216.7 किमी.), असम (263 किमी.), मेघालय (443 किमी.), त्रिपुरा (856 किमी.) और मिजोरम (318 किमी.) से होकर गुजरती है। इस संपूर्ण क्षेत्र में मैदानी, नदी तटीय, पर्वतीय और जंगल के क्षेत्र हैं। इस क्षेत्र में काफी जनसंख्या है और सीमा तक खेती की जाती है।

3.7 भारत-बांग्लादेश सीमा अत्यधिक सुभेद्य है और सीमा पार की अवैध गतिविधियों पर रोक लगाना बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य रहा है। मुख्य समस्या बांग्लादेश से भारत में हो रही अवैध घुसपैठ की है। सीमापार से अवैध आप्रवासन और अन्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए भारत सरकार ने दो चरणों में सीमा पर सड़कों का निर्माण करने और बाड़ लगाने के कार्य को मंजूरी प्रदान की थी। भारत-बांग्लादेश सीमा पर कुल 3,359.59 किमी. लंबे क्षेत्र में बाड़ लगाई जानी है, इसमें से 2,762.11 किमी. बाड़ लगाई जा चुकी है (31.12.2012 तक)। नदी तटीय/निचले क्षेत्र होने, सीमा से 150 गज के अंदर बसावट होने, भूमि-अधिग्रहण के मामले लंबित होने और

भारत बांग्लादेश सीमा पर निर्मित बाड़

सीमावर्ती आबादी द्वारा विरोध के कारण इस सीमा के कुछ भागों में बाड़ का निर्माण करने में कुछ समस्यायें आई हैं, जिसके परिणामस्वरूप परियोजना को पूरा करने में विलम्ब हुआ है।

3.8 इसके अतिरिक्त, 4,407.11 किमी. की मंजूरशुदा लंबाई में से 3,585.53 किमी. की सीमावर्ती गश्त सड़कों का निर्माण कार्य भी किया जा चुका है। बाड़ और सड़कों की चरण-वार प्रगति निम्नानुसार है:-

बाड़ लगाना

(लम्बाई किमी. में)

राज्य का नाम	चरण-I		चरण-II		कुल (चरण-I + चरण-II)	
	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण
पश्चिम बंगाल	507	507	964.00	724.30	1471.00	1231.30
असम	152.31	149.29	76.72	73.38	229.03	222.67
मेघालय	198.06	198.06	264.17	129.07	462.23	327.13
त्रिपुरा	-	-	848.00	760.22	848.00	760.22
मिजोरम	-	-	349.33	220.79	349.33	220.79
कुल	**857.37**	**854.35**	**2502.22**	**1907.76**	**3359.59**	**2762.11**

सीमावर्ती सड़कें

(लम्बाई किमी. में)

राज्य का नाम	चरण-I		चरण-II		कुल (चरण-I + चरण-II)	
	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण	स्वीकृत	पूर्ण
पश्चिम बंगाल	1770	1616.57	0.00	0.00	1770.00	1616.57
असम	186.33	176.50	102.42	81.2	288.75	257.7
मेघालय	211.29	211.29	320.00	152.54	531.29	363.83
त्रिपुरा	545.37	480.51	637.00	482.76	1182.37	963.27
मिजोरम	153.40	153.06	481.30	231.10	634.70	384.16
कुल	**2866.39**	**2637.93**	**1540.72**	**947.60**	**4407.11**	**3585.53**

तेज रोशनी की व्यवस्था

3.9 प्रायोगिक परियोजना के रूप में पश्चिम बंगाल में 277 किमी. में तेज रोशनी की व्यवस्था करने का कार्य पूरा हो चुका है। सरकार ने 1,327 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भारत-बांग्लादेश सीमा के साथ-साथ पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, मिजोरम और त्रिपुरा राज्यों में 2,840 किमी. की लम्बाई में तेज रोशनी की व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। यह कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी पी डब्ल्यू डी), इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इण्डिया लिमिटेड (ई पी आई एल) और राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम (एन पी सी सी) को सौंपा गया है।

3.10 नए सीमावर्ती क्षेत्रों में 1,058 किमी. (पश्चिम बंगाल-435.50 किमी., मिजोरम-04 किमी., मेघालय-17.50 किमी., त्रिपुरा-601 किमी.) की लम्बाई में तेज रोशनी की व्यवस्था करने का कार्य पूरा हो चुका है और 588.20 किमी. में यह कार्य प्रगति पर है।

चरण-III - चरण-I में निर्मित बाड़ बदलना

3.11 पश्चिम बंगाल, असम और मेघालय में चरण-I के तहत निर्मित अधिकांश बाड़, प्रतिकूल मौसमी स्थितियों, बार-बार जलमग्न आदि होने के कारण क्षतिग्रस्त हो गई है। भारत सरकार ने चरण-I में निर्मित संपूर्ण बाड़ के स्थान पर 884 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 861 किमी. पर बाड़ लगाने के लिए चरण-III नामक एक परियोजना को मंजूरी दी है।

3.12 यह कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (सी पी डब्ल्यू डी), राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एन बी सी सी) और राष्ट्रीय

परियोजना निर्माण निगम (एन पी सी सी) को सौंपा गया है। अब तक, 790 किमी. की बाड़ बदल दी गई है।

भारत-पाकिस्तान सीमा (आई पी बी)

3.13 भारत की पाकिस्तान के साथ 3,323 किमी. (जम्मू और कश्मीर सेक्टर में नियंत्रण रेखा (एल ओ सी) सहित) भू-सीमा है। यह सीमा गुजरात, राजस्थान, पंजाब और जम्मू और कश्मीर राज्यों के साथ लगी हुई है। भारत-पाकिस्तान सीमा पर विविध भूभाग और विशिष्ट भौगोलिक विशेषताएं मौजूद हैं। नियंत्रण रेखा, सीमा का सबसे ज्यादा सक्रिय और क्रियाशील हिस्सा होने के कारण इस सीमा को आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ किए जाने तथा शस्त्र, गोलाबारुद और निषिद्ध वस्तुओं की तस्करी करने का प्रयास किए जाने वाले क्षेत्र के रूप में जाना जाता है।

3.14 दिनांक 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार इस सीमा पर बाड़ लगाने और तेज रोशनी की व्यवस्था करने के कार्य में हुई प्रगति की स्थिति नीचे दर्शाई गई है:

बाड़ लगाना

(लम्बाई किमी.में)

राज्य का नाम	सीमा की कुल लम्बाई	सीमा पर लगाई जाने वाली बाड़ की स्वीकृत लम्बाई	सीमा पर अब तक लगाई गई बाड़ की लम्बाई	सीमा पर लगाई जाने वाली बाड़ की शेष लम्बाई
पंजाब	553	461.00	462.45।	---
राजस्थान	1037	1056.63	1048.27।	---
जम्मू और कश्मीर (अंतर्राष्ट्रीय सीमा)	210	186.00	186.00	---
गुजरात	508	340.00	261.78	79.22
कुल	**2308**	**2043.63**	**1958.50**	**79.22**

* भौगोलिक कारकों/बाड़ को सुव्यवस्थित करने के कारण लम्बाई अधिक है।

तेज रोशनी की व्यवस्था करना

(लम्बाई किमी. में)

राज्य का नाम	सीमा की कुल लम्बाई	सीमा पर की जाने वाली तेज रोशनी की व्यवस्था की स्वीकृत लम्बाई	सीमा पर अब तक की गई तेज रोशनी की व्यवस्था की लम्बाई	सीमा पर की जाने वाली तेज रोशनी की व्यवस्था की शेष लम्बाई
पंजाब	553	460.72	460.72	---
राजस्थान	1037	1022.80	1022.80	---
जम्मू अंतर्राष्ट्रीय सीमा	210	186	176.40	9.60
गुजरात	508	340	241.00	99.00
कुल	**2308**	**2009.52**	**1900.92**	**108.60**

भारत-पाकिस्तान सीमा पर तेज रोशनी की व्यवस्था

3.15 मुख्य रूप से भारत-पाकिस्तान सीमा के गुजरात क्षेत्र में कुछ कार्यों को छोड़कर समस्त भारत-पाकिस्तान सीमा पर बाड़ लगाने और तेज रोशनी की व्यवस्था करने का कार्य पूरा हो गया था।

3.16 अप्रत्याशित परिस्थितियों और वर्ष 2001 में आए विनाशकारी भूकंप, वर्ष 2003 और 2006 में हुई अभूतपूर्व वर्षा और इसके परिणामस्वरुप आई बाढ़ सहित प्राकृतिक आपदाओं के कारण परियोजना पूरी करने में अधिक समय लग गया है। कीमतें बढ़ने, कार्य क्षेत्र में वृद्धि होने, सड़कों और बिजली आदि के कार्यों के लिए विनिर्देशनों का उन्नयन

भारत-पाकिस्तान सीमा पर निर्मित बाड़

होने के कारण परियोजना की लागत में भी अत्यधिक वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2006 की बाढ़ के बाद केन्द्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सी आर आर आई) की सिफारिशों के अनुसार उन्नयन कार्यों के लिए 224 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान लगाया गया है।

3.17 सरकार ने बाड़ लगाने और तेज रोशनी की व्यवस्था करने संबंधी परियोजना को पूरा करने की समयावधि को बढ़ाने का अनुमोदन कर दिया है और इसकी 380 करोड़ रुपए की मूल स्वीकृत राशि को संशोधित करके 1,201 करोड़ रुपए कर दिया है।

भारत-बांग्लादेश और भारत-पाकिस्तान सीमाओं पर अतिरिक्त सीमा चौकियां (बी ओ पी)

3.18 भारत-बांग्लादेश सीमा पर 802 बी ओ पी और भारत-पाकिस्तान सीमा पर 609 बी ओ पी पहले ही मौजूद हैं ताकि इन सीमाओं पर कारगर निगरानी रखी जा सके। प्रभावी सीमा प्रबंधन के लिए बी ओ पी के बीच की परस्पर दूरी कम करने के उद्देश्य से सरकार ने दिनांक 16.02.2009 को 1,832.50 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 509 अतिरिक्त बी ओ पी (भारत-बांग्लादेश सीमा पर 383 और भारत-पाकिस्तान सीमा पर 126) का निर्माण करने के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। इन अतिरिक्त बी ओ पी का निर्माण किए जाने से भारत-बांग्लादेश और भारत-पाकिस्तान सीमाओं पर तैनात बी एस एफ की टुकड़ियों को आवास, संभार-तंत्रीय सहायता और रोकथाम करने संबंधी कार्यों के लिए सभी आवश्यक आधारभूत ढांचा मिलेगा। इस परियोजना को वर्ष 2013-14 तक पूरा करने का लक्ष्य है।

3.19 सभी 509 बी ओ पी के निर्माण का कार्य तीन निर्माण एजेन्सियों अर्थात इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इण्डिया लिमिटेड (66), राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम (188) और केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (255) को दिया गया है। 61 बी ओ पी का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और अन्य 114 बीओपी का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 230 बी ओ पी के लिए भूमि के अधिग्रहण का कार्य प्रगति पर है और भूमि के अधिग्रहण का कार्य पूरा होने के तुरंत बाद निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा।

3.20 इसके अतिरिक्त, भारत-पाक सीमा के गुजरात क्षेत्र के लिए संयुक्त योजना के अन्तर्गत 70 बी ओ पी की स्वीकृति प्रदान की गई थी। के. लो. नि. वि. (सी पी डब्ल्यू

भारत-पाकिस्तान सीमा पर तेज रोशनी की व्यवस्था

डी) और राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एन बी बी सी) को क्रमशः 46 और 24 बी ओ पी का निर्माण कार्य सौंपा गया है। 51 बीओपी का निर्माण पहले ही हो चुका है। 06 अन्य बी ओ पी में निर्माण कार्य प्रगति पर है जबकि 13 स्थल जलमग्न हैं।

भारत-चीन सीमा पर सड़कों का निर्माण

3.21 खराब सड़क संपर्क के कारण पैदा हुई स्थिति में सुधार करने के लिए, जिसके कारण भारत-चीन सीमा पर तैनात सीमा चौकसी बलों की परिचालन क्षमता में बाधा उत्पन्न हुई है, सरकार ने 1,937 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश राज्यों में भारत-चीन सीमा पर सीमावर्ती क्षेत्रों में कुल 804 किमी. की 27 सड़कों का चरण-वार निर्माण करने का निर्णय लिया है और इसका निर्माण भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आई टी बी पी) द्वारा परिचालनात्मक उपयोग के लिए गृह मंत्रालय द्वारा किया जाएगा।

विस्तृत परियोजना रिपोर्टें तैयार करना

3.22 27 आई टी बी पी सड़कों के निर्माण का कार्य सीमा सड़क संगठन (15 सड़कें), केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (8 सड़कें), राष्ट्रीय परियोजना निर्माण निगम (2 सड़कें) और हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग (2 सड़कें) को सौंपा गया है। सभी 27 सड़कों के संबंध में कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत की गई विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)/लागत अनुमान को गृह मंत्रालय की उच्च स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

वन/वन्यजीव स्वीकृति की स्थिति

3.23 चूंकि अनुमोदित सड़कों का अधिकांश भाग वन क्षेत्रों से गुजरेगा, इसलिए निर्माण की गतिविधियां प्रारम्भ करने से पहले वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के तहत स्वीकृति प्राप्त करनी अनिवार्य है । इसके अतिरिक्त, उन सड़कों, जिनकी सिधाई वन्य जीव क्षेत्रों/राष्ट्रीय उद्यानों से होकर गुजरती है, के लिए वन विभाग की स्वीकृति प्राप्त करने से पहले वन्यजीव अधिनियम के तहत राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड (एन बी डब्ल्यू एल) और उच्चतम न्यायालय की सांविधिक पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त की जानी अपेक्षित है।

3.24 अब तक, 26 सड़कों के संबंध में वन एवं पर्यावरण संबंधी अंतिम स्वीकृति प्राप्त हो गई है। हिमाचल प्रदेश में चिटकुल-डुम्पटी सड़क के मामले में, चरण-। की पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है।

3.25 25 सड़कों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 1 सड़क का निर्माण कार्य अभी तक शुरु नहीं हुआ है। 1 सड़क का निर्माण पूरा हो गया है। 1 सड़क के संबंध में चरण-। की वन संबंधी स्वीकृति प्राप्त हो गई है, जो अभी तक शुरू नहीं हुआ है।

3.26 दिनांक 31.12.2012 तक, 557.30 किमी. सड़कों के निर्माण और 175.36 किमी. सर्फेसिंग का कार्य पूरा हो गया है।

भारत-नेपाल सीमा प्रबंधन

3.27 भारत-नेपाल सीमा पर, जो खुली और सुभेद्य है, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने और इस सीमा पर सुरक्षा में सुधार करने के उद्देश्य से सीमा चौकसी बल के रूप में इस सीमा पर सशस्त्र सीमा बल (एस एस बी) की 25 बटालियनें तैनात की गई हैं। भारत-नेपाल सीमा पर सभी 450 सीमा चौकियां (बी ओ पी) स्थापित कर दी गई हैं।

3.28 गृह सचिव स्तर की वार्ता और संयुक्त सचिवों के स्तर पर संयुक्त कार्य दल के रूप में दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय तंत्र मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त दोनों देशों के जिला पदाधिकारियों के बीच सीमा जिला समन्वय समिति की बैठकों का तंत्र भी है। ये तंत्र, सीमा पार के अपराध, तस्करी, आतंकवादी क्रियाक्रलापों से उत्पन्न स्थिति आदि जैसे पारस्परिक चिंता वाले मुद्दों पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय/ स्थानीय स्तरों पर चर्चा करने के लिए प्लेटफार्म के रूप में कार्य करते हैं।

3.29 सीमा चौकसी बल (एस एस बी) की परिचालन संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए, सरकार ने 3,853 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से भारत-नेपाल सीमा पर उत्तराखण्ड, (173 किमी.) उत्तर प्रदेश (640 किमी.) और बिहार (564 किमी.) राज्यों में लगभग 1,377 किमी. सामरिक सड़क बनाने की योजना अनुमोदित की है।

3.30 उच्च स्तरीय शक्ति प्राप्त समिति (एच एल ई सी) ने बिहार के लिए 552.30 किमी. सड़क के उन्नयन/निर्माण का अनुमोदन प्रदान किया।

3.31 इसके अतिरिक्त, उच्च स्तरीय शक्ति प्राप्त समिति (एच एल ई सी) ने उत्तराखण्ड सरकार के ककराली गेट-थुलीघाट तक 12 किमी. से अधिक लम्बी सड़क के उन्नयन के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया है। 12 किमी. सड़क के निर्माण का कार्य ठेकेदार को सौंप दिया गया है। 1.5 किमी. मिट्टी का कार्य पूरा हो गया है। 12 में से 9 पुलियों का निर्माण हो गया है।

3.32 एचएलईसी ने उत्तर प्रदेश में 248.32 किमी. सड़क के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को अनुमोदन प्रदान कर दिया है। इसके अलावा, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने 240.35 किमी. सड़क के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्टें केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की तकनीकी समिति को मूल्यांकन के लिए प्रस्तुत कर दी हैं।

भारत-भूटान सीमा प्रबंधन

3.33 इस सीमा पर सुरक्षा वातावरण में सुधार करने के लिए, सीमा चौकसी बल (बी जी एफ) के रूप में सशस्त्र सीमा बल (एस एस बी) की 13 बटालियनें तैनात की गई हैं। इस सीमा के लिए स्वीकृत कुल 132 बी ओ पी में से, अब तक 131 बी ओ पी भारत-भूटान सीमा पर स्थापित कर दी गई हैं।

3.34 सीमा प्रबंधन और सुरक्षा के संबंध में भारत-भूटान ग्रुप के रूप में सचिव स्तरीय एक द्विपक्षीय तंत्र विद्यमान है। इस खुली सीमा का लाभ उठाने की कोशिश करने वाले ग्रुपों से दोनों देशों को संभावित खतरे का आकलन करने और सीमावर्ती क्षेत्रों में सुरक्षा वातावरण में सुधार करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए यह तंत्र बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है।

3.35 भारत सरकार ने भारत-भूटान सीमा पर असम में 1,259 करोड़ रूपए की लागत से 313 किमी. लम्बी सड़क के निर्माण की स्वीकृति दे दी है जिसे दिनांक 01.04.2011 से शुरू करके पांच वर्ष की अवधि में पूरा किया जाना है। असम सरकार ने भूमि अधिग्रहण, वैधानिक अनापत्तियों आदि से संबंधित सभी मुद्दों के समाधान के लिए अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय समन्वय समिति का गठन किया है। असम के लोक निर्माण विभाग ने 61 किमी. सड़क के निर्माण के लिए डीपीआर प्रस्तुत की है, जिसे टी सी/ एच एल ई सी द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

भारत म्यांमार सीमा का प्रबंधन

3.36 भारत की म्यांमार के साथ 1,643 किमी. लम्बी सीमा है। अरूणाचल प्रदेश, नागालैण्ड, मणिपुर और मिजोरम ऐसे राज्य हैं, जिनकी सीमा म्यांमार के साथ लगती है।

3.37 इस सीमा पर असम राइफल्स को विद्रोह के दमन और सीमा की सुरक्षा करने के कार्य के लिए तैनात किया गया है। स्वीकृत 46 बटालियनों में से 31 बटालियनें विद्रोह दमन कार्रवाई हेतु और 15 बटालियनें सीमा की सुरक्षा करने के कार्य के लिए हैं। वर्तमान में, सभी 15 सीमा सुरक्षा बटालियनों को भारत-म्यांमार सीमा पर कम्पनी आपरेटिंग बेस (सी ओ बी) दृष्टिकोण के आधार पर तैनात किया जाता है। इन कम्पनियों को प्रवेश/निर्गम के सभी रास्तों पर तैनात किया जाता है और ये घुसपैठ, हथियारों, गोला-बारुद, मादक पदार्थों, नकली भारतीय करेंसी नोटों की तस्करी आदि को रोकते हैं।

मोरेह में बीपी सं0 79 और 81 के बीच सीमा पर बाड़ लगाना

3.38 भारत और म्यांमार के बीच 1,643 किमी. की बिना बाड़ वाली सीमा है, जो पूर्वोत्तर राज्यों, अरूणाचल प्रदेश (520 किमी.), नागालैण्ड (215 किमी.) और मिजोरम (518 किमी.) के साथ लगती है और सीमा के आर-पार 16 किमी. की दूरी तक मुक्त रूप से आवाजाही की अनुमति है। इससे यह अन्तरराष्ट्रीय सीमा अत्यधिक सुभेद्य हो गई है। इस सीमा पर पहाड़ी और कठिन मार्ग हैं जिस पर समग्र रूप से आधारभूत सुविधाओं की कमी है और इससे विभिन्न भारतीय विद्रोही समूहों (आई आई जी) की गतिविधियों को आश्रय (कवर) प्राप्त होता है। इस प्रकार भारत म्यांमार की बिना बाड़ वाली सीमा पर मुक्त आवाजाही की अनुमति का विभिन्न भारतीय विद्रोही समूहों द्वारा दुरूपयोग किया जा रहा है।

3.39 भारत-म्यांमार सीमा क्षेत्र में बढ़ती हुई आतंकवादी गतिविधियों की समस्या से निपटने के लिए भारत सरकार ने भारत-म्यांमार सीमा पर बीपी संख्या 79 से 81 के बीच के क्षेत्र (लगभग 10 किमी.) पर बाड़ लगाने का कार्य शुरू कर दिया है और बाड़ लगाने के काम के लिए 30.96 करोड़ रूपए का प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया है। उच्चतम न्यायालय और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से अनापत्ति ले ली गई है। मणिपुर सरकार को भूमि अधिग्रहण के लिए 503.68 लाख रूपए की प्रतिपूर्ति कर दी गई है। बाड़ लगाने के लिए प्रस्तावित क्षेत्र का जीरो लाइन सर्वे अर्थात टोह सर्वेक्षण और ट्रेसकट (आर एस टी सी) का कार्य पूरा हो गया है। वित्तीय

वर्ष 2010-11 में बी.आर.ओ. को बाड़ लगाने के लिए 11.08 करोड़ रूपए जारी किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2011-12 में बी.आर.ओ. को 4 करोड़ रूपए की राशि जारी की गई है। वर्ष 2012-13 में 4 करोड़ रुपए की धनराशि जारी की गई है। बी. आर. ओ. से प्राप्त सूचना के अनुसार, लगभग 4 किमी. क्षेत्र में बाड़ लगाने का कार्य पूरा हो गया है।

सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम

3.40 सीमा प्रबंधन विभाग, गृह मंत्रालय अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के समीप स्थित दूर-दराज एवं दुर्गम क्षेत्रों में रह रहे लोगों की विशेष विकास संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने और केन्द्रीय/राज्य /बीएडीपी/स्थानीय स्कीमों की सुविधा और सहभागिता के दृष्टिकोण के माध्यम से सीमावर्ती क्षेत्रों को आवश्यक अवसंरचना मुहैया कराने और सीमावर्ती लोगों में सुरक्षा और खुशहाली की भावना पैदा करने के लिए सीमा प्रबंधन के विस्तृत दृष्टिकोण के भाग के रूप में राज्य सरकारों के माध्यम से सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी ए डी पी) का कार्यान्वयन करता रहा है। इस कार्यक्रम में अंतर्राष्ट्रीय भू-सीमा के साथ लगे 17 राज्यों के 98 सीमावर्ती जिलों के 360 सीमावर्ती ब्लाक आते हैं। यह कार्यक्रम 100% केन्द्रीय आधार पर प्रायोजित योजना है। राज्यों को निधियां, अवसंरचना, आजीविका, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और संबंधित क्षेत्रों से संबंधित परियोजनाओं का कार्यान्वयन करने के लिए व्यपगत न होने वाली विशेष केन्द्रीय सहायता (एस सी ए) के रूप में प्रदान की जाती हैं।

बी ए डी पी के दिशानिर्देश

3.41 सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी ए डी पी) का कार्यान्वयन, योजना आयोग द्वारा तैयार किए गए दिशानिर्देशों के तहत किया जा रहा है। योजना आयोग द्वारा जो निधियां वार्षिक आधार पर आबंटित की जाती हैं, उन्हें (i) अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लम्बाई (ii) सीमावर्ती ब्लाक की जनसंख्या और (iii) सीमावर्ती ब्लाक के क्षेत्रफल को ध्यान में रखते हुए सीमावर्ती राज्यों को पुनः आबंटित किया जाता है। उन राज्यों को कुल आबंटन के अतिरिक्त 15% का वेटेज दिया जाता है, जिनमें पहाड़ी/रेगिस्तानी/कच्छ क्षेत्र हैं। ये निधियां, सामान्य केन्द्रीय सहायता में जोड़ दी जाती हैं और इन्हें सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के सामने आ रही विशेष समस्याओं को दूर करने के लिए आबंटित किया जाता है। राज्यों को दो किस्तों में निधियां जारी की जाती हैं। पहली किस्त राज्य के कुल आबंटन का

भारत-चीन सीमा पर जम्मू एवं कश्मीर में लेह जिले के न्योमा ब्लाक में बीएडीपी के अंतर्गत भ्रमणशील सैनिक हॉस्टल पुगा

90% होती है और दूसरी किस्त आबंटन की बाकी 10% धनराशि होती है।

3.42 इस कार्यक्रम की योजनाओं को राज्य सरकार द्वारा तैयार किया जाता है और राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय संचालन समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है तथा राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा इन्हें कार्यान्वित किया जाता है। सुरक्षा से संबंधित योजनाओं को भी बी ए डी पी के तहत लिया जा सकता है लेकिन ऐसी योजनाओं का व्यय, किसी वर्ष विशेष में कुल आबंटन के 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। बी ए डी पी की निधियों का उपयोग केवल पता लगाए गए सीमावर्ती ब्लॉकों की योजनाओं के लिए ही किया जाना चाहिए।

3.43 राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपने आबंटन के न्यूनतम 5% की धनराशि वाली क्षमता निर्माण और कौशल विकास आदि की योजनाएं वित्तीय वर्ष के लिए बी ए डी पी की वार्षिक कार्य योजना (ए ए पी) में शामिल करें।

शक्ति प्राप्त समिति

3.44 कार्यक्रम के क्षेत्र संबंधी नीतिगत मामलों, राज्यों की भौगोलिक सीमाओं के क्षेत्रों, जिनमें योजनाओं को शुरु किया जाना है, राज्यों को निधियों का आबंटन और कार्यक्रम के उचित कार्यान्वयन के तौर-तरीके का निर्धारण सचिव (सीमा प्रबंधन), गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में गठित शक्ति प्राप्त समिति द्वारा किया जा रहा है।

इंडस नदी प्रणाली की पूर्वी नदियों के जल का इष्टतम उपयोग

3.45 इंडस नदी प्रणाली की पूर्वोत्तर नदियों के जल का इष्टतम उपयोग किए जाने के महत्व को देखते हुए पंजाब (03 परियोजनाएं) और जम्मू और कश्मीर (06 परियोजनाएं) राज्यों में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बी ए डी पी) के तहत विशेष पहल के रूप में एक कार्यक्रम शुरु किया गया है। वर्ष 2005-06, 2006-07, 2007-08 और 2008-09 के दौरान 5,023.50 लाख रुपए {पंजाब को (1,994 लाख रुपए) और जम्मू और कश्मीर को (3,029.50 लाख रुपए)} जारी किए गए हैं। पंजाब में दो परियोजनाओं (माधोपुर और हुसैनीवाला हेडवर्क्स) का काम पूरा हो गया है और तीसरी परियोजना (हैरिके हेडवर्क्स) का कार्य प्रगति पर है, जबकि जम्मू और कश्मीर में परियोजनाओं का काम चल रहा है।

तांडत्से दुरबुक, लेह, जम्मू एवं कश्मीर में 4x25 केडब्ल्यूपी एसपीवी विद्युत संयंत्र

बी ए डी पी के अन्तर्गत निधियों का प्रवाह

3.46 वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान 691 करोड़ रू0 और वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान 1,003.22 करोड़ रू0 आबंटित किए गए थे जिसे पूर्णरूपेण जारी कर दिया गया था। वर्ष 2012-13 के दौरान बी ए डी पी के लिए 990 करोड़ रूपए का बजट आबंटित किया गया है। वर्ष 2010-11, 2011-12 और 2012-13 के दौरान बीएडीपी के अन्तर्गत आबंटित और जारी की गई निधियों के ब्यौरे निम्नानुसार हैः .

(रू. लाख में)

राज्य का नाम	2010-11		2011-12		2012-13	
	आबंटन	जारी की गई राशि	आबंटन	जारी की गई राशि	आबंटन	जारी की गई राशि
अरूणाचल प्रदेश	6690.50	6690.50	15433.00	15433.00	9277.00	9069.96
असम	4800.00	4800.00	1980.01	1980.01	3480.00	598.09
बिहार	3196.28	3196.28	5577.00	5577.00	6084.00	4779.42
गुजरात	2840.00	2840.00	3616.82	3616.82	4505.00	3687.57
हिमाचल प्रदेश	1280.00	1280.00	2000.00	2000.00	2100.00	2100.00
जम्मू और कश्मीर	10700.00	10700.00	12462.40	12462.40	12800.00	10744.42
मणिपुर	1843.00	1843.00	2000.00	2000.00	2200.00	1578.37
मेघालय	2202.00	2202.00	3140.00	3140.00	2100.00	2090.24
मिजोरम	2930.00	2930.00	3839.73	3839.73	4017.00	3615.30
नागालैण्ड	2500.00	2500.00	2015.00	2015.00	2000.00	1800.00
पंजाब	2225.00	2225.00	3292.00	3292.00	3526.00	3428.65
राजस्थान	8696.00	8696.00	11509.00	11509.00	13773.00	11043.97
सिक्किम	2000.00	2000.00	2085.00	2085.00	2000.00	1711.89
त्रिपुरा	3579.00	3579.00	9635.00	9635.00	4825.00	4662.79
उत्तर प्रदेश	3365.57	3365.57	4876.00	4876.00	4982.00	4833.40
उत्तराखंड	2461.00	2461.00	3298.00	3298.00	3565.00	3230.52
पश्चिम बंगाल	7791.65	7791.65	13563.04	13563.04	15835.00	13918.55
कुल	**69100.00**	**69100.00**	**100322.00**	**100322.00**	**97069.00**	**82893.14**
आकस्मिकता आदि के लिए आरक्षित रखा गया					**1931.00**	
कुल जोड़					**99000.00**	

एकीकृत जांच चौकियों का विकास

3.47 भारत की सुरक्षा समस्याओं के कारण अच्छा सीमा-प्रबन्धन करना अनिवार्य है, अतः यह आवश्यक है कि ऐसी प्रणालियां स्थापित की जाएं जिनसे इन समस्याओं का सामना करने के साथ-साथ व्यापार और वाणिज्य की भी सुविधा हो सके। देश की अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर ऐसे विभिन्न नियत प्रवेश और निकासी स्थल हैं जहां से लोगों, सामान और यातायात की सीमा पार आवाजाही होती है।

3.48 हमारी भू-सीमाओं पर इन स्थलों पर सीमा शुल्क, आप्रवासन और अन्य विनियामक एजेंसियों के पास इस समय उपलब्ध आधारभूत ढांचा सामान्य रूप से अपर्याप्त है। वेयरहाउस, पार्किंग स्थल, बैंक, होटल, आदि जैसी सहायक सुविधायें या तो अपर्याप्त हैं या हैं ही नहीं। एक ही परिसर में विनियामक और सहायक कार्य सामान्य रूप से अपर्याप्त हैं और सामान्यतया उपलब्ध नहीं हैं। बिल्कुल निकट स्थित होने पर भी विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों/सेवा प्रदान करने वाली एजेंसियों के कार्यों का समन्वय करने के लिए कोई एक एजेंसी जिम्मेदार नहीं है।

3.49 इस स्थिति में सुधार करने की आवश्यकता सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा स्वीकार की गई थी। जिन उपायों के बारे में सहमति व्यक्त की गई थी, उनमें से एक उपाय हमारी भू-सीमाओं पर प्रमुख प्रवेश स्थलों पर एकीकृत जांच चौकियों (आई सी पी) की स्थापना करना है। इन एकीकृत जांच चौकियों (आई सी पी) में आप्रवासन, सीमा शुल्क, सीमा सुरक्षा जैसी सभी विनियामक एजेंसियों के साथ-साथ सभी आधुनिक सुविधाओं से

सज्जित एक ही परिसर में पार्किंग, वेयरहाउसिंग, बैंकिंग, होटल आदि जैसी सहायक सेवाएं उपलब्ध होंगी।

3.50 तदनुसार, सरकार ने 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजनागत स्कीम के रूप में 635 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से भारत-पाकिस्तान, भारत-नेपाल, भारत-बांग्लादेश और भारत-म्यांमार सीमाओं पर 13 स्थानों पर एकीकृत जांच चौकियों (आई सी पी) की स्थापना करने का निर्णय लिया है। स्थापित किए जाने के लिए प्रस्तावित 13 एकीकृत जांच चौकियों की सूची और उनकी अनुमानित परियोजना लागत निम्नानुसार है:

चरण-I

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	स्थान	राज्य	सीमा	अनुमानित लागत	अनुमोदित लागत
1.	पेट्रापोल	पश्चिम बंगाल	भारत-बांग्लादेश	172	172
2.	मोरेह	मणिपुर	भारत-म्यांमार	136	अभी निर्धारित किया जाना है
3.	रक्सौल	बिहार	भारत-नेपाल	120	120
4.	अटारी (वाघा)	पंजाब	भारत-पाकिस्तान	150	150
5.	दवकी	मेघालय	भारत-बांग्लादेश	50	अभी निर्धारित किया जाना है
6.	अगरतला	त्रिपुरा	भारत-बांग्लादेश	60	73.50
7.	जोगबनी	बिहार	भारत-नेपाल	34	82.49

चरण-II

क्रम सं.	स्थान	राज्य	सीमा	अनुमानित लागत	अनुमोदित लागत
8.	हिली	पश्चिम बंगाल	भारत-बांग्लादेश	78	अभी निर्धारित किया जाना है
9.	चंद्रबंघा	पश्चिम बंगाल	भारत-बांग्लादेश	64	अभी निर्धारित किया जाना है
10.	सूतारखंडी	असम	भारत-बांग्लादेश	16	अभी निर्धारित किया जाना है
11.	कवरपुचिया	मिजोरम	भारत-बांग्लादेश	27	अभी निर्धारित किया जाना है
12.	सुनौली	उत्तर प्रदेश	भारत-नेपाल	34	अभी निर्धारित किया जाना है
13.	रूपैडिहा	उत्तर प्रदेश	भारत-नेपाल	29	अभी निर्धारित किया जाना है

3.51 आई सी पी के निर्माण, प्रबंधन और रखरखाव की निगरानी एवं विनियमन करने के लिए 'भारतीय भू-पत्तन प्राधिकरण' (एल पी ए आई) नामक सांविधिक प्राधिकरण की स्थापना की गई है। यह परिकल्पना की गई है कि एल पी ए आई, गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग के अधीन एक स्वायत्तशासी एजेंसी के रूप में कार्य करेगा, जिसमें विदेश मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय, राजस्व विभाग और अन्य स्टेकहोल्डरों का भी प्रतिनिधित्व रहेगा। यह अपने कार्य में राज्य सरकारों और संबंधित सीमा रक्षक बलों को भी शामिल करेगा। एल पी ए आई की परिकल्पना एक लघु निरीक्षण निकाय के रूप में की गई है जिसका उद्देश्य लोगों और सामान की सीमा पार आवाजाही के लिए बेहतर प्रशासन और संगत प्रबंधन उपलब्ध कराना है। इसे भारतीय विमान पत्तन प्राधिकरण जैसे समान निकायों की भांति शक्तियां प्राप्त होंगी।

आई सी पी द्वारा प्रदान की गई सुविधाएं

3.52 यह परिकल्पना की गई है कि आई सी पी एकीकृत परिसर के तहत व्यक्तियों, वाहनों और सामान की सहज सीमा पर आवाजाही के लिए शासकीय और गैर-शासकीय कार्य करने के लिए अपेक्षित सभी सुविधाएं प्रदान करेगा। इनसे आप्रवासन, सीमा शुल्क, सुरक्षा, संगरोध आदि की प्रक्रियाओं में सुविधा होगी। इसमें सक्षम बनाने के लिए, आई सी पी द्वारा प्रदान की जाने वाली अवसंरचनात्मक सुविधाएं निम्नानुसार हैं:

पैसेंजर टर्मिनल बिल्डिंग	करेंसी एक्सचेंज
इन्टरनेट की सुविधा	कार्गो प्रोसेस बिल्डिंग
कार्गो निरीक्षण शेड	वेयरहाउस/कोल्ड स्टोरेज

संगरोध प्रयोगशाला	क्लीयरिंग एजेंट
बैंक	स्कैनर
डी एफ एम डी/एच एच एम डी	सी सी टी वी/ पी ए सिस्टम
आइसोलेशन बे	पार्किंग
कैफेटेरिया	अन्य सार्वजनिक उपयोगी वस्तुएं

एकीकृत जांच चौकियों (आई सी पी) के विकास की प्रगति

3.53 विभिन्न आई सी पी की स्थापना के विकास की स्थिति नीचे दी गई है:

(क) अटारी में आई सी पी का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और इसे दिनांक 13.04.2012 से कार्यरत बना दिया गया है। अगरतला, जोगबनी, रक्सौल और पेट्रापोल में आई सी पी के निर्माण का कार्य प्रगति पर है।

(ख) जहां तक रक्सौल में आई सी पी का संबंध है, जमीन के मुआवजे के मुद्दे की वजह से स्थानीय लोगों द्वारा दिनांक 07.04.2012 से कार्य रोक दिया गया था। यह कार्य दिनांक 01.12.2012 से पुनः आरंभ हो गया है और इसमें 61% प्रगति हुई है।

(ग) आईसीपी जोगबनी में, 48% निर्माण कार्य पूरा हो गया है।

(घ) आई सी पी अगरतला में, 70% और आई सी पी पेट्रापोल में 8% निर्माण कार्य पूरा हो गया है।

(ड.) आई सी पी मोरेह के संबंध में, निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप प्रदान किया जा रहा है।

(च) उत्तर प्रदेश में रूपैडिहा आईसीपी के मामले में भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है। इसके अतिरिक्त, पश्चिम बंगाल में चन्द्रबंघा और मिजोरम में कवरपुचिया के लिए भूमि के चयन की प्रक्रिया अन्तिम चरण में है।

(छ) योजना के चरण-II में अन्य आई सी पी के लिए भूमि के चयन/अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है।

भारतीय भू-पत्तन प्राधिकरण (एल पी ए आई)

3.54 भारतीय भू-पत्तन प्राधिकरण अधिनियम, 2010 के अधीन दिनांक 01.03.2012 को भारतीय भू-पत्तन प्राधिकरण (एल पी ए आई) की स्थापना की गई है। एल पी ए आई की परिकल्पना एक सांविधिक निकाय के रूप में की गई है, जो गृह मंत्रालय के सीमा प्रबंधन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक निगमित निकाय के रूप में कार्य करेगा। यह आशा की जाती है कि एल पी ए आई भू-सीमाओं पर प्रवेश स्थलों/भू-पत्तनों का बेहतर प्रशासन और सुसंगत प्रबंधन करेगा और इसे भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण जैसे समान निकायों की भांति शक्तियां प्राप्त होंगी।

तटीय सुरक्षा

भारत की तटरेखा

3.55 भारत की तटरेखा 7,516.6 किमी. है जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिन्द महासागर और पश्चिम में अरब महासागर सहित मुख्यभूमि और द्वीपों से घिरी है। इस तटरेखा पर नौ राज्य अर्थात गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तथा चार संघ राज्य क्षेत्र अर्थात दमण एवं दीव, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह अवस्थित हैं। इन राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में द्वीपों सहित तटरेखा की लम्बाई निम्नलिखित तालिका में दी गई है:-

क्रम सं	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	लम्बाई (किमी.)
1	गुजरात	1214.70
2	महाराष्ट्र	652.60
3	गोवा	101.00
4	कर्नाटक	208.00
5	केरल	569.70
6	तमिलनाडु	906.90
7	आंध्रप्रदेश	973.70
8	ओडिशा	476.70
9	पश्चिम बंगाल	157.50
10	दमन और दीव	42.50
11	लक्षद्वीप	132.00
12	पुडुचेरी	47.60
13	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	1962.00
	कुल	**7516.60**

तटीय सुरक्षा की समस्याएं

3.56 भारत की लम्बी तटरेखा पर विभिन्न सुरक्षा समस्याएं हैं जिनमें एकाकी तटीय स्थलों पर शस्त्रों और विस्फोटकों को

उतारना, राष्ट्र विरोधी तत्वों की घुसपैठ/भागना, समुद्र और अपतटीय द्वीपों का आपराधिक गतिविधियों के लिए प्रयोग करना, समुद्री मार्ग से उपभोक्ता और मध्यवर्ती वस्तुओं की तस्करी करना आदि शामिल हैं। तटों पर वास्तविक अवरोधों के अभाव और तटों के निकट महत्वपूर्ण औद्योगिक और रक्षा संस्थापनाएं होने से भी सीमा के आर-पार गैर कानूनी गतिविधियों के लिए तटों की संवेदनशीलता बढ़ जाती है।

मौजूदा तटीय सुरक्षा प्रणाली

3.57 देश की सुरक्षा और समुद्री सुरक्षा के लिए एक बहुस्तरीय व्यवस्था की गई है जिसमें भारतीय नौसेना, तटरक्षक और तटवर्ती राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की समुद्री पुलिस शामिल की गई है। खुले समुद्र (हाई सी) की निगरानी अनन्य आर्थिक जोन (ई ई जेड) की सीमाओं पर नौसेना और तटरक्षक द्वारा की जाती है। सीमान्तर्गत जलक्षेत्र में तटरक्षक भारतीय हितों की रक्षा जलयानों द्वारा तथा हवाई निगरानी के माध्यम से करते हैं। तटवर्ती स्थानों के निकट गश्त राज्य तटवर्ती पुलिस द्वारा लगाई जाती है। उथले सीमांतर्गत जलक्षेत्र में राज्य का अधिकार क्षेत्र 12 नाविक मील (नाटिकल माइल) तक होता है।

तटीय सुरक्षा स्कीम चरण-I

3.58 अपराधियों और राष्ट्र विरोधी तत्वों की गतिविधियों के लिए तटों की संवेदनशीलता को ध्यान में रखते हुए तटीय सुरक्षा स्कीम चरण-I तैयार की गई थी। यह स्कीम वर्ष 2005-06 से 5 वर्ष में कार्यान्वित करने के लिए जनवरी 2005 में स्वीकृत की गई थी। स्कीम को दिनांक 31.03.2011 तक एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया था। तटीय सुरक्षा स्कीम चरण-I दिनांक 31.03.2011 को पूरी हो चुकी है।

स्कीम के उद्देश्य

3.59 तटीय सुरक्षा स्कीम चरण-I का उद्देश्य तटीय क्षेत्रों विशेषतया तट के निकटवर्ती सतही क्षेत्रों पर गश्त लगाने और निगरानी करने के लिए आधारभूत संरचना को सुदृढ़ बनाना था ताकि तट अथवा समुद्र में किसी भी गैर कानूनी आवाजाही और आपराधिक गतिविधियों को रोका जा सके और उनसे निपटा जा सके।

स्कीम की मुख्य विशेषताएं

3.60 यह स्कीम सभी तटवर्ती राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदान के रूप में नीचे दिए गए कार्यों के लिए सहायता उपलब्ध कराती है:-

क) तटीय पुलिस स्टेशन, जांच चौकियां और आउट पोस्ट स्थापित करना,

ख) तटीय पुलिस स्टेशनों को समुद्री गतिविधियों में प्रशिक्षित जनशक्ति उपलब्ध कराना,

ग) तटों और निकटवर्ती तटीय जलक्षेत्रों में आने-जाने के लिए वाहनों और नावों की खरीद करना,

घ) पैट्रोल नावों की मरम्मत और रख-रखाव पर 6 वर्ष की अवधि के लिए होने वाले आवर्ती खर्च को पूरा करना,

ड़) समुद्री पुलिस कार्मिकों की प्रशिक्षण सम्बन्धी आवश्यकताएं पूरी करना,

च) राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को जनशक्ति की व्यवस्था के लिए,

छ) तटरक्षक और नौसेना सहित विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और सूचना के आदान-प्रदान हेतु राज्य और जिला स्तर पर संस्थागत प्रबन्ध करना।

वित्तीय परिव्यय

3.61 स्कीम का कुल परिव्यय 646 करोड़ रूपए का था जिसमें से 495 करोड़ रुपए 6 वर्ष के लिए नावों के लिए ईंधन, मरम्मत और रख-रखाव और समुद्री पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए गैर-आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए और 151 करोड़ रुपए आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए है।

3.62 तटीय सुरक्षा स्कीम चरण-I के अन्तर्गत प्रावधान किए गए घटकों के ब्यौरे निम्नलिखित विवरण में दिए गए हैं:-

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	तटीय पुलिस स्टेशन	जलयान	जीप	मोटर साइकिल	जांच चौकी	आउट पोस्ट	बैरक	रबर इन्फ्लेटेड बोट
1	गुजरात	10	30	20	101	25	46	-	-
2	महाराष्ट्र	12	28	25	57	32	-	24	-
3	गोवा	3	9	6	9	-	-	-	10
4	कर्नाटक	5	15	9	4	-	-	-	-

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	तटीय पुलिस स्टेशन	जलयान	जीप	मोटर साइकिल	जांच चौकी	आउट पोस्ट	बैरक	रबर इन्फ्लेटेड बोट
5	केरल	8	24	16	24	-	-	-	-
6	तमिलनाडु	12	24	12	36	40	12	-	-
7	आंध्र प्रदेश	6	18	12	18	-	-	-	-
8	ओडिशा	5	15	10	15	-	-	-	-
9	पश्चिम बंगाल	6	18	12	12	-	-	6	-
10	पुडुचेरी	1	3	2	3	-	-	-	-
11	लक्षद्वीप	4	6	8	8	-	-	-	-
12	दमन और दीव	1	4	3	5	-	-	-	-
13	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	10	18	20	-	-	-	-
	कुल	**73**	**204**	**153**	**312**	**97**	**58**	**30**	**10**

3.63 प्रत्येक पुलिस स्टेशन के लिए कम्प्यूटर और उपस्करों आदि के लिए 10 लाख रू. की एकमुश्त वित्तीय सहायता की स्वीकृति दी गई है।

3.64 नावों/जलयानों का प्रापण केन्द्रीय स्तर पर रक्षा मंत्रालय के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों अर्थात गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जी एस एल), गोवा और मैसर्स गार्डनरीच शिपबिल्डर्स एण्ड इंजीनियर्स (जी आर एस ई) लिमिटेड, कोलकाता से नामांकन के आधार पर किया गया है। इन विक्रेताओं ने सरकार के साथ मार्च 2008 में 110 (12 टन क्षमता वाली) और 84 (5 टन क्षमता वाली) नावों की आपूर्ति के लिए एक संविदा पर हस्ताक्षर किए थे।

3.65 नावों की सुपर्दगी के राज्य-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

क्रम सं.	राज्य का नाम	तटीय सुरक्षा योजना के अंतर्गत अनुमोदित कुल नावें			सुपुर्द की गई नावें			शिपयार्ड
		12 टन	5 टन	कुल	12 टन	5 टन	कुल	
1.	गुजरात	20	10	30	20	10	30	**जीएसएल**
2.	महाराष्ट्र	6	22	28	6	22	28	
3.	गोवा	6	3	9	6	3	9	
4.	कर्नाटक	10	5	15	10	5	15	
5.	केरल	16	8	24	16	8	24	
6.	लक्षद्वीप	2	4	6	2	4	6	
7.	दमन और दीव	2	2	4	2	2	4	
	कुल	**62**	**54**	**116**	**62**	**54**	**116**	
8.	तमिलनाडु	12	12	24	12	12	24	**जीआरएसई**
9.	आंध्र प्रदेश	12	6	18	12	6	18	
10.	ओडिशा	10	5	15	10	5	15	
11.	पश्चिम बंगाल	12	6	18	12	6	18	
12.	पुडुचेरी	2	1	3	2	1	3	
13.	अंडमान और निकोबार	10	0	10	10	0	10	
	कुल	**58**	**30**	**88**	**58**	**30**	**88**	
	कुल जोड़	**120**	**84**	**204**	**120**	**84**	**204**	

3.66 तटीय सुरक्षा स्कीम की नावों के ईंधन की खपत के व्यय की प्रतिपूर्ति भी तटवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को की जाती है (प्रति 12 टन क्षमता वाली नाव के लिए प्रति माह अधिकतम 5 लाख रू0 और प्रति 5 टन क्षमता वाली नाव के लिए प्रति माह 4 लाख रूपए की दर से)।

3.67 इस स्कीम के अन्तर्गत, नावों के लिए तकनीकी चालकदल सहित समुद्री पुलिस कार्मिकों की व्यवस्था राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा की जाती है। इन पदों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। समुद्री पुलिस कार्मिकों के प्रशिक्षण की आवश्यकताएं तटरक्षक द्वारा तटरक्षक जिला मुख्यालय में पूरी

की जाती हैं। अब तक, तटरक्षक द्वारा 2,346 से अधिक पुलिस कार्मिक प्रशिक्षित किए जा चुके हैं।

3.68 तटीय सुरक्षा स्कीम चरण-I के अन्तर्गत आपूर्ति की गई नावों के रखरखाव के लिए आरम्भ में चार वर्षों की अवधि के लिए वार्षिक रख-रखाव संविदा (ए एम सी) पर तटवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की ओर से भारत सरकार के उपक्रम शिपबिल्डिर्स (जी एस एल और जी आर एस ई) के साथ गृह मंत्रालय द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं। जी एस एल और जी आर एस ई ने नावों के रख-रखाव के लिए स्थानीय कार्मिक तैनात करके क्षेत्रीय रखरखाव यूनिटें स्थापित कर दी हैं।

गुजरात और महाराष्ट्र के तट पर संयुक्त तटीय गश्त

3.69 गुजरात और महाराष्ट्र के निकटवर्ती तटीय क्षेत्रों की गहन गश्त और निगरानी सुनिश्चित करने हेतु तटरक्षक को अतिरिक्त आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए वर्ष 2005-06 से 6 वर्ष की अवधि में कार्यान्वयन के लिए एक योजना बनाई गई थी। इस योजना के अधीन तटरक्षक को 15 इन्टरसेप्टर नावों का प्रापण और महाराष्ट्र के धानू और मुरूद जंजीरा में तथा गुजरात के वेरावल में 3 तटरक्षक स्टेशन स्थापित करना है। ये परिसम्पतियां इस परिचालन क्षेत्र में तटरक्षक के पास उपलब्ध आधारभूत संरचनाओं के अतिरिक्त हैं।

3.70 इस योजना में गैर आवर्ती व्यय के लिए अनुमोदित परिव्यय 342.56 करोड़ रूपए है जिसे गृह मंत्रालय द्वारा वहन किया जा रहा है। जन शक्ति सहित आवर्ती व्यय रक्षा मंत्रालय द्वारा वहन किया जा रहा है।

3.71 मुरूद जंजीरा स्टेशन के लिए आवश्यक भूमि के एक हिस्से के अतिरिक्त धानू, मुरूद जंजीरा और वेरावल तटरक्षक स्टेशनों के लिए भूमि अधिगृहीत कर ली गई है। वेरावल और मुरूद जंजीरा स्टेशन किराए के भवन में कार्यशील हो चुके हैं।

3.72 इस योजना के अधीन इन्टरसेप्टर नावों के प्रापण का कार्य रक्षा मंत्रालय कर रहा है। रक्षा प्रापण प्रक्रिया के अनुसार, रक्षा मंत्रालय ने मैसर्स भारती शिपयार्ड लिमिटेड से तटरक्षक के लिए 15 इन्टरसेप्टर नावों के प्रापण हेतु कुल 28,123.20 लाख रुपए के व्यय के लिए सी सी एस का अनुमोदन प्राप्त कर लिया है। इन 15 इन्टरसेप्टर नावों की आपूर्ति मार्च 2014 तक पूरी हो जाएगी।

3.73 सरकार द्वारा योजना के कार्यान्वयन की अवधि दिनांक 31.03.2014 तक बढ़ा दी गई है। मार्च 2011 में यह योजना आगे कार्यान्वयन हेतु पूर्णरुपेण रक्षा मंत्रालय को हस्तान्तरित कर दी गई है।

26/11 की मुम्बई घटना के पश्चात की गई पहलें

3.74 दिनांक 26/11 को मुम्बई में हुए आतंकवादी हमले के पश्चात, भारत सरकार द्वारा देश की तटवर्ती सुरक्षा व्यवस्था की पूर्णरूपेण समीक्षा की गई है। देश के तटवर्ती सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा करने और इससे संबंधित विभिन्न मुद्दों का समाधान करने के लिए मंत्रिमंडल सचिवालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, नौवहन एवं मत्स्य आदि मंत्रालयों में अनेक उच्च स्तरीय बैठकें आयोजित की गई थीं। इन बैठकों के दौरान, अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए थे, जिनमें से कुछ नीचे दिए गए हैं:-

क. तटवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से कहा गया था कि वे तटरक्षक के साथ परामर्श करके उनकी अतिरिक्त आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सुभेद्यता/खामियों का विश्लेषण करें ताकि तटीय सुरक्षा का चरण-II तैयार किया जा सके। तटवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से विस्तृत प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद तटीय सुरक्षा योजना (चरण-II) अनुमोदित की गई है।

ख. इस योजना का कार्यान्वयन 9 तटीय राज्यों और 4 संघ राज्य क्षेत्रों के माध्यम से दिनांक 01.04.2011 से शुरू करके 5 (पांच) वर्ष की अवधि में किया जा रहा है। इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय 1,579.91 करोड़ रू0 का है (जिसमें 1,154.91 करोड़ रू0 गैर-आवर्ती व्यय और 425 करोड़ रू0 आवर्ती व्यय के लिए हैं)।

ग. योजना के अंतर्गत स्वीकृत घटकों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	तटीय पुलिस स्टेशन	नावें/जलयान		जेटियों की संख्या	चार पहिया वाहन	मोटर साइकिल
			12 टन	अन्य			
1	गुजरात	12	21	10(5 टन)	5	12	24
2	महाराष्ट्र	7	14	-	3	7	14
3	गोवा	4	4	-	2	4	8
4	कर्नाटक	4	12	-	2	4	8
5	केरल	10	20	-	4	10	20
6	तमिलनाडु	30		20(19 मी.)	12	30	60
7	आंध्र प्रदेश	15	30	-	7	15	30
8	ओडिशा	13	26	-	5	13	26
9	पश्चिम बंगाल	8	7	-	4	8	16
10	दमन और दीव	2	4	-	2	2	4
11	लक्षद्वीप	3	6	12 II	2	3	6
12	पुडुचेरी	3	6	-	2	3	6
13	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	20# ***10 एमओसी		10* 23**	10	20	20
	कुल	**131**	**150**	**75**	**60**	**131**	**242**

* एलवी- बड़े जलयान **आरआईबी- रिजिड इन्फ्लेटेबल बोट ***एमओसी- समुद्री प्रचालन केन्द्र
# विद्यमान 20 तटीय पुलिस स्टेशनों का उन्नयन किया जायेगा।

घ. प्रत्येक तटीय पुलिस स्टेशन के लिए निगरानी उपस्कर, कम्प्यूटर सिस्टम और फर्नीचर के लिए 15 लाख रूपए की एकमुश्त वित्तीय सहायता भी दी जा रही है।

तटीय सुरक्षा योजना चरण-II के कार्यान्वयन की स्थिति

3.75 सभी तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने तटीय पुलिस स्टेशनों और घाटों (जेटीज) को प्रचालनात्मक बनाने और उनका निर्माण करने के लिए भूमि के चयन और भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू कर दी है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

तटीय पुलिस स्टेशन

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत तटीय पुलिस स्टेशनों की संख्या	प्रचालनात्मक बनाये गए तटीय पुलिस स्टेशनों की संख्या	भूमि/स्थल का चयन	भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू	जमीन अधिग्रहीत की गई/अधिग्रहण के अधीन
गुजरात	12	12	11	03	08
महाराष्ट्र	07	-	05	01	04
गोवा	04	-	04	-	01
कर्नाटक	04	04	04	01	03
केरल	10	-	10	09	-
तमिलनाडु	30	-	30	09	21
आंध्र प्रदेश	15	15	15	05	10
ओडिशा	13	-	04	02	02
पश्चिम बंगाल	08	-	08	07	01
दमन और दीव	02	-	02	-	-
पुडुचेरी	03	03	03	-	03
लक्षद्वीप	03	-	-	-	-
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	20*	20	20	उपलब्ध नहीं	20
कुल	**131**	**54**	**116**	**37**	**73**

* विद्यमान पुलिस स्टेशनों का तटीय पुलिस स्टेशनों में उन्नयन किया जायेगा।

जेटीज				
राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	स्वीकृत जेटीज की संख्या	भूमि/स्थल का चयन	भूमि के अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू	क्या जमीन अधिग्रहीत की गई
गुजरात	5	5	-	-
महाराष्ट्र	3	-	-	-
गोवा	2	2	-	-
कर्नाटक	2	2	1	1
केरल	4	4	4	-
तमिलनाडु	12	10	-	-
आंध्र प्रदेश	7	7	-	-
ओडिशा	5	-	-	-
पश्चिम बंगाल	4	2	2	-
दमन और दीव	2	2	-	-
पुडुचेरी	2	2	2	-
लक्षद्वीप	2	-	-	-
अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	10	-	-	-
कुल	**60**	**36**	**9**	**1**

3.76 तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निर्माण कार्य शुरू करने और वाहन की खरीद आदि के लिए कुल 97.57 करोड़ रू0 जारी किए गए हैं।

चरण-II की नावों का प्रापण

3.77 तटीय सुरक्षा स्कीम के चरण-II में अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए अनुमोदित 180 नावों और 10 बड़े जलयानों का प्रापण गृह मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। योजना के अधीन कुल 180 नावों में से, 150 नावों (12 टन) के विनिर्देशन को अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है और इन नावों के प्रापण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

3.78 तमिलनाडु के लिए 19 मीटर लम्बाई वाली शेष 20 नावों, गुजरात के लिए 5 टन क्षमता वाली 10 परिष्कृत नावों और अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए 10 बड़े जलयानों के लिए भी विनिर्देशन को अन्तिम रूप दे दिया गया है।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह के लिए व्यापक सुरक्षा योजना

3.79 अण्डमान और निकोबार प्रशासन ने तटरक्षक, नौसेना और अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श करके अण्डमान और निकोबार के लिए एक व्यापक सुरक्षा योजना प्रस्तुत की है जिसे 8 वर्ष की अवधि में 2012-15, 2015-17 और 2017-20 तक तीन चरणों में कार्यान्वित किया जाना है। अण्डमान और निकोबार प्रशासन ने व्यापक योजना को दो भागों में बांटा है। भाग (क) के अंतर्गत, उन्होंने उन मदों को रखा है जिन्हें तटीय सुरक्षा योजना के चरण-II में पहले ही अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। भाग (ख) के अंतर्गत, उन्होंने उन मदों को शामिल किया है जिन्हें अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों अथवा गृह मंत्रालय के संघ राज्य क्षेत्र प्रभाग के साथ अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह की राज्य योजना में अलग से रखा जाएगा। अण्डमान और निकोबार की व्यापक सुरक्षा योजना अनुमोदित कर दी गई है।

नावों का पंजीकरण

3.80 भारतीय जल क्षेत्र में चलने वाली सभी मत्स्यन/गैर-मत्स्यन नावों की एक समरुप प्रणाली के अन्तर्गत पंजीकरण करने की आवश्यकता है। इस संबंध में नौवहन विभाग, नोडल विभाग है। दो अधिसूचनाओं में से एक अधिसूचना, पंजीकरण के लिए संशोधित फार्मेट के साथ मर्चेन्ट शिपिंग (मत्स्यन पोतों का पंजीकरण) नियमों में संशोधन करने के लिए और दूसरी अधिसूचना पंजीयकों की सूची अधिसूचित करने के लिए नौवहन मंत्रालय द्वारा जून 2009 में जारी की गई है। इस संबंध में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है। एन आई

सी ने देश के लिए एक आनलाइन यूनिफार्म पंजीकरण सिस्टम विकसित किया है। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए एन आई सी को 120 लाख रूपए और तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को 581.86 लाख रू0 जारी किए गए हैं। नए फार्मेट के अन्तर्गत 20 मीटर से अधिक की लम्बाई वाली नावों के पंजीकरण की प्रक्रिया सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा चलाई जा रही है जिसकी प्रगति की निगरानी महानिदेशक (नौवहन) द्वारा की जा रही है।

नावों पर ट्रांसपोंडर लगाना

3.81 पोतों की पहचान एवं पता लगाने के कार्य को सुकर बनाने के लिए सभी प्रकार की नावों पर मार्गनिर्देशनात्मक एवं संचार उपकरण लगाए जा रहे हैं/उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसके लिए नौवहन विभाग, नोडल विभाग है। महानिदेशक (नौवहन) ने दो परिपत्र जारी किए हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 20 मीटर से कम लम्बाई की श्रेणी वाले मत्स्यन पोतों को छोड़कर, मत्स्यन पोतों सहित सभी प्रकार के पोतों पर पहचान और पता लगाने के प्रयोजनार्थ ए आई एस टाइप बी ट्रांसपोंडर लगा दिए गए हैं। तटीय राज्य/संघ राज्य क्षेत्र इन परिपत्रों के अनुपालन के लिए आवश्यक उपाय कर रहे हैं।

3.82 20 मीटर से कम की लंबाई वाले पोतों पर लगाए जाने वाले ट्रांसपोंडरों की किस्म का सुझाव देने हेतु डी जी, तटरक्षक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। समिति ने उप-20 मीटर की नावों के लिए पता लगाने की उपयुक्त प्रणालियों का 'कोई लागत नहीं कोई प्रतिबद्धता नहीं (एन सी एन सी)' परीक्षण करने का निर्णय लिया है जो (क) उपग्रह आधारित, (ख) ए आई एस/वी एच एफ आधारित और (ग) वी एच एफ/जी पी एस आधारित हैं। यद्यपि सर्वाधिक उपयुक्त प्रौद्योगिकी अथवा मिश्रित प्रौद्योगिकी के सम्बन्ध में अन्तिम विचार-विमर्श चल रहा है, तथापि यह सिफारिश की गई है कि सभी नावों पर रेडियो आवृत्ति पहचान प्रणाली (रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेन्टीफिकेशन डिवाइस) स्थापित की जानी चाहिए। इन तीनों प्रौद्योगिकियों की उपयुक्तता की जांच हेतु रक्षा मंत्रालय की देखरेख में मुम्बई और पोरबन्दर में दो 'प्रायोगिक परियोजनाएं' चलाने का निर्णय लिया गया है।

मछुआरों को पहचान पत्र जारी करना

3.83 सभी मछुआरों को पहचान पत्र जारी किए जा रहे हैं जो एकल केन्द्रीकृत डाटा-बेस से संबद्ध करने योग्य हैं। पशु पालन, दुग्ध और मत्स्य पालन विभाग नोडल एजेंसी के रूप में सभी संबंधितों के साथ परामर्श करके इस संबंध में आवश्यक कार्रवाई कर रहा है। कृषि मंत्रालय ने कुल 72 करोड़ रुपए की लागत से दिनांक 11.12.2009 को ''तटीय मछुआरों को बायोमैट्रिक पहचान पत्र जारी करना'' नामक एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की है। भारत इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड (बी ई एल) की अगुवाई में तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के एक संघ को आकड़ों का डिजिटीकरण करने, पहचान पत्र बनाने और जारी करने के काम के लिए चुना गया है।

3.84 कृषि मंत्रालय ने परियोजना के कार्यान्वयन हेतु तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 8 करोड़ रू0 की राशि जारी की है। पूर्वोक्त संघ के तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को 25 करोड़ रू0 की राशि भी जारी कर दी गई है।

3.85 बायोमैट्रिक पहचान पत्र जारी करने के लिए चयनित कुल 18,11,697 तटीय मुछआरों में से, 16,40,722 मछुआरों से संबंधित आंकड़े एकत्र करने का कार्य पूरा हो चुका है और शेष मछुआरों के लिए आंकड़े एकत्र करने का कार्य प्रगति पर है।

3.86 सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संघ ने डिजिटीकरण का कार्य शुरू कर दिया है और 16,04,492 मछुआरों के आकड़ों का डिजिटीकरण पूरा हो गया है। संघ ने बायोमैट्रिक नामांकन भी शुरू कर दिया है और दिसम्बर, 2012 तक 11,52,184 मछुआरों के संबंध में यह कार्य पूरा कर दिया है।

तटवर्ती लोगों के लिए बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र (एम एन आई सी)

3.87 भारत के महापंजीयक (आर जी आई) द्वारा तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन पी आर) के सृजन की अपनी परियोजना के एक भाग के रूप में, तटवर्ती गांवों की आबादी को बहुउद्देशीय राष्ट्रीय पहचान पत्र (एम एन आई सी) और इन गावों के 18 वर्ष से अधिक आयु वाले सामान्य निवासियों को पहचान पत्र (स्मार्ट कार्ड) जारी करने की परियोजना पर कार्य किया जा रहा है। इस परियोजना को दो चरणों में कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है।

चरण-I तटरेखा पर स्थित 3,331 गांव (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सभी गांवों और कस्बों को कवर किया जाना है)।

चरण-II 2011 की जनगणना के साथ तटरेखा पर स्थित कस्बे/शहर और अन्य गांव।

3.88 इस परियोजना के लिए 216.31 करोड़ रू0 की अनुमानित लागत के लिए मंत्रिमण्डल की स्वीकृति ले ली गई है। पहली बार परियोजना के लिए सीधे आंकड़े एकत्र करने की प्रणाली शुरू करने का प्रस्ताव किया गया है। इसे राज्य,

जिला और गांव स्तर के कार्यकर्ताओं के माध्यम से केन्द्रीय पी एस यू अर्थात बी ई एल, ई सी आई एल और आई टी आई की सहायता से संयुक्त रूप से किया जा रहा है। अब तक 120 लाख से अधिक लोगों के जीवन संबंधी ब्यौरे प्राप्त कर लिए गए हैं जबकि लगभग 70 लाख से अधिक लोगों का बायोमैट्रिक ब्यौरा प्राप्त कर लिया गया है।

3.89 पहचान पत्र बनाने, लोगों की व्यक्तिगत रूप से पहचान करने (पर्सनलाइजेशन) और पहचान पत्रों की सुपुर्दगी के लिए 135.53 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत के लिए मंत्रिमण्डल की स्वीकृति ले ली गई है। सभी तटवर्ती राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के तटीय गांवों में सामान्य निवासियों के स्थानीय रजिस्टर (एल आर यू आर) के प्रिंटिंग का कार्य पूरा हो चुका है और एल आर यू आर को जन साधारण की आपत्तियों के लिए प्रदर्शित कर दिया गया है। आपत्तियां शामिल करने के पश्चात आकड़ों पर डिजिटल हस्ताक्षर किए जाएंगे। पहचान पत्रों को बनाने और लोगों की व्यक्तिगत रूप से पहचान करने (पर्सनलाइजेशन) का कार्य तीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (बी ई एल, ई सी आई एल और आई टी आई) के संघ द्वारा अगस्त 2011 के प्रथम सप्ताह में शुरू किया गया है। दिनांक 31.12.2012 तक 51 लाख कार्ड बना दिए गए हैं।

बन्दरगाह सुरक्षा

3.90 देश के 12 प्रमुख बंदरगाहों की सुरक्षा की निगरानी केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी आई एस एफ) द्वारा की जा रही है। इन प्रमुख बंदरगाहों की आवधिक सुरक्षा संबंधी जांच आसूचना ब्यूरो द्वारा भी की जाती है। तथापि, देश के 187 छोटे बन्दरगाहों की सुरक्षा के लिए अब तक कोई मानक निर्धारित नहीं किए गए हैं। नौवहन मंत्रालय ने जुलाई 2009 में बंदरगाहों की सुरक्षा के लिए मानक निर्धारित करने हेतु एक कार्यदल का गठन किया था। इस कार्यदल को बंदरगाहों के लिए विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्तों का प्रारूप तैयार करने और एकसमान सुरक्षा मानक निर्धारित करने का अधिदेश दिया गया था। कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जो नौवहन मंत्रालय के विचाराधीन है।

समुद्री मार्ग से खतरों के प्रति समुद्री एवं तटीय सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए राष्ट्रीय समिति

3.91 मंत्रिमण्डल सचिव की अध्यक्षता में अगस्त, 2009 में सरकार द्वारा ''समुद्री मार्ग से खतरों के प्रति समुद्री एवं तटीय सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण संबंधी राष्ट्रीय समिति'' का गठन किया गया है। इस समिति में भारत सरकार के सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के प्रतिनिधि और तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव/प्रशासक शामिल हैं।

3.92 राष्ट्रीय समिति की सात बैठकें दिनांक 04.09.2009, 22.01.2010, 14.05.2010, 23.11.2010, 29.07.2011, 26.06.2012 और 30.11.2012 को हुई थीं जिसमें तटवर्ती सुरक्षा के संबंध में लिए गए सभी प्रमुख निर्णयों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई थी।

3.93 इन बैठकों में लिए गए विभिन्न निर्णयों पर संबंधित एजेंसियों द्वारा गहन अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

विभिन्न एजेन्सियों के बीच समन्वय

3.94 जहां तक समुद्री सुरक्षा के प्रति समन्वित दृष्टिकोण का सम्बन्ध है, सुरक्षा से सम्बन्धित मंत्रिमण्डल समिति ने अपनी दिनांक 16.02.2009 को हुई बैठक में देश की समुद्री सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए रक्षा मंत्रालय के प्रस्ताव पर विचार किया था जिसे गृह मंत्रालय सहित सभी अन्य सम्बन्धित मंत्रालयों के साथ विधिवत परामर्श करके तैयार किया गया था और यह निर्णय लिया था कि भारतीय नौसेना को तटीय सुरक्षा और अपतटीय सुरक्षा सहित समग्र समुद्री सुरक्षा के लिए उत्तरदायी प्राधिकरण के रूप में नामित किया जाएगा। देश की तटीय सुरक्षा के लिए भारतीय नौसेना की सहायता तटरक्षक, राज्य समुद्री पुलिस और अन्य केन्द्रीय और राज्य एजेन्सियों द्वारा की जाएगी। भारतीय तटरक्षक को, सीमांतर्गत जलक्षेत्र, जिसमें तटीय पुलिस द्वारा पैट्रोलिंग का क्षेत्र भी शामिल है, की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त रूप से उत्तरदायी प्राधिकरण के रूप में नामित किया गया है। महानिदेशक तटरक्षक को कोस्टल कमाण्ड के कमाण्डर के रूप में नामित किया गया है और वे तटीय सुरक्षा से सम्बन्धित सभी मामलों में केन्द्रीय और राज्य एजेन्सियों के बीच समग्र समन्वय स्थापित करने के लिए जिम्मेवार हैं।

आसूचना के आदान-प्रदान के लिए संयुक्त प्रचालन केन्द्रों की स्थापना

3.95 रक्षा मंत्रालय ने विभिन्न एजेन्सियों के बीच आसूचना के आदान-प्रदान हेतु संयुक्त प्रचालन केन्द्रों (जे ओ सी) का गठन किया है। इन केन्द्रों की स्थापना मुम्बई, विशाखापत्तनम, कोच्चि और पोर्टब्लेयर में तटीय सुरक्षा कमाण्डर-इन-चीफ के रूप में मौजूदा नौसेना कमाण्डर-इन-चीफ की देख-रेख में की गयी है। इन संयुक्त प्रचालन केन्द्रों में

जनशक्ति और प्रचालन की व्यवस्था सम्बन्धित केन्द्रीय और राज्य एजेन्सियों द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना (इनपुट) के आधार पर नौसेना और तटरक्षक द्वारा संयुक्त रूप से की जाती है।

सागर प्रहरी बल का गठन

3.96 नौसेना ने बल के संरक्षण, नौसेना के आधार-स्थानों (बेस) और उनके निकटवर्ती संवदेनशील क्षेत्रों (वी ए) और संवदेनशील स्थानों (वी पी) के संरक्षण के लिए सागर प्रहरी बल (एस पी बी) नामक एक विशेष बल (फोर्स) बनाया है जिसमें 1000 कार्मिक हैं। रक्षा मंत्रालय ने सागर प्रहरी बल के लिए मानवशक्ति की मंजूरी प्रदान कर दी है। सागर प्रहरी बल सभी कमाण्डों को कवर करेगा। कार्मिकों की तैनाती कर दी गई है और किराए की नावों से पैट्रोलिंग शुरू कर दी गई है। 80 फास्ट इन्टरसेप्टर जलयानों (एफ आई सी) के प्रापण की कार्यवाही चल रही है।

सभी तटीय राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मानक प्रचालन प्रकियाओं को अंतिम रूप प्रदान करना

3.97 सभी तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए मानक प्रचालन प्रक्रियाओं को अन्तिम रूप दे दिया गया है और इसे भारतीय तटरक्षक द्वारा जारी कर दिया गया है।

संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास

3.98 'सागर कवच' जैसे संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास बहुत लाभप्रद रहे हैं और इनसे संयुक्त प्रचालनों में सहक्रिया का एक नया युग शुरू हो गया है। प्रत्येक अभ्यास से सीखी गई बातों को सभी अन्य तटीय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लाभ के लिए प्रचारित करने की प्रक्रियाएं तैयार कर ली गई हैं। संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास छमाही आधार पर किए जाते हैं। अन्तराल को पूरा करने के लिए सीखी गई बातों की जानकारी सभी स्टेकहोल्डरों को दी जा रही है।

❖❖❖

अध्याय IV केन्द्र-राज्य संबंध

4.1 संघीय राजव्यवस्था में, केन्द्र और राज्यों की घटक इकाइयों के बीच वृहत सामूहिक हित और आपसी कार्रवाई को ध्यान में रखते हुए नीतियों का समन्वयन और उनका सुव्यवस्थित कार्यान्वयन अति महत्वपूर्ण होता है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 में नीतियों के ऐसे समन्वयन और उनके कार्यान्वयन को सुसाध्य बनाने हेतु संस्थागत तंत्र की स्थापना की परिकल्पना की गई है।

अंतर-राज्य परिषद (आई एस सी)

4.2 केन्द्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसरण में अन्तर-राज्य परिषद (आई एस सी) का गठन दिनांक 28.5.1990 के राष्ट्रपति के आदेश के तहत वर्ष 1990 में किया गया था ।

4.3 अन्तर-राज्य परिषद एक अनुशंसात्मक निकाय है तथा इसको ऐसे विषयों की जांच और उन पर विचार-विमर्श करने तथा संस्तुतियां करने के कार्य सौंपे गए हैं जिनमें उस विषय से संबंधित नीति एवं कार्रवाई के बेहतर समन्वयन हेतु कुछ अथवा सभी राज्यों एवं केन्द्र तथा एक या अधिक राज्यों के साझा हित शामिल होते हैं। परिषद के अध्यक्ष द्वारा इसके सामने लाए गए राज्यों के सामान्य हित के ऐसे अन्य मामलों पर भी अन्तर-राज्य परिषद विचार-विमर्श करती है।

4.4 प्रधान मंत्री परिषद के अध्यक्ष हैं। सभी राज्यों और विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्यमंत्री, विधान सभा रहित संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक, राष्ट्रपति शासन वाले राज्यों के राज्यपाल, परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित केन्द्रीय मंत्रिपरिषद में कैबिनेट रैंक के छह मंत्री परिषद के सदस्य होते हैं। परिषद के अध्यक्ष द्वारा नामित कैबिनेट स्तर के पाँच मंत्री/राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) परिषद के स्थायी आमंत्रित सदस्य होते हैं। अंतर-राज्य परिषद का पिछला पुनर्गठन दिनांक 18.05.2012 को किया गया था।

4.5 परिषद की बैठकें बंद कमरे में आयोजित की जाती हैं तथा बैठक में परिषद के विचाराधीन सभी मुद्दों पर आम सहमति से निर्णय लिया जाता है तथा आम सहमति पर अध्यक्ष का निर्णय अंतिम होता है।

4.6 अब तक अन्तर राज्य परिषद की 10 बैठकें हो चुकी हैं। अपनी पहली 8 बैठकों में परिषद ने केन्द्र-राज्य संबंधों पर सरकारिया आयोग द्वारा की गई 247 सिफारिशों पर ध्यान केन्द्रित किया था और सभी सिफारिशों पर विचार किया था। इसकी 247 सिफारिशों में से, 180 सिफारिशों को कार्यान्वित किया जा चुका है, 65 सिफारिशों को अन्तर-राज्य परिषद/प्रशासनिक मंत्रालयों/संबंधित विभागों द्वारा स्वीकार नहीं किया गया है तथा केवल 02 सिफारिशें स्टेकहोल्डरों के परामर्श से अभी भी कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं।

4.7 परिषद ने अन्य आम नीतियों तथा अभिशासन के मुद्दों पर भी विचार किया है, जो कि ये हैं:-

क) संविदागत श्रम और संविदागत नियुक्ति;

ख) सुशासन संबंधी कार्रवाई योजना की रूपरेखा;

ग) आपदा प्रबंधन – आपदाओं से निपटने हेतु राज्यों की तैयारी; तथा

घ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोगों पर अत्याचार और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के कार्यान्वयन की स्थिति।

4.8 अन्तर-राज्य परिषद की स्थायी समिति का गठन वर्ष 1996 में किया गया था ताकि निरंतर परामर्श किया जा सके और परिषद के विचारार्थ मामलों पर कार्रवाई की जा सके। माननीय गृह मंत्री स्थायी समिति के अध्यक्ष हैं और पांच कैबिनेट मंत्री तथा नौ मुख्यमंत्री इसके सदस्य हैं। स्थायी समिति का पिछला पुनर्गठन दिनांक 27.11.2012 को किया गया था।

4.9 अन्तर राज्य परिषद का सचिवालय अन्तर-राज्य परिषद द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की गहन निगरानी करता है और कृत कार्रवाई की रिपोर्ट स्थायी समिति/परिषद के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत करता है।

4.10 परिषद के सचिवालय ने सरकारी नीति और अभिशासन संबंधी मुद्दों पर निम्नलिखित अध्ययन किए हैं:-

(i) कोयला, जल-विद्युत तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सहित खनिजों के संबंध में संसाधनों को सृजित करने वाले राज्यों को मुआवजा;

(ii) सब-नेशनल गवर्नेंस;

(iii) कृषि उत्पादों और वस्तुओं के साझा भारतीय बाजार की स्थापना;

(iv) राज्य नीति के निर्देशक सिद्धान्तों को कार्यान्वित करने के लिए किए गए उपायों का मूल्यांकन और

(v) शहरी फेरीवालों हेतु राष्ट्रीय नीति ।

4.11 परिषद के सचिवालय ने परिषद के विचारार्थ नए मुद्दों का पता लगाने हेतु केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों के साथ परामर्श करके अनेक कदम भी उठाए हैं। कुछ मुद्दे डाक विभाग, रेल मंत्रालय और कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग जैसे केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से भी प्राप्त हुए हैं और परिषद के सचिवालय द्वारा इनकी जांच की जा रही है। इनमें से कुछ मुद्दे निम्नलिखित हैं:

(i) सार्वभौमिक सेवा संबंधी दायित्व को पूरा करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी परिवहन सम्पर्क की व्यवस्था करने में कठिनाइयां (डाक विभाग द्वारा प्रस्तावित)।

(ii) वापस न करने योग्य अभिदाय (एन आर सी) से संबंधित देयराशियों का भुगतान न किया जाना (डाक विभाग द्वारा प्रस्तावित)।

(iii) रेलवे को प्रभावित करने वाले कार्य (रेल मंत्रालय)।

(iv) दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा 'राज्य और जिला प्रशासन' शीर्षक वाली अपनी 15वीं रिपोर्ट (पैरा 2.3.12) में की गई सिफारिशों को स्वीकार किए जाने के परिणामस्वरूप राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार में कमी।

(v) दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार, राज्य लोक सेवा आयोग में ऊंची साख, बौद्धिक क्षमता और ख्याति वाले व्यक्तियों की नियुक्ति तथा राज्य लोक सेवा आयोग में सदस्यों की संख्या की सीमा निर्धारित करना।

केन्द्र – राज्य संबंधों से संबंधित आयोग (सी सी एस आर)

4.12 भारत के उच्चतम न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) मदन मोहन पंछी की अध्यक्षता में केन्द्र राज्य संबंधों से संबंधित आयोग ने अपनी रिपोर्ट दिनांक 31.03.2010 को सरकार को प्रस्तुत कर दी थी। आयोग की रिपोर्ट सभी संबंधित राज्य सरकारों/ संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों सहित स्टेकहोल्डरों को आयोग की सिफारिशों पर उनके विचारित अभिमत हेतु परिचालित की गयी है और स्टेकहोल्डरों के परामर्श से इसकी जांच की जा रही है।

क्षेत्रीय परिषद सचिवालय

भूमिका और कार्य

4.13 क्षेत्रीय परिषदों की संख्या पाँच है और ये सांविधिक निकाय हैं, जिनका गठन राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के अंतर्गत प्रत्येक क्षेत्र में अन्तर-राज्य तथा क्षेत्रीय समस्याओं का समाधान करने, संतुलित सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करने और सद्भावनापूर्ण केन्द्र-राज्य संबंध बनाने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को साझा बैठक का आधार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया गया है। ये परिषदें उच्च स्तरीय निकाय हैं और संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री इसके सदस्य हैं। केन्द्रीय गृह मंत्री इन परिषदों के अध्यक्ष हैं। उपाध्यक्ष के पद पर संबंधित क्षेत्रीय परिषद के सदस्य राज्य का मुख्यमंत्री होता है जो कि वार्षिक रूप से बदलता रहता है। प्रत्येक क्षेत्रीय परिषद ने संबंधित क्षेत्रीय परिषदों के सदस्य राज्यों के मुख्य सचिवों को शामिल करके एक स्थायी समिति का गठन किया है। ये स्थायी समितियाँ मुद्दों को सुलझाने और क्षेत्रीय परिषदों की आगे की बैठकों के लिए आवश्यक आरम्भिक कार्य करने के उद्देश्य से समय-

समय पर बैठकें आयोजित करती हैं। योजना आयोग और अन्य मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारी भी आवश्यकता के आधार पर इन बैठकों से सम्बद्ध रहते हैं।

क्षेत्रीय परिषदों की बैठकें

4.14 इन क्षेत्रीय परिषदों की इनके गठन के समय से लेकर अब तक 108 बैठकें हो चुकी हैं। स्थायी समितियों की भी 44 बैठकें हो चुकी हैं।

4.15 क्षेत्रीय परिषदों/स्थायी समितियों के विचार-विमर्श के परिणामस्वरूप आंतरिक सुरक्षा, तटीय सुरक्षा, मेगा सिटी पुलिस व्यवस्था, संबंधित राज्यों द्वारा अपराध और अपराधियों संबंधी सूचना का आदान-प्रदान, कारागार सुधार, नदी प्रदूषण, एड्स की रोकथाम, साम्प्रदायिक सद्भाव, ग्रामीण विद्युतीकरण, पर्यटन को बढ़ावा, आपदा प्रबंधन के लिए तैयारी का सुदृढ़ीकरण, सूचना का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारन्टी विधेयक के कार्यान्वयन, सुशासन, वनरोपण इत्यादि से संबंधित महत्वपूर्ण पहलें हुई हैं।

4.16 उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की बैठक दिनांक 13.07.2012 को केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ में हुई थी। इस बैठक में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के मुख्य मंत्रियों और जम्मू एवं कश्मीर के उप मुख्य मंत्री, चंडीगढ़ के प्रशासक, दिल्ली के उप राज्यपाल, राज्यों के अन्य मंत्रियों तथा राज्य सरकारों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया था। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद की बैठक केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 16.11.2012 को बेंगलुरू में आयोजित की गई थी। इस बैठक में कर्नाटक, आंध्रप्रदेश और पुडुचेरी के मुख्य मंत्रियों ने भाग लिया था, जबकि केरल और तमिलनाडु राज्य के वित्त मंत्रियों ने अपने-अपने मुख्यमंत्रियों का प्रतिनिधित्व किया था।

4.17 इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय परिषदों की बैठकों की कार्यसूची को अंतिम रूप प्रदान करने के लिए दक्षिणी, पश्चिमी और मध्य क्षेत्रीय परिषदों के मुख्य सचिवों की स्थायी समिति की बैठकें भी क्रमशः दिनांक 25.05.2012, 02.07.2012 और 13.07.2012 को आयोजित की गई थीं।

❖❖❖

अध्याय V देश में अपराध परिदृश्य

देश में अपराध परिदृश्य

5.1 भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत, ''पुलिस' एवं ''लोक व्यवस्था'' राज्य के विषय हैं और इसलिए प्रारम्भिक तौर पर राज्य सरकारें अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत होने वाले अपराधों के निवारण, पंजीयन, पता लगाने एवं जांच करने और अपराधियों का अभियोजन करने के लिए उत्तरदायी हैं। तथापि, गृह मंत्रालय, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अंतर्गत राज्य पुलिस बलों को हथियार, संचार, उपकरण, आवाजाही, प्रशिक्षण और अन्य अवसंरचना का आधुनिकीकरण करने के लिए वित्तीय सहायता देकर उनके प्रयासों में सहायता करता है।

5.2 सूचित किए गए और पुलिस द्वारा जांच किए गए सभी संज्ञेय अपराधों को मोटे तौर पर भारतीय दण्ड संहिता (आई पी सी) के अंतर्गत आने वाले या विशेष और स्थानीय कानून (एस एल एल) के अंतर्गत आने वाले अपराधों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

प्रवृत्ति विश्लेषण

5.3 देश में वर्ष 2011 के दौरान वर्ष 2010 में हुए 22,24,831 आई पी सी अपराधों की तुलना में कुल 23,25,575 आई पी सी अपराध सूचित किए गए जिसमें वर्ष 2011 में 4.5% की वृद्धि दर्ज की गई। प्रतिशतता की दृष्टि से कुल संज्ञेय अपराधों की तुलना में आई पी सी अपराधों का हिस्सा वर्ष 2007 में 34.7% से बढ़कर वर्ष 2008 में 35.3% हो गया लेकिन यह वर्ष 2009 में घटकर 31.8% हो गया। यह वर्ष 2010 और 2011 में पुनः बढ़कर क्रमशः 33.0% और 37.2% हो गया जो वर्ष 2007-2011 की पांच वर्ष की अवधि में एक मिश्रित प्रवृत्ति दर्शाता है।

अपराध दर की परिभाषा

5.4 अपराध दर को प्रत्येक 1,00,000 की जनसंख्या पर अपराधों की संख्या के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसे सामान्यतः अपराध का वास्तविक सूचक माना जाता है क्योंकि इसमें स्थान विशेष की जनसंख्या के आकार को ध्यान में रखा जाता है।

अपराध दर - प्रवृत्ति

5.5 वर्ष 2007-09 के दौरान अपराधों की दर में वृद्धि दर्ज की गई (वर्ष 2007 में 504.5 से बढ़कर वर्ष 2009 में 570.8 हो गई)। लेकिन वर्ष 2009-11 के दौरान अपराध दर में गिरावट की प्रवृत्ति दर्ज की गई जो वर्ष 2009 में 570.8 से घटकर वर्ष 2011 में 516.7 रह गई।

शारीरिक अपराध

5.6 शारीरिक अपराध, जिसमें हत्या, हत्या करने के प्रयास, हत्या की कोटि में न आने वाला सदोष मानववध, व्यपहरण और अपहरण, चोट पहुंचाना, लापरवाही से हुई मौत शामिल हैं, वर्ष 2011 में 5,25,798 थे जो वर्ष के दौरान हुए कुल भारतीय दंड संहिता अपराधों का 22.6 प्रतिशत है। शारीरिक अपराधों में वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2011 के दौरान 5.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

संपत्ति के प्रति अपराध

5.7 वर्ष 2011 के दौरान संपत्ति के प्रति कुल 4,65,184 अपराध दर्ज किए गए थे जिनमें डकैती, डकैती डालने के लिए तैयारी करना एवं एकत्र होना, लूट-पाट, सेंधमारी और चोरी शामिल है, जबकि इसकी तुलना में वर्ष 2010 के दौरान 4,50,857 अपराध दर्ज किए गए थे, जो 3.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। वर्ष के दौरान राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय दंड संहिता के कुल अपराधों की तुलना में इन अपराधों का हिस्सा 20.0 प्रतिशत था।

लोक व्यवस्था के प्रति अपराध

5.8 वर्ष 2011 में लोक व्यवस्था के प्रति अपराध, जिनमें दंगे और आगजनी शामिल हैं, के कुल 77,564 मामले सूचित किए गए, जो वर्ष 2010 में हुए 76,079 अपराधों के मामलों की तुलना में 2.0% की वृद्धि को दर्शाता है।

विशेष और स्थानीय कानूनों (एस एल एल) के अंतर्गत अपराध

5.9 वर्ष 2011 के दौरान विभिन्न विशेष और स्थानीय कानूनों के तहत कुल 39,27,154 अपराध सूचित किए गए जबकि वर्ष 2010 में 45,25,917 अपराध सूचित किए गए थे जो वर्ष 2011 में 13.2 प्रतिशत की कमी दर्शाता है।

अनुसूचित जातियों के प्रति अपराध

वर्ष 2007-2011 के दौरान अनुसूचित जातियों के प्रति अपराध की घटनाएं							
क्रम सं.	अपराध शीर्ष	वर्ष					वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2011 में प्रतिशत अंतर
		2007	2008	2009	2010	2011	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	हत्या	674	626	624	570	673	18.1
2.	बलात्कार	1,349	1,457	1,346	1,349	1,557	15.4
3.	अपहरण एवं व्यपहरण	332	482	512	511	616	20.5
4.	डकैती	23	51	44	42	36	-14.3
5.	लूटपाट	86	85	70	75	54	-28.0
6.	आगजनी	238	225	195	150	169	12.7
7.	चोट पहुँचाना	3,814	4,216	4,410	4,376	4247	-28.0
8.	सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम	206	248	168	143	67	12.7
9.	अनु. जाति/अनु. जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम	9,819	11,602	11,143	10,513	11,342	7.9
10.	अन्य	13,490	14,623	15,082	14,983	14,958	-0.2
11.	**कुल**	**30,031**	**33,615**	**33,594**	**32,712**	**33,719**	**3.1**

आई पी सी और अन्य अधिनियमों के साथ-साथ सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम क्रम संख्या 9 में दर्शाए गए मामलों को छोड़कर उपर्युक्त सभी मामलों में लागू है।

प्रवृत्ति विश्लेषण

5.10 वर्ष 2011 में अनुसूचित जाति के प्रति अपराधों में 3.1% की वृद्धि देखी गई क्योंकि वर्ष 2010 में सूचित किए गए 32,712 मामले वर्ष 2011 में बढ़कर 33,719 हो गए। लूट पाट (28.0%), डकैती (14.3%), चोट पहुंचाना (2.9%) और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम (53.1%) में गिरावट दर्ज की गई। अपहरण एवं व्यपहरण (20.5%), हत्या (18.1%), बलात्कार (15.4%), आगजनी (12.7%) और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम (7.9%) जैसे अपराध शीर्षों के अन्तर्गत वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2011 के दौरान देश में अनुसूचित जाति के प्रति अपराध की घटनाओं में सर्वाधिक 7,702 मामलों के साथ उत्तर प्रदेश ने 22.8% घटनाओं की सूचना दी।

अपराध-दर

5.11 अनुसूचित जाति के प्रति अपराध की दर, जो वर्ष 2009 में 2.9 थी, वह वर्ष 2010 और 2011 में 2.8 पर स्थिर रही।

अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध

वर्ष 2007 -2011 के दौरान अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध की घटनाएं							
क्रम सं.	अपराध शीर्ष	वर्ष					वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2011 में प्रतिशत अंतर
		2007	2008	2009	2010	2011	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	हत्या	140	128	118	142	143	0.7
2.	बलात्कार	627	585	583	654	772	18.0
3.	अपहरण एवं व्यपहरण	89	93	82	84	137	63.1
4.	डकैती	9	14	3	7	7	0.0
5.	लूटपाट	21	93	24	5	9	80.0
6.	आगजनी	54	14	29	39	24	-38.5
7.	चोट पहुँचाना	855	6	787	941	803	-14.7
8.	सिविलि अधिकार संरक्षण अधिनियम	5	1,022	2	5	7	40.0
9.	अनु. जाति/अनु. जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम	1,104	1,022	944	1,169	1,154	-1.3
10.	अन्य	2,628	2,794	2,853	2,839	2,700	-4.9
11.	कुल	5,532	5,582	5,425	5,885	5,756	-2.2

आई पी सी और अन्य अधिनियमों के साथ-साथ सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम क्रम संख्या 9 में दर्शाए गए मामलों को छोड़कर उपर्युक्त सभी मामलों में लागू है।

प्रवृत्ति विश्लेषण

5.12 देश में अनुसूचित जनजातियों के प्रति वर्ष 2010 में 5,885 मामलों की तुलना में वर्ष 2011 के दौरान कुल 5,756 मामले सूचित किए गए जो वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2011 में 2.2% की गिरावट दर्शाता है। आगजनी, चोट पहुंचाना, अनु. जा./अनु.जन.जा. (अत्याचार निवारण) अधिनियम और अनु. ज.जा. के प्रति अन्य अपराधों में गिरावट की प्रवृत्ति दिखाई दी और शेष अपराधों में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई दी।

अपराध दर

5.13 अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध की दर वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2011 में 0.5 पर स्थिर रही।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के प्रति अपराध को रोकने के लिए किए गए उपाय

5.14 सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को दिनांक 01.04.2010 को एक विस्तृत सलाह भेजी गई थी, जिसमें राज्यों/ संघ राज्यक्षेत्रों को देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा और संरक्षा और उनके प्रति होने वाले अपराधों का नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए तंत्र की प्रभावकारिता की व्यापक समीक्षा करने की सलाह दी गई है। यह सलाह गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.nic.in पर भी उपलब्ध है। सलाह में सुझाए गए कुछ विशिष्ट कदम निम्नानुसार हैं:-

i. सिविल अधिकार संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 सहित अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध से संबंधित मौजूदा विधानों को कार्यान्वित करने के लिए जोरदार तरीके से और ईमानदारीपूर्वक कार्रवाई करना।

ii. सरकार उचित विधि-प्रवर्तन सुनिश्चत करे और अपराधियों के अभियोजन की निगरानी करे। प्रवर्तन एजेन्सियों को साफ-साफ यह अनुदेश दिया जाना चाहिए कि कमजोर और संवदेनशील वर्गों के अधिकारों के प्रवर्तन को भविष्य में होने वाली गड़बड़ियों और प्रतिकार के भय से कम नहीं आंका जाना चाहिए और ऐसी स्थिति उत्पन्न होने की स्थिति में पर्याप्त तैयारी होनी चाहिए।

iii. प्रशासन और पुलिस को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों का पता लगाने और उनकी जांच करने में और अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मामले समान रूप से दर्ज हों।

iv. दंड न्याय प्रणाली के अन्य पदाधिकारियों के साथ-साथ, सभी स्तरों पर पुलिस कार्मिकों और अन्य विधि प्रवर्तन एजेन्सियों के लिए सुगठित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, बैठकों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं, सेमिनारों आदि के माध्यम से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध अपराधों के प्रति विधि प्रवर्तन तंत्र को सुविज्ञ बनाया जाना चाहिए। ऐसे कार्यक्रमों को सभी स्तरों पर विभिन्न पुलिस प्रशिक्षण केन्द्रों/अकादमियों के पाठ्यक्रमों में शामिल किया जाना चाहिए। अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 और सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1955 के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पुलिस कार्मिकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

v. पुलिस अधिकारियों को उपर्युक्त अधिनियमों के अंतर्गत पीड़ित व्यक्तियों के बयानों के अनुसार कानून की उपयुक्त धाराओं को लागू करने का निदेश दिया जाना चाहिए तथा कानून की उपयुक्त धाराओं का प्रयोग करने में किसी गड़बड़ी को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए।

vi. सरकार को अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों के संबंध में, सामान्यतः प्रशासन तथा विशेषकर पुलिस कार्मियों में जागरूकता बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिएं और न केवल ऐसे अपराधों से निपटने के लिए कदम उठाने चाहिए बल्कि उनसे अति संवेदनशीलता के साथ निपटना चाहिए।

vii. अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों से संबंधित विधानों के बारे में सामान्य जागरूकता को बेहतर बनाने के लिए राज्य सरकार के संबंधित विभाग को, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित कदम उठाने चाहिएः-

क) प्रिंट तथा इलेक्ट्रानिक मीडिया के जरिए जागरूकता पैदा करना;

ख) हिंसा, दुर्व्यहार तथा शोषण के मामलों को रोकने के लिए एक सामुदायिक मानीटरिंग सिस्टम विकसित

करना तथा इसे नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाना;

ग) इस प्रकार की जागरूकता पैदा करने तथा इसका प्रसार करने में बड़े पैमाने पर समुदाय को शामिल करना; और

घ) कानूनी साक्षरता एवं कानूनी जागरूकता शिविरों का आयोजन करना।

viii अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा के लिए उचित तंत्रों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

ix. अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों का मुकाबला करने के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने की संभावना का पता लगाया जाना चाहिए। समाज में इन मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाने तथा अनु.जातियों/अनु.जनजातियों के प्रति अत्याचार के मामलों को प्रकाश में लाए जाने में सहायता करने और उनके प्रति अपराधों की जांच में पुलिस की सहायता करने के लिए भी नागरिक समूहों और गैर सरकारी संगठनों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए।

x. अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों के मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने में कोई विलंब नहीं होना चाहिए।

xi. प्राथमिकी दर्ज करने से लेकर सक्षम न्यायालय द्वारा मामले के निपटान तक अनु.जातियों/अनु.जनजातियों के प्रति अपराधों के मामलों की जांच का समुचित स्तर पर उचित पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जाना चाहिए।

xii. जांच में मार्गदर्शन करने और उसे तेज करने तथा साक्ष्य को समय पर जुटाने के लिए जांच अधिकारियों के साथ मासिक बैठक में जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा जांचाधीन अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों द्वारा दायर आपराधिक मामलों को शामिल करते हुए एक अलग समीक्षा की जानी चाहिए।

xiii. राज्य सरकारों में संबंधित प्राधिकारी, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयोग सहित, विभिन्न स्रोतों से प्राप्त अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के प्रति अत्याचार के मामलों की रिपोर्टों की उचित अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करें।

xiv. अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के समुदायों के सदस्यों के जीवन तथा सम्पत्ति को बचाने हेतु निवारक उपाय करने के लिए अत्याचार – प्रवण क्षेत्रों की पहचान की जाए। ऐसे संवदेनशील क्षेत्रों के पुलिस थानों में पुलिस व्यवस्था संबंधी अवसंरचना से पूर्णतया लैस समुचित संख्या में पुलिस कर्मी तैनात किए जाने चाहिएं।

xv. अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों की अधिक आबादी वाले क्षेत्रों में स्थित पुलिस थानों में तैनाती करते समय अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के पुलिस कर्मियों को उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए ताकि अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के समुदाय का विश्वास प्राप्त किया जा सके।

xvi. अनु.जातियों/अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराध के मामलों के विचारण में विलम्ब पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में मानीटरिंग समिति / मासिक बैठकों में नियमित आधार पर चर्चा की जाए और इन बैठकों में जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस अधीक्षक तथा जिले के लोक अभियोजक उपस्थित रहें।

xvii. जिला पुलिस अधीक्षकों को, विचारण-अदालतों में ऐसे मामलों के शीघ्र विचारण के लिए पुलिस अधिकारियों एवं सरकारी गवाहों समेत सभी अभियोजन पक्ष के गवाहों की समय से उपस्थिति एवं संरक्षण सुनिश्चित करना चाहिए।

xviii. राज्य सरकार को अत्याचार पीड़ितों के आर्थिक एवं सामाजिक पुनर्वास के लिए पर्याप्त उपाय सुनिश्चित करने चाहिए। वे राज्य, जिन्होंने अत्याचारों से पीड़ित अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए मौद्रिक राहत एवं पुनर्वास सुविधाओं की कोई मात्रा निर्धारित नहीं की है, बिना किसी और विलंब के इसे निर्धारित करें।

xix. सिविल अधिकारों का संरक्षण (पीसीआर) अधिनियम, 1955 तथा अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का समुचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारें एवं संघ राज्यक्षेत्र प्रशासन मामलों के शीघ्र निपटारे में पुलिस तथा न्यायपालिका के सामने आ रही समस्याओं के संदर्भ में इन अधिनियमों की कार्यशैली के मूल्यांकन हेतु नमूना सर्वेक्षण/अध्ययन करें और ऐसी समस्याओं को हल करने के लिए समुचित उपाय करें।

xx. मानव प्रतिष्ठा के चरम उल्लंघन के मामले में पुलिस को त्वरित और कड़ी निवारक कार्रवाई करनी चाहिए। मानवाधिकारों के चरम उल्लंघन की ऐसी घटनाओं में यथाशीघ्र कानून की सम्यक प्रक्रिया अपनाकर दोषियों को निवारक दण्ड दिया जाना चाहिए।

5.15 गृह मंत्रालय ने सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के सहयोग से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के प्रभावी कार्यान्वयन पर विचार-विमर्श करने के लिए दिनांक 17.04.2012 को नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की थी। इस बैठक में कुछ राज्यों/संघ राज्यों के मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों तथा कई राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के गृह मंत्रियों और प्रभारी सामाजिक न्याय मंत्रियों ने भाग लिया था। बैठक में, गृह मंत्रालय के परामर्शी पत्र में उल्लिखित विभिन्न उपायों के कार्यान्वयन में अधिक सक्रिय होने की आवश्यकता पर बल दिया गया था।

5.16 सरकारों ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के प्रति अपराधों से निपटने के लिए, अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

i. विशेष प्रकोष्ठ स्थापित किए गए हैं;

ii. अत्याचार प्रवण/संवदेनशील क्षेत्रों की पहचान की गई है;

iii. अधिनियम के तहत अपराधों के शीघ्र विचारण का प्रावधान करने के प्रयोजन के लिए विशेष न्यायालय एवं अनन्य विशेष न्यायालय नामोद्दिष्ट किए गए हैं। 9 विभिन्न राज्यों में 195 विशेष न्यायालय स्थापित किए गए हैं।

iv. जिला मजिस्ट्रेटों और पुलिस अधीक्षकों अथवा अन्य प्राधिकृत अधिकारियों के कार्यकरण का समन्वय करने के लिए नोडल अधिकारी नामित किये गये हैं; और

v. मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियां और जिला स्तरीय सतर्कता एवं निगरानी समितियाँ गठित की गई हैं।

महिलाओं के प्रति अपराध

5.17 महिलाएं हत्या, लूट, धोखाधड़ी इत्यादि जैसे कई आम अपराधों की भी पीड़ित होती हैं। केवल वे ही अपराध जो विशेष रुप से महिलाओं के प्रति किए जाते हैं ''महिलाओं के प्रति अपराध'' के रुप में वर्गीकृत किए जाते हैं। महिलाओं के प्रति अपराधों को मोटे तौर पर दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:-

(क) **भारतीय दण्ड संहिता (आई पी सी) के तहत अपराध**

(i) बलात्कार (भा.दं.सं. की धारा 376)

(ii) विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए अपहरण एवं व्यपहरण (भा.दं.सं. की धारा 363-369 और 371-373)

(iii) दहेज के लिए गैर इरादतन हत्या, दहेज हत्या अथवा उसका प्रयास (भा.दं.सं. की धारा 302/304-ख)

(iv) पति और रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता (भा.दं.सं. की धारा 498-क)

(v) शील भंग (भा.दं.सं. की धारा 354)

(vi) यौन शोषण (भा. दं. सं. की धारा 509)

(vii) लड़कियों का अवैध व्यापार (21 वर्ष की आयु तक) भा.दं.सं. की धारा 366-ख)

(ख) **विशेष एवं स्थानीय कानूनों (एस एल एल) के अंतर्गत अपराध-** लिंग सापेक्ष कानून, जिनके लिए अपराध के आंकड़े देश भर में दर्ज किए जाते हैं, निम्नानुसार हैं:

(i) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956

(ii) दहेज निषेध अधिनियम, 1961

(iii) महिला अभद्रता प्रदर्शन (निषेध) अधिनियम, 1986

(iv) सती प्रथा (निवारण) अधिनियम, 1987

वर्ष 2007-2011 के दौरान महिलाओं के प्रति अपराध की घटनाएं

क्रम सं.	अपराध शीर्ष	वर्ष					वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2011 में प्रतिशत अंतर
		2007	2008	2009	2010	2011	
1.	बलात्कार (भा.दं.सं. की धारा 376)	20,737	21,467	21,397	22,172	24,206	9.2
2.	अपहरण एवं व्यपहरण (भा.दं.सं. की धारा 363 से 373)	20,416	22,939	25,741	29,795	35,565	19.4
3.	दहेज हत्या (भा.दं.सं. की धारा 302/304)	8,093	8,172	8,383	8,391	8,618	2.7
4.	पति और रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता (भा.दं.सं. की धारा 498-क)	75,930	81,344	89,546	94,041	99,135	5.4

5.	शीलभंग (भा.दं.सं. की धारा 354)	38,734	40,413	38,711	40,613	42,968	5.8
6.	यौन शोषण (भा.दं.सं. की धारा 509)	10,950	12,214	11,009	9,961	8,570	-14.0
7.	लड़कियों का अवैध व्यापार (भा.दं.सं. की धारा 366-ख)	61	67	48	36	80	122.2
8.	सती प्रथा निवारण अधिनियम, 1987	0	1	0	0	1	100.0
9.	अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956	3,568	2,659	2,474	2,499	2,435	-2.6
10.	महिला अभद्रता प्रदर्शन (निवारण) अधिनियम, 1986	1,200	1,025	845	895	453	-49.4
11.	दहेज निषेध अधिनियम, 1961	5,623	5,555	5,650	5,182	6,619	27.7
	कुल	**1,85,312**	**1,95,856**	**2,03,804**	**2,13,585**	**2,28,650**	**7.1**

प्रवृत्ति विश्लेषण

5.18 वर्ष 2010 के दौरान कुल 2,13,585 घटनाओं की तुलना में वर्ष 2011 में महिलाओं के प्रति अपराध की कुल 2,28,650 घटनाओं (आई पी सी और एस एल एल दोनों के अंतर्गत) की सूचना दी गई जिसमें वर्ष 2011 के दौरान 7.1% की वृद्धि दर्ज की गई। इन अपराधों में वर्ष 2007-2011 के दौरान सतत रुप से वृद्धि हुई है। वर्ष 2007 में 1,85,312 मामले, 2008 में 1,95,856 मामले, 2009 में 2,03,804 मामले, 2010 में 2,13,585 मामले और वर्ष 2011 में 2,28,650 मामले दर्ज किए गए थे । पश्चिम बंगाल की जनसंख्या देश की जनसंख्या का लगभग 7.5% है, जहां देश में महिलाओं के प्रति अपराध की कुल 12.7% घटनाएं हुई और कुल 29,133 मामले सूचित किए गए। आन्ध्र प्रदेश की जनसंख्या देश की जनसंख्या का लगभग 7.0% है, जहां संदर्भाधीन महिलाओं के प्रति अपराध के कुल 28,246 मामले सूचित किए गए जो ऐसी घटनाओं का 12.4% है।

अपराध दर

5.19 वर्ष 2010 के दौरान अपराध की दर 18.0 से बढ़कर वर्ष 2011 में 18.9 हो गई है।

महिलाओं के प्रति अपराध का मुकाबला करने के लिए किए गए प्रशासनिक उपाय

5.20 दिनांक 04.09.2009 को एक विस्तृत परामर्शी-पत्र सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों को भेजा गया था जिसमें सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को देश में महिलाओं के प्रति अपराधों को नियंत्रित करने और उनकी सुरक्षा एवं संरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए तंत्र की प्रभावकारिता की विस्तृत समीक्षा करने का परामर्श दिया गया है। यह परामर्शी-पत्र गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.nic.in पर भी उपलब्ध है। परामर्शी-पत्र में सुझाए गए कुछ विशेष कदम निम्नानुसार हैं:

(i) विद्यमान विधायनों को सख्ती से लागू करना और कानून का उचित प्रवर्तन एवं महिलाओं से संबंधित अपराधों में दोषसिद्धि सुनिश्चित करना।

(ii) प्रशासन और पुलिस को महिलाओं के प्रति अपराध का पता लगाने और उसकी जांच-पड़ताल करने में और अधिक सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कहीं रिपोर्ट दर्ज न किए जाने का कोई मामला न हो।

(iii) पुलिस बलों में महिलाओं के समग्र प्रतिनिधित्व को बढ़ाना।

(iv) सभी स्तरों पर पुलिस कार्मिकों के लिए और आपराधिक न्याय प्रणालियों से सम्बद्ध अन्य अधिकारियों के लिए सुगठित प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रमों, बैठकों और सेमिनारों इत्यादि के द्वारा महिलाओं के प्रति अपराधों के संबंध में कानून प्रवर्तन तंत्र को सुग्राही बनाना।

(v) महिलाओं के प्रति अपराध के सभी मामलों में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने में किसी भी प्रकार की कोई देरी नहीं होनी चाहिए।

(vi) महिलाओं के प्रति अपराध सेल संबंधी हेल्पलाइन नम्बरों को अस्पतालों/विद्यालयों/कालेज परिसरों में और अन्य उचित स्थानों पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाना चाहिए।

(vii) प्रत्येक पुलिस स्टेशन में विशिष्ट रूप से महिलाओं एवं बच्चों के प्रति अपराध डेस्क और पुलिस स्टेशनों एवं सभी महिला पुलिस थानों में आवश्यकतानुसार विशेष महिला पुलिस कक्षों की स्थापना की जानी चाहिए।

(viii) सड़कों पर सुरक्षा की स्थिति में सुधार करने के लिए राज्य सरकार के संबंधित विभागों को निम्नलिखित के संबंध में समुचित कदम उठाने चाहिए:-

(क) विशेष रूप से सुदूर और एकांत क्षेत्रों में पुलिस सहायता बूथ/कियोस्क की संख्या में बढ़ोत्तरी करना;

(ख) विशेष रूप से रात में गश्त को बढ़ाना,

(ग) मोबाइल पुलिस वैनों में महिला पुलिस अधिकारियों की संख्या में वृद्धि करना;

(घ) पुलिस से सुलभ सम्पर्क के लिए टेलीफोन बूथों की स्थापना करना;

(ङ) सभी सड़कों, एकांत क्षेत्रों और गलियों में स्ट्रीट लाइटों की स्थापना करना।

(ix) कॉल सेन्टरों की रात्रि पाली में कार्यरत महिलाओं की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाए जाने चाहिए।

(x) सभी पुलिस थानों को घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के अंतर्गत नियुक्त क्षेत्र विशेष के सुरक्षा अधिकारियों के नाम और अन्य ब्यौरे प्रदर्शित करने की सलाह दी जाय।

5.21 गृह मंत्रालय के अंतर्गत पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बी पी आर एण्ड डी) महिलाओं और बच्चों सहित समाज के सभी कमजोर वर्गों के प्रति अपराध की रोकथाम के लिए राज्यों में विभिन्न स्तरों पर पुलिस अधिकारियों को सुग्राही बनाने के लिए विभिन्न कार्यक्रम और कार्यशालाएं आयोजित करके राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता प्रदान करता रहा है।

महिलाओं और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की रक्षा और सुरक्षा पर मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों का सम्मेलन

5.22 महिलाओं और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की रक्षा और सुरक्षा से संबंधित मामले पर मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों का एक सम्मेलन 04.01.2013 को आयोजित किया गया। महिलाओं और अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों की रक्षा और सुरक्षा बढ़ाने के उपायों का पता लगाने के लिए विस्तृत विचार-विमर्श किया गया था। सम्मेलन के दौरान ध्यान दिए जाने की आवश्यकता वाले निम्नलिखित मुद्दों की ओर ध्यान आकृष्ट किया गया:-

क) महिलाओं के प्रति संवेदनशील मुद्दों और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के मामलों में पुलिस को सुग्राही बनाना

ख) पुलिस बलों में महिलाओं की भर्ती में वृद्धि करना

ग) पी सी आर वैन/महिला पी सी आर वैन शुरु करना

घ) सभी पुलिस स्टेशनों में महिला सहायता डेस्क

ङ) अधिक संख्या में सभी-महिला पुलिस स्टेशन स्थापित करना

च) ट्रेनों में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है

छ) छोटे अपराधों को सहन न करना क्योंकि सामान्यतया छोटे अपराधी अपने अपराधों को बढ़ा देते हैं

ज) सामुदायिक पुलिस व्यवस्था को सुदृढ़ करना आवश्यक है

झ) यौन-अपराधियों का राष्ट्रीय डाटा बेस शुरु करना आवश्यक है

ञ) शीघ्र विचारण

ट) भारतीय दण्ड संहिता और दण्ड प्रक्रिया संहिता में यथा आवश्यक संशोधन

ठ) किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन

ड) प्लेसमेन्ट एजेन्सियों का विनियमन

ढ) परिवहन बसों में जी पी एस लगाना

ण) विधि विज्ञान अवसंरचना का सुदृढ़ीकरण आवश्यक है

त) एफ आई आर का पंजीकरण न करने पर दण्ड

थ) महिला पीड़ितों के मामले में चिकित्सा जांच केवल महिलाओं द्वारा किया जाना है

द) विचारण के अंत तक पीड़ितों को पुलिस संरक्षण दिया जाना है

ध) फास्ट ट्रैक न्यायालयों की स्थापना करना आवश्यक है

न) पीड़ित का चरित्र हनन और अपमान रोकने के लिए न्यायालय की प्रक्रिया में परिवर्तन करना आवश्यक है

प) पीड़ितों के अधिकारों को परिभाषित करना आश्यक है

फ) अधिक महिला न्यायाधीशों और अभियोजकों की आवश्यकता है

बच्चों के प्रति अपराध

वर्ष 2007-2011 के दौरान बच्चों के प्रति अपराध की घटनाएं

क्रम सं.	अपराध शीर्ष	वर्ष					वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2011 में प्रतिशत अंतर
		2007	2008	2009	2010	2011	
1.	हत्या	1,377	1,296	1,488	1,408	1,451	3.1

2.	शिशु हत्या	134	140	63	100	63	-37.0
3.	बलात्कार	5,045	5,446	5,368	5,484	7112	29.7
4.	अपहरण एवं व्यपहरण	6,377	7,650	8,945	10,670	15,284	43.2
5.	भ्रूण हत्या	96	73	123	111	132	18.9
6.	आत्महत्या के लिए उत्प्रेरण	26	29	46	56	61	8.9
7.	अतिचार और परित्याग	923	864	857	725	700	-3.4
8.	अवयस्क बालिकाओं की खरीद	253	224	237	679	862	27.0
9.	वेश्यावृत्ति के लिए बालिकाओं की खरीद	40	30	32	78	27	-65.4
10.	वेश्यावृत्ति के लिए बालिकाओं की बिक्री	69	49	57	130	113	-13.1
11.	अन्य अपराध (बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 सहित)	6,070	6,699	6,985	7,253	7,293	0.6
	कुल	**20,410**	**22,500**	**24,201**	**26,694**	**33,098**	**24.0**

प्रवृत्ति विश्लेषण

5.23 देश में वर्ष 2010 में बच्चों के प्रति अपराध के 26,694 मामलों की तुलना में वर्ष 2011 में कुल 33,098 मामले सूचित किए गए जो 24.0% की वृद्धि दर्शाता है। आई पी सी अपराधों के अंतर्गत अपहरण एवं व्यपहरण के मामलों की संख्या वर्ष 2010 में 10,670 से बढ़कर वर्ष 2011 में 15,284 हो गई, जिसमें वर्ष 2010 की तुलना में 43.2% की वृद्धि दर्ज की गई। वेश्यावृत्ति के लिए बालिकाओं की खरीद के मामलों में वर्ष 2010 (78 मामले) की तुलना में वर्ष 2011 (27 मामले) के दौरान 65.4% की गिरावट आई। उत्तर प्रदेश ने सर्वाधिक 5,500 मामलों के साथ, वर्ष 2011 के दौरान देश में बच्चों के प्रति अपराध की 16.6% घटनाओं की सूचना दी।

अपराध दर

5.24 बच्चों के प्रति अपराध की दर में मामूली वृद्धि हुई है, जो वर्ष 2010 में 2.3 से बढ़कर वर्ष 2011 में 2.7 हो गई है।

बच्चों के प्रति अपराध को रोकने के लिए प्रशासनिक उपाय

5.25 दिनांक 14.07.2010 को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को एक विस्तृत सलाह भेजी गई थी जिसमें सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को देश में बच्चों की सुरक्षा और उनके प्रति होने वाले अपराधों का नियंत्रण सुनिश्चित करने के लिए तंत्र की प्रभावकारिता की व्यापक समीक्षा करने की सलाह दी गयी है। यह सलाह गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.nic.in पर भी उपलब्ध है। सलाह में सुझाए गए कुछ विशिष्ट कदम निम्नानुसार हैं:-

i. बच्चों के प्रति अपराध से संबंधित सभी विद्यमान विधानों अर्थात् बालश्रम निवारण (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986, किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल एवं संरक्षण) अधिनियम, 2000 (वर्ष 2006 में यथासंशोधित), बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006, अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (वर्ष 2008 में यथासंशोधित) और भारतीय दण्ड संहिता की प्रासंगिक धाराओं को कड़ाई से लागू करना।

ii. विधि प्रवर्तन तंत्र अर्थात् पुलिस और दण्ड न्याय प्रणाली के अन्य पदाधिकारियों को सुगठित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों के प्रति अपराध के संबंध में सुग्राही बनाना और किशोर न्याय और मानवाधिकार से संबंधित जानकारी कांस्टेबलों, उप-निरीक्षकों और उप-पुलिस अधीक्षकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों सहित सभी स्तरों पर विभिन्न पुलिस प्रशिक्षण अकादमियों के पाठ्यक्रमों में भी शामिल करना ।

iii. प्रत्येक पुलिस स्टेशन में अनन्य रूप से 'महिलाओं/बच्चों के प्रति अपराध' डेस्क स्थापित करना। बच्चों के प्रति अपराध के सभी मामलों में प्राथमिकी (एफ आई आर) दर्ज करने में किसी

भी प्रकार का विलम्ब नहीं होना चाहिए। प्राथमिकी में उल्लिखित सभी अभियुक्तों को तत्काल गिरफ्तार करने के सभी संभव प्रयास किए जाने चाहिएं ताकि पीड़ितों और उनके परिवार के सदस्यों में विश्वास उत्पन्न किया जा सके।

iv. बच्चों के प्रति अपराध के मामलों की पूर्णरूपेण जाँच की जानी चाहिए और जाँच की गुणवत्ता से समझौता किए बिना अपराध होने की तारीख से तीन महीने के अन्दर अभियुक्त व्यक्तियों के विरूद्ध आरोप-पत्र दायर कर दिए जाने चाहिएं। बलात्कार पीड़ितों की चिकित्सीय जाँच अविलम्ब की जानी चाहिए।

v. न केवल ऐसे अपराधों से निपटने बल्कि अपराध के बाद होने वाले सदमें से सूझबूझ से निपटने के लिए भी कदम उठाए जाने चाहिए। पेशेवर परामर्शदाताओं का पैनल बनाकर पीड़ित एवं उसके परिवार को परामर्श दिया जाना चाहिए।

vi. विद्यालयों/संस्थानों, विद्यार्थियों द्वारा उपयोग में लाए जा रहे सार्वजनिक परिवहन के साधनों, बच्चों के पार्कों/खेल के मैदानों, रिहाइशी कालोनियों/सड़कों इत्यादि में सुरक्षा की स्थिति सुनिश्चित करना। अपराध संभावित क्षेत्रों की पहचान की जानी चाहिए और विद्यार्थियों, विशेष रूप से बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ऐसे क्षेत्रों में मामूली उल्लंघनों की भी निगरानी करने के लिए तंत्र की स्थापना की जानी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जाने चाहिए:

क. बीट कांस्टेबलों की संख्या में वृद्धि करना;

ख. विशेष रूप से दूरस्थ एवं एकांत क्षेत्रों में पुलिस सहायता बूथों/कियोस्कों की संख्या में वृद्धि करना;

ग. विशेषकर रात्रि के दौरान पुलिस गश्त बढ़ाना;

vii. बच्चों के प्रति अपराध से संबंधित विधानों और बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए स्थापित तंत्र के बारे में सामान्य जागरूकता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपायों पर विचार किया जा सकता है:

क. प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से जागरूकता पैदा करना।

ख. इस प्रकार की जागरूकता पैदा करने और इसका प्रसार करने में बड़े पैमाने पर समुदाय को शामिल करना।

ग. बच्चों और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के प्रति अपराधों का मुकाबला करने के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों को शामिल करने की संभावना का पता लगाना।

घ. बच्चों के प्रति हिंसा, दुर्व्यवहार और शोषण के मामलों को रोकने के लिए सामुदायिक मानीटरिंग प्रणाली विकसित करना और इसे नियंत्रित करने के लिए आवश्यक कदम उठाना।

viii. स्थानीय पुलिस को 'चाइल्डलाइन- 1098 सर्विस' और गैर-सरकारी संगठनों के साथ, जब कभी और जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, आपसी सहायता और मदद के लिए सहयोग करने की सलाह दी जानी चाहिए।

ix. किशोर अपराधियों के संबंध में किशोर न्याय (बच्चों की सुरक्षा और संरक्षण) अधिनियम, 2000 (वर्ष 2006 में यथासंशोधित) के तहत बनाए गए नियमों के उचित कार्यान्वयन के माध्यम से केवल कानून के अनुसार कार्रवाई करनी।

x. बाल श्रम और बच्चों के किसी भी रूप में और किसी भी प्रकार के शोषण को रोकने और बालश्रम प्रतिषेध (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 को कार्यान्वित करने के लिए राज्य श्रम विभाग को सहयोग प्रदान करने के लिए सभी प्रयास किए जाने चाहिए।

xi. दुर्व्यवहार/बाल विवाह संबंधी अपराध से बच्चों की रक्षा करने के लिए, राज्य सरकारों को बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 में यथा अपेक्षित बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए और बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2005 के आयोगों के अनुसार राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग भी गठित करने चाहिए।

लापता बच्चे

5.26 गृह मंत्रालय ने लापता बच्चों का दुर्व्यापार रोकने के लिए और उनका पता लगाने के लिए आवश्यक उपायों के बारे में दिनांक 31.1.2012 को एक विस्तृत परामर्शी पत्र जारी किया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बच्चों के प्रति बलात्कार, यौन-दुर्व्यापार, बाल-अश्लीलता, अंग व्यापार आदि जैसे किसी भी जघन्य अथवा संगठित अपराध को रोकने की सलाह दी गई है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को बच्चों का दुर्व्यापार रोकने और लापता बच्चों का पता लगाने के लिए विभिन्न आवश्यक उपायों के बारे में भी सलाह दी गई थी। इनमें ये शामिल हैं: लापता बच्चों का पता लगाने को सुकर बनाने के लिए रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण, डी एन ए प्रोफाइल बनाना, गैर सरकारी

संगठनों और अन्य संगठनों को शामिल करना, सामुदायिक जागरूकता कार्यक्रम आदि।

5.27 महिला और बाल विकास मंत्रालय, गृह मंत्रालय के परामर्श से 'लापता' और 'पाए गए' बच्चों का पता लगाने के लिए एक राष्ट्रीय पोर्टल विकसित कर रहा है। इस परियोजना में लापता बच्चों का पता लगाने और पाए गए बच्चों के लिए एक विशिष्ट वेबसाइट बनाने की परिकल्पना की गई है। इसमें 'लापता' और 'पाए गए' सेक्शन सहित दो भाग बनाए गए हैं जिसमें शारीरिक विशेषताएं, लापता होने/पाए जाने का स्थल, विशेष पहचान चिन्ह आदि जैसे प्रत्येक ब्यौरे डाटाबेस में रखे जाएंगे। सर्च इंजिन सहित विशेष साफ्टवेयर विकसित किया जा रहा है और यह पाए गए बच्चों की पहचान को सुकर बनाने के लिए अपने डाटाबेस के अंदर पैरामीटरों का मिलान कर सकता है।

अवैध मानव व्यापार

वर्ष 2007-2011 के दौरान अवैध मानव व्यापार की घटनाएं

क्रम सं.	अपराध शीर्ष	वर्ष					वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2011 में प्रतिशत अन्तर
		2007	2008	2009	2010	2011	
1.	नाबालिग बालिकाओं का प्रापण (आईपीसीसी की धारा 366-क)	253	224	237	679	862	27.0
2.	बालिकाओं का आयात (आईपीसी की धारा 366-ख)	61	67	48	36	80	122.2
3.	वेश्यावृत्ति के लिए बालिकाओं की बिक्री (आईपीसी की धारा 372)	69	49	57	130	113	-13.1
4.	वेश्यावृत्ति के लिए बालिकाओं की खरीद (आईपीसी की धारा 373)	40	30	32	78	27	-65.4
5.	अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956	3,568	2,659	2,474	2,499	2,435	-2.6
	कुल	**3,991**	**3,029**	**2,848**	**3,422**	**3,517**	**2.8**

5.28 अवैध मानव व्यापार के इन शीर्षों के अंतर्गत दर्ज मामलों की कुल संख्या में पिछले 5 वर्षों के दौरान मिश्रित प्रवृत्ति देखी गई है। ब्यौरे नीचे तालिका में देखे जा सकते हैं:-

वर्ष 2007-2011 के दौरान आईपीसी अपराध, एस.एल.एल अपराध और अवैध मानव व्यापार के अंतर्गत अपराध

क्रम सं.	वर्ष	कुल आईपीसी अपराध	कुल एसएलएल अपराध	अ.मा.व्यापार के अंतर्गत मामले	अ.मा.व्यापार के अंतर्गत अपराध की दर
1.	2007	19,89,673	37,43,734	3,991	0.4
2.	2008	20,93,379	38,44,725	3,029	0.3
3.	2009	21,21,345	45,53,872	2,848	0.2
4.	2010	22,24,831	45,25,917	3,422	0.3
5.	2011	23,25,575	39,27,154	3,517	0.3

प्रवृत्ति विश्लेषण

5.29 वर्ष 2007 से 2009 तक अवैध मानव व्यापार के विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत दर्ज मामलों में लगातार गिरावट देखी गई है, लेकिन वर्ष 2010 और 2011 में वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई है। वर्ष 2010 में कुल 3,422 मामलों की तुलना में वर्ष 2011 में अवैध मानव व्यापार के कुल 3,517 मामले हुए जो वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2011 में 2.8% की वृद्धि दर्शाते हैं। वेश्यावृत्ति के लिए बालिकाओं की खरीद के मामलों में वर्ष 2010 की तुलना में वर्ष 2011 में 65.4% की गिरावट देखी गई। इसी अवधि के दौरान बालिकाओं के आयात की घटनाओं में 122.2% की वृद्धि देखी गई। वर्ष 2011 में मानव दुर्व्यापार के कुल 3,517 मामलों में से 605 मामले आन्ध्र प्रदेश द्वारा सूचित किए गए। वर्ष 2011 में पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक ने क्रमशः 481, 432, 420 और 372 ऐसे मामले सूचित किए।

अपराध दर

5.30 वर्ष 2007 और वर्ष 2009 में अवैध मानव व्यापार के अधीन अपराध दर क्रमशः 0.4 और 0.2 थी और वर्ष 2008, 2010 और 2011 में प्रत्येक वर्ष 0.3 थी। इस प्रकार, वर्ष 2007-2011 के दौरान अपराध दर में मिश्रित प्रवृत्ति दिखाई दी।

मानव व्यापार-रोधी प्रकोष्ठ

5.31 अवैध मानव व्यापार संबंधी मामलों से निपटने के लिए एक नोडल प्रकोष्ठ गठित किया गया है। यह प्रकोष्ठ, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अवैध व्यापार संबंधी डाटा एकत्र और उसका विश्लेषण करने, समस्या वाले क्षेत्रों की पहचान करने और उनके स्रोत/पारगमन/गंतव्य क्षेत्र होने के कारणों का विश्लेषण करने, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अपराधों को रोकने के लिए किए गए उपायों की मानीटरिंग करने और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल पुलिस अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें आयोजित करने के लिए उत्तरदायी है। वर्ष 2007 और 2012 के बीच राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नोडल अधिकारियों के साथ 13 समन्वय बैठकें हुई हैं। ये समीक्षा बैठकें बुनियादी स्तर पर अवैध मानव व्यापार संबंधी अपराध के मामलों को प्राथमिकता देने और प्रभावकारी अंतर-राज्य समन्वय में सहायक रही हैं।

अवैध व्यापार के प्रति विधि प्रवर्तन अनुक्रिया के सुदृढ़ीकरण संबंधी व्यापक योजना – ''प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण'' (टीओटी) कार्यक्रम और अवैध मानव व्यापार रोधी इकाइयों (एएचटीयू) की स्थापना करना

5.32 गृह मंत्रालय ने प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के माध्यम से ''अवैध मानव व्यापार के विरुद्ध भारत में विधि प्रवर्तन अनुक्रिया के सुदृढ़ीकरण'' के संबंध में एक व्यापक योजना मंजूर की है, जिसमें तीन वर्षों में पूरे देश में 330 अवैध मानव व्यापार रोधी इकाइयां (एएचटीयू) स्थापित करने और प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण (टीओटी) संघटक के माध्यम से 10,000 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव है। गृह मंत्रालय ने वर्ष 2010-2011 के लिए 115 अवैध मानव व्यापार रोधी इकाइयों की स्थापना करने के लिए सभी राज्य सरकारों को 8.72 करोड़ रूपये की निधियां जारी की हैं। सभी अवैध मानव व्यापार रोधी इकाइयां प्रचालनात्मक हो गई हैं। 93 अतिरिक्त अवैध मानव व्यापार रोधी इकाइयां विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपनी निधियों से स्थापित की गई हैं। वर्ष 2011-12 के लिए 110 और अवैध मानव व्यापार रोधी इकाइयां स्थापित करने के लिए 8.38 करोड़ रूपये की राशि जारी की गई है।

प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टी ओ टी) कार्यक्रम

5.33 इस कार्यक्रम के अधीन निम्नलिखित कार्यशालाएं/प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गएः-

(क) मानव दुर्व्यापार का मुकाबला करने के लिए क्षमता निर्माण हेतु सार्क सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के लिए दिनांक 19.11.2012 से 20.11.2012 तक नई दिल्ली में एक कार्यशाला आयोजित की गई।

(ख) देश भर में अभियोजकों के लिए क्षेत्रीय स्तर पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। वर्ष 2011-12 में अभियोजकों के लिए छह प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं।

(ग) देश भर में न्यायिक विद्वत सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं। तीन न्यायिक विद्वत सम्मेलन दिनांक 29.07.2012, 02.09.2012 और 09.09.2012 को क्रमशः चंडीगढ़, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश में आयोजित किए गए हैं।

अवैध मानव व्यापार के संबंध में राज्य सरकारों को परामर्शी पत्र

5.34 भारत सरकार ने अवैध मानव व्यापार के अपराध से निपटने की प्रभावकारिता में सुधार करने और विधि प्रवर्तन तंत्र की अनुक्रियाशीलता में वृद्धि करने के लिए विभिन्न उपाय शामिल करते हुए दिनांक 09.09.2009 को एक व्यापक और समेकित परामर्शी-पत्र जारी किया है। इसके अतिरिक्त, अवैध मानव व्यापार के अपराध को रोकने और इसका मुकाबला करने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्नलिखित विस्तृत परामर्श-पत्र भी जारी किए गए हैं:-

क) दिनांक 30.04.2012 को संगठित अपराध के रूप में अवैध मानव व्यापार पर परामर्शी पत्र।

ख) दिनांक 31.01.2012 को लापता बच्चों पर परामर्शी पत्र।

ग) दिनांक 04.01.2012 को बच्चों के प्रति साइबर अपराध रोकने और इनका मुकाबला करने हेतु परामर्शी पत्र।

5.35 ये परामर्शी-पत्र गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.mha.nic.in पर भी उपलब्ध हैं।

क्षेत्रीय कार्यदल की चौथी बैठक

5.36 दक्षिण एशिया में महिला एवं बाल अवैध व्यापार और बाल कल्याण के संवर्धन से संबंधित सार्क के अभिसमयों के कार्यान्वयन के लिए क्षेत्रीय कार्यदल की चौथी बैठक 25-26 नवम्बर, 2011 को काबुल, अफगानिस्तान में हुई थी। इस बैठक के दौरान, भारत ने सार्क सदस्य देशों के लिए अवैध मानव व्यापार पर 'प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण' पर सार्क स्तर की कार्यशाला भारत में आयोजित करने का प्रस्ताव किया। तदनुसार, 19-20 नवम्बर, 2012 को नई दिल्ली में एक सार्क स्तरीय 'प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण' कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके अतिरिक्त, भारत और बांग्लादेश के बीच गठित टास्क फोर्स की तीसरी बैठक दिनांक 08.12.2012 से 09.12.2012 तक कोक्स बाजार, बांग्लादेश में आयोजित की गई।

अपराध की स्थिति पर नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा किए गए उपाय

5.37 सरकार विभिन्न उपायों द्वारा अपराध को नियंत्रित करने के लिए अनेक कदम उठा रही है। इन उपायों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

(i) राज्य पुलिस बलों की क्षमता के निर्माण के लिए, विशेष रूप से आतंकवाद, नक्सलवाद आदि के रूप में आंतरिक सुरक्षा के समक्ष आने वाली चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एम पी एफ) की योजना मंत्रालय की एक प्रमुख योजना है। कुछ प्रमुख मदों, जिनके लिए योजना के अधीन निधियां प्रदान की गई थीं, में पुलिस स्टेशनों, आउटपोस्टों, पुलिस लाइनों का निर्माण, आवाजाही सुनिश्चित करना, आधुनिक हथियारों का प्रावधान, सुरक्षा/निगरानी/संचार विधि-विज्ञान उपकरण, प्रशिक्षण अवसंरचना का उन्नयन, पुलिस आवास, कंप्यूटरीकरण आदि शामिल हैं।

(ii) बड़े शहरों की पुलिस व्यवस्थाः अहमदाबाद, मुम्बई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और बेंगलुरू जैसे बड़े शहरों की राज्य पुलिस आवश्यकताओं के लिए निधियां दो वर्ष के लिए बड़े शहरों की पुलिस व्यवस्था के अंतर्गत उपलब्ध कराई जाएंगी।

(iii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विशेष शाखाओं का सुदृढ़ीकरण आधुनिक उपकरणों, संचार के उपकरणों आदि की दृष्टि से किया जाता है और इसके लिए भी सहायता एम पी एफ योजना के तहत प्रदान की जाती है।

(iv) क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम (सी सी टी एन एस) परियोजना का उद्देश्य समय पर अपराध तथा अपराधियों से संबंधित जानकारी के आदान-प्रदान के लिए देश के 28 राज्यों और 7 संघ राज्य क्षेत्रों में 15,000 से अधिक पुलिस स्टेशनों और लगभग 6,000 बड़े कार्यालयों को आपस में जोड़ने के लिए एक व्यापक एवं एकीकृत प्रणाली तैयार करना तथा एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्कयुक्त समाधान प्रस्तुत करना है।

(v) रंगीन चित्रनिर्माण प्रणाली (सी पी बी एस): इस साफ्टवेयर को पीड़ित अथवा गवाह द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के आधार पर अपराधियों तथा अपहृत/लापता व्यक्तियों का चित्र बनाने की सुविधा प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है।

(vi) जाली मुद्रा सूचना प्रबंधन प्रणाली (सी सी आई एम एस): इस प्रणाली से तैयार की गई रिपोर्टें सीबीआई, सेंट्रल इकोनामिक इंटेलिजेंस ब्यूरो (सी ई आई बी) इत्यादि को प्रस्तुत की जाती हैं।

(vii) मोटर वाहन समन्वय प्रणाली (एम वी सी एस): चुराए गए तथा बरामद किए गए मोटर वाहनों के समन्वय के लिए तैयार की गई है।

(viii) तलाश सूचना प्रणालीः लापता, अपहृत, वांछित, पता लगाए गए, गिरफ्तार किए गए, अज्ञात व्यक्तियों और अज्ञात शवों के मिलान के लिए विकसित की गई है।

(ix) आग्नेयास्त्र समन्वय प्रणालीः चोरी तथा बरामद किए गए आग्नेयास्त्रों के समन्वय में सहायता प्रदान करती है और इसका प्रयोग मुख्य रूप से विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किया जाता है।

(x) पुलिस का प्रशिक्षणः एन सी आर बी में अंगुलिप छाप तथा कंप्यूटरों और कंप्यूटर केन्द्र प्रबंधन पर तकनीकी प्रशिक्षण सहित अपराध रिकार्ड के प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में राज्य पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक कार्यक्रम है। एन सी आर बी भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों के लिए वर्ष 1986 से और विदेशी पुलिस अधिकारियों के लिए वर्ष 1990 से सूचना प्रौद्योगिकी और अंगुलिछाप विज्ञान के संबंध में पाठ्यक्रम आयोजित कर रहा है।

(xi) पारदर्शी भर्ती पक्रिया (टी आर पी): इस परियोजना का उद्देश्य सरल एवं सुपरिभाषित प्रक्रियाएं लागू करके और ओ एम आर शीट, लम्बाई और वजन की डिजिटल रिकार्डिंग, आर एफ आई डी चिप्स, सी सी टी वी, वीडियोग्राफी और बायोमीट्रिक डिवाइस आदि जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके पुलिस कर्मियों की स्पष्ट, निष्पक्ष, पारदर्शी, वस्तुपरक, अभेद्य, वैज्ञानिक और योग्यता पर आधारित भर्ती सुनिश्चित करना है।

(xii) सामुदायिक परामर्श केन्द्र (सी सी सी): इस परियोजना का उद्देश्य स्वैच्छिक संगठनों और अन्य कुशल व्यक्तियों एवं व्यावसायिक परामर्शदाताओं की भागीदारी से महिलाओं, बच्चों और समाज के अन्य संवेदनशील वर्गों पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले पारस्परिक विरोधों के समाधान को सुकर बनाना है।

(xiii) पुलिस कार्मिकों के लिए साफ्ट कौशल प्रशिक्षण माड्यूलः इस परियोजना का उद्देश्य पुलिस कर्मियों को नागरिकों के अनुकूल और सेवा अभिमुखी बनाने और उनमें सकारात्मक और सहायता की भावना विकसित करने के लिए उनके विचारों और व्यवहार में सुधार लाना है।

(xiv) घटना पर प्रभावकारी कार्रवाई के लिए डायल 100: इसका प्रयोजन आधुनिक नियंत्रण कक्ष, कंप्यूटरीकृत प्रेषण, जी पी एस से लैस वाहन आदि उपलब्ध कराके सक्रिय पुलिस कार्रवाई प्रबंधन शुरु करना है।

❖❖❖

अध्याय VI मानवाधिकार और राष्ट्रीय एकता

मानवाधिकार

6.1 भारत के संविधान में लगभग सभी सिविल और राजनीतिक अधिकारों के सुरक्षोपायों के संबंध में उपबंध और उनकी गारंटी विद्यमान है। सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक अधिकारों, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों के प्रोत्साहन और बचाव को सुनिश्चित करने हेतु राज्यों को राज्य के नीति निदेशक तत्वों की आवश्यकता है ताकि समाज के सभी वर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता में समग्र सुधार लाने के लिए समान और न्यायसंगत सामाजिक व्यवस्था स्थापित की जा सके। हमारे देश के सिविल और आपराधिक कानून भी व्यक्तिगत अधिकारों की सुरक्षा के स्थायी तंत्र हैं और समाज के सबसे कमजोर वर्गों को विशेष सुरक्षा प्रदान करते हैं।

6.2 इसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) का गठन करके और राज्य मानवाधिकार आयोगों (एसएचआरसी) के गठन की व्यवस्था करके मानवाधिकारों के उल्लंघनों से निपटने हेतु एक मंच प्रदान किया है।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन एच आर सी)

6.3 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन एच आर सी) का गठन मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अधीन किया गया था। इसके अध्यक्ष, भारत के उच्चतम न्यायालय के भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश होते हैं। एन एच आर सी का एक मुख्य कार्य शिकायत प्राप्त करना और सरकारी कर्मचारियों द्वारा लापरवाही के जरिये भूलचूक से किए गए मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच पड़ताल शुरू करना और मानवाधिकारों के उल्लंघन को रोकना है।

6.4 वर्ष 2012-13 (दिनांक 01.04.2012 से 31.12.2012 तक की अवधि) के दौरान विचारार्थ 80,764 मामले दर्ज किए गए और आयोग ने 66,346 मामले निपटाए हैं, जिनमें पिछले वर्षों के अग्रेनीत मामले भी शामिल हैं। आयोग ने मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 (मानवाधिकार संरक्षण (संशोधन) अधिनियम, 2006 द्वारा यथासंशोधित) के अनुरूप राज्य मानवाधिकार आयोगों द्वारा निपटान के लिए उन्हें 7,045 मामले अंतरित भी किए हैं। उक्त अवधि के दौरान, आयोग ने 275 मामलों में अंतरिम राहत के रूप में 8.67 करोड़ रू. के भुगतान की सिफारिश की।

मामलों की जांच-पड़ताल

6.5 दिनांक 01.04.2012 से 31.12.2012 की अवधि के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जांच प्रभाग को निदेश दिया गया था कि वे नागरिक और राजनीतिक अधिकारों तथा सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के कथित उल्लंघन के 22 मामलों की तत्काल जांच करें। 17 मामलों में जांच पूरी कर ली गई है और 5 मामलों की जांच प्रगति पर है।

6.6 दिनांक 01.04.2012 से 31.12.2012 तक की अवधि के दौरान, एन एच आर सी के जांच-पड़ताल विभाग ने न्यायिक हिरासत में हुई मृत्यु के 1,931 मामलों और पुलिस हिरासत में हुई मृत्यु के 141 मामलों सहित हिरासत में हुई मृत्यु के कुल 2,072 मामलों में कार्रवाई की है। इस प्रभाग ने पुलिस मुठभेड़ में हुई मृत्यु के 66 मामलों में भी कार्रवाई की है।

वैधानिक पूर्ण आयोग

6.7 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 3(3) के अनुसार, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षों को मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 के खण्ड (ख) से (ञ) में निर्दिष्ट कार्यों को करने और इन कार्यों को करने के लिए किए जाने वाले कार्यक्रमों और परियोजनाओं को पूरा करने के प्रयोजन के लिए आयोग का सदस्य माना जाता है। ये कार्य वैधानिक पूर्ण आयोग को सौंपे गए थे, जिनमें राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

और राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष शामिल हैं। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग का अध्यक्ष पूर्ण आयोग की बैठकों में विशेष आमंत्रिती होता है।

6.8 वैधानिक पूर्ण आयोग की बैठक तिमाही आधार पर अर्थात प्रत्येक तिमाही के पहले मास के अन्तिम शुक्रवार को बुलाई जाती है। तथापि, आयोग के समक्ष रखी गई मदों की संख्या और मुद्दों की गम्भीरता के आधार पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष द्वारा यथा आवश्यक पाए जाने पर बैठक की आवृत्तियों में परिवर्तन किया जा सकता है। वैधानिक पूर्ण आयोग की पिछली बैठक 07.12.2012 को हुई थी। वैधानिक पूर्ण आयोग की पिछली बैठक आयोग में दिनांक 7.12.2012 को आयोजित की गई थी।

राज्य मानवाधिकार आयोग

6.9 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 21 में सभी राज्यों में भी राज्य मानवाधिकार अयोगों (एस एच आर सी) के गठन का प्रावधान है। राज्यों में मानवाधिकार आयोग की मौजूदगी और कार्यकरण मानवाधिकारों के संरक्षण की बेहतरी में लम्बी दूरी तक जाएगा। अब यह स्वीकृत मत है कि अच्छा शासन और मानवाधिकार साथ-साथ मिलकर रहते हैं।

6.10 राज्य सरकारों से मिली सूचना के अनुसार अब तक 23 राज्यों ने राज्य मानवाधिकार आयोगों का गठन कर लिया है। ये राज्य हैः-आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक केरल, जम्मू और कश्मीर, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र मणिपुर ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, गोवा और पश्चिम बंगाल।

6.11 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सहयोग और भागीदारी के क्षेत्रों का पता लगाने और उनको और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए राज्य मानवाधिकार आयोगों के साथ नियमित बातचीत करता है।

6.12 दिनांक 17.08.2010 को हुई बैठक की सिफारिशों के आधार पर, राज्य मानवाधिकार आयोगों के आधारभूत ढांचे, न्यूनतम जनशक्ति और वित्तीय आवश्यकताओं से सम्बन्धित मुद्दों की जांच करने हेतु राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य जस्टिस श्री जी.पी. माथुर की अध्यक्षता में और कर्नाटक राज्य मानवाधिकार अयोग के अध्यक्ष और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष को सदस्य के रुप में शामिल करके राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक समिति गठित की गई थी ताकि वे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत उन्हें सौंपे गए कार्य निपटा सकें और राज्य मानवाधिकार आयोगों द्वारा शिकायतों के निपटान हेतु मार्गदर्शी सिद्धांत विकसित कर सकें। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है जिसकी जांच की जा रही है।

अन्तरराष्ट्रीय सहयोग

6.13 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकारों के संर्वधन और संरक्षण के लिए अन्तरराष्ट्रीय समन्वय समिति (आई सी सी) के राष्ट्रीय संस्थानों का सदस्य है और राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के एशिया पेसिफिक फोरम (एपीएफ) का संस्थापक सदस्य है। आयोग ने वर्ष के दौरान आई सी सी/ए पी एफ की निम्नलिखित बैठकों में भाग लियाः-

(क) भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एन एच आर सी) के अध्यक्ष और सदस्य वाले एक प्रतिनिधिमण्डल ने दिनांक 19.03.2012 से 22.03.2012 तक जिनेवा में हुई आई सी सी -25 बैठक में भाग लिया।

(ख) भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के महासचिव ने दिनांक 24.05.2012 से 25.05.2012 तक सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में हुई एशिया पेसिफिक फोरम सीनियर एक्जीक्यूटिव ऑफिसर की गोल मेज बैठक में भाग लिया।

(ग) अध्यक्ष, सदस्य और अवर सचिव वाले भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के एक प्रतिनिधिमण्डल ने दिनांक 5.11.2012 से 08.11.2012 तक अमन, जार्डन स्थित लि रॉयल होटल में एशिया पेसिफिक फोरम की नेशनल ह्यूमन राइट्स इन्स्टीट्यूशन की 11वीं इन्टरनेशनल कांफ्रेंस और साइड इवेंट ऑन बिजनेस विमेन एण्ड चिल्ड्रेन राइट्स पर आयोजित क्षेत्रीय समूह बैठक में भाग लिया।

6.14 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिकारियों ने निम्नलिखित अन्तरराष्ट्रीय कार्यशालाओं/सेमिनारों/प्रशिक्षणों आदि में भाग लियाः-

(क) दिनांक 22.02.2012 से 23.02.2012 तक सर्बिया, बेलग्रेड में आयोजित राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों और संसदों के बीच सम्बन्ध के बारे में विशेषज्ञों का अन्तरराष्ट्रीय सेमिनार।

(ख) दिनांक 19.03.2012 से 28.03.2012 तक बैंकाक, थाइलैण्ड में एशिया पेसिफिक क्षेत्र के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के प्रतिनिधियों के लिए ब्लेंडेड लर्निंग कोर्स पर फेस-टू-फेस प्रशिक्षण कार्यशाला।

(ग) दिनांक 04.04.2012 से 05.04.2012 तक ढाका, बांग्लादेश में आयोजित मानवाधिकार, भूमि और भोजन पर लोगों का अधिकार विषय पर दक्षिण एशिया क्षेत्रीय कार्यशाला।

(घ) दिनांक 18.06.2012 से 22.06.2012 तक फिलिपीन्स में आयोजित पायलट ट्रेनिंग आफ ट्रेनर (टी ओ टी) ब्लेंडेड लर्निंग कोर्स पर फेस-टू-फेस रीजनल कार्यशाला।

(ड.) दिनांक 26.06.2012 से 30.06.2012 तक कुआलालम्पुर, मलेशिया में एन एच आर आई लाइब्रेरी और रिसोर्स सेन्टर मैंनजमेन्ट पर कार्यशाला।

(च) दिनांक 09.07.2012 से 13.07.2012 तक मोम्बासा, केन्या में आयोजित कारगर शिकायत निपटान प्रणाली की स्थापना पर एन एच आर आई ए के लिए आर डब्ल्यू आई/एन ए एन एच आर आई उप-क्षेत्रीय कार्यशाला।

(छ) दिनांक 19.09.2012 से 21.09.2012 तक जिनेवा में आयोजित युनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू (यू पी आर) पर भारत की रिपोर्ट अपनाना विषय पर मानवाधिकार परिषद का सम्पूर्ण सत्र।

(ज) दिनांक 02.10.2012 से 03.10.2012 तक रबात, मोरक्को में ''मानवाधिकारः विश्वव्यापकता और अविभाज्यता'' पर आयोजित अन्तरराष्ट्रीय विचार-गोष्ठी।

(झ) दिनांक 14.10.2012 से 18.10.2012 तक दोहा, कतर में ए पी एफ के समर्थन से डिप्लोमेसी ट्रेनिंग प्रोग्राम (डी टी पी) और माइग्रैंट फोरम एशिया द्वारा आयोजित प्रवासी कामगारों के अधिकार विषय पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम।

(ञ) दिनांक 26.11.2012 से 27.11.2012 तक काठमाण्डू में एशिया पेसिफिक रीजन के प्रवासी कामगारों के मानवाधिकारों के संवर्धन और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय संस्थानों के सहयोग के सम्बन्ध में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और नेपाल अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन।

(ट) दिनांक 26.11.2012 से 05.12.2012 तक बैंकाक, थाइलैण्ड में एशिया पेसिफिक रीजन के राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों के लिए आर डब्ल्यू आई/ए पी एफ रीजनल ब्लेंडेड लर्निंग कोर्स।

आयोग में विदेशी प्रतिनिधि मण्डल के साथ बातचीत

6.15 दिनांक 17.02.2012 को यूरोपियन पार्लियामेन्ट की सदस्य सुश्री क्रिस्टिना ओरोवाई ने आयोग का दौरा किया और अध्यक्ष, सदस्य, महासचिव, महानिदेशक (जांच) और संयुक्त पंजीयक (विधि) के साथ आयोग के सदस्यों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जेलों के कार्यकरण को मानिटर करने के लिए जेलों के दौरों सहित हिरासत में मौतों और पुलिस कार्रवाई में मौतों जैसे मुद्दों परविचार- विमर्श किया।

6.16 दिनांक 6.03.2012 को तीन सदस्यीय प्रतिनिधिमण्डल नामतः एशिया-पेसिफिक और मिडिल ईस्ट नार्थ अफ्रीका ब्रांच के चीफ श्री हैनी मेगाली और सुश्री चित्रा मैसी, उपनिदेशक मानव संसाधन कार्यालय, ईराक द्वारा आयोग का दौरा किया गया और भारत के सम्बन्ध में मानवाधिकार उच्चायुक्त के कार्यालय की वचनबद्धता/व्यस्तता के क्षेत्रों का पता लगाने के बारे में अध्यक्ष, महासचिव और सदस्य के साथ विचार विमर्श किया।

6.17 दिनांक 26.06.2012 को 18 सदस्यों के प्रतिनिधिमण्डल, जिसमें गैर-सरकारी संगठन, इन्टरनेशनल डिवेलपमेन्ट लॉ आर्गेनाइजेशन (आई डी एल ओ), सेन्टर फार लीगल एड एण्ड राइटस (सी एल ए आर), इंडिया एच आई वी/ए आई डी एस अलायंस और यू एन डी पी शामिल थे, ने आयोग का दौरा किया और क्षेत्रीय राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थान परियोजना-समावेश, स्वास्थ्य का अधिकार और सेक्सुअल ओरिएन्टेशन एण्ड जेन्डर आइडेन्टिटी (एस ओ जी आई) सम्बन्धी मानवाधिकारों के सम्बन्ध में महासचिव, के साथ विचार-विमर्श किया।

6.18 यूक्रेन के पूर्ण-अधिकारी और विशेष राजदूत श्री अलेक्जेंडर शेवचेन्को ने दिनांक 14.08.2012 को आयोग का दौरा किया और भारत के भूभाग में रहने वाले यूक्रेन के नागरिकों के अधिकारों और हितों के संरक्षण सम्बन्धी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष से विचार-विमर्श किया।

6.19 अफगानिस्तान इंडिपेडेंट ह्यूमन राइट्स कमीशन के आयुक्त, श्री अहमद लंगारी की अध्यक्षता में तीन सदस्यों वाले एक प्रतिनिधिमण्डल ने ए आई एच आर सी, एन एच आर सी, भारत और यू एन डी पी अफगानिस्तान के बीच हस्ताक्षरित समझौता-ज्ञापन (एम ओ यू) के एक भाग के रुप में कार्य योजना विकसित करने के लिए दिनांक 04.05.2012 से 08.05.2012 तक आयोग का दौरा किया।

6.20 म्यांमार के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष श्री विन म्रा की अध्यक्षता में पांच सदस्यों के एक प्रतिनिधि मण्डल ने भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम पद्धतियों के मुद्दों पर चर्चा करने हेतु दिनांक 22.05.2012 से 24.05.2012 तक आयोग का दौरा किया।

6.21 नेपाल के राष्ट्रीय दलित आयोग की अध्यक्ष सुश्री सुशीला सिरपाली (ठाकुरी) की अध्यक्षता में चार सदस्यों के एक प्रतिनिधिमण्डल ने दिनांक 12.12.2012 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात की।

गैर- सरकारी संगठनों का कोर ग्रुप

6.22 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12(झ) के अनुरूप, आयोग गैर-सरकारी संगठनों (एन जी ओ) और मानवाधिकारों के क्षेत्र में कार्यरत संस्थानों के प्रयासों को बढ़ावा देता रहा है। इस संबंध में, आयोग ने निगरानी तंत्र के रूप में कार्य करने के प्रयोजन से सदस्यों के रूप में चुनिंदा गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के एक कोर ग्रुप का गठन किया है। आयोग में 11 सदस्यों वाले एन जी ओ के कोर ग्रुप का दिनांक 16.09.2011 को पुनर्गठन किया गया है। आयोग में एन जी ओ के कोर ग्रुप की पिछली बैठक दिनांक 10.02.2012 को आयोजित की गई थी।

आयोग की शिविर बैठकें/खुली सुनवाई

6.23 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मानवाधिकारों के बेहतर संरक्षण और संवर्धन के लक्ष्य के मद्देनजर मामलों का शीघ्र निपटान सुनिश्चित करने हेतु राज्यों में कैम्प कमीशन बैठकें आयोजित करता रहा है।

6.24 यह बैठक आयोग के साथ-साथ राज्य सरकार को एक दूसरे के मतों को समझने का अच्छा अवसर प्रदान करती है। यह आयोग को, राज्यों द्वारा महत्वपूर्ण मुद्दों पर की गई कार्रवाई का जायजा लेने का अवसर भी प्रदान करती है। शिविर बैठकों के दौरान, आयोग लम्बित महत्वपूर्ण मामलों और राज्य से सम्बन्धित मानवाधिकार के मुद्दों पर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक, जिला मजिस्ट्रेटों, विशेष पुलिस अधीक्षकों, पुलिस अधीक्षकों और सम्बन्धित अधिकारियों के साथ चर्चा करता है। डिविजनल वेंच-I और II और सिंगल बेंच में सुनवाई करता है। बंधुआ मजूदरी, बालश्रम, मानसिक स्वास्थ्य, किशोर न्याय, वृद्धावस्था पेंशन, मानवाधिकार जागरुकता कार्यक्रम आदि जैसे लम्बित महत्वपूर्ण मानवाधिकार के मुद्दों पर राज्य के प्राधिकारियों के साथ चर्चा की जाती है। स्थानीय गैर सरकारी संगठनों और प्रेस, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ एक पारस्परिक बैठक भी की जाती है। वर्ष के दौरान आयोग द्वारा दिनांक 28.05.2012 और 29.05.2012 को गुवाहाटी में और दिनांक 30.05.2012 को शिलांग में शिविर बैठकें आयोजित की गई थीं।

6.25 आयोग ने, हाल ही में देश के विभिन्न राज्यों में अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों के सम्बन्ध में खुली सुनवाई/बैठकें आयोजित करना भी शुरु किया है। अब तक आयोग ने भुवनेश्वर, ओडिशा में दिनांक 09.04.2012 से 12.04.2012 तक, अहमदाबाद गुजरात में 14.05.2012 को, मदुरै/चैन्नई, तमिलनाडु में 7.08.2012 से 09.08.2012 तक और 13.09.2012 से 14.09.2012 तक जयपुर, राजस्थान में ऐसी खुली सुनवाई/बैठकें आयोजित की हैं। आयोग का दिनांक 28.01.2013 से 31.01.2013 तक नागपुर, और मुम्बई, महाराष्ट्र में खुली सुनवाई/बैठकें आयोजित करने का भी प्रस्ताव है।

लापता बच्चों के मामले की जांच के लिए समिति

6.26 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के एक पड़ोसी गांव नामतः नोएडा में निठारी से लापता बच्चों के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए, लापता बच्चों के मामले की गहराई से जांच करने हेतु एक समिति बनाई थी। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को भेजी गईं समिति की सिफारिशों में दो महत्वपूर्ण सिफारिशें शामिल की गई थी अर्थात् (i) अनिवार्य रुप से रिपोर्ट करने की एक ऐसी प्रक्रिया विकसित करना जिसमें देश भर में लापता बच्चों की रिपोर्ट एन सी पी सी आर को लापता होने के 24 घण्टे के भीतर दी जाए और (ii) यदि रिपोर्ट की तारीख से 15 दिन के भीतर लापता बच्चे का पता न लगाया जा सके तो एफ आई आर दर्ज करने की समय सीमा तय की जाए। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से मिली प्रतिक्रिया पर विचार-विमर्श करने, चर्चा करने और अद्यतन बनाने के लिए 15.01.2013 को एक राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस रखी गई है।

प्री-कन्सेप्शन एवं प्री-नेटल डायग्नोस्टिक तकनीकें

6.27 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा यू एन पी एफ ए के सहयोग से ''रिसर्च एण्ड रिव्यू टू स्ट्रेन्थन प्री-कन्सेप्शन एण्ड प्री-नेटल डायग्नोस्टिक टेकनीक्स (प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स

सेलेक्शन) एक्ट्स इम्लीमेन्टेशन ''एक्रास की स्टेट्स'' नामक एक संयुक्त अनुसंधान परियोजना शुरु की गई है। इस विषय में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से सूचना एकत्र की जा रही है।

कुष्ठ

6.28 आयोग कुष्ठ प्रभावित लोगों के मानवाधिकारों के बारे में अत्यधिक चिन्तित रहा है। यह पाया गया है कि यद्यपि कुष्ठ रोग आसानी से साध्य है, तथापि कुष्ठ से रोगमुक्त लोगों को इस कलंक और भेदभाव का सामना करने की गम्भीर समस्या बनी रहती है। आज भी ऐसे लोग, जिन्हें कुष्ठ हुआ था, ठीक हो जाने के बावजूद प्रायः समाज से अलग जीवन बिताते हैं। इससे वे सामाजिक रुप से असुरक्षित और आर्थिक रुप से कमजोर हो जाते हैं। अतः राज्य का कर्त्तव्य हो जाता है कि वह ऐसी सकारात्मक कार्रवाई करे जिससे कुष्ठ प्रभावित सभी लोग सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकें। इस मुद्दे पर तत्काल ध्यान केन्द्रित करना आवश्यक है।

6.29 उपर्युक्त मुद्दे पर चर्चा करने के लिए आयोग ने कुष्ठ पर दिनांक 18.09.2012 को नई दिल्ली में एक-दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था। इस सम्मेलन में इस विषय से सम्बन्धित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, राज्य मानवाधिकार आयोगों, केन्द्रीय मंत्रालयों और कुष्ठ के क्षेत्र में कार्यरत गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कुष्ठ पर राष्ट्रीय सम्मेलन से उभरे सुझाव/सिफारिशें सभी हितधारियों को भेज दी गई हैं।

सिलिकोसिस

6.30 आयोग सिलिकोसिस के उभरते स्वास्थ्य जोखिमों के बारे में गंभीर रूप से चिंतित है और सिलिकोसिस प्रवण उद्योगों में कार्यरत श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा करता रहा है। सिलिकोसिस स्वास्थ्य और मानवाधिकार दोनों का मुद्दा है, क्योंकि इसका प्रभाव जीने का अधिकार और सम्मान के साथ रहने के अधिकार दोनों पर पड़ता है। यह बीमारी मुक्त क्रिस्टलिन सिलिका वाली धूल श्वास द्वारा अंदर जाने के कारण होती है। क्रिस्टलिन सिलिका अथवा सिलिकान डाइआक्साइड क्वाट्र्ज, सैंडस्टोन,फ्लिंट, स्लेट, कई खनिज अयस्कों और मिट्टी की ईंटों, कंक्रीट, मोर्टार और टाइलों सहित कई आम भवन निर्माण सामग्रियों में पाई जाती है।

6.31 जैसा कि पिछले वर्ष की रिपोर्ट में बताया गया था, एन एच आर सी द्वारा संस्तुत निवारक, पुनर्वास संबंधी और सुधारक उपायों के संबंध में राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा की गई कार्रवाई का मूल्यांकन करने के प्रयोजन से क्षेत्रीय पुनरीक्षा बैठकों की एक श्रृंखला आयोजित की गई। इस वर्ष, आयोग द्वारा राज्यों की पुनरीक्षा बैठकें आयोजित करके अपनी सिफारिशों के कार्यान्वयन की पुनरीक्षा को जारी रखा गया है। इस प्रयोजनार्थ, 6 राज्यों अर्थात उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, गोवा, उत्तराखण्ड और पंजाब को शामिल करके दिनांक 04.05.2012 को आयोग में एक पुनरीक्षा बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में सम्बन्धित राज्य सरकारों के अधिकारियों के अतिरिक्त, केन्द्रीय श्रम एवं रोजगार मत्रांलय, खान सुरक्षा महानिदेशालय, भारतीय राज्य कर्मचारी बीमा निगम और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

6.32 अधिनियम की धारा 12(ज) में यह परिकल्पना की गई है कि एन एच आर सी समाज के विभिन्न वर्गों के बीच मानवाधिकार संबंधी साक्षरता को बढ़ावा देगा और सरकार और स्थानीय निकायों आदि में विभिन्न कार्यकर्ताओं को सुग्राही बनाकर प्रकाशनों, मीडिया, संगोष्ठियों और अन्य उपलब्ध साधनों के माध्यम से इन मानवाधिकारों की रक्षा करेगा। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग सरकारी कार्यकरणों विशेष रुप से पुलिस, छात्रों, गैर-सरकारी संगठनों और जनसाधारण के बीच मानवाधिकारों की जागरुकता फैलाने में शामिल है।

6.33 एन एच आर सी का प्रशिक्षण प्रभाग प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों, पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों, राज्य मानवाधिकार आयोगों, विश्वविद्यालय और कालेजों और विश्वसनीय गैर-सरकारी संगठनों (एन जी ओ) के माध्यम से समाज में मानवाधिकार संबंधी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के सहयोग से मानवाधिकार-साक्षरता का प्रसार कर रहा है। इनके अतिरिक्त राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपने परिसर में युनिवर्सिटी/विभिन्न राज्यों के कालेज के विद्यार्थियों के लिए एक वर्ष में दो बार एक महीने का इंटर्नशीप कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है।

6.34 वर्ष 2012-13 (31.12.2012 तक) के दौरान, चालू वित्त वर्ष के दौरान 01 इन्टर्नशिप कार्यक्रम के अतिरिक्त मानवाधिकारों और सम्बन्धित मुद्दों पर 46 प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए गए थे। इसके अतिरिक्त, बड़ी संख्या में छात्रों को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के साथ लघु-अवधि के इन्टर्नशिप का

अवसर दिया गया । मानवाधिकार के मुद्दों पर कई सेमिनार/सम्मेलन आयोजित किए गए। विश्वविद्यालय/कालेजों के छात्रों के कुछ प्रतिनिधिमण्डलों को आयोग की कार्यशैली और मानवाधिकार के मुद्दों पर सुग्राही बनाया गया।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के प्रकाशन

6.35 लोगों में अपने मानवाधिकारों के बारे में जागरुकता उत्पन्न करने के लिए, आयोग ने वर्ष के दौरान (दिनांक 01.04.2012 से 31.12.2012 तक), निम्नलिखित प्रकाशन निकाले हैं:

(i) 'अन्तरराष्ट्रीय मानवाधिकार अभिसमयों पर पुस्तिका, मानवाधिकार-वर्ष 2011 और 2012 के लिए नई दिशाएं' (हिन्दी में), 'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की उपलब्धियां 1993-2006 वाल्यूम-I और 2007-11 वाल्यूम II, 'राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की पत्रिका 2012', 'मानसिक स्वास्थ्य संस्थानों में देखभाल और चिकित्सा-हाल की अवधि की कुछ झलकियां,' मानवाधिकार संचयिका' (हिन्दी में), 'श्री पी.सी. शर्मा के चुनिन्दा लेख और भाषण और आयोग की खुली सुनवाईयां' नामक एक पुस्तक का प्रकाशन।

(ii) जाने अपने अधिकार शृंखला की हिदी और अंग्रेजी में पाँच पुस्तिकाएँः बंधुआ मजदूरी, अशक्त व्यक्तियों के अधिकार, कार्य करने का अधिकार, मानवाधिकार और एच आईवी/एड्स और पर्याप्त आश्रय का अधिकार।

(iii) एन एच आर सी की वर्ष 2011 की अंग्रेजी पत्रिका।

(iv) ''जाने अपने अधिकार शृंखला'', ''मानवाधिकार डोजियर'', ''संक्षेप में-आपराधिक न्याय से सम्बन्धित मानवाधिकार की सर्वोत्तम प्रक्रियाएं, प्रारम्भकर्ताओं के लिए मानवाधिकार शिक्षा आदि शीर्षक वाली पूर्व प्रकाशित 18 विशिष्ट पुस्तकों का पुनः मुद्रण।

बंधुआ मजदूरी और बालश्रम

6.36 आयोग द्वारा बंधुआ मजदूरी और बालश्रम प्रथा के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य, जस्टिस श्री बी.सी. पटेल की अध्यक्षता में दिनांक 07.09.2012 को उत्तर प्रदेश, लखनऊ में और 21.09.2012 को हरियाणा, कुरुक्षेत्र में दो कार्यशालाएं आयोजित की गई थीं। कार्यशाला का उद्देश्य जिला मेजिस्ट्रेटों, उप-क्षेत्रीय मेजिस्ट्रेटों, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों और श्रम विभाग के अधिकारियों को समाज में बंधुआ मजदूरी और बालश्रम का सामना करने हेतु सुग्राही बनाना था। ये कार्यशालाएं राज्य सरकारों के साथ संयुक्त रुप से आयोजित की गई थीं।

6.37 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जांच और विधि प्रभाग के अधिकारियों के एक दल द्वारा उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बंधुआ मजदूरी बहुल कुछ जिलों में ईंटों के भट्ठों के आकस्मिक दौरे किए गए। ये आकस्मिक दौरे दिनांक 09.07.2012 से 12.07.2012 तक बुलंदशहर, मेरठ, गाजियाबाद और बागपत (उत्तर प्रदेश) और 23.07.2012 से 27.07.2012 तक झज्जर, भिवानी, सोनीपत और पानीपत (हरियाणा) में किए गए थे।

हिरासत में न्याय

6.38 मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 12 (ग) के उपबंधों के तहत आयोग, राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन किसी जेल अथवा किसी अन्य संस्थान, जहाँ कैदियों को उपचार, सुधार अथवा संरक्षण के लिए रोका अथवा रखा जाता हो, की दशाओं का अध्ययन करने के लिए और उन पर सिफारिश करने के प्रयोजन से राज्य का दौरा करता है। हिरासत में न्याय का मुद्दा इसके प्रारम्भ से ही आयोग की सतत चिंता का विषय रहा है। सदस्यों, विशेष रिपोर्टरों और जेलों का दौरा करने वाले सदस्यों की रिपोर्टों की सूचनाओं के माध्यम से कैदियों के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे आदि आयोग के ध्यान में लाए जाते हैं।

6.39 उक्त अवधि के दौरान, विशेष रिपोर्टरों द्वारा 7 राज्यों अर्थात पश्चिम बंगाल, झारखण्ड, छत्तीसगढ़, पंजाब, आंध्र प्रदेश, असम और मेघालय की 13 विभिन्न जेलों/किशोर गृहों/सुधार गृहों/पुलिस बन्दी गृहों का दौरा किया गया।

6.40 सदस्यों अथवा विशेष रिपोर्टरों द्वारा जेलों के दौरों पर विशेष रिपोर्टरों की रिपोर्टें समय-समय पर आयोग के समक्ष रखी जाती हैं और उचित सिफारिशों के साथ संबंधित प्राधिकारियों को अग्रेषित की जाती हैं।

वृद्ध व्यक्ति

6.41 आयोग को वृद्ध लोगों के मानवाधिकारों के संरक्षण और उन्नयन के प्रति गंभीर चिंता है। मूल मानवाधिकारों की बेहतर समझ प्राप्त करने तथा वृद्ध लोगों के अधिकारों के संरक्षण के प्रयोजन से आयोग ने 'एजवेल फाउंडेशन' नई दिल्ली से प्राप्त एक अनुसंधान परियोजना प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस परियोजना का शीर्षक है ''वृद्ध व्यक्तियों में सुरक्षा की भावना

एवं उनके मानवाधिकार''। आयोग ने एजवैल फाउंडेशन को इस परियोजना के लिए 2 लाख रुपए वित्तीय सहायता के रुप में मंजूर किए हैं।

भोजन का अधिकार

6.42 आयोग द्वारा 18 मास की अवधि के लिए ''बिहार और उत्तर प्रदेश के गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के बीच भोजन के अधिकार की प्रचलित स्थिति का अध्ययन'' नामक एक दीर्घकालीन परियोजना का अनुमोदन किया गया है। आयोग ने इस परियोजना के लिए ग्रामीण विकास के लिए **हरियाली** केन्द्र, नई दिल्ली को 5.27 लाख रुपए की वित्तीय सहायता मंजूर की है।

6.43 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विशेष रिपोर्टर, साउथ जोन-II ने तिरुपति, आंध्र प्रदेश में मिड डे मील (एम डी एम) कार्यक्रम से सहायता प्राप्त विद्यालयों का निरीक्षण करने हेतु 03.09.2012 से 04.09.2012 तक आंध्र प्रदेश में तिरुपति का दौरा किया है।

6.44 आयोग ने 4 जनवरी, 2013 को नई दिल्ली में भोजन का अधिकार पर एक सम्मेलन भी आयोजित किया है।

अनुसूचित जातियां

6.45 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विशेष रिपोर्टर ने उत्तर प्रदेश के बांदा जिले का, जहां अनुसूचित जाति समुदाय पर अत्याचार की बड़ी घटनाएं हुई, वहां सामाजिक रिश्तों की अद्यतन स्थिति और पीड़ित समुदाय पर उनके प्रभावों और अत्याचार बहुल क्षेत्रों तथा अत्याचार से पीड़ित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए कार्रवाई योजना बनाने के लिए प्रतिक्रियाएं (फीडबैक) एकत्र करने हेतु दिनांक 23.04.2012 से 28.04.2012 तक दौरा किया ।

समझौता ज्ञापन

6.46 आयोग ने संयुक्त रुप से अनुसंधान, प्रशिक्षण और अन्य मानवाधिकार गतिविधियों के लिए भारतीय विधि संस्थान, नई दिल्ली के साथ दिनांक 27.09.2012 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

राज्य मानवाधिकार आयोगों में शिकायत निपटान प्रबंधन प्रणाली (सी एच एम एस)

6.47 राज्य मानवाधिकार आयोगों (एस एच आर सी) में शिकायत निपटान प्रबंधन प्रणाली (सी एच एम एस) का कार्यान्वयन मुख्यतः शिकायत निपटान प्रणाली को सरल और कारगर तथा शीघ्रता से निपटान और मामलों की प्रभावकारी ट्रैकिंग के लिए तंत्र उपलब्ध कराने के लिए है। इस उद्देश्य से एन एच आर सी ने असम, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और ओडिशा के राज्य मानवाधिकार आयोगों को कवर किया है और इन्हें इस प्रयोजनार्थ आवश्यक हार्डवेयर और साफ्टवेयर के प्रापण के लिए वित्तीय सहायता पहले ही उपलब्ध कराई गई है। एन आई सी द्वारा यथा आवश्यक तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है।

सूचना और जन सम्पर्क

6.48 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अपने सूचना और जन सम्पर्क प्रभाग के माध्यम से मीडिया के साथ जुड़ा है क्योंकि उसका विश्वास है कि आयोग और मीडिया के संगठन मानवाधिकारों के संरक्षण और संवर्धन में साझीदार हैं। इस प्रयास में, सूचना और जन सम्पर्क प्रभाग विभिन्न साधनों के माध्यम से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की गतिविधियों के बारे में सूचना का प्रचार-प्रसार करता है। इनमें प्रेस विज्ञप्तियां, मीडिया ब्रीफिंग, प्रेस कान्फ्रेस, अध्यक्ष और सदस्यों के साक्षात्कार शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, यह प्रभाग हिन्दी और अंग्रेजी में एक मासिक सूचनापत्र भी प्रकाशित करता है जिसे सरकारों के सभी महत्वपूर्ण अधिकारियों, शैक्षिक संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों, व्यक्तियों आदि में मानवाधिकारों और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की मध्यस्थताओं और सिफारिशों के महत्व के बारे में जागरुकता फैलाने के लिए परिचालित किया जाता है। दिनांक 01.04.2012 से 31.12.2012 की अवधि के दौरान, सूचना और जन सम्पर्क प्रभाग द्वारा आयोग की विभिन्न मध्यस्थताओं और गतिविधियों के बारे में कुल 78 प्रेस विज्ञप्तियां विवरण जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त, 7 प्रेस विज्ञप्तियां जारी की गई और आकाशवाणी, दूरदर्शन तथा अन्य मीडिया संगठनों के अध्यक्षों और सदस्यों के 26 साक्षात्कार आयोजित किए गए। मीडिया के लोगों के लिए ''मानवाधिकार और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की कार्यशैली'' विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला भी आयोजित की गई थी।

6.49 आयोग द्वारा दिनांक 14.12.2012 को नई दिल्ली में मानवाधिकारों की शिक्षा पर एकदिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया।

देश में साम्प्रदायिक स्थिति

6.50 वर्ष 2012 (31 दिसम्बर, 2012) के दौरान, देश में 668 साम्प्रदायिक घटनाएं हुईं, जिनमें 94 व्यक्ति मारे गए और

3117 व्यक्ति घायल हुए। वर्ष 2011 में इसी अवधि के दौरान देश में 580 साम्प्रदायिक घटनाएं हुई थीं, जिनमें 91 व्यक्ति मारे गए थे और 1,899 व्यक्ति घायल हुए थे।

साम्प्रदायिक हिंसा (रोकथाम, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005

6.51 देश भर में साम्प्रदायिक हिंसा के मुद्दे के सभी पहलुओं को समान रुप से निपटाने के लिए साम्प्रदायिक हिंसा (निवारण, नियंत्रण और पीड़ितों का पुनर्वास) विधेयक, 2005, दिनांक 5.12.2005 को राज्य सभा में पेश किया गया था। विधेयक को गृह मंत्रालय की विभाग सम्बन्धी संसदीय स्थायी समिति को पेश गया था और समिति ने दिनांक 13.12.2006 को अपनी रिपोर्ट संसद में पेश कर दी थी। समिति ने आवश्यक अंतर-मंत्रालयी परामर्श और उन पर सरकार के निर्णय के बाद कतिपय प्रेक्षण/सिफारिशें की थीं। राज्य सभा को विधेयक में अधिकारिक संशोधन करने, विचार करने और पारित करने के लिए मार्च 2007, दिसम्बर 2008, फरवरी 2009 और फरवरी, 2010 में नोटिस दिए गए थे। तथापि, विधेयक को इन अवसरों पर विचारण के लिए नहीं लिया जा सका। इसी बीच, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एन ए सी) ने इस मंत्रालय को ''साम्प्रदायिक और लक्षित हिंसा निवारण (न्याय और प्रतिपूर्ति तक पहुंच) विधेयक 2011 '' नामक एक मसौदा विधेयक भेजा था। इस मसौदा विधेयक की जांच की जा रही है।

राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान (एनएफसीएच)

6.52 राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव प्रतिष्ठान (एन एफ सी एच), गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में एक स्वायत्त निकाय है जो सांप्रदायिक सदभाव, भाई-चारे और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देता है । प्रतिष्ठान का मुख्य कार्य, सांप्रदायिक, जातीय, नृजातीय, आतंकवादी और हिंसा के अन्य रूप, जो सामाजिक सदभाव में दरार डाल सकते हैं, से प्रभावित बच्चों के पुनर्वास में सहायता करने के कार्यक्रमों और परियोजनाओं को कार्यान्वित करना है। इसकी विभिन्न परियोजनाओं के तहत ऐसे बच्चों को शिक्षा और/या व्यावसायिक प्रशिक्षण देने में सहायता प्रदान करने और विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के माध्यम से सांप्रदायिक सदभाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने पर जोर दिया जाता है। एन एफ सी एच ने अपनी स्थापना से लेकर अब तक सांप्रदायिक, जातीय, नृजातीय या आतंकवादी हिंसा से पीड़ित 11,150 बच्चों के पुनर्वास के लिए 46.55 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता दी है। एन एफ सी एच, सांप्रदायिक सदभाव और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने के कार्यक्रम आयोजित करने के लिए शिक्षा संस्थानों, गैर-सरकारी संगठनों और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता रहा है।

6.53 एन एफ सी एच, प्रत्येक वर्ष 19 से 25 नवम्बर तक कौमी एकता सप्ताह के साथ सांप्रदायिक सदभाव अभियान सप्ताह मनाता है। इस अवसर पर लोगों में सांप्रदायिक सदभाव और राष्ट्रीय एकता के मूल्यों को प्रभावी ढंग से बढ़ावा देने तथा हिंसा, जो सामाजिक सदभाव का अतिक्रमण करती है, के विरूद्ध मीडिया के माध्यम से उचित स्थिति प्रस्तुत करके और प्रतिष्ठान के वित्तीय संसाधन बढ़ाने के लिए स्वैच्छिक आधार पर धन दान करने के लिए लोगों में जागरूकता लाने के वास्ते दृढ़ और शास्वत अभियान चलाने हेतु भी आम जनता, राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, मंत्रालयों/ विभागों, केन्द्रीय अर्द्ध-सैनिक बलों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, विदेश स्थित दूतावासों/मिशनों, शिक्षा संस्थानों आदि से अपील की जाती है। वर्ष 2011- के दौरान लगभग 95,000 यूनिटों को प्रचार सामग्री भेजी गई थी, और चालू वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान सांप्रदायिक सदभाव अभियान सप्ताह के लिए प्रचार सामग्री लगभग 99,000 यूनिटों को भेजी गई है।

राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सद्भाव पुरस्कार

6.54 राष्ट्रीय साम्प्रदायिक सदभाव पुरस्कार, साम्प्रदायिक सदभाव और राष्ट्रीय एकता के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए 'व्यक्ति' और 'संगठन' की श्रेणी में प्रदान किए जाते हैं। प्रशस्ति पत्र के अलावा इसमें व्यक्ति के लिए 2 लाख रूपए की राशि और संगठन की श्रेणियों के लिए 5 लाख रूपए की राशि शामिल होती है। वर्ष 2012 के लिए पुरस्कारों की घोषणा दिनांक 26.01.2013 को की गई थी।

राष्ट्रीय एकता परिषद

6.55 राष्ट्रीय एकता परिषद (एन आई सी) की अगली बैठक चालू वर्ष (2013) के दौरान बुलाए जाने का प्रस्ताव है। अगली बैठक के लिए कार्यसूची की मदें सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र पुदुचेरी और दिल्ली से मांगी गई हैं । कार्यसूची को अन्तिम रुप देने के लिए मदें राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थायी समिति के सदस्यों के समक्ष रखी जाएंगी।

संकल्प दिवस और कौमी एकता सप्ताह

6.56 दिनांक 31.10.2012 को 'संकल्प दिवस' मनाने और दिनांक 19.11.2012 से 25.11.2012 के दौरान कौमी एकता सप्ताह' मनाने के संबंध में सभी मंत्रालयों/राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों को अनुदेश जारी किए गए थे।

कट्टरतावादी धार्मिक संगठनों के क्रियाकलाप

6.57 देश की शांति, साम्प्रदायिक सदभाव और सुरक्षा पर प्रभाव डालने वाले सभी कट्टरवादी धार्मिक संगठनों अथवा समूहों के क्रियाकलापों पर कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सतत निगाह रहती है और जहां कहीं आवश्यक हो उपयुक्त कार्रवाई की जाती थे।

6.58 स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) को विधिविरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) के तहत दिनांक 03.02.2012 की अधिसूचना सं0का0आ0 224(अ) के तहत गैर-कानूनी संगठन के रूप में घोषित किया गया था जो इसी तारीख से अस्तित्व में आया था। यह निर्णय लेने के प्रयोजनार्थ कि कथित संगठन गैर-कानूनी है अथवा नहीं, केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 01.03.2012 की अधिसूचना संख्या का. आ. 362 (अ) के तहत उच्च न्यायालय, दिल्ली के न्यायाधीश माननीय जस्टिस वी.के. शैली सहित विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) न्यायाधिकरण गठित किया गया था। माननीय न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 01.08.2012 को पारित ओदश के तहत स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेन्ट आफ इंडिया (सिमी) को गैर-कानूनी संगठन घोषित करने की पुष्टि की गई है।

राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद का मुद्दा

6.59 इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ की खंडपीठ द्वारा दिनांक 30.09.2010 को ओ.ओ.एस. संख्या 4/1989 (1961 का नियमित वाद संख्या 12) और ओ. ओ. एस. संख्या 5/1989(1989 का नियमित वाद संख्या 236) में अयोध्या स्थित राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद नामक विवादास्पद सम्पति/ परिसरों के अधिकार के सम्बन्ध में अपने निर्णय, आदेश और डिक्री की घोषणा की गयी थी। न्यायालय के बहुमत से लिए गए निर्णय के अनुसार सभी तीन पक्षों अर्थात मुसलमान, हिन्दू और निर्मोही अखाड़े को विवादित संपत्ति/परिसरों का संयुक्त स्वत्व धारक घोषित किया गया है। तदनुसार, कुल विवादित संपत्ति/परिसरों के एक तिहाई हिस्से पर तीनों पक्षों द्वारा प्रबन्धन और पूजा करने के लिए उपयोग के अधिकार की घोषणा की गई है।

6.60 श्री एम. सिद्दीक उर्फ हाफिज मोहम्मद सिद्दीक और कुछ अन्य पार्टियों ने अयोध्या में राम जन्म भूमि-बाबरी मस्जिद के नाम से सामान्यतः जानी जाने वाली विवादित सम्पत्ति/परिसर के स्वामित्व संबंधी मामले में इलाहाबाद उच्च-न्यायालय की लखनऊ बेंच के दिनांक 30.09.2010 के ओ.ओ. एस. संख्या 4/1989 (1961 का नियमित वाद संख्या 12) और ओ. ओ. एस. संख्या 5/1989 (1989 का नियमित मामला संख्या 236) में प्रतिवादित निर्णय, आदेश, और डिक्री के विरुद्ध माननीय उच्चतम न्यायालय में वर्ष 2010 की सिविल अपील संख्या 10866-67 दायर की है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उक्त अपीलों को दिनांक 09.05.2011 को सुना था और निदेश दिया है कि अपीलों के लम्बित रहने के दौरान इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री का परिचालन स्थगित रहेगा और पार्टियाँ वाद भूमि के संबंध में यथास्थिति बनाए रखेंगी जैसा कि डा0 एम इस्माइल फारुकी आदि बनाम भारत संघ एवं अन्य में भारत के उच्चतम न्यायालय के दिनांक 24.10.1994 के पूर्व के आदेश में निर्देश दिया गया था। भारत संघ किसी भी स्वत्ववाद में पार्टी नहीं था। इसी प्रकार, भारत संघ इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ बेंच, लखनऊ के दिनांक 30.09.2010 के अंतिम निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में दायर किसी भी सिविल अपील में भी पार्टी नहीं है। तथापि, अयोध्या में कतिपय क्षेत्र अधिग्रहण अधिनियम, 1993 में दिए गए उपबन्धों के अन्तर्गत अयोध्या में विवादित भूमि का वैधानिक प्राप्तकर्ता होने के नाते केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार और फैजाबाद संभाग, फैजाबाद के प्राधिकृत पर्सन/कमिश्नर के साथ समन्वय स्थापित करके विवादित भूमि के संबंध में यथा स्थिति बनाए रखी है।

❖❖❖

अध्याय VII संघ राज्य क्षेत्र

प्रस्तावना

7.1.1 संघ राज्य क्षेत्र सात हैं, जिनके नाम अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह; चंडीगढ़; दादरा और नगर हवेली; दमण और दीव; लक्षद्वीप; राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी हैं। सात संघ राज्य क्षेत्रों में से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली और पुदुचेरी की विधायिका, मंत्रिपरिषद और अपनी स्वयं की समेकित निधियां हैं। बाकी संघ राज्य क्षेत्रों की विधायिका नहीं है।

7.1.2 सात संघ राज्य क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल 10,960 वर्ग कि.मी. और 2011 की जनगणना के अनुसार इनकी जनसंख्या 2,00,82,522 है। संघ राज्य क्षेत्र-वार जनसंख्या और क्षेत्रफल **अनुलग्नक-VII** में दिया गया है। वर्ष 2011-12 में योजना और गैर-योजना बजट प्रावधान और उनका उपयोग तथा वर्ष 2012-13 के लिए प्रावधान, **अनुलग्नक-VIII** में दिया गया है।

सांविधानिक स्थिति

7.1.3 संघ राज्य क्षेत्र भारत के संविधान की प्रथम अनुसूची के भाग-II में विनिर्दिष्ट हैं। इन क्षेत्रों का प्रशासन भारत के संविधान के अनुच्छेद 239 से 241 के प्रावधानों के अनुसार चलाया जाता है। भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियमावली, 1961 के अधीन गृह मंत्रालय, विधायन, वित्त और बजट, उप-राज्यपालों और प्रशासकों की सेवाओं और नियुक्ति से संबंधित संघ राज्य क्षेत्रों के सभी मामलों के लिए नोडल मंत्रालय है। प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र का प्रशासन संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त प्रशासक द्वारा चलाया जाता है। दिल्ली, पुदुचेरी और अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूहों में उप-राज्यपालों को प्रशासकों के रूप में पदनामित किया जाता है। पंजाब के राज्यपाल को चंडीगढ़ के प्रशासक के रूप में पदनामित किया गया है। अन्य संघ राज्य क्षेत्रों में अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और संघ राज्य क्षेत्रों (ए जी एम यू टी) के संवर्ग के वरिष्ठ आई एस अधिकारियों को प्रशासकों के रूप में नियुक्त किया जाता है।

प्रशासनिक अंतर-संपर्क (इंटरफेस)

7.1.4 विधान सभा रहित सभी पांचों संघ राज्य क्षेत्रों – अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, चंडीगढ़, दमण और दीव, दादरा और नगर हवेली तथा लक्षद्वीप में गृह मंत्री की सलाहकार समिति (एच एम ए सी) के रूप में एक मंच है जिसमें संबंधित संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासक और सांसद के अलावा, स्थानीय निर्वाचित निकायों जैसे कि जिला पंचायत और नगरपालिका परिषद/समितियों के सदस्यों को उक्त मंच के सदस्य के रूप में नामित किया जाता है। एच एम ए सी की बैठकों की अध्यक्षता गृह मंत्री द्वारा अथवा उनकी अनुपस्थिति में गृह मंत्रालय के राज्य मंत्री द्वारा की जाती है। यह समिति संघ राज्य क्षेत्रों के सामाजिक और आर्थिक विकास से संबंधित आम मुद्दों पर चर्चा करती है।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली

7.2.1 दिल्ली का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी एस डी पी) वर्तमान कीमत पर वर्ष 2010-11 के 2,64,496 करोड़ रूपए से बढ़कर वर्ष 2011-12 में 3,13,934 करोड़ रूपए हो गया जो 18.7% की प्रगति को दर्शाता है। 11वीं योजना के दौरान दिल्ली की जी एस डी पी में हुई वास्तविक वृद्धि दर राष्ट्रीय स्तर के 7.94% की तुलना में 11.46% थी। दिल्ली की अर्थव्यवस्था निरन्तर प्रगति पथ पर रही। राष्ट्र स्तरीय जी डी पी में दिल्ली का योगदान 3.8 प्रतिशत है, जबकि देश की कुल आबादी में दिल्ली का योगदान मात्र 1.4 प्रतिशत ही है। वर्ष 2011-12 में दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय 1.76 लाख रूपए होने का अनुमान है जो राष्ट्र स्तरीय 60,972 रूपए की प्रति व्यक्ति आय का तीन गुना है। सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों की प्रति व्यक्ति आय के मामले में दिल्ली महाराष्ट्र के बाद दूसरी श्रेणी में है।

बढ़िया प्रशासन

7.2.2 दिल्ली नगर निगम (एम सी डी) को तीन निगमों अर्थात दक्षिणी, उत्तरी और पूर्वी दिल्ली में तीन भागों में विभाजन किया गया है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली (सेवाओं की समयबद्ध सुपुर्दगी में नागरिकों के अधिकार) अधिनियम, 2011 का अधिनियमन किया है। इस अधिनियम के तहत, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने अपने दायरे के अन्तर्गत आने वाली विभिन्न सार्वजनिक सेवाओं के लिए सेवा स्तरीय करार (एस एल ए) का आरम्भ किया है। इस अधिनियम से नागरिकों को विभिन्न सेवाएं समय पर सुलभ करवाना संभव हुआ है। नागरिकों को निर्धारित संख्या दिनों में सेवाएं प्राप्त करने का हक है अन्यथा उन्हें विलम्ब के लिए मुआवजा मिलता है। नागरिक, सहभागी विभाग द्वारा इलेक्ट्रानिक माध्यम से सृजित अपनी अनूठी आवेदन संख्या को डालकर विनिर्दिष्ट सेवाओं के संबंध में अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं। इस योजना के तहत वर्तमान में 96 सेवाओं को लाया गया है।

7.2.3 सरकार ने जीवन नागरिक-केन्द्रित सेवाएं (सी एस सी) परियोजना भी आरम्भ की है। इस परियोजना का लक्ष्य सरकार की सभी सेवाओं को नागरिकों के लिए एक छत के नीचे लाना है। वर्तमान में, इस परियोजना के तहत 101 सेवा केन्द्र कार्य कर रहे हैं।

7.2.4 दिल्ली राज्य आकाशीय आंकड़ा अवसंरचना (डी एस एस डी आई) जो 3 डी-जी आई एस परियोजना के नाम से लोकप्रिय है, देश में अपनी तरह की पहली परियोजना है और एक अनूठी शहरी प्रबंधन प्रणाली का प्रावधान करती है। डी एस एस डी आई परियोजना के अन्तर्गत भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी आई एस) के माध्यम से आवासीय घरों से लेकर ओवरगाउण्ड और अण्डरग्राउण्ड सार्वजनिक उपयोगिता वाली शहर की सभी अवसंरचनाओं के 3 डी-मानचित्र तैयार किए गए हैं।

7.2.5 दिल्ली विवाद समाधान सोसाइटी (डी डी आर एस) ने दिल्ली में 8 मध्यस्थता केन्द्र स्थापित किए हैं। दिसम्बर के अंत तक 10,707 विवादित मामले मध्यस्थता के लिए प्राप्त हुए हैं जिनमें से 3,813 विवादों का समाधान कर दिया गया है। लोग अपने विवादों का आपसी निपटारा करने के लिए इन किसी भी मध्यस्थता केन्द्र में पहुंच सकते हैं। दिल्ली उच्च न्यायालय में ई-कोर्ट शुल्क प्रणाली ने कार्य करना शुरु कर दिया है और यह मितव्ययी, प्रभावकारी और त्वरित सिद्ध हो रही है।

शिक्षा

7.2.6 बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार (आर टी ई) अधिनियम, 2009 में प्रावधान है कि 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त करेंगे। इसलिए, स्कूल न जाने वाले बच्चों को स्कूल में दाखिला देने के लिए अतिरिक्त अवसंरचना का सृजन किया जाएगा। इसके लिए, लगभग 13,000 पदों की मंजूरी दी गई है और उन्हें प्राथमिकता आधार पर भरा जा रहा है। अधिनियम में प्राइवेट विद्यालयों के लिए गरीब परिवारों से 25% विद्यार्थियों को प्रवेश देना अनिवार्य किया गया है और सरकार ऐसे विद्यार्थियों की शिक्षा पर होने वाले व्यय की प्रतिपूर्ति करेगी। वर्ष 2011-12 में प्राइवेट विद्यालयों में निःशुल्क कोटा के तहत गरीब परिवारों के 14,000 छात्रों को प्रवेश दिया गया है। उन्नतिशील अर्थव्यवस्था के साथ कदम मिलाकर चलने के लिए मानव संसाधन में निवेश अनिवार्य हो गया है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने बेरोजगार युवाओं को कौशल सुधार शिक्षा प्रदान करके बृहत्तम मानव संसाधन पूल का सृजन करने का एक बड़ा प्रयास किया है।

7.2.7 दिल्ली सरकार ''तकनीकी शिक्षा समुदाय पहुंच योजना'' (टी ई सी ओ एस) नामक एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का सफलतापूर्वक संचालन कर रही है। टी ई सी ओ एस एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका लक्ष्य झुग्गियों/पुनराबंटित कालोनियों में रह रहे लाभवंचित लोगों और स्कूल छोड़ चुके बच्चों सहित असंगठित क्षेत्रों के लोगों के आजीविका कौशल का उन्नयन करना है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य, पोलिटेक्नीक और आई टी आई के तकनीकी दृष्टि से सुयोग्य फैकल्टी/स्टाफ के परामर्श से ऐसे लोगों को सार्थक और गुणवत्तापरक औपचारिक प्रशिक्षण प्रदान करना है।

7.2.8 वर्तमान में, योजना के तहत लक्षित वर्ग के लोगों को तकनीकी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कुल 22 गैर-सरकारी संगठनों का चयन किया गया है और इसमें लगभग 12,000 प्रशिक्षुओं को पहले ही प्रशिक्षित किया जा चुका है।

7.2.9 पोलिटेक्नीक के माध्यम से समुदायों के विकास की योजना (सी डी टी पी) का लक्ष्य, पोलिटेक्नीक के अत्यधिक सुयोग्य फैकल्टी/स्टाफ की मदद से ग्रामीण युवाओं, महिलाओं, स्कूल छोड़ चुके बच्चों, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, अन्य कमजोर वर्गों और समाज के लाभवंचित समूहों को सार्थक और गुणवत्तापरक अनौपचारिक प्रशिक्षण प्रदान करना है।

7.2.10 सिंगापुर सरकार के सहयोग से जोनापुर, दिल्ली में एक हरित क्षेत्र विश्वस्तरीय कौशल केन्द्र की स्थापना करने के लिए एक नई परियोजना आरम्भ की गई है ताकि दिल्ली के उद्योगों/कारपोरेट सेक्टरों की अपेक्षता के अनुसार मास्टर कारीगरों (क्राफ्टमैनों) को तैयार किया जा सके।

सामाजिक सुरक्षा

7.2.11 सामाजिक क्षेत्र में, समाज के कमजोर वर्गों को सक्षम एवं प्रभावकारी सेवाओं की सुपुर्दगी सुनिश्चित करने और कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन को सुदृढ़ बनाने के लिए सामाजिक सुविधा संगम (एस एस एस) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की एक नई पहल है। यह मिशन मोड पहल नौ विभागों अर्थात (स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, एस सी, एस टी, ओ बी सी और अल्पसंख्यक कल्याण, सामाजिक कल्याण, शहरी विकास, श्रम और सूचना प्रौद्योगिकी) की कल्याणकारी योजनाओं को एक साझा प्लेटफार्म पर लाकर, योजनाओं को युक्तिसंगत बनाकर, लाभ प्राप्त करने हेतु प्रशासनिक प्रक्रियाओं को सरल बनाकर, सूचना प्रौद्योगिकी (आई टी) के प्रयोग द्वारा कार्यान्वयन को सशक्त बनाकर और प्रभावकारी सुपुर्दगी के लिए नागरिक सोसाइटी संगठनों को सहभागी बनाकर एक अभिमुखता मॉडल के तौर पर कार्य करती है।

7.2.12 वर्ष 2011-12 में, एस एस एस के माध्यम से 2,03,859 लोग लाभान्वित हुए है, लगभग 10,000 लोगों को विधिक जागरुकता सत्र और शिविरों के माध्यम से विधिक जागरुकता और सहायता प्राप्त हुई है, एस एस एस के व्यावसायिक प्रशिक्षण घटक के तहत विभिन्न ट्रेडों में 21,948 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है, शैक्षिक घटक के जरिए 11,426 महिलाएं एवं बच्चे लाभान्वित हुए हैं, स्त्री शक्ति सुविधा केन्द्रों में संचालित हेल्प डेस्क काउन्टरों के माध्यम से 4,00,000 लोगों को सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी गई है। महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए 1,500 स्व सहायता समूहों का गठन किया गया है। पोषाहार शिविरों के माध्यम से कम लागत वाली पोषक रेसिपी के बारे में 34,832 लोगों में जागरूकता लायी गई है। एस एस एस के विविध एवं विभिन्न माध्यमों के जरिए कुल 15,36,392 लोग लाभन्वित हुए हैं।

7.2.13 शहरी गरीब लोगों में कौशल प्रशिक्षण और रोजगारदक्षता कार्यक्रम (स्टेपअप) इस योजना का सबसे महत्वपूर्ण घटक है जिसके अंतर्गत व्यावसायिक प्रशिक्षण एवं रोजगारदक्षता कार्यक्रम (वी टी एण्ड ई पी) का कार्यान्वयन किया गया है। दिल्ली की मुख्य मंत्री द्वारा सितम्बर, 2011 में 1000 लाभार्थियों के लिए इस कार्यक्रम का पहला चरण आरम्भ किया गया था। सी ए पी-डब्ल्यू डी आई जो एस एस एस की ओर से अभ्यर्थियों को दिए जा रहे प्रशिक्षणों की समग्र निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए रखी गई एक तकनीकी कौशल कार्यक्रम सहायक एजेन्सी है, के पर्यवेक्षण के अधीन कार्यक्रम के अन्तर्गत पैनल में रखी गई 08 प्रशिक्षण एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे विविध प्रकार के पाठ्यक्रमों/ट्रेडों में 1,507 लाभार्थियों को अब तक प्रशिक्षित किया गया है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम के तहत कम्प्यूटरों में व्यावसायिक प्रशिक्षण

7.2.14 इसके अतिरिक्त, 500 से ज्यादा अभ्यर्थियों को विभिन्न संगठनों में काम दिलाया गया है और अधिकांश लोगों को रोजगार दिलाए जाने की प्रक्रिया चल रही है।

7.2.15 समाज के असुरक्षित वर्ग की स्वास्थ्य संबंधी जरुरतों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आर एस बी वाई), जो एक स्वास्थ्य बीमा योजना है, संचालित की गई है जिसके अन्तर्गत लाभार्थीगण 30,000 रूपए प्रति वर्ष तक के खर्च के लिए अस्पताल में भर्ती होने के कवरेज पात्र है। जी आर सी – एस के एस के सक्रिय नेटवर्क के माध्यम से इसमें लगभग 1,00,000 असुरक्षित परिवारों का नामांकन किया गया है।

7.2.16 सरकार ने ''आवाज उठाओ'' नामक एक अनूठा कार्यक्रम चलाया है जिसमें समाज के सभी सदस्यों से महिलाओं एवं बालिकाओं को किसी प्रकार के मौखिक, शारीरिक अथवा मानसिक दुरूपयोग के बगैर अपना मुक्त जीवन बिताने के लिए सुरक्षित समाज का निर्माण करने हेतु भागीदारी निभाने और मदद करने का अनुरोध किया जा रहा है। कार्यक्रम को कार्यान्वित

करते हुए, सामाजिक सुविधा संगम ने 15 जीआरसी के माध्यम से इस परियोजना का प्रयोग शुरु किया है और यह संकटापन्न महिलाओं (छेड़छाड़, यौन उत्पीड़न/हमला, बलात्कार इत्यादि) की सहायता कर रहा है। महिला गुटों (कलेक्टिव्स) का गठन किया जाता है जिसमें समाजिक / लड़कों, लड़कियों, पुरूषों और महिलाओं का मिला-जुला समूह होता है। इन गुटों ने स्टेकहोल्डरों की एक समिति भी बनायी है जिसमें पुलिस, स्थानीय स्कूलों, आंगनवाडियों, वकीलों, पी डब्ल्यू डी इत्यादि के प्रतिनिधि शामिल हैं। 60 कलेक्टिव और 7 स्टेकहोल्डर समितियों का गठन किया जा चुका है जिन्होंने 15 सार्वजनिक बैठकें की हैं जिनमें लगभग 10,000 लोगों को इस मुद्दे के बारे में संवेदनशील बनाया गया है।

महिला सशक्तीकरण

7.2.17 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने महिला सशक्तीकरण की दिशा में निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) विधवाओं को अपनी पुत्रियों के विवाह हेतु दी जा रही एक बारगी सहायता को 20,000 से बढ़ाकर 25,000 किया गया। चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में, इस योजना के तहत 2,800 महिलाएं लाभान्वित होंगी।

(ii) संकटापन्न महिलाओं की पेशन 91,094 महिला लाभर्थियों को दी जा रही है।

(iii) दिल्ली में 100 जेण्डर रिसोर्स सेंटर और 24 एक्सटेंशन जेण्डर रिसोर्स सेंटर स्थापित किए गए हैं।

(iv) पिछड़े क्षेत्रों में दिल्ली में 60 ''आवाज उठाओ गुट'' स्थापित किए गए है जिसका उद्देश्य संकटापन्न महिलाओं की सहायता करना है।

(v) किशोर बालिकाओं (सबला) के सशक्तीकरण के लिए राजीव गांधी योजना 3 जिलों में प्रायोगिक आधार पर चलायी गई। योजना के तहत 1.43 लाख किशोरियां लाभान्वित हो रही हैं।

(vi) इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई जी एम एस वाई) 2 जिलों में प्रायोगिक आधार पर शुरु की गई है। 6,904 गर्भवती और दुग्धपान कराने वाली माताओं को नगदी अंतरण किया गया है। नगदी अंतरण शुरु करने वाले अग्रणी राज्यों में से दिल्ली एक है।

(vii) वाई डब्ल्यू सी ए के सहयोग से निराश्रित गर्भवती एवं दुग्धपान कराने वाली महिलाओं के लिए जहांगीरपुरी और सराय रोहिल्ला में 2 आश्रय गृह स्थापित किए गए हैं।

(viii) मेट्रो ट्रेनों में महिलाओं के लिए विशेष कोच चालू किए गए हैं।

कल्याण

7.2.18 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने बच्चों के कल्याण के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(क) लाड़ली योजना के तहत 1,06,585 मामले वर्ष 2011-12 में मंजूर किए गए हैं। 49,284 मामलों को विभिन्न स्तरों पर वित्तीय सहायता के लिए नवीनीकृत किया गया है।

(ख) 36 अलग-अलग क्षेत्रों में 15 रूपए प्रति भोजन की दर से जरुरतमंद व्यक्तियों को कम कीमत वाला पोषाहार और स्वच्छ भोजन (प्रतिभोजन में न्यूनतम 1,000 कैलोरीयुक्त) मुहैया कराने के लिए ''जन आहार'' योजना आरम्भ की गई है।

(ग) शहर से 'भूख' मिटाने के लिए, दिल्ली सरकार ने व्यवसायी एवं कारपोरेट घरानों के सहयोग से ''भूख-मुक्त – दिल्ली अभियान-आपकी रसोई'' का शुभारम्भ किया है। आज तक ''आपकी रसोई'' के 13 केन्द्र चालू हो गए हैं और इनमें लगभग 3000-3500 निराश्रित व्यक्तियों को दैनिक आधार पर एक समय का भोजन मिल रहा है।

(घ) ''दिल्ली अन्नश्री योजना'' नामक एक नई सामाजिक योजना वर्ष 2012-13 के बजट में आरम्भ की गई है जिसका लक्ष्य बी पी एल अथवा ए ए वाई योजना के तहत लाभान्वित न हो पाए दो लाख गरीब एवं असुरक्षित परिवारों को खाद्यान्न सुरक्षा का प्रावधान करना है। योजना में, परिवार के वरिष्ठ महिला सदस्य के बैंक खाते में 600 रूपए नकद-अंतरण की मासिक खाद्य सुरक्षा की परिकल्पना है।

(ङ.) दिल्ली की मुख्य मंत्री ने वर्ष 2012-13 के बजटीय भाषण में, यह घोषणा की थी कि सरकार, देश में दिल्ली को प्रथम केरोसीन मुक्त शहर बनाने के लिए बीपीएल/एएवाई/जेआरसी राशन कार्ड धारकों वाली श्रेणियों के केरोसीन का इस्तेमाल करने वाले परिवारों को एलपीजी कनेक्शन और गैस स्टोव लेने के लिए एक बारगी नगद सहायता प्रदान करेगी। योजना कार्यान्वयनाधीन है।

(च) सरकार ने वृद्धावस्था सहायता योजना के माध्यम से वृद्ध लोगों की ओर सहारा देने का हाथ बढ़ाया है। इस योजना के तहत, 550 करोड़ रूपए का आबंटन किया गया है और 3.46 लाख लाभार्थियों को कवर किया गया है। 60 वर्ष से ऊपर और 70 वर्ष से कम आयु

के वृद्ध लोगों को 1000 रूपए और 70 वर्ष से ऊपर के लोगों को 1500 रूपए दिए जा रहे है। सरकार ने समय पर और यथाशीघ्र पेंशन रिलीज करने के लिए बैंक खातों के माध्यम से वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन सीधे जारी करने का निर्णय लिया है।

(छ) सरकार ने विशेष जरुरतमंद (अक्षम व्यक्तियों) व्यक्तियों को दी जाने वाली सहायता को 1000 रूपए से बढ़ाकर 1,500 रूपए प्रति माह करने का भी कदम उठाया है। इस योजना के तहत, 26,527 लाभार्थीगण ऐसी सहायता पा रहे हैं।

(ज) दिल्ली सरकार ने एससी/एसटी/ओबीसी/अल्पसंख्यक समुदायों के शैक्षिक, सामाजिक और आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए उन्हें अनुदान और ऋण के रूप में वित्तीय सहायता देकर विभिन्न योजनागत स्कीमों का कार्यान्वयन किया है। वर्ष 2012-13 के दौरान 324 करोड़ रूपए का परिव्यय अनुमोदित किया गया है।

स्वास्थ्य

7.2.19 लोगों का बढ़िया स्वास्थ्य एक वांछित लक्ष्य ही नहीं अपितु मानव संसाधन में एक अनिवार्य निवेश है। दिल्ली सरकार, दिल्ली के नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण, रोकथाम एवं उपचारात्मक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। वर्तमान में, दिल्ली सरकार के अधीन 198 औषधालय और 53 सीड प्राथमिक शहरी स्वास्थ्य केन्द्र (सीड पी यू एच सी) संचालित हैं। वर्ष 2012 के दौरान सेवा रहित और कम सेवा वाले क्षेत्रों में एक एलोपैथिक औषधालय, एक होम्योपैथिक औषधालय और तीन सीड पी यू एच सी खोले गए थे। कोकीवाला बाग, अशोक विहार में 200 बिस्तरों का एक अस्पताल शुभारम्भ के लिए तैयार है और इसे शीघ्र ही चालू कर दिया जाएगा।

7.2.20 भारतीय औषधि एवं होम्योपैथी प्रणाली निदेशालय (आई एस एम एण्ड एच) पूरी दिल्ली में वर्तमान में 32 आयुर्वेदिक, 15 यूनानी और 92 होम्योपैथिक औषधालयों का संचालन कर रहा है और आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएं उपलब्ध करा रहा है। इस संस्था की स्थापना का मुख्य उद्देश्य आधुनिक औषधियों के विकल्प के तौर पर आयुर्वेद के प्रयोग को बढ़ावा देना और आयुर्वेद के शिक्षण के लिए आधुनिक तकनीकों के प्रयोग का विकास करना है।

7.2.21 दिल्ली, शहरी झुग्गी आबादी में डायबटीज और हाइपरटेंशन अभियान को प्रारम्भ करने और उसे सफलतापूर्वक पूरा करने वाला पहला राज्य है। नवम्बर, 2011 और जून, 2012 के मध्य डायबटीज और हाइपरटेंशन के संबंध में झुग्गियों के लगभग 4.5 लाख लोगों की जांच की गई।

7.2.22 दिल्ली सरकार कर्मचारी स्वास्थ्य योजना (डी जी ई एच एस) के अन्तर्गत पैनल में रखे गए अस्पतालों की सूची में 29 नए अस्पतालों और डायग्नोस्टिक केन्द्रों को जोड़ा गया है। इसके अतिरिक्त, एन सी आर में पैनेल में रखे गए अस्पतालों की सूची में 16 अस्पतालों को शामिल किया गया है।

7.2.23 दिल्ली सरकार ने वर्ष 2012 को प्रतिरक्षण/ टीकाकरण के तीव्रीकरण के वर्ष के रूप में घोषित किया है।

भागीदारी

7.2.24 भागीदारी पहल सरकारी विभागों के साथ सहभागिता और 20 रेजीडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशनों एवं 3,500 नागरिक समूहों के सरकार से साथ विलय होकर कार्य करने के परिणामस्वरूप विकसित हुई है। भागीदारी का आज तात्पर्य है – जवाबदेह, कार्यक्षम एवं नागरिक संकेद्रित प्रशासन, जिसमें स्टेकहोल्डर-नागरिक-एक सक्रिय सहभागी होते हैं। इस वर्ष के दौरान 328 नागरिक समूहों – जिनमें आर डब्ल्यू ए, एम टी ए और वरिष्ठ नागरिक समूह शामिल हैं, ने भागीदारी पहल को स्वेच्छा से ज्वाइन किया है।

तकनीकी प्रशिक्षण

7.2.25 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार रनहोला, छत्तरपुर, मंगोलपुरी और नन्दनगरी में नए आई टी आई खोलने की योजना बना रही है। मै. होंडा सिएल कार लिमिटेड के सहयोग से सार्वजानिक – निजी भागीदारी मोड पर एक मार्डन ड्राइविंग सकूल की स्थापना के प्रयोजनार्थ 12.54 एकड़ भूमि का आबंटन बक्करवाला में किया गया है। निजी और सरकारी संस्थानों में कुछ नए पाठ्यक्रमों अर्थात अतिथ्य, स्वास्थ्य और मीडिया का समावेश किया गया है।

शहरी विकास

7.2.26 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने 7,717.42 करोड़ रूपए की लागत से जे एन एन यू आर एम के तहत 30 अवसंरचना परियोजनाओं को मंजूरी प्रदान की है। इनमें से, 10 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं, 13 प्रक्रियाधीन है, पी डब्ल्यू डी की 02 परियोजनाएं

आंशिक रूप से पूर्ण हैं और शेष 5 परियोजनाएं बंद हो गई हैं। बारापुल्लाह नाला इलीवेटेड कोरीडोर की वृहत परियोजना जो दक्षिण-पूर्वी दिल्ली को दक्षिणी दिल्ली को जोड़ रही है, पूरी हो गई है। यमुना नदी में सिगनेचर ब्रिज का कार्य निर्माणधीन है। डी टी सी ने 1,500 नई लो फ्लोर बसें खरीद ली है और डी एम आर सी के लिए 228 नॉन-एसी बसों की खरीद का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया है।

7.2.27 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने 45 जे जे पुनस्थापन कालोनियों के आबंटियों/धारकों को फ्रीहोल्ड/स्वामित्व प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है और इसे भारत सरकार को विचारार्थ भेज दिया है।

7.2.28 भारत सरकार ने 3,245 करोड़ रूपए की कुल परियोजना लागत से शहरी गरीबों को बुनियादी सुविधाएं (बी एस यू पी) के तहत 67,784 फ्लैटों के निर्माण के लिए 17 कम लागत वाली आवासीय परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। इसमें से, 14,844 फ्लैटों का निर्माण हो चुका है और 39,000 फ्लैट निर्माणाधीन है। इन फ्लैटों के आबंटन में पहले चरण में झुग्गी निवासियों को वरीयता दी जा रही है। डी यू एस आई बी ने बवाना में 585 फ्लैट पहले ही आबंटित कर दिए हैं। पुनराबंटन नीति में संशोधन संबंधी मामला सरकार के पास विचाराधीन है।

7.2.29 इसके अतिरिक्त, बस्ती विकास केन्द्र/कम्युनिटी हॉल की सुविधा गैर-सरकारी संगठनों/स्वैच्छिक संगठनों/सरकारी संगठनों को भी उपलब्ध करायी गई है। डी यू एस आई बी ने जे जे और मलिन बस्ती पुनराबंटन पॉकेटों में 10 बस्ती विकास केन्द्रों और 10 कम्युनिटी हॉलों का निर्माण करने का प्रस्ताव किया है।

7.2.30 विगत वर्ष, 66 स्थायी और 84 अस्थायी रात्रि विश्राम आश्रय खोले गए थे। चालू वर्ष के दौरान, द्वारका और मंगोलपुरी में दो और स्थायी रात्रि विश्राम आश्रयों का निर्माण शुरु किया गया है।

7.2.31 दिल्ली सरकार ने 10 करोड़ रू. के प्रस्तावित परिव्यय से वर्ष 2012-13 के दौरान जे एन एन यू आर एम के तहत ''राजीव आवास योजना'' को कार्यान्वित करने का निर्णय लिया है। भारत सरकार ने जे जे क्लस्टरों के सर्वेक्षण और दिल्ली को स्लम मुक्त बनाने संबंधी योजना की तैयारी के प्रस्ताव को पहले ही अनुमोदित कर दिया है। जे जे क्लस्टरों के सर्वेक्षण का कार्य प्रगति पर है।

राजीव आवास योजना के तहत दिल्ली में जे जे समूह के पात्र निवासियों को आवंटन-पत्रों का वितरण

पर्यावरण

7.2.32 दिल्ली सरकार ने प्लास्टिक कैरी बैगों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में एक अधिसूचना दिनांक 23.10.2012 को जारी की गई है। आस-पास की हवा में प्रदूषक कारणों के संबंध में वायु प्रदूषण नियंत्रण संबंधी कठोर उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं। आस-पास की वायु की गुणवत्ता की निरन्तर निगरानी करने वाले स्टेशनों की स्थापना की गई है। आस-पास की वायु की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए शहर में अवस्थित औद्यागिक इकाइयों और तापीय विद्युत संयंत्रों से निकलने वाले प्रदूषक तत्वों के लिए निर्धारित किए गए कठोर उत्सर्जन मानकों को कार्यान्वित किया जा रहा है। समग्र सार्वजनिक वाहनों को सी एन जी मोड में तब्दील कर दिया गया है।

परिवहन व्यवस्था

7.2.33 रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार, सभी के लिए कम लागत वाली, सविधाजनक, सुरक्षित, विश्वसनीय और अनवरत परिवहन सुविधाएं मुहैया कराने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में डी टी सी बस बेड़ों को संवर्द्धित और आधुनिकीकृत करने, क्लस्टर योजना के तहत निजी बसों को लाने, सार्वजनिक परिवहन अवसंरचना का उन्नयन एवं आधुनिकीकरण करने, ड्राइविंग लाइसेन्स जारी करने और वाहनों के पंजीकण हेतु नागरिकों को त्वरित एवं सुविधाजनक सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों का कम्प्यूटरीकरण करने, पर्यावरण अनुकूल ईंधन को प्रोत्साहन देकर वाहनों के प्रदूषण को नियंत्रित करने, सड़क सुरक्षा में सुधार इत्यादि जैसे प्रयास किए गए हैं। डीटीसी के पास लगभग 5,740 बसों का बेड़ा है। इसमें 3,781 लो-फ्लोर बसें (1,275 एअरकंडीशन बसों सहित) और 1,959

स्टैण्डर्ड फ्लोर बसें शामिल हैं। ब्लू-लाइन बसों को सड़कों से चरणबद्ध रूप से हटाने का कार्य पूरा हो गया है। क्लस्टर बस प्रणाली के तहत नई बसों को लाने का कार्य प्रगति पर है। इस योजना के तहत इस समय 300 बसें सड़कों पर चल रही है।

दिल्ली परिवहन निगम के बस बेड़े में नई बसों की शुरुआत

पर्यटन

7.2.34 दिल्ली हमेशा से ही एक प्रमुख पर्यटक स्थल रहा है। रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार ने पर्यटक अवसरंचनाओं का विकास करने, स्मारकों एवं ऐतिहासिक विरासतों का संरक्षण करने और अन्तरराष्ट्रीय स्तर के पर्यटक सूचना केन्द्रों की स्थापना करके पर्यटकों के लिए सुविधाओं का प्रावधान करने के लिए विभिन्न पहलें शुरु की हैं। सरकार ने होप आन होप आफ (हो-हो) बस सेवा भी आरम्भ की है जो दिल्ली के सभी प्रमुख पर्यटक स्थलों को कवर करती है।

दिल्ली पुलिस

7.3.1 वर्ष 1951 में दिल्ली पुलिस की कुल कार्मिक शक्ति एक पुलिस महानिरीक्षक और आठ पुलिस अधीक्षकों सहित लगभग 8000 की थी। वर्ष 1956 में उप पुलिस महानिरीक्षक का एक पद जोड़ा गया था। दिल्ली को तीन पुलिस जिलों नामतः नई दिल्ली, सेन्ट्रल दिल्ली और उत्तरी दिल्ली में विभाजित किया गया था। वर्तमान समय में, चार रेंज, 11 जिले, 54 उप संभाग और 180 पुलिस स्टेशन हैं और दिल्ली पुलिस की कुल नफरी 83,452 है।

7.3.2 दिल्ली पुलिस की प्राथमिकताओं में कानून एवं व्यवस्था का रख-रखाव, अपराधों की रोकथाम, महिलाओं, बच्चों एवं वरिष्ठ नागरिकों सहित जन साधारण के मन में सुरक्षा की भावना पैदा करना, यातायात व्यवस्था में सुधार लाना और भ्रष्टाचार को रोकना शामिल है।

7.3.3 कानून एवं व्यवस्था के रख-रखाव और अपराध की रोकथाम को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। अपराध की रोकथाम के मामले में लोगों की भागीदारी के साथ सकारात्मक (प्रोएक्टिव) पुलिस व्यवस्था पर बल दिया जाता है।

7.3.4 विगत 14 वर्षों के दौरान प्रति लाख आबादी में कुल आई पी सी अपराध में लगातार गिरावट देखी गई है जो वर्ष 1998 में 505.71 से घटकर वर्ष 2012 में (31 अक्तूबर तक) 312.85 हो गई है जैसा कि निम्नलिखित चार्ट से प्रदर्शित है:-

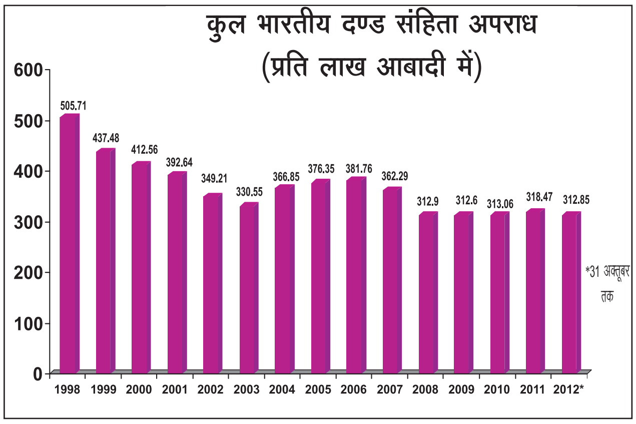

7.3.5 इसी प्रकार, दिल्ली में दर्ज किए जघन्य अपराधों की कुल संख्या वर्ष 1998 में 2807 थी और यह वर्ष 2011 में घट कर 2171 और वर्ष 2012 में 1987 हो गई।

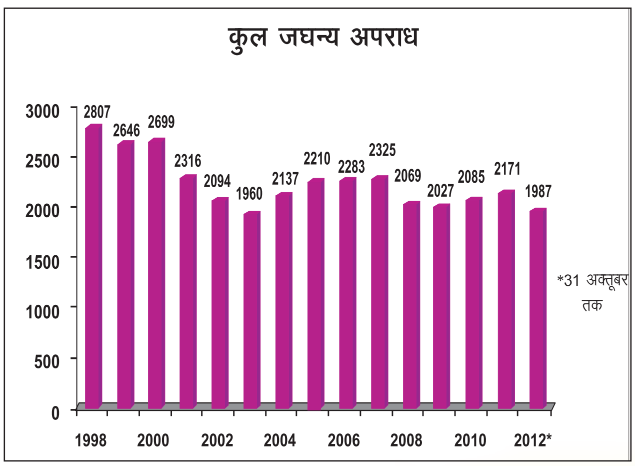

7.3.6 प्रति लाख आबादी में जघन्य अपराधों की संख्या वर्ष 1998 के 21.88 से घटकर वर्ष 2012 में (31 अक्तूबर तक) 14.01 हो गई जैसा निम्नलिखित चार्ट में दर्शाया गया है।

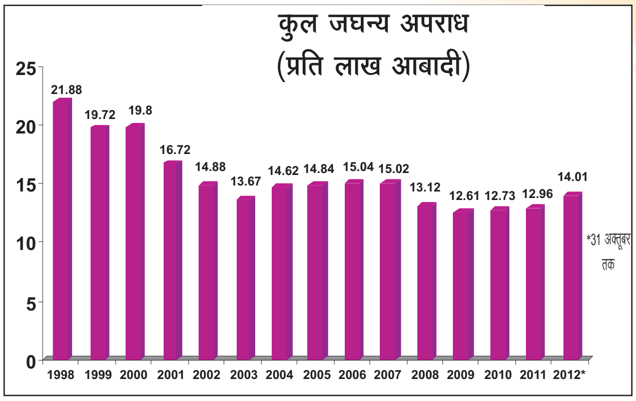

7.3.7 वर्ष 2012 में (31 अक्तूबर तक) 594 बलात्कार के मामले दर्ज किए गए है जबकि इनकी तुलना में वर्ष 2011 की समरूप अवधि के दौरान इनकी संख्या 490 मामलों की थी। तथापि, दिल्ली में प्रति लाख आबादी में बलात्कार की घटना में लगातार गिरावट प्रदर्शित हुई है जो इस शीर्ष के तहत प्रति लाख आबादी में बलात्कार की घटना वर्ष 2005 के 4.42% से घटकर वर्ष 2012 में (31 अक्तूबर तक) 4.19 हो गई है।

7.3.8 वर्ष 2012 में (31 अक्तूबर तक) महिलाओं के साथ छेड़छाड़ के 557 मामले सूचित किए गए है जबकि विगत वर्ष की सदृश अवधि में 587 मामले दर्ज हुए थे जो 5.11% की गिरावट प्रदिर्शत करता है। इनमें से अधिकांश मामले सुलझा लिए गए हैं। इसके अलावा, प्रति लाख आबादी में भी समग्र गिरावट प्रदर्शित हुई है और यह वर्ष 2005 के 5.12% की तुलना में घटकर वर्ष 2012 (31 अक्तूबर तक) में 3.93% हो गई है।

शहर को महिलाओं के प्रति सुरक्षित बनाने में दिल्ली पुलिस की प्रतिबद्धता

7.3.9 पूरे शहर में, महिलाओं सहित जनता का विश्वास बढ़ाने के लिए विशेष उपाय शुरु किए गए हैं। इनमें उत्तरी कैम्पस और दक्षिणी कैम्पस (दिल्ली विश्वविद्यालय) में अधिकांशतः महिला स्टाफ वाली पुलिस स्टेशनों की स्थापना करना, पैदल गश्त कार्य को फिर से शुरु करना, लड़कियों के कालेजों के निकट पी सी आर वैनों और आपात कार्रवाई वाहनों (ई आर बी) की तैनाती करना शामिल है।

7.3.10 दिल्ली पुलिस इस शहर को महिलाओं के प्रति सुरक्षित बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए, महिलाओं के प्रति अपराध को रोकने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:-

(i) सभी बी पी ओ को ओदश जारी किए गए हैं जिसमें उन्हें यह सुनिश्चित करने के निदेश दिए गए हैं कि रात्रि की पाली वाली महिला कर्मचारियों को उनके घरों तक छोड़ा जाए।

(ii) प्रत्येक पुलिस स्टेशन में महिला हेल्प डेस्कों का सृजन किया गया है। प्रत्येक हेल्प डेस्क महिला पुलिस अधिकारियों द्वारा संचालित है।

(iii) अकेली और बेसवारी महिला की सहायता करने के लिए पी सी आर वैनों को निर्देश।

(iv) महिलाओं के प्रति अपराध बहुल क्षेत्रों में बीट्स और पी सी आर वैनों में महिला स्टाफ तैनात की गई है।

(v) बसों, बजारों, सिनेमाघरों, सड़कों के चौराहों, विश्वविद्यालयों/ कालेजों/विद्यालयों इत्यादि में औचक जांच

(vi) पुलिस कार्मिकों को महिलाओं के प्रति संवेदनशील बनाना

(vii) स्व-सहायता प्रशिक्षण

(viii) बलात्कार संकट माध्यस्थ केन्द्रों के साथ सम्पर्क

(ix) दिल्ली विश्वविद्यालय के उत्तरी और दक्षिणी कैम्पस अर्थात मॉरिस नगर और साउथ कैम्पस में छात्राओं की सुरक्षा हेतु और उनके विश्वास संवर्धन के लिए अधिकांशतः महिला स्टाफ वाले पुलिस स्टेशनों की स्थापना की गई है।

(x) सामूहिक बलात्कार के मामलों का त्वरित विचारण।

(xi) देर रात्रि में काम से लौटने वाली महिलाओं के मार्गों को ई आर वी और पी सी आर वाहनों के साथ-साथ मोटर साइकिलों द्वारा पुलिस गश्त को कवर किया गया है।

7.3.11 महिलाओं एवं बच्चों के लिए विशेष पुलिस इकाई (एस पी यू डब्ल्यू सी) जो प्रारम्भ में महिलाओं के प्रति अपराध प्रकोष्ठ के साथ शुरु हुई थी, को दहेज हत्या, घरेलू हिंसा इत्यादि की शिकायतों सहित महिलाओं के प्रति हिंसा के मामलों को रोकने के लिए स्थापित किया गया। यह भी महसूस किया गया था कि महिलाओं को न्यायिक सहायता की भी जरुरत थी और कुछ वर्षों से, महिला अपराध प्रकोष्ठ अपनी विभिन्न गतिविधियों – परामर्श एवं समाधान; वैवाहिक विवाद, घरेलू हिंसा और दहेज संबंधी मुद्दों की शिकायतों में मध्यस्थता के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का केन्द्र बन गया है। एक चौबीसों घण्टे (24x7) महिला हेल्प लाइन भी क्रियाशील है। इसके अतिरिक्त, अपराध मध्यस्थता केन्द्रों के माध्यम से बलात्कार पीड़ितों के मामले में सहायता देने, छात्राओं एवं जनता को आत्मरक्षा प्रशिक्षण प्रदान करने, जिलों में पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने का कार्य सुनिश्चित किया गया है।

वरिष्ठ नागरिकों की सुरक्षा

7.3.12 अपराध शाखा के अधीन पुलिस मुख्यालय(पी एच क्यू) में एक वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ कार्य कर रही है। ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो अकेले अथवा जीवनसाथी के साथ रह रहे हैं और अपने को दिल्ली पुलिस के पास पंजीकृत कराना चाहते हैं, उनकी पहचान पुलिस स्टेशन के बीट/संभागीय स्टाफ द्वारा की जाती है और उनके नाम पंजीकरण के लिए वरिष्ठ नागरिक प्रकोष्ठ, पुलिस मुख्यालय को अग्रेषित किए जाते हैं। स्थानीय पुलिस ऐसे वरिष्ठ नागरिकों का रिकार्ड रखती है और बीट/संभागीय स्टाफ नियमित रूप से उनके यहां जाता है। वर्ष 2012 (31.10.2012 तक) 3,047 नए वरिष्ठ नागरिकों का पंजीकरण किया गया है जिनको मिलाकर अब दिल्ली में पंजीकृत वरिष्ठ नागरिकों की कुल संख्या 14,775 हो गई है। दिल्ली पुलिस के यहां पंजीकृत 11,538 वरिष्ठ नागरिकों को पहचान-पत्र जारी किए गए हैं।

7.3.13 वर्ष 2012 (31 अक्तूबर तक) में वरिष्ठ नागरिकों से 443 शिकायतें और 163 संकट काले प्राप्त हुई और लगभग सभी मामलों में तत्काल सहायता उपलब्ध करायी गई अथवा उसकी व्यवस्था की गई। पुलिस मुख्यालय स्थित वरिष्ठ नागरिक सुरक्षा प्रकोष्ठ ने वर्ष 2012 में (31 अक्तूबर तक) 3,820 वरिष्ठ लोगों से व्यक्तिगतरूप से और 20,465 वरिष्ठ लोगों से फोन से सम्पर्क किया। जिला स्तर पर, पुलिस स्टेशन के स्टाफ अपने संबंधित क्षेत्रों के वरिष्ठ नागरिकों को टेलीफोन काल करने और पास-पड़ोस में बैठकें करने के अलावा, उनके यहां जाते रहते हैं।

7.3.14 बीट स्टाफ और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा वरिष्ठ नागरिकों के यहां दौरा करते समय नौकरों और किरायेदारों का घर-घर जाकर सर्वेक्षण भी किया गया है। सुरक्षा में और सुधार करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को डोर-चेन, मैजिक आई, लोहे की ग्रिल और सेफ्टी लॉक्स जैसे सुरक्षा उपकरण लगाने के बारे में सलाह भी दी जाती है।

पूर्वोत्तर के विद्यार्थियों के लिए कदम

7.3.15 दिल्ली में पूर्वोत्तर राज्यों के छात्रों और अन्य निवासियों के सामने आ रही समस्याओं का विशेष रूप से समाधान करने के लिए अपर पुलिस आयुक्त/पुलिस उपायुक्त अर्थात उत्तर, उत्तर-पश्चिम, दक्षिण, दक्षिण पूर्वी, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम एवं पूर्वी जिलों के डी सी पी रैंक के सात अधिकारियों को नोडल अधिकारी के रूप में पदनामित किया गया है। ये नोडल अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों में रह रहे पूर्वोत्तर राज्यों के छात्रों एवं निवासियों के साथ आवधिक बैठकें करते हैं और ऐसी बैठकों में उठे मुद्दों का समाधान करते हैं।

7.3.16 दिल्ली पुलिस ने दिल्ली में रह रहे पूर्वोत्तर राज्यों के लोगों की रक्षा एवं सुरक्षा के लिए अनुदेश भी जारी किए हैं, जिनका उल्लेख नीचे किया गया हैः-

क) जहां तक सामान्यतः महिलाओं के प्रति अपराध और विशेषतः पूर्वोत्तर राज्यों की महिलाओं के प्रति अपराध का संबंध है, ऐसे मामलों में स्पष्ट रूप से ''जीरो टॉलरेन्स की पॉलिसी'' अपनायी जाए।

ख) पीछा करना, एस एम एस भेजना इत्यादि सहित अनेक समस्याओं का शुरुआत में ही आसानी से निदान किया जा सकता है, यदि संबंधित व्यक्ति से सम्पर्क किया जाए और उसे स्वयं सुधर जाने और कायदे से रहने तथा संबंधित व्यक्ति को परेशान न करने की सलाह दी जाए।

ग) जहां कहीं आवश्यक हो, विधिसम्मत अथवा दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत निवारक कार्रवाई भी शुरु की जा सकती है।

घ) जहां कहीं भी मामले घटित हो जाते हैं, उनका तत्काल पंजीकरण किया जाए तथा दिन-प्रतिदिन आधार पर जांच की जाए एवं उनको निपटाया जाए।

ड़) पुलिस की तत्काल कार्रवाई से केवल पीड़ित का ही नहीं अपितु समुदाय का भी विश्वास बहाल होगा और इससे अभियुक्त को स्पष्ट संदेश जाएगा कि ऐसे व्यवहार को बर्दास्त नहीं किया जाएगा।

च) पुलिस स्टेशन, मॉडल टाउन, मुखर्जी नगर, सिविल लाइन्स, रूप नगर, तिमारपुर आदि सहित दिल्ली विश्वविद्यालय के आस-पास के पुलिस स्टेशनों और उत्तर, उत्तर-पश्चिम जिलों के सभी पुलिस स्टेशनों में केवल उन हॉस्टलों की ही नहीं जहां विद्यार्थी रहते हैं अपितु ऐसी सामान्य रिहायशी कालोनियों के पॉकटों की नियमित तौर पर गश्त की जाती है जिनमें पूर्वोत्तर के छात्र ज्यादा संख्या में रहते हैं।

छ) ऐसे क्षेत्रों के बीट कांस्टेबलों को पूर्वोत्तर राज्यों के निवासियों के सामुदायिक नेताओं के साथ गहन परिसंवाद रखने के प्रति सुग्राही बनाया जा रहा है ताकि उन्हें उन समस्याओं के बारे में पता चल सके जो उनके द्वारा झेली जा रही हैं और वे यथोचित कार्रवाई कर सकें अथवा आवश्यक कार्रवाई हेतु संभागीय अधिकारी/एसएचओ को सूचित कर सकें।

ज) एसएचओ को अनिवार्य रूप से समुदायिक नेताओं के साथ नियमित तिमाही बैठकें करना चाहिए।

झ) क्षेत्र सुरक्षा समिति जो उत्तरी जिला में गठित की गई है, नियमित रूप से बैठकें करती है और विद्यार्थियों सहित सभी स्टेकहोल्डरों के साथ बातचीत करती है।

दिल्ली पुलिस की आधुनिकीकरण योजना

7.3.17 गृह मंत्रालय (एम एच ए) की उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान पुलिस आधुनिकीकरण योजना के तहत 100 करोड़ रूपए के परिव्यय के साथ 18 दिल्ली पुलिस परियोजनाओं को अनुमोदित किया है। इसमें से, 33.87 करोड़ रूपए की निधियां कार्यान्वयन एजेंसियों को जारी कर दी गई है और 22.94 करोड़ रूपए तक का व्यय 31.12.2012 तक के लिए बुक कर दिया गया हैं। 18 परियोजनाओं की स्थिति **अनुलग्नक-IX** में दी गई है।

दिल्ली पुलिस बजट

योजनागत और योजनेतर योजनाएं

7.3.18 वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान, भारत सरकार द्वारा योजनेतर के अन्तर्गत अनुमोदित बजट अनुमान 3,665.33 करोड़ रूपए का है। ब्यौरे **अनुलग्नक-X** में संलग्न किए गए हैं।

7.3.19 योजनागत योजना के अन्तर्गत, बजट अनुमान 2012-13 में 210.16 करोड़ रूपए का आबंटन किया गया है। ब्यौरे **अनुलग्नक-XI** में दिए गए हैं।

यातायात नियंत्रण प्रणाली एवं आधुनिकीकरण

7.3.20 आबादी, प्रवासी आबादी में बढ़ोत्तरी, वाहनों की संख्या में बढ़ोत्तरी, वाणिज्यीकरण, अनियोजित विकास, सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की अपर्याप्तता, उपलब्ध सड़क स्थान का कम हो जाना, दिल्ली की सड़कों पर यातायात की विषमता, अतिक्रमण, अप्राधिकृत पार्किंग, मोटर वाहन चालकों का पैदल यात्रियों के प्रति संवेदनशील न होना, यातायात अनुशासन का अभाव, कमजोर सड़क रोशनी व्यवस्था, कमजोर सड़क संकेत, बसों द्वारा किए जाने वाले झगड़े, ग्रामीण क्षेत्रों का शहरी क्षेत्रों में बदलने की प्रगति, नागरिक एवं यातायात जिम्मेदारी का अभाव, शहरी स्थापना का विकास, यातायात आवश्यकताओं की बढ़ती मांग, सड़क दुर्घटना इत्यादि जैसी सभी बाधाओं के बावजूद, दिल्ली यातायात पुलिस निरन्तर बढ़ रही यातायात समस्याओं को ज्यादा से ज्यादा संतोषजनक तरीके से संभालती रही है। दिल्ली यातायात पुलिस युक्तिसंगत स्थानों पर यातायात कार्मिकों की दृश्यता, सचलता और उपलब्धता के द्वारा इन यातायात समस्याओं को संभालती है और सुनिश्चित करती है कि यात्रा सुरक्षित और सहज हो तथा यात्रा समय कम से कम हो। दिल्ली यातायात पुलिस ने, बड़े रूप में, यातायात प्रबंधन के क्षेत्र में विश्वस्तरीय अद्यतन एवं अधुनातन प्रौद्योगिकी का समावेश करने का अभिनिर्धारण किया है। दिल्ली पुलिस का ध्यान इसकी कार्यप्रणाली को मानवकृत बनाए रखने के बजाय पारदर्शी एवं अधुनातन सुविधायुक्त गेजेट्स आधारित करने की ओर है।

7.3.21 उपर्युक्त परिदृश्य में, दिल्ली यातायात पुलिस की यथेष्ठ प्राथमिकताएं ये हैं:-

क) यातायात के सुरक्षित और सहज आवागमन का प्रावधान करना

ख) यातायात नियमों एवं विनियमों को प्रभावकारी तरीके से कार्यान्वयन

ग) सड़क दुघर्टनाओं को रोकना और कम करना

ध) शिक्षा के माध्यम से सड़क सुरक्षा जागरुकता को लोगों के मन में बैठाना

ड़) यातायात प्रबंधन में अधुनातन प्रौद्योगिकी का समावेश करना और पारदर्शिता लाना।

7.3.22 यातायात पुलिस की कार्यप्रणाली में दक्षता और पारदर्शिता लाने के लिए दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी का समावेश किया जा रहा है ताकि इसके लाभ जन-साधारण तक पहुंचें। इन्टेलिजेन्ट ट्रैफिक सिंग्नलिंग (आईटीएस) परियोजनाओं ने यातायात के आवागमन के प्रबंधन को बेहतर बनाने और सड़क के भीड़-भाड़ को कम करने तथा सड़क सुरक्षा को बढ़ाने के कार्य को सुकर बनाया है।

7.3.23 दिल्ली यातायात पुलिस की प्राथमिकताओं के क्रम में इस इकाई ने निम्नलिखित चार क्षेत्रों अर्थात (i) विनियमन (ii) प्रवर्तन (iii) शिक्षा और (iv) इंजीनियरिंग पर जोर दिया है और उन पर ध्यान संकेद्रित किया है।

पुदुचेरी

7.4.1 पुदुचेरी संघ राज्य क्षेत्र की अपनी स्वयं की विधायिका और समेकित निधि है। इसमें पुदुचेरी, कराइकल, माहे और यनम नामक चार क्षेत्र हैं जो भौगोलिक तौर पर एक-दूसरे से पृथक स्थित हैं।

7.4.2 पुदुचेरी सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में शुरु की गई विकासपरक पहलें निम्नानुसार हैं:

लोक निर्माण कार्य

(i) एरियनकुप्पम, पुदुचेरी में राष्ट्रीय राजमार्ग 45ए पर 26 करोड़ रूपए की लागत से एक चार लेन वाले पुल का निर्माण पूरा किया गया।

(ii) 700 बिस्तरों वाले राजीव गांधी राजकीय महिला एवं बाल अस्पताल ने नवनिर्मित परिसर में कार्य करना आरम्भ कर दिया है। इस अस्पताल का कुल क्षेत्रफल 3 लाख वर्ग फीट है और इसका निर्माण 50 करोड़ रूपए की लागत से हुआ है।

राजीव गांधी राजकीय महिला एवं बाल चिकित्सालय

(iii) कराइकल में इंडोर स्टेडियम का निर्माण पूर्णता के कगार पर है और इस कार्य के मार्च, 2013 तक पूरा कर लिए जाने की सम्भावना है।

(iv) कराइकल में मत्स्ययन बंदरगाह सभी दृष्टि से पूरा हो गया है और यह अप्रैल 2012 से संचालनरत है। इसकी कुल परियोजना लागत 47.76 करोड़ रूपए है और इससे 10 तटीय मत्स्ययन गांवों में रह रहे 12,074 मछुआरों को फायदा होगा।

मत्स्ययन पत्तन, कराईकल

पर्यटन

(v) पुदुचेरी के सभी पर्यटक स्थलों को कवर करने वाला नया पर्यटक मानचित्र तैयार कर लिया गया है। इन पर्यटक स्थलों को लगभग 10 घरेलू यात्रा एवं व्यापार मेलों और सिंगापुर में एक अन्तर्राष्ट्रीय मेले में शोकेश में लगाया गया है।

(vi) अरिकामेदु विकास के लिए भूमि के अधिग्रहण हेतु 16.77 करोड़ रूपए की धनराशि जारी की गई है।

(vii) 100 करोड़ रूपए की केन्द्रीय सहायता से तिरूनल्लर मंदिर परियोजना का विकास कार्य चरणबद्ध रूप से शुरु किया गया है।

(viii) पर्यटन के विकास के लिए फ्रांस की कन्ट्री काउंसिल इल्ले-इट-विलेनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(ix) अगले दस वर्षों के लिए पर्यटन विकास हेतु मास्टर प्लान तैयार करने के लिए मैसर्स दाराशॉ कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है।

(x) कुल 125 करोड़ रूपए की लागत से 16 परियोजनाओं को प्राथमिकता में रखा गया है और उन्हें पर्यटन मंत्रालय को प्रस्तुत किया गया है।

(xi) पर्यटन मंत्रालय द्वारा राज्य स्तरीय परियोजना परामर्शदाता के रूप में मैसर्स जॉन्स लैंग ला सैल्ली प्रापर्टी कन्सलटैंट (इण्डिया) प्रा. लिमिटेड को नियुक्त किया गया है जिसके माध्यम से सभी प्राथमिकता में रखी गई परियोजनाओं के लिए डी पी आर तैयार की जाएगी।

नगरी एवं देहाती आयोजना:

(xii) जे एन एन यू आर एम योजना के तहत कुल 461 करोड़ रूपए की अनुमानित लागत से 8 परियोजनाएं अनुमोदित हो गईं हैं, जो शहरी विकास मंत्रालय और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय में से प्रत्येक की चार-चार परियोजनाएं हैं।

(xiii) जे एन एन यू आर एम के तहत कार्य की प्रगति नीचे विस्तार से दी गई है:-

(क) कुरुचीकुप्पम, पुदुचेरी में लाभार्थियों को 168 रिहायशी मकान प्रदान किए गए, अवसंचनात्मक कार्य भी पूरा हो गया, इनफार्मल सेक्टर मार्किट के पार्कों का निर्माण, स्ट्रीट-लाइट, वर्षा जल संभरण व्यवस्था, अग्निशमन व्यवस्था का कार्य शुरु किया गया है।

कुरुचिकुप्पम में तैयार रिहायशी इकाइयां

(ख) कराइकोविलपाथु, कराइकल में 72 रिहायशी इकाइयों का काम पूरा हो गया है।

(ग) ''यनम के लिए जल आपूर्ति योजना का संवर्धन'' परियोजना के संबंध में डावलैश्वरम से यनम तक 65.065 कि.मी. की पाइपलाइन में से 55.5 कि.मी. लम्बी पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा हो गया है और पुदुचेरी में उपस्करों सहित 100 कि.मी. सीवर पाइप लाइन का कार्य कार्यान्वयनाधीन है।

यनम में जैक वेल और पम्प हाउस

(घ) लम्बर्ट सर्वानन नगर, रेड्डियारपलायम में बनाई जा रही 1,136 रिहायशी इकाइयों में से 480 रिहायशी इकाइयों का निर्माण और कराइकोविलपाथु, कराइकल में बनाई जा रही 432 रिहायशी इकाइयों में से 144 रिहायशी इकाइयों का निर्माण कार्य पूरा हो गया है।

मत्स्ययन

(xiv) विनासकारी ''थाणे'' चक्रवात की वजह से 15 समुद्री मत्स्ययन गांव प्रभावित हुए। उनकी आजीविका के नुकसान के लिए मुआवजा के तौर पर 3.72 करोड़ रूपए जारी किए गए थे। पंजीकृत (स्टील/लकड़ी की) नौकाओं/कैटामारनों/परम्परागत जलयानों के लिए राहत/मुआवजा के रूप में 18.10 करोड़ रूपए जारी किए गए थे।

अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह

7.5.1 अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र 592 द्वीप समूहों, चट्टानों और द्वीपों से मिलकर बना है जिसमें से केवल 36 द्वीप समूहों में ही लोग रहते हैं। अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह में छह अनुसूचित जनजातियों के लोग अर्थात ग्रेट अण्डमानीज, ओंगेज, जरावा, सेन्टिनेलीज, शोम्पेन्स और निकोबारीज रहते हैं। निकोबारीज के अलावा, अन्य जनजातियां विशेष रूप से असुरक्षित जनजाति समूह (पी टी जी) के रूप में वर्गीकृत हैं। पी टी जी को प्रतिमाह निर्धारित वितरण मानक के अनुसार निःशुल्क राशन और अनुपूरक भोजन उपलब्ध कराया जाता है। पोर्ट ब्लेयर स्थित विभिन्न विद्यालयों में बारह ग्रेट अण्डमानी छात्र पढ़ रहे हैं। आई टी एफ टी शिक्षा समूह चण्डीगढ़ में 28 निकोबारी छात्र स्नातक डिग्री पाठ्यक्रम में पढ़ रहे हैं और शैक्षिक शुल्क और अनुरक्षण भत्ता के रूप में 17.48 लाख रूपए जारी किए गए हैं। इन द्वीप समूहों की विशेष रूप से असुरक्षित जन-जातियों (पी टी जी) के कल्याण एवं विकास के लिए अण्डमान आदिम

जनजाति विकास समिति को 200 लाख रूपए की अनुदान सहायता मंजूर की गई है।

7.5.2 अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह का अत्यंत समुद्री महत्व है। इस द्वीप समूह को ''कालापानी कारागार'' अथवा ''कालापानी'' के रूप से कुख्यात जगह के रूप में जाना जाता था। अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह वर्ष 1956 से भारत का एक संघ राज्य क्षेत्र है। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने अण्डमान द्वीप समूह को अठारहवीं शताब्दी में अपने जलयानों को मानसून के दौरान सुरक्षित बंदरगाह मुहैया कराने के लिए विकसित किया। इसके पश्चात, 1858 में बिट्रिश ने इस द्वीप समूह में एक दाण्डिक यातना गृह की स्थापना की। अनेक स्वतंत्रता सेनानियों को मुख्य भू-भाग से भेजा गया और उन्हें सेल्युलर जेल में रखा गया। वर्ष 1982 में, मुख्य आयुक्त का स्तरोन्यन करके उप राज्यपाल बनाया गया। यह द्वीप समूह 4^0 से 6^0 उत्तरी अक्षांश और 92^0 से 94^0 पूर्वी देशान्तर के बीच स्थित है। कुल भौगोलिक क्षेत्र 8,249 वर्ग किमी. है। अण्डमान और निकोबार 10 डिग्री चैनेलों द्वारा पृथक हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार, इन द्वीप समूहों की आबादी 3,79,944 है। अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों में जनजातीय आबादी का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	जनजातियां	वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार आबादी
1.	ग्रेट अण्डमानीज	57
2.	ओंगेज	110
3.	जरावा	409
4.	सेन्टीनेलीज	50
5.	शोम्पेन	219

7.5.3 अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह की आबादी की वार्षिक घातांकीय वृद्धि दर वर्ष 1951-1961 के दौरान भारत के अन्य राज्यों से उप निवेशन की वजह से उच्चतम (7.10%) थी। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या वृद्धि दर 6.68% है। पिछले वर्षों की तुलना में वर्ष 2011-12 के लिए द्वीप समूह की अर्थव्यवस्था की स्थिर कीमत (2004-05) पर विकास निम्नानुसार है:-

आर्थिक क्षेत्र	2009-10	2010-11	2011-12
प्राथमिक	(-) 0.40	3.33	2.81
माध्यमिक	0.48	5.47	4.72
तृतीयक	22.01	10.05	7.20
कुल जीएसडीपी	13.20	8.19	6.14

7.5.4 अण्डमान और निकोबार दिनांक 31.07.1974 तक एक जिला के रूप में गठित था। दिनांक 01.08.1974 को निकोबार द्वीप समूह का एक पृथक राजस्व जिला के रूप में गठन किया गया जिसका मुख्यालय कार-निकोबार में है। अगस्त, 2006 में अण्डमान जिला का विभाजन दक्षिणी अण्डमान जिला और उत्तरी एवं मध्यवर्ती अण्डमान जिला के रूप में हुआ। यहां छह उप संभाग, नौ तहसीलें और नौ विकास खण्ड है। त्रिस्तरीय पंचायती समितियां संघ राज्य क्षेत्र में मौजूद हैं जिनमें उनहत्तर ग्राम पंचायतें, छह पंचायत समितियां और दो जिला परिषद सम्मिलित हैं। पोर्ट ब्लेयर के लिए अठारह चयनित सदस्यों और तीन नामित सदस्यों की एक नगर पालिका परिषद है। अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह में एक संसदीय निर्वाचन सीट है।

7.5.5 मुख्य भूमि से वास्तविक दूरी और साथ ही द्वीप समूहों के बीच की पृथकता की वजह से लोगों के बीच अलग-थलग पड़े होने की भावना पैदा हो गई है। ये द्वीप समूह कोलकाता से 1,255 किमी. और चेन्नई से 1,190 किमी. की दूरी पर हैं। द्वीप समूह श्रृंखला ही 1,962 किमी. तक फैली है। नौकायन द्वीपवासियों की जीवनचर्या है। इसलिए, मुख्य भूमि और द्वीप समूहों दोनों के बीच सम्पर्कता एक प्रमुख मुद्दा है। प्रशासन के पास इसे मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए पांच जलयान हैं। तीन पुराने जलयानों को अंतर-द्वीपीय सम्पर्कता के लिए बदले जाने की जरुरत है। इस संघ राज्य क्षेत्र के नौकायन विभाग के बेड़े में 82 जलयान हैं। 500 पैक्स जलयान एम वी कैम्पवेल बे दिनांक 30.11.2011 को बेड़े में शामिल हो गया है। द्वीप समूहों के दक्षिणी समूहों की परिवहन आवश्यकता को पूरा करने के लिए अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह द्वारा एक अधुनातन 400 यात्रियों की क्षमता वाला एम एफ सैमसुन भी भाड़े पर लिया गया था। दो नए 500 पैक्स-सह- 150 टन कार्गो वाले जलयान शीघ्र ही बेड़े में शामिल हो जाएंगे। जलयानों के निर्माण हेतु मैसर्स भारतीय शिपयार्ड लिमिटेड को पहले ही आदेश दे दिए गए हैं। अण्डमान एवं निकोबार संघ राज्य क्षेत्र द्वारा भारत में पहली समुद्री जहाज सेवाएं आरम्भ की गईं। संघ राज्य क्षेत्र यात्रियों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए दो दोहरे इंजन वाले समुद्री जहाजों को किराए पर लेने की कार्रवाई कर रहा है। दूर-संचार और इंटरनेट सुविधा में सुधार लाने के लिए अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह में उप-समुद्री केबल डालने की योजना है। योजना आयोग ने सिफारिश की है कि अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह से होकर गुजरने वाले चेन्नई और सिंगापुर के बीच के मौजूदा केबल के साथ चक्राकार रूप में दो शाखायी इकाइयों वाले एक शाखीय

केबल के माध्यम से उप समुद्री आप्टिकल फाइबर केबल द्वारा 6 द्वीप समूहों को मुख्य भूमि से जोड़ा जाना चाहिए। जल प्रबंधन इस द्वीप समूह का गंभीर मुद्दा है। वर्तमान में, दक्षिणी अण्डमान में जलापर्ति पूर्णरूपेण वर्षा जल पर निर्भर है। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन बांध की ऊंचाई बढ़ाने की प्रक्रिया में है ताकि उसकी भण्डारण क्षमता को बढ़ाया जा सके। रुतलैण्ड द्वीप समूह से पोर्ट ब्लेयर के लिए अन्तःसमुद्री (अण्डरसी) जल आपूर्ति परियोजना का कार्य प्रगति पर है।

7.5.6 द्वीपसमूह के निवासियों और पर्यटकों को सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु सभी अधुनातन सुविधाओं, कैंटीन, ए टी एम काउण्टर, सीमा शुल्क और आप्रवासन सुविधायुक्त 1,200 यात्रियों की क्षमता वाले एक यात्री हाल का लोकार्पण किया गया।

7.5.7 राज्य परिवहन सेवाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए परिवहन विभाग ने वित्त वर्ष 2012-13 के दौरान 37 नई बसों के प्रापण की योजना बनायी है। इस संघ राज्य क्षेत्र के इतिहास में पहली बार महिला बस सेवा संचालित करने के परमिट जारी किए गए थे।

7.5.8 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने वर्ष 1951 में स्थापित 1.10 मेगावाट क्षमता से प्रगति करके वर्ष 2012 में 83.71 मेगावाट विद्युत उत्पादन की जबरदस्त प्रगति की है। पर्यटन, होटल उद्योगों, रक्षा संस्थापना, नौकायन एवं मत्स्यन इत्यादि के तीव्र विकास की वजह से इसकी मांग लगातार बढ़ती जा रही है। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने बिजली की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए 5 मेगावाट का डी जी सेट किराये पर लिया है और उन्हें पोर्ट ब्लेयर पावर हाउस में स्थापित किया है। 10 मेगावाट का डी जी सेट चालू हो गया है। पी जी सी आई एल द्वारा बारह सी लिंक ट्रांसमिशन टॉवर खड़े किए गए हैं। रंगाट खाड़ी पावर हाउस और आस्टिन पुल के बीच (लगभग 50 कि.मी. में) 33 किलोवाट की केबल बिछाने का काम पूरा कर लिया गया है। पोर्ट ब्लेयर और दक्षिणी अण्डमान एरिया अण्डरग्राउण्ड केबल डालने का कार्य भी पूरा कर लिया गया है। नील द्वीप समूह में टी एण्ड डी सिस्टम के साथ 5x250 के डब्ल्यू डी जी क्षमता का संवर्धन करने और लांग द्वीपसमूह में टी एण्ड जी सिस्टम के साथ 3x250 के डब्ल्यू डी जी क्षमता के संवर्धन के लिए तकनीकी अनुमोदन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण, नई दिल्ली से प्राप्त हो गया है।

7.5.9 संघ राज्य क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग की 114 उप-केन्द्रों, 21 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 04 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, 5 नगरीय स्वास्थ्य केन्द्रों, 2 जिला अस्पतालों, 01 रेफरल अस्पताल, 01 आयुष अस्पताल और 8 बोर्नियो औषधालयों के रूप में एक सुविकसित स्वास्थ्य अवसंरचना है। सार्वजनिक एवं निजी सहभागिता (पीपीपी) मोड के आधार पर चौलदारी में एक नया प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पी एच सी) शुरु किया गया है। बी जे आर अस्पताल, कार-निकोबार में नए ओ पी डी खण्ड का उद्घाटन किया गया। जी.बी. पन्त अस्पताल में पूर्णतः स्वचालित केमिकल एनालाइजर मशीन की स्थापना करके इसकी पैथालॉजी प्रयोगशाला का उन्नयन किया गया है। अमृता इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंस, कोच्चि के सुपर-स्पेशलिस्टों द्वारा जी.बी. पन्त अस्पताल में यूरोलोजिस्ट, प्लास्टिक सर्जन, मेडिकल गैस्ट्रो इन्टरोलोजिस्ट और नेफ्रोलोजिस्ट जैसी सुपर-स्पेशलाइज्ड सेवाएं उपलब्ध करायी गईं।

7.5.10 अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह में स्थानीय निकायों के अधीन 13 विद्यालयों, केन्द्रीय सरकार के अधीन 04 विद्यालयों, 02 सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों और 96 गैर-सहायता प्राप्त प्राइवेट विद्यालयों के अलावा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के अधीन 317 विद्यालय हैं। इस संघ राज्य क्षेत्र के दूर-दराज क्षेत्रों में सत्रह नए प्राथमिक विद्यालयों के उदघाटन किए गए थे। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने 297 विद्यालयों में पूर्व-प्राथमिक कक्षाएं आरम्भ कीं। द्वीप समूह में कुक्ड मध्याह्न भोजन योजना भी सफलतापूर्वक संचालित की जा रही है जिसमें 31,670 विद्यार्थियों को स्व-सहायता समूहों के माध्यम से ऐसा भोजन प्रदान किया जा रहा है। 480 विद्यार्थियों को मेनलैण्ड स्थित संस्थानों में विभिन्न तकनीकी और गैर-तकनीकी पाठ्यक्रमों में उच्च अध्ययन करने हेतु छात्रवृत्ति भी दी गई है। राजकीय महाविद्यालय (जे एन एन यू आर एम), पोर्टब्लेयर ने विभिन्न विधाओं में सीटों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए दूसरी पाली की शुरुआत की।

7.5.11 मौसम आधारित फसल बीमा योजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर के वी वाई) के तहत चौदह स्वचालित मौसम स्टेशन विभिन्न स्थानों पर स्थापित किए गए हैं। 60 मीट्रिक टन भण्डारण क्षमता के 24 कोल्ड रूम चैम्बर्स स्थापित किए गए। कार-निकोबार में तीन मत्स्य उतराई केन्द्रों और एक कोल्ड स्टोरेज (10 मी0 टन) का निर्माण पूरा हो गया है।

7.5.12 ये द्वीप समूह अद्वितीय अत्यालंकृत सदाबहार उष्ण कटिबंधीय वर्षा वनों की कैनोपी और सुंदर समुद्र तटों (बीचेज) से समृद्ध हैं। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का कार्यान्वयन कर रहा है। पर्यटन क्षेत्र के तहत, कैनोपी वाकवे परियोजना

का निर्माण कार्य प्रगति पर है। महात्मा गांधी समुद्री राष्ट्रीय पार्क, वन्डूर आने वाले पर्यटकों के लाभार्थ एक इन्टरप्रेटेशन केन्द्र (पर्यावरण अध्ययन आधारित परियोजना) का उद्घाटन 09.04.2012 को किया गया था। पर्यटन विभाग ने स्कूबा गोताखोरों के लिए एक डिकम्प्रेशन चैम्बर की स्थापना की है। सेलुलर जेल में ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शनी की बढ़िया प्रतिक्रिया मिलने पर, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने 4.86 करोड़ रूपए की कुल परियोजना लागत से रोस द्वीपसमूह में ध्वनि एवं प्रकाश प्रदर्शिनी की भी स्थापना कर रहा है।

7.5.13 इस संघ राज्य क्षेत्र में सिविल सप्लाई विभाग को डिजिटाइज किया गया है। प्रशासनिक पोर्टल के अधीन एक नई वेबसाइट रिलीज की गई है। इस वेबसाइट में विभागीय गतिविधियों, उचित मूल्य दूकानों द्वारा खाद्यान्न के उठाने, राशन कार्ड इत्यादि की पूरी जानकारी उपलब्ध होती है। विभाग ने पी डी एस वस्तुओं और एल पीजी सिलेण्डरों पर नकद सब्सिडी का सीधा अंतरण करने के लिए राशन कार्ड धारकों के भरे हुए ''नो योर कस्टमर्स (के वाई सी) फार्म'' और ब्यौरे एकत्र करना आरम्भ कर दिया है।

7.5.14 अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह, भारत का बहु-जोखिम प्रवण क्षेत्र है। इसके तटीय क्षेत्र बाढ़, चक्रवात, तूफानी हिलोरों, बादल फटने और टारनेडो जैसे जलीय मौसम विज्ञान जनित आपदाओं से विशेष रूप से जोखिम प्रवण हैं। भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार आपदा प्रबन्धन महानिदेशालय की स्थापना की गई थी। अण्डमान एवं निकोबार संघ राज्य क्षेत्र आपदा प्रबंधन योजना, 2012 और विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम संबंधी दिशानिर्देश तैयार किए गए हैं। इस संघ राज्य क्षेत्र के अलग-अलग द्वीप समूहों में छह आपात संचालन केन्द्रों की स्थापना की गई है। कैम्पबेल खाड़ी अनुर्बर कार निकोबार में दो सूनामी सायरन संचालित हैं जिनकी प्रवणीय सीमा 2-3 किमी. है। 55 अन्य अभिनिर्धारित स्थानों में सूनामी सायरन लगाने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

लक्षद्वीप

7.6.1 लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र एक ऐसा द्वीप समूह है जिसमें 12 प्रवाल द्वीप, तीन प्रवालभितियां और पांच जलमग्न टीले हैं। यह एकल जिला संघ राज्य क्षेत्र है जिसका क्षेत्रफल 32 किमी. है और यह 27 द्वीपसमूहों, 3 प्रवालभित्तियों और 6 जलमग्न बालुई टीलों से मिलकर बना है जिसमें 10 द्वीप समूहों में लोग रहते हैं और ये केरल के पश्चिम की ओर 200 से 400 किमी. की भिन्नतापूर्ण दूरी पर बिखरे हुए हैं।

7.6.2 लक्षद्वीप का प्रशासन एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी द्वारा प्रशासित होता है जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 के तहत नियुक्त किया जाता है। प्रशासक के अधीन 2 आई ए एस अधिकारी अर्थात कलेक्टर-सह विकास आयुक्त और लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक होते हैं जिन्हें उनको आबंटित विभिन्न विभागों के पदेन सचिव के रूप में घोषित किया जाता है। दो आई पी एस अधिकारियों को भी तैनात किया जाता है जिनमें एक पुलिस अधीक्षक के रूप में और दूसरा कमाण्डेन्ट आर आर बी एन के रूप में कार्य करता है। सभी 10 वसाबट वाले द्वीप समूह प्रशासनिक तंत्र के लिए उप-कलेक्टर/उप संभागीय अधिकारी द्वारा प्रशासित हैं।

7.6.3 लक्षद्वीप का संसद में प्रतिनिधित्व एक संसद सदस्य द्वारा किया जाता है। लक्षद्वीप में दो स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था मौजूद है। सभी 10 बसावट वाले दीपों में ग्राम (द्वीप) पंचायत है जिनमें से प्रत्येक के सदस्यों की 79 सीटें है। कवरत्ती में अध्यक्ष-सह-काउन्सलर की अध्यक्षता में कुल 33 सदस्यों वाली जिला पंचायत विद्यमान है।

7.6.4 सहभागितापूर्ण विकास की दिशा में अत्यन्त बड़ा कदम उठाते हुए, इस संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने 01.01.2012 से 05 प्रमुख क्षेत्रों को पंचायतों को सौंपने का कार्य किया है। ये क्षेत्र, नागरिकों की दिन-प्रतिदिन की जीवनचर्या को प्रभावित करते हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, मत्स्ययन, कृषि और पशुपालन जैसे क्षेत्रों को अब पंचायती राज संस्थाओं (पी आर आई) द्वारा संभाला जा रहा है।

अर्थव्यवस्था और आजीविका

7.6.5 लक्षद्वीप की अर्थव्यवस्था प्राथमिक तौर पर नारियलों और मछली पकड़ने पर आधारित है। यहां पर परम्परागत घरेलू उद्योग टूना मछली पकड़ने, क्वायर सिरका (विनेगर), गुड़ (जैगरी), कोपरा बनाने के इर्द-गिर्द घूमता है।

7.6.6 नौकायन लक्षद्वीप द्वीपसमूह की जीवनचर्या है। खाद्यान्न, सब्जी, भवन निर्माण सामग्री, तेल, एल पी जी इत्यादि की सभी प्रकार की आपूर्ति के लिए ये लोग मेनलैण्ड

पर निर्भर होते हैं। यहां 25 जलयान हैं जिनमें 4 सभी मौसम वाले जहाज, 03 साफ मौसम वाले जहाज, 10 अति तीव्र गति वाले जलयान और 6 कार्गो बजरा (एक एल पीजी वाहक और 2 बोलार्ड पुलटैग) शामिल हैं जिनका संचालन लक्षद्वीप विकास निगम द्वारा किया जाता है। 2x400 पैक्स जहाज, 150 टन तेल वाहक बजरा, 800 एम टी बहुप्रयोजनीय 2 कार्गो जलयान और 1000 एम टी तेल वाहक बजरा को बेड़े में शामिल करने का प्रस्ताव हे। पवन हंस लिमिटेड द्वारा संचालित दो हेलीकॉप्टर प्रशासनिक कार्यों और चिकित्सा संबंधी आवागमन कार्य हेतु प्रशासन के पास उपलब्ध हैं।

लक्षद्वीप द्वीपसमूह का यात्री जहाज

पूर्वी तट के घाट और तरंग-रोध

7.6.7 पूर्वी ओर के पोतारोहण घाट यात्रियों के सुरक्षित पोतारोहण/पोतावरोहण के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं। पूर्वी तरफ के पोतारोहण घाट 4 द्वीपसमूहों अर्थात कवरत्ती, मिनिकोय, अगत्ती और अमिनी में बनाए गए। मिनिकोय और अगत्ती के घाट सामान्य समुद्री स्थिति में संचालित कर दिए गए हैं और अन्य दो का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। एन्ड्रोट और कल्पेनी द्वीपसमूह में द्वितीय चरण का तरंग-रोध निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है। एन्ड्रोट में तृतीय चरण के तरंग-रोध निर्माण का प्रस्ताव 12वीं पंचवर्षीय योजना में पहले ही शामिल कर लिया गया है।

7.6.8 प्रशासन द्वीप समूह की समुद्री यात्रा को सुविधाजनक और सुखद बनाने के लिए हर प्रकार के कदम पहले ही उठा चुका है। कोच्चि में एक समर्पित लंगरगाह के जनवरी, 2013 से शुरु हो जाने की संभावना है। केरल सरकार ने 200

मिनिकोय (लक्षद्वीप) का घाट

मीटर के समर्पित लंगरगाह के निर्माण के लिए बेपोर में भूमि आबंटित की है जिसका निर्माण केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा लगभग 49.3 करोड़ रूपए की लागत से किया जाएगा। कर्नाटक सरकार भी लक्षद्वीप प्रशासन के लिए मंगलौर में 300 मीटर लम्बा लंगरगाह आबंटित करने के लिए सहमत हो गई है।

7.6.9 घरेलू उपभोग के लिए साफ और स्वच्छ जल मुहैया कराने के लिए, प्रशासन राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान (एन आई ओ टी) की मदद से 99 करोड़ रूपए की लागत से 6 द्वीपसमूहों में लवणताहारी संयत्र (डिसैलिनेशन प्लांट) स्थापित करेगा जिसके लिए भारत सरकार ने अनुमोदन दे दिया है। इसके साथ ही, गैर-नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एम एन आर ई) के सहयोग से बित्रा में 10,000 लीटर क्षमता का सौर्य तापीय लवणताहारी संयंत्र लगाने का निर्णय लिया गया है।

7.6.10 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसार उच्च सुरक्षा पंजीकरण प्लेट (एचएसआरपी) का सफलतापूर्वक कार्यान्वयन किया है। स्मार्ट कार्ड आधारित ड्राइविंग लाइसेन्स और पंजीकरण प्रमाण-पत्र शीघ्र ही जारी किए जाएंगे।

7.6.11 द्वीपसमूहों के लिए एकीकृत द्वीप समूह प्रबंधन योजना पृथ्वी विज्ञान अध्ययन केन्द्र (सी ई एस एस), तिरूवनन्तपुरम के सहयोग से तैयार की जा रही है।

7.6.12 लक्षद्वीप में मलजल का निपटान सर्वाधिक गंभीर पर्यावरणीय समस्या है। इस समस्या से उबरने के लिए इस प्रशासन ने अलग-अलग द्वीपों में 12,000 बायो-डाइजेस्टर्स

लगाने का निर्णय लिया है। लगभग 200 बायो-डाइजेस्टर्स पहले ही बेपोर पहुंच चुके हैं और कवरत्ती में शीघ्र ही इनके लगने का कार्य शुरु किया जाएगा।

7.6.13 18 सामान्य सेवा केन्द्र (सी एस सी) स्थापित किए जाएंगे। ''आश्रय'' नामक ऐसे 12 केन्द्र पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं। शत-प्रतिशत (100%) साक्षर लक्षद्वीप का अभियान चलाया जा रहा है। टेलीफोन आधारित नागरिक शिकायत समाधान प्रणाली आरम्भ की गई है।

चंडीगढ़

7.7.1 ''खूबसूरत शहर'' के नाम से विख्यात चंडीगढ़ को देश का सर्वाधिक स्वच्छ, हरित और सुरक्षित शहर की मान्यता दी गई है। यद्यपि, इस शहर को बहुत ही सुनियोजित और पूर्ण अनुरक्षित शहर के रूप में जाना जाता है, तथापि प्रशासन इसकी अवसंरचना और प्रबंधन में सुधार लाने के लिए ठोस प्रयास कर रहा है। वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने अनेकानेक विकास परियोजनाएं शुरु की हैं।

7.7.2 उठाए गए कदमों में, शहर की शासन व्यवस्था की निर्णायक प्रक्रिया में विभिन्न स्टेकहोल्डरों की सहभागिता को प्रोत्साहित करने के लिए सलाहकार परिषद का पुनरूद्धार किया गया। जो अन्य महत्वपूर्ण पहल शुरु की गई वह है लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण जिसके द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा की कार्य प्रणाली और वी3 सड़कों, पार्कों और उद्यानों का प्रबंधन नगर निगम को अन्तरित किया गया। इसके अतिरिक्त, शहर की वास्तुकला – ली कर्ब्यूसियर की संकल्पना को साकार करने के लिए, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने शहर की तेजी से बदलती हुई जनसांख्यिकी प्रोफाइल के अंतर्गत सार्वजनिक जरुरतों को समाधान करते समय शहर की बुनियादी वास्तु विरासत को बनाए रखने की परिकल्पना की है।

7.7.3 चंडीगढ़ के दक्षिणी क्षेत्र, जो अभी तक शीर्ष प्राथमिकता क्षेत्रों में आने में छूट गए थे, पर विशेष ध्यान दिए गए। अनेक विषय आधारित उद्यानों का विकास किया गया। उन क्षेत्रों में रह रहे लोगों के लाभार्थ विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना की गई है। जे एन एन यू आर एम एसी, गैर-एसी बसों और मिनी एसी बसों की शुरुआत करके परिवहन प्रणाली को अधुनातन बनाने की पहल शुरु की गई है। लोक व्यवस्था कायम रखने के लिए प्रभावकारी संचार प्रणाली और समुचित मोबिलिटी प्रणाली के साथ-साथ कार्मिक शक्ति में वृद्धि करके पुलिस विभाग को भी सशक्त बनाया गया है।

7.7.4 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा चालू वर्ष के दौरान विभिन्न क्षेत्रों में की गई प्रमुख विकासपरक पहलों का उल्लेख निम्नलिखित पैरों में किया गया हैः-

शिक्षा एवं खेलकूद

7.7.5 कई वर्षों से चंडीगढ़ उत्तर भारत में एक महत्वपूर्ण शिक्षा केन्द्र के रूप में उभरा है। इसने मणिपुर, मिजोरम और सिक्किम के पूर्वोत्तर राज्यों सहित जम्मू एवं कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार के अलावा, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों से भारी संख्या में छात्रों को आकर्षित किया है।

7.7.6 शिक्षा का आधुनिकीकरण करने और इसके प्रदान करने के तरीके के अपने प्रयास में प्रशासन एक महाविद्यालय अर्थात परास्नातक राजकीय महाविद्यालय, सेक्टर-11 ने एलसीडी प्रोजेक्टरों,डिजिटल पोडियमों, डेस्क कम्प्यूटरों और इनटरनेट सम्पर्कता की स्थापना करके 15 स्मार्ट क्लास रूमों की स्थापना की है। विद्यार्थियों एवं स्टाफ के लाभार्थ आनलाइन पत्र-पत्रिका और ई.बुक्स का अंशदान करके पुस्तकालय को कम्प्यूटरों और इन्टरनेट सुविधा से सुसज्जित किया गया है।

लड़कियों के लिए परास्नातक महाविद्यालय सेक्टर 42, चंडीगढ़ के सूचना प्रौद्योगिकी ब्लॉक का उद्घाटन

7.7.7 हाल ही में, परास्नातक राजकीय बालिका महाविद्यालय, सेक्टर-42 में सूचना प्रौद्योगिकी प्रखण्ड की स्थापना की गई और

यह चंडीगढ़ की राजकीय शैक्षणिक संस्थाओं में से अपनी तरह का पहला कॉलेज है। इसने प्रौद्योगिकी ज्ञानमुक्त (सैबी) शिक्षा के युग का सूत्रपात किया है और राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर उच्चतर पढ़ाई के संबंधित उद्योगों/संस्थानों के साथ सम्पर्क को प्रोत्साहन दे रहा है। इसके द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में बी सी ए, पी जी डी सी ए, एम एस सी (आई टी) और फंक्शनल अंग्रेजी शामिल हैं।

7.7.8 प्रौद्योगिकी संचालित विद्यालय देखने का संघ राज्य क्षेत्र का दृष्टिकोण क्लासरूम शिक्षण को पाठ्यपुस्तकों से परे हटकर ई-टीचिंग का समेकन करते हुए सेक्टर 53 में पहला स्मार्ट विद्यालय संचालित होने से साकर हुआ। शिक्षा विभाग का यह प्रयास युवाओं के सशक्तीकरण की दिशा में पहला कदम है। सेक्टर-50 और सेक्टर-54 में दो नए स्मार्ट विद्यालयों की शीघ्र ही स्थापना की जाएगी ओर सेक्टर-35 एवं सेक्टर-16 में दो विद्यालयों को स्मार्ट विद्यालयों में रुपान्तरित करने का कार्य प्रगति पर है।

परिवहन

7.7.9 चंडीगढ़ प्रशासन ने एक बढ़िया और सक्षम सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की स्थापना करने की दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। वर्तमान समय में, चंडीगढ़ परिवहन उपक्रम (सी टी यू) के पास 517 बसों का बेड़ा है जिसमें जे एन एन यू आर एम योजना के तहत चल रही 100 बसें भी शामिल हैं। जे एन एन यू आर एम योजना के तहत चल रही बसें सुविधाजनक यात्रा की दृष्टि से अल्ट्रा मॉडर्न सुविधाओं से युक्त हैं। विद्यमान 192 शेल्टरों के अलावा 60 अतिरिक्त क्यू शेल्डर जोड़े जा रहे हैं। बेहतर रूट आयोजना और मानव संसाधनों के ईष्टतम उपयोग की वजह से सी टी यू की आय पिछले वर्ष की 24.06 लाख प्रतिदिन से बढ़कर 25.71 लाख प्रतिदिन हो गई है। प्रशासन के 49 सभी बसों और इतनी ही गैर-एसी बसें खरीदने के प्रस्ताव किया है। वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान सभी बसों में जी पी एस और आई टी एस प्रणाली लगायी जाएगी और ई-टिकिटिंग-मशीनों को शुरु किया जाएगा।

पुलिस विभाग

7.7.10 चंडीगढ़ पुलिस को अधुनातन उपकरणों, शस्त्रों और गोला-बारुद से आधुनिकीकृत किया जा रहा है। लोगों की काल्स पर पुलिस की ओर से की जाने वाली कार्रवाई के समय को न्यूनतम करने के लिए एक उच्च प्रौद्योगिकीय पुलिस कंट्रोल कक्ष-स्थापित किया गया है। बैंकों और ज्वैलरी की दूकानों के सहयोग से ऑटो-डायलर सुविधा शुरु की गई है। आधुनिकीकरण योजना के तहत, अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सेक्टर-25 में शूटिंग-रेंज का उन्नयन किया जा रहा है।

उद्योग

7.7.11 हालांकि ''यह सुन्दर शहर'' एक औद्योगिक शहर के रूप में दृष्टिगोचर नहीं होता तथापि, यहां के लोगों की आर्थिक सुदृढ़ता के लिए उद्योग और व्यापार को भी महत्व दिया गया है और इसके लिए लगभग 1,475 एकड़ भूमि क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र के लिए प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, औद्योगिक क्षेत्र के चरण-III के विकास हेतु ग्राम मौलीजागरन की राजस्व परिसम्पति में 152 एकड़ भूमि का अभिनिर्धारण किया गया है। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत, दिनांक 31.12.2012 तक 1,016 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों को उद्यमियों का ज्ञापन जारी किया गया है। ये इकाईयां मुख्यतः सहायक प्रकृति की हैं और इन्होंने लगभग 27,270 लोगों को रोजगार मुहैया कराया है।

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग

7.7.12 विभाग ने जिला अदालतों और मॉडल जेलों के बीच वीडियो कान्फरेसिंग लिंक की भी सुविधा प्रदान की है। सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते समय, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने ''चंडीगढ़ शहर गाइड'' का शुभारम्भ किया जो स्मार्ट फोनों के लिए प्रायोगिक तौर पर चलाया जा रहा एक मोबाइल अनुप्रयोग (अप्लीकेशन) है। विभाग ने शहर में पर्यटक सूचना और वाहन पंजीकरण संख्या उपलब्धता सूचना मुहैया कराने के लिए दो टचस्क्रीन सूचना क्योस्क भी स्थापित किए हैं।

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग

7.7.13 चंडीगढ़ को देश के चार मॉडल सोलर शहरों में से एक शहर के रूप में घोषित किया गया है। चंडीगढ़ प्रशासन ने वर्ष 2012 में संघ राज्य क्षेत्र सचिवालय भवन की छत में 50 के.वी. एस.पी.वी. के विद्युत संयंत्र के उद्घाटन के साथ इस दिशा में एक बड़ी उछाल लगायी हैं। चंडीगढ़ में 'मॉडल सोलर सिटी

मास्टर प्लान' (टी ई आर आई, दिल्ली द्वारा तैयार) के अनुसार रूफ ऑप सोलर फोटोवोल्टैक पावर जनरेशन हेतु अल्पकालिक लक्ष्य (2012-15) 2.5 एम डब्ल्यू पी और दीर्घकालिक लक्ष्य (10 वर्ष) 10 एम डब्ल्यू पी है। सी आर ई एस टी (चंडीगढ़ नवकरणीय ऊर्जा,विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संवर्धन सोसाइटी) सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की कार्यान्वयन एजेन्सी है जिसने एस पी वी परियोजनाओं के 1.8 एम डब्ल्यू पी से ज्यादा के टेण्डर देने के साथ सौर शहर परियोजना के कार्यान्वयन में आगे रहा है। नवनिर्मित पर्यावरण भवन, सेक्टर 19 में 50 के डब्ल्यू पी एस पी वी विद्युत संयंत्र को हाल ही में चालू कर दिया गया है और वह परीक्षण के दौर में हैं और राजकीय मॉडल सीनियर सेकण्डरी स्कूल, सेक्टर-46 डी में एक दूसरा 50 के डब्ल्यू पी एस पी बी का विद्युत संयंत्र भी वर्ष 2012 में चालू हो गया है।

दमण एवं दीव

7.8.1 चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान दमण एवं दीव प्रशासन ने अनेकानेक विकास परियोजनाएं प्रारम्भ की है जिनका उल्लेख नीचे किया गया है।

विद्युत क्षेत्र

7.8.2 निम्नलिखित कार्य/परियोजनाएं प्रगति पर हैंः-

(i) 36.42 करोड़ रूपए की लागत से खाडी पर रिंगनवाडा में 66/11 के वी उप स्टेशन में 20 एम वी ए पावर का ट्रासंफार्मर जोड़कर 20 एम बी ए+20 एम बी ए करके उसका संवर्धन करना।

(ii) रिंगनवाडा, दमण में 1x160+2 x50 एम वी ए, 220/66/11/केवी उप स्टेशन की स्थापना और उसके साथ दमण पीजीसीआईएल की 220 केवी अम्भेटी उप स्टेशन से रिंगनवाडा उप स्टेशन में 220 के वी डी सी लाइन के 220 के वी डी सी लाइन सहयोजित करना। इससे समुचित आपूर्ति में सुधार होगा और 220 केवी मगरवाडा उप स्टेशन में बडा ब्रेक डाउन के मामले में स्टैण्ड वाई फीडिंग व्यवस्था सुनिश्चित होगी। इस योजना से यह संघ राज्य क्षेत्र जीईटीसीओ नेटवर्क से पीजीसीआईएल को अपना सारा पावर लोड अन्तरित करने में सक्षम हो जाएगा।

(iii) झारी में 30 एम वी ए की क्षमता वाले 66/11 केवी, 2x15 एमवीए उपस्टेशन की स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

(iv) वर्तमान 66 केवी मगरवाडा – वरकुण्ड और मगरवाडा-काचीवाडा डी/सी लाइन का दमण में हाई टीएसीएसआर 160 वर्ग एमएम कण्डक्टर द्वारा संवर्धन करने का कार्य कार्यान्वयनाधीन है।

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

7.8.3 वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान (जुलाई, 2012 तक) दमण एवं दीव प्रशासन द्वारा लोगों की सामाजिक सुरक्षा के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैंः-

(i) वृद्धावस्था पेंशन योजना (वरिष्ठ नागरिक) के तहत 5,947 लाभार्थियों को 1000 रूपए प्रति माह की दर से पेंशन प्रदान की गई है।

(ii) विधवा पेंशन योजना के तहत 4,694 विधवाएं लाभान्वित हुई।

(iii) अक्षम व्यक्ति पेंशन योजना के तहत 587 व्यक्ति लाभान्वित हुए।

(iv) सरस्वती साधना योजना के तहत 5.38 लाख रूपए की लागत से VIII वीं कक्षा में पढ़ रही छात्राओं को 200 साइकिलें वितरित की जा रही हैं।

(v) पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति के अंतर्गत, 500 अल्पसंख्यक छात्रों को 14.72 लाख रूपए की धनराशि संवितरित की जाएगी। मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति के तहत 52 अल्पसंख्यक छात्रों को 4.58 लाख की राशि संवितरित की जा रही है।

स्वास्थ्य

7.8.4 दमण और दीव प्रशासन द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र के अन्तर्गत निम्नलिखित परियोजनाएं शुरु की गई हैंः-

(i) मारवाड स्थित सरकारी अस्पताल में पोस्ट मार्टम कक्ष और शवगृह की क्षमता का विस्तार करके उसका सुदृढ़ीकरण किया गया है। अस्पताल में बर्न वार्ड, न्यूरोसर्जरी, कैंसर, डायलिसिस यूनिट का आरम्भ करने और आपरेशन थिएटर का नवीकरण करने की योजना के साथ उसकी बिस्तरों की क्षमता को 100 बिस्तरों से बढ़ाकर 200 बिस्तरों वाला किया जाएगा।

(ii) पल्स पोलियो प्रतिरक्षण कार्यक्रम के पहले दौर के दौरान ओरल पोलियो वैक्सीन द्वारा 24,628 बच्चों का प्रतिरक्षण

किया गया। इसी प्रकार, पल्स पोलियो प्रतिरक्षण के दूसरे दौर के दौरान 24,014 बच्चों को पोलियो की खुराक दी गई।

पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम के तहत पोलियो टीकाकरण

(iii) राजकीय अस्पताल, मारवाड़, नानीदमन में 96.21 लाख रूपए की लागत से नवनिर्मित ओ पी डी ब्लॉक के प्रथम तल का निर्माण कार्य पूरा होने वाला है। विभाग ने सी टी स्कैन मशीन का प्रापण किया है। रोगी कल्याण समिति के माध्यम से इसने कार्य करना शुरु कर दिया है। राजकीय अस्पताल, मारवाड में मार्च, 2013 तक डायलिसिस यूनिट भी कार्य करने लगेगी।

(iv) कम्युनिटी स्वास्थ्य केन्द्र, मोती दमन में एक इलिसा प्रणाली के माध्यम से डेंगू और चिकनगुनिया का निदान (डायग्नोस) करने के लिए एक सेन्टिनल सर्विलान्स अस्पताल की स्थापना की गई है।

राजकीय चिकित्सालय मारवाड, नानी दमन में ओ पी डी ब्लॉक का निर्माण

(v) बुचरवाडा गांव में उप केन्द्र के लिए एक नया भवन निर्माणाधीन है।

पुलिस आधुनिकीकरण योजना

7.8.5 दमण एवं दीव प्रशासन ने पुलिस का आधुनिकीकरण करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) चालू वित्त वर्ष 2012-13 के लिए वाहन, संचार, भूमि एवं भवन, उपकरण, हथियार के शीर्ष के तहत पुलिस आधुनिकीकरण योजना के लिए दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र को 450 लाख रूपए मंजूर किए गए है।

(ii) 70 लाख रूपए की लागत से 18 स्वचालित लाइसेन्स प्लेट रिकगनिशन का प्रापण किया गया है।

(iii) विभाग के लिए 6 लाख रूपए के कॉल डिटेल एनालाइजर की भी खरीद की गई।

(iv) पुलिस मुख्यालय में स्पोर्टस परेड ग्राउण्ड और मोटर ट्रेनिंग कार्यशाला का निर्माण कार्य विचाराधीन है।

तटीय सुरक्षा योजना

7.8.6 तटीय सुरक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(i) तटीय सुरक्षा योजना चरण-II को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। इसी प्रकार दमण एवं दीव संघ राज्य क्षेत्र के लिए 02 तटीय पुलिस स्टेशनों, 12 टन की 04 बोटों, 02 घाटों, 02 चार पहिया वाहनों और 04 मोटर साइकिलों के अनुमोदन की भी मंजूरी दे दी गई है।

(ii) **कदैया, दमन में तटीय पुलिस स्टेशन:-** ग्राम कदैया, दमन में तटीय पुलिस स्टेशन के लिए 3,000 वर्ग मीटर भूमि का चयन कर लिया गया है और उसका अधिअर्जन हो गया है। भूमि का कब्जा लेने और योजना डिजाइन, अनुमान को प्रस्तुत करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

(iii) **वनकबाडा, दीव में तटीय पुलिस स्टेशन:** दीव में तटीय पुलिस स्टेशन के निर्माण हेतु 1,950 वर्ग मीटर भूमि का चयन कर लिया गया है। 48 लाख रूपए की निधि पीडब्ल्यूडी, दीव के निपटान पर रख दी गई है।

(iv) तटीय पुलिस स्टेशन, दमण के लिए घाट (जेट्टी) का निमार्ण कार्य 2.98 करोड़ रूपए की लागत से किया जा रहा है। इस कार्य के मार्च, 2013 के अंत तक पूर्ण हो जाने की उम्मीद है।

(v) **दीव घाट का निर्माणः** म्युनिसिपल गार्डन, दीव के निकट कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने/समुद्र के साथ स्थान का चयन कर लिया गया है। पुलिस विभाग द्वारा प्लॉन, डिजाइन अनुमोदित कर दी गई है। दीव में घाट के निर्माण की कुल लागत 73.25 लाख रूपए है।

(vi) **महत्वपूर्ण स्थापनाएं:** महत्वपूर्ण स्थानाओं की सुरक्षा जांच की गई है और सुरक्षा तथा पूर्वसावधानी उपाय करने के लिए सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं। बैंकों और तांबा एवं प्लास्टिक दानों का कारोबार करने वाले उद्योगों की भी लेखा परीक्षा जांच की गई है। तट रक्षकों द्वारा तैयार की गई मानक प्रचालन प्रक्रिया (एस ओ पी) को कस्टोमाइज और कार्यान्वित किया गया है।

चक्रतीर्थ, दीव जिला में खुखरी स्मारक का जीर्णोद्धार

पर्यटन

7.8.7 दमण और दीव, भारत में तेजी के साथ उभरने वाले गन्तव्य स्थलों में से एक है। पर्यटन को बढ़ावा देने और संघ राज्य क्षेत्र आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराने के सतत प्रयास किए जा रहे हैं। इस प्रयोजनार्थ प्रशासन द्वारा निम्नलिखित परियोजनाएं कार्यान्वित की गई हैं:-

(i) दमण जिले में नारियेली पूर्णिमा महोत्सव, 2012 का आयोजन किया गया।

(ii) संघ राज्य क्षेत्र में विभिन्न पर्यटन स्थलों का सौंदर्यीकरण एवं विद्युतीकरण किया गया।

दादरा एवं नगर हवेली

7.9.1 इसका क्षेत्रफल 491 वर्ग कि.मी. है और यह दो इन्क्लेव अर्थात (1) दादरा और (2) नगर हवेली से मिलकर बना है। इस संघ राज्य क्षेत्र में 65 गांव और 05 नगर, एक जिला पंचायत, 11 ग्राम पंचायतें और एक नगर परिषद हैं। बलसाड़ (गुजरात) और थाणे (महाराष्ट्र) जिले इसके साथ सटे हुए हैं। वर्ष 2011-12 और 2012-13 के दौरान कार्यान्वित की गईं विभिन्न योजनाओं/परियोजनाओं के ब्यौरे निम्नलिखित पैराग्राफों में दिए गए हैं:-

विद्युत प्रणाली

7.9.2 संघ राज्य क्षेत्र की ट्रांसमिशन एवं वितरण क्षमता का संवर्धन करने और विद्युत वितरण नेटवर्क को सुदृढ़ बनाने के लिए वर्ष 2011-12 और 2012-13 के वित्त वर्षों के दौरान निम्नलिखित प्रमुख परियोजनाएं पूरी की गईं हैं:-

(i) 220/66के वी खरादपाडा उप स्टेशन का 350 एम वी ए से 400 एम वी ए में संवर्धन।

(ii) खदोली, रखोली और आमली उप स्टेशनों में 20 एम वी ए का ट्रांसफार्मर जोड़कर 66/11 के वी उप स्टेशन का संवर्धन।

(iii) अथाल में 66/11 के वी, 2x20 एम वी ए उप स्टेशन की स्थापना।

श्री नरेन्द्र कुमार, प्रशासक, दमन एवं दीव और दादरा और नगर हवेली द्वारा अथल में 66/11 के वी 2x20 एमवीए के सब-स्टेशन का उद्घाटन

(iv) निम्नलिखित प्रमुख योजनाएं चल रही हैं जिनका कार्य पहले से ही प्रगति पर है:-

(क) वाघधारा और पिपारिया में 66/11 केवी, 2 x20 एमवीए उप स्टेशन की स्थापना।

(ख) वेलुगाम और काला में 66/11 केवी, 2 x15 एमवीए उप स्टेशन की स्थापना।

(ग) वाघचीपा में 220/66 केवी, 2 x160 एमवीए उप स्टेशन की स्थापना।

(घ) खदोली में 220/66 केवी उप स्टेशन का 2 x160 एमवीए से 3 x160 एमवीए में संवर्धन।

(ड़) प्रस्तावित 400 केवी काला उप स्टेशन से खदोली उप स्टेशन तक 220 केवी इंटरकनेक्टिंग लाइनों को खड़ा करना।

(च) प्रस्तावित 400 केवी काला उप स्टेशन से खरादपाडा उप स्टेशन तक 220 केवी इंटर कनेक्टिंग लाइनों को खड़ा करना।

(छ) दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र के लिए पीजीसीआईएल द्वारा डब्ल्यूआरपीसी की क्षेत्रीय योजना के अन्तर्गत गांव काला में 400 केवी उप स्टेशन की स्थापना।

स्वास्थ्य

7.9.3 दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्यक्षेत्र में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं निम्नलिखित नेटवर्क के माध्यम से मुहैया करायी जाती हैं:-

जिला अस्पताल	:	01 (सिलवासा में 241 बिस्तरों वाला)
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	:	01 (खानवेल में 50 बिस्तरों वाला)
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	:	06 (सभी 6 पीएचसी, 1 चिकित्सा अधिकारी, 1 आयुष डॉक्टर, 3 स्टाफ नर्सों के साथ चौबीसों घण्टे 24x7 कार्यरत है)
ग्रामीण औषधालय	:	03
उप केन्द्र	:	50
सचल चिकित्सा ईकाई	:	01

7.9.4 दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र वर्ष 1997 से पोलियो मुक्त है।

7.9.5 मातृ एवं शिशु ट्रेकिंग प्रणाली (एमसीटीएस) के माध्यम से गर्भवती महिलाओं का पता लगाने की संघ राज्य क्षेत्र में नई पहल शुरु की गई है। इससे एएनसी सेवाओं की अनुवर्ती कार्रवाई बढ़ाने और किसी छूट गए मामले की पहचान करने में मदद मिलेगी। इसके अलावा, अलग-अलग प्रकार की स्वास्थ्य सेवाओं के बारे में लोगों, विशेषकर जनजातीय क्षेत्रों में जागरूकता पैदा करने के लिए आशा का नया संवर्ग भी जोड़ा गया है। वर्ष 2012-13 के दौरान, 10-19 आयु वर्ग के किशोरों में पनप रही पोषाहार की कमी को दूर करने के लिए साप्ताहिक फोलिक एसिड अनुपूर्ति की योजना शुरु करने और सीएचसी खानवेल में पोषाहार पुनर्वास केन्द्र स्थापित करने की योजना है।

7.9.6 दिसम्बर, 2012 तक दुर्घटना निवारण सह अभिघात इकाई में 32,062 रोगियों का इलाज हताहत यूनिट में, 1,886 रोगियों का इलाज गहन देखभाल कक्ष में और 3,938 व्यक्तियों की सर्जरी की गई है।

7.9.7 कार्यान्वित की गई अन्य महत्वपूर्ण योजनाए निम्नलिखित हैं:-

(i) **बालिका बचाओ योजना:** वर्ष 2011-12 के दौरान, 229 लाभार्थीगण कवर किए गए और चालू वर्ष अर्थात 2012-13 यानी 31.12.2012 तक योजना के अन्तर्गत 250 लाभार्थीगण लाभान्वित किए गए है और योजना के आरम्भ से लेकर अब तक कुल 1,136 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं।

(ii) **नर्सिंग स्कूल:** यह वर्ष 2007-08 में आरम्भ हुआ। इस स्कूल को कॉलेज आफ नर्सिंग में उन्नयन करने का प्रस्ताव विचाराधीन है और वर्ष 2013-14 तक यह कालेज कार्य करना आरम्भ कर देगा।

(iii) **जननी-शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके):** वर्ष 2011-12 के दौरान इस योजना के तहत 2,915 लाभार्थी लाभान्वित हुए जबकि वर्ष 2012-13 के दौरान (31.12.2012 तक) 977 लाभार्थी लाभान्वित किए गए। प्रशासन ने दिनांक 21.11.2012 से जेएसएसके के तहत मां एवं नवजात शिशु को वापस घर छोड़ने के लिए ''पहली सवारी'' वाहन आरम्भ किया है।

(iv) **मातृ समृद्धि योजना (एमएसवाई):** संघ राज्य क्षेत्र सरकारी संस्थाओं में संस्थागत डिलीवरी के लिए एमएसवाई के तहत प्रत्येक लाभार्थी को 5,000 रूपए का नगद-लाभ देने की मंजूरी दी गई। विगत वर्ष 2011-12 के दौरान एमएसवाई के तहत 79 लाभार्थी कवर हुए। इस योजना

के आरम्भ से लेकर अब तक 311 लाभार्थी लाभान्वित हुए हैं।

(v) दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र में आपात चिकित्सा कार्रवाई सेवा अर्थात ''108'' आरम्भ की गई है। आरम्भ से लेकर अब तक, 108 सेवा द्वारा 6,386 मामले देखे गए। 21.11.2012 में गैर-आपात चिकित्सा कार्रवाई सेवा-''104'' आरम्भ की गई है।

सड़क एवं पुल

7.9.8 संघ राज्य क्षेत्र में सड़क नेटवर्क के सुदृढ़ीकरण और उन्नयन के लिए प्रशासन द्वारा शुरु की गई प्रमुख परियोजनाएं नीचे दी गई हैः-

(i) चालू 2011-12 के दौरान, 30 से ज्यादा सड़कों का चौड़ीकरण किया गया था और उनका उन्नयन किया गया था। किलवानी में 03 छोटे पुलों का निर्माण और लुहारी में पुल का उन्नयन कार्य शुरु किया गया।

(ii) चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 80 करोड़ रूपए की लागत से 11.30 कि.मी. लम्बे रिंग रोड को शुरु करने का प्रस्ताव किया गया है जिसके लिए एल ए क्यू विभाग द्वारा धारा 6 के तहत अधिसूचना जारी कर दी गई है और इसके विभिन्न खण्डों की दूरियों के लिए योजना अनुमान तैयार किए जा रहे हैं।

(iii) रखोली, अथल, पिपरिया और अगरीवाड़ में 54 करोड़ रूपए की राशि से ओआईडीसी/पीडब्ल्यूडी द्वारा निर्मित किए जाने वाले 04 उच्च स्तरीय पुलों के निर्माण के लिए निविदाएं दी गई हैं।

सिंचाई

7.9.9 जिला पंचायतों द्वारा किए गए गौण सिंचाई कार्यों का उल्लेख निम्नानुसार हैः-

क्रम सं.	परियोजना का नाम	2011-12	2012-13
(i)	चेक डैम	30, जो 117 हेक्टअर कृषि क्षेत्र को कवर करते हैं	25, जो 50 हेक्टेअर कृषि क्षेत्र को कवर करते हैं
(ii)	लिफ्ट सिंचाई योजना	04, जो 32.5 हेक्टअर क्षेत्र को कवर करते हैं	02, जो 11 हेक्टेअर क्षेत्र को कवर करते हैं
(iii)	सिंचाई कुएं	14	17

7.9.10 संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने मोटा रांधा में कोलक नदी पर चेकडैम का निर्माण करने की एक ख्यातिप्राप्त परियोजना को भी मंजूरी दी है जो इस संघ राज्य क्षेत्र के लोगों की बहुत समय से लंबित एक मांग थी। इस परियोजना के पूरी हो जाने से, धरमपुर और पड़ोसी राज्य के नासिक जिले के लिए आवश्यक सड़क सुगमता उपलब्ध हो जाएगी और इससे 160 एकड अतिरिक्त कृषि भूमि भी सिंचाई सुविधा के अन्तर्गत आ जाएगी।

मोटारांधा, कोलक नदी के ऊपर काजवे सह चेकडैम परियोजना स्थल

जल आपूर्ति

7.9.11 प्रशासन पूरे वर्ष संघ क्षेत्र की सभी बस्तियों में पेयजल आपूर्ति मुहैया कराने के लिए निरन्तर प्रयासरत रहा है। इसके साथ ही, वर्ष 2011-12 में मंडोनी और सुधानी के दूर-दराज क्षेत्रों में एकीकृत जल प्रबंधन योजना, शहरी जल संवर्धन योजना और जल संभरण अवसंरचनाएं, पाइप्ड वाटर सप्लाई योजना जैसी दीर्घकालिक योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं और अब तक 85% काम पूरा हो गया है। गौण जल आपूर्ति के तहत वर्ष 2011-12 में 16 योजनाएं पूरी हो गई है और 24 योजनाएं वर्ष 2012-13 के लिए शुरु की गई है जो मार्च, 2013 तक पूर्ण होंगी। इसके अलावा, वर्ष 2011-12 में 268 बोरवेल लगाए गए है और वर्ष 2012-13 के लिए 254 बोरबेल लिए गए है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2011-12 के दौरान दो इलेवेटेड स्टोरेज रिजर्वायर निर्मित किए गए और वर्ष 2012-13 के दौरान चार पूरे कर लिए जाएंगे।

वन एवं पर्यावरण सरंक्षण

7.9.12 यहां संरक्षित वन हैं जो संघ राज्य क्षेत्र के कुल भौगोलिक क्षेत्र के 40% भाग को कवर करते हैं। वन विभाग नए पौधरोपण और पुराने वृक्षारोपण के अनुरक्षण को प्रोत्साहित करने

देमनी गांव में एलीवेटेड स्टोरेज रिजर्वायर

के लिए वन संरक्षण, विकास एवं पुनर्सृजन, सामाजिक एवं फार्म फारेस्ट्री जैसी योजनाएं कार्यान्वित करता है। वर्ष 2012-13 के दौरान, ''उजड़े हुए वन क्षेत्र में नई पौधरोपण करना'' के तहत 200 हेक्टेअर को कवर किया गया और ''विगत वर्षों के दौरान किए गए पुराने पौधरोपण के अनुरक्षण'' की योजना के तहत 610 हेक्टेअर क्षेत्र को कवर किया गया, जबकि निजी भूमि में पौधरोपण करने के लिए एससी/एसटी और सीमान्त किसानों को 6.97 लाख पोधों का वितरण किया गया।

पर्यटन

7.9.13 होटल उद्योग को बढ़ावा देने के लिए, विभाग ने पर्यटन मंत्रालय की मदद से होटल प्रबंधन एवं कैटरिंग प्रोद्योगिकी संस्थान स्थापित किया है। यह संस्थान आतिथ्य प्रशासन में प्रशिक्षण प्रदान करता है और अन्य प्रमाण-पत्र एवं डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के साथ-साथ तीन वर्षीय डिग्री पाठ्यक्रम प्रदान करता है जो कि सुदूर समुद्र में हैं। पर्यटन को और अधिक बढ़ावा देने के लिए प्रशासन ने तालाबी गांव में लगभग 125 एकड़ क्षेत्र में 18 होल गोल्फ कोर्स की परियोजना भी आरम्भ की है जिसमें बिहार स्थल खाद्य प्रांगण, बाग, टहलने के मार्ग सहित दामनगंगा नदी मुख्य विकास भी शामिल है।

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण

7.9.14 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों से संबंधित कल्याणपरक कार्यकलापों के कार्यान्वयन एवं निगरानी का कार्य प्रशासन के सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। सामाजिक कल्याण विभाग, शारीरिक रूप से अशक्त लोगों, विद्यार्थियों, महिलाओं, बच्चों एवं वृद्ध लोगों जैसे आर्थिक दृष्टि से गरीब लोगों के विशिष्ट वर्गों के लाभार्थ भी योजनाओं का कार्यान्वयन करता है। इनमें से कुछेक योजनाएं नीचे दी गई हैं:-

(क) सरस्वती साधना योजना

(ख) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम के तहत अक्षम व्यक्तियों को छात्रवृत्ति अनुदान

ग) राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कायक्रम के तहत पेंशन योजना (एनएसएपी)

(घ) स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना (एस सी एस वाई)

(ड़) आई सी डी एस अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रम (एस एन पी)

(च) वर्ष 2012-13 के दौरान किशोरी (सबला) योजना के तहत 5,983 लड़कियां

7.9.15 प्रशासन के ठोस प्रयासों से इन योजनाओं के तहत लगभग सभी पात्र लाभार्थियों को कवर किया गया है। वर्ष 2011-12, 2012-13 के दौरान हासिल उपलब्धियां निम्नानुसार रही हैं:-

क्रम सं.	योजना का नाम	वर्ष 2011-12 के दौरान उपलब्धियां	वर्ष 2012-13 (दिसम्बर, 2012 तक) के दौरान उपलब्धियां
1.	**राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम**		
(क)	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना	6369	8006
(ख)	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना	1643	1983
(ग)	इंदिरा गांधी राष्ट्रीय अक्षम व्यक्ति पेंशन योजना	96	119
2.	**राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना**	**81**	**8**

क्रम सं.	योजना का नाम	वर्ष 2011-12 के दौरान उपलब्धियां	वर्ष 2012-13 (दिसम्बर, 2012 तक) के दौरान उपलब्धियां
3.	**मनरेगा**		
क.	जॉव कार्ड जारी किए गए	11697 (संचयी)	12014 (संचयी)
ख	सृजित श्रम दिवस	39651 (32249 महिलाएं)	23352 (19278 महिलाएं)
ग	व्यय (लाख रू. में)	120.03	77.96

शिक्षा

7.9.16 यहां 271 राजकीय प्राथमिक, 12 राजकीय सहायता प्राप्त प्राइवेट प्राथमिक विद्यालयों, 01 के जी बी वी और 21 राजकीय सेकण्डरी (एच एस), 09 राजकीय एच एस सी/हायर सेकण्डरी कम्पोजिट विद्यालयों और 04 राजकीय सहायता प्राप्त निजी सेकण्डरी/एच एस सी विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा प्रदान की जाती है। सभी छात्रों के लिए कक्षा XII तक शिक्षा निःशुल्क है। सभी विद्यार्थियों को यूनीफार्म, जूते, जुराबें और सभी तरह की शिक्षासामग्री अर्थात पाठ्यपुस्तकें, नोट बुक्स, ड्राइंग मैटिरियल, कम्पास बॉक्स इत्यादि निःशुल्क प्रदान की जाती हैं। प्रशासन के सतत एवं ठोस प्रयासों की वजह से साक्षरता दर वर्ष 2001 के 57.63% से बढ़कर 2011 में 77.65% हो गई है। अवसरंचनात्मक सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण करने के लिए विभिन्न स्थानों पर सभी बुनियादी सुविधाओं से युक्त प्राथमिक विद्यालय भवनों के निर्माण एवं नवीनीकरण का कार्य आरम्भ किया गया है। वर्ष 2011-12 में पांच स्थानों में वर्ष 2012-13 के दौरान नौ स्थानों में मौजूदा विद्यालय भवनों की विशेष मरम्मत का कार्य पूरा हो गया था। तीन हॉस्टल भवनों का कार्य शीघ्र ही पूरा कर लिया जाएगा। वर्ष 2011-12 के दौरान खरादपाड़ा में 120 विद्यार्थियों की क्षमता का एक हॉस्टल भवन का निर्माण किया गया था।

7.9.17 संघ राज्य क्षेत्र में कला (आट्र्स) और वाणिज्य स्ट्रीम का सबसे पहला राजकीय महाविद्यालय खोला गया और 230 छात्रों के साथ इसका शैक्षणिक सत्र 18.07.2011 से पहले ही चालू हो गया है। प्रशासन ने अब चालू वर्ष 2012-13 से विज्ञान स्ट्रीम प्रारम्भ किया है और विज्ञान स्ट्रीम के लिए अपेक्षित भर्ती और अन्य औपचरिकताएं पहले ही पूरी कर ली गईं हैं।

7.9.18 छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए 50% वित्तीय सहायता (शिक्षण शुल्क) प्रदान करने को एक नई योजना पहले ही अधिसूचित की जा चुकी है। इस योजना से छात्राएं पड़ोसी राज्यों में शैक्षणिक संस्थाओं के माध्यम से उच्च शिक्षा प्राप्त करने लगी हैं। पात्र छात्राओं से प्राप्त 318 आवेदन प्रक्रियाधीन हैं।

पंचायती राज

7.9.19 पंचायती राज को उनके क्षेत्राधिकार के साथ-साथ आवश्यक निधियों और जनशक्ति सहित भारत के संविधान की बारहवीं अनुसूची में परिकल्पित सभी विषयों का अन्तरण करके सावधानीपूर्वक कार्यान्वयन किया गया है। वित्त आयोग के अद्यतन दिशानिर्देशों के अनुसार, मैक्रो प्लानिंग के एक भाग के रूप में, जिला पंचायतों की 50% अनुदान सहायता सीधे जिला पंचायतों को अन्तरित किया जाता है। संघ राज्य क्षेत्र का पर्याप्त भाग अनुदान के रूप में स्थानीय निकायों को आबंटित किया गया है। वर्ष 2009-10 में जिला पंचायतों को आबंटित अनुदान 36.44 करोड़ रूपए था जिसे बढ़ाकर वर्ष 2010-11 में 68.21 करोड़ रूपए, वर्ष 2011-12 में 76.03 करोड़ रूपए और वर्ष 2012-13 में 133.10 करोड़ रूपए कर दिया गया है। इस अनुदान की मद से स्थानीय निकाय ग्रामीण सड़कों एवं पुलों, ग्रामीण जलापूर्ति, स्ट्रीट लाइट, प्राथमिक शिक्षा, पशु सेवाएं और महिलाओं एवं बच्चों इत्यादि के कल्याण के क्षेत्र में विकास कार्य करने में सक्षम हो गए हैं।

7.9.20 पंचायती राज विनियम के संशोधन को विधायी विभाग, विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा अंतिम रूप दे दिया गया है और दादरा एवं नगर हवेली पंचायती राज्य विनियम, 2012 संघ राज्य क्षेत्र में 03.10.2012 से लागू हो गया है।

अध्याय VIII पुलिस बल

भारतीय पुलिस सेवा

8.1.1 भारतीय पुलिस सेवा (आई.पी.एस.) भारत के संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत गठित तीन अखिल भारतीय सेवाओं में से एक है। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी, राज्यों और केन्द्र दोनों में पुलिस बलों को वरिष्ठ स्तरीय नेतृत्व प्रदान करते हैं। सेवा का अखिल भारतीय स्वरूप, सेवा के सदस्यों को देश की एकता और अखंडता के समग्र परिप्रेक्ष्य में राज्यों की विशेष समस्याओं को हल करने में विशिष्ट सहायता प्रदान करता है। गृह मंत्रालय(एमएचए) भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग को नियंत्रित करने का कार्य करता है और वह संवर्ग संरचना, भर्ती, प्रशिक्षण, संवर्ग का आवंटन, सेवा में स्थायीकरण, पैनल में शामिल करने, प्रतिनियुक्ति पर तैनाती, वेतन और भत्ते, अनुशासनात्मक मामलों इत्यादि सहित इस सेवा से संबंधित सभी नीतिगत निर्णयों के लिए जिम्मेवार है।

8.1.2 यह सेवा 24 राज्य संवर्गों/संयुक्त संवर्गों में संगठित की जाती है। संघ सरकार के लिए कोई पृथक् संवर्ग नहीं है। प्रत्येक संवर्ग में अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने के लिए एक 'केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व' बनाया गया है। प्रत्येक पांच वर्ष के बाद, भारत सरकार द्वारा संबंधित राज्य सरकार के परामर्श से प्रत्येक संवर्ग के ढांचे की संयुक्त रूप से समीक्षा की जाती है। गृह मंत्रालय ने वर्ष 2010 में 23 संवर्गों की संवर्ग संख्या की समीक्षा की थी और शेष एक की समीक्षा वर्ष 2011 में की गई।

8.1.3 दिनांक 01.01.2013 की स्थिति के अनुसार, भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों की प्राधिकृत संख्या निम्नलिखित सारणी में दी गई है:

राज्य/संवर्ग	दिनांक 01.01.2013 के अनुसार अधिकारियों की प्राधिकृत संख्या
आंध्र प्रदेश	258
एजीएमयू	295
असम-मेघालय	188
बिहार	231
छत्तीसगढ़	103
गुजरात	195
हरियाणा	137
हिमाचल प्रदेश	89
जम्मू एवं कश्मीर	147
झारखंड	135
कर्नाटक	205
केरल	163
मध्य प्रदेश	291
महाराष्ट्र	302
मणिपुर-त्रिपुरा	156
नागालैण्ड	70
ओडिशा	188
पंजाब	172
राजस्थान	205
सिक्किम	32
तमिलनाडु	263
उत्तर प्रदेश	489
उत्तराखंड	69
पश्चिम बंगाल	347
कुल	**4730**

सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एस वी पी एन पी ए), हैदराबाद

8.2.1 सरदार वल्लभभाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, देश का प्रमुख पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है। इसमें विश्वस्तरीय पुलिस प्रशिक्षण सुविधाएँ हैं। इसको भारतीय पुलिस सेवा में नए भर्ती किए गए अधिकारियों और वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षण देकर भारतीय पुलिस के लिए नेतृत्व करने वाले अधिकारी तैयार करने और पुलिस संबंधी विषयों पर अध्ययन के लिए अनुसंधान के तौर पर कार्य का दायित्व सौंपा गया है।

बुनियादी पाठ्यक्रम

8.2.2 64 आर आर (2011 बैच) की 18 महिला प्रशिक्षुओं सहित 126 प्रशिक्षु आई पी एस अधिकारियों एवं भूटान, नेपाल और मालदीव से आए 13 विदेशी अधिकारियों ने अकादमी में 46 सप्ताह का चरण-I का प्रशिक्षण ग्रहण किया। विधि, अन्वेषण, मानवाधिकार, फील्ड क्राफ्ट युत्तियां, आदि जैसे विषयों पर इनपुट्स को आपस में

जोड़ते हुए उन्हें एकीकृत प्रशिक्षण प्रदान किया गया। परिदृश्य पर आधारित एकीकृत परीक्षा प्रणाली के माध्यम से भी मूल्यांकन किया गया। दक्षता के अतिरिक्त, लैंगिकता, बच्चों, सामुदायिक सद्भाव, समाज के पिछड़े वर्गों आदि से संबंधित मामलों के प्रति प्रशिक्षुओं के अभिमुखीकरण एवं उन्हें संवेदनशील बनाने के लिए मॉड्यूल संचालित किए गए। इसमें प्राधिकार-आधारित पुलिसिंग के स्थान पर अधिकार-आधारित पुलिसिंग पर बल दिया गया। अनुशासन एवं रेजिमेंटेशन के समानान्तर प्रशिक्षण में प्रजातंत्रीकरण पर समान रुप से फोकस किया गया। मॉडल पुलिस स्टेशन और स्थानीय पुलिस स्टेशन के साथ संबद्ध होकर जमीनी स्तर पर पुलिसिंग से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया। इस अवधि के दौरान 63 आर आर (2010 बैच) के 109 प्रशिक्षु आई पी एस अधिकारियों ने अकादमी में चार सप्ताह की अवधि वाले प्रशिक्षण के चरण-II को सफलतापूर्वक पूरा किया।

सीनियर पाठ्यक्रम

8.2.3 कुल 642 प्रतिभागियों ने अपराध न्याय प्रणाली, साइबर अपराध, भ्रष्टाचार-निरोधक रणनीतियों, युक्तिसंगत संचालन प्रबंधन, अधिकार प्राप्त समाज के लिए संवेदनशील पुलिस, लैंगिक संवदेनशीलता एवं प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रम जैसे 13 सेवाकालीन पाठ्यक्रमों में भाग लिया। कुल 1,009 प्रतिभागियों ने पुलिस की जवाबदेही, राष्ट्रीय सुरक्षा एवं पुलिस अधिनियम 1861 जैसे विभिन्न विषयों पर 7 संगोष्ठियों में भाग लिया।

आई पी एस अधिकारियों के लिए सेवा के मध्य अनिवार्य प्रशिक्षण कार्यक्रम

8.2.4 भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) नियमावली में संशोधन के मद्देनजर, पुलिस अधीक्षक से पुलिस उपमहानिरीक्षक, पुलिस उपमहानिरीक्षक से पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस महानिरीक्षक से पुलिस उप महानिदेशक/पुलिस महानिदेशक तक के रैंक वाले आई पी एस अधिकारियों की प्रोन्नति के लिए सेवा के मध्य प्रशिक्षण अनिवार्य है। सरकार ने सेवा मध्य प्रशिक्षण कार्यक्रम-चरण-III, चरण-IV एवं चरण-V संचालित करने के लिए प्रतिष्ठित भारतीय एवं विदेशी संस्थानों के साथ संविदा निष्पादित की थी। सेवा मध्य प्रशिक्षण कार्यक्रम-चरण III में अपराध की जांच-पड़ताल, लोक शांति एवं व्यवस्था का रख-रखाव, साइबर सुरक्षा आदि जैसे व्यावहारिक पुलिस व्यवस्था संबंधी विषयों को शामिल किया गया, जबकि चरण IV में मध्य स्तरीय प्रबंधन से संगत विषयों अर्थात् आतंकवाद का मुकाबला करने, पुलिस की विधिसम्मतता बढ़ाने, भ्रष्टाचार-रोधी रणनीतियों आदि पर ध्यान संकेंद्रित किया जाता है। चरण V के पाठ्यक्रम में उच्चतर प्रबंधन के मुद्दों अर्थात् प्रमुख नवप्रवर्तन एवं विकास, बहु परिप्रेक्ष्यों के प्रबंधन, परिवर्तन प्रबंधन, वार्ता प्रक्रिया, नेतृत्व परिवर्तन, विधिक वातावरण के नए आयामों आदि पर ध्यान दिया जाता है। वर्ष 2012 के दौरान आयोजित पाठ्यक्रमों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी बाधकूद करते हुए

वर्ष	संगठन का नाम	एम सी टी पी चरण	प्रतिभागी अधिकारियों की कुल संख्या
फरवरी-मार्च, 2012	इंडियन स्कूल आफ बिजनेस, हैदराबाद की भागीदारी से चार्ल्स स्टुअर्ट यूनिवर्सिटी, ऑस्ट्रेलिया	चरण III	94
अप्रैल-मई, 2012	लंदन बिजनेस स्कूल यू.के. के साथ भागीदारी में भारतीय प्रबंधन संस्थान	चरण V	101
मई-जुलाई, 2012	ओपी जिंदल विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के जिंदल ग्लोबल स्कूल के साथ भागीदारी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, यू0के0	चरण IV	106
अगस्त-अक्तूबर, 2012	ओपी जिंदल विश्वविद्यालय, नई दिल्ली के जिंदल ग्लोबल स्कूल के साथ भागीदारी में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, यू0के0	चरण IV	73
	कुल		**374**

विशेष युक्ति पाठ्यक्रम

8.2.5 राज्य पुलिस/केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के 147 पुलिस अधिकारियों को शहरी संघर्ष (अर्बन वारफेयर), जंगल में सशस्त्र संघर्ष (जंगल वारफेयर) विस्फोटकों एवं तोड़-फोड़, आपदा प्रबंधन, वी आई पी सुरक्षा आदि को शामिल करने वाली ''विशेष युत्तियों'' का प्रशिक्षण दिया गया है।

अन्य कार्यक्रम

8.2.6 वर्तमान वर्ष के दौरान अकादमी में निम्नलिखित कार्यक्रम भी आयोजित हुए:-

i. 64 आर आर बैच के प्रशिक्षु आई पी एस अधिकारियों को संबोधित करने एवं उनसे बातचीत करने के लिए पश्चिम बंगाल के राज्यपाल श्री एम.के. नारायणन ने दिनांक 13.04.2012 को अकादमी का दौरा किया।

ii. श्री आर.के. सिंह, केंद्रीय गृह सचिव ने दिनांक 31.07.2012 को राष्ट्रीय पुलिस अकादमी की 35वीं वार्षिक बोर्ड बैठक का संचालन किया।

iii. अगस्त, 2012 के दौरान 2010 बैच के प्रशिक्षु आई पी एस अधिकारियों (63 आर आर) के लिए चरण-II प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया गया।

iv. डॉ. ई. श्रीधरण, प्रधान सलाहकार, दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डी एम आर सी) ने दिनांक21.09.2012 को ''दिल्ली मेट्रो-एक सफल कहानी'' नामक विषय पर 27वां सरदार वल्लभभाई पटेल मेमोरियल लेक्चर प्रस्तुत किया।

v. 274 पद संस्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से इस अवधि के दौरान 82 पद भर लिए गए हैं। शेष पदों को भरने के प्रयास किए जा रहे हैं।

पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी (नीपा)

8.3.1 पूर्वोत्तर पुलिस अकादमी (नीपा) की स्थापना शिलांग के

अकादमी के अध्यक्ष, श्री आर. के. सिंह, अकादमी बोर्ड के सदस्य और अकादमी की फैकल्टी 31.07.2012 को आयोजित वार्षिक बोर्ड बैठक के दौरान पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण देखते हुए

पास बारापानी में 1978 में पूर्वोत्तर राज्यों की पुलिस प्रशिक्षण की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए की गई थी। नीपा को अप्रैल 2007 में पेशेवर इनपुट्स प्रदान करने के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय (डी ओ एन ई आर) से गृह मंत्रालय को अंतरित कर दिया गया। नीपा विभिन्न स्तरों पर पूर्वोत्तर राज्यों के पुलिस कार्मिकों के लिए सेवा में प्रवेश के समय और सेवाकाल के दौरान, दोनों ही प्रकार के पाठ्यक्रम आयोजित करती है। यह पुलिस से संबंधित विषयों पर अनेक कार्यशालाओं/सेमिनारों का भी संचालन करती है।

8.3.2 नीपा में 47 निर्माण कार्यों के लिए जनवरी, 2011 में 82.13 करोड़ रु. के परिव्यय के साथ एक संशोधित योजना अनुमोदित की गई थी। अधिकांश निर्माण कार्य पूरे हो चुके हैं। शेष परियोजनाओं के मार्च, 2013 तक पूरा हो जाने की संभावना है और इन कार्यों पर 60 करोड़ रु0 की राशि खर्च होने की संभावना है। जो कार्य प्रगति में हैं, उनकी सूची निम्नानुसार है:

(₹ लाख में)

क्रम सं0	निर्माण कार्यों/परियोजनाओं के नाम	परियोजना की अनुमोदित लागत	31.12.2012 तक जारी की गई राशि
1	स्विमिंग पूल का निर्माण	333.37	251.24
2	सिपाहियों के भोजनालय (मेस) का निर्माण	550.18	341.50
3	इन्डोर खेल परिसर का निर्माण	597.01	383.96
4	प्रशिक्षण ब्लॉक/क्लासरुमों का निर्माण	1383.56	678.74
5	सड़क विकास निर्माण	115.18	88.53
6	क्यू एम और इलेक्ट्रिकल स्टोर का निर्माण	110.00	93.09
7	ट्रेड्समेन शॉप का निर्माण	126.00	78.47

क्रम सं0	निर्माण कार्यों/परियोजनाओं के नाम	परियोजना की अनुमोदित लागत	31.12.2012 तक जारी की गई राशि
8	ऑडिटोरियम का निर्माण	745.47	357.53
9	निम्नलिखित निर्माण कार्य: क) 22 आवासीय क्वार्टर (20 टाइप-II, 1 टाइप-V और 1 टाइपVI) ख) सामुदायिक हॉल ग) 12 आवासीय क्वार्टर (8 टाइप-III और 4 टाइप-IV)	 401.90 277.08 277.04	 358.69 81.72 168.55
10	एम0टी0 गैरेज विस्तारण	192.48	121.11
11	नीपा की चारदीवारी का निर्माण	444.83	271.23
12	परिसर का भू-दृश्यांकन, सौंदर्यीकरण एवं विद्युतीकरण	100.00	45.00
13	शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण	252.70	190.31
14	अस्पताल का निर्माण	431.00	222.80

नीपा में गैस गोदाम

8.3.3 नीपा अब सिर्फ पूर्वोत्तर राज्यों की ही नहीं, बल्कि भारत के शेष हिस्सों के प्रशिक्षण आवश्यकताओं का भी प्रबंधन करती है और पुलिस संबंधी विषयों पर सेवाकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों के लिए सभी राज्यों से नामांकन आमंत्रित करती है। 01.01.2012 से 31.12.2012 की अवधि के दौरान अकादमी द्वारा अनेक सेवाकालीन पाठ्यक्रम और कार्यशालाएं संचालित की गईं, जो कि निम्नानुसार हैं:-

क्र0 सं0	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि		भागीदारी की कुल संख्या
		से	तक	
1.	कंप्यूटर अवेयरनेस एवं सी आई पीए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन	10.01.2012	30.01.2012	27
2.	38वां बुनियादी पाठ्यक्रम	30.01. 2012	17.12.2012	116
3.	काउंटर इन्सर्जेंसी एवं जंगल वारफेयर	01.02. 2012	01.03.2012	37
4.	आर्मरर पाठ्यक्रम	05.03.2012	05.0512	92
5.	कंप्यूटर अवेयरनेस एवं सी आई पीए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन	12.03.2012	31.03.2012	35
6.	वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पुलिस मीडिया संबंध	22.03.2012	24.03.2012	16
7.	साइबर अपराध	11.04.2012	14.04.2012	17
8.	अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम्स	07.05.2012	26.05.2012	25
9.	सूचना का अधिकार	29.05.2012	31.05.2012	16
10.	शारीरिक (फिजीकल) प्रशिक्षण के बारे में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	01.06.2012	30.06.2012	36
11.	अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम्स	04.06.2012	23.06.2012	23
12.	इथिकल हैकिंग एवं साइबर सुरक्षा	26.05.2012	30.05.2012	35
13.	शारीरिक (फिज़िकल) प्रशिक्षण के बारे में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	01.06.2012	30.06.2012	36
14.	आर्मरर पाठ्यक्रम	02.07.2012	31.08.2012	56
15.	अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम्स	09.07.2012	28.07.2012	15

16.	वी आई पी सुरक्षा पाठ्यक्रम	18.07.2012	20.07.2012	13
17.	विस्फोटक एवं बम निरोधक	06.08.2012	18.08.2012	62
18.	इथिकल हैकिंग एवं साइबर सुरक्षा	27.08.2012	31.08.2012	20
19.	सीमा प्रबंधन	04.09.2012	06.09.2012	14
20.	अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टम	10.09.2012	29.09.2012	8
21.	आसूचना संग्रह एवं पूछ-ताछ की तकनीक	10.09.2012	12.09.2012	19
22.	अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क एवं सिस्टस	13.09.2012	15.09.2012	24
23.	आपदा प्रबंधन	17.09.2012	22.09.2012	27
24.	आतंकी घटनाओं ए टी ए जांच पर पाठ्यक्रम	17.09.2012	28.09.2012	10
25.	आर्थिक अपराध पर पाठ्यक्रम	25.09.2012	27.09.2012	26
26.	विभागीय जांच पर पाठ्यक्रम	03.10.2012	06.10.2012	16
27.	सी सी टी एन एस पर पाठ्यक्रम	10.10.2012	31.10.2012	11
28.	स्वापक पदार्थ कानून के प्रवर्तन पर पाठ्यक्रम	18.10.2012	20.10.2012	19
29.	आपदा प्रबंधन पाठ्यक्रम	29.10.2012	03.11.2012	15
30.	सी सी टी एन एस पर पाठ्यक्रम	05.11.2012	24.11.2012	12
31.	यातायात प्रबंधन पर कार्यशाला	15.11.2012	17.11.2012	61
32.	यातायात प्रबंधन पर कार्यशाला	19.11.2012	21.11.2012	62
33.	साइबर फॉरेन्सिक्स	26.11.2012	30.11.2012	12
34.	शारीरिक (फिज़िकल) प्रशिक्षण के बारे में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	06.11.2012	15.12.2012	28
35.	सी सी टी एन एस पर पाठ्यक्रम	03.12.2012	22.12.2012	14
36.	पुलिस उपाधीक्षक के लिए रिफ्रेशर पाठ्यक्रम	10.12.2012	22.12.2012	14
37.	बुनियादी पाठ्यक्रम संबंधी लैंगिक (जेंडर) संवदेनीकरण पर संगोष्ठी	01.12.2012		
	कुल			**1069**

नेपा में बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम

8.34 नीपा द्वारा संचालित 38वें बुनियादी पाठ्यक्रम में शामिल हुए 38 पुलिस उपाधीक्षक और 78 उप निरीक्षक/सहायक उप निरीक्षक दिनांक 17.12.2012 को उत्तीर्ण घोषित किए गए। मेघालय के राज्यपाल ने समापन समारोह (पासिंग आउट परेड) का मुआयना किया।

8.35 नीपा गृह मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्यरत है। अकादमी के कार्य की स्थिति के सर्वेक्षण के लिए और उपयुक्त सिफारिश करने के लिए भारत सरकार ने केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक बोर्ड का गठन किया है। नीपा बोर्ड की पिछली बैठक 01.06.2012 को नीपा में आयोजित की गई ।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल

8.4 गृह मंत्रालय के अधीन छह केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल अर्थात् सीमा सुरक्षा बल (बी.एस.एफ.), केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.), केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.), भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आई.टी.बी.पी.), राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एन.एस.जी.) और सशस्त्र सीमा बल (एस.एस.बी.) तथा एक केन्द्रीय अर्धसैनिक बल, अर्थात् असम राइफल्स (ए.आर.) हैं। इनमें से असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल, भारत-तिब्बत सीमा पुलिस और सशस्त्र सीमा बल, सीमा चौकसी बल हैं, जबकि केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल लोक व्यवस्था को बनाए रखने से संबंधित मामलों में राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की सहायता करता है। केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल को आंतरिक सुरक्षा/विद्रोह रोधी कार्य

में उनकी सहायता के लिए प्रशिक्षित और उपकरणों से लैस भी किया जाता है। त्वरित कार्रवाई बल (आर.ए.एफ.) और दृढ़ता से कार्रवाई करने के लिए कमांडो बटालियन (कोबरा) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के विशिष्ट विंग हैं, जो क्रमशः दंगों और वामपंथी उग्रवाद/विद्रोह से निपटते हैं। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, हवाई अड्डों, औद्योगिक इकाइयों, महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संग्रहालयों तथा दिल्ली में स्थित सरकारी भवनों एवं अन्य महत्वपूर्ण संवेदनशील संगठनों को सुरक्षा और संरक्षण प्रदान करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा गारद आतंकवाद का मुकाबला करने और विमान अपहरण-रोधी अभियानों के लिए गठित एक विशेषज्ञता प्राप्त बल है। इसे उच्च जोखिम वाले विशिष्ट व्यक्तियों को सुरक्षा तथा स्थाई मार्शल प्रदान करने का कार्य भी सौंपा गया है।

असम राइफल्स (ए.आर.)

8.5.1 प्रेमपूर्वक ''पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों का मित्र'' के रूप में जाने जाने वाला असम राइफल्स, देश का सबसे पुराना अर्धसैनिक बल है। इस बल का मुख्यालय शिलांग में है और इस बल की संपूर्ण तैनाती पूर्वोत्तर राज्यों में की गई है, जहां आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने तथा भारत-म्यांमार सीमा की चौकसी करने की उसकी दोहरी भूमिका है।

ऑपरेशनल उपलब्धियां

8.5.2 असम राइफल्स ने आतंकवाद के विरुद्ध अपनी लड़ाई में दिनांक 01.04.2012 से 31.12.2012 के बीच विभिन्न संक्रियात्मक कार्यकलापों के दौरान 879 हथियार, 133 ग्रेनेड और 42 आई ई डी को जब्त करने के अतिरिक्त 19 उग्रवादियों को मुठभेड़ में मार गिराया, 766 उग्रवादियों को गिरफ्तार किया और 392 उग्रवादियों से आत्मसमर्पण करवाया। सीमा पार से अपराध को रोकने के अपने सतत प्रयासों में असम राइफल्स ने 4568 कि.ग्रा. गांजा, 50.65 लाख सूडोफेड्रीन टैबलेटों और अवैध शराब की 62,866 बोतलों जैसी प्रतिबंधित सामग्री को जब्त किया।

आधुनिकीकरण

8.5.3 ''आधुनिकीकरण-II योजनाओं'' के रुप में इस बल की आधुनिकीकरण योजनाओं को पहले ही अंतिम रुप दिया जा चुका है और इन्हें नए उपकरण मुहैया करवाए जाने की प्रक्रिया प्रगति में है। इनसे इस बल को आगे और मजबूती मिलेगी जिससे कि वह सौंपी गई भूमिका को सही ढंग से अदा कर पाएगा।

प्रशिक्षण

8.5.4 इस बल ने असम राइफल्स प्रशिक्षण केंद्र एवं विद्यालय (ए आर टी सी एंड एस) नामक अपने प्रमुख प्रशिक्षण संस्थान के अलावा, तीन अन्य काउंटर इन्सर्जेंसी बैटल स्कूल स्थापित करने की पहल की है। अपेक्षित प्रशिक्षण स्तरों और पेशेवर लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इसमें वृद्धि किए जाने की आवश्यकता पड़ी है।

नागरिक संबंधी कार्रवाई परियोजनाएं

8.5.5 सामरिक गतिविधियों में दक्षता हासिल कर लेने के अतिरिक्त असम राइफल्स, नागरिक संबंधी कार्रवाई की कई परियोजनाओं के माध्यम से उत्तर-पूर्व के लोगों के उत्थान के लिए स्वयं को पूरी तरह से जुटा रहा है।

व्यावसायिक प्रतियोगिताओं में उपलब्धियां

8.5.6 असम राइफल्स की कमांडो टीम ने ए आई पी डी एम कमांडो प्रतियोगिता में 22 टीमों के मध्य पहला स्थान प्राप्त किया। इस वर्ष कटक, ओडिशा में आयोजित ए आई पी डी एम फायरिंग प्रतियोगिता में इसकी फायरिंग टीम ने पहला स्थान प्राप्त किया।

खेल प्रतियोगिताओं में उपलब्धियां

8.5.7 इस वर्ष असम राइफल्स ने अनेक खेल विधाओं में अपने कौशल को प्रदर्शित किया हैः-

(क) नई दिल्ली में आयोजित प्रसिद्ध डूरंड कप फुटबाल प्रतियोगिता 2012 में ए आर फुटबाल टीम सेमी फाइनल तक पहुंची।

(ख) विशाखापत्तनम में आयोजित 18वीं सीनियर राष्ट्रीय किक मुक्केबाजी चैंपियनशिप में इसकी किक मुक्केबाजी टीम ने पहला स्थान प्राप्त किया।

(ग) अमृतसर में 06.10.2012 से 07.10.2012 तक आयोजित 'इंडो-यूके-नेपाल ट्राइ नेशन डी ओ कराटे चैंपियनशिप' में इसकी कराटे टीम ने पहला स्थान प्राप्त किया।

सीमा सुरक्षा बल (बी. एस. एफ.)

8.6.1 बी एस एफ का गठन 25 बटालियनों तथा 3 कंपनियों के साथ वर्ष 1965 में किया गया था और इसके साथ ही पड़ोसी देशों के साथ भारतीय सीमाओं की रक्षा करने वाली राज्य के पुलिस बलों की बहुलता की प्रणाली समाप्त हो गई। कालान्तर में, बल के आकार में वृद्धि हुई है और इस समय इसकी 173 बटालियनें (3 एन डी आर एफ इकाइयों सहित) 5 प्रमुख प्रशिक्षण संस्थाएं 11 सहायक प्रशिक्षण केंद्र, और 3 छोटी प्रशिक्षण संस्थाएं

हैं। बल का मुख्यालय दिल्ली में है। इसकी फील्ड रचना में 2 विशेष महानिदेशालय अर्थात् विशेष महानिदेशालय (पूर्व) और विशेष महानिदेशालय (पश्चिम), 13 फ्रंटियर्स और 44 सेक्टर मुख्यालय, वाटर विंग और एअर विंग हैं। 31-12-2012 की स्थिति के अनुसार बी एस एफ की कुल संस्वीकृत पद संख्या 2,43,161 थी।

8.6.2 इसकी ऑपरेशनल जिम्मेदारी पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के साथ लगी अन्तरराष्ट्रीय सीमा में 6,386.36 कि.मी. तक फैली हुई है। सीमा सुरक्षा बल को सेना के ऑपरेशनल नियंत्रण में जम्मू और कश्मीर में नियंत्रण रेखा (एलओसी) पर भी तैनात किया जाता है।

8.6.3 सीमाओं पर निगरानी बनाए रखने के लिए सीमाओं की घेराबंदी और फ्लड लाइटिंग महत्वपूर्ण घटक हैं। भारत-पाकिस्तान और भारत-बांग्लादेश की सीमाओं से घुसपैठ, तस्करी व अन्य राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों को रोकने के उद्देश्य से सरकार ने इन सीमाओं पर बाड़ लगाने, फ्लड लाइटिंग की व्यवस्था और सड़कों के निर्माण का कार्य शुरु किया है।

8.6.4 कुछेक दुर्गम और अव्यवहार्य हिस्सों को छोड़कर, संपूर्ण पंजाब तथा राजस्थान के क्षेत्र में सीमाओं पर बाड़ लगाए जाने और फ्लड लाइटिंग का कार्य पहले ही पूरा किया जा चुका है।

8.6.5 01.01.2012 से 31.12.2012 तक की अवधि के दौरान आतंकवाद के विरुद्ध अपनी लड़ाई में बी एस एफ ने 03 आतंकवादियों को मार गिराया, 219 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया, 32 आतंकवादियों का आत्मसमर्पण करवाया और इसके अतिरिक्त, इस बल ने 150 हथियारों, विविध असलों के 689 कारतूसों और 74 आई ई डी की जब्ती की कार्रवाई की। सीमा पार से अपराध के रोकथाम के अपने सतत प्रयासों से बी एस एफ ने अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर 1,349 करोड़ रुपए की वर्जित सामग्रियों को जब्त किया, 3,781 घुसपैठियों/भगोड़ों को गिरफ्तार किया तथा 43 तस्करों को मार गिराया। इस अवधि में अपनी संक्रियात्मक कार्रवाई में बी एस एफ के 13 कर्मी शहीद हो गए और 162 कर्मी घायल हुए।

8.6.6 वर्ष 2012 के दौरान (31.12.2012 तक) बल के सदस्यों को वीरता से संबंधित एवं अन्य निम्नलिखित पदक प्रदान किए गए:-

दिनांक 04.10.2012 को श्री सुशीलकुमार शिंदे, केंद्रीय गृह मंत्री, जम्मू क्षेत्र से आए भारत दर्शन यात्रा के बच्चों के समूह के साथ

(i)	वीरता के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक	शून्य
(ii)	वीरता के लिए पुलिस पदक	10
(iii)	उल्लेखनीय सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक	12
(iv)	सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक	92

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई.एस.एफ.)

8.7.1 वर्ष 1969 में गठित केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल 59 घरेलू और अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों सहित 307 इकाइयों को सुरक्षा कवर तथा 86 औद्योगिक प्रतिष्ठानों को अग्निशमन संरक्षण प्रदान कर रहा है। चार दशकों की अवधि में बल में कई गुना वृद्धि हुई है और दिनांक 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार इसमें अब कार्मिकों की संस्वीकृत पद संख्या 1,33,762 है। अर्थव्यवस्था के वैश्वीकरण एवं उदारीकरण के साथ सी आई एस एफ देश की एक प्रमुख बहु-कौशल से सम्पन्न सुरक्षा एजेन्सी बन गया है, जिसे आतंकवाद एवं नक्सलवाद से प्रभावित क्षेत्रों सहित विभिन्न प्रदेशों में देश की मुख्य संवेदनशील आधारभूत संस्थापनाओं को सुरक्षा प्रदान करने का दायित्व सौंपा गया है। सी आई एस एफ इस समय 307 इकाइयों को सुरक्षा कवर प्रदान कर रहा है, जिनमें परमाणु ऊर्जा संयंत्र, अन्तरिक्ष संस्थापनाएँ, रक्षा उत्पादन इकाइयाँ, खानें, आयल फील्ड और रिफाइनरी, प्रमुख बंदरगाह, भारी इंजीनियरिंग स्टील संयत्र, उर्वरक इकाइयाँ, हवाई अड्डे, जलविद्युत/थर्मल विद्युत संयंत्र, संवेदनशील सरकारी भवन तथा विरासती स्मारक (ताजमहल एवं लाल किला सहित) और निजी क्षेत्र की कुछ महत्वपूर्ण इकाइयाँ भी शामिल हैं। चालू वर्ष में सी आई एस एफ को प्रगति पावर स्टेशन बवाना, नई दिल्ली, रघुनाथपुर थर्मल पावर स्टेशन (पश्चिम बंगाल) और डी आई यू एयरपोर्ट, कोडरमा थर्मल पॉवर स्टेशन, पोर्ट ब्ल्येयर बंदरगाह और भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम, भाविनी, कलपक्कम (तमिलनाडु) की सुरक्षा में लगाया गया है।

8.7.2 सी आई एस एफ देश में सबसे बड़ी अग्नि संरक्षण सेवा भी प्रदान करता है। यह 86 औद्योगिक उपक्रमों को अग्निशमन और अग्नि-संरक्षण प्रदान करता है। वर्ष 2012 में (दिसंबर 2012 तक) आग लगने से संबंधित कुल 3,803 घटनाओं की कॉल पर (जिनमें आग की 14 बड़ी घटनाएं शामिल हैं) कार्रवाई की गई और 89.20 करोड़ रु. की संपत्ति को बचाया गया।

8.7.3 इंडियन एयरलाइंस के विमान सं. आई सी-814 का अपहरण करके कंधार ले जाने की घटना के बाद हवाई अड्डों की सुरक्षा का विशिष्ट कार्य केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को वर्ष 2000 में सौंपा गया था। इस बल को तभी से संपूर्ण देश में 59 हवाई अड्डों पर तैनात किया गया है, जिनमें सभी प्रमुख हवाई अड्डे, यथा, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, हैदराबाद और बेंगलूरु शामिल हैं। इनमें सबसे अंत में 01.03.2012 को दीव हवाई अड्डे को शामिल किया गया है। सी आई एस एफ, नई दिल्ली में 33 संवदेनशील सरकारी भवनों को सुरक्षा भी करती है। विशेष सुरक्षा ग्रुप (एस एस जी) नामक सी आई एस एफ की वी आई पी सुरक्षा विंग वी वी आई पी/वी आई पी को सुरक्षा प्रदान करती है। वर्तमान में देश के विभिन्न राज्यों में 32 वी वी आई पी/वी आई पी को विभिन्न श्रेणियों में सी आई एस एफ/एस एस जी द्वारा सुरक्षा कवर प्रदान किया जा रहा है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, सरकारी और निजी क्षेत्र में उद्योगों को सुरक्षा और अग्निशमन सुरक्षा से संबंधित तकनीकी परामर्शी सेवाएं प्रदान करता है। सी आई एस एफ अधिनियम में संशोधन किया गया है ताकि यह बल देश की सुरक्षा और अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण निजी/संयुक्त उद्यम से युक्त औद्योगिक उपक्रमों को भुगतान के आधार पर सुरक्षा प्रदान कर सके।

8.7.4 केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल को वर्ष 15.04.2007 को दिल्ली मेट्रो रेल निगम (डी एम आर सी) की सेवा में लगाया गया और 4869 कार्मिकों की सहायता से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, 134 मेट्रो स्टेशनों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। इसके दैनिक यात्रियों की संख्या लगभग 19 लाख है।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.)

8.8.1 शुरु में 27.07.1939 को 'क्राउन रिप्रेजेन्टेटिव पुलिस' के नाम से नीमच, मध्य प्रदेश में गठित किए गए इस बल का नाम स्वतंत्रता के बाद बदलकर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी.आर.पी.एफ.) कर दिया गया। तब से बल की संख्या और क्षमताओं में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस समय, इसकी स्ट्रेंथ 226 बटालियनों की है जिनमें 195 कार्यकारी बटालियनें, 2 आपदा प्रबंधन बटालियनें, 3 महिला बटालियनें, 10 आर ए एफ बटालियनें, 5 सिग्नल बटालियनें, अटल कार्रवाई के लिए 10 कमांडो (कोबरा) बटालियनें, 1 स्पेशल ड्यूटी ग्रुप, 1 पार्लियामेंट ड्यूटी ग्रुप (पीडीजी) तथा 40 ग्रुप सेन्टर, 15 प्रशिक्षण संस्थायें, 4 (100 बिस्तर वाले) कम्पोजिट अस्पताल, 17 (50 बिस्तर वाले) कम्पोजिट अस्पताल, 7 शस्त्र कार्यशालायें तथा 3 केन्द्रीय शस्त्रागार शामिल हैं। इस बल में, नई दिल्ली में अवस्थित मुख्यालय/महानिदेशालय के अलावा, 3 स्पेशल डी जी जोन,

। ए डी जी जोन, 22 आई जी सेक्टर और 42 रेंजों के रुप में सीनियर कमांड/पर्यवेक्षकीय संघटन भी हैं। उपर्युक्त के अलावा, 25 बटालियनों (1 महिला बटालियन सहित), 4 ग्रुप सेंटर/डी आई जी रेंज एवं एक आई जी सेक्टर, जो 01.09.2009 को संस्वीकृत किए गए थे, का 2013-14 से गठन किया जाना है। यह देश का सबसे बड़ा केन्द्रीय अर्ध सैनिक बल (सी ए पी एफ) बन गया है। यह बल इस समय कानून और व्यवस्था, विद्रोह-रोधी संक्रियात्मक उग्रवाद-रोधी और नक्सल-रोधी, कार्रवाइयों जैसी विभिन्न प्रकार की ड्यूटियां कर रहा है। यह बल कानून और व्यवस्था बनाए रखने और उग्रवादी ग्रुपों की विघटनकारी गतिविधियों का सामना करने के लिए राज्य-सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की सहायता करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस बल की महिला टुकड़ी भी है, जो तीन महिला बटालियनों में संघटित है। 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार इस बल की संख्या 2,96,752 है।

8.8.2 केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के कार्मिक देश के विभिन्न संवेदनशील क्षेत्रों पर लगातार नज़र रखते हैं। ये देश के विभिन्न हिस्सों में कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने की ड्यूटी तथा विद्रोह-रोधी एवं नक्सल-रोधी कार्रवाईयों को अंजाम दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त, ये कुछ महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों एवं भवनों की चौकसी भी करते हैं, जिनमें जम्मू में माता वैष्णो देवी धार्मिक परिसर और रघुनाथ मंदिर; अयोध्या में राम जन्म भूमि/बाबरी मस्जिद; वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर तथा ज्ञानवापी मस्जिद; मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि तथा शाही ईदगाह मस्जिद; और संसद भवन शमिल हैं।

8.8.3 चालू वर्ष के दौरान (31.12.2012 तक) विद्रोह-रोधी (काउंटर-इन्सर्जेसी) मोर्चे पर सी.आर.पी.एफ. की प्रमुख उपलब्धियां नीचे दर्शाई गई हैं:-

i.	मारे गए नक्सली/आतंकवादी	-	83
ii.	गिरफ्तार किए गए नक्सली/आतंकवादी	-	1282
iii.	आत्मसमर्पण करने वाले नक्सली/ आतंकवादी	-	202
iv.	ज़ब्त किए गए हथियार	-	595
v.	ज़ब्त किए गए कारतूस	-	12029
vi.	ज़ब्त किए गए विस्फोटक	-	19513.672
vii.	ज़ब्त किए गए हथगोले	-	308
viii.	ज़ब्त किए गए बम	-	692
ix.	ज़ब्त किए गए रॉकेट	--	07
x.	ज़ब्त किए गए आई ई डी	-	433
xi.	ज़ब्त किए गए डेटोनेटर	-	14439
xii	ज़ब्त किए गए जिलेटिन स्टिक	-	544
xiii	ज़ब्त की गई नगदी	-	93,68,960
xiv.	ज़ब्त किए गए नारकोटिक्स (कि.ग्रा. में)	-	3005.275

8.8.4 बल में व्यापक पैमाने पर ई-गवर्नेंस पहल की शुरुआत करने के उद्देश्य से एक आदर्श सूचना और संचार प्रौद्योगिकी योजना की परिकल्पना की गयी थी। इसमें महानिदेशालय से लेकर कार्यकारी इकाइयों तक बल की ''ऑनलाइन'' कार्य प्रणाली की परिकल्पना की गयी है। सभी कार्यालयी कार्यों के पूर्ण स्वचालन के लिए एक एकीकृत अनुप्रयोग सॉफ्टवेयर ''सेलो'' (सर्विस एवं लॉयल्टी) विकसित करवाया गया है। इस सॉफ्टवेयर में निम्नलिखित मॉड्यूल हैं, और इसमें महानिदेशालय से लेकर ग्रुप केन्द्रों और उनसे आगे कार्यकारी बटालियनों तक के कार्यकरण के सभी स्तर शामिल हैं:-

(i)	पर्सनल इन्फॉर्मेशन मॉड्यूल
(ii)	इन्वेंट्री मॉड्यूल
(iii)	फाइनेन्स मॉड्यूल
(iv)	ऑपरेशन्स मॉड्यूल
(v)	पे मॉड्यूल
(vi)	मेल/मैनेजमेंट मॉड्यूल
(vii)	दस्तावेज प्रबंध प्रणाली मॉड्यूल
(viii)	वर्क फ्लो एप्लीकेशन

8.8.5: चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निम्नलिखित उन्नयन हासिल किया गया है:-

(i) प्रभाव-क्षेत्र प्रबंधन में प्रभावी तरीके से वृद्धि के लिए सेलो प्रभाव-क्षेत्र का विकेंद्रीकृत आर्किटेक्चर से केन्द्रीकृत आर्किटेक्चर में अंतरण किया गया।

(ii) डाटा की असंगति में कमी लाने और डाटा के अन्तरण की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए सी आर पी एफ के इन्ट्रानेट सेलो के संपूर्ण आधार को 64 केबीपीएस लीज्ड लाइन से उन्नत करते हुए 2 एम बी पी एस एम पी एल एस लिंक में परिवर्तित किया गया।

(iii) सेंट्रल डाटा सेंटर के सभी पुराने सर्वरों को चरणबद्ध तरीके से हटाया गया और डाटा स्टोरेज से एस ए एन स्टोरेज बॉक्सों के साथ नई श्रृंखला के ब्लेड सर्वर लगाए गए।

(iv) बल के सभी कार्मिकों के लिए इंटरएक्टिव प्राइवेट एरिया के साथ एक नए इंटरनेट सॉल्यूशन की शुरुआत की गई, जिससे कि वे अपने वेतन एवं अन्य भत्ते आदि देख सकें।

(v) डाटा सिक्योरिटी सिस्टम का "स्टेट ऑफ दी आर्ट" हार्डवेयर पर आधारित फायरवॉल और इन्ट्रूजन प्रीवेंशन सिस्टम में उन्नयन किया गया।

(vi) वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा निर्णय लिए जाने को आसान बनाने के लिए एक प्रभावी रिपोर्टिंग सेवा शुरु की गई है।

(vii) महानिदेशालय और फील्ड कार्यालयों के मध्य वीडियो कॉन्फेरेंसिंग के लिए सेलो पर एक सुरक्षित वीडियो कॉन्फेरेंसिंग की शुरुआत की गई।

(viii) फील्ड में अंतिम व्यक्ति तक प्रशासनिक/कल्याण संबंधी सूचना को तत्काल पहुंचाने के लिए एक एस एम एस गेटवे सेवा की भी शुरुआत की गई है।

(ix) प्रत्येक बटालियन के लिए 10 कंप्यूटर और 3 प्रिंटर अधिकृत किए गए।

(x) बटालियनों को स्टैंड एलोन जी आई एस सॉल्यूशन प्रदान किया गया।

(xi) सी आर पी एफ कार्मिकों को स्वयं सहायता के आधार पर सूचना प्रौद्योगिकी के प्रयोग के विषय में शिक्षित करने के लिए जी सी बेंगलूरु में एक नए सूचना प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण केंद्र, "कॉलेज ऑफ इन्फॉर्मेशन टेक्नालॉजी" की शुरुआत की गई।

सी.आर.पी.एफ. में त्वरित कार्रवाई बल (आर.ए.एफ.)

8.8.6 वर्ष 1992 में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 10 बटालियनों का पुनर्गठन किया गया, जिन्हें त्वरित कार्रवाई बल की 4-4 कम्पनियों वाली 10 बटालियनों में परिवर्तित किया गया। आर.ए.एफ. के कार्मिकों को साम्प्रदायिक दंगों या इसी प्रकार की स्थितियों से निपटने के लिए एक प्रभावी मारक बल बनाने के लिए प्रशिक्षित और सुसज्जित किया जाता है। ये बटालियनें देश में साम्प्रदायिक दृष्टि से 10 संवेदनशील स्थानों पर अवस्थित हैं, ताकि इस प्रकार की कोई भी घटना होने पर ये तुरंत कार्रवाई कर सकें। इन सभी बटालियनों को एक महानिरीक्षक के पर्यवेक्षण के अधीन स्वतंत्र पद्धति से संगठित किया गया है।

8.8.7 सी आर पी एफ की ये आर ए एफ बटालियनें (कंपनियां) निम्नलिखित स्थानों में स्थित हैं:-

राज्य	स्थान	कंपनियों की संख्या
आंध्र प्रदेश	हैदराबाद	04
दिल्ली	दिल्ली	04
गुजरात	अहमदाबाद	04
झारखंड	जमशेदपुर	04
मध्य प्रदेश	भोपाल	04
महाराष्ट्र	मुंबई	04
तमिलनाडु	कोयंबटूर	04
उत्तर प्रदेश	इलाहाबाद	04
	अलीगढ़	04
	मेरठ	04
	कुल	**40**

8.8.8 विभिन्न उत्सवों और साम्प्रदायिक दंगों के दौरान, कानून एवं व्यवस्था संबंधी ड्यूटी निबाहने और शांति बनाए रखने के लिए संबंधित राज्य सरकारों के अनुरोध पर अल्प-आवधिक आधार पर आर ए एफ की कंपनियां तैनात की जाती हैं।

8.8.9 वर्ष 2012-13 के दौरान, आर ए एफ की कंपनियों को कानून एवं व्यवस्था संबंधी उनकी नियमित ड्यूटी के लिए तैनात किए जाने के अलावा, उन्हें आंध्र प्रदेश में तेलंगाना आंदोलन, असम के बोडो क्षेत्रों में हिंसा, दिल्ली में विरोध रैलियों, केरल में साबरीमाला उत्सव और इलाहाबाद में कुंभ मेला के दौरान भी तैनात किया गया।

सी.आर.पी.एफ. में दृढ़तापूर्वक कार्रवाई करने के लिए कमांडो बटालियनें (कोबरा)

8.8.10 वर्ष 2008 में सरकार ने सी आर पी एफ में कोबरा नामक एक विशेषज्ञता प्राप्त बल की 10 बटालियनें गठित करने का अनुमोदन दिया था। इन 10 बटालियनों को गठित करके उन्हें चरणबद्ध तरीके से प्रशिक्षित किया गया है। ये बटालियनें कमांडो संक्रियाओं और गुरिल्ला/जंगल युद्धकला के लिए विशेष रुप से प्रशिक्षित और संसाधनों से लैस हैं और आसूचना पर आधारित शीघ्र कार्रवाई करने में सक्षम हैं। इन बटालियनों को मुख्यतः वामपंथी उग्रवाद (एल डब्ल्यू ई) से प्रभावित क्षेत्रों में रखा जाता है। सभी 10 कोबरा बटालियनें इस समय तैनात कर दी गई हैं। आर ए एफ की ही तरह इन बटालियनों का गठन एक महानिरीक्षक के पर्यवेक्षण के अधीन स्वतंत्र पद्धति के रूप में किया गया है। बल के लिए स्थल (स्पॉट) पर ही निर्णय लेना सुकर बनाने के लिए असिस्टेंट

कमांडेंट रैंक का एक अधिकारी टीम के स्तर पर उपलब्ध कराया गया है (प्रत्येक बटालियन में 18 टीमें हैं) और डिप्टी कमांडेंट रैंक का एक अधिकारी कम्पनी के स्तर पर उपलब्ध कराया गया है। कोबरा बटालियनों के कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए सिलचर (असम) और शिवपुरी (मध्यप्रदेश) में 02 विद्रोह रोधी एवं आतंकवाद-रोधी (सी आई ए टी) स्कूल हैं। इन्हें विशेषज्ञता से युक्त प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बेलगाम (कर्नाटक) में जंगल युद्ध कला और रणनीति के प्रशिक्षण के लिए एक कोबरा स्कूल के निर्माण का प्रस्ताव, गृह मंत्रालय के सक्रिया विचाराधीन है।

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस बल (आई.टी.बी.पी.)

8.9.1 भारत-तिब्बत सीमा पुलिस 1962 में भारत-चीन संघर्ष के परिणामस्वरूप 4 सेवा बटालियनों के साथ गठित की गई थी। इस समय इसमें 49 बटालियनें हैं, जिनकी सहायता 4 विशेषज्ञता प्राप्त बटालियनों द्वारा की जाती है। इसकी कुल कार्मिक संख्या 77022 है। इसे भारत-चीन सीमा के उत्तर-पश्चिम छोर से 3,488 कि. मी. दुर्गम पर्वतीय भाग में काराकोरम पास से जेचाप ला तक तैनात गया है। इस बल को 9000 फीट से 18,750 फीट की ऊंचाई पर तैनात किया गया है।

26.10.2012 को बल के स्वर्ण जयंती के अवसर पर केंद्रीय गृहमंत्री,श्री सुशीलकुमार शिंदे को स्मृति चिन्ह प्रदान करते हुए आईटीबीपी के महानिदेशक

8.9.2 भारत-चीन सीमा पर मौजूद घाटियों को कवर करने तथा बल की निगरानी क्षमता बढ़ाने के लिए सरकार ने बल के पुनर्गठन का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया है जिसे निम्नानुसार चरणबद्ध तरीके से कार्यान्वित किया जाना है:-

चरण	वर्ष	
चरण-I	2011-12	• 20 बटालियनों का 4 कंपनी जी डी से 6 कंपनी पद्धति में बदलना । • आसूचना संगठन के कार्मिकों की संख्या का संवर्द्धन। • एफ एच क्यू, एस एच क्यू, सीमा चौकियों एवं महानिदेशालय के कार्मिकों की संख्या का संवर्धन। • वाटर विंग, सब-डिपो एवं क्षेत्र शस्त्र कार्यशाला की स्थापना।
	2012-13	• 1 एफ एच क्यू, 1 एस एच क्यू सहित 4 बटालियनों का गठन • प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना।
चरण-II	2013-14	• 5 बटालियनों एवं 1 एस एच क्यू का गठन।
	2014-15	• 4 बटालियनों एवं 1 एस एच क्यू का गठन।

पांचवीं बटालियन, लेह, जे. एंड के. का रंगपो बो ओ पी में नया निमार्ण कार्य

8.9.3 वर्ष 2012-13 में नए गठन की प्रगति निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	विवरण	स्थान
1	एक फ्रंटियर एच क्यू	भोपाल में (शिवपुरी से कार्यरत)
2	एक एस एच क्यू	पटना में (कार्यरत)
3	चार इकाइयां	1. 46 वीं बटालियन-रायबरेली (उ.प्र.) (न्यूक्लियस गठित) 2. 47वीं बटालियन-सांबा (जे.एंड के.) (न्यूक्लियस गठित) 3.48वीं बटालियन-कटिहार (पटना) (न्यूक्लियस गठित) 4. 49वीं बटालियन-डिब्रूगढ़ (असम) (न्यूक्लियस गठित)

4	प्रशिक्षण संस्थानः i. हथियार प्रशिक्षण सहायता विद्यालय ii. सिग्नल प्रशिक्षण विद्यालय iii. पशु प्रशिक्षण विद्यालय iv. पर्वतीय प्रशिक्षण विद्यालय v. हाई एल्टीट्यूड चिकित्सा प्रशिक्षण विद्यालय vi. केंद्रीय प्रशिक्षण महाविद्यालय vii. राष्ट्रीय यू एन सिवपोल केंद्र	i. मिर्जापुर (न्यूक्लियस गठित) ii. अमृतसर (पंजाब) (कार्यरत) iii. डिब्रूगढ़/गुवाहाटी (न्यूक्लियस गठित) iv. अल्मोड़ा (न्यूक्लियस गठित) v. लेह (कार्यरत) vi. अलवर (राजस्थान) (न्यूक्लियस गठित) vii. दिल्ली (कार्यरत)

आधुनिकीकरण

8.9.4 वर्ष 2011-16 तक की पंचवर्षीय अवधि के लिए 786 करोड़ रू. की राशि की आधुनिकीकरण की एक पंचवर्षीय योजना के परिदृश्य को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

प्रशिक्षण

8.9.5 बल के हाल के विस्तार के कारण, प्रशिक्षण भार में कई गुना वृद्धि हुई है और प्रशिक्षण की तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए आई टी बी पी ने मौजूदा 14 नियमित प्रशिक्षण केन्द्रों के अलावा 18 अतिरिक्त प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किए हैं। इस समय 11334 कांस्टेबल/जी डी (भर्ती) का बुनियादी प्रशिक्षण, भानु (हरियाणा) में स्थित बुनियादी प्रशिक्षण केन्द्र सहित विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों तथा 03 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों (करेरा, किमिन और शिवगंगई) और अतिरिक्त प्रशिक्षण केंद्रों में चल रहा है। भर्ती हुए रंगरुटों द्वारा बल में कार्यभार ग्रहण किए जाने के बाद, उन्हें प्रशिक्षण संबंधी अवसंरचना की क्षमता एवं उपलब्धता के अनुसार विभिन्न प्रशिक्षण केन्द्रों में बुनियादी प्रशिक्षण हेतु भेजा जाता है।

8.9.6 आई टी बी पी अपने प्रशिक्षण केंद्रों के लिए विशिष्ट उपकरणों की खरीददारी की प्रक्रिया में है।

8.9.7 भारत तिब्बत सीमा पुलिस, हिमाचल क्षेत्र में किसी भी आपदा के मामले में पहला प्रतिक्रिया बल है और यह बल हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एवं अरूणाचल प्रदेश में क्षेत्रीय कार्रवाई केंद्र स्थापित करनेवाला भी पहला पुलिस बल रहा। भारत तिब्बत सीमा पुलिस की टुकड़ियों ने अपने दायित्व से जुड़े क्षेत्रों तथा देश के अन्य भागों में उत्पन्न सभी आपदाग्रस्त स्थितियों में कई बचाव एवं राहत अभियान चलाए हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ने भानु, हरियाणा में खोजबीन, बचाव एवं आपदा से निपटने की कार्रवाई के प्रशिक्षण हेतु राष्ट्रीय प्रशिक्षण केंद्र भी स्थापित किया है, जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस और अन्य केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/राज्य पुलिस बलों के कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है।

8.9.8 वर्ष 2012-13 के दौरान, (अप्रैल से दिसंबर, 2012 तक) आई टी बी पी की टुकड़ियों ने जम्मू एवं कश्मीर, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, अरूणाचल प्रदेश एवं सिक्किम राज्यों में बचाव एवं राहत अभियान चलाए हैं। उत्तराखंड (पिथौरागढ़-04, मिर्थी-03, मसूरी-02, उत्तरकाशी-02, देहरादून-02, जोशीमठ-03 और गौचर-01), मध्य प्रदेश (करेरा-01), अरुणाचल प्रदेश (धीरंग-02, युपिया-02 और ईटानगर-01), उत्तर प्रदेश (नोएडा-01), सिक्किम (गंगटोक-01) हिमाचल प्रदेश (सरहन-02) और जम्मू एवं कश्मीर (ऊधमपुर-01) में बचाव अभियान चलाए गए।

मसूरी (उत्तराखंड) में घायल लोगों को बाहर निकालता हुआ बचाव दल

कैलाश मानसरोवर यात्रा

8.9.9 वर्ष 2012 के दौरान 16 जत्थों में कैलाश मानसरोवर यात्रा का संचालन किया गया, जिसमें 774 यात्रियों ने सफलतापूर्वक यात्रा पूरी की। आई टी बी पी ने गुन्जी से लिपुलेख पास तक और वापस गुन्जी तक यात्रियों को संचार, सुरक्षा और चिकित्सा कवर प्रदान किया। आई टी बी पी की टुकड़ियों ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए सौंपे गए कर्तव्य का निर्वाह निष्ठापूर्वक और समर्पित होकर किया, जिसकी वजह से यात्रा का संचालन आसानी से बगैर किसी अप्रिय घटना के संपन्न हो गया।

कैलाश मानसरोवर यात्रा, 2012 का प्रबंधन

8.9.10 आई टी बी पी के सत्तरह सदस्यों वाले एक दल ने रिवर राफ्टिंग अभियान ''रीविजिटिंग गंगा'' में 24.04.2012 से 20.06.2012 तक भाग लिया और गोमुख से गंगासागर तक गंगा नदी में बेड़े पर यात्रा करते हुए 2,525 किमी. की दूरी सफलतापूर्वक तय की।

8.9.11 दिनांक 07.10.2012 को जवाहर लाल नेहरु स्टेडियम, नई दिल्ली में 'आई टी बी पी रन फॉर द नेशन' नामक हाफ मैराथन का आयोजन किया गया।

8.9.12 वर्ष 2012-13 के दौरान आई टी बी पी ने राष्ट्रीय स्तर पर निशानेबाजी, जूडो, कराटे, ताइकवोंडो वाल क्लाइंबिंग और वूशू प्रतियोगिताओं में 14 स्वर्ण, 18 रजत एवं 9 कांस्य पदक जीते। इसके अतिरिक्त, आई टी बी पी ने दिनांक 18.07.2012 से 26.07.2012 तक वियतनाम में आयोजित 8वीं दक्षिण एशियाई चैंपियनशिप में 02 कांस्य पदक जीते।

8.9.13 आई टी बी पी ने अपना स्वर्ण जयंती वर्ष बहुत अच्छी तरह से मनाया। इस वर्ष को स्मरणीय बनाने के लिए वर्ष के दौरान अनेक कार्यक्रम आयोजित किए गए। माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करने, स्कीइंग करने, गोमुख से गंगासागर तक राफ्टिंग अभियान, अरुणाचल प्रदेश से जे. एंड के. तक 8,104 किमी. तक रिले एल आर पी और आई टी बी पी हाफ मैराथन- ''रन फॉर दी नेशन'' जैसी अनेक रोमांचकारी एवं खेलकूद संबंधी गतिविधियों का आयोजन किया गया। 'आई टी बी पी के समक्ष आ रही चुनौतियां और आगे का रास्ता' के साथ-साथ 'उत्तर-पूर्व क्षेत्र में सीमा प्रबंधन में चुनौतियां और आगे का रास्ता नामक विषयों पर क्रमशः नई दिल्ली और शिलांग में संगोष्ठियों का भी आयोजन किया गया।

राष्ट्रीय सुरक्षा गारद

8.10.1 राष्ट्र-विरोधी तत्वों द्वारा पैदा किए जाने वाले गंभीर खतरों को निष्प्रभावी बनाने की दृष्टि से आतंकवादी गतिविधियों से निपटने हेतु फेडरल कन्टीन्जेंसी डिप्लॉयमेंट फोर्स के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एन एस जी) का गठन 1984 में किया गया था। इस संगठन की स्थापना के लिए संसद में अगस्त, 1986 में एक विधेयक पेश किया गया था और दिनांक 22.09.1986 को भारत के राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त होने के बाद भारत संघ के सशस्त्र बल के रूप में राष्ट्रीय सुरक्षा गारद का औपचारिक रुप से गठन किया गया।

8.10.2 राष्ट्रीय सुरक्षा गारद शत-प्रतिशत प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त कार्मिकों वाला बल है और इसके सभी कार्मिक सेना, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल, राज्य पुलिस एवं अन्य संगठनों से प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा गारद के कमांडो को अत्यन्त जोखिम वाले कार्य, जैसे विमान अपहरण-रोधी एवं आतंकवाद-रोधी अभियान में प्रशिक्षित किया जाता है। उन्हें अत्यधिक खतरे वाले अति विशिष्ट व्यक्तियों को गश्ती सुरक्षा प्रदान करने का कार्य भी सौंपा जाता है।

8.10.3 इस बल का बुनियादी कार्य विशिष्ट स्थितियों में आतंकवादी खतरों से निपटना एवं उनको निष्प्रभावी करना तथा विमान अपहरण एवं बंधक बनाए गए व्यक्तियों को छुड़ाने संबंधी अभियान चलाना है। शुरुआत से ही एनएसजी ने कई अभियान चलाए हैं, जिनमें अक्षरधाम मंदिर, गांधी नगर (गुजरात) एवं 26.11.2008 से 29.11.2008 तक आतंकवादी हमले के दौरान मुम्बई में स्थित होटल ताज, होटल ओबराय ट्रिडेंट और नरीमन हाउस में चलाए गए अभियान शामिल हैं। अपने संक्रियात्मक कार्यों के अतिरिक्त, यह बल विशेष कमांडो कार्रवाई, बम निष्क्रिय (बीडी) करने संबंधी तकनीक एवं सशस्त्र बलों, सी ए पी एफ/राज्य पुलिस एवं मैत्रीपूर्ण पड़ोसी देशों के सुरक्षा बल कार्मिकों को वी आई पी सुरक्षा करने के कार्य का प्रशिक्षण प्रदान करता है। दिल्ली में एन एस जी को किसी भी राष्ट्रीय आकस्मिक घटना से निपटने के लिए नियत स्थानों पर सतर्क रखा जाता है। इन कमांडो को गणतंत्र दिवस एवं स्वतंत्रता दिवस समारोहों जैसे राष्ट्रीय महत्व के अवसरों पर और राज्यों/सरकारों के प्रमुख एवं विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के दौरे के समय भी विशेष सुरक्षा कवरेज प्रदान करने के लिए भी तैनात किया जाता है।

एन एस जी के अधीन राष्ट्रीय बम आँकड़ा केंद्र (एनबीडीसी)

8.10.4 एन एस जी का मानेसर, गुड़गांव में राष्ट्रीय बम आंकड़ा केंद्र (एन बी डी सी) है, जो विश्व में ऐसे छः केंद्रों में से एक है। यह केंद्र अधिकांशतः राज्य प्राधिकरणों के अनुरोध पर देश के विभिन्न भागों में विस्फोट के बाद की स्थिति का अध्ययन करता है। यह

देश में सुरक्षा बलों के प्रयोग के लिए विस्फोटकों और विस्फोटों की घटनाओं का एक डाटा बैंक भी रखता है। यह केंद्र विश्व के अन्य बम आंकड़ा केंद्रों के साथ नियमित रूप से संपर्क बनाए रखता है। एन बी डी सी प्रत्येक वर्ष एक अंतरराष्ट्रीय सेमिनार आयोजित करता है और विस्फोट से संबंधित विषयों पर "बॉम्बशेल" नामक एक व्यावसायिक पत्रिका प्रकाशित करता है।

एन एस जी क्षेत्रीय हब/क्षेत्रीय केन्द्र

8.10.5 26/11 की मुम्बई घटना के बाद जवाबी कार्रवाई शुरू करने में लगने वाले समय को कम करने के लिए मुम्बई, हैदराबाद, चेन्नई एवं कोलकाता में एन एस जी के चार क्षेत्रीय हबों को कार्यशील किया गया है। हैदराबाद में भी एक क्षेत्रीय केन्द्र की स्थापना की जा रही है, जिसके लिए 600 एकड़ भूमि अधिग्रहीत की गई है। इब्राहिमपत्तनम, हैदराबाद में इस दक्षिणी क्षेत्रीय केंद्र, एन एस जी के निर्माण के लिए गृह मंत्रालय ने 533.68 करोड़ रु. की मंजूरी संसूचित की है।

सशस्त्र सीमा बल

8.11.1 वर्ष 1962 में भारत-चीन संघर्ष के पश्चात् विशेष सेवा ब्यूरो (एस एस बी) का गठन 1963 के प्रारंभ में सीमापार से विध्वंस, घुसपैठ और तोड़-फोड़ के खतरे के प्रति सीमावर्ती इलाकों में रह रहे लोगों का मनोबल बढ़ाने और उनमें क्षमता का निर्माण करने के लिए किया गया था। गृह मंत्रालय के अधीन यह बल वर्ष 2001 में सीमा चौकसी बल बन गया और इसके चार्टर में संशोधन करके इसका नाम 'सशस्त्र सीमा बल' रखा गया। इसे भारत-नेपाल तथा भारत-भूटान सीमा पर चौकसी की जिम्मेदारी दी गई है।

8.11.2 वर्तमान में इस बल की तैनाती की कुल पद संख्या 67,029 है, जिसमें 80697 की कुल स्वीकृत पद संख्या में से 2,401 नॉन-कॉम्बेटाइज्ड स्टाफ शामिल हैं। कॉम्बेटाइज्ड कार्मिक विभिन्न स्थानों में तैनात 61 बटालियनों में कार्य कर रहे हैं। अन्य फॉर्मेशन्स के अलावा, सिविल स्टाफ धारणा प्रबंधन के 25 क्षेत्रों में कार्यरत हैं, जिसके प्रमुख, सब-एरिया ऑर्गेनाइजर्स, सर्कल ऑर्गेनाइज़र्स और सहायक स्टाफ की टीम के साथ एरिया ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं। एस एस बी की तैनाती 1,751 कि.मी. लंबी भारत-नोपाल सीमा और 699 किमी. लंबी भारत-भूटान सीमा पर की गई है। इस बल के 05 फ्रंटियर्स और 11 सेक्टर मुख्यालय हैं। नेपाल और भूटान, दोनों सीमाओं पर जिम्मेवारी का क्षेत्र अंतरराष्ट्रीय सीमा से 15 कि.मी. की दूरी तक है।

8.11.3 01.04.2012 से 31.12.2012 तक की अवधि के दौरान सशस्त्र सीमा बल द्वारा निम्नलिखित सामग्री जब्त की गई:

(i)	वर्जित वस्तुएं	06.93 करोड़ रु.
(ii)	नार्कोटिक्स	24.07 करोड़ रु.
(iii)	जाली भारतीय मुद्रा	01.49 लाख रु.
(iv)	चाँदी	10.84 लाख रु.
(v)	वन उत्पाद	01.18 करोड़ रु.
(vi)	भारतीय मुद्रा	16.00 लाख रु.
(vii)	नेपाली मुद्रा	00.63 लाख रु.
(viii)	भूटानी मुद्रा	नगुलट्रम-1
(ix)	बंग्लादेशी मुद्रा	1000 टका
(x)	यू एस ए डॉलर	$ 100

8.11.4 वर्ष 2012-13 (31.10.2012 तक) के दौरान निम्नलिखित हथियार/कारतूस/विस्फोटक सामग्री जब्त की गई:

(i)	हथियार	17 संख्या
(ii)	कारतूस	222 संख्या
(iii)	डिटोनेटर	08 संख्या
(iv)	मैगजीन	01 संख्या
(v)	ग्रेनेड	15 संख्या
(vi)	बम	02 संख्या

8.11.5 01.04.2012 से 31.12.2012 तक की अवधि के दौरान की गई कुल गिरफ्तारियां निम्नानुसार हैं:

(i)	तस्कर	466 संख्या
(ii)	अवैध घुसपैठिये	12 संख्या

8.11.6 इस अवधि के दौरान रक्सौल (बिहार), सीतामढ़ी (बिहार) और जलपाइगुड़ी (पश्चिम बंगाल) से 06 मानव तस्कर भी गिरफ्तार किए गए और 66 पीड़ितों (60 बच्चों और 06 महिलाओं) को उनके चुंगल से छुड़ाया गया।

सी ए पी एफ में कांस्टेबलों की संशोधित भर्ती योजना

8.12.1 भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष, सक्षम, प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए सी ए पी एफ और ए आर में कांस्टेबलों की भर्ती योजनाओं को संशोधित किया गया है ताकि भर्ती प्रक्रिया में व्यक्तिपरकता की गुंजाइश को कम किया जा सके तथा प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ाया जा सके। सी ए पी एफ और ए आर में कांस्टेबलों की भर्ती की संशोधित भर्ती योजना निम्नानुसार है:-

क) सभी सी ए पी एफ और ए आर के लिए भर्ती, कर्मचारी चयन आयोग (एस एस सी) के माध्यम से एक एकल संयुक्त परीक्षा आयोजित करके केन्द्रीय स्तर पर की जा रही है। परीक्षार्थियों को टेलीफोन/वेबसाइट/मोबाइल फोन/एस एम एस के माध्यम से आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है।

ख) आवेदन-प्रपत्रों को ओ एम आर (ऑप्टिकल मैगनेटिक रेकगनिशन) शीट में केन्द्रीय स्तर पर तैयार किया जाता है ताकि कम्प्यूटरों के माध्यम से तीव्रता से इनकी संवीक्षा की जा सके। लिखित परीक्षा में ओ एम आर पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकृति के बहु-विकल्प वाले प्रश्न ही होते हैं।

ग) हिंदीतर भाषी राज्यों में तीन भाषाओं में एवं हिंदी भाषी राज्यों में द्विभाषी (हिंदी एवं अंग्रेजी) रूप में प्रश्न-पत्र तैयार किए जा रहे हैं।

ध) शारीरिक क्षमता जांच (पी ई टी) अब मात्र अर्हक प्रकृति की होती है और इसमें कोई अंक नहीं दिया जाता । साक्षात्कार को भी समाप्त कर दिया गया है।

ड) भर्ती प्रक्रिया की तरजीही तौर पर वीडियोग्राफिंग की जा रही है।

च) भर्ती के सभी चरणों में बायोमेट्रिक प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है (कंप्यूटर-आधारित बायोमेट्रिक उपकरणों की अनुपलब्धता में अंगूठे का निशान, डिजिटल फोटोग्राफ और पहचान के लिए शरीर पर किसी विशेष निशान का प्रयोग किया जा सकता है)।

8.12.2 सीमावर्ती और उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों के युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से, अब रिक्तियों का आबंटन निम्नलिखित ढंग से किया जाता है:-

क) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच 60% रिक्तियों का आबंटन, जनसंख्या के अनुपात के आधार पर किया जाता है।

ख) सीमा चौकसी बलों (बी जी एफ) अर्थात् असम राइफल्स, बी एस एफ, आई टी बी पी और एस एस बी में 20% रिक्तियों का आबंटन उन सीमावर्ती जिलों को किया जाता है जो बल की जिम्मेदारी के अंतर्गत आते हैं।

ग) बी जी एफ में 20% रिक्तियां, उग्रवाद से प्रभावित जिलों/क्षेत्रों अर्थात जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर के राज्यों और नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों को आबंटित की जाती हैं। सरकार उग्रवाद से प्रभावित जिलों/क्षेत्रों को समय-समय पर अधिसूचित करती है।

घ) बी जी एफ से भिन्न अन्य बलों में 40% रिक्तियां, समय-समय पर यथा अधिसूचित उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों अर्थात् जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर राज्यों और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को आबंटित की जाती हैं।

ड.) ऐसे राज्य (राज्यों)/क्षेत्र (क्षेत्रों)/ प्रदेश (प्रदेशों) के संबंध में, जहां कि कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भर्ती प्रक्रिया की समाप्ति के बाद भी रिक्त पदों की संख्या का बड़ा हिस्सा खाली रह जाता है, गृह मंत्रालय संबंधित बल को भर्ती योजना के अनुसार वहाँ रिक्तियों को भरने के लिए विशेष भर्ती रैलियाँ/अभियान चलाने का निदेश दे सकता है। ऐसी विशेष भर्ती रैलियों के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों को बल में उस वर्ष विशेष में कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से चयनित अभ्यर्थियों के ब्लॉक में जूनियर दर्जा दिया जाता है।

सी ए पी एफ के लिए विमान सहायता

8.13.1 गृह मंत्रालय का एयरविंग 01 मई, 1969 को हताहतों को निकालने के लिए सी ए पी एफ को विमान सहायता उपलब्ध कराने, उच्च स्थानों और दुर्गम क्षेत्रों में स्थित सीमावर्ती चौकियों के हवाई अनुरक्षण, वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित क्षेत्रों में नक्सल-रोधी अभियानों में लगी टुकड़ियों को पर्याप्त हवाई सहायता प्रदान करने की कार्रवाई के प्रयोजन से टुकड़ियों को लाने-ले-जाने, प्राकृतिक आपदा और राष्ट्रीय संकट के दौरान सौंपे गए किसी भी कार्य को पूरा करने और सी ए पी एफ कार्मिकों की हवाई कोरियर सेवा के लिए अस्तित्व में आया। इसमें दो विंग शामिल हैं, अर्थात् स्थायी विंग और रोटरी विंग। इन दोनों विंगों का विगत कुछ वर्षों में विस्तार किया गया है और अभी इनका और भी विस्तार किया जा रहा है। इस समय बेड़े में 01 इम्ब्रेयर 135 बीजे एक्जीक्यूटिव जेट, 02 ए वी आर ओ एच एस-748,01 सुपर किंग बी-200 एयरक्राफ्ट, 06 एम आई-17 iV, 06 ए एल एच/ध्रुव एवं 01 चीता हेलिकॉप्टर शामिल हैं।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों का आधुनिकीकरण

8.14.1 आतंकवाद एवं उग्रवाद की बढ़ गईं गतिविधियों संबंधी चुनौतियों से निपटने के उद्देश्य से सरकार ने बल की क्षमता बढ़ाने (मल्टीप्लायर्स) के हथियार, मशीनरी, परिवहन, संचार, निगरानी, रात्रि अवलोकन और प्रशिक्षण उपकरण हेतु एक पंचवर्षीय पर्सपेक्टिव योजना के लिए 3,740.71 करोड़ रु0 के परिव्यय के साथ, 6 केंद्रीय अर्धसैनिक बलो के आधुनिकीकरण के लिए एक पंचवर्षीय

योजना (2002-07) को अनुमोदित किया था। सरकार ने अप्रैल, 2005 में 444.43 करोड़ रु. की अनुमानित लागत से सशस्त्र सीमा बल (एस एस बी) के आधुनिकीकरण के लिए एक तीन वर्षीय योजना (2005-08) को भी अनुमोदित किया था। चूंकि दोनों योजनाओं को उपर्युक्त अवधि के दौरान पूरी तरह से क्रियान्वित नहीं किया जा सका, उपर्युक्त योजनाओं की अवधि को 2010-11 तक बढ़ा दिया गया। उपर्युक्त योजनाओं की अवधि 31.03.2011 को समाप्त हो गई। आगे, पूर्व के वर्षों में पहले ही किए जा चुके व्यय के लिए वर्ष 2011-12 के बजट में आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत निधियां खर्च करने के लिए सी ए पी एफ को अनुमति देने का निर्णय लिया गया।

8.14.2 केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की क्षमता में, पहली आधुनिकीकरण योजना को शुरू करने के बाद से बहुत वृद्धि हुई है। देश में वर्तमान सुरक्षा परिदृश्य बदल गया है और चुनौतियों का सामना करने के लिए केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को उन्नत करने के लिए ऐसा महसूस किया गया कि अगली आधुनिकीकरण योजना ''आधुनिकीकरण योजना ।। "शुरु की जाए। इसी के अनुसार वर्ष 2012-13 से 2016-17 तक की अवधि के दौरान निष्पादित किए जाने के लिए एक आधुनिकीकरण योजना तैयार की गई है।

8.14.3 ऐसा प्रयास किया गया है कि जवान आधुनिकीकरण के केंद्र बिंदु के रुप में रहें। सामान्य विषय, जो कि दोहराए जा रहे हैं, निम्नलिखित हैं:

क. सुरक्षात्मक उपकरण समाधान

ख. सर्विलांस सॉल्यूशंस

ग. नाइट फाइटिंग डोमिनेंस

घ. बेहतर फायर पावर

ड. गैर-घातक दंगा नियंत्रक उपकरण

च. फूलप्रूफ संचार

छ. रणभूमि प्रबंधन प्रणाली प्रशिक्षण सहायता; विविध उपकरण

8.14.4 प्रस्तावित आधुनिकीकरण योजना को आयोजना-भिन्न व्यय संबंधी समिति (सी एन ई) द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है और इस पर मंत्रिमण्डल के अनुमोदन की प्रतीक्षा है।

शारीरिक दक्षता जाँच का संकलन एवं अस्त्र-शस्त्र नीति का प्रतिपादन

8.14.5 प्रौद्योगिकीय विकास, संक्रियात्मक जरूरत एवं वर्तमान चुनौतियों को देखते हुए सी ए पी एफ के लिए मौजूद शारीरिक दक्षता जाँच (शांति काल उपस्कर तालिका) को पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बी पी आर डी) के परामर्श से संकलित किया जा रहा है। इसी प्रकार, बलों की लड़ने की क्षमता सुदृढ़ करने के लिए सी ए पी एफ द्वारा बी पी आर डी के परामर्श से अस्त्र-शस्त्र नीति संशोधित/प्रतिपादित की जा रही है

भारत सरकार की सहायता के भाग के रूप में विभिन्न देशों को भंडार प्रदान करना

8.14.6 विदेश मंत्रालय के निदेशों के अनुसार, मालदीव को 1.29 करोड़ रु. का दंगा नियंत्रण संबंधी उपस्कर प्रदान किया जा रहा है।

सी ए पी एफ के आधुनिकीकरण पर व्यय

8.14.7 केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के लिए असम राइफल्स और राष्ट्रीय सुरक्षा गारद सहित सी ए पी एफ को 52.09 करोड़ रु0 (संशोधित अनुमान) आबंटित किए गए, जिसमें से 11.02.2013 तक 34.20 करोड़ रु. की राशि का उपयोग किया जा चुका है। व्यय का ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

सी ए पी एफ के संबंध में वस्तुओं के आधुनिकीकरण पर व्यय				
	बजट अनुमान 2012-2013	संशोधित अनुमान 2012-2013	11.02.2013 तक वास्तविक व्यय	संशोधित अनुमान के संदर्भ में % व्यय
ए आर	18.02	6.84	6.47	94.59
बी एस एफ	35.20	26.00	14.42	55.46
सी आई एस एफ	0.00	0.00	0.00	
एन एस जी	0.90	0.00	0.00	
आई टी बी पी	3.03	0.00	0.00	
एस एस बी	18.00	19.15	13.31	69.50
कुल योग	**95.15**	**52.09**	**34.20**	**65.66**

सी ए पी एफ आवास परियोजना

8.15.1 अर्ध-सैनिक बलों के आवास की कमी के मुद्दे का समाधान करने के लिए गृह मंत्रालय ने सी ए पी एफ के कार्मिकों के लिए पूरे देश में 228 स्थानों में 57,787 मकानों तथा 348 बैरकों के निर्माण के लिए एक विशाल आवासन परियोजना प्रारंभ करने की योजना बनाई थी। इस परियोजना का उद्देश्य आवास संबंधी संतुष्टि के स्तर को 16% के वर्तमान स्तर से बढ़ाकर 25% स्तर तक पहुंचाना है, जैसा कि मंत्री समूह ने सिफारिश की है। सी ए पी एफ में आवास संबंधी संतुष्टि के निम्न स्तर का बल के कार्मिकों के स्वास्थ्य और मनोबल पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इस परियोजना के अंतर्गत भवनों के निर्माण से बल के कार्मिकों को अपने परिवार के साथ रहने की सुविधा मिल सकेगी।

8.15.2 पूर्व में इस परियोजना को सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पी पी पी) इंजीनियरिंग प्रापण एवं परामर्श (ई पी सी) प्रणाली के माध्यम से कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था। तथापि, योजना आयोग और शहरी विकास मंत्रालय की सलाह पर विचार करते हुए अब इस परियोजना को केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.)/अन्य लोक निर्माण संगठनों (लो.नि.सं.) के माध्यम से ई पी सी मोड में कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है। सी ए पी एफ के परामर्श से के.लो.नि.वि. एवं राष्ट्रीय भवन निर्माण निगम (एन बी सी सी) द्वारा लागत अनुमान तैयार किए जा चुके हैं। अब उपर्युक्त प्रस्ताव आर्थिक कार्य विषयक मंत्रिमंडल समिति द्वारा मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए व्यय-वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। 12वीं योजना में इस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए 5346.43 करोड रु. की राशि उपलब्ध है। जिसमें 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 22700 मकानों का निर्माण किया जाएगा। ई एफ सी और सी सी ई ए से अपेक्षित अनुमोदन प्राप्त होने के पश्चात, इस परियोजना को 12वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वित किया जाएगा।

भत्ते

8.16.1 सी ए पी एफ को दिए जाने वाले भत्तों में स्वीकार्यता की शर्त के अधीन निम्नलिखित भत्ते शामिल हैं:-

क्रम संख्या	भत्तों के प्रकार	तैनात किए गए सी ए पी एफ के कार्मिकों के लिए लागू
i.	जोखिम एवं संकट भत्ता	सेना के ऑपरेशन्स नियंत्रण के अधीन, सेना द्वारा घोषित क्षेत्र/ को-ऑर्डिनेट्स परंतु ऑपरेशन्स नियंत्रण के अधीन नहीं, नक्सल-विरोधी कार्रवाई पर, गुजरात के रन ऑफ कच्छ क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्र, वायु सेना द्वारा संरक्षित सीमा चौकियों में तैनात। इसकी समीक्षा अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार (गृह) के अधीन गठित समिति द्वारा की जाती है।
ii.	डिटैचमेंट भत्ता	यदि बल के कार्मिक को उनके मुख्यालय से अलग कर दिया जाता है तो सभी क्षेत्र।
iii.	विशेष ड्यूटी भत्ता	पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनात
iv.	राशन मुद्रा भत्ता	सी ए पी एफ के अराजपत्रित और कमान्डेंट की रैंक तक के राजपत्रित कॉम्बेटाइज्ड कार्मिक।
v.	किट अनुरक्षण भत्ता	क्षेत्रों में तैनात अधीनस्थ अधिकारी और राजपत्रित अधिकारी
vi.	धुलाई भत्ता	ए एस आई से नीचे की श्रेणी के अराजपत्रित अधिकारी

8.16.2 सी ए पी एफ के कार्मिकों के पास प्रतिपूरक भत्ते एवं डिटैचमेंट भत्ते अथवा जोखिम/हार्डशिप भत्ते का मौजूदा पैकेज प्राप्त करने का विकल्प है। प्रतिपूरक भत्ते के मौजूदा पैकेज में विशेष ड्यूटी भत्ता (एस डी ए) भी शामिल है। अतः विशेष ड्यूटी भत्ता और जोखिम भत्ता एक साथ नहीं दिया जा सकता ।

8.16.3 बल के कार्मिक, केंद्र सरकार के कर्मचारियों को देय भत्तों, यथा मकान किराया भत्ता, बाल शिक्षा भत्ता, महंगाई भत्ता, परिवहन भत्ता आदि प्राप्त करने के पात्र हैं।

8.16.4 तैनाती के स्थान, पात्रता के मापदंडों और ऐसे भत्तों से संबंधित नियमों एवं शर्तों के आधार पर दरों के साथ-साथ भत्तों की पात्रता भिन्न-भिन्न हो सकती है।

कल्याण और पुनर्वास बोर्ड (डब्ल्यू ए आर बी)

8.16.5 सी ए पी एफ के कार्मिक आंतरिक सुरक्षा को बनाए रखने और अन्तरराष्ट्रीय सीमाओं की रक्षा करने में मूल्यवान सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। कभी कभी किसी आतंकवाद- रोधी/ नक्सली संघर्ष अथवा किसी अन्य आंतरिक सुरक्षा संबंधी कार्रवाई में भाग लेने पर उनका कोई अंग-भंग हो जाता है या वे अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान कर देते हैं। इन कटु वास्तविकताओं पर विचार करते हुए, सी ए पी एफ ने सरकार की योजनाओं के अतिरिक्त अपनी ही अंशदायी कल्याणकारी योजनाएं शुरु की हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत कल्याण निधि, राहत निधि, बीमा निधि और शिक्षा निधि सृजित की गई है। इन सबके अलावा, सरकार, केंद्रीय सशस्त्र बलों के कार्मिकों के कल्याण के लिए प्रत्येक वर्ष पर्याप्त राशि और उनके नजदीकी संबंधी (एनओके) के लिए अनुग्रह राहत और परिवार पेंशन मंजूर करती है।

8.16.6 सी ए पी एफ के कार्मिकों के कल्याण और पुनर्वास संबंधी आवश्यकताओं पर विचार करने के लिए एक संस्थागत तंत्र उपलब्ध कराने हेतु कल्याण और पुनर्वास बोर्ड डब्ल्यू ए आर बी भी स्थापित किया गया है। डब्ल्यू ए आर बी का प्रारंभिक कार्य पद पर रहने के दौरान मरने वाले कार्मिकों के आश्रितों को तत्काल मदद देना और जो अशक्त हो गए हैं उन्हें उनकी व्यक्तिगत समस्याओं, जैसे कि बच्चों की शिक्षा, भूमि /सम्पत्ति संबंधी मुद्दों, गंभीर चिकित्सा समस्याओं आदि से निपटने में सहायता करना है। सभी केन्द्रीय सशस्त्र बलों को जवानों के कल्याण के लिए 31.12.2012 तक विशेष कल्याण अनुदान के रूप में 22 करोड़ रु जारी किए गए हैं।

केन्द्रीय पुलिस बल कैंटीन सिस्टम (सी पी एफ सी एस)

8.16.7 सरकार द्वारा सितंबर, 2006 में एक केन्द्रीय पुलिस बल कैंटीन सिस्टम (सी पी एफ सी एस) प्रारंभ किया गया है। चूंकि केन्द्रीय पुलिस बल कैंटीन की सुविधा राज्य पुलिस के लिए भी लागू कर दी गई है, पिछले छह माह में सी ए पी एफ और राज्य पुलिस द्वारा विभिन्न राज्यों में 100 से ज्यादा सहायक कैंटीनें स्थापित की गई हैं। इस समय 126 मास्टर कैंटीनें और 981 सहायक कैंटीनें चल रही हैं। ये कैंटीनें, गुणवत्ता से कोई समझौता किए बिना, उचित दरों पर और सुविधाजनक स्थानों पर पूर्व कार्मिकों एवं उनके परिवारों सहित सी ए पी एफ और पुलिस बलों के कार्मिकों को उपभोक्ता वस्तुओं की विस्तृत श्रृंखला उपलब्ध करा रही हैं। इसके अतिरिक्त, सी पी एफ सी एस को वैट से छूट प्रदान किए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं, जैसा कि सेना की कैंटीनों के लिए किया गया है। इस समय 15 राज्यों अर्थात् मेघालय, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, बिहार, मणिपुर, हरियाणा, उत्तराखंड, तमिलनाडु, ओडिशा, राजस्थान, केरल, चंडीगढ़, सिक्किम, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश ने सी पी एफ सी एस को वैट से छूट प्रदान की है।

8.16.8 इसके अतिरिक्त, गुणवत्ता से कोई समझौता किए बगैर लाभार्थियों को अच्छी क्वालिटी के सामानों की विस्तृत श्रृंखला प्रदान करने के लिए 234 से अधिक प्रसिद्ध उत्पादक/ फर्में, केंद्रीय पुलिस कैंटीन (सी पी सी) के साथ सूचीबद्ध/ पंजीकृत हैं। सी पी एफ सी के वार्षिक टर्नओवर में वृद्धि का रुझान चल रहा है। वित्तीय वर्ष 2012-13 (31.12.2012 तक) में इसका टर्न ओवर, वर्ष 2011-12 में रहे 278.45 करोड़ रुपए की तुलना में 406.59 करोड़ रहा है।

8.16.9 इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय पुलिस बल कैंटीन प्रचालन प्रणाली में बढ़ोतरी करने और कैंटीनों के समग्र आधुनिकीकरण हेतु संपूर्ण कार्य-संचालन संबंधी रणनीति और कार्यान्वयन का रोड मैप तैयार करने के लिए गृह मंत्रालय एवं नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट (एन आई एस जी) के बीच एक करार पर हस्ताक्षर किए गए। एन आई एस जी ने निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:

(क) निकाय के रुप में एक ट्रस्ट का गठन

(ख) नियोजित नेटवर्क विस्तारीकरण

(ग) वित्तीय प्रबंधन

(घ) सप्लायर नेटवर्क का विस्तारीकरण

(ड.) सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी रणनीति तैयार करना

(च) मास्टर कैंटीन की पुनः रचना

(छ) विभिन्न स्टोर फॉर्मेटों की शुरुआत करना

(ज) मास्टर कैंटीनों और सहायक कैंटीनों के संचालन के लिए मानक संचालन पद्धतियाँ तैयार करना

(झ) केंद्रीय पुलिस कैंटीन (सी. पी. सी.) के मुख्यालय को सशक्त किया जाना

8.16.10 इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से एक कार्यबल गठित किया जा रहा है। इसके अलावा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली में दो मास्टर कैंटीनें पायलट मॉडल के रुप में शुरु की जाएंगी।

प्रधानमंत्री की छात्रवृत्ति योजना

8.16.11 सी पी ए एफ के कार्मिक अपनी अत्यन्त कठिन और विशेष ड्यूटी, वर्षों तक अपने परिवारों से दूर रह कर करते हैं और इस दौरान वे अपनी पारिवारिक वचनबद्धताओं को पूरा करने की स्थिति में नहीं होते । उनके बच्चे पिता की अपेक्षित सहायता से वंचित रह जाते हैं। इस पर विचार करते हुए सी पी ए एफ के सेवारत और पूर्व कार्मिकों के बच्चों और विधवाओं को उच्चतर तकनीकी शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिए प्रधानमंत्री की मेरिट छात्रवृत्ति योजना प्रारंभ की गई है। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष चिकित्सा, इंजीनियरी, सूचना प्रौद्योगिकी आदि के क्षेत्र में शिक्षा ग्रहण करने के लिए कुल 910 छात्रवृत्तियां प्रदान की जाती हैं। शैक्षिक वर्ष 2011-12 से सी ए पी एफ के कार्मिकों के 910 वाड्र्स/एनओके, अर्थात् 426 लड़कियों और 484 लड़कों को छात्रवृत्ति वितरित करने के लिए डब्ल्यू ए आर बी को 149.28 लाख रु. दिए गए हैं।

8.16.12 एक अन्य योजना में, सी ए पी एफ कार्मिकों के बच्चों को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा उक्त मंत्रालय के प्रयोजनार्थ आबंटित सीटों में से राज्यों के चिकित्सा/दंत चिकित्सा महाविद्यालयों में प्रवेश दिलाने के लिए नामित किया जाता है।

सी ए पी एफ के लिए चिकित्सा सुविधाएँ एवं शारीरिक स्वास्थ्य

8.16.13 सी ए पी एफ के कार्मिक आम तौर पर अपनी ड्यूटी असुविधाजनक वातावरण में और कठिन परिस्थितियों के अधीन निष्पादित करते हैं। सीमाओं की रक्षा करते समय उन्हें ऊँचाई वाले स्थानों पर भी तैनात किया जाता है और नक्सलियों एवं आतंकवादियों का मुकाबला करते समय उन्हें प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए, सी ए पी एफ के कार्मिकों को मानसिक रूप से अत्यधिक सजग और शारीरिक रूप से चुस्त-दुरुस्त रहना होता है। सी ए पी एफ कार्मिकों का उत्तम शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए और उन्हें लगातार तनाव एवं दबाव से मुक्त रखने के लिए, जो कि प्रतिकूल परिस्थितियों में रहने से उत्पन्न होता है, सी ए पी एफ ने अपने कार्मिकों के लिए निम्नलिखित चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाई हैं:-

i. सभी केन्द्रीय सशस्त्र बल यूनिटों में मेडिकल/पैरामेडिकल स्टाफ और इन्डोर सुविधाओं सहित एक डॉक्टरी जाँच (एम आई) कक्ष उपलब्ध है।

ii. उपलब्ध चिकित्सा कर्मियों और सामग्रियों के बेहतर उपयोग के लिए वर्ष 2004 में पचास बिस्तर वाले 32 कम्पोजिट अस्पतालों तथा सौ बिस्तर वाले 06 कम्पोजिट अस्पतालों की स्थापना करके सेवाओं एवं अस्पतालों का बेहतर मिश्रण किया गया है।

iii. इन कम्पोजिट अस्पतालों के माध्यम से जरुरतमंद कार्मिकों को स्पेशलाइज्ड उपचार प्रदान किया जा रहा है।

iv. किसी भी बल के साथ संबद्धता पर विचार किए बिना सी ए पी एफ के कार्मिक संपूर्ण देश में स्थित किसी भी सी ए पी एफ के कम्पोजिट अस्पताल में मुफ्त उपचार प्राप्त कर सकते हैं।

v. चिकित्सा अधिकारियों एवं विशेषज्ञों के पदों को नियमित आधार पर भरा जाता है। रिक्त पदों पर कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर नियुक्तियों को जारी रखने की मंजूरी दे दी गई है।

vi. ग्रेटर नोएडा में 200 बिस्तर वाले रेफरल अस्पताल के निर्माण के लिए 120.57 करोड रु. की राशि संस्वीकृत की गई थी और एन बी सी सी द्वारा इसका निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसके वर्ष 2013-14 में पूरा हो जाने की संभावना है।

vii. 10/20 बिस्तर वाले अस्पतालों तथा 50 और 100 बिस्तर वाले अस्पतालों में कार्मिकों की पद संख्या में संशोधन करना आरम्भ कर दिया गया है।

viii. 02 रिहैबिलिटेशन केंद्रों (सी आर पी एफ और बी एस एफ, प्रत्येक में 01) और 06 डायलिसिस केंद्रों की स्थापना (सी ए पी एफ के 100 बिस्तर वाले सभी कम्पोजिट अस्पतालों में) गृह मंत्रालय में सक्रिय रुप से विचाराधीन है।

ix. सरकार ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल चिकित्सा विज्ञान संस्थान (सी ए पी एफ आई एम एस) की स्थापना के लिए अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है, जिसमें 500 बिस्तर वाला एक जनरल अस्पताल, 300 बिस्तर वाला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल, एक नर्सिंग कॉलेज और पैरामेडिक्स का एक स्कूल शामिल है। इस परियोजना को पूरा करने की जिम्मेवारी बी एस एफ को सौंपी गई है। इस उद्देश्य के लिए दिल्ली के छतरपुर क्षेत्र में 42.80 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है।

x. बल के कार्मिकों को एच आई वी/एड्स से बचाने के लिए सभी सी ए पी एफ में नियमित रुप से शैक्षणिक और जागरुकता संबंधी कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

क	सी ए पी एफ में आयोजित की गई संगोष्ठियां (नवंबर, 2011 से अक्टूबर, 2012 तक)	426
ख	सी ए पी एफ में वितरित की गईं पम्फलेटें/पुस्तकें (नवंबर, 2011 से अक्टूबर, 2012 तक)	141298
ग	सी ए पी एफ में कुल प्रशिक्षित सलाहकार	2368

सी ए पी एफ में महिलाएं

8.16.14 महिला अधिकारियों को पुलिस व्यवस्था की मुख्यधारा में लाने के लिए महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता बरतने, लड़ाई का प्रशिक्षण जैसे विषयों को शामिल करके, प्रशिक्षण कार्यक्रमों का पुनर्विन्यास करने, नई स्थिति के अनुसार पाठ्यचर्या तैयार करने, अधिकाधिक महिलाओं को संक्रियात्मक ड्यूटी सौंपने जैसे अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। महिलाओं के प्रति अपराध को नियंत्रित करने के लिए सोच-समझकर केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में महिला अधिकारियों के प्रतिनिधित्व में वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। इस बारे में निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं:-

क) अगले तीन वर्षों के भीतर केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में महिलाओं की प्रतिशतता को 5 प्रतिशत करने के अनुदेश जारी किए गए हैं।

ख) सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल इस संबंध में भारत के उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों का सख्ती से अनुपालन कर रहे हैं और उन्होंने शिकायत समितियां गठित कर ली हैं। इन समितियों के अध्यक्ष पर्याप्ततः वरिष्ठ रैंक की महिला अधिकारी होती हैं। कथित गलत कार्य करने वाले से वरिष्ठ महिला अधिकारी के उपलब्ध नहीं होने पर, संबंधित केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल अन्य संगठन से अध्यक्ष को रखने के लिए गृह मंत्रालय से संपर्क करता है।

ग) सभी सी ए पी एफ ने यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जाँच-पड़ताल करने के लिए शिकायत समितियों में गैर-सरकारी संगठनों को पहले ही शामिल कर लिया है। केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में अन्य अनुशासनात्मक मामलों के साथ-साथ, यौन उत्पीड़न के संबंध में अनुशासनिक मामलों की मॉनीटरिंग, आवधिक रिपोर्टों एवं गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों की केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठकों के जरिए की जा रही है, ताकि जल्दी निष्कर्ष पर पहुँचा जा सके।

घ) महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता एवं सरकारी सेवाओं में इसके निहितार्थ के बारे में सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा अपने कार्मिकों को शिक्षित करने के कार्यक्रम चलाए गए हैं। इसे विभिन्न रैंकों के बुनियादी प्रशिक्षण कार्यक्रम एवं सभी सेवाकालीन पाठ्यक्रमों का भी हिस्सा बनाया गया है। महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता के बारे में प्रशिक्षण प्रदान करने के क्रम में प्रशिक्षित पूल रखने के लिए प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण भी आयोजित किया जाता है।

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की तैनाती

8.16.15 राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों के अनुरोध पर लोक व्यवस्था बनाए रखने में सहायता करने के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को उपलब्ध कराया जाता है। इन बलों की तैनाती, समग्र सुरक्षा स्थिति और बलों की उपलब्धता पर निर्भर करती है। ये बल, देश में आंतरिक सुरक्षा की स्थिति के समग्र प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं। इन बलों ने विभिन्न राज्यों में विधान सभा और उप-चुनावों के स्वतंत्र, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव आयोजित कराने में भी सहायता की है।

8.16.16 वर्ष 2012-13 के दौरान (अक्टूबर, 2012 तक) सी ए पी एफ के कार्मिकों ने उग्रवाद और आतंकवाद से लड़ने में जम्मू एवं कश्मीर राज्य, उत्तर-पूर्व के राज्यों और नक्सल प्रभावित राज्यों को सहायता देना जारी रखा। जन आंदोलन और हिंसक प्रदर्शनों के दौरान और इसके साथ ही राज्य में श्री अमरनाथ जी यात्रा में सुरक्षा व्यवस्था के लिए जम्मू एवं कश्मीर सरकार को सी ए पी एफ के अतिरिक्त कार्मिक भी प्रदान किए गए। वर्ष के दौरान, विभिन्न राज्यों में चुनावों के दौरान भी सी ए पी एफ के कार्मिकों की तैनाती की गई। अनेक राज्यों, विशेषकर असम, आंध्र प्रदेश, बिहार, पंजाब, झारखंड, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में शांति एवं सामुदायिक सद्भाव कायम रखने और कानून एवं व्यवस्था संबंधी ड्यूटी पर भी सी ए पी एफ/आर ए एफ के कार्मिकों को तैनात किया गया।

8.16.17 वर्ष के दौरान मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, गोवा और हिमाचल प्रदेश में विधान सभा चुनावों के लिए बड़ी संख्या में सी ए पी एफ/राज्य सशस्त्र पुलिस/विभिन्न राज्यों की आई आर बटालियनों को मोबिलाइज़ कर तैनात किया गया।

प्रशिक्षण

8.17.1 भारत सरकार पुलिस प्रशिक्षण को अत्यंत महत्व देती है। उत्कृष्ट केन्द्रों के रूप में विनिर्दिष्ट सी ए पी एफ के ऐसे

अनेक प्रशिक्षण संस्थान हैं, जो न केवल सी ए पी एफ के कार्मिकों को बल्कि राज्य पुलिस बलों के कार्मिकों को भी विशेषज्ञता से युक्त कौशल प्रशिक्षण प्रदान करते हैं।

8.17.2 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/ केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों/ केन्द्रीय पुलिस संगठनों के पुलिस कार्मिकों को विदेशों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता है, ताकि वे अपराध की रोकथाम, अपराधों का पता लगाने, जांच-पड़ताल करने, आतंकवाद-रोधी मामलों आदि के बारे में आधुनिक तकनीक की जानकारी प्राप्त कर सकें। ये पाठ्यक्रम, जापान, सिंगापुर, संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली आदि जैसे देशों में आयोजित किए गए हैं। विदेशों में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे अधिकारियों की मदद से इन पाठ्यक्रमों को भारत में दोहराया जा रहा है, ताकि उनका अधिक लाभ मिल सके।

8.17.3 गृह मंत्रालय ने पुलिस बलों को और अधिक प्रभावी ढंग से ड्यूटी का निर्वहन करने में सक्षम बनाने के दृष्टिकोण से उनको प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु ''ट्रेनिंग इंटरवेंशन'' नामक एक योजना अनुमोदित की है। इस योजना के अंतर्गत चलाए जाने वाले पाठ्यक्रमों में, 'साइबर अपराध मामलों की जाँच-पड़ताल', 'अन्वेषकों के अवैध मानव व्यापार-रोधी पाठ्यक्रम', 'फॉरेंसिक विज्ञान संबंधी उन्नत प्रौद्योगिकी','अपराध अन्वेषण दृश्य' 'सड़क दुर्घटना के मामलों की जाँच-पड़ताल,' 'हत्या/मानवहत्या के मामलों की जाँच-पड़ताल', 'हथियार एवं युक्तियों के बारे में पाठ्यक्रम', 'अति विशिष्ट व्यक्तियों की सुरक्षा के बारे में पाठ्यक्रम', 'पूछताछ की तकनीकों एवं आर्थिक अपराध के मामलों की जाँच-पड़ताल से संबंधित पाठ्यक्रम' शामिल हैं।

उग्रवाद और आतंकवाद-रोधी स्कूल

8.17.4 सरकार ने वामपंथी उग्रवाद/आतंकवाद के खतरे से निपटने में पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 52.40 करोड़ रूपए के परिव्यय से 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत उग्रवाद-रोधी और आतंकवाद-रोधी (सी आई ए टी) स्कूल स्थापित किए हैं। गृह मंत्रालय ने 21 सी आई ए टी स्कूल स्थापित/संचालित करने के लिए असम, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, नागालैंड, मणिपुर एवं त्रिपुरा राज्यों को 39.52 करोड़ रू. जारी किए हैं। 17 स्कूलों ने राज्य पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करना शुरु कर दिया है और शेष 04 स्कूलों में प्रशिक्षण जल्दी ही शुरु होने की संभावना है। दिनांक 1.12.2009 से 31.12.2012 की अवधि के दौरान सी आई ए टी स्कूलों में 21,253 पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया है।

केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल

8.17.5 इस समय, बी पी आर एंड डी के तत्वावधान में चंडीगढ़, हैदराबाद एवं कोलकाता में तीन केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल (सी डी टी एस) कार्य कर रहे हैं। ये केन्द्रीय गुप्तचर प्रशिक्षण स्कूल, पुलिस कार्मिकों को अपराध अन्वेषण की समुन्नत वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रशिक्षण प्रदान करते हैं। विदेशों के पुलिस अधिकारी भी इस पाठ्यक्रम में भाग लेते हैं। 'अपराध अन्वेषण की समुन्नत वैज्ञानिक पद्धतियों' के बारे में 39 पाठ्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें पुलिस उपाधीक्षक रैंक से लेकर राज्य पुलिस बलों एवं केन्द्रीय पुलिस बलों के ए एस आई रैंक तक के 929 पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया।

8.17.6 चूंकि मात्र 03 स्कूल, सभी राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं, इसलिए दो और सी डी टी एस अनुमोदित किए गए हैं। एक सी डी टी एस गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जाएगा, जिसके लिए शहरी विकास मंत्रालय ने 8.37 एकड़ भूमि आबंटित की है। दूसरे सी डी टी एस की स्थापना जयपुर, राजस्थान में की जाएगी, जिसके लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान पुलिस अकादमी परिसर, जयपुर में 10 एकड़ भूमि आबंटित की है। इनमें से प्रत्येक सी डी टी एस के लिए गृह मंत्रालय द्वारा 53 पद संस्वीकृत किए गए हैं। दोनों सी डी टी एस के लिए निधियां 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि में आबंटित कर दी गई हैं।

केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी, भोपाल

8.17.7 राज्य पुलिस प्रशिक्षण संस्थान के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए 12वीं पंचवर्षीय योजनावधि में 281 करोड़ रुपए के परिव्यय से भोपाल में एक केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी (सीएपीटी) स्थापित करने का निर्णय लिया गया है, क्योंकि राज्य पुलिस के पास पर्याप्त प्रशिक्षक नहीं हैं, जो उन्हें आन्तरिक सुरक्षा के समक्ष उभर रहीं नई चुनौतियों से निपटने के लिए नवीनतम तकनीकों का प्रशिक्षण दे सकें। यह अकादमी सीधी भर्ती से आने वाले डिप्टी एस पी/एडीशनल एस पी को प्रशिक्षण प्रदान करेगी तथा उन राज्यों के डिप्टी एस पी/एडीशनल एस पी को भी सेवाकालीन एवं विशेषज्ञता से युक्त प्रशिक्षण प्रदान करेगी, जिनके पास इस समय उपयुक्त स्तर की प्रशिक्षण सुविधाएं उपलबध नहीं हैं। सी ए पी टी की स्थापना के लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा 400 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई गई है। गृह मंत्रालय ने पूर्व-निर्मित

कुटियों के लिए 7.60 करोड़ रू. मंजूर किए। पाठ्यक्रम मध्य प्रदेश पुलिस अकादमी, सागर, मध्य प्रदेश के अस्थायी स्थान से दिनांक 04.09.2011 से शुरु हो गए हैं। आबंटित भूमि पर पूर्व निर्मित कुटियों का निर्माण कार्य चल रहा है और चालू वित्तीय वर्ष के अंत तक यहाँ पाठ्यक्रम शुरु होने की संभावना है। अभी तक वर्तमान वर्ष में सी ए पी टी, भोपाल में 08 पाठ्यक्रम संचालित किए गए हैं, जिनमें 129 पुलिस अधिकारी प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं।

पुलिस प्रशिक्षण संबंधी अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए 13वें वित्त आयोग द्वारा राज्यों को वित्तीय सहायता

8.17.8 13वें वित्त आयोग ने पुलिस प्रशिक्षण अवसंरचना के निर्माण/उन्नयन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के लिए 2441 करोड़ रूपए के निधि के आबंटन को अनुमोदित किया है। पुलिस प्रशिक्षण अवसंरचना के उन्नयन के लिए 31.12.2012 तक राज्य सरकारों को 597.61 करोड़ रु. की राशि जारी की जा चुकी है। राज्य सरकारों को पूर्व में जारी की गई निधियों के उपयोग के आधार पर उन्हें आगे निधियां जारी करने संबंधी प्रक्रिया चलाई जा रही है।

राज्यों में इंडिया रिजर्व बटालियनों का गठन

8.18.1 विभिन्न प्रकार की कानून और व्यवस्था एवं आंतरिक सुरक्षा की स्थितियों से निपटने में राज्यों की क्षमता सुदृढ़ करने और सी ए पी एफ पर उनकी निर्भरता कम करने के उद्देश्य से वर्ष 1971 में राज्यों में इंडिया रिजर्व बटालियनें गठित किए जाने की एक योजना प्रारंभ की गई थी। इसका उद्देश्य राज्यों में एक सुप्रशिक्षित सशस्त्र पुलिस बल सृजित किए जाने और सी ए पी एफ पर राज्यों की निर्भरता को कम करने के अलावा यह भी है कि आई आर बी को देश में कहीं अन्यत्र आवश्यकता पड़ने पर राज्य के बाहर भी तैनात किया जा सकता है । मंजूर की गई बटालियनों का वास्तविक गठन किए जाने के संबंध में राज्यों की प्रतिक्रिया पर विचार करते हुए, वित्तीय सहायता के स्तर में उत्तरोत्तर वृद्धि की गई है। वर्तमान में, राज्य सरकारों को आई आर बी का गठन करने के लिए मानक गठन लागत के 75% के रुप में 17 करोड़ रु. और 15 करोड़ रु की अधिकतम सीमा के साथ अवसंरचना और पूंजीगत लागत के लिए सहायता प्रदान की जा रही है।

8.18.2 अब तक 145 आई आर बटालियनें संस्वीकृत की गई हैं और 137 बटालियनें गठित की गई हैं। गठित नहीं की गई 8 बटालियनों में से 3 बटालियनों को आंध्र प्रदेश, झारखंड एवं महाराष्ट्र में प्रत्येक से एक-एक बटालियन को सितम्बर, 2011 में विशेषज्ञता प्राप्त भारतीय रिजर्व बटालियनों (एस आई आर बी) में परिवर्तित किया गया है। शेष 05 बटालियनें, आंध्र प्रदेश में एक, अरुणाचल प्रदेश में दो, असम में एक और गोवा में एक गठन की प्रक्रिया में हैं। आई आर/एस आई आर बटालियनों के गठन की प्रगति की गृह मंत्रालय द्वारा लगातार सघन मॉनीटरिंग की जा रही है।

8.18.3 सरकार ने कमांडो कम्पनियों के रुप में वर्ष 2007-2008 के पश्चात् मंजूर (और जो अभी गठन किए जाने की प्रक्रिया में हैं) प्रत्येक आई आर बी में 2 कंपनियां गठित किए जाने के लिए प्रति कम्पनी 3 करोड़ रु. की अतिरिक्त सहायता के प्रावधान का भी अनुमोदन किया है। इसका उद्देश्य, राज्यों को उग्रवादियों और आतंकवादियों आदि द्वारा उत्पन्न की जाने वाली विभिन्न प्रकार की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए विशेज्ञता से युक्त कौशल और उपकरणों से सुसज्जित बलों का गठन करने के लिए समर्थ बनाना है।

8.18.4 नक्सली क्षेत्रों में विभिन्न विकास परियोजनाओं को कार्यान्वित करने में मदद करने और सड़कों, स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, आँगनवाड़ी आदि जैसी बुनियादी अवसंरचनाओं का विकास सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने 10 विशेषज्ञता युक्त भारतीय रिज़र्व बटालियनों के गठन और पहले ही संस्वीकृत 3 आई आर बटालियनों को विशेषज्ञता से युक्त भारतीय रिजर्व बटालियनों में परिवर्तित करने का पहले ही अनुमोदन कर दिया है। विशेष भारतीय रिजर्व बटालियनों का राज्य-वार ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्रम सं.	राज्य का नाम	नए एस आई आर बटालियन	पहले ही संस्वीकृत आई आर बी का एस आई आर बी में परिवर्तन
1.	आन्ध्र प्रदेश	-	01
2.	बिहार	02	-
3.	छत्तीसगढ	02	-
4.	झारखंड	01	01
5.	मध्य प्रदेश	01	-
6.	महाराष्ट्र	-	01
7.	ओडिशा	03	-
8.	पश्चिम बंगाल	01	-
	कुल	**10**	**03**

8.18.5 10 नई एस आई आर बी एवं 3 परिवर्तित एस आई आर बी के लिए वित्तीय पैटर्न का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

क-03 आई आर बी से परिवर्तित एस आई आर बी के लिए:

प्रतिपूर्ति का पैटर्न निम्नानुसार है:-

(i) 5 सुरक्षा कंपनियों के लिए दर उस दर के अनुसार होगी, जिस पर 3 आई आर बी संस्वीकृत की गईं। 2 इंजीनियरिंग कंपनियों के लिए आवर्ती लागत की प्रतिपूर्ति, पहले 05 वर्षों के लिए प्रति वर्ष अधिकतम 4.97 करोड़ रूपए होगी। 6ठे वर्ष के लिए अधिकतम 3.73 करोड़ रू. (75%), 7वें वर्ष के लिए अधिकतम 2.49 करोड़ रू. (50%) और 8वें वर्ष के लिए अधिकतम 1.24 करोड़ रू. (25%) होगी। 9वें वर्ष से वार्षिक आवर्ती व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाना है।

(ii) केन्द्रीय सरकार इंजीनियरिंग उपकरण की लागत के रूप में प्रत्येक एस आई आर बी के लिए एकबारगी गठन लागत के रूप में अधिकतम 3.5 करोड़ रू. की प्रतिपूर्ति करेगी।

(iii) प्रतिपूर्ति, प्रत्येक एस आई आर बी के लिए अधिकतम 15 करोड़ रू. के अध्यधीन पूँजीगत लागत (भूमि लागत को छोड़कर) के 50% की प्रतिपूर्ति के रुप में की जानी है। प्रतिपूर्ति, वेतन एवं भत्तों और अन्य अर्द्ध मदों पर वास्तविक व्यय के अध्यधीन की जाएगी। गठन एवं पूँजीगत अवसरंचना की मानक लागत की प्रतिपूर्ति सहायता अनुदान के रूप में की जाएगी।

ख-10 नई एस आई आर बी के लिए:

प्रतिपूर्ति का पैटर्न निम्नानुसार है:-

(i) बटालियन मुख्यालय के स्टाफ, 5 सुरक्षा कंपनियों और 2 इंजीनियरिंग कंपनियों के लिए आवर्ती लागत की प्रतिपूर्ति पहले 5 वर्षों के लिए अधिकतम 18 करोड़ रु. प्रति वर्ष, 6ठे वर्ष के लिए अधिकतम 13.5 करोड़ रु. (75%), 7वें वर्ष के लिए अधिकतम 9 करोड़ रु. (50%) और 8वें वर्ष के लिए अधिकतम 4.5 करोड़ रु. (25%) के हिसाब से की जाएगी। 9वें वर्ष से वार्षिक आवर्ती व्यय का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा।

(ii) प्रशिक्षण, हथियार, उपकरण आदि के लिए प्रत्येक एस आई आर बी के लिए एकबारगी गठन लागत के रुप में अधिकतम 19 करोड़ रु. की प्रतिपूर्ति की जाएगी।

(iii) प्रत्येक एस आई आर बी के लिए अधिकतम 25 करोड़ रु. के अध्यधीन पूंजीगत लागत (भूमि की लागत को छोड़कर) के 50% की प्रतिपूर्ति।

(iv) प्रतिपूर्ति, वेतन एवं भत्तों पर वास्तविक व्यय के अध्यधीन की जाएगी। सहायता अनुदान के रुप में गठन एवं पूंजीगत अवसंरचना की मानक लागत की प्रतिपूर्ति।

पुरस्कार एवं पदक

8.19.1 वर्ष 2012-13 के दौरान पुलिस कार्मिकों द्वारा की गई सेवा के सम्मानस्वरूप और बल के कार्मिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए निम्नलिखित वीरता/सेवा पदक प्रदान किए गए:

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/ संगठन/मंत्रालय का नाम	वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक (पी पी एम जी)	वीरता के लिए पुलिस पदक (पी एम जी)	विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक (पी पी एम डी एस)	सराहनीय सेवा के लिए पुलिस पदक (पी एम एम एस)
1	आंध्र प्रदेश	-	04	05	50
2	अरुणाचल प्रदेश	-	02	02	02
3	असम	-	10	03	38
4	बिहार	-	14	04	33
5	छत्तीसगढ़	-	03	02	24
6	दिल्ली	-	01	05	34
7	गोवा	-	-	-	02
8	गुजरात	-	-	04	41
9	हरियाणा	-	01	02	29
10	हिमाचल प्रदेश	-	-	02	08
11	जम्मू और कश्मीर	05	36	03	35
12	झारखण्ड	-	06	02	28
13	कर्नाटक	-	02	07	37
14	केरल	-	-	03	19

15	मध्य प्रदेश	–	05	07	34
16	महाराष्ट्र	–	12	07	81
17	मणिपुर	–	15	01	13
18	मेघालय	01	05	–	07
19	मिजोरम	–	–	–	05
20	नागालैंड	–	01	–	03
21	उड़ीसा	–	05	03	23
22	पंजाब	–	07	04	24
23	राजस्थान	–	01	05	33
24	सिक्किम	–	–	01	02
25	तमिलनाडु	–	–	06	42
26	त्रिपुरा	–	–	02	13
27	उत्तर प्रदेश	–	07	10	146
28	उत्तराखण्ड	–	–	02	10
29	पश्चिम बंगाल	–	04	06	37
30	**संघ राज्य क्षेत्र**				
क)	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–	01
ख)	चंडीगढ़	–	–	01	02
ग)	दमन और दीव	–	–	–	–
ध)	दादर और नगर हवेली	–	–	01	01
ड.)	लक्षदीप	–	–	–	01
च)	पुदुचेरी	–	–	01	03
31	**केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ)/ केन्द्रीय पुलिस संगठन (सी पी ओ)अन्य संगठन**				
क)	असम राइफल्स	–	–	–	24
ख)	बी एस एफ	–	10	11	92
ग)	सी बी आई	–	–	12	40
ध)	सी आई एस एफ	–	–	05	48
ड.)	सी आर पी एफ	08	76	11	114
च)	गृह मंत्रालय	–	–	16	49
छ)	आई टी बी पी	–	–	08	23
ज)	एन एस जी	–	–	01	08
झ)	एस एस बी	–	01	02	22
ञ)	एस पी जी	–	–	–	06
ट)	बी पी आर एंड डी	–	–	01	05
ठ)	डी सी पी डब्ल्यू	–	–	–	–
ड)	एन सी बी	–	–	–	–
ढ)	एन सी आर बी	–	–	01	02
ण)	एन ई सी	–	–	–	–
त)	एन ई पी ए	–	–	–	–
थ)	एन एच आर सी	–	–	–	01
द)	एन आई ए -	–	–	–	04
ध)	एन आई सी एफ एस	–	–	–	03
न)	एन डी आर एफ	–	–	01	07
प)	एस वी पी एन पी ए	–	–	–	08
फ)	सिविल एविऐशन	–	–	–	01
ब)	इस्पात मंत्रालय	–	–	–	01
भ)	विद्युत मंत्रालय	–	–	–	–
म)	विदेश मंत्रालय	–	–	–	02
य)	गृह मंत्रालय	–	–	–	02
32	रेल मंत्रालय	–	–	02	30
	कुल	**14**	**228**	**172**	**1353**

❖❖❖

अध्याय IX अन्य पुलिस संगठन एवं संस्थाएं

पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी)

9.1.1 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो की स्थापना देश में पुलिस की जरुरतों और समस्याओं का पता लगाने, समुचित अनुसंधान परियोजना एवं अध्ययन करने तथा उभरती हुई चुनौतियों के समाधान हेतु नीतिगत विकल्पों का सुझाव देने के लिए वर्ष 1970 में की गई थी। इसे भारत और विदेश, दोनों में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों के अद्यतन घटनाक्रमों की जानकारी रखने का कार्य भी सौंपा गया था।

9.1.2 वर्ष 1973 में, समय-समय पर पुलिस प्रशिक्षण की व्यवस्था की समीक्षा करने के लिए पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो में केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण निदेशालय को भी शामिल कर लिया गया था। निदेशालय से बदलती हुई सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों के आलोक में इस क्षेत्र में देश की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकता का विश्लेषण करने और पुलिस प्रशिक्षण में नई वैज्ञानिक तकनीकें शुरु करने की आशा भी की जाती है। वर्ष 1995 में, सुधारात्मक प्रशासन के कार्य भी पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो में शामिल कर दिए गए थे।

9.1.3 इस समय, ब्यूरो में निम्नलिखित छह निदेशालय हैं, प्रत्येक निदेशालय का प्रमुख, महानिरीक्षक स्तर का भारतीय पुलिस सेवा का अधिकारी होता है और महानिदेशक के समग्र पर्यवेक्षण में कार्य करता है।

(क) अनुसंधान एवं सुधारात्मक प्रशासन
(ख) प्रशिक्षण
(ग) आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी विकास
(घ) राष्ट्रीय पुलिस मिशन
(ङ) विशेष इकाई
(च) प्रशासन

9.1.4 पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो में राष्ट्रीय पुलिस मिशन महानिदेशालय की स्थापना वर्ष 2009 में की गई है। राज्यों/ केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लगभग 100 पुलिस अधिकारियों की सहभागिता के साथ निदेशालय में निम्नलिखित छह माइक्रो-मिशन कार्य कर रहे हैं:-

क) मानव संसाधन विकास
ख) सामुदायिक पुलिस व्यवस्था
ग) संचार एवं प्रौद्योगिकी
घ) अवसंरचना
ङ) नई प्रक्रियाएं
च) सक्रिय पुलिस व्यवस्था एवं भावी परिकल्पना

9.1.5 गृह मंत्रालय ने ''पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया'' के संबंध में राष्ट्रीय पुलिस मिशन प्रभाग, बी पी आर एण्ड डी की माइक्रो मिशन परियोजना को अनुमोदन प्रदान किया है।

9.1.6 विगत वर्षों में, इस संगठन को राज्यों और केन्द्रीय पुलिस संगठनों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं तथा प्रशिक्षण की गुणवत्ता की निगरानी करने, पुलिस बलों के आधुनिकीकरण में राज्यों की सहायता करने और सुधारात्मक प्रशासन का उत्तरदायित्व भी सौंपा गया है। सरकार ने बी पी आर एण्ड डी के सुदृढ़ीकरण का अनुमोदन प्रदान किया है।

1.1.7 विगत वर्ष के दौरान, बी पी आर एण्ड डी ने निम्नलिखित गतिविधियां शुरु कीं:

i. देश में विभिन्न शैक्षिक, प्रबंधन और पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में आई पी एस और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के लिए 9 वर्टिकल विचार-विमर्श पाठ्यक्रम आयोजित किए, जिसमें 129 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

ii. 5 प्रबंधन पाठ्यक्रम आयोजित किए।

iii. 2 दीर्घकालिक पाठ्यक्रम (पी जी डी एवं पी पी एम) आयोजित किए।

iv. केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल प्रशिक्षण संस्थानों में 39 पाठ्यक्रम आयोजित किए, जिसमें 1137 पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया।

v. सेना के प्रशिक्षण संस्थानों में 49 पाठ्यक्रम आयोजित किए, जिसमें 1015 पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया।

vi. अपर पुलिस अधीक्षक और उप पुलिस अधीक्षक के लिए अनन्य रूप से 3 पाठ्यक्रम आयोजित किए, जिसमें 40 पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

vii. ''आत्म विकास और संघर्ष प्रबंधन'' विषय पर सहायक उप निरीक्षक से उप पुलिस अधीक्षक के रैंक की महिला पुलिस अधिकारियों के लिए अनन्य रूप से एक पाठ्यक्रम आयोजित किया, जिसमें 24 महिला पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया।

viii. जन आन्दोलनों से निपटने के लिए प्रभावकारी गैर-घातक प्रौद्योगिकियों/उपकरणों के विकास और प्रशिक्षण से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक कार्यशाला आयोजित की।

ix. पंजाब में लुधियाना और पश्चिम बंगाल में साल्ट लेक, कोलकाता में आदर्श पुलिस स्टेशनों का निर्माण किया।

x. दिनांक 25.07.2012 से 27.07.2012 तक त्रिशूर (केरल) में पुलिस में महिलाओं के संबंध में 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जिसमें 212 पुलिस अधिकारियों/पदाधिकारियों ने भाग लिया।

xi. संयुक्त राज्य स्टेट डिपार्टमेंट के आतंकवाद-रोधी सहायता (ए टी ए) कार्यक्रम के अन्तर्गत, भारत और यू एस ए में निम्नलिखित पाठ्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें क्रमशः 111 अधिकारियों और 63 अधिकारियों ने भाग लियाः

क) ए टी ए-8411, इन्टरनेट जांच के सिद्धान्त – सी डी टी एस, चंडीगढ़।

ख) ए टी ए- 8449, सेल्युलर संचार विधि-विज्ञान परामर्श - सी डी टी एस, चंडीगढ़।

ग) ए टी ए-8391, आतंकवादी गतिविधियों को रोकना – कर्नाटक पुलिस अकादमी, मैसूर।

घ) ए टी ए-9245, विस्फोट के बाद जांच यू एस ए (मायोक)।

ङ) ए टी ए-8409, बड़े मामलों का प्रबंधन (एम सी एम) – ए पी पी ए, हैदराबाद।

च) ए टी ए 8408, आतंकवादी संदिग्धों का साक्षात्कार रूस्तमजी सशस्त्र पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय, इंदौर।

छ) ए टी ए 8447, उन्नत विस्फोटक घटना रोधी उपाय (ए ई आई सी) यू एस ए।

ज) ए टी एस-8410, भारत में आतंकवादी घटनाओं की जांच- (एन ई पी ए), शिलांग।

झ) ए टी ए-8451, संकटकालीन कार्रवाई दल – यू एस ए (मांट्रोस)।

9.1.8 निम्नलिखित अनुसंधान अध्ययन पूरे किए गए हैं:-

क्रम सं.	विषय
	क) योजनेतर स्कीम के अंतर्गत
1.	सिविल पुलिस की दैनंदिन गतिविधियों का कंप्यूटरीकरण
2.	सिविल पुलिस का आंशिक निजीकरण
3.	जांच को कानून एवं व्यवस्था से अलग करना
4.	चेन्नई शहर में सामुदायिक अपराध निवारण कार्यक्रमः एक मूल्यांकन
5.	बढ़ती हुई दोषमुक्ति के संदर्भ में आपराधिक जांच में समस्याएंः दंड विधि एवं व्यवहार का अध्ययन
6.	भारत में पुलिस में अराजपत्रित रैंक की भर्ती प्रक्रिया
7.	सामान्य रूप से आन्तरिक सुरक्षा बनाए रखने और विशेष रूप से वामपंथी उग्रवाद/आतंकवाद को रोकने के लिए कार्य योजना बनाने के लिए अध्ययन
8.	महिला कार्मिकों में व्यावसायिक तनाव और स्वास्थ्य पर कतिपय मनो-सामाजिक कारकों का प्रभाव
9.	पुलिस कार्मिकों के कार्यनिष्पादन मूल्यांकन के लिए माध्यम का विकास
	ख) योजनागत स्कीम के अन्तर्गत
1.	दक्षिणी क्षेत्र में महिलाओं के प्रति अपराध की स्थिति
2.	उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में पुलिस का कार्यनिष्पादनः पूर्वोत्तर भारत में आत्मविश्लेषी समझ
	ग) कार्यशाला/सम्मेलन
1.	लोक प्रशासन के नए क्षेत्रः व्यवहार एवं अनुसंधान
2.	आंतरिक सुरक्षा और विशेष बलों की भूमिका
3.	भारत में मानवाधिकार के संरक्षण में पुलिस की भूमिका
4.	आतंकवाद को रोकने के संबंध में राष्ट्रीय सेमिनार

अपराध-विज्ञान और पुलिस विज्ञान में अनुसंधान कार्य के लिए फेलोशिप योजना

9.1.9 उपर्युक्त योजना के अंतर्गत, ब्यूरो ने उन्नत अनुसंधान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में तीन वर्षों तक कार्य करने के लिए प्रत्येक वर्ष युवा विद्यार्थियों को छह छात्रवृत्तियां प्रदान की हैं। वित्तीय वर्ष 2012-13 से, गृह मंत्रालय ने इन छात्रवृत्तियों की संख्या 6 से बढ़ाकर 12 कर दी है। फेलोशिप में 8,000 रूपए प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति तथा

आकस्मिकता के रूप में 10,000 रूपए प्रति वर्ष और विभागीय सहायता के रूप में 9,000 रूपए प्रति वर्ष प्रदान किया जाना शामिल है। अब तक, इस योजना के अंतर्गत पांच विद्यार्थियों ने अपना शोध-प्रबंध पूरा कर लिया है और 22 विद्यार्थी अपना शोध कार्य कर रहे हैं।

भारत में कारागार प्रशिक्षण प्रयोजित करना

9.1.10 ब्यूरो ने कारागार अधिकारियों के लिए 27 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए अर्थात् वर्टिकल विचार-विमर्श पाठ्यक्रम (वी आई सी): कारागार प्रबंधन में मानवाधिकार; व्यक्तित्व विकास; ''पढ़ाई में दृष्टि'' (सीइंग इन लर्निंग) और ''प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण'' (टी ओ टी), जिसमें 178 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो

9.2.1 राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन सी आर बी) की स्थापना वर्ष 1986 में राज्यों एवं संघ राज्य-क्षेत्रों में होने वाले अपराध एवं अपराधियों से संबंधित सूचना के रिपोज़िटरी के रूप में की गई थी। इससे जाँचकर्ताओं एवं अन्य को, अपराध का विश्लेषण करने, अपराध के आंकड़ों एवं अंगुलिछाप का संग्रहण एवं प्रसंस्करण करने; राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो का समन्वय, मार्गदर्शन और सहायता प्रदान करने एवं पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने में मदद मिलती है। एन सी आर बी भारतीय पुलिस को सूचना तकनीक एवं अपराध आसूचना से सशक्त बनाने का प्रयास करता है, ताकि, वे कानून का प्रभावकारी ढंग से एवं कुशलतापूर्वक प्रवर्तन करने में सक्षम हो सकें और लोक सेवा प्रदान करने में सुधार किया जा सके। इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुलिस बलों के साथ समन्वय करके, अपराध विश्लेषण प्रौद्योगिकी का उन्नयन करके और सूचना प्रौद्योगिकी क्षमता एवं आई टी समर्थित समाधान का विकास करके हासिल किया जाता है।

राष्ट्रीय परियोजनाएं

क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम (सी सी टी एन एस)

9.2.2 क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम (सी सी टी एन एस) परियोजना गृह मंत्रालय (एम एच ए) द्वारा कार्यान्वित की जा रही नेशनल ई-गवर्नेंस योजना के तहत मिशन मोड परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य समय पर अपराध तथा आपराधिक जानकारी के आदान-प्रदान के लिए देश के 28 राज्यों और 7 संघ राज्य-क्षेत्रों में 15,000 से अधिक पुलिस थानों और लगभग 6,000 उच्चतम कार्यालयों को जोड़ने हेतु एक व्यापक, एकीकृत प्रणाली तैयार करना और एक राष्ट्रव्यापी तंत्रीय समाधान प्रस्तुत करना है। इसके आगे, इस परियोजना का ब्यौरा अध्याय XII में दिया गया है।

रंगीन चित्र निर्माण प्रणाली (सी पी बी एस)

9.2.3 इस साफ्टवेयर को पीड़ित अथवा गवाह द्वारा उपलब्ध कराए गए विवरण के आधार पर अपराधियों तथा अपहृत/लापता व्यक्तियों का चित्र बनाने की सुविधा प्रदान करने के लिए विकसित किया गया है।

9.2.4 एन सी आर बी ने विभिन्न क्षेत्रीय विशेषताओं के साथ आंख, कान, होंठ, बाल, इत्यादि जैसी विभिन्न मुखाकृति घटकों/स्वरूपों वाले 10,000 सांचों के साथ इस साफ्टवेयर को समस्त राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों को जारी कर दिया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रतिनिधियों को गहन प्रशिक्षण भी प्रदान किए गए हैं। राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों ने पहले ही इस साफ्टवेयर को प्रयोग में लाना शुरु कर दिया है।

जाली मुद्रा सूचना प्रबंधन प्रणाली (सी सी आई एम एस)

9.2.5 इस प्रणाली से तैयार की गई रिपोर्टें सी बी आई, सेन्ट्रल इकोनामिक इंटेलिजेंस ब्यूरो (सी ई आई बी), इत्यादि को प्रस्तुत की जाती हैं। वर्तमान डाटाबेस का आकार 7,28,452 रिकार्ड (जब्त किए गए) और 3,02,908 (बरामद किए गए) है।

मोटर वाहन समन्वय प्रणाली (एम वी सी एस)

9.2.6 मोटर वाहन समन्वय प्रणाली (एम वी सी एस) को चुराए गए तथा बरामद किए गए मोटर वाहनों के समन्वय के लिए डिजाइन किया गया है। इसका प्रयोग आम नागरिक द्वारा, किसी लेनदेन में शामिल होने से पहले प्रयुक्त वाहन की इस स्थिति को निर्धारित करने, कि यह चुराया गया है अथवा कुछ और है, के लिए भी किया जाता है। आम नागरिक को सेवा प्रदान करने के लिए देशभर में 32 काउंटर (एन सी आर बी मुख्यालय में एक सहित) खोले गए हैं। एन सी आर बी की वेबसाइट (http://ncrb.gov.in) के माध्यम से भी पूछताछ की जा सकती है। इस प्रणाली का प्रयोग करते हुए पुलिस/सरकारी विभागों/बीमा कम्पनियों से प्राप्त हुए लगभग 6,000 प्रश्नों (प्रति माह) को एन सी आर बी काउंटर पर दर्ज किया गया और उसका उत्तर दिया गया। वर्तमान डाटाबेस का आकार 9,30,702 चुराए गए/बरामद किए गए मोटर वाहनों का है।

9.2.7 वर्तमान साफ्टेवयर को क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एण्ड सिस्टम (सी सी टी एन एस) नामक कोर एप्लिकेशन साफ्टवेयर के साथ जोड़ दिया जाएगा। इससे सुरक्षित नेटवर्क के माध्यम से पुलिस को साथ-ही-साथ सिटिजन पोर्टल सर्विस के माध्यम से सरकारी विभागों, बीमा कम्पनियों तथा आम नागरिक को चुराए गए/बरामद किए गए वाहनों के ब्यौरे तत्काल उपलब्ध हो जाएंगे।

तलाश सूचना प्रणाली

9.2.8 तलाश सूचना प्रणाली को लापता, अपहृत, वांछित, पता लगाए गए, गिरफ्तार किए गए, अज्ञात व्यक्तियों तथा अज्ञात शवों के मिलान के लिए विकसित किया गया है। यह प्रणाली चालू है और पुलिस से प्राप्त होने वाली पूछताछ पर कार्यवाही की जाती है। आम नागरिक द्वारा देखे जाने के लिए एन सी आर बी वेबसाइट पर फोटोग्राफों के साथ आंकड़े अपलोड कर दिए गए हैं। वर्तमान डाटाबेस का आकार 4,46,313 रिकार्डों का है।

9.2.9 एक बार सी सी टी एन एस के पूर्णरूपेण चालू हो जाने पर राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की पुलिस पता लगाए गए, अज्ञात व्यक्तियों तथा अज्ञात शवों के साथ लापता/अपहृत व्यक्तियों का तत्काल मिलान कर पाएगी। आम नागरिक सिटिजन पोर्टल सेवाओं पर पूछताछ कर सकेगा और लापता, अपहृत, पता लगाए गए, अज्ञात व्यक्तियों एवं अज्ञात शवों के बारे में तत्काल जानकारी प्राप्त कर पाएगा।

आग्नेयास्त्र समन्वय प्रणाली

9.2.10 आग्नेयास्त्र समन्वय प्रणाली चोरी होने वाले तथा बरामद किए गए आग्नेयास्त्र के समन्वय में सहायता प्रदान करती है और मुख्यतः कानून प्रवर्तन एजेन्सियों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है। राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र की पुलिस द्वारा चोरी/बरामदगी के बारे में दी गई सूचना के अनुसार वर्तमान डाटाबेस का आकार 95,767 है। इस विधि को भी सी सी टी एन एस में शामिल करने का प्रस्ताव है।

पुलिस का प्रशिक्षण

9.2.11 इस क्षेत्र में एन सी आर बी द्वारा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है। कम्प्यूटरों और कम्प्यूटर केन्द्र प्रबंधन पर तकनीकी प्रशिक्षण तथा अंगुलिछापों सहित अपराध रिकार्ड प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं में राज्य पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण के लिए एक गहन कार्यक्रम की शुरुआत की गई है।

9.2.12 एन सी आर बी भारतीय पुलिस अधिकारियों के लिए वर्ष 1986 से और विदेशी पुलिस अधिकारियों के लिए वर्ष 1990 से सूचना प्रौद्योगिकी एवं अंगुलिछाप विज्ञान के संबंध में पाठ्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रति राज्यों तथा केन्द्रीय पुलिस संगठनों की प्रतिक्रिया अत्यन्त उत्साहवर्धक रही है और प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षार्थियों की वार्षिक संख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है। औसतन एन सी आर बी प्रतिवर्ष लगभग 20-22 पाठ्यक्रमों का आयोजन करता है।

9.2.13 एन सी आर बी में निम्नलिखित पाठ्यक्रम आयोजित किए गए थे:

क्र.सं.	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि (सप्ताह)
	पर्यवेक्षण स्तरीय अधिकारियों के लिए	
1	क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग एण्ड नेटवर्क सिस्टम्स	1
2	क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग एण्ड नेटवर्क सिस्टम (सी सी टी एन एस कार्यशाला)	3 दिन
3	नेटवर्क एवं ई-सुरक्षा	1
4	भारत में अपराध पर आपरेटरों का पाठ्यक्रम	1
5	भारत में कारागार आंकड़ों पर आपरेटरों का पाठ्यक्रम	3 दिन
6	साइबर सुरक्षा पर पाठ्यक्रम	1
7	रंगीन चित्र निर्माण प्रणाली (सी पी बी एस)	3 दिन
	विदेश मंत्रालय द्वारा प्रायोजित पाठ्यक्रम	
8	पुलिस में आई टी कार्मिकों के लिए कंप्यूटर नेटवर्किंग और सुरक्षा में उन्नत पाठ्यक्रम	6
9	अंगुलिछाप विशेषज्ञों के लिए उन्नत अंगुलिछाप विज्ञान	6
10	अफगानी पुलिस अधिकारियों के लिए अंगुलिछाप विज्ञान के संबंध में विशेष पाठ्यक्रम	7
11	विधि प्रवर्तन में आई टी के लिए उन्नत पाठ्यक्रम	6
12	अंगुलिछाप विशेषज्ञों के लिए उन्नत अंगुलिछाप विज्ञान एवं कंप्यूटर	6
13	विधि प्रवर्तन में सूचना प्रौद्योगिकी	12
14	उन्नत अंगुलिछाप विज्ञान एवं कप्यूटर	12

9.2.14 राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो ने वर्ष 1990 से जनवरी, 2013 तक की अवधि के दौरान विदेश मंत्रालय द्वारा प्रायोजित स्पेशल कामनवेल्थ अफ्रिकन असिस्टेंस प्लान (एस सी ए ए पी) और इंडियन टेक्निकल एण्ड

इकोनॉमिक कोऑपरेशन (आई टी ई सी)/टेक्निकल को ऑपरेशन स्कीम आफ कोलम्बो प्लान (टी सी एस) के तहत विकासशील देशों के 905 विदेशी पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किया है।

9.2.15 राज्यों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताएँ एन सी आर बी के विद्यमान संसाधनों को देखते हुए इसके द्वारा पूरी की जा सकने वाली आवश्यकताओं से कहीं अधिक हैं। एन सी आर बी के मार्गदर्शन में क्षेत्रीय स्तरों पर प्रशिक्षण के विकेन्द्रीकरण की योजना गृह मंत्रालय द्वारा अनुमोदित की गई थी। इन पुलिस कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्रों (पी सी टी सी) की स्थापना कोलकाता, लखनऊ, गांधीनगर और हैदराबाद में की गई थी और ये एन सी आर बी के विस्तार के रूप में वर्ष 1990 से प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। ये केन्द्र उप-निरीक्षक से उप पुलिस अधीक्षक रैंक के परिचालनात्मक कार्मिकों की प्रशिक्षण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम हैं।

9.2.16 एन सी आर बी की सलाह पर और इसके द्वारा प्रदत्त प्रशिक्षण सामग्रियों सहित आवधिक दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो कुछ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चला रहे हैं तथा रंगरुटों के लिए पुलिस प्रशिक्षण कालेजों/स्कूलों में कम्प्यूटर प्रशिक्षण माड्यूलों की शुरुआत की है।

9.2.17 एन सी आर बी द्वारा आयोजित किए गए पाठ्यक्रमों की कुल संख्या तथा 15 अक्तूबर, 2012 तक प्रशिक्षित किए गए अधिकारियों की संख्या निम्नानुसार हैः-

केन्द्रीय अंगुलिछाप ब्यूरो (सी एफ पी बी)

9.3.1 केन्द्रीय अंगुलिछाप ब्यूरो (सी एफ पी बी) कोलकाता में वर्ष 1955 में अस्तित्व में आया। सी एफ पी बी देश का एक शीर्ष निकाय है जो अंगुलिछाप विज्ञान से संबंधित सभी मामलों में राज्य अंगुलिछाप ब्यूरो, जाँच एजेन्सियों और अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों का समन्वय करता है, मार्गदर्शन करता है, मानीटर करता है और तकनीकी सहायता प्रदान करता है। यह ब्यूरो राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय अपराधियों का अंगुलिछाप रिकार्ड रखता है। यह विभिन्न एजेन्सियों से प्राप्त विवादित अंगुलिछापों सहित जांचाधीन दस्तावेजों की, उन पर विशेषज्ञ की राय प्रस्तुत करने के लिए, जांच करता है। सी एफ पी बी वार्षिक रूप से 'अंगुलिछाप ब्यूरो के निदेशकों का अखिल भारतीय सम्मेलन' भी आयोजित करता है। अगला सम्मेलन जनवरी-फरवरी, 2013 में आयोजित करने का प्रस्ताव है।

9.3.2 सी एफ पी बी ने एक ''ऑटोमेटिड फिंगर प्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम'' का प्रयोग करके राष्ट्रीय स्तर पर अंगुलिछाप के स्वचलन में अग्रणी कार्य किया है। एन सी आर बी और सी एम सी लि. द्वारा एक साथ मिलकर विकसित किए गए ''फिंगरप्रिंट एनालिसिस एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग सिस्टम'' (एफ ए सी टी एस) नामक इस साफ्टवेयर की स्थापना सी एफ पी बी में वर्ष 1992 में की गई थी। यह रिज-करेक्टरस्टिक्स के आधार पर अंगुलिछाप की मैचिंग की कम्प्यूटरीकृत प्रणाली है। सी एफ पी बी में ए एफ आई एस का वर्तमान वर्ज़न एफ ए सी टी एस वर्ज़न 5.0 है। ए एफ आई एस डाटाबेस में दस अंक के अंगुलिछाप स्लिप के 8,56,495 रिकार्ड हैं।

9.3.3 देश के अंगुलिछाप विशेषज्ञों को मान्यता दिलाने के लिए, सी एफ पी बी वार्षिक 'अखिल भारतीय अंगुलिछाप विशेषज्ञ बोर्ड परीक्षा' का आयोजन करता है। यह ब्यूरो एन सी आर बी, नई दिल्ली में विदेशी पुलिस अधिकारियों के लिए अंगुलिछाप विज्ञान में प्रत्येक वर्ष चार उन्नत पाठ्यक्रम आयोजित करता है। यह ब्यूरो अपनी कोलकाता इकाई में अंगुलिछाप विज्ञान में छह महीने का दक्षता पाठ्यक्रम भी आयोजित करता है। पाठ्यक्रम के ब्यौरे नीचे दिए गए हैः-

	एनसीआरबी में			क्षेत्रीय पुलिस प्रशिक्षण केन्द्रों में	कुल
	भारतीय	विदेशी	कुल		
आयोजित किए गए कार्यक्रमों की संख्या	650	51	701	1007	1708
भाग लेने वाले अधिकारियों की संख्या	11968	904	12872	23154	36026

क्रम सं.	मद/योजना/गतिविधि का नाम जैसी भी स्थिति हो	दिनांक 31.12.2012 तक वास्तविक	दिनांक 01.01.2013 से 31.03.2013 तक अनुमानित
1.	नई दिल्ली में विदेशी पुलिस अधिकारियों के लिए उन्नत अंगुलिछाप विज्ञान	**तीन** 4 जून - 13 जुलाई, 2012 21 अगस्त - 5 अक्तूबर, 2012 8 अक्तूबर - 16 नवम्बर, 2012	**एक** जनवरी - मार्च, 2013
2.	कोलकाता में अंगुलिछाप विज्ञान में छह महीने का दक्षता पाठ्यक्रम	**दो** 2 जनवरी - 29 जून, 2012 2 जुलाई - 31 दिसम्बर, 2012	**एक** 1 जनवरी - 28 जून, 2013

9.3.4 यह ब्यूरो ''फिंगर प्रिंट इन इंडिया'' नामक एक वार्षिक प्रकाशन निकालता है जिसमें स्टेट फिंगर प्रिंट ब्यूरेक्स, सी एफ पी बी और अंगुलिछाप विज्ञान से संबंधित अन्य सहायक मामलों के कार्य निष्पादन और क्रियाकलापों पर गहन अध्ययन किया जाता है।

विधि विज्ञान सेवा निदेशालय (डी एफ एस एस)

9.4.1 गृह मंत्रालय के तहत विधि विज्ञान सेवा निदेशालय (डी एफ एस एस) देश में विधि विज्ञान के संवर्धन के लिए नोडल एजेंसी है। यह कोलकाता, हैदराबाद, चण्डीगढ़, भोपाल, पुणे और गुवाहाटी स्थित छह केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं का संचालन करता है। यह संगठन देश में विधि विज्ञान की सर्वोत्तम प्रथाएं विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

विधि विज्ञान सेवा निदेशालय की मुख्य उपलब्धियां

मामलों की जांच

9.4.2 केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं (सी एफ एस एल) ने विभिन्न विधि प्रवर्तन एजेंसियों को विधि विज्ञान सेवाएं उपलब्ध कराई हैं और औषधियों, विस्फोटकों, डी एन ए, दस्तावेजों आदि से संबंधित विभिन्न प्रकार के मामलों की जांच की है। चालू वर्ष 2012-13 दिसम्बर, 2012 तक) के दौरान, डी एफ एस एस की प्रयोगशालाओं को 4649 मामले प्राप्त हुए हैं और इसने विभिन्न क्षेत्रों के 3282 मामलों में रिपोर्ट दी है।

अखिल भारतीय विधि विज्ञान सम्मेलन

9.4.3 देश में विधि विज्ञान से संबंधित मुद्दों के संवर्धन के लिए, विधि विज्ञान सेवा निदेशालय, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं के सहयोग से वार्षिक आधार पर अखिल भारतीय विधि विज्ञान सम्मेलन आयोजित करता है। इस वर्ष जून, 2012 में राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जम्मू एवं कश्मीर के सहयोग से कश्मीर में 3 दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया गया था और इसमें पूरे भारत एवं विदेश के लगभग 400 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। लगभग 250 वैज्ञानिक दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे और विधि विज्ञान के प्रमुख क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गया था। सम्मेलन का उदघाटन जम्मू एवं कश्मीर के राज्यपाल द्वारा किया गया था और गृह राज्य मंत्री श्री जितेन्द्र सिंह ने भी इसमें भाग लिया था।

सैटेलाइट संगोष्ठी

9.4.4 विधि विज्ञान की विभिन्न शाखाओं में विद्यमान मैनुअलों को अद्यतन बनाने तथा एस ओ पी तैयार करने के लिए, गृह मंत्रालय ने डी एफ एस एस को विधि विज्ञान की सभी शाखाओं में 8 सैटेलाइट संगोष्ठियां आयोजित करने का अनुमोदन प्रदान किया। प्रस्तावित 8 संगोष्ठियों में से 'स्वापक औषधि' पर सी एफ एस एल, गांधीनगर में और 'रसायन विज्ञान' पर सी एफ एस एल, चंडीगढ़ में 2 संगोष्ठियों का आयोजन पहले ही किया जा चुका है।

विधि-विज्ञान के विनियमन एवं विकास से संबंधित विधान

9.4.5 गृह मंत्रालय ने संसद के विचारार्थ विधि विज्ञान विधेयक तैयार करने के लिए एक समिति गठित की है, ताकि विधि विज्ञान से संबंधित साक्ष्य का विश्लेषण उच्च गुणवत्ता के साथ समय पर और विश्वसनीयता के साथ किया जा सके।

वैज्ञानिक कार्यनिष्पादन लेखा परीक्षा (एस पी ए) समिति

9.4.6 डी एफ एस एस के अधीन तीनों सी एफ एस एल के अधिदेश का निपटान करने और उसकी पुनः ईंजीनियरिंग के लिए, बी पी आर एण्ड डी के पूर्व मुख्य विधि-विज्ञान वैज्ञानिक डा. आर.के. तिवारी की अध्यक्षता में गृह मंत्रालय द्वारा एक 5 सदस्यीय एस पी ए समिति गठित की गई थी। समिति ने तीनों सी एफ एस एल की लेखा परीक्षा की और अन्तराल विश्लेषण के संबंध में विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा प्रणाली में पाठ्यक्रम के सुधार के संबंध में सिफारिशें की।

तीन हाई-टेक सी एफ आई की स्थापना

9.4.7 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, भारत सरकार ने भोपाल, पुणे और गुवाहाटी में तीन हाई-टेक सी एफ आई की स्थापना करने का अनुमोदन प्रदान किया है। इन प्रयोगशालाओं को आरंभ करने के लिए, परिसर किराए पर ले लिए गए हैं और वैज्ञानिक/प्रशासनिक कार्मिकों की तैनाती कर दी गई है। इन सी एफ आई के नए भवन परिसर के निर्माण के लिए जमीन अधिगृहीत कर ली गई है।

अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग

9.4.8 डी एफ एस एस ने मालदीव और वियतनाम में उन्नत विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना करने में सहायता प्रदान की है। सूचना के आदान-प्रदान के लिए वियतनाम के मंत्री के

नेतृत्व में एक उच्चस्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने डी एफ एस एस के मुख्यालय का दौरा किया। डी एफ एस एस वियतनाम में हो ची मिन शहर में हाई-टेक साइबर विधि विज्ञान प्रयोगशाला की स्थापना करने के लिए तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है।

9.4.9 जून, 2012 के महीने में, विश्व की सर्वोत्तम प्रयोगशालाओं द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम डी एन ए प्रथाओं और अन्य उन्नत विधि विज्ञान तकनीकों का अध्ययन करने के लिए गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव (पी एम) की अध्यक्षता में एक पांच सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने लियोन और नीदरलैंड का दौरा किया।

6 क्षेत्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं (आर एफ एस एल) और 52 जिला चल विधि विज्ञान इकाइयों की स्थापना

9.4.10 गृह मंत्रालय ने विभिन्न राज्यों में 6 आर एफ एस एल और 52 जिला चल विधि विज्ञान इकाइयों की स्थापना करने के लिए 11वीं पंचवर्षीय योजना में 100 करोड़ रूपए की धनराशि आबंटित की है। आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए, राज्यों का अभिनिर्धारण कर लिया गया है और इन सुविधाओं को आरम्भ करने के लिए निधि की 2 किस्तें जारी कर दी गई हैं।

केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (सी एफ एस एल), सी बी आई

9.5.1 सी एफ एस एल, सी बी आई, नई दिल्ली केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के प्रशासनिक नियंत्रण और गृह मंत्रालय के समग्र नियंत्रण के अधीन है। सी एफ एस एल सी बी आई, दिल्ली पुलिस, न्यायपालिका और सतर्कता विभागों तथा राज्य/केन्द्र सरकार के उपक्रमों आदि द्वारा भेजे गए अपराध प्रदर्शों का वैज्ञानिक विश्लेषण करता है। सी एफ एस एल के विशेषज्ञ, जांचकर्ता एजेंसियों द्वारा भेजे गए प्रदर्शों की जांच करते हैं और अपनी विशेषज्ञ राय प्रकट करते हैं तथा न्यायालयी सबूतों एवं साक्ष्यों के माध्यम से अपनी राय को अदालत में सिद्ध करते हैं। सी.बी.आई. द्वारा अपराध स्थल पर भौतिक सुरागों का पता लगाने के लिए पूरे भारत में इन प्रयोगशालाओं के वैज्ञानिक विशषज्ञों की सेवाओं का भी प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक/विशेषज्ञ, सी.बी.आई. के जांचकर्ता अधिकारियों और विधि विज्ञान के अन्य प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण भी देते हैं। यह प्रयोगशाला विधि विज्ञान के क्षेत्र में होने वाले कला एवं दक्षता विकास से संबंधित अनुसंधान और विकास कार्य भी करती है।

9.5.2 प्रयोगशाला वैज्ञानिकों ने दिल्ली तथा भारत के अन्य हिस्सों में 395 न्यायालयों में विशेषज्ञ साक्ष्य दिए और अपराधों की वैज्ञानिक जांच के लिए दिल्ली तथा इसके बाहर अपराध के 172 मामलों की जांच की। वर्ष 2012 के दौरान, सी एफ एस एल (सी बी आई), नई दिल्ली को सी बी आई, दिल्ली पुलिस तथा अन्य से लगभग 2,208 मामले प्राप्त हुए और दिनांक 31.12.2012 के अनुसार 553 मामले लंबित थे।

9.5.3 केन्द्रीय विधि विज्ञान प्रयोगशाला (सी बी आई) अपने सभी कार्यात्मक क्षेत्रों के लिए काम की गुणवत्ता के प्रति प्रतिबद्ध है और इसका आईएसओ आईईसी 17025 और एन ए बी एल के अनुरूप गुणवत्ता प्रणाली के अनुसार केन्द्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत नेशनल एक्रिडिटेशन बोर्ड फार टेस्ट एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज द्वारा प्रमाणीकरण किया गया है। विभिन्न प्रकार के अपराध प्रदर्शों के संबंध में विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक परीक्षा करने के लिए प्रयोगशाला ने विस्तृत गुणवत्ता नियमावली और कार्यकारी प्रक्रिया नियमावली तैयार की है। वर्ष के दौरान 1000 मामलों (लगभग) में उपयुक्तता की जांच की गई। एन ए बी एल की जरुरत के अनुसार गुणवत्ता नियमावली में संशोधन किया गया। नया मानक प्रोफार्मा अर्थात् आई एस ओ आई ई सी 17025-2005 प्रयोगशाला में शुरु कर दिया गया है। अपराध प्रदर्शों के विश्लेषण कार्य के लिए प्रयुक्त उपकरणों का एन ए बी एल द्वारा प्रमाणित एजेंसियों के माध्यम से अंशांकन किया गया है। गुणवत्ता प्रणाली, प्रयोगशाला प्रबंधन के साथ-साथ अभिलेखन प्रक्रियाओं की जांच करने के लिए सी एफ एस एल के सभी प्रभागों में आंतरिक लेखा परीक्षा, नामित आंतरिक लेखा परीक्षकों द्वारा की गई। वर्ष 2011 के दौरान, जहां कहीं आवश्यक था वहां आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए उच्च स्तर के प्रबंधन कार्मिकों द्वारा प्रबंधन समीक्षा की गई। इस समय चल रहे गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के बारे में प्रयोगशाला में जागरुकता अभियान भी चलाया गया।

9.5.4 सी एफ एस एल, नई दिल्ली के प्रशासनिक नियंत्रण में कोलकाता, मुम्बई और चेन्नई में तीन अतिरिक्त वैज्ञानिक सहायता इकाइयां स्थापित की गई हैं। मुम्बई और चेन्नई में दोनों इकाइयां कार्यरत हैं। कोलकाता में अवसंरचना के विकास का कार्य सक्रिय रूप से प्रगति पर है और आशा है कि यह शीघ्र ही कार्य करना शुरु कर देगा।

भावी विकास

9.5.5 यह प्रयोगशाला नई अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी द्वारा प्रौद्योगिकी और अवसंरचना को अद्यतन करने पर ध्यान दे रही है। नई प्रौद्योगिकी को (1) ब्रेन फिंगर प्रिंटिंग (2) टाक्सीकोलॉजी (3) एनालाग/डिज़िटल ऑडियो/वीडियो एनालिसिस नामक प्रभाग के लिए खरीदा जा रहा है। गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली, तकनीकी उन्नयनों, अंशांकन प्रणालियों, इत्यादि के लिए पहलें की गई हैं। वर्तमान समय में महानगर वैज्ञानिक सहायता इकाइयों (एस ए यू) में केवल चार प्रभाग कार्यरत हैं। तथापि, भविष्य में इन वैज्ञानिक सहायता इकाइयों को संबंधित क्षेत्रों की आवश्कयताओं को पूरा करने के लिए पूर्णरूपेण विधि-विज्ञान प्रयोगशालाओं में परिवर्तित करने के लिए प्रयास शुरु किए जाएंगे।

पुलिस वायरलेस समन्वय निदेशालय (डी सी पी डब्ल्यू)

9.6.1 पुलिस वायरलेस समन्वय निदेशालय (डी सी पी डब्ल्यू) देश में विभिन्न पुलिस संचार सेवाओं के समन्वय के लिए नोडल एजेंसी है और यह पुलिस संचार से संबंधित सभी मामलों में गृह मंत्रालय और राज्य/केन्द्रीय पुलिस संगठनों के तकनीकी सलाहकार के रूप में कार्य करता है। राज्य/केन्द्रीय पुलिस संगठनों और गृह मंत्रालय के कार्यालयों के बीच संदेशों के आदान-प्रदान के लिए संचार सुविधाओं के अतिरिक्त, डी सी पी डब्ल्यू, सी पी ओ और राज्य पुलिस रेडियो संगठनों द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले साइफर दस्तावेजों/डिवाइसों के लिए केन्द्रीय वितरण प्राधिकरण का उत्तरदायित्व भी निभा रहा है।

अनुरक्षण एवं संचार विंग

9.6.2 यह निदेशालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की राजधानियों में स्थित पूरे देश में फैले हुए सभी अन्तर राज्य पुलिस वायरलेस स्टेशनों के संचार नेटवर्क के अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी है। दिनांक 01.04.2012 से 31.12.2012 तक सभी अन्तर राज्य पुलिस वायरलेस स्टेशनों के बीच कुल 7,06,460 संदेशों और 25,97,16,165 समूहों का निपटान किया गया है। सभी अन्तर राज्य पुलिस वायरलेस स्टेशन नेटवर्क की संचार सुविधाओं का उपयोग प्राकृतिक आपदाओं के दौरान आपातकालीन संदेशों के लिए भी किया जा रहा है। अनुरक्षण अनुभाग निदेशालय के मुख्यालय और 31 अन्तर राज्य पुलिस वायरलेस स्टेशनों में स्थापित किए गए आधुनिक और नवीनतम वीसैट सहित सभी उपकरणों को आवश्यक अनुरक्षण कवर प्रदान करता है। पंचवर्षीय योजना 2012-2017 के तहत, वित्तीय वर्ष 2013-2015 के दौरान ''आवाज एवं आंकड़ों के संचार के लिए ए एल ई फीचर के साथ डी एस पी टी प्रौद्योगिकी वाले डिजिटल रेडियो'' पर आधारित एच एफ संचार के सुदृढ़ीकरण की योजना तैयार की जा रही है। निदेशालय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों सहित सभी एजेंसियों के साथ समन्वय करने के लिए भी उत्तरदायी है। आन्तरिक निगरानी कक्ष डी सी पी डब्ल्यू और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के रेडियो संचार के सर्किटों में खराबियों को दूर करने के लिए उत्तरदायी है और राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में समय-समय पर आई.बी. और सेना के दिशानिर्देशों के अनुसार उपयुक्त अनुदेश जारी किए जाते हैं।

पोलनेट परियोजना

9.6.3 पोलनेट (पुलिस नेटवर्क) ने सभी प्रयोक्ता संगठनों अर्थात राज्य पुलिस, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और गृह मंत्रालय के कार्यालयों को आई एस बी एन, एस सी पी सी और डी वी बी-एस आधारित नेटवर्कों के माध्यम से निर्बाध और मूल्य वर्धित हब सेवाएं प्रदान कीं। कुल 971 वीसैट लगाए गए हैं और संबंधित पुलिस संगठनों द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। प्रारंभ में समन्वय निदेशालय (पुलिस वायरलेस), इसके राज्यों में स्थित कार्यालयों के प्रयोग के लिए सृजित की गई और बाद में इन्ट्रानेट उपयोग के लिए पश्चिम बंगाल, गुजरात और अरुणाचल प्रदेश को उपलबध कराई गई वेब मेल सुविधा देश में ही विकसित की गई है। हाल ही में यह सुविधा सभी आई टी बी पी पोलनेट ट र्मिनलों को भी उपलब्ध कराई गई है।

9.6.4 राष्ट्रीय रिमोट सेन्सिंग एजेंसी, भारतीय मौसम विभाग, आईएनसीओआईएस, हैदराबाद, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, केन्द्रीय जल आयोग के नोडों, प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, मंत्रिमंडल सचिवालय आदि में निगरानी नोडों तथा आपदा की संभावना वाली राज्य की राजधानियों में स्थित अन्य नोडों को भी वीडियो कान्फ्रेंसिंग, आवाज और आंकड़ा संबंधी सेवाओं की जानकारी प्रदान करने के लिए आपदा प्रबंधन सहायता वीसैट आधारित नेटवर्क हब का पुनर्विन्यास किया गया है और नए आबंटित भारतीय सैटेलाइट जीसैट-12 में सफलतापूर्वक स्थानांतरित किया गया है।

इस हब से सभी प्रयोक्ता संगठनों को चौबीसों घंटे सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

प्रशिक्षण विंग और मानव संसाधन विकास

9.6.5 देश के पुलिस कार्मिकों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से केन्द्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना वर्ष 1971 में की गई थी। केन्द्रीय पुलिस रेडियो प्रशिक्षण संस्थान (सी पी आर टी आई), नई दिल्ली के दो प्रशिक्षण विंग (साइफर और तकनीकी) हैं, जिसमें विभिन्न रैंक के पुलिस दूरसंचार कार्मिकों के लिए विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। प्रशिक्षण संस्थान का उद्देश्य निदेशालय और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों/केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों के अधिकारियों के लिए दक्षता पाठ्यक्रमों, कौशल विकास पाठ्यक्रमों प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों, विशेष पाठ्यक्रमों जैसे नियमित पाठ्यक्रम आयोजित करना है। सीपीआरटीआई के साइफर विंग ने चालू वर्ष में 22 साइफर-उन्मुख पाठ्यक्रम आयोजित किए और 260 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया, जबकि तकनीकी विंग ने 24 पाठ्यक्रमों में 442 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया है।

9.6.6 डी सी पी डब्ल्यू जे सी बी, रक्षा मंत्रालय से साइबर दस्तावेज/डिवाइस प्राप्त करने और सुरक्षित संचार के अनुरक्षण के लिए दिल्ली में कंट्रोल क्रिप्टो सेन्टर और नार्थ ब्लाक सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र पुलिस रेडियो संगठन और आई एस पी डब्ल्यू स्टेशनों को आगे उसके संवितरण के प्रयोजन के लिए गृह मंत्रालय द्वारा नियुक्त सी डी ए (केन्द्रीय संवितरण प्राधिकरण) है।

योजना और समन्वय कार्य

9.6.7 डी सी पी डब्ल्यू संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की फ्रीक्वेंसी आबंटन संबंधी स्थायी सलाहकार समिति का सदस्य है तथा इसने राष्ट्रीय फ्रीक्वेंसी आबंटन योजना के निर्माण में बहुत अधिक योगदान प्रदान किया है और अपनी संबंधित गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय अर्ध सैनिक बलों के संचार नेटवर्कों के लिए रेडियो फ्रीक्वेंसी की आवश्यकताओं का अध्ययन किया जाता है और संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के वायरलेस प्लानिंग और समन्वय (डब्ल्यू पी सी) विंगों द्वारा उनके आबंटन के लिए उपयुक्त सिफारिशें की जाती हैं। यह डब्ल्यू पी सी के साथ राज्य, संघ राज्य-क्षेत्र पुलिस और अर्ध सैनिक बलों के स्पेक्ट्रम का मिलान करने में सक्रिय रूप से शामिल है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के पुलिस आधुनिकीकरण के प्रस्तावों का अध्ययन किया जाता है और एम पी एफ स्कीम के तहत उपयुक्त सिफारिशें भी की जाती हैं।

राष्ट्रीय अपराध-विज्ञान एवं विधि विज्ञान संस्थान (एन आई सी एफ एस)

9.7.1 केन्द्रीय अपराध विज्ञान और विधि विज्ञान शिक्षण संस्थान की स्थापना करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यू जी सी) की सिफारिशों के अनुसरण में पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो के अंदर अपराध विज्ञान और विधि विज्ञान संस्थान की स्थापना वर्ष 1972 में की गई थी। वर्ष 1955 में यूनेस्को द्वारा लंदन में आयोजित की गई एक संगोष्ठी में लिए गए इस संकल्प के अनुसरण में कि विधि प्रवर्तन अधिकारियों के लिए अपराध-विज्ञान और विधि विज्ञान की सुव्यवस्थित जानकारी होना आवश्यक है और विश्वविद्यालयों को अपने पाठ्यक्रम में इन विषयों को शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, यू जी सी ने 'अपराध विज्ञान' और 'विधि विज्ञान' को विश्वविद्यालयी शिक्षा की सामान्य धारा में लाने के लिए आवश्यक उपायों का सुझाव देने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी।

9.7.2 एन आई सी एफ एस ने आपराधिक न्याय प्रणाली के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 2 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित करके वर्ष 1972 में सामान्य सी शुरुआत की थी। वर्ष 1976 में यह एक व्यापक अधिदेश, जिसमें विभिन्न उपायों के माध्यम से अपराध-विज्ञान और विधि विज्ञान का संवर्धन शामिल था, के साथ सीधे गृह मंत्रालय के अधीन एक स्वतंत्र विभाग बन गया। अपने अस्तित्व के 40 वर्षों के दौरान, संस्थान ने दोनों विषयों के अनुप्रयुक्त पहलुओं में प्रशिक्षण और अनुसंधान के क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। पुलिस और सिविल प्रशासन, अभियोजन, न्यायपालिका, सुधारात्मक प्रशासन, सीमा शुल्क, सुरक्षा बलों और विधि-विज्ञान प्रयोगशालाओं के 34,000 से अधिक अधिकारियों ने संस्थान के विभिन्न अभिमुखीकरण और विशेषज्ञ पाठ्यक्रमों में भाग लिया। विदेशों नामतः अफगानिस्तान, बांग्लादेश, फिजी, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, मलेशिया, मालदीव, सूडान, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, फिलिस्तीन, फिलीपीन्स, सिंगापुर, थाइलैण्ड, युगान्डा और जाम्बिया के अधिकारियों ने भी इन पाठ्यक्रमों में भाग लिया। संस्थान ने अपराध विज्ञान और विधि विज्ञान में कई अनुसंधान परियोजनाएं चलाई हैं और यह अपराध-विज्ञान और विधि विज्ञान के संवर्धन की कई योजनाएं चलाता है।

9.7.3 संस्थान वर्ष 2004 से अपराध-विज्ञान और विधि विज्ञान में एम.ए./एम.एससी. पाठ्यक्रम भी चलाता है, जो गुरू गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय से संबद्ध है।

9.7.4 वर्ष 1991 में संस्थान का स्तरोन्नयन एक राष्ट्रीय संस्थान के रूप में किया गया था और वर्ष 2003 में संस्थान का नाम बदलकर लोक नायक जयप्रकाश नारायण राष्ट्रीय अपराध विज्ञान एवं विधि विज्ञान संस्थान कर दिया गया था। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली के उप-नगर रोहिणी में स्थित इस संस्थान का परिसर 8 एकड़ में फैला हुआ है, जिसमें प्रशासनिक विंग और शिक्षण क्षेत्र (लगभग 9000 वर्ग मीटर), संकाय और स्टाफ के लिए आवासीय सुविधाओं के अतिरिक्त हॉस्टल के लिए स्थान (2400 वर्ग मीटर), कई व्याख्यान थिएटर, सेमिनार कक्ष, आडिटोरियम स्थित हैं। इस संस्थान में एक इन्स्ट्रूमेंटेशन विंग और अत्याधुनिक उपकरणों वाली 7 प्रयोगशालाएं हैं। संस्थान के पुस्तकालय में केवल इन्हीं विषयों की 13000 से अधिक पुस्तकें हैं और यहां 42 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाएं भी खरीद कर मंगवाई जाती हैं। संस्थान के परिसर में अच्छा शैक्षिक वातावरण उपलब्ध है।

प्रशिक्षण और अनुसंधान

9.7.5 अप्रैल और अक्तूबर, 2012 के बीच, संस्थान ने पुलिस, न्यायपालिका, अभियोजन अधिकारियों, नेपाल पुलिस और सतर्कता अधिकारियों/प्रबंधकों के लिए 17 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, 03 सेमिनार, 06 कार्यशालाएं और 01 संगोष्ठी आयोजित की। विभिन्न कार्यक्रमों में लगभग सभी राज्यों और संघ राज्य-क्षेत्रों के कुल 679 अधिकारियों तथा 67 विदेशी अधिकारियों ने भाग लिया।

संस्थान दिवस 2012, आपराधिक न्याय पर संगोष्ठी

9.7.6 एन आई सी एफ एस ने राष्ट्र के प्रति अपनी सेवा के 40 वर्ष पूर्ण होने का समारोह मनाने के लिए विज्ञान भवन, नई दिल्ली में दिनांक 29.09.2012 को संस्थान दिवस मनाया। इस दिवस का उद्घाटन केन्द्रीय गृह सचिव, श्री आर.के. सिंह द्वारा किया गया। समारोह के बाद ''आपराधिक न्यायः पुलिस जांच की स्वायत्तता और निगरानी के दृष्टिकोण'' पर एक संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसकी शोभा अन्य लोगों के साथ-साथ न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा, फाली एस. नरीमन, न्यायमूर्ति एस.एस. धींगरा और प्रो. रणवीर सिंह ने बढ़ाई। संगोष्ठी में इस विषय पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया।

संवर्धनात्मक योजनाएं

9.7.7 इस संस्थान ने अपराध विज्ञान और विधि-विज्ञान में शिक्षण, प्रशिक्षण और अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए कई संवर्धनात्मक योजनाएं शुरु की हैं। कुछ योजनाओं के ब्यौरे निम्नलिखित पैराग्राफों में दिए गए हैं:-

(i) **अपराध विज्ञान में अनुसंधान के लिए पीठः** अपराध का हल करने के लिए शांतिपूर्ण एवं मानवीय तरीके से अनुसंधान करने के लिए लोकनायक जय प्रकाश नारायण की स्मृति में एक पीठ की स्थापना की गई है। यह पद (पीठ) सभी के लिए खुला है और इसका विज्ञापन अखिल भारतीय समाचारपत्रों में दिया जाता है। इसका चयन अनुसंधान समिति द्वारा किया जाता है। पदाधिकारी को यात्रा, पुस्तकों आदि के लिए 60,000 रूपए के वार्षिक आकस्मिकता अनुदान सहित 55,000 रूपए (संशोधनाधीन) की मासिक फेलोशिप मिलती है। चयन होने पर सेवारत सरकारी अधिकारी जवाहरलाल नेहरू मेमोरियल फेलोशिप के बराबर उदारीकृत लाभों के लिए पात्र हैं।

(ii) **डॉक्टर रिसर्च फेलोशिपः** ''अपराध विज्ञान'' और ''विधि''विज्ञान'' के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए, इन दोनों विषयों में प्रति वर्ष पांच डाक्टोरल फेलोशिप प्रदान की जाती है। फेलोशिप की राशि और

अपराध विज्ञान एवं विधि विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए एन आई सी एफ एस मेडल प्रदान करने की शुरूआत करते हुए श्री आर. के. सिंह, केंद्रीय गृह सचिव

पात्रता की शर्तें विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुरूप हैं। आवेदन-पत्र समाचार पत्रों के विज्ञापन के माध्यम से अखिल भारत आधार पर आमंत्रित किए जाते हैं।

(iii) **अपराध विज्ञान और विधि विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए एन आई सी एफ एस मेडल:** उप पुलिस अधीक्षक और उप-निरीक्षक के रूप में नियुक्त होने पर पुलिस अधिकारी अपने संबंधित राज्य में बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं। प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में अपराध विज्ञान और विधि विज्ञान का अध्ययन शामिल है। इन विषयों में अधिक रूचि उत्पन्न करने के लिए, यह मेडल उप पुलिस अधीक्षक और उप-निरीक्षक के लिए बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम और उप-निरीक्षक के लिए रूपांतरण पाठ्यक्रम के अंत में आयोजित की जाने वाली परीक्षा के उपरांत इन दोनों विषयों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले अधिकारियों को दिया जाता है।

(iv) **एन आई सी एफ एस के टॉपर विद्यार्थियों को पुरस्कार:** गुरू गोविन्द सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली से संबद्धता के बाद संस्थान ने वर्ष 2004 में एम.ए. (अपराध विज्ञान) और एम.एससी. (विधि विज्ञान) की पढ़ाई आरंभ की है। वर्ष 2010 की परीक्षा से, एम.ए. (अपराध विज्ञान) और एम.एससी. (विधि विज्ञान) की परीक्षा में उत्कृष्ट ता के लिए संस्थान के विद्यार्थियों को 10,000 रूपए और 5,000 रूपए के नकद पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। यह पुरस्कार सर्वाधिक/द्वितीय सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को दिया जाता है, बशर्ते वे सभी प्रश्नपत्रों में पहले प्रयास में ही उत्तीर्ण हो गए हों।

(v) **निबंध प्रतियोगिता:** ''अपराध विज्ञान'' और ''विधि विज्ञान'' में मूल शोध को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से, संस्थान इन दोनों विषयों के लिए अलग से वार्षिक निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित करता है। इस प्रतियोगिता में अपराध विज्ञान और विधि विज्ञान के लिए अलग-अलग क्रमशः 10,000 रूपए और 5,000 रूपए का नकद पुरस्कार प्रदान किया जाता है।

(vi) **विधि विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए एन आई सी एफ एस ट्राफी:** आई पी एस अधिकारी विधि विज्ञान के अनुप्रयोग में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। उन्हें अपने कैरियर में पहले ही विधि विज्ञान का अध्ययन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है। बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अंतिम परीक्षा में विधि विज्ञान में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाले आई पी एस (ओ टी) के लिए एस वी पी राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद में सिल्वर और क्रिस्टल(परिक्रामी) ट्राफी शुरु की गई है। पुरस्कार प्राप्त करने वाले अधिकारी को इस ट्राफी की एक लघु-आकृति प्रदान की जाती है।

स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एन सी बी)

9.8.1 स्वापक नियंत्रण ब्यूरो की स्थापना, मादक पदार्थों एवं मनः प्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार से निपटने के लिए स्वापक औषधि एवं मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 के अन्तर्गत एक राष्ट्रीय नोडल एजेंसी के रूप में की गई है। एन सी बी विभिन्न मंत्रालयों, अन्य कार्यालयों एवं राज्य/केन्द्रीय प्रवर्तन एजेंसियों के साथ समन्वय के लिए उत्तरदायी है। एन सी बी, स्वापक औषधियों एवं मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार के संबंध में हुए विभिन्न संयुक्त राष्ट्र अभिसमयों, 1961, 1971, 1988 (जिन पर भारत ने हस्ताक्षर किए हैं) के लिए अन्तर्राष्ट्रीय दायित्वों के कार्यान्वयन का उत्तरदायित्व भी निभाता है। यह स्वापक औषधियों और मनःप्रभावी पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने एवं उसके दमन के लिए की जाने वाली वैश्विक कार्रवाइयों को सुकर बनाने हेतु विभिन्न देशों के संबंधित प्राधिकारियों को सहायता भी प्रदान करता है।

9.8.2 एन सी बी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके तीन क्षेत्रीय उप महानिदेशक कार्यालय अर्थात दिल्ली में उत्तरी क्षेत्रीय, मुम्बई में दक्षिण-पश्चिम क्षेत्रीय और कोलकाता में पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय हैं तथा 13 क्षेत्रीय इकाइयाँ दिल्ली, मुम्बई, चेन्नै, कोलकाता, लखनऊ, जोधपुर, चण्डीगढ़, जम्मू, अहमदाबाद, गुवाहाटी, इन्दौर, बंगलौर और पटना में हैं। एन सी बी के 12 उप-क्षेत्र तिरूवनन्तपुरम, हैदराबाद, गोवा, मन्दसौर, अमृतसर, अजमेर, रांची, मण्डी, मदुरई, इम्फाल, देहरादून और भुवनेश्वर में हैं तथा 5 प्रकोष्ठ एन सी बी मुख्यालय में अर्थात इन्टरनेशनल कोऑर्डिनेशन सेल, प्रिकर्सर सेल, स्ट्रेटेजिक स्टडी सेल, ट्रेनिंग सेल और लीगल सेल हैं। इसके अतिरिक्त, संगठन के विभिन्न कार्यों के निपटान के लिए एक प्रवर्तन प्रकोष्ठ है।

9.8.3 एन सी बी ने इस वर्ष के दौरान कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 57 आसूचना अधिकारियों और 28 निगरानी सहायकों की भर्ती की है, जो इस समय बुनियादी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। 87 सिपाहियों की भर्ती अंतिम चरण में है।

इसके अतिरिक्त, विभिन्न विभागों/संगठनों से 18 अधिकारियों/कर्मचारियों ने प्रतिनियुक्ति पर एन सी बी ज्वाइन किया है।

9.8.4 वर्ष 2012-13 (दिनांक 31.10.2012 तक) के दौरान स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने संगठन की प्रवर्तन क्षमताओं को सुदृढ़ बनाने के लिए निम्नलिखित मदों/उपकरणों की खरीद की है:

1) 15 हल्के वाहन और 22 मोटरसाइकिलें, जिन्हें विभिन्न क्षेत्रीय इकाइयों द्वारा तैनात किया गया है। 12 हल्के वाहन, 1 मध्यम वाहन और 25 मोटर साइकिलें खरीदने का प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

2) 9 एमएम के 46,746 कारतूस, 100 बी पी जैकेट, 110 ग्लाक-17 पिस्टल।

प्रवर्तन के प्रयास

9.8.5 वर्ष 2012-13 (दिनांक 31.12.2012 तक) की अवधि के दौरान देश की विभिन्न एजेंसियों और स्वापक नियंत्रण ब्यूरो द्वारा सूचित की गई विभिन्न मादक पदार्थों की जब्तियों का उल्लेख निम्नलिखित तालिका में किया गया है:-

9.8.6 वर्ष 2012-13 (31.12.2012 तक) के दौरान एन सी बी द्वारा की गई कुछ प्रमुख जब्तियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

i. दिनांक 01.04.2012 को, एन सी बी, जोधपुर के अधिकारियों ने एक वाहन को रोका और 29.150 किग्रा. हशीश जब्त की। इस मादक पदार्थ का स्रोत अनंतनाग, जम्मू एवं कश्मीर था और इसका गंतव्य मुम्बई था। इस मामले में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया ।

ii. दिनांक 01.04.2012 को, एन सी बी, इंदौर के अधिकारियों ने 20.150 किग्रा. अफीम जब्त की। इस मादक पदार्थ का स्रोत मंदसौर, मध्य प्रदेश था। इस मामले में एक व्यक्त को गिरफ्तार किया गया।

iii. दिनांक 07.04.2012 को, एन सी बी, चंडीगढ़ और बी एस एफ के अधिकारियों ने 7.910 किग्रा. हेरोइन जब्त की। इस मादक पदार्थ को सतलज नदी के तट पर मोटे और उंचे सरकंडों में छुपाया गया था। इस मादक पदार्थ का संदिग्ध स्रोत दक्षिण पश्चिम एशिया था।

मादक पदार्थ का नाम	सम्पूर्ण भारत में जब्त मादक पदार्थ (किग्रा.) (अनंतिम)	एनसीबी द्वारा जब्त मादक पदार्थ (किग्रा.) (अनंतिम)	सम्पूर्ण भारत में जब्ती की तुलना में एन सी बी द्वारा जब्त मादक पदार्थों का %
मादक पदार्थ			
हेरोइन	521	161	30.97%
अफीम	1833	77	4.23%
मार्फिन	74	68	91.89%
गांजा	40967	2634	6.43%
हशीश	1428	134	9.39%
कोकीन	10	1	5.60%
मेथाक्वालोन	84	2	72.3%
एमफिटामिंस	3	2	72.3%
मन:प्रभावी प्रदार्थ			
मन:प्रभावी प्रदार्थ	13958322 (गोलियां)	186760 (गोलियां)	1.33%
केटामाइन	562	153	27.26%
प्रिकर्सर रसायन			
इफेड्रिन	4328	3923	90.64%
एसेटिक एनहाइड्राइड	360	360	100%

iv. दिनांक 12.04.2012 को, एन सी बी, इम्फाल और असम राइफल्स के अधिकारियों ने एक ट्रक को रोका और 2209 कि.ग्रा. भांग जब्त की। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया।

v. दिनांक 16.04.2012 को, एन सी बी, दिल्ली के अधिकारियों ने एक पार्सल पकड़ा जिसमें 410 ग्राम हेरोइन थी जिसका गंतव्य यू एस ए था। इस पार्सल को भेजने वाले वयक्ति को तत्काल गिरफ्तार कर लिया गया और उसके अन्य दो साथियों को 17.04.2012 को गिरफ्तार

किया गया और इस प्रकार 2.110 कि. ग्रा. हेरोइन की जब्ती के साथ तीन तस्करों के सिंडिकेट को ध्वस्त किया गया। अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में 1.7 कि. ग्रा. हेरोइन जब्त की गई।

vi. दिनांक 18.04.2012 को, एन सी बी, इम्फाल और असम राइफल्स के अधिकारियों ने स्यूडो इफेड्रिन के 26,72,590 टैबलेट जब्त किए। इस मादक पदार्थ को अनेक हैंड बैग में रखा गया था और इसे म्यांमार भेजे जाने का संदेह था।

vii. दिनांक 24.04.2012 को, सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों ने पाकिस्तान के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट 12 किग्रा. हेरोइन की एक खेप 9 एमएम की एक बेरेट्टा पिस्टल, दो मैगजीन और पृथक कैलीबर के 27 जिंदा राउंड बरामद की। इस मादक पदार्थ को आगे जांच और कानूनी कार्यवाही हेतु एन सी बी, चंडीगढ़ को सौंप दिया गया। जब्त किए गए मादक पदार्थ का संदिग्ध स्रोत दक्षिण पश्चिम एशिया था।

viii. दिनांक 26.04.2012 को, एन सी बी, इम्फाल के अधिकारियों ने असम राइफल्स द्वारा प्रदत्त लॉजिस्टक सहायता से मणिपुर के जिले में थाउबल की एक झोपडी से चलाई जा रही अवैध हेरोइन विनिर्माण इकाई का पता लगाया और उसे नष्ट कर दिया। अभियान के दौरान, स्थल से 62 किग्रा. मार्फिन, 8 किग्रा. अफीम और रसायनों के साथ उपकरण जब्त किए गए।

ix. दिनांक 09.05.2012 को एन सी बी, चेन्नई के अधिकारियों ने दो व्यक्तियों के कब्जे से 3.306 किग्रा. हेरोइन जब्त की। मादक पदार्थ का स्रोत राजस्थान था और इसका गंतव्य श्रीलंका था।

x. दिनांक 26.05.2012 को एन सी बी, चंडीगढ़ के अधिकारियों ने औपचारिक रूप से उस समय 10 किग्रा. हेरोइन जब्त की जब बी एस एफ की 163वीं बटालियन ने वाघा और अटारी के बीच चलने वाली एक मालगाड़ी (वाघा से आ रही) से फेंकी गई एक खेप को बरामद किया था। बी एस एफ द्वारा 15,83,500 रू. के अंकित मूल्य वाले जाली भारतीय करेंसी नोट भी बरामद किए गए थे। इसका संदिग्ध स्रोत दक्षिण पश्चिम एशिया था।

xi. दिनांक 05.06.2012 को एन सी बी, इम्फाल और असम राइफल्स के अधिकारियों ने एक मारुति वैन को रोका और स्यूडो-इफेड्रिन के 11,34,600 टैबलेट जब्त किए, जिसे दो व्यक्ति म्यांमार ले जा रहे थे।

xii. दिनांक 06.06.2012 को एन सी बी इम्फाल और असम राइफल्स के अधिकारियों ने दो व्यक्तियों को पकड़ा और स्यूडो-इफेड्रिन के 13,17,100 टैबलेट जब्त किए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया ।

xiii. दिनांक 10.06.2012 को एन सी बी, चेन्नई के अधिकारियों ने एक व्यक्ति के कब्जे से 28.875 किग्रा. केटामाइन जब्त किया। इस मादक पदार्थ को सामान के अंदर छिपाकर रखा गया था और इसका गंतव्य मलेशिया था।

xiv. दिनांक 16.06.2012 को एन सी बी, चंडीगढ़ और बी एस एफ के अधिकारियों ने 17 किग्रा. हेरोइन जब्त की। हेरोइन का संदिग्ध स्रोत दक्षिण पश्चिम एशिया था।

xv. दिनांक 30.6.2012 को एन सी बी, इम्फाल की उप आंचलिक इकाई ने 424 किग्रा. गांजा जब्त किया। इस मादक पदार्थ को एक महिंद्रा जीप से बरामद किया गया जिसे जीप के पिछले हिस्से में रखे गए 11 बोरियों में छुपा कर रखा गया था।

xvi. दिनांक 17.07.2012 को एन सी बी, चेन्नई के अधिकारियों ने 03 पार्सलों से 1.95 किग्रा. हेरोइन और 200 ग्राम मेथाक्वालोन जब्त किया। इन पार्सलों का गंतव्य क्रमशः सियरा लियोन, स्पेन और आस्ट्रेलिया था। अनुवर्ती कार्रवाई में, एक नाइजीरियाई नागरिक को गिरफ्तार किया गया था और उसके कब्जे से 4 किग्रा. गांजा जब्त किया गया था।

xvii. दिनांक 26.07.2012 को असम राइफल्स और एन सी बी, इम्फाल के अधिकारियों ने दो व्यक्तियों को पकड़ा और उसके कब्जे से स्यूडो-इफेड्रिन के 10,54,900 टैबलेट जब्त किए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया वर्जित पदार्थों का संदिग्ध गंतव्य म्यांमार था।

xviii. दिनांक 10.08.2012 को, एन सी बी, पटना के अधिकारियों ने एक ट्रेन की तलाशी ली और 20.250 किग्रा. हशीश जब्त की। इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। इस मादक पदार्थ का संदिग्ध स्रोत नेपाल था।

xix. दिनांक 18.08.2012 को, बी एस एफ, फिरोजपुर के अधिकारियों ने 6.915 किग्रा. हेरोइन की एक खेप और जाली भारतीय करेंसी नोटों का एक पैकेट पकड़ा। तस्कर अंधेरे का फायदा उठाते हुए बचकर पाकिस्तान की ओर जाने में सफल हो गए। एनडीपीएस एक्ट में

आगे की कार्रवाई के लिए जब्त मादक पदार्थों को एन सी बी, चंडीगढ़ को सौंप दिया गया। मादक पदार्थ का संदिग्ध स्रोत दक्षिण पश्चिम एशिया था।

xx. दिनांक 22.8.2012 को, एन सी बी, अहमदाबाद के अधिकारियों ने 18.990 किग्रा. हशीश जब्त की।

xxi. दिनांक 24.8.2012 को, एन सी बी, इंदौर के अधिकारियों ने इंदौर से 3 किग्रा. इफेड्रिन और 5 किग्रा. अल्प्राजोलम जब्त किया।

xxii. दिनांक 27.8.2012 को, मुम्बई आंचलिक इकाई के अधिकारियों ने औरंगाबाद में मै. वेंकटेश रेमेडीज की फैक्टरी के परिसर की तलाशी ली और प्रथम दृष्टया 84.430 किग्रा. केटामाइन जब्त की। अनुवर्ती कार्रवाई में, नवी मुम्बई में अर्चना रोडलाइन्स कार्पोरेशन के गोदाम के परिसर से 25.300 किग्रा. केटामाइन की एक अन्य खेप जब्त की।

xxiii. दिनांक 12.09.2012 को, एन सी बी, दिल्ली आंचलिक इकाई के अधिकारियों ने मनःप्रभावी पदार्थों के 1910 टैबलेट तथा अनुवर्ती कार्रवाई में जनकपुरी, नई दिल्ली से पैकेटों/पार्सलों से मनःप्रभावी पदार्थों के 34,120 अन्य टैबलेट जब्त किए। महिपालपुर, नई दिल्ली के एक कमरे पर छापा मारकर मनःप्रभावी पदार्थों के 45,820 टैबलेट जब्त किए गए। अभियुक्त के दूसरे किराए के कमरे की तलाशी के परिणामस्वरूप मनःप्रभावी पदार्थ के 20,150 टैबलेट और 410 ग्राम इफेड्रिन जब्त की गई।

xxiv. दिनांक 21.09.2012 को, बी एस एफ, अमृतसर के अधिकारियों ने अमृतसर के निकट भारत-पाक सीमा पर एक पी वी सी पाइप से दक्षिण पश्चिम एशिया से आई 9.962 किग्रा. हेरोइन की एक खेप बरामद की।

xxv. दिनांक 02.10.2012 को, एन सी बी, कोलकाता के अधिकारियों ने एक व्यक्ति को पकड़ा और 360 किग्रा. ऐसेटिक एनहाइड्राइड जब्त की।

xxvi. दिनांक 02.10.2012 को, एन सी बी, बेंगलूर के अधिकारियों ने तिरूपति रेलवे स्टेशन पर 4.970 किग्रा. हेरोइन जब्त की और चार व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।

xxvii. दिनांक 02.10.2012 को, एन सी बी, इंदौर के अधिकारियों ने 9.610 किग्रा. अफीम जब्त की।

xxviii. दिनांक 04.10.2012 को, एन सी बी, दिल्ली के अधिकारियों ने 12 किग्रा. हशीश का एक पार्सल पकड़ा। जब्त किए गए मादक पदार्थ का अभीष्ट गंतव्य हांगकांग था।

xxix. दिनांक 05.10.2012 को, एन सी बी, लखनऊ के अधिकारियों ने स्थानीय पुलिस के समन्वय से चंदौली, उ.प्र. में 172 किग्रा. गांजा जब्त किया।

xxx. दिनांक 06.10.2012 को, एन सी बी, दिल्ली के अधिकारियों ने 24 किग्रा. स्यूडो-इफेड्रिन ज़ब्त की। त्वरित अनुवर्ती कार्रवाई में, एक अभियुक्त के किराए के मकान से 74 किग्रा. और स्यूडो-इफेड्रिन पाउडर बरामद किया गया।

xxxi. दिनांक 11.10.2012 को, दिल्ली आंचलिक इकाई के अधिकारियों ने एक पार्सल पकड़ा और 1 किग्रा. मेथाक्वालोन जब्त किया। जब्त किए गए मादक पदार्थ का गंतव्य लंदन था।

xxxii. दिनांक 11.10.2012 को, इंदौर आंचलिक इकाई के अधिकारियों ने उज्जैन में 12.6 किग्रा. हशीश जब्त की। मादक पदार्थ का संदिग्ध स्रोत नेपाल था।

xxxiii. दिनांक 12.10.2012 को, गुवाहाटी आंचलिक इकाई के अधिकारियों ने गुवाहाटी एयरपोर्ट पर स्यूडो-इफेड्रिन के 46.9 किग्रा. टैबलेट जब्त किये।

xxxiv. दिनांक 18.10.2012 को, बी एस एफ, अमृतसर के अधिकारियों ने 8.938 किग्रा. दक्षिण पश्चिम एशियाई हेरोइन जब्त की। इसके साथ ही 50 ग्राम अफीम,। असाल्ट राईफल मैगज़ीन और 18 जिंदा राउंड भी वहां से जब्त किए गए। एन डी पी एस एक्ट के अंतर्गत कार्रवाई के लिए मादक पदार्थ एन सी बी, चंडीगढ़ को सौंप दिया गया।

xxxv. दिनांक 30.10.2012 को, एन सी बी, बेंगलूर के अधिकारियों ने 716 ग्रा. हेरोइन का एक पार्सल पकड़ा। जब्त किए गए मादक पदार्थ का संदिग्ध गंतव्य चीन था।

xxxvi. दिनांक 5.11.2012 को असम राइफल्स के अधिकारियों ने स्यूडो-इफेड्रिन के 408640 टैबलेट का खेप पकड़ा और एन डी पी एस एक्ट के अधीन कार्रवाई के लिए इसे एन सी बी के सुपुर्द कर दिया।

xxxvii. दिनांक 09.11.2012 को, एन सी बी, देहरादून के अधिकारियों ने एक व्यक्ति को पकड़ा और उसके कब्जे से 500 ग्राम हेरोइन जब्त की। अनुवर्ती कार्रवाई में, हेरोइन का गुप्त रूप से विनिर्माण करने वाली प्रयोगशाला को ध्वस्त किया गया। कुल 508 ग्राम हेरोइन, 4.210 किग्रा. अल्प्राजोलम, 816 ग्राम एसेटिक एनहाइड्राइड

और 214 ग्राम अफीम के व्युत्पन्न पदार्थ जब्त किए गए।

xxxviii. दिनांक 12.11.2012 को, एन सी बी, जोधपुर के अधिकारियों ने चित्तौड़गढ़ में 5.020 किग्रा. अल्प्राजोलम जब्त किया। जब्त किए गए मादक पदार्थ का अभीष्ट गंतव्य पश्चिम बंगाल था।

xxxix. दिनांक 14.11.2012 को, एन सी बी, दिल्ली के अधिकारियों ने आई जी आई एयरपोर्ट, नई दिल्ली पर स्यूडो-इफेड्रिन के 77.5 किग्रा. टैबलेट जब्त किए। जब्त किए गए मादक पदार्थ का अभीष्ट गंतव्य गुवाहाटी, असम था।

xl. दिनांक 16.11.2012 को, एन सी बी, अहमदाबाद के अधिकारियों ने अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर दो व्यक्तियों को पकड़ा और उनके कब्जे से 19.610 किग्रा. हशीश जब्त की। जब्त किए गए मादक पदार्थ का संदिग्ध स्रोत कश्मीर घाटी था।

xli. दिनांक 17.11.2012 को, सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों ने पाकिस्तान के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट 33.715 किग्रा. हेरोइन की एक खेप, 1 पिस्टल मैगजीन और आठ जिंदा राउंड बरामद किए। जब्त किए गए मादक पदार्थ एन सी बी, चंडीगढ़ को सौंप दिए गए।

xlii. दिनांक 21.11.2012 को, एन सी बी, दिल्ली आंचलिक इकाई के अधिकारियों ने आई जी आई एयरपोर्ट, नई दिल्ली पर कोलकाता जा रहे चार यात्रियों के सामान से 85 किग्रा. स्यूडो-इफेड्रिन के टैबलेट जब्त किए।

xliii. दिनांक 23.11.2012 को, एन सी बी, चेन्नई आंचलिक इकाई के अधिकारियों ने चेन्नई में दो अलग-अलग स्थानों से 9.185 किग्रा. केटामाइन जब्त किया। जब्त किए गए मादक पदार्थ का अभीष्ट गंतव्य मलेशिया था।

xliv. दिनांक 28.11.2012 को, एन सी बी, पटना आंचलिक इकाई के अधिकारियों ने 392 किग्रा. अभीष्ट इफेड्रिन/स्यूडो-इफेड्रिन और 3520.9 किग्रा. गेहूँ के आटे/स्यूडो इफेड्रिन का संदिग्ध मिश्रण जब्त किया।

xlv. दिनांक 04.12.2012 को, एन सी बी, लखनऊ के अधिकारियों ने एक गोदाम पर छापा मारा और लगभग 800 कुन्तल पोस्त का पाउडर जब्त किया।

xlvi. दिनांक 11.12.2012 को, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, नई दिल्ली के अधिकारियों ने आई जी आई एयरपोर्ट, नई दिल्ली से 25.5 किग्रा. मेथाक्वालोन और 50.7 किग्रा. स्यूडो-इफेड्रिन जब्त किया तथा चार विदेशियों को गिरफ्तार किया।

xlvii. दिनांक 20.12.2012 को, सीमा सुरक्षा बल के अधिकारियों ने अमृतसर से 6.910 किग्रा. हेरोइन बरामद की और उसे एन सी बी, चंडीगढ़ के अधिकारियों को सौंप दिया।

xlviii. दिनांक 26.12.2012 को, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, जोधपुर के अधिकारियों ने चित्तौड़गढ़ में 31.540 किग्रा. अफीम जब्त की।

पोस्त और भांग की अवैध खेती को नष्ट करना

9.8.7 फसल वर्ष 2011-2012 के दौरान, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने राज्य एजेंसियों की सहायता से हिमाचल प्रदेश, उत्तराखण्ड, बिहार, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर राज्यों में 2914.90 एकड़ क्षेत्र में अवैध अफीम पोस्त की खेती का पता लगाया और उसे नष्ट किया। सभी स्टेकहोल्डरों के साथ अवैध खेती को नष्ट करने के अभियानों का समन्वय करने में एन सी बी द्वारा की गई सक्रिय पहलों के परिणामस्वरूप फसल वर्ष 2011-12 के दौरान पूरे देश में सभी मादक पदार्थ संबंधी विधि प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा 3098.55 एकड़ जमीन पर अवैध पोस्त की खेती का पता लगाया गया और उसे नष्ट किया गया।

9.8.8 अवैध अफीम पोस्त की खेती का पता लगाने और उसे नष्ट करने के संबंध में अभिनिर्धारित राज्यों ओर केंद्रीय एजेंसियों के नोडल अधिकारियों की एक बैठक दिनांक 25.09.2012 को स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के मुख्यालय में आयोजित की गई, जिसमें निम्नलिखित मुद्दों पर विचार-विमर्श किया गयाः

क) अवैध अफीम पोस्त को नष्ट करने के दौरान होने वाली कठिनायां।

ख) नष्ट करने के लिए उपलब्ध/प्रदत्त/प्रयुक्त निधियां।

ग) अवैध खेती का पता लगाना और उसकी मात्रा, वास्तविक एकड़।

घ) ए डी आर आई एन (एड्रिन) द्वारा उपलब्ध कराए गए सैटेलाइट चित्रों की प्रभावोत्पादकता।

ङ) अवैध खेती को नष्ट करने के लिए पश्चिम बंगाल की सर्वोत्तम प्रथाएं।

च) आगामी वर्ष के लिए अवैध पोस्त की खेती का पता लगाने और उसे नष्ट करने के लिए कार्य योजना तैयार करना।

दोषसिद्धि

9.8.9 एन सी बी द्वारा विनिर्धारित न्यायालय के समक्ष दायर की गई शिकायतों के आधार पर, दिनांक 01.04.2012 से 31.12.2012 तक की अवधि के दौरान निपटाए गए 42 मामलों में से 21 मामलों में दोषसिद्धि हुई।

मादक पदार्थों का निपटान

9.8.10 दिनांक 01.04.2012 से 31.12.2012 तक की अवधि के दौरान 89.284 किग्रा. हेरोइन, 1251.08 किग्रा. हशीश, 0.090 किग्रा. कोकीन और 4,888.5 किग्रा. पोस्त का निपटान किया गया।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता

9.8.11 भारत सरकार ने ''राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता'' नामक एक योजना शुरु की है जिसमें मादक पदार्थों के अवैध व्यापार को रोकने के लिए आवश्यक अवसंरचना और उपकरण प्राप्त करने के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की एजेंसियों को मादक पदार्थ कानून प्रवर्तन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है। राज्यों को निधियां उनसे प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर और उन्हें पहले जारी की गई निधियों की उपयोगिता के प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर जारी की जाती हैं।

प्रशिक्षण

9.8.12 स्वापक नियंत्रण ब्यूरो, विभिन्न प्रशिक्षण अकादमियों और मादक पदार्थ संबंधी विधि प्रवर्तन एजेंसियों को मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन विषय पर प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वर्ष 2011-12 के दौरान (दिनांक 01.04.2011 से 30.12.2012 तक) दिल्ली, जम्मू व कश्मीर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड, गोवा, मणिपुर, नागालैण्ड, पंजाब, केरल, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड राज्यों में ऐसे 115 पाठ्यक्रमों का आयोजन किया गया था जिनमें राज्य पुलिस बलों, वन विभाग, केन्द्रीय/राज्य उत्पाद शुल्क, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सी ए पी एफ), तटरक्षक और कुरियर एजेंसियों के लगभग 3,240 कार्मिकों को प्रशिक्षण दिया गया था।

अंतर्राष्ट्रीय दायित्व/सहयोग

9.8.13 स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के चार्टर में विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों, जिसके लिए भारत एक हस्ताक्षरकर्त्ता है, के अन्तर्गत दायित्वों का कार्यान्वयन शामिल है। एन सी बी, मादक पदार्थों तथा मनःप्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी की रोकथाम करने तथा अवरूद्ध करने के लिए व्यापक कार्रवाई के दृष्टिकोण से दूसरे देशों में संबंधित प्राधिकरणों तथा संबंधित अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों को सहायता भी प्रदान करता है।

9.8.14 मादक पदार्थ की तस्करी और दुरूपयोग ने वैश्विक आयाम हासिल कर लिए हैं। इस आम लड़ाई में अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग एक अत्यन्त सक्षम टूल है। इस उद्देश्य को हासिल करने के लिए, भारत ने विभिन्न देशों के साथ द्विपक्षीय एवं बहुपक्षीय समझौते, एम एल ए टी तथा जे डब्ल्यू जी हस्ताक्षरित किए हैं। यह विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों, क्षेत्रीय एस ए ए आर सी (साउथ एशियन एसोशिएसन फार रीजनल कोऑपरेशन), एस डी ओ एम डी (सार्क ड्रग ऑफेन्सेज मॉनिटरिंग डेस्क) तथा अन्तर-क्षेत्रीय सी एन डी (कमीशन फार नार्कोटिक ड्रग लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़), आई डी ई सी (इंटरनेशनल ड्रग इन्फोर्समेंट कान्फ्रेंस), ए डी ई सी (एशिया-पेसिफिक ऑपरेशनल ड्रग इन्फोर्समेंट कान्फ्रेंस), ए डी एल ओ एम आई सी (एन्टी ड्रग लायजन आफिसियल्स मीटिंग फॉर इंटरनेशनल कान्फ्रेंस) इत्यादि दोनों में एक सक्रिय भागीदार भी है।

9.8.15 द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए, एन सी बी/भारत सरकार ने, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बुल्गारिया, कम्बोडिया, चीन, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्त्र, इजरायल, इटली, कुवैत, लाओस पी डी आर, मॉरीशस, म्यांमार, पोलैण्ड, कतर, रुमानिया, रूस, ताज़िकिस्तान, तुर्की, यू ए ई, यू एस ए तथा ज़ाम्बिया नामक 23 देशों के साथ मादक पदार्थों, मनः प्रभावी पदार्थों एवं प्रिकर्सर रसायनों की मांग को कम करने और अवैध तस्करी को रोकने के लिए आपसी सहयोग करने हेतु द्विपक्षीय समझौते किए हैं।

9.8.16 एन सी बी/भारत सरकार ने, 08 देशों अर्थात भूटान, इण्डोनेशिया, ईरान, ओमान, पाकिस्तान, यू एस ए, वियतनाम और पाकिस्तान के साथ मादक पदार्थों से संबंधित मामलों पर समझौता ज्ञापन भी हस्ताक्षरित किए हैं।

9.8.17 इन समझौतों में मादक पदार्थों तथा मनःप्रभावी पदार्थों की अवैध तस्करी में संलिप्त अन्तर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ सिंडीकेट

ों की रासायनिक गतिविधियों का पता लगाने, अवरूद्ध करने तथा रोकथाम करने के लिए जानकारी के आदान-प्रदान में सहायता करने पर बल दिया गया है।

मांग में कमी

9.8.18 संयुक्त राष्ट्र महासभा ने दिसम्बर, 1987 में पारित एक संकल्प में प्रत्येक वर्ष 26 जून को ''मादक पदार्थों का दुरुपयोग और अवैध व्यापार के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस'' के रूप में घोषित किया है। इस घोषणा के अनुसरण में, 26 जून का दिन मादक पदार्थों के खतरे के प्रति जनता को जागरुक बनाने के लिए निर्धारित है। मादक पदार्थ के दुरूपयोग की कुरीतियों के संबंध में जनता, विशेषकर छात्रों को जागरूक बनाने के लिए, एन सी बी मुख्यालय तथा इसकी ज़ोनल इकाइयों ने विभिन्न राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों/मादक पदार्थ-रोधी कार्यबलों के साथ मिलकर दिनांक 26.06.2012 को मांग में कमी संबंधी निम्नलिखित गतिविधियों का आयोजन किया:

- क) मादक पदार्थ के दुरूपयोग के विरुद्ध जागरूकता दौड़
- ख) पदयात्राएं/रैलियां
- ग) नुक्कड़ नाटक/प्रदर्शन
- घ) संगोष्ठी/कार्यशालाएं
- ङ) चित्रकारी, भाषण, नारा लेखन प्रतियोगिता
- च) शपथ ग्रहण समारोह
- छ) सेवा प्रदाताओं के माध्यम से एस एम एस का प्रसार
- ज) सार्वजनिक स्थलों पर प्रतिष्ठित व्यक्तियों द्वारा पृष्ठांकित जागरूकता संदेशों के साथ पोस्टरों तथा बैनरों का प्रदर्शन।

महत्वपूर्ण घटनाएं/गतिविधियां (2012)

9.8.19 20 जून, 2012 को श्री एन.के. इनंगकून, पुलिस महानिरीक्षक के नेतृत्व में एक श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल, जिसमें श्रीलंका के 03 उप पुलिस महानिरीक्षक शामिल थे, ने एन सी बी मुख्यालय का दौरा किया और स्वापक औषधियों, मनःप्रभावी प्रदार्थों तथा प्रिकर्सर के अवैध व्यापार के विरुद्ध निवारक उपायों के क्षेत्र में सहयोग की युक्तियों पर विचार-विमर्श किया।

9.8.20 एन सी बी ने दिनांक 04.10.2012 और 05.10.2012 को नई दिल्ली में स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एन सी बी), भारत और स्वापक नियंत्रण विभाग (डी एन सी), बांग्लादेश के बीच तीसरी महानिदेशक स्तरीय वार्ता, 2012 आयोजित की। इस वार्ता में निम्नलिखित मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया गया:-

- (i) 23-24 मार्च, 2011 को ढाका, बांग्लादेश में आयोजित की गई पिछली महानिदेशक स्तरीय वार्ता में लिए गए निर्णयों की प्रगति की समीक्षा।
- (ii) सीमाओं के पार से मादक पदार्थों के दुर्व्यापार के नवीनतम मार्गों और स्थलों के संबंध में सूचना के आदान-प्रदान के साथ-साथ परिचालनात्मक आसूचना का भी सही समय पर आदान-प्रदान।
- (iii) संयुक्त दौरों की योजना बनाना।
- (iv) मादक पदार्थों के दुर्व्यापार की नई प्रवृत्तियों और कार्य पद्धतियों तथा मादक पदार्थ से संबंधित अपराधों की जांच में पारस्परिक सहायता एवं सहयोग के संबंध में सूचना का आदान-प्रदान।
- (v) सीमा के पार सक्रिय मादक पदार्थ के तस्करों से संबंधित सूचना का आदान-प्रदान।
- (vi) नए मादक पदार्थों का दुर्व्यापार।
- (vii) क्षमता के निर्माण में सहयोग और आपूर्ति एवं मांग संबंधी सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान।

9.8.21 एन सी बी ने दिनांक 05.12.2012 से 06.12.2012 तक स्वापक नियंत्रण ब्यूरो (एन सी बी), भारत और स्वापक-रोधी बल (ए एन एफ), पाकिस्तान के बीच 9वीं महानिदेशक स्तरीय वार्ता आयोजित की। वार्ता में निम्नलिखित मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित किया गया:-

- (i) भारत के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का कार्यान्वयन।

एन सी बी, भारत और डी एन सी, बांग्लादेश के मध्य तीसरी महानिदेशक स्तरीय वार्ता

(ii) भारत-पाक सीमा के पार स्वापक औषधियों की तस्करी। भू-सीमा के जरिए दक्षिण-पश्चिम एशियाई (एस डब्ल्यू ए) हेरोइन की तस्करी।

(iii) सीमा के पार मादक पदार्थो की तस्करी की नई प्रवृत्तियों और कार्य-शैली से संबंधिति सूचना का आदान-प्रदान।

(iv) सीमा के पार हेरोइन, मनःप्रभावी पदार्थों, प्रिकर्सरों की तस्करी तथा मादक पदार्थों के संगठनों की गतिविधियों से संबंधित आसूचना का सही समय पर आदान-प्रदान।

(v) नियंत्रित सुपुर्दगी परिचालनों के लिए आवश्यक कदम उठाना ताकि प्रमुख परिचालनों का पता लगाया जा सके और उसे निष्क्रिय किया जा सके।

(vi) सीमा के पार सक्रिय तस्करों/संगठनों की सूची और सुभेद्य स्थलों की सूची का आदान-प्रदान।

(vii) आपूर्ति और मांग में कमी के क्षेत्र में सर्वोत्कृष्ट प्रथाओं का आदान-प्रदान।

अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन

9.8.22 एन सी बी ने एन डी डी टी सी और गाजियाबाद में दिनांक 24.09.2012 से 06.10.2012 तक एन डी डी टी सी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली के सहयोग से मादक पदार्थों के उपचार और पुनर्वास के संबंध में बांग्लादेश के 14 डाक्टरों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए 02 सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

9.8.23 एन सी बी ने दिनांक 08.10.2012 से 19.10.2012 तक एन ए सी ई एन, फरीदाबाद में एन ए सी ई एन के सहयोग से प्रिकर्सर रसायन सहित मादक पदार्थ विधि प्रवर्तन के संबंध में बांग्लादेश के 18 अधिकारियों के लिए दो सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

9.8.24 एन सी बी ने दिनांक 19.11.2012 से 23.11.2012 तक दिल्ली में सी आर सी एल, नई दिल्ली के सहयोग से 15 बांग्लादेशी अधिकारियों के लिए मादक पदार्थों के रासायनिक विश्लेषण पर एक सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया।

❖❖❖

अध्याय X आपदा प्रबंधन

सिंहावलोकन

10.1 भारत, अपनी विशिष्ट भू-जलवायु और सामाजिक-आर्थिक परिस्थितियों की वजह से बाढ़, सूखा, चक्रवात, सुनामी, भूकम्प, भू-स्खलन, हिम-स्खलन और दावानल जैसी विभिन्न आपदाओं के प्रति विभिन्न प्रकार से संवेदनशील रहा है। देश के 35 राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में से 27 आपदा सम्भावित हैं। लगभग 58.6% भू-भाग मामूली से लेकर अति तीव्रता वाले भूकम्पों से संभावित है, 12% भूमि में बाढ़ और नदी का कटाव संभावित है, 7,516 कि.मी. तटरेखा में से 5700 कि.मी. तटरेखा तूफान और सुनामी सम्भावित है, 68% कृषि भूमि सूखे के प्रति संवदेनशील है और पहाड़ी क्षेत्र भू-स्खलन और हिम-स्खलन के खतरों से भरा है। आग की घटनाएं, औद्योगिक दुर्घटनाएं और रासायनिक, जैविक और रेडियो एक्टिव सामग्री का प्रयोग करके मानव जनित अन्य आपदाएं कुछ ऐसी अतिरिक्त आपदाएं हैं, जिन्होंने प्रशमन, तैयारी और कार्रवाई संबंधी उपायों को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता को रेखांकित किया है।

केन्द्र और राज्य सरकारों की भूमिका

10.2 आपदा के समय बचाव, राहत और पुनर्वास उपाय करने की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। केन्द्र सरकार, भयंकर स्वरूप की आपदाओं के मामले में वित्तीय और संभारिकी सहायता प्रदान करके राज्य सरकारों के प्रयासों में मदद करती है। संभारतंत्र संबंधी सहायता में ये शामिल हैं- एयरक्राफ्टों एवं नावों, सैन्य बलों के विशेषज्ञ दलों, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन डी आर एफ) के कार्मिकों की तैनाती करना, चिकित्सीय भंडारों सहित राहत सामग्रियों और जरूरी वस्तुओं की व्यवस्था करना, संचार नेटवर्क सहित अत्यावश्यक अवस्थापना सुविधाओं की बहाली करना तथा हालात से प्रभावकारी ढंग से निपटने के लिए प्रभावित राज्यों द्वारा अपेक्षित अन्य सहायता प्रदान करना।

10.3 सरकार ने आपदा प्रबंधन के दृष्टिकोण में परिवर्तन किया है। यह परिवर्तन राहत केन्द्रित दृष्टिकोण के बजाय समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण का है जिसमें आपदा प्रबंधन के समस्त पहलुओं को कवर करते हुए रोकथाम, प्रशमन, तैयारी, कार्रवाई, राहत, पुनर्निर्माण और पुनर्वास को सम्मिलित किया गया है। यह दृष्टिकोण इस विश्वास पर आधारित है कि विकास तब तक स्थिर नहीं रह सकता है जब तक कि विकासात्मक प्रक्रिया में आपदा प्रशमन के प्रबंध न किये जायें।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005

10.4 सरकार ने आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन तथा उससे जुड़े मामलों या उत्पन्न होने वाली परिस्थितियों हेतु प्रावधान करने के लिए आपदा प्रबंधन (डीएम) अधिनियम, 2005 अधिनियमित किया है। इसमें आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने और उनके कार्यान्वयन की निगरानी करने, आपदाओं की रोकथाम और प्रशमन हेतु सरकार के विभिन्न स्कंधों द्वारा उपायों को सुनिश्चित करने तथा किसी भी आपदा की स्थिति में त्वरित कार्रवाई करने के लिए एक संस्थागत तंत्र की व्यवस्था की गई है। इस अधिनियम में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन डी एम ए), मुख्य मंत्रियों की अध्यक्षता में राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एस डी एम ए) तथा कलेक्टर/जिला मजिस्ट्रेटों/उपायुक्तों की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डी डी एम ए) स्थापित करने का भी प्रावधान है। इस अधिनियम में गृह सचिव की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एन ई सी), राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन आई डी एम) और राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन डी आर एफ) का गठन करने का भी प्रावधान है। इसमें, राष्ट्रीय योजना के अनुसार संबंधित मंत्रालयों और विभागों द्वारा अपनी-अपनी आपदा प्रबंधन योजनाएं तैयार करने का भी प्रावधान है।

10.5 इसके अतिरिक्त, अधिनियम में राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि तथा राष्ट्रीय आपदा प्रशमन निधि तथा राज्य और जिला स्तरों पर इसी तरह की निधियों के गठन का भी प्रावधान शामिल है। अधिनियम में आपदा प्रबंधन में स्थानीय

निकायों के लिए भी विशिष्ट भूमिका निर्धारित की गई है।

10.6 गृह मंत्रालय ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के कार्यान्वयन के संबंध में राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्य स्टेकहोल्डरों से उनकी अवधारणा की जानकारी एकत्र करने, वैश्विक सर्वोत्तम प्रणालियों का अध्ययन करने, स्टेकहोल्डरों से परामर्श करने और अधिनियम में आवश्यक आशोधनों, यदि आवश्यक हों, का सुझाव देने के लिए एक कार्यबल का गठन किया है।

10.7 कार्य बल ने आपदा प्रबंधन अधिनियम के कार्यान्वयन से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे केन्द्रीय मंत्रालयों, राष्ट्रीय कार्यकारी समिति, एन डी एम ए, एन आई डी एम, गैर-सरकारी संगठनों एवं संयुक्त राष्ट्र संगठनों इत्यादि सहित राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, एस डी एम ए और अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श किया है। प्रश्नावलियों और क्षेत्रीय परामर्श/कार्यशालाओं के माध्यम से सभी स्टेकहोल्डरों के विचार मांगे गए हैं। कार्य बल द्वारा किए गए इन परामर्शों के दौरान और परिचालित की गई प्रश्नावलियों के प्रत्युत्तर में अधिनियम के अलग-अलग प्रावधानों में परिवर्तन करने के सुझाव दिए गए हैं। सुझाए गए परिवर्तनों को संकलित किया गया था और दिनांक 12.10.2012 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्र स्तरीय कार्यशाला में इन पर चर्चा की गई।

आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की समीक्षा हेतु कार्यबल की राष्ट्रीय कार्यशाला

10.8 वर्तमान में, यह कार्यबल मसौदागत रिपोर्ट पर कार्य कर रहा है। कार्यबल की अन्तिम रिपोर्ट 28 फरवरी, 2013 तक मंत्रालय को प्रस्तुत किए जाने की उम्मीद है।

संस्थागत तंत्र

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

10.9 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन डी एम ए) का गठन नौ सदस्यों के प्रावधान के साथ, जिसमें से एक सदस्य को उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया जाना है, प्रधान मंत्री की अध्यक्षता में किया गया है। इस समय एन डी एम ए में निम्नलिखित सदस्य हैंः- (1) श्री एम. शशिधर रेड्डी, विधायक, उपाध्यक्ष (2) श्री जे.के. सिन्हा, सदस्य, (3) मेज0 जन0 (सेवानिवृत्त) डा. जे0के0 बंसल, सदस्य, (4) श्री टी0 नंदकुमार, भा0प्र0से0 (सेवानिवृत्त), सदस्य (5) डा. मुजफ्फर

आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 की समीक्षा हेतु कार्यबल की राष्ट्रीय कार्यशाला

अहमद, सदस्य (6) प्रो. हर्ष गुप्ता, सदस्य (7) श्री बी. भट्टाचार्जी, सदस्य, (8) श्री के.एम. सिंह, आई.पी.एस. (सेवानिवृत्त), सदस्य और (9) श्री वी.के. दुग्गल, भा.प्र.से. (सेवानिवृत्त), सदस्य।

10.10 राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उत्तरदायित्व अन्य बातों के साथ-साथ, आपदा प्रबंधन संबंधी ऐसी नीतियां और दिशानिर्देश तैयार करना है जिनका अनुपालन भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों अथवा विभागों द्वारा अपनी विकास योजनाओं एवं परियोजनाओं में आपदा की रोकथाम अथवा इसके प्रभावों के प्रशमन संबंधी उपायों को समेकित करने के प्रयोजन से किया जाएगा। यह, राज्य प्राधिकरणों के लिए भी ऐसे दिशानिर्देश तैयार करेगा जिनका अनुपालन उनके द्वारा राज्य योजनाएं तैयार करने और आपदा की रोकथाम अथवा प्रशमन के उपाय करने अथवा भयावह आपदा की स्थिति अथवा आपदा से निपटने के लिए ऐसी तैयारी एवं क्षमता निर्माण करने के लिए किया जाएगा जो वह आवश्यक समझे।

10.11 एन डी एम ए ने अपने गठन के समय से आपदाओं में मनोवैज्ञानिक-सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य सेवा, भूकम्प, दुर्घटना कार्रवाई प्रणाली, सुनामी, सूखा, शहरी बाढ़, चक्रवात, बाढ़, भूस्खलन, हिम-स्खलन, चिकित्सा तैयारी एवं जन-हताहत प्रबंधन आदि जैसे विभिन्न आपदा विशिष्ट और विषयगत दिशानिर्देश जारी किए हैं।

10.12 सूचना एवं संचार प्रणाली संबंधी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश दिनांक 15.02.2012 को स्केलिंग, उपकरणों की कोटि एवं अग्निशमन सेवा के प्रशिक्षण पर राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिशानिर्देश और सिविल डिफेन्स तथा अनुषंगी संगठनों के प्रशिक्षण एवं क्षमता संवर्धन संबंधी पुस्तिका दिनांक 13.04.2012 को जारी की गई थी। एन डी एम ए आपात स्थितियों से मौके पर निपटने के लिए अस्पताल सुरक्षा और तैयारी सबंधी दिशानिर्देश तैयार करने की प्रक्रिया में है।

10.13 एन डी एम ए निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित कर रहा हैः-

एस डी एम ए और डी डी एम ए का सशक्तिकरण

(i) इस योजना का लक्ष्य बुनयादी स्तर पर प्रभावी कार्रवाई हेतु राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एस डी एम ए) और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों (डी डी एम ए) की प्रभावकारिता में सुधार लाना है। यह योजना चार वर्षों के लिए समर्पित एच आर सहायता और तकनीकी अध्ययन एवं अनुसंधान हेतु निधियां उपलब्ध कराती है ताकि ये आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में रोकथाम, प्रशमन, तैयारी और क्षमता संवर्धन संबंधी उपाय सुनिश्चित कर सकें।

(ii) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्व विद्यालय (इग्नू) के सहयोग से 11 जोखिम प्रवण राज्यों के 54 जिलों में सरकारी कर्मचारियों पंचायती राज संस्थाओं (पी आर आई) और नगर स्थानीय निकायों (यू एल बी) प्रतिनिधियों को आपदा की रोकथाम, तैयारी, प्रशमन, कार्रवाई और बहाली के क्षेत्रों में आपदा प्रबंधन संबंधी क्षमता संवर्धन एक प्रायोगिक परियोजनाः असम को छोड़कर सभी राज्यों में अभिमुखीकरण कार्यशालाएं चलाई गई हैं। इग्नू ने हिमाचल प्रदेश और बिहार के सभी केन्द्रों में 8 आमने-सामने का प्रशिक्षण कार्यक्रम (एफ एफ टी पी) आयोजित किया है। उत्तराखंड, हरियाणा, उड़ीसा, त्रिपुरा में एफ एफ टी पी का कार्य प्रगति पर है। कुल मिलाकर 31.12.2012 तक 261 केन्द्रों में एफ एफ टी पी का आयोजन किया गया है। सभी एफ एफ टी पी में सरकारी कर्मचारियों और पी आर आई/ यू एल बी के प्रतिनिधियों ने पर्याप्त संख्या में भाग लिया। परियोजना की कुल लागत 2.17 करोड़ रुपए है। परियोजना की समयावधि 31.03.2013 तक है।

(iii) विभिन्न स्टेकहोल्डरों के बीच हिमालय में बडे-बडे भूकम्पों के परिणामों के बारे में वैज्ञानिक जानकारी मुहैया कराने की बहु-राज्य भूकम्प तैयारी परियोजनाः इस प्रक्रिया के माध्यम से विभिन्न स्टेकहोल्डरों की समान एवं समरुप जोखिम प्रबंधन कार्य योजना को विकसित करने का प्रयास किया जाएगा। इस परियोजना के लिए 1.17 करोड़ रुपए की धनराशि अनुमोदित की गई है।

(iv) जय प्रकाश नारायण शीर्ष अभिघात केन्द्र (एम्स) में उन्नत अभिघात जीवन सहायक (ए टी एल एस) परियोजना पर एक प्रायोगिक परियोजनाः इस परियोजना में असम, बिहार और आंध्र प्रदेश जैसे सुभेद्य और आपदा प्रवण राज्यों में प्रारम्भिक स्तर पर प्रभावकारी अभिघात देखभाल उपलब्ध कराने हेतु मानव संसाधनों का विकास करने और आपदा की स्थिति में इन चुनौतियों का सामना करने के लिए अभिघात जीवन सहायता हेतु समर्पित एवं पूर्णतः प्रशिक्षित डॉक्टर, नर्स और चिकित्सक तैयार करने की मंशा है। ए टी एल एस और ए टी सी एन का पहला पाठ्यक्रम दिनांक 07.08.2012 से 09.08.2012 तक चलाया गया था और इसे सफलतापूर्वक पूरा किया गया। इस परियोजना के तहत इन गतिविधियों का

संचालन करने के लिए अन्य आपदा प्रबंधन कार्यक्रम (ओ डी एम पी) के अन्तर्गत 1.18 करोड़ रुपए की धनराशि मंजूर की गई थी।

(v) लाल बहादुर शास्त्री प्रशासनिक अकादमी में आपदा प्रबंधन के लिए आई ए एस/ केंद्र के केन्द्रीय सेवा अधिकारियों की क्षमता संवर्धन संबंधी परियोजनाः यह एल बी एस एन ए ए में अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या एवं अभिमुखीकरण कार्यक्रमों में नियमित जानकारी के साथ मूलभूत बुनियादी प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में आपदा प्रबंधन संबंधी पाठ्यक्रम को सशक्त बनाती है। इन गतिविधियों को चलाने के लिए 83.40 लाख रुपए की धनराशि मंजूर की गई है।

(vi) सामुदायिक एकजुटताः इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के चार संभागों नामतः गोरखपुर, बस्ती, आजमगढ़ और देवीपटनम के 14 जिलों को शामिल करने के लिए ''***हर परिवार लड़ेगा आपदा से***'' के नारे के साथ सामाजिक एक-जुटता अभियान का चलाया जाना शामिल है।

महत्वपूर्ण कार्यशालाएं/बैठकें

आपदा प्रबंधन पर संसदीय मंच की बैठक

10.14 इस मंच के संयोजक श्री शशि थिरुर, सदस्य की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन विषय पर दिनांक 22.03.2012 को संसदीय मंच की एक बैठक आयोजित की गई थी। इस बैठक में एन डी एम ए के उपाध्यक्ष श्री एम शशिधर रेड्डी द्वारा भारत में आपदा प्रबंधन के बारे में एक विस्तृत एवं सारगर्भित प्रस्तुति दी गई। उन्होने आपदा प्रबंधन को राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय विकासात्मक योजनाओं की मुख्यधारा के साथ जोड़ने पर बल दिया।

10.15 सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सांसद के स्थानीय क्षेत्र विकास की योजना एम पी एल ए डी एस दिशानिर्देशों को आशोधित करते हुए दिनांक 23.11.2011 को सुधार परिपत्र संख्या 12 जारी किया है। इन संशोधनों से सरकार ने अब एम पी एल ए डी एस के तहत प्राकृतिक आपदाओं के अतिरिक्त मानवजनित आपदाओं को कवर करने हेतु आपदा प्रबंधन व्यवधानों के लिए वित्तपोषित करने की अनुमति प्रदान कर दी हैं। एम पी एल ए डी एस का इस्तेमाल अब, प्रशमन कार्यों के लिए भी किया जा सकता है। मानव-जनित आपदाओं के शामिल हो जाने से, एम पी एल ए डी एस के अंतर्गत आने वाली परियोजनाएं अब, आग, रासायनिक, जैवकीय एवं रेडियोधर्मी खतरों जैसे आपदा प्रवण क्षेत्रों अथवा इनसे प्रभावित क्षेत्रों में भी शुरु की जा सकती हैं।

आपदा न्यूनीकरण पर तृतीय विश्व अनुसचिवीय सम्मेलन, जापान

10.16 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन डी एम ए) के उपाध्यक्ष श्री एम. शशिधर रेड्डी, विधायक ने दिनांक 03.07.2012 से 04.07.2012 तक तोहोकू, जापान में हुए आपदा न्यूनीकरण संबंधी विश्व अनुसचिवीय सम्मेलन में भारतीय शिष्टमण्डल का नेतृत्व किया। इस सम्मेलन का आयोजन विदेश मंत्रालय, जापान सरकार द्वारा निम्नलिखित उद्देश्यों से किया गया थाः-

i) ग्रेट ईस्ट जापान भूकम्प सहित हाल में आई बड़े पैमाने वाली प्राकृतिक आपदाओं से प्राप्त अनुभवों एवं पाठों को साझा करना।

ii) तुरन्त संभलकर उठ खडे हो जाने वाले समाज (रेसिलिएन्ट सोसाइटी) का निर्माण करने के लिए आपदा जोखिम न्यूनीकरण संबंधी प्रमुख विषयों पर अनुसचिवीय स्तर पर विचार-विमर्श आयोजित करना।

iii) वर्ष 2015 में आपदा न्यूनीकरण पर तृतीय विश्व सम्मेलन (जापान ने जिसका आयोजन करने के आशय की घोषणा की है) में पोस्ट-ह्योगो फ्रेमवर्क फार एक्शन (एचएफए) की स्थापना के बारे में विचार-विमर्श में सहयोग देना।

एन डी एम ए का 8वां संघटन दिवस

10.17 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन डी एम ए) ने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में दिनांक 28.09.2012 को अपना 8वां संघटन दिवस मनाया। उद्घाटन सत्र में, एन डी एम ए के अध्यक्ष श्री एम. शशिधर रेड्डी, उपाध्यक्ष ने विगत वर्षों में प्राधिकरण के योगदान इसके द्वारा की गई कार्रवाई के साथ-साथ तैयारी एवं प्रशमन पर बराबर ध्यान देने की महत्ता पर प्रकाश डाला। उद्घाटन सत्र के पश्चात, बाढ़, सूनामी और चक्रवातीय आपदाओं पर तीन तकनीकी सत्र भी चलाए गए।

32वें भारत-अन्तरराष्ट्रीय व्यापार मेला, 2012 में भागीदारी

10.18 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन डी एम ए) ने अलग-अलग प्रकार की आपदाओं के बारे में आम

जनता, विद्यार्थियों और विभिन्न स्टेकहोल्डरों में जागरुकता पैदा करने के लिए दिनांक 14.11.2012 से 27.11.2012 तक प्रगति मैदान, नई दिल्ली में 32वें भारत अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेला (आई आई एफ टी), 2012 में भाग लिया। इस प्राधिकरण ने तीनों संगठनों-एन डी एम ए, राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन डी आर ई) और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन आई डी एम) के कार्यकलापों के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए आई आई एफ टी में हॉल संख्या 6 में सूचना पवेलियन लगाया। स्टाल में लगभग एक लाख लोग पहुंचे और उन्होने एन डी एम ए द्वारा लोगों के बीच जागरुकता पैदा करने की इस पहल की सराहना की।

आई आई टी एफ, 2012 में एन डी एम ए स्टाल

10.19 इसके अतिरिक्त, एन डी आर एफ ने तीन सीधे प्रदर्शनों का आयोजन किया जिनमें दो भूकम्प आपदा के बारे में (16.11.2012 और 18.11.2012) और एक रासायनिक आपदा (17.11.2012) के बारे में था, जिसका उद्देश्य समुदायों के बीच एन डी आर एफ की क्षमताओं के बारे में जागरुकता पैदा करना, आगन्तुकों को आपदा प्रबंधन के मुद्दों के बारे में सुग्राही बनाना और लोगों में ऐसी स्थिति में अपनी सुरक्षा करने के बारे में आत्मविश्वास पैदा करना था। सीधा प्रदर्शन करने से पहले एन डी आर एफ द्वारा एक खोजी कुत्ता प्रदर्शन भी किया गया क्योंकि खोजी कुत्ता दस्ता, ध्वस्त हुई अवसंरचना के मलबे में दबे पीड़ितों का पता लगाने में खोजी एवं बचाव दस्ते का एक अभिन्न एवं महत्वपूर्ण घटक होता है। आई आई एफ टी, 2012 में लगाए गए एन डी एम ए स्टाल को केन्द्रीय राज्य मंत्री, वाणिज्य एवं उद्योग डा. डी. पुरन्देश्वरी द्वारा दिनांक 27.11.2012 को प्रदर्शन में उत्कृष्टता के लिए विशिष्ट प्रशस्ति पदक प्रदान किया गया है।

नकली अभ्यास और आई आर एस प्रशिक्षण

10.20 जून, 2012 माह में लाहुल एवं स्पीति (हिमाचल प्रदेश) में बर्फीले हिमस्खलन के बारे में और राजपुरा (पंजाब) में रासायनिक औद्योगिक आपदा विषय पर टेबल- टाप एवं नकली अभ्यास का आयोजन किया गया। दिनांक 04.06.2012 से 15.06.2012 तक यू एस ए एस आई डी द्वारा एन आई डी एम के साथ मिलकर आई आर एस माड्यूल की तैयारी के संबंध में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। दिनांक 18.06.2012 से 19.06.2012 तक एल बी एस एन ए ए, मसूरी में आई ए एस अधिकारियों के लिए आई आर एस और टेबल टॉप माड्यूल का भी आयोजन किया गया। राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एन पी ए), हैदराबाद में दिनांक 26.06.2012 और 27.06.2012 को आई पी एस अधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन (डी एम) माड्यूल का आयोजन किया गया था। दिनांक 14.06.2012 को संसद भवन सुरक्षा के संबंध में नकली अभ्यास सिंहावलोकन का आयोजन किया गया। दिनांक 12-13.06-2012 को के0वी0 संगठन, मालवीय नगर, दिल्ली के लिए आपदा प्रबंधन कैप्स्यूल का आयोजन किया गया था।

राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एस डी एम ए) और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डी डी एम ए)

10.21 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 में सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में एस डी एम ए और डी डी एम ए के गठन का प्रावधान है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार, आंध्र प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरूणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड और पश्चिम बंगाल ने इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप एस डी एम ए का गठन कर लिया है।

10.22 आंध्र प्रदेश, अंडमान व निकोबार द्वीपसमूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चण्डीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर, झारखंड, कर्नाटक, केरल, लक्षद्वीप, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, पुडुचेरी, राजस्थान, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड एवं पश्चिम बंगाल राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों का भी गठन कर दिया गया है।

10.23 अधिनियम में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में राज्य कार्यकारी समिति की स्थापना की परिकल्पना की गई है। तदनुसार, 31 राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों ने इस संबंध में कार्रवाई कर ली है।

10.24 एन डी एम ए, एन ई सी, एन आई डी एम संबंधी नियम, संसद में एन डी एम ए की वार्षिक रिपोर्ट को प्रस्तुत करना और तथाकथित अपराध के नोटिस आदि को भी भारत सरकार द्वारा अधिसूचित कर दिया गया है। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के विभिन्न 'क' और 'ग' ग्रुपों से संबंधित भर्ती नियम तैयार कर लिए गए हैं, अधिसूचित किए गए हैं और उन्हें संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत भी कर दिया गया है।

राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन डी आर एफ)

10.25 राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन डी आर एफ) का गठन आपदा की स्थिति या आपदा के खतरे पर विशेषज्ञ कार्रवाई करने के लिए किया गया है। इसकी गुवाहाटी, कोलकाता, मुंडली, अरक्कोनम, पुणे, गांधीनगर, भटिंडा, ग्रेटर नौएडा, पटना और विजयवाड़ा में 10 बटालियनें हैं। इनकी चार बटालियनें, न्यूक्लियर, जैविक और रासायनिक (एन बी सी) आपदाओं से निपटने के लिए भी हैं। प्रत्येक बटालियन में 1,149 कार्मिक, ढह गए ढांचे में खोज और बचाव कार्य के लिए कैनाइन स्क्वैड और उपकरण, जल से बचाव के उपकरण (नाव और गोताखोरी के उपकरण), प्राथमिक चिकित्सा कार्रवाई टुकड़ियों के वाहक, एंबुलेंस, हजमत वाहन और पानी के टैंकर होते हैं।

10.26 राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल की उच्च प्रशिक्षित मानवशक्ति वाली बटालियनें आवश्यक उपस्करों सहित आन्ध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, केरल, ओडिशा, महाराष्ट्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, और पश्चिम बंगाल में आए चक्रवाती तूफानों/बाढ़/भू-स्खलनों/बादल फटना आदि के दौरान आपातकालीन कार्रवाई करने, बचाव और राहत कार्यों में तत्परता से लग गयी थीं।

10.27 वर्ष 2012 के दौरान तीव्र और उच्च कुशलता प्राप्त एन डी आर एफ बटालियनों ने बाढ़ बचाव अभियानों में लगभग 35,648 लोगों की जान बचायी और 171 शव निकाले। एन डी एफ आर बटालियनों द्वारा इन राज्यों में बाढ़ में फंसे पीड़ितों में चिकित्सा-सहायता, दवाइयों और पेयजल सहित राहत सामग्रियां भी वितरित की गईं।

एन आई डी एम द्वारा बचाव अभियान

10.28 तलाशी और बचाव अभियान के अतिरिक्त, एन डी आर एफ को विभिन्न राज्यों में सिविल प्राधिकारियों की सहायता करने के साथ-साथ रेल दुर्घटना, भू-स्खलन, बादल फटने, इमारत गिरने, नाव पलटने, बस दुर्घटनाओं और लोगों के डूबने आदि के स्थान पर भी तैनात किया गया।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन आई डी एम)

10.29 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के तहत गठित राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान (एन आई डी एम) को आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास, क्षमता-निर्माण, प्रशिक्षण, अनुसंधान, दस्तावेजीकरण और नीति प्रचार-प्रसार का दायित्व सौपा गया ।आपदा प्रबंधन केन्द्र से दिनांक 16.10.2003 को उन्नत होकर, एन आई डी एम ने सभी स्तरों पर रोकथाम एवं तैयारी की संस्कृति का विकास एवं संवर्धन करके आपदा प्रतिरोधी भारत का निर्माण करने के अपने मिशन को पूरा करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा है।

प्रशिक्षण कार्यक्रम

10.30 वर्ष 2012-13 के दौरान, एन आई डी एम 83 आमने–सामने के प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों और 16 वेब आधारित आनलाइन पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहा है। 31.10.2012 तक एन आई डी एम ने 41 आमने-सामने के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया ह, जिनमें 1,142 सहभागियों ने भाग लिया। इन 41 पाठ्यक्रमों में से 15 पाठ्यक्रमों का संचालन राज्य के आपदा प्रबंधन केन्द्र, ए टी आई और अन्य प्रशिक्षण संस्थानों के सहयोग से किया गया। इनके व्यौरे **अनुलग्नक-XII** में दिए गए हैं। आमने-सामने के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अतिरिक्त, संस्थान ने

31 अक्तूबर, 2012 तक 10 वेब आधारित आन लाइन पाठ्यक्रमों का संचालन भी किया है।

उपगृह (सैटलाइट) आधारित कार्यक्रमः

10.31 एन आई डी एम ने दिनांक 17.4.2012 एवं 18.04.2012 और 07.06.2012 एवं 08.06.2012 को विज्ञान प्रसार दिल्ली के सहयोग से दो उपग्रह आधारित कार्यक्रमों का आयोजन किया। इन कार्यक्रमों में लगभग 2,500 सहभागियों ने भाग लिया।

जागरुकता कार्यकलाप

राष्ट्रीय कार्रवाई योजना

10.32 एन आई डी एम ने दिनांक 05.06.2012 को ''विश्व पर्यावरण दिवस'' मनाया जिसका उद्देश्य आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सुरक्षित वातावरण संबंधी जागरुकता का सृजन करना है।

एन आई डी एम द्वारा ''विश्व पर्यावरण दिवस'' समारोह

10.33 डॉ. मुजफ्फर अहमद, सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि थे। इस अवसर पर उपस्थित अन्य अतिथियों में, सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के उप सभापति प्रो. वी.के.शर्मा, राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल के महानिदेशक श्री प्रकाश मिश्रा, टी ई आर आई विश्वविद्यालय के उप कुलपति डॉ. लीना श्रीवास्तव और अन्य गणमान्य व्यक्ति, कर्मचारी एवं बच्चे उपस्थित थे।

10.34 इस अवसर पर एन आई डी एम के तीन प्रकाशनों नामतः ''इकोसिस्टम एप्रोच टू डिजास्टर रिस्क रिडक्शन'', ''इनवायरमेन्टल इक्सट्रीम एण्ड क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स'' और ''डिजास्टर मैनेजमेन्ट फॉर स्कूल चिल्ड्रेन'' का विमोचन भी किया गया है।

10.35 विभिन्न विद्यालयों में स्कूली बच्चों के लिए हिन्दी और अंग्रेजी में ''नारा एवं कविता लेखन प्रतियोगिता'' का आयोजन किया गया और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि द्वारा विजेताओं का पुरस्कार दिए गए ।

वन महोत्सव

10.36 एन डी एम ए के सदस्य श्री वी.के. दुग्गल इस अवसर पर कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रुप में उपस्थित रहे। कार्यक्रम के दौरान एन आई डी एम के दो प्रकाशनों नामतः ''इण्डिया डिजास्टर रिपोर्ट, 2011 और ''डाइरेक्टरी आफ इन्सटि्यूशन्स एण्ड रिसोर्स पर्सन्स इन डिजास्टर मैनेजमेन्ट'' का विमोचन किया गया। इस अवसर पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया।

आपदा न्यूनीकरण दिवस

10.37 एन डी एम ए और एन आई डी एम ने दिनांक 10.10.2012 को इण्डिया इन्टरनेशनल सेन्टर, दिल्ली में आपदा न्यूनीकरण दिवस मनाया। लुडलो कैसेल स्कूल, दिल्ली के पूर्व प्रधानाचार्य श्री बी.के.शर्मा द्वारा इस अवसर पर ''सुरक्षित विद्यालयः लुडलो कैसेल स्कूल की यात्रा'' विषय पर एक विशेष व्याख्यान दिया। मुख्य अतिथि द्वारा इस अवसर पर ''सेफगार्ड आफ इनवायरमेन्ट फार डी आर आर'' पर एक पुस्तिका का विमोचन किया गया जो स्कूली बच्चों द्वारा आपदा प्रबंधन और पर्यावरण संरक्षण पर लिखी गई कविताओं और नारों का संग्रह है।

एन आई डी एम द्वारा ''आपदा न्यूनीकरण दिवस'' का आयोजन

10.38 इस अवसर पर, एन आई डी एम ने विद्यालयों से उनकी अपनी ''विद्यालय सुरक्षा योजनाएं'' विकसित करने के प्रस्ताव आमंत्रित किए जिनका उद्देश्य विद्यार्थियों, अध्यापकों और स्टेकहोल्डरों के बीच विद्यालय सुरक्षा के प्रति जागरुकता का सृजन करना था। विद्यालयों से प्राप्त जोरदार कार्रवाई

योजनाओं में से पूरे देश में 15 चयनित योजनाओं को पुरस्कृत किया गया था।

प्रशिक्षण मॉड्यूल

10.39 एन आई डी एम ने आपदा प्रबंधन के विभिन्न पहलुओं पर 11 आन्तरिक प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किए हैं। एन आई डी एम द्वारा विकसित मॉड्यूलों में जिला आपदा प्रबंधन योजना, ग्राम आपदा प्रबंधन योजना, समुदाय आधारित डी आर आर, बाढ़ जोखिम प्रबंधन, मनो - सामाजिक देखभाल, आपदा प्रबंधन में जेन्डर संबंधी मुद्दे, शहरी जोखिम प्रबंधन, भूकम्प प्रबंधन, आपदा में बच्चों की आवश्यकता, आपदोत्तर क्षति एवं उनके मूल्यांकन की जरुरत (एन डी एन ए), आपदा प्रबंधन में जी आई एस, रासायनिक (औद्योगिक) आपदा, भू-स्खलन जोखिम प्रबंधन, डी डी आर एफ अधिकारियों और आपदा में फंसे अक्षम व्यक्तियों के लिए आपदा प्रबंधन शामिल हैं। 11 मॉड्यूलों में से पांच मॉड्यूल मुद्रित हो गए हैं जबकि अन्य मॉड्यूल मुद्रण के लिए तैयार हैं।

10.40 भारत सरकार-यू एन डी पी डी आर आर कार्यक्रम के तहत एन आई डी एम द्वारा 6 मॉड्यूल/दिशानिर्देश विकसित किए गए हैं। इनमें विकास क्षेत्र में डी आर आर को मुख्यधारा से जोड़ना, आवासीय क्षेत्र में डी आर आर को मुख्य धारा से जोड़ना, पर्यावरणीय क्षेत्र में डी आर आर को मुख्यधारा से जोड़ना, स्वास्थ्य क्षेत्र में डी आर आर को मुख्य धारा से जोड़ना, शहरी क्षेत्र में डी आर आर को मुख्य धारा से जोड़ना और आपदोत्तर दीर्घकालीन पुनर्बहाली शामिल हैं। ये मॉड्यूल और दिशानिर्देश एन डी एम ए को प्रस्तुत कर दिए गए हैं।

एन आई डी एम द्वारा कार्यान्वित की जा रही परियोजनाएं और कार्यक्रम

बुन्देलखण्ड क्षेत्र के लिए सूखा सुभेद्यता एवं प्रशमन विश्लेषण:

10.41 भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद द्वारा आपदाकारी सूखा सम्भावनाओं के जोखिम की विभेदक सुभेद्यता का अध्ययन करने हेतु 20 माही अनुसंधान परियोजना को वित्तपोषित किया गया है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कुछेक भागों को कवर करते हुए बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 13 जिलों में प्रशमन माध्यमों का मूल्यांकन करने का कार्य आरम्भ किया गया है। इसमें सांख्यिकीय एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली अनुप्रयोग का प्रयोग करके विभिन्न श्रेणियों के सूखे अर्थात मौसम विज्ञान संबंधी, जल विज्ञान संबंधी और कृषि कार्य संबंधी सूखे एवं उसके आकाशीय एवं सांसारिक तरीकों की जांच की गयी है। दो जिलों अर्थात ललितपुर (उ.प्र.) और टीकमगढ़ (म.प्र) के विस्तृत विश्लेषण में विभिन्न सरकारी, सामुदायिक माध्यमों, परम्परागत जानकारी और अभिनव विकल्पों को समझने की परिकल्पना की गई है। यह परियोजना जुलाई, 2011 में आरम्भ हुई थी और जनवरी, 2013 में समाप्त होगी। इस परियोजना के मध्यकालीन परिणाम के रुप में ''बुन्देलखण्ड में सूखाः इसका भूतलक्षी विश्लेषण एवं भावी योजना'' नामक एक प्रकाशन निकाला गया है।

आपदा जोखिम प्रबंधन हेतु पर्यावरणीय ज्ञान:

10.42 आपदा संबंधी जोखिम विश्लेषण, निर्णय सहायक प्रणाली, प्रशमन एवं आपात कार्रवाई में पर्यावरणीय जानकारी एवं उपकरणों की भूमिका पर जोर देते हुए पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के एक घटक के रुप में और भारत सरकार का इन्डो-जर्मन इनवायरमेन्ट कार्यक्रम (आई जी ई पी) के साथ सहयोग नामक एक सहयोगात्मक परियोजना जी आई जेड जर्मनी के साथ संयुक्त रुप से कार्यान्वित की गई है। इस परियोजना में 5 विषयगत क्षेत्रों अर्थात (i) डी आर एम के लिए पर्यावरणीय सांख्यिकी और डी एस एस (ii)डी आर आर में पर्यावरणीय विधान की भूमिका (iii)रासायनिक आपदा प्रबंधन के लिए, आकाशीय आयोजना एवं भूमि उपयोग (iv) डी आर एम में पर्यावरणीय सेवाएं एवं ई आई ए की भूमिका (v) डी आर आर-जलवायु परिवर्तन अनुकूलन के साथ प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन का सम्पर्क, के साथ अनुसंधान आधारित मामलों का अध्ययन करने, प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित करने और क्षमता संवर्धन के लिए भरपूर शिक्षण दृष्टिकोण का संवर्धन करने पर बल दिया गया। परियोजना के तहत दिनांक 9-10.05.2011 की अवधि के दौरान विज्ञान भवन, नई दिल्ली में एक अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन ई के डी आर एम-2011 का भी आयोजन किया गया। विधिक ढांचे की भूमिका, बाढ़ आपदा प्रबंधन-बावरिया एवं गोरखपुर मामला, महत्वपूर्ण अवसंरचना एवं डी आर एम तथा डी आर आर में पर्यावरणीय सांख्यिकी एवं आपदा डाटाबेस की भूमिका पर प्रशिक्षण मॉड्यूल विकसित किया गया है।

भारत आपदा संसाधन नेटवर्क

10.43 भारत आपदा संसाधन नेटवर्क जो एक वेब आधारित सूचना प्रणाली है, उपकरण सूची, कुशल जनशक्ति संसाधनों एवं आपात कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण आपूर्ति की व्यवस्था करने के लिए एक प्लेटफार्म है जिसका कार्यान्वयन भी एन आई डी एम द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम का प्राथमिक लक्ष्य निर्णायक प्राधिकारियों को किसी भी आपात स्थिति का

सामना करने के लिए उपकरणों की उपलब्धता और अपेक्षित जनशक्ति संसाधनों का हल निकालने में सक्षम बनाना है। वे इस डाटाबेस से विशिष्ट सुभेद्यताओं के संबंध में तैयारी के स्तर का आकलन करने में सक्षम होंगे। एन आई डी एम ने इस प्लेटफार्म के प्रबंधन के लिए समर्पित अधिकारियों को नियुक्त किया है।

इण्डिया डिजास्टर नॉलेज नेटवर्क

10.44 इण्डिया डिजास्टर नॉलेज नेटवर्क (आई डी के एन) एक वेब पोर्टल है जो प्राकृतिक आपदाओं से संबंधित जानकारी का सहयोग उसकी नेटवर्किंग, मानचित्र, आपात सम्पर्क जानकारी प्रणाली एवं अनेक अन्य बहुमूल्य जानकारी जैसे संसाधनों एवं सेवाओं की एक विस्तृत एवं व्यवस्थित संरचना उपलब्ध कराता है। यह आपसी तालमेल की प्रक्रिया के माध्यम से आपदा प्रबंधन के बारे में जानकारी का आदान-प्रदान करने और उससे सीखने का वातावरण विकसित करने का एक प्लेटफार्म मुहैया कराता है। आई डी के एन का मुख्य लक्ष्य, आपदा प्रबंधन ज्ञान एवं सेवाओं तक पहुंचने के एक सरल एवं संयुक्त बिन्दु का सृजन करना, और त्वरित एवं समुन्नत गुणवत्तापूर्ण आपदा प्रशमन एवं कार्रवाई को सुकर बनाना है। आई डी के एन, दक्षिण एशियाई आपदा ज्ञान नेटवर्क (एस ए डी के एन) का एक भाग है।

स्व-अध्ययन कार्यक्रम

10.45 एन आई डी एम ने जनसाधारण के साथ-साथ ऐसे सरकारी कर्मचारियों एवं अन्य स्टेकहोल्डरों, जिनके पास आपदाओं के प्रबंधन की भूमिका एवं उत्तरदायित्व है, के लिए पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करने के लिए सी-डैक एवं एन ओ आई डी ए के सहयोग से स्व-अध्ययन कार्यक्रम विकसित किया है। कार्यक्रम के तहत इन पाठ्यक्रमों तक देश में कहीं से भी किसी भी व्यक्ति द्वारा उसकी सुविधानुसार किसी भी समय निःशुल्क पहुंचा जा सकता है। इन पाठ्यक्रमों का लक्ष्य आपदा प्रबंधन के प्रति लोगों में रुचि पैदा करना और उनके ज्ञान, कौशल और जागरुकता में संवर्धन करना है।

प्रकाशन

10.46 यह संस्थान ''आपदा एवं विकास'' शीर्षक से एक छमाही पत्रिका और ''टाइडिंग्स'' नामक तिमाही समाचार-पत्र का प्रकाशन करता है। संस्थान ने 31.10.2012 तक निम्नलिखित 12 दस्तावेजों का भी प्रकाशन किया है।

(i) आपदा प्रबंधन संस्थाओं एवं संसाधन व्यक्तियों की निर्देशिका

(ii) ग्रामीण क्षेत्रों एवं भारत पर ध्यान केन्द्रित करते हुए जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन

(iii) आपदा जोखिम न्यूनीकरण के प्रति इकोसिस्टम दृष्टि कोण

(iv) रासायनिक (औद्योगिक) आपदा प्रबंधनः प्रशिक्षण मॉड्यूल

(v) पर्यावरणीय अतिरेक-आपदा जोखिम प्रबंधन

(vi) बाढ़ जोखिम प्रशमन एवं प्रबंधनः प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टी ओ टी) मॉड्यूल

(vii) भारत आपदा रिपोर्ट, 2011

(viii) आपदा प्रबंधन में भू-संसूचकी अनुप्रयोगः प्रशिक्षण मॉड्यूल

(ix) विज्ञान उत्सवः आपदा प्रबंधन

(x) आपदा जोखिम प्रबंधन के लिए पर्यावरणीय विधानः प्रशिक्षण मॉड्यूल

(xii) आपदा जोखिम प्रशमन के लिए सुरक्षा पर्यावरणः कविता एवं नारा पुस्तिका

आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति

10.47 डी एम अधिनियम, 2005 के अनुसरण में आपदा प्रबंधन पर राष्ट्रीय नीति (एनपीडीएम) जारी की गई है। इसमें निवारण, प्रशमन, तैयारी और अनुक्रिया कार्रवाई की धारणा के माध्यम से एक समग्र, सक्रिय, बहु-आपदोन्मुखी और प्रौद्योगिकीजन्य रणनीति विकसित करके एक सुरक्षित और आपदा का सामना कर सकने वाले भारत का निर्माण करने की परिकल्पना की गई है।

10.48 इस नीति में आपदा प्रबंधन के उन सभी पहलुओं को शामिल किया गया है जो संस्थागत और विधिक व्यवस्था; वित्तीय प्रबंधन; आपदा की रोकथाम, प्रशमन और तैयारी; तकनीकी-विधिक तंत्र, अनुक्रियाशील कार्रवाई, राहत और पुनर्वास; पुनर्निर्माण एवं पुनर्बहाली; क्षमता का विकास; ज्ञान प्रबंधन और अनुसंधान एवं विकास कार्यों से संबंधित हैं। एन पी डी एम, आपदाओं की वजह से प्रभावित लोगों को राहत प्रदान करने और पुनर्वास संबंधी उपाय तैयार करने की दृष्टि से अक्षम व्यक्तियों, महिलाओं, बच्चों और अन्य वंचित समूहों

सहित समाज के सभी वर्गों की चिन्ताओं का समाधान करता है। साम्यता/सहभागिता के मुद्दे पर पर्याप्त ध्यान दिया गया है। इस नीति का उद्देश्य समुदाय, समुदाय आधारित संगठनों, पंचायत राज संस्थाओं (पी आर आई), स्थानीय निकायों और सिविल सोसाइटी की भागीदारी के माध्यम से आपदा प्रबंधन के सभी पहलुओं में पारदर्शिता और जवाबदेही लाना है।

राहत हेतु वित्तीय तंत्र

10.49 राहत व्यय की वित्तीय व्यवस्था की योजना क्रमिक वित्त आयोगों की सिफारिशों पर आधारित है। वर्ष 2010-11 से 2014-15 तक लागू मौजूदा अवार्ड 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। 13वें वित्त आयोग ने सिफारिश की है कि हिम-स्खलन, चक्रवात, बादल फटने, सूखे, भूकम्प, सुनामी, आग लगने, बाढ़, ओला-वृष्टि, भू-स्खलन और कीट-आक्रमण को एस डी आर एफ और एन डी आर एफ से वित्तीय सहायता देने के लिए प्राकृतिक आपदाएं माना जाए। भारत सरकार ने हाल ही में शीत लहर/पाला को राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि (एस डी आर एफ) और राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि (एन डी आर एफ) से सहायता के लिए पात्र आपदा की सूची में शामिल करने का अनुमोदन किया है और दिनांक 13.08.2012 को इस संबंध में अधिसूचना जारी की गई है। यह अधिसूचना गृह मंत्रालय की वेबसाइट www.ndmindia.nic.in पर उपलब्ध है।

13वें वित्त आयोग की सिफारिश

13.50 13वें वित्त आयोग, वित्त मंत्रालय की सिफारिश पर, भारत सरकार ने आपदा प्रबंधन संस्थानों के सुदृढ़ीकरण, क्षमता निर्माण और कार्रवाई तंत्रों के लिए निधियां आवंटित की हैं।

राज्य आपदा कार्रवाई निधि

10.51 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 48(1) में राज्य सरकारों द्वारा राज्य आपदा कार्रवाई निधि (एस डी आर एफ) के गठन का प्रावधान है। गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों को एस डी आर एफ चलाने संबंधी दिशानिर्देश जारी किए गए हैं। राज्य राहत निधियों में आबंटन क्रमिक वित्त आयोगों की सिफारिशों के आधार पर किया गया है। विभिन्न राज्यों को पांच वर्ष की अवधि के लिए निधियां आवंटित करते समय, जिन घटकों पर विचार किया जाता है, उनमें पिछले 10 वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा राहत कार्यों पर किया गया व्यय, राज्य की प्राकृतिक आपदा के प्रति संवेदनशीलता और आर्थिक स्थिति शामिल है। इस समय, 13वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार सरकार ने सभी राज्यों को राज्य आपदा राहत निधि के लिए 33,580.93 करोड़ रू. के आवंटन की मंजूरी प्रदान की है, जिसमें केन्द्र का अंशदान 25,847.93 करोड़ रूपए. और राज्य का अंशदान 7,733.00 करोड़ रूपए. है। एस डी आर एफ योजना में केन्द्रीय अंशदान को जून और दिसम्बर में दो किस्तों में जारी करने का प्रावधान है। वर्ष 2010-15 की अवधि के लिए एस डी आर एफ में राज्य-वार और वर्ष वार आबंटन को दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक-XIII** में दिया गया है।

राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि

10.52 आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 46(1) में किसी भी चुनौतीपूर्ण आपदा प्रबंधन की स्थिति अथवा आपदा से निपटने के लिए राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि के गठन का प्रावधान है। तदनुसार, गृह मंत्रालय ने राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि (एन डी आर एफ) के गठन के लिए दिनांक 28.09.2010 को अधिसूचना जारी की थी।

अतिरिक्त वित्तीय सहायता

10.53 राज्य आपदा कार्रवाई निधि के प्रावधानों के अतिरिक्त, गंभीर प्रकृति की आपदाओं की स्थिति में राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि से निधियां प्रदान की जाती हैं। प्रभावित राज्य से ज्ञापन प्राप्त होने पर, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधियों की एक अंतर-मंत्रालयी केन्द्रीय टीम गठित की जाती है और केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में गठित अन्तर-मंत्रालयी समूह (आई एम जी) द्वारा उक्त टीम की रिपोर्ट की जांच की जाती है और राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि से निधियां प्रदान करने पर विचार करने और उसकी मंजूरी हेतु उच्च स्तरीय समिति (एच एल सी) के समक्ष प्रस्तुत की जाती है।

व्यय की निगरानी

10.54 गृह मंत्रालय एस डी आर एफ के प्रचालन का पर्यवेक्षण करता है और इन मार्गनिर्देशों के अनुरूप इसके कार्यान्वयन की निगरानी करता है। सहायता की वर्तमान मदों और मानदण्डों के अनुसार व्यय की निगरानी के लिए एक प्रारूप (फार्मेट) निर्धारित किया गया है। राज्य के महालेखाकार द्वारा एस डी

आर एफ के लेखों का रख-रखाव किया जाता है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा एस डी आर एफ की प्रति वर्ष लेखापरीक्षा की जाती है।

एस डी आर एफ के अंतर्गत वर्तमान आवंटन

10.55 वर्ष 2012-13 के लिए, एस डी आर एफ में 6,700.22 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं, जिसमें 5,157.29 करोड़ रूपए. केन्द्र तथा 1,542.93 करोड़ रूपए राज्यों का अंश है। वर्ष 12-13 के दौरान 26 राज्यों को एस डी आर एफ के केन्द्रीय अंशदान के रूपए में 2,811.41 करोड़ रूपए की राशि (जिसमें 656.405 करोड़ रूपए पिछले वर्ष की बकाया राशि+2,155.005 करोड़ रूपए पहली किस्त के हैं) जारी की गई है। इसके अतिरिक्त, वर्ष 2012-13 के लिए, एस डी आर एफ के केन्द्रीय अंश की दूसरी किस्त की 257.01 करोड़ रूपए की राशि (इसमें वर्ष 2013-14 के लिए वर्ष 2012-13 के दौरान अग्रिम के रूपए में जारी 68.64 करोड़ रुपए की धनराशि शामिल है।) 05 राज्यों को जारी की गई है। इसके अतिरिक्त, चार राज्यों को एन डी आर एफ से 1,003.37 करोड़ रूपए की वित्तीय सहायता जारी की गई है। वर्ष 2012-13 के दौरान एस डी आर एफ/एन डी आर एफ से निधियों का राज्य-वार आवंटन और निर्गम दर्शाने वाला विवरण **अनुलग्नक-XIV** में दिया गया है।

क्षमता निर्माण अनुदान

10.56 13वें वित्त आयोग की सिफारिश पर, प्रशासनिक मशीनरी में क्षमता संवर्धन की गतिविधियाँ शुरू करने के लिए राज्यों को 525 करोड़ रूपए आवंटित किए गए हैं। वर्ष 2010-15 की अवधि के लिए राज्य-वार आवंटन **अनुलग्नक-XV** में दिया गया है। वित्त मंत्रालय ने इस निधि के उपयोग के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में वर्ष 2010-15 की सम्पूर्ण अवधि के लिए कार्य-योजना तैयार करने के साथ-साथ प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए कार्य योजना तैयार करने का प्रावधान है। इन योजनाओं में, अन्य बातों के साथ-साथ, राज्यों में स्टेकहोल्डरों और अधिकारियों के प्रशिक्षण और क्षमता संवर्धन, खतरा, जोखिम और संवदनेशीलता के विश्लेषण पर आधारित आपदा प्रबंधन की योजनाएं तैयार करने और राज्यों में आपातकालीन प्रचालन केन्द्रों की स्थापना और सुदृढ़ीकरण करने की मदें शामिल होंगी।

एन डी आर एफ और एस डी आर एफ से राहत के लिए सहायता की मदें और मानदण्ड

10.57 गृह मंत्रालय ने राहत कार्रवाई हेतु व्यय की मदों एवं मानदण्डों को अभिनिर्धारित किया है। आनुक्रमिक वित्त आयोगों का अधिनिर्णय प्राप्त होने के पश्चात राहत निधियों से सहायता की इन मदों और मानदण्डों की विस्तृत समीक्षा की जाती है। इन मानदण्डों में, गृह मंत्रालय द्वारा गठित एक विशेषज्ञ समूह की रिपोर्ट के आधार पर संशोधन किए जाते हैं, जो इस संबंध में सभी राज्य सरकारों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से परामर्श करता है। भारत सरकार ने राज्य आपदा कार्रवाई निधि और राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई निधि से सहायता की मदों और मानदण्डों को अब संशोधित कर दिया है और उन्हे दिनांक 16.01.2012 को परिचालित कर दिया है और दिनांक 28.09.2012 को पुनः संशोधित किया है। राहत के लिए सहायता की वर्तमान मदें और मानदण्ड www.mha.nic.in और www.ndmindia.nic.in पर देखें जा सकते हैं।

विभिन्न आपदायें

वर्ष 2012 में मानसून की स्थिति

10.58 दिनांक 01.06.2011 से 30.09.2011 की अवधि के दौरान देश में समग्र रूप से और चार विस्तृत समरूप क्षेत्रों के लिए दक्षिण-पश्चिम मानसूनी वर्षा के आंकड़े निम्नानुसार हैं:

क्षेत्र	पूर्वानुमान	वास्तविक
सम्पूर्ण भारत	दीर्घकालीन औसत का 96%±4%	दीर्घकालीन औसत का 92%
उत्तर पश्चिम भारत (जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, चण्डीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश)	दीर्घकालीन औसत का 93%±8%	दीर्घकालीन औसत का 93%
उत्तर पूर्व भारत (अरूणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार एवं झारखण्ड)	दीर्घकालीन औसत का 99%±8%	दीर्घकालीन औसत का 89%
मध्य भारत (गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा एवं ओडिशा)	दीर्घकालीन औसत का 96%±8%	दीर्घकालीन औसत का 96%
दक्षिण प्रायद्वीप (आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, लक्षद्वीप तथा अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह)	दीर्घकालीन औसत का 95%±8%	दीर्घकालीन औसत का 90%

10.59 देश में समग्र रूप से संचयी मौसमी वर्षा, सामान्य थी। मौसम (01.06.2012 से 30.09.2012) के दौरान वर्षा दीर्घकालीन औसत (एल पी ए) का 92% थी। 36 में से 26 मौसमविज्ञानी उप-संभागों (देश के कुल क्षेत्र का 67%) में सामान्य वर्षा (+19% से -19%) दर्ज की गई। 01 उपसंभाग (अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह) में अधिक वर्षा (+20% या अधिक) और 13 मौसम विज्ञानी उप-संभागों (देश के कुल क्षेत्र का 32.7%) में कम वर्षा (-20% से -59%) रिकार्ड की गई।

10.60 वर्ष 2012-13 के दौरान अब तक 17 राज्यों और 01 संघ राज्य क्षेत्र से चक्रवातीय तूफान/भारी वर्षा/बाढ़/भू-स्खलन/बादल फटने आदि के कारण विभिन्न मात्रा में क्षति की सूचना प्राप्त हुई है। ये राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हैं:- आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, नागालैण्ड, ओडिशा, पंजाब, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी संघ राज्य क्षेत्र।

वर्ष 2012-13 के दौरान देश में क्षति की मात्रा (अनंतिम)	
मानव जीवन को हुई हानि की संख्या	946
हताहत पशुओं की संख्या	24293
क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	667319
प्रभावित फसली भूमि (लाख हेक्टेयर)	14.44

10.61 क्षति की मात्रा का राज्य-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-XVI** में दिया गया है।

स्थिति की निगरानी

10.62 मंत्रिमंडल सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन समिति (एन सी एम सी) तथा केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यकारी समिति (एन ई सी) ने वर्ष 2012 के दौरान विशेषकर असम, तमिलनाडु, सिक्किम, उत्तराखंड और आंध्र प्रदेश में बाढ़, तेज बाढ़, बादल फटने, भू-स्खलन और ''नीलम'' चक्रवात से उत्पन्न स्थिति में बचाव एवं राहत कार्यों की प्रगति की निगरानी की।

10.63 गृह मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष, जो 24x7 आधार पर कार्य करता है, ने भारत सरकार से सहायता का समन्वय करने के अतिरिक्त, राज्य सरकारों को आवश्यक तैयारी उपाय करने और दैनिक स्थिति रिपोर्ट तैयार करने के बारे में परामर्शी- पत्र जारी किया। जिन्हें समस्त संबंधितों के पास अग्रेषित किया गया और दैनिक आधार पर वेबसाइट ''ndmindia.nic.in'' पर भी लोड किया गया। गृह मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारीगण प्रभावित राज्यों के मुख्य सचिवों एवं राहत आयुक्तों के साथ निरन्तर सम्पर्क में रहे। नोडल मंत्रालय होने के नाते, गृह मंत्रालय ने भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई एम डी), केन्द्रीय जल आयोग (सी डब्ल्यू सी), राज्यों एवं जिलों के नियंत्रण कक्ष और अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ गहन विचार-विमर्श के माध्यम से बाढ़ और चक्रवात की स्थिति की लगातार निगरानी की।

राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के आपदा प्रबंधन विभाग के राहत आयुक्तों और सचिवों का वार्षिक सम्मेलन

10.64 दक्षिण-पश्चिम मानसून, 2012 के लिए तैयारी की स्थिति की समीक्षा करने और आपदा प्रबंधन संबंधी अन्य मुद्दों पर चर्चा करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के आपदा प्रबंधन विभाग के सचिवों/राहत आयुक्तों का वार्षिक सम्मेलन दिनांक 28.05.2012 को नई दिल्ली में आयोजित किया गया। इसमें केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के प्रतिनिधियों के अतिरिक्त, आपातकालीन सहायता कार्य करने वाले विभिन्न केन्द्रीय मंत्रालयों/संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी हिस्सा लिया।

10.65 इस सम्मेलन के दौरान प्राकृतिक आपदाओं के समय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों तथा केन्द्र सरकार की महत्वपूर्ण भूमिकाओं और केन्द्रीय जल आयोग (सी डब्ल्यू सी) भारत मौसम विज्ञान विभाग (आई एम डी), भारत राष्ट्रीय सागर सूचना सेवा केन्द्र (आई एन सी ओ आई एस), राष्ट्रीय दूर संवेदी एजेंसी (एन आर एस ए) जैसी पूर्वानुमान एजेन्सियों, सशस्त्र बलों तथा राज्य एवं केन्द्र सरकार की अन्य संबद्ध एजेन्सियों के साथ निकट समन्वय की आवश्यकता पर बल दिया गया ।

10.66 भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) केन्द्रीय जल आयोग (सीडब्ल्यूसी) और भारत राष्ट्रीय सागर सूचना सेवा (आई एन सी ओ आई एस) जो वर्षा, बाढ़, चक्रवात और सूनामी के पूर्वानुमान एवं सूचना प्रसार के लिए राष्ट्रीय एजेन्सियां हैं, ने देश में अपने तंत्र के सुदृढ़ीकरण तथा आधुनिकीकरण के लिए अपनी योजनाओं का विस्तार किया।

आपदा प्रबंधन योजना

10.67 संशोधित आपदा प्रबंधन योजना – 2009 के दो भाग हैं, पहले भाग का संबंध सामान्य पहलुओं से है जो सभी आकस्मिक/आपदा की स्थितियों के लिए समान हैं और दूसरे भाग में विशिष्ट आपदा की स्थितियों से निपटने के लिए अलग-अलग मानक परिचालन प्रक्रियायें (एस ओ पी) हैं। गृह मंत्रालय ने इन्हें कार्यान्वित किए जाने के लिए पहले ही सभी संबंधित मंत्रालयों और एजेंसियों के साथ-साथ राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्रों में परिचालित कर दिया है। सभी संबंधित मंत्रालयों के साथ-साथ राज्य और संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे इस मंत्रालय को सूचित करते हुए अपने-अपने सी एम पी और एस ओ पी तैयार करें और उन्हें अद्यतन करें। दिनांक 31.12.2012 तक कुल 25 राज्यों और 6 संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने सी एम पी तैयार कर लिए हैं।

तैयारी और प्रशमन के लिए किए गए उपाय

10.68 सूचना और संचार नेटवर्क, भू-स्खलन, भूकंप, विद्यालय सुरक्षा और बाढ़ आदि से संबंधित राष्ट्र स्तरीय प्रशमन परियोजनाओं की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार की जा रही है। प्रशमन परियोजनाओं के कार्यान्वयन की क्रियापद्धति, नोडल मंत्रालयों और संबंधित सरकारी एजेंसियों के साथ परामर्श करके एन डी एम ए द्वारा वैचारिक और परियोजनाओं तथा वास्तुकला का संबंध निर्धारित करके तैयार की गई है। वित्तीय, तकनीकी और प्रबंधकीय संसाधनों तथा अपेक्षित तकनीकी-कानूनी क्षेत्र जैसी सभी सहायक प्रणालियों का विस्तृत उल्लेख करके बहु-अनुशासनिक टीमों के माध्यम से विस्तृत परियोजना रिपोर्टें (डीपीआर) तैयार की जा रही हैं। परियोजनायें निष्पादित करने का कार्य, विशिष्ट आपदाओं और /या विषयगत हस्तक्षेपों के लिए जिम्मेदार विभिन्न नोडल एजेंसियों को सौंपा जाएगा। आवधिक निगरानी, केन्द्रीय मंत्रालयों, राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों और एन डी एम ए में तकनीकी विशेषज्ञों से युक्त मल्टी-सेक्टोरल ग्रुप के माध्यम से की जाएगी।

राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना

10.69 1,496.71 करोड़ रूपए की लागत से आंध्र प्रदेश और ओडिशा के लिए केन्द्रीय स्तर पर प्रायोजित राष्ट्रीय चक्रवात जोखिम प्रशमन परियोजना का चरण-I कार्यान्वित किया जा रहा है, ताकि चक्रवात के प्रति तटवर्ती समुदायों की सुभेद्यता को दूर किया जा सके। परियोजना का उद्देश्य, चक्रवात के प्रति सुभेद्यता कम करना है और लोगों तथा अवसंरचना को आपदा-रोधी बनाना है। परियोजना का व्यापक उद्देश्य चक्रवात का पूर्वानुमान, ट्रैकिंग और चेतावनी प्रणालियों का उन्नयन करना, बहु-जोखिम आपदा प्रबंधन में चक्रवात जोखिम प्रशमन और क्षमता निर्माण करना और बहु-उद्देश्यीय चक्रवात आश्रय (आश्रय और संपर्क सड़कों/ पुलों से होते हुए बस्तियों तक जाना शामिल) और तटबंधों का निर्माण करना है। इस परियोजना से ओडिशा के 5.60 लाख लोगों और आंध्र प्रदेश के 5.50 लाख लोगों को लाभ मिलने की संभावना है। आशा है कि इससे ओडिशा में 38,296 हेक्टेयर जमीन और आंध्र प्रदेश में 12,640 हेक्टेयर जमीन बचाने में सहायता मिलेगी। वर्ष 2012-13 के दौरान 89.80 करोड़ रूपए सहित दिसम्बर, 2012 तक आन्ध्र प्रदेश और ओडिशा को 187.20 करोड़ रूपए जारी कए गए हैं।

आपदा प्रबंधन संबंधी मामलों को विकासात्मक परियोजनाओं की मुख्यधारा में लाना

10.70 वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने आपदा निवारण और प्रशमन उपाय, जिन्हें परियोजना प्रस्तावों को तैयार करते समय दूर किए जाने की जरूरत होगी, शामिल करने के लिए व्यय वित्त समिति (ई एफ सी) और योजनेतर व्यय संबंधी समिति (सीएनई) के विचारार्थ योजनागत और योजनेतर, दोनों के परियोजना प्रस्तावों के फार्मेट संशोधित किए हैं। परियोजना प्रस्ताव में शामिल की जाने वाली अतिरिक्त सूचना में, अन्य बातों के साथ-साथ, एन डी एम ए द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का अनुपालन करना, जोखिम विश्लेषण करना, ढांचागत और गैर-ढांचागत प्रशमन उपाय करना, राष्ट्रीय भवन निर्माण संहिता, 2005 का अनुपालन करना और आपदा प्रबंधन की लागत को सम्मिलित करना आदि शामिल हैं। सभी परियोजना प्राधिकारियों को सलाह दी गई है कि वे इन मुद्दों पर की गई कार्रवाई की सत्यता के संबंध में अपना प्रमाण-पत्र संलग्न करें।

10.71 राज्य सरकारों से यह सिफारिश की गई है कि वे अपने क्षेत्राधिकार की परियोजनाओं/कार्यक्रमों के लिए इसी प्रकार का आपदा प्रबंधन मूल्याकन करें। इस प्रकार आधार तैयार कर दिया गया है जिसके लिए आपदाओं का समग्र और समन्वित प्रबंधन करने की दिशा में राष्ट्रीय अभियान में शामिल होने के वास्ते राज्य सरकारों को अनुकूल वातावरण दिया गया है।

संचार नेटवर्क

10.72 बड़ी आपदा आने पर सबसे पहले संचार व्यवस्था ठप्प पड़ सकती है क्योंकि ऐसी स्थिति में परंपरागत संचार नेटवर्क प्रणाली आमतौर पर निष्क्रिय हो जाती है। इसलिए पर्याप्त क्षमता वाली मल्टी-मोड, मल्टी-चैनल संचार प्रणाली स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। राष्ट्रीय आपात संचार योजना (एनईसीपी) का चरण-I कार्यान्वित कर दिया गया है। यह दूर-दराज के आपदा/आपात स्थलों पर राष्ट्रीय आपात परिचालन केन्द्र (एन ई ओ सी) और सचल आपात परिचालन केन्द्र (ई ओ सी) के बीच सैटेलाइट आधारित मोबाइल ध्वनि/डाटा /वीडियो संचार प्रणाली प्रदान करेगी।

10.73 राष्ट्रीय आपात संचार योजना (एन ई सी पी) चरण-I के अनुभव के आधार पर अंतिम छोर तक संपर्कता स्थापित करने के लिए एन आई सी द्वारा फिक्स एवं परिवहन योग्य (ट्रांसपोर्टेबल) वी एस ए टी स्थापित करके 76.76 करोड़ रूपए के परिव्यय से राष्ट्रीय आपात संचार योजना चरण-II कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के तहत राष्ट्रीय आपात परिचालन केन्द्र (एन ई ओ सी) और एन डी आर एफ बटालियन मुख्यालय के बीच ध्वनि/डाटा/वीडियो संचार के लिए राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल की बटालियनों की संचार टीमों को अचल और सचल वी एस ए टी प्रदान किए जाएंगे।

राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम

10.74 कुल 48.47 करोड़ रूपए की लागत से इस वर्ष केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में राष्ट्रीय विद्यालय सुरक्षा योजना कार्यक्रम कार्यान्वित किया जा रहा है। नीति स्तरीय परिवर्तन शुरू करके, सूचना, शिक्षा और संचार क्रियाकलाप आरम्भ करके कुछ विद्यालयों में गैर-ढांचागत प्रशमन उपायों और प्रदर्शनात्मक ढांचागत रिट्रोफिटिंग को बढ़ावा देकर विद्यालयों में सुरक्षा की संस्कृति को बढ़ावा देने की यह एक परिपूर्ण परियोजना है।

नागरिक सुरक्षा

10.75 नागरिक सुरक्षा में भारत या इसके किसी भू-भाग के किसी भी क्षेत्र में किसी व्यक्ति, सम्पत्ति, स्थान अथवा वस्तु पर किसी हवाई, भूमि, समुद्री अथवा अन्य स्थानों से होने वाले किसी शत्रु के हमले से सुरक्षा प्रदान करने अथवा ऐसे किसी हमले को रोकने/प्रशमन करने के लिए किए जाने वाले वे उपाय शामिल हैं, जो वास्तव में युद्ध नहीं है, भले ही ये उपाय ऐसे हमले के पूर्व, दौरान अथवा उसके बाद किए जाएं।

भूमिका

10.76ः युद्ध और आपातकाल के दौरान, आन्तरिक भू-भाग की चौकसी करने, सशस्त्र बलों की सहायता करने, नागरिकों को एकजुट करने और नागरिक प्रशासन की मदद करने में निम्नलिखित के संबध में नागरिक सुरक्षा संगठन की अहम भूमिका होती हैः-

क) जीवन एवं सम्पत्ति बचाने;

ख) नुकसान को न्यूनतम करने;

ग) उत्पादन केन्द्रों में निरन्तरता बनाए रखने; और

घ) लोगों के मनोबल को बढ़ाने।

ड.) आपदा प्रबंधन

10.77 अनेक वर्षों से नागरिक सुरक्षा की अवधारणा में परम्परागत हथियारों के कारण हुए नुकसान के प्रबंधन से बदलाव लाकर इसमें नाभिकीय हथियारों, जैविक एवं रासायनिक युद्धकला और प्राकृतिक आपदाओं को भी शामिल किया जाएगा।

10.78 नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 पूरे देश में लागू है। राष्ट्र विरोधी तत्वों अथवा आतंकवादियों द्वारा महत्वपूर्ण स्थापनाओं पर किए जाने वाले बाह्य आक्रमण अथवा घातक हमलों से संबंधित भावी खतरों के स्तर के परिप्रेक्ष्य में वर्गीकरण संबंधी मूल मानदण्डों को छोड़कर वर्गीकृत नागरिक सुरक्षा नगरों के लिए नागरिक सुरक्षा योजना के संशोधन एवं नवीनीकरण का कार्य नियमित रूप से किया जा रहा है। हाल में नागरिक सुरक्षा अधिनियम, 1968 की धारा (2) में संशोधन किया गया है ताकि आपदा प्रबंधन के प्रयोजन के उपायों को इसके क्षेत्राधिकार में लाया जा सके। वर्तमान में, नागरिक सुरक्षा कार्यकलाप, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में फैले 259 वर्गीकृत नगरों तक सीमित हैं। नागरिक सुरक्षा जिलों के रूप में चुने हुए 100 बहु-जोखिम संभावित जिलों को भी वर्गीकृत किया गया है।

संगठन

10.79 नागरिक सुरक्षा, इसके स्थायी स्टाफ एवं स्थापना के छोटे न्यूक्लियस के सिवाय, जिसका संवर्धन आपातकाल के

दौरान किया जाता है, का गठन मुख्य रूप से स्वैच्छिक आधार पर किया जाता है। नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों का वर्तमान लक्ष्य 13.08 लाख का है जिसमें से 5.69 लाख स्वयंसेवकों को पहले ही तैयार कर लिया गया है और 5.14 लाख को प्रशिक्षित कर लिया गया है।

प्रशिक्षण

10.80 शान्ति के दौरान, नागरिक सुरक्षा उपायों के प्रशिक्षण एवं पूर्वाभ्यास/प्रदर्शन करने के साथ-साथ विभिन्न रचनात्मक एवं राष्ट्र निर्माण संबंधी क्रियाकलापों में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को भी स्वैच्छिक आधार पर तैनात किया जाता है जिनमें सामाजिक एवं कल्याण सेवाएं चलाने और प्राकृतिक/मानवनिर्मित आपदा की रोकथाम/प्रशमन और आपदा पश्चात कार्रवाई एवं राहत अभियानों में प्रशासन को सहायता प्रदान करना शामिल है। राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा चलाए जाने वाला नागरिक सुरक्षा प्रशिक्षण, तीन स्तरों अर्थात स्थानीय/नगरीय, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित किया जाता है।

नागरिक सुरक्षा स्वयं सेवकों द्वारा नकली अभ्यास

केन्द्रीय वित्तीय सहायता

10.81 नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों को तैयार करने, उन्हें प्रशिक्षण देने और उपकरणों से सुसज्जित करने हेतु नागरिक सुरक्षा उपायों को करने के लिए वर्तमान में राज्यों को दी जाने वाली केन्द्रीय सहायता केवल वर्गीकृत नगरों तक सीमित है। पूर्वोत्तर राज्यों (असम को छोड़कर) को 50% तक और असम सहित अन्य राज्यों को 25% तक प्रतिपूर्ति की जाती है। चालू वर्ष 2012-13 के लिए, 12 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान है जिसमें से दिसम्बर, 2012 के अन्त तक राज्यों को 9.90 करोड़ रुपए की प्रतिपूर्ति की गई है।

नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन

10.82 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में नागरिक सुरक्षा पुनः स्थापित करने के लिए वर्ष 2009 में 100 करोड़ रुपए के परिव्यय से केन्द्रीय स्तर पर प्रायोजित योजना शुरू की गई है। योजना का समग्र उद्देश्य, देश में नागरिक सुरक्षा ढांचे को सुदृढ़ और मजबूत बनाना है ताकि यह आपदा प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके और अपनी प्राथमिक भूमिका निभाते हुए आंतरिक सुरक्षा और कानून और व्यवस्था में पुलिस की सहायता कर सके। दिसम्बर, 2012 तक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को 88.60 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिसमें वर्ष 2012-13 में जारी किए गए 16.36 करोड़ रुपए शामिल हैं।

राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय, नागपुर

10.83 देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना, केन्द्रीय आपात राहत प्रशिक्षण संस्थान के रूप में भारत सरकार के आपात राहत संगठन की सहायता करने के लिए दिनांक 29.04.1957 को नागपुर में की गयी थी। इस केन्द्रीय संस्थान ने किसी प्राकृतिक अथवा मानवजनित आपदा के संबंध में आपदा राहत कार्य करने के लिए उत्तरदायी राजस्व अधिकारियों हेतु आधुनिक एवं विशिष्ट प्रशिक्षण का आयोजन किया। दिनांक 01.04.1968 को सी ई आर टी आई का पुनःनामकरण राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा महाविद्यालय (एन सी डी सी) के रूप में किया गया।

10.84 इस महाविद्यालय को आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण के लिए एक मुख्य केन्द्र तथा विकिरण, चिकित्सीय, नाभिकीय, जैविक तथा रासायनिक आपात कार्रवाई प्रशिक्षण के लिए एक नोडल केन्द्र के रूप में गृह मंत्रालय द्वारा मान्यता प्रदान की गई है। इसे रासायनिक आपदा कार्रवाई प्रशिक्षण में एक अग्रणी प्रशिक्षण

जी ई एम ई एक्स-1012 के दौरान गुवाहाटी में रासायनिक एवं औद्योगिक आपदा तैयारी प्रशिक्षण

संस्थान के रूप में भी पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा मान्यता प्रदान की गई है।

10.85 यह महाविद्यालय नियमित रूप से राष्ट्रीय आपदा कार्रवाई बल (एन डी आर एफ) एवं अन्य केन्द्रीय अर्ध-सैनिक बलों को ऐसे आतंकवादी खतरों से निपटने संबंधी दक्षता विकसित करने का प्रशिक्षण दे रहा है जिसमें जन संहारक हथियारों के प्रयोग एवं किसी भी तरह की प्राकृतिक आपदा के परिणामों से संबंधित प्रशिक्षण भी शामिल है। महाविद्यालय की प्रशिक्षण क्षमतायें और भौतिक अवसंरचना बढ़ाने हेतु आधुनिक सुविधायें पूरी करने के लिए इसका उन्नयन किया गया है।

होमगार्ड

10.86 होमगार्ड एक स्वैच्छिक बल है जिसकी स्थापना पहली बार भारत में दिसम्बर, 1946 में सामाजिक अव्यवस्थाओं एवं साम्प्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने में पुलिस की सहायता करने के लिए की गई थी। बाद में, कई राज्यों द्वारा स्वैच्छिक नागरिक बल की अवधारणा को अपना लिया गया था। वर्ष 1962 में चीन के आक्रमण के परिणामस्वरूप, केन्द्र ने राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को अपने मौजूदा स्वैच्छिक संगठनों को होमगार्ड के रूप में विदित एक वर्दीधारी स्वैच्छिक संगठन में विलय करने का सुझाव दिया था। कानून एवं व्यवस्था और आन्तरिक सुरक्षा को बनाए रखने, किसी भी प्रकार की आपात स्थिति जैसे कि हवाई हमला, आग लगना, चक्रवात, भूकंप, महामारी आदि में समुदाय की सहायता करने, जरूरी सेवाएं बनाए रखने, सांप्रदायिक सौहार्द को बढ़ावा देने तथा कमजोर वर्गों की सुरक्षा करने में प्रशासन की सहायता करने, सामाजिक-आर्थिक एवं कल्याणकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने तथा नागरिक सुरक्षा कार्यों को करने में पुलिस के सहयोगी बल के रूप में होमगार्डों की भूमिका है।

10.87 होमगार्ड ग्रामीण एवं शहरी दो श्रेणियों के होते हैं। सीमावर्ती राज्यों में बार्डर विंग होमगार्ड बटालियनें बनाई गई हैं, जो सीमा सुरक्षा बल की सहायक बटालियन के रूप में कार्य करती हैं। देश में होमगार्डों की कुल संख्या 5,73,793 है और इसकी तुलना में 5,02,241 होमगार्ड कार्यरत हैं। यह संगठन केरल को छोड़कर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में फैला हुआ है।

10.88 'होमगार्ड' का गठन, होमगार्ड अधिनियम और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नियमों के अधीन किया जाता है। इनकी भर्ती समाज के विभिन्न वर्गों यथा डाक्टरों, इंजीनियरों, वकीलों, निजी क्षेत्र के संगठनों, कालेज और विश्वविद्यालय के छात्रों, कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र के कामगारों आदि में से की जाती है जो समुदाय की भलाई के लिए अपना अतिरिक्त समय इस संगठन को दे सकें। होमगार्डों को दी जाने वाली सुख-सुविधाओं में मुफ्त पोशाक, ड्यूटी भत्ता एवं विशिष्ट और सराहनीय सेवाओं के लिए वीरता पुरस्कार शामिल हैं। तीन वर्षों की सेवा वाले होमगार्ड के सदस्यों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने, अपराध रोकने, डकैती-निरोधी उपायों, सीमा गश्त, निषेधाज्ञा, बाढ़ राहत, अग्निशमन, चुनाव ड्यूटियों और समाज कल्याण की गतिविधियों के संबंध में पुलिस का प्रशिक्षण दिया जाता है।

10.89 गृह मंत्रालय, होमगार्ड संगठन की भूमिका, गठन, प्रशिक्षण, उपस्कर, स्थापना और अन्य महत्वपूर्ण मामलों से संबंधित नीति तैयार करता है। सामान्य तौर पर होमगार्ड पर होने वाला व्यय, केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा क्रमशः 25% और 75% के अनुपात में इनके गठन, प्रशिक्षण और साजो-सामान से सुसज्जित करने के लिए प्रतिपूर्ति आधार पर वहन किया जाता है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए यह भागीदारी केन्द्र और राज्यों के बीच 50:50 के अनुपात में है।

अग्निशमन सेवाएं

10.90 आग से बचाव एवं अग्नि शमन सेवाओं का गठन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया जाता है। गृह मंत्रालय, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और केन्द्रीय मंत्रालयों को आग से बचाव, आग पर नियंत्रण, अग्निशमन विधायन एवं प्रशिक्षण के बारे में तकनीकी परामर्श देता है।

10.91 वर्ष 2009 में भी देश में अग्निशमन एवं आपात सेवाओं के सुदृढ़ीकरण के लिए ग्यारहवीं योजनावधि के दौरान 200 करोड़ रुपए के परिव्यय से केन्द्रीय स्तर पर प्रायोजित योजना शुरू की गई है। इस योजना का समग्र उद्देश्य, देश में अग्नि शमन एवं आपात सेवा को सुदृढ़ बनाना है और इसे धीरे-धीरे ऐसे बहु-जोखिम कार्रवाई बल का रूप देना है जो हर प्रकार की आपात स्थितियों में प्रथम कार्रवाई बल के रूप में कार्य कर सके। इस योजना के अन्तर्गत, देश में अग्नि शमन ब्रिगेड के प्रत्येक जिला मुख्यालय में अतिरिक्त रूप में बचाव कार्य हेतु 277 एडवांस फायर टेण्डरों, वाटर मिस्ट प्रौद्योगिकी युक्त 1,146 हाई प्रेशर पम्प, 573 क्विक रेस्पांस टीम व्हीकल और 1,146 कॉम्बी टूल्स उपलब्ध कराए जाएंगे। दिसम्बर, 2012 तक राज्यों/संघ राज्य

क्षेत्रों को 176.31 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं जिनमें वर्ष 2012-13 में जारी किए गए 39.75 करोड़ रुपए भी शामिल है।

10.92 अग्निशमन और बचाव उपकरणों की वास्तविक जरूरत का आकलन करने के उद्देश्य से गृह मंत्रालय ने देश में अग्नि जोखिम एवं खतरों का विश्लेषण करने के लिए 5.71 करोड़ रू. की लागत से एक अध्ययन शुरु किया है।

10.93 वर्ष 2011 के दौरान इस योजना के अन्तर्गत, फायर सर्विस कालेज, यू.के. में 30 अग्निशमन कर्मचारियों को प्रशिक्षक के रुप में उन्नत खोज और बचाव प्रणाली तथा प्राथमिक चिकित्सा सहायता कार्यकर्ता का प्रशिक्षण प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण में प्रदान किया गया है जिन्होने बाद में 750 अग्निशमन सेवा कार्मिकों को प्रशिक्षित किया है।

राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर

10.94 अग्नि शमन सेवा के अधिकारियों को राष्ट्रीय अग्नि शमन सेवा महाविद्यालय (एन एफ एस सी), नागपुर में प्रशिक्षित किया जाता है। यह महाविद्यालय ओल्ड सेटलमेंट कमिश्नरेट बिल्डिंग में स्थित है जिसमें आग से बचाने की ड्रिल और प्रदर्शन करने के लिए पर्याप्त स्थान है। इस महाविद्यालय के फायर इंजीनियरों को आग से बचाने और रोकने के कार्य के लिए भारत और विदेशों में काम दिया जाता है। यह महाविद्यालय आपदा प्रबंधन आदि के लिए फायर ग्राउंड आपरेशन, पैरामैडिक्स, वास्तविक जीवन की स्थिति के बारे में भी प्रशिक्षण प्रदान करता है। आग की रोकथाम करने और आग से सुरक्षा संरक्षण प्रदान करने के विभिन्न पहलुओं पर विस्तृत प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों, राज्य सरकार, नगर निगम, फायर ब्रिगेड, पोर्ट ट्रस्ट, विमानपत्तन प्राधिकरण के वरिष्ठ अग्निशमन अधिकारी, महाविद्यालय के अतिथि संकाय के पैनल में हैं।

10.95 महाविद्यालय का उन्नयन करने की एक योजना जून, 2010 में 205 करोड़ रुपए के परिव्यय से शुरू की गई है। योजना का समग्र उद्देश्य सभी पहलुओं नामतः आग से बचाव, आग रोकने और आग बुझाने, बचाव करने, आपदा आने की स्थिति में विशेषज्ञ आपात कार्रवाई करने और साथ ही फील्ड में अनुसंधान प्रलेखीकरण और परामर्शी जरूरतों को पूरा करने के लिए विशेषज्ञ पेशेवर प्रशिक्षण की जरूरतों को पूरा करने हेतु महाविद्यालय की क्षमता में वृद्धि करना है।

❖❖❖

अध्याय XI अंतरराष्ट्रीय सहयोग

11.1 अपराध करने वालों अथवा सम्भावित अपराधकर्ताओं, खासकर, अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद, संगठित अपराध और स्वापक ड्रग्स का अवैध व्यापार करने वालों की कार्यप्रणाली में तकनीकी उन्नयन के साथ-साथ तेजी से बदलाव आया है और इसने राष्ट्रपारीय एवं वैश्विक आयाम का रूप ले लिया है। तदनुसार, गृह मंत्रालय ने ऐसे अपराधों की घटनाओं को रोकने के लिए सुरक्षा संबंधी क्षेत्रों में विविध बहुपक्षीय और द्विपक्षीय पहलें की हैं। गृह मंत्रालय, आपदा प्रबंधन के लिए एक नोडल मंत्रालय होने के फलस्वरूप प्राकृतिक आपदाओं का प्रशमन एवं प्रबंधन करने के लिए बहुपक्षीय एवं द्विपक्षीय अंतरराष्ट्रीय पहलें करने में भी सक्रिय रूप से सम्मिलित है।

सुरक्षा एवं पुलिस संबंधित मामले

बहुपक्षीय सहयोग-दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क)

11.2 दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क), राष्ट्रों के एक संघ के रूप में, इसके सहयोगी राष्ट्रों के बीच ''दक्षिण एशिया के लोगों में खुशहाली लाने और उनके रहन-सहन के स्तर में सुधार करने, आर्थिक विकास बढ़ाने, सामाजिक प्रगति एवं सांस्कृतिक विकास करने; इस क्षेत्र के देशों के बीच सम्पर्क का संवर्धन'' करने के लिए वर्ष 1985 में स्थापित किया गया था। वर्तमान में सार्क के आठ सदस्य देश हैं-नामतः अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। इस संगठन की कार्यसूची, मुख्यतः व्यापार को सुकर बनाने को बढ़ावा देने और 01.01.2006 से शुरू हुए दक्षिण एशिया मुक्त व्यापार करार (एस ए एफ टी ए) को कार्यान्वित करने पर आधारित है । सार्क का सचिवालय काठमाण्डू (नेपाल) में है।

11.3 नवम्बर, 2005 में ढाका में हुए 13वें सार्क शिखर सम्मेलन के दौरान, अन्य बातों के साथ-साथ, यह निर्णय लिया गया था कि सार्क के आंतरिक/गृह सचिवों की बैठक के उपरान्त, सार्क के आंतरिक/गृह मंत्रियों की बैठक वार्षिक रूप से हुआ करेगी। अब तक सार्क के आंतरिक/गृह मंत्रियों की पाँच बैठकें-ढाका में 11.05.2006 को, नई दिल्ली में 25.10.2007 को, इस्लामाबाद में 26.06.2010 को, थिंपू में 23.07.2011 को और मालदीव में 26.09.2012 को आयोजित की गई हैं।

11.4 सार्क आतंकवाद-रोधी तंत्र को सशक्त करने के लिए नई दिल्ली में 09.02.2012 से 10.02.2012 तक लब्धप्रतिष्ठित विशेषज्ञों की एक बैठक का आयोजन किया गया। इसके आगे, पुलिस मामलों में सहयोग संबंधी 10वां सार्क सम्मेलन और सार्क आतंकवादी अपराधों पर मॉनिटरिंग डेस्क (एस टी ओ एम डी) तथा सार्क ड्रग ऑफेंसेज मॉनीट रिंग डेस्क (एस डी ओ एम डी) के मुख्य बिन्दुओं की पांचवीं बैठक नई दिल्ली में दिनांक 30.05.2012 और 31.05.2012 को आयोजित की गई।

11.5 सार्क क्षेत्र के अंदर आतंकवाद और नशीले पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए सहयोग करने की दिशा में यह बैठक एक महत्वपूर्ण कदम था। इस बैठक का लक्ष्य, सार्क के देशों के मध्य सहयोग को बढ़ाने के लिए पहले से ही सक्रिय कदम उठाना था। सार्क क्षेत्र में विश्व की एक चौथाई जनसंख्या है और यह राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं की दृष्टि से विश्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सार्क क्षेत्र में शांति और सुरक्षा स्थापित करने और उसे बनाए रखने के लिए बैठक में अनुकूल वातावरण कायम करने का प्रयास किया गया।

11.6 सार्क के आन्तरिक/गृह मंत्रियों की पांचवीं बैठक और उससे पहले की बैठकें दिनांक 24.09.2012 से 26.09.2012 तक मालदीव में निम्नलिखित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की गईः-

(क) दिनांक 24.09.2012 को सार्क आप्रवासन प्राधिकारियों की पांचवीं बैठक हुई,

(ख) दिनांक 25.09.2012 को सार्क के गृह/आन्तरिक सचिवों की पांचवीं बैठक हुई; और

(ग) दिनांक 26.09.2012 को सार्क के आन्तरिक/गृह मंत्रियों की पांचवीं बैठक हुई।

11.7 भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व, केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा किया गया। सार्क की बैठक के साथ-साथ, केन्द्रीय गृह मंत्री द्वारा मालदीव, भूटान और पाकिस्तान के गृह/आन्तरिक मंत्रियों के साथ भी द्विपक्षीय बैठकों का आयोजन किया गया।

(i) जहां तक पाकिस्तान के साथ द्विपक्षीय बातचीत का संबंध है, केन्द्रीय गृह मंत्री और पाकिस्तान के आन्तरिक मंत्री ने आपसी हित और चिंता से जुड़े मामलों पर विचार-विमर्श किया, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, पारस्परिक रूप से सीमा पार से आतंकवाद, मछुआरों तथा कैदियों की रिहाई से संबंधित मामलों सहित आतंकवाद से जुड़ी मुख्य चिंताएं शामिल हैं। दोनों पक्ष आतंकवाद और आपसी हित से जुड़े अन्य मामलों से संबंधित खुफिया जानकारी (इंटेलीजेंस) पर बातचीत को जारी रखने पर सहमत हुए। दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि हाल ही में हस्ताक्षरित द्विपक्षीय वीज़ा करार को, संबंधित सरकारों द्वारा वीजा नियमों एवं विनियमों की अधिसूचना जारी किए जाने के बाद, आपसी सहमति वाली तारीख से लागू किया जाएगा।

(ii) मालदीव में आयोजित सार्क की बैठकों के साथ-साथ, केन्द्रीय गृह मंत्री ने मालदीव के गृह मंत्री से मुलाकात की। दोनों पक्षों के बीच सुरक्षा संबंधी मुद्दों यथा कानून एवं व्यवस्था की स्थिति, मालदीव पुलिस की सहायता, कल्याण से संबंधित मुद्दों और ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित मुद्दों पर विचार-विमर्श हुआ।

मालदीव में सार्क की बैठकों के साथ-साथ भारत तथा मालदीव के बीच द्विपक्षीय विचार-विमर्श के दौरान मालदीव के गृह मंत्री के साथ केन्द्रीय गृह मंत्री

(iii) सार्क की बैठकों के साथ-साथ, केन्द्रीय गृह मंत्री ने भूटान की शाही सरकार के गृह मंत्री से भी मुलाकात की। भूटान के गृह मंत्री ने सीमा प्रबंधन पर नजदीकी समन्वय के ऊपर संतोष जताया। जहां तक भूटानी पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण का प्रश्न है, केन्द्रीय गृह मंत्री इस बात पर सहमत हुए कि भूटान को जब कभी भी आवश्यकता होगी, भारत उन्हें इस प्रकार की सहायता देना जारी रखेगा। दोनों पक्षों ने ड्रग की तस्करी और आपसी हित एवं चिंता के अन्य मामलों पर भी विचार-विमर्श किया।

भारत-अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन (आई ए एफ एस)

11.8 अप्रैल, 2008 में आयोजित पहले आई ए एफ एस का उद्देश्य अफ्रीका के साथ भारत के आबन्ध में प्रचुर विषयों को जोड़ना और पृथक-पृथक अफ्रीकी देशों के साथ व्यापक और स्थायी संबंध कायम करना था। इस शिखर सम्मेलन में की गई पहल, भारत-अफ्रीका संवाद को विकसित करने में भारत की आवश्यकता के भी अनुरूप है। शिखर सम्मेलन का औपचारिक परिणामी दस्तावेज, एक घोषणा और कार्य-योजना था। गृह मंत्रालय ने अफ्रीकी देशों के विधि प्रवर्तन अधिकारियों की क्षमता का संवर्धन करने के अलावा, उनके साथ द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र की व्यवस्था के रूप में सहयोग प्रस्तावित किया। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, इस कार्यक्रम के तहत निम्नलिखित पाठ्यक्रम आयोजित किए गये:-

(i) केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी बी आई) अकादमी, ग़ाज़ियाबाद द्वारा दिनांक 08.10.2012 से 14.10.2012 तक साइबर अपराध सहित आर्थिक अपराधों की छान-बीन के बारे में पाठ्यक्रम आयोजित किया गया।

(ii) राष्ट्रीय सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और स्वापक पदार्थ संबंधी अकादमी (एन ए सी ई एन) द्वारा दिनांक 29.10.2012 से 02.11.2012 तक नशीले पदार्थों संबंधी कानून के प्रवर्तन पर पाठ्यक्रम आयोजित किया गया।

(iii) राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान द्वारा दिनांक 07.01.2013 से 18.01.2013 तक व्यापक आपदा जोखिम प्रबंधन के बारे में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किया गया।

द्विपक्षीय सहयोग

11.9 पारदेशीय/अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के कानूनी ढांचे में आपराधिक मामलों में परस्पर कानूनी सहायता प्रदान करना, संगठित अपराधों का मुकाबला करने के लिए सुरक्षा सहयोग पर समझौता ज्ञापन/करार करना, आतंकवाद/अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए संयुक्त कार्य दल और नशीले पदार्थों और इनसे संबंधित मामलों को रोकने के लिए द्विपक्षीय करार करना शामिल है, जिन पर भारत और अन्य देशों के बीच द्विपक्षीय आधार पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ऐसी संधियों/करारों पर हस्ताक्षर इस बात को ध्यान में रख कर किए जाते हैं कि आतंकवाद, नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार, काले धन को वैध बनाने, भारतीय मुद्रा के जाली नोटों आदि को रोकने के संबंध में द्विपक्षीय सहयोग किया जाए।

आतंकवाद का मुकाबला करने के संबंध में संयुक्त कार्य दल (जेडब्ल्यूजी)

11.10 भारत ने कई प्रमुख देशों के साथ आतंकवाद/अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के संबंध में संयुक्त कार्य दल स्थापित किए हैं, ताकि अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद और पारदेशीय संगठित अपराध का मुकाबला करने के लिए सूचना का आदान-प्रदान किया जा सके और अंतरराष्ट्रीय सहयोग को सुदृढ़ बनाया जा सके। भारत ने अब तक आतंकवाद/ अंतरराष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए मिस्त्र, कनाडा, जर्मनी, यूनाइटेड किंग्डम, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, चीन, इजराइल, कज़ाकिस्तान, रूस, उज़्बेकिस्तान, थाईलैंड, तुर्की, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, तज़ाकिस्तान, मॉरीशस, इंडोनेशिया, म्यांमार, पोलैंड, जापान, इटली, मलेशिया, यूरोपीय संघ और बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग हेतु बंगाल की खाड़ी पहल (बिम्सटेक) के साथ संयुक्त कार्य दलों का गठन किया है।

11.11 वर्ष 2012-2013 के दौरान, चीन, फ्रांस, यू.के., कनाडा, मलेशिया, जापान, कज़ाकिस्तान, रूस, इजरायल और यूरोपीय संघ के साथ संयुक्त कार्य दल की बैठकों का आयोजन किया गया।

परस्पर विधिक सहायता संधि (एम एल ए टी)

11.12 परस्पर विधिक सहायता संधि (एम एल ए टी), आतंकवाद से संबंधित अपराध सहित अपराध की जांच और अभियोजन में संविदाकर्ता देशों की प्रभावकारिता में सुधार लाने और इसे सुकर बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण विधिक दस्तावेज है, जिसके द्वारा विधिक सहायता प्रदान करने/प्राप्त करने से संबंधित आवश्यक विधिक रूपरेखा का प्रावधान किया जाता है। इस समय, परस्पर विधिक सहायता संबंधी संधि/करार 34 देशों/क्षेत्रों नामतः ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, बंग्लादेश, बेलारूस, बुल्गारिया, बोस्निया और हरज़ेगोविना, कनाडा, मिस्त्र, फ्रांस, हाँग काँग चीन के गणराज्य के लोगों का विशेष प्रशासनिक क्षेत्र, ईरान, कज़ाकिस्तान, कुवैत, मॉरीशस, मलेशिया, मैक्सिको, म्यांमार, मंगोलिया, रूस, सिंगापुर, स्पेन, श्रीलंका, दक्षिण अफ्रीका, स्विटजरलैण्ड, ताज़िकिस्तान, थाईलैण्ड, तुर्की, यूक्रेन, संयुक्त अरब अमीरात, यूनाइटेड किंग्डम, संयुक्त राज्य अमेरिका, उज़बेकिस्तान और वियतनाम के साथ प्रभावी है।

11.13 उपर्युक्त के अलावा, किर्गिज़ गणराज्य और इंडोनेशिया नामक दो देशों के साथ भी एम एल ए टी पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। ये संधियां, हस्ताक्षरकर्ता देशों द्वारा अनुसमर्थन की प्रक्रिया पूरी किए जाने के बाद प्रभावी होंगी।

11.14 भारत ने अन्य सार्क देशों के साथ वर्ष 2008 में आपराधिक मामलों में परस्पर सहायता संबंधी अभिसमय पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। भारत ने इस अभिसमय का अनुसमर्थन कर दिया है। यह अभिसमय सभी सदस्य देशों द्वारा इसका अनुसमर्थन किए जाने के बाद प्रभावी होगा। इस अभिसमय का उद्देश्य, अपराधों की छान-बीन करने और अभियोजन चलाने में क्षेत्रीय सहयोग को सुदृढ़ बनाना है।

नशीले पदार्थों और संबंधित मामलों को रोकने के लिए द्विपक्षीय करार

11.15 भारत ने नशीले पदार्थों से संबंधित मामलों पर अफगानिस्तान, बांग्लादेश, बुलगारिया, कंबोडिया, चीन, क्रोएशिया, साइप्रस, मिस्त्र, इजराइल, इटली, कुवैत, लाओस जनतांत्रिक गणराज्य, मॉरीशस, म्यांमार, पोलैंड, कतर, रोमानिया, रूस, ताज़िकिस्तान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, संयुक्त राज्य अमेरिका और जांबिया के साथ द्विपक्षीय करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। नशीले पदार्थों से संबंधित मुद्दों पर भूटान, इंडोनेशिया, ईरान, ओमान, पाकिस्तान, संयुक्त राज्य अमेरिका और वियतनाम के साथ भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

सजा प्राप्त व्यक्तियों का अंतरण करने संबंधी करार

11.16 भारत में दोषसिद्ध विदेशी कैदियों और विदेशों में दोषसिद्ध भारतीय कैदियों को अपनी सजा का बाकी भाग अपने

ही देश में काटने देने के लिए उन्हें अपने देश की जेल में अंतरित किए जाने का समर्थकारी प्रावधान करने के लिए कैदी प्रत्यावर्तन अधिनियम, 2003 अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम, दिनांक 01.01.2004 को अधिसूचित और प्रभावी हुआ। बाद में, कैदियों के प्रत्यावर्तन की नियमावली, 2004 दिनांक 09.08.2004 को राजपत्र में प्रकाशित की गई थी। उक्त अधिनियम को लागू करने के लिए व्यक्तिगत रूप से इच्छुक देशों द्वारा सज़ा प्राप्त व्यक्तियों का अंतरण करने संबंधी करार/समझौता पर हस्ताक्षर किए जाने अपेक्षित हैं।

11.17 भारत सरकार ने अभी तक 16 देशों, यथा, यूनाइटेड किंग्डम (यू.के.), मॉरीशस, बुल्गारिया, कम्बोडिया, मिस्त्र, फ्रांस, बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, ईरान, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मालदीव, इज़रायल, थाईलैंड और इट ली के साथ करारों पर हस्ताक्षर किए हैं। कनाडा, ब्राजील, तुर्की, बोसनिया एवं हर्ज़ेगोविना और क़तर की सरकारों के साथ बातचीत को भी अंतिम रूप दिया जा चुका है। यू.के. और मॉरीशस से कैदियों को स्वदेश वापस भेजा जाना पहले ही शुरु हो चुका है।

11.18 क़रार की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार हैं:-

i) हस्तांतरण तभी किया जाएगा जबकि सजा प्राप्त व्यक्ति प्राप्तकर्ता राष्ट्र का नागरिक हो।

ii) हस्तांतरण का अनुरोध सजा प्राप्त व्यक्ति अथवा उसकी उम्र, शारीरिक अथवा मानसिक स्थिति के मद्देनज़र उसकी ओर से कार्य करने के लिए अधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है।

iii) हस्तांतरण करने वाले और प्राप्त करने वाले राष्ट्रों को हस्तांतरण के अनुरोध पर सहमत होना होगा।

iv) हस्तांतरण तब किया जाएगा जबकि सज़ा दिए जाने का फैसला अंतिम हो और हस्तांतरण करने वाले राष्ट्र के किसी भी न्यायालय में कोई भी जांच अथवा कोई अन्य कानूनी कार्यवाही लंबित नहीं हो।

v) हस्तांतरण पर तभी विचार किया जाएगा, जबकि उस व्यक्ति के द्वारा किया गया ऐसा कृत्य अथवा चूक, जिसके लिए उसे हस्तांतरण करने वाले राष्ट्र में सज़ा सुनाई गई हो, हस्तांतरण प्राप्त करने वाले राष्ट्र में अपराध के रूप में दंडनीय हो अथवा यदि वह उसके क्षेत्र में किया जाए तो उसे आपराधिक कृत्य माना जाएगा।

vi) सुनाई गई सज़ा को हस्तांतरण प्राप्त करने वाले राज्य के कानून के अनुसार विनियमित किया जाएगा और वह राष्ट्र ही सभी प्रकार के उपयुक्त निर्णय लेने के लिए सक्षम होगा।

vii) यदि हस्तांतरण करने वाले राष्ट्र में सज़ायाफ्ता व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा सुनाई गई हो तो उस व्यक्ति का हस्तांतरण नहीं किया जा सकेगा।

viii) हस्तांतरण प्राप्त करने वाले राष्ट्र को सज़ा प्राप्त व्यक्ति की हिरासत का हस्तांतरण, उसे हस्तांतरित करने वाले राष्ट्र की संप्रभुता, सुरक्षा अथवा किसी अन्य हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नहीं होना चाहिए।

भारत तथा यू एस ए के मध्य होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग

11.19 सुश्री जेन हॉल ल्यूट, उप सचिव, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी के नेतृत्व में यू एस ए सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 20.04.2012 को श्री आर.के. सिंह, केन्द्रीय गृह सचिव के नेतृत्व में भारत सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ नई दिल्ली में मुलाकात करके भारत तथा यू एस ए के मध्य होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग (एच एस डी) के अन्तर्गत निर्धारित मामलों/क्षेत्रों की प्रगति की समीक्षा की।

11.20 श्री आर.के. सिंह, केन्द्रीय गृह सचिव ने तृतीय इंडो-यू एस स्ट्रैटेजिक डायलॉग में भाग लेने के साथ-साथ, दिनांक 12.06.2012 को वाशिंगटन डी.सी. में सुश्री जेन हॉल ल्यूट, उप सचिव, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सीक्योरिटी से मुलाकात करके इंडिया-यू एस होमलैंड सीक्योरिटी डायलॉग से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श किया।

बांग्लादेश

11.21 सुरक्षा और सीमा प्रबंधन संबंधी मुद्दों को सुलझाने के लिए भारत और बांग्लादेश के बीच वर्ष 1994 में एक त्रिस्तरीय द्विपक्षीय संस्थागत तंत्र की स्थापना की गई थी। इसमें पहले स्तर पर महानिदेशक (डीजी), सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) और महानिदेशक (डीजी), बांग्लादेश राइफल्स (बी डी आर) के साथ वार्ताएं की जाती हैं, दूसरे स्तर पर दोनों देशों के संयुक्त सचिवों के स्तर पर संयुक्त कार्य दल (जे डब्ल्यू जी) के बीच वार्ता होती है और तीसरे स्तर पर दोनों देशों के गृह सचिवों के स्तर पर वार्ता की जाती है।

11.22 आपसी सहमति से यह निर्णय लिया गया कि उपर्युक्त त्रिस्तरीय तंत्र के अतिरिक्त, भारत तथा बांग्लादेश के बीच वर्ष में एक बार गृह मंत्री के स्तर पर वार्ता की जाएगी। गृह मंत्री के स्तर की पहली वार्ता ढ़ाका में जुलाई, 2011 में आयोजित की गई थी, जिसके दौरान अंतरराष्ट्रीय सीमा के प्रबंधन के लिए दोनों देशों के बीच समन्वित सीमा प्रबंधन

योजना (सी बी एम पी) पर हस्ताक्षर किए गए। भारत तथा बांग्लादेश के बीच गृह सचिव के स्तर की द्वितीय वार्ता दिनांक 23.02.2012 से 26.02.2012 तक नई दिल्ली में की गई। इस बैठक, में हथियारों, मादक पदार्थों एवं जाली भारतीय रूपयों की तस्करी, उग्रवादियों एवं आतंकवादियों की गतिविधियों, महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी, कैदियों की स्वदेश-वापसी, सीमा पर बाड़ लगाने, आप्रवासन सहित सुरक्षा, सीमा प्रबंधन और कानून को लागू करवाने वाली एजेंसियों के बीच सहयोग में वृद्धि करने से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श किया गया।

11.23 भारत तथा बांग्लादेश के बीच गृह सचिवों की 13वीं बैठक का आयोजन दिनांक 16 और 17.10.2012 को ढाका में किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री आर.के. सिंह, केन्द्रीय गृह सचिव द्वारा किया गया। बांग्लादेश के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री सी.क्यू.के. मुश्ताक अहमद, वरिष्ठ सचिव, गृह मंत्रालय, बांग्लादेश सरकार द्वारा किया गया। इस बैठक में सुरक्षा, सीमा-प्रबंधन और कानून को लागू करवाने वाली एजेंसियों के बीच सहयोग में वृद्धि करने से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श किया गया। निम्नलिखित अन्य महत्वपूर्ण मामलों पर भी विचार किया गया:-

(i) हथियारों और मादक पदार्थों की तस्करी;

(ii) ज़ीरो लाइन से 150 गज के भीतर एकीकृत चेक पोस्टों (आई सी पी)/लैंड कस्टम स्टेशनों (एल सी एस) का निर्माण;

(iii) संयुक्त कार्य दल (जे डब्ल्यू जी) की 12वीं बैठक का परिणाम;

(iv) भारत की सुरक्षा से संबंधित चिंता, विशेष रूप से भारतीय विद्रोही गुटों से निपटने, समन्वित सीमा प्रबंधन योजना (सी बी एम पी) के निर्बाध संचालन, आदि जैसे विषयों में सहयोग करना;

(v) सीमा पर आपराधिक गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए संयुक्त गश्त में वृद्धि करना;

(vi) स्थानीय मामलों को सुलझाने के लिए सीमावर्ती जिलों के उपायुक्त (डी सी) और जिला मजिस्ट्रेट (डी एम) के बीच नियमित विचार-विमर्श किए जाने की प्रणाली को फिर से लागू करना;

(vii) विभिन्न नॉडल पॉइंट्स की गतिविधियों में तेजी लाना;

(viii) वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए आपसी सहयोग बढ़ाना;

(ix) तीन करारों, यथा, 'आपराधिक मामलों में आपसी कानूनी सहायता', 'दंड प्राप्त व्यक्तियों के अंतरण' और 'आतंकवाद, संगठित अपराध तथा मादक पदार्थों के अवैध व्यापार' पर करारों का कार्यान्वयन;

(x) वीज़ा प्रक्रिया का उदारीकरण; और

(xi) भारत सरकार द्वारा भूमि सीमा करार (एल बी ए) – 1974 और वर्ष 2011 में हस्ताक्षरित प्रोटोकॉल का अनुसमर्थन।

भारत तथा बांग्लादेश के बीच गृह सचिव स्तर की 13वीं बैठक

11.24 भारत-बांग्लादेश सीमा की सुरक्षा सुदृढ़ करने और बाड़ लगाने संबंधी मुद्दों पर भी चर्चा की गई। दोनों ही पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि सीमापार से अवैध आवा-जाही को रोकने के लिए जुलाई, 2011 में हस्ताक्षरित समन्वित सीमा प्रबंधन योजना (सी बी एम पी) को शीघ्र कार्यान्वित किया जाए। अन्य मुद्दों में महिलाओं और बच्चों के अवैध व्यापार को रोकने के उपायों की व्यवस्था और विधि के प्रवर्तन के कार्यकलापों की दृष्टि से अपेक्षित क्षमता कायम किए जाने आदि के संबंध में भी चर्चा की गई। दोनों ही पक्ष सुरक्षा से संबंधित मुद्दों और पारस्परिक हित के अन्य क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। बांग्लादेश के गृह मंत्री ने दिनांक 04.12.2012 से 08.12.2012 तक भारत का दौरा किया। सुरक्षा एवं सीमा संबंधी मामलों पर विचार करने के लिए भारत एवं बांग्लादेश के गृह मंत्रियों के बीच बैठकों का आयोजन किया गया। दोनों पक्ष जनवरी, 2013 में दोनों देशों के बीच प्रत्यावर्तन संधि और संशोधित यात्रा करार (आरटीए) को अंतिम रूप देने पर सहमत हुए।

म्यांमार

11.25 भारत सरकार और म्यांमार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और अमन-चैन बनाए रखने के लिए जनवरी, 1994 में एक समझौता ज्ञापन (एम ओ यू) पर हस्ताक्षर किए थे। इस समझौता ज्ञापन के अनुसरण में भारत और म्यांमार दोनों देशों में प्रत्येक वर्ष बारी-बारी से संयुक्त सचिव और गृह सचिव के स्तर की वार्ताएं अयोजित की जाती हैं। अभी तक भारत और म्यांमार के बीच संयुक्त सचिव स्तर की उन्नीस बैठकें और गृह सचिव स्तर की सत्रह बैठकें हो चुकी हैं।

11.26 भारत और म्यांमार के बीच संयुक्त सचिव के स्तर पर 19वीं सेक्टोरल स्तर की बैठक दिनांक 26.06.2012 से 27.06.2012 तक कोलकाता में हुई, जिसमें म्यांमार में भारत के विद्रोही गुटों (आई आई जी) की मौजूदगी, आसूचना का आदान-प्रदान करने, हथियारों की तस्करी, नशीले पदार्थों के अवैध व्यापार और सीमा प्रबंधन आदि जैसे सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने वाले नेता ने इस बात को रेखांकित किया कि भारतीय प्रधानमंत्री के मई, 2012 में म्यांमार के दौरे ने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत की है। म्यांमार में भारत के विद्रोही गुटों (आई आई जी) की निरंतर चल रहीं गतिविधियों पर भारत की चिंता पर म्यांमार के प्रतिनिधिमंडल के नेता ने यह आश्वासन दिया कि वह अपने क्षेत्र में भारत के विद्रोही गुटों (आई आई जी) को कभी भी नहीं रहने देंगे जिससे कि दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण और सौहार्दपूर्ण रिश्तों में दरार आए। म्यांमार के अनुरोध पर दिनांक 28.06.2012 और 29.06.2012 को न्ये प्यई टॉ, म्यांमार में परस्पर विधिक सहायता संधि (एम एल ए टी) के उपयुक्त कार्यान्वयन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय विशेषज्ञों ने भाग लिया। भारत ने अंग्रेजी भाषा के दो पाठ्यक्रमों का आयोजन किया– एक का आयोजन नवम्बर-दिसम्बर, 2011 में तामू में किया गया, जिसमें मणिपुर से विशेषज्ञों ने भाग लिया और दूसरे का आयोजन चम्पई, मिज़ोरम में मार्च/अप्रैल, 2012 में किया गया। दोनों पक्ष चांगलांग (अरुणाचल प्रदेश, भारत) और पेन सुआन (चांगलांग, म्यांमार में 30.10.2012 को) में सीमा संपर्क कार्यालय (बी एल ओ) के संचालन पर सहमत हुए। बी एल ओ की पहली बैठक का आयोजन, अरुणाचल प्रदेश में 30.10.2012 को किया गया।

11.27 भारत और म्यांमार के प्रतिनिधिमंडलों के नेताओं ने दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों के स्तर की बातचीत से पहले एक सीमित बैठक भी की।

11.28 भारत और म्यांमार के बीच दिनांक 19.01.2012 और 20.01.2012 को न्ये प्यई टॉ, म्यांमार में गृह सचिव के स्तर पर राष्ट्रीय स्तर की 17वीं बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें भारत-म्यांमार सीमा पर आई आई जी की मौजूदगी, आसूचना के आदान-प्रदान और हथियारों की तस्करी जैसे सुरक्षा संबंधी मुख्य मामलों पर विचार-विमर्श किया गया। दिनांक 28.12.2012 और 29.12.2012 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्तर की 18वीं बैठक का आयोजन किया गया। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री ए.के. मंगोत्रा, सचिव (सीमा प्रबंधन), गृह मंत्रालय और म्यांमार के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ब्रिगेडियर जनरल क्याव ज़ान माइन्ट, उप मंत्री, गृह मंत्रालय, म्यांमार यूनियन गणतंत्र की सरकार द्वारा किया गया। दोनों पक्षों ने सीमा के पास विद्रोही गुटों, हथियारों की तस्करी, मादक पदार्थों के अवैध व्यापार, सीमा प्रबंधन, वन्य जीवों के अंगों की अवैध तस्करी, अंडमान एवं निकोबार की जेलों में म्यांमार के मछुआरों आदि जैसे मामलों पर विचार-विमर्श किया। दोनों पक्षों ने इस बात पर सहमति जताई कि इस बैठक ने पारस्परिक चिंता से जुड़े मुद्दों पर विचार-विमर्श करने और एक-दूसरे की चिंताओं को समझने का अवसर प्रदान किया।

उच्च स्तरीय द्विपक्षीय दौरे

11.29 श्री आर.के. सिंह, केन्द्रीय गृह सचिव के नेतृत्व में भारत सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल ने श्री क्लाउस-दीतर फ्रीचे, स्टेट सेक्रेटरी, आंतरिक मंत्रालय के नेतृत्व में जर्मन सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ दिनांक 18.04.2012 को नई दिल्ली में बैठक की। उपर्युक्त बैठक के दौरान, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय सुरक्षा मामलों पर विचार-विमर्श किया गया।

11.30 श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन, केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री ने 13.07.2012 से 15.07.2012 तक मोज़ाम्बिक का दौरा किया, जहां उन्होंने आपसी हित के द्विपक्षीय सुरक्षा मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए अपने काउंटरपार्ट श्री जोस मान्द्रा, आंतरिक उप मंत्री से मुलाकात की। गृह राज्य मंत्री ने मोज़ाम्बिक सरकार के अपने काउंटरपार्ट के साथ सुरक्षा

दिनांक 16.10.2012 को नई दिल्ली में श्री वेसेलिन वुकोव, आंतरिक उप मंत्री, बुल्गारिया के साथ श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन, गृह राज्य मंत्री

संबंधी मामलों पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए और मोज़ाम्बिक पक्ष को सुरक्षा संबंधी उपकरण सौंपे।

11.31 श्री जॉन बेयर्ड, विदेश मंत्री के नेतृत्व में कनाडा सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 12.09.2012 को नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करके आपसी हित के द्विपक्षीय सुरक्षा मामलों पर विचार-विमर्श किया।

11.32 श्री बाम्बांग बुदी वालन्यो, इंडोनेशिया के राष्ट्रीय सशस्त्र बल के मेजर जनरल के नेतृत्व में इंडोनेशिया सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 18.09.2012 को नई दिल्ली में श्री आर.के. सिंह, केन्द्रीय गृह सचिव से मुलाकात की। गृह मंत्रालय के ढाँचे (स्ट्रक्चर) और कार्यों के विषय में और अधिक जानने के लिए इंडोनेशियाई प्रतिनिधिमंडल ने केन्द्रीय गृह सचिव से बातचीत की।

11.33 श्री वेसेलिन वुचकोव, आंतरिक उप मंत्री, बुल्गारिया ने दिनांक 16.10.2012 को नई दिल्ली में श्री मुल्लापल्ली रामचंद्रन, गृह राज्य मंत्री से मुलाकात करके व्यापक द्विपक्षीय सुरक्षा मामलों पर विचार-विमर्श किया।

11.34 श्री मासागोस जुल्कीफ्ली, गृह एवं विदेश मामलों के वरिष्ठ मंत्री, सिंगापुर ने दिनांक 01.11.2012 को नई दिल्ली में श्री आर.पी.एन. सिंह, केन्द्रीय गृह राज्य मंत्री से मुलाकात करके आपसी हित के द्विपक्षीय सुरक्षा मामलों पर विचार-विमर्श किया।

11.35 मोज़ाम्बिक पुलिस के राष्ट्रीय कमांडर, श्री जोर्गे खलाऊ के नेतृत्व में मोज़ाम्बिक पुलिस के एक प्रतिनिधिमंडल ने दिनांक 18.11.2012 से 23.11.2012 तक भारत का दौरा किया। भारत में अपने प्रवास के दौरान मोज़ाम्बिक प्रतिनिधिमंडल ने पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बी पी आर एंड डी), सीमा सुरक्षा बल (बी एस एफ), केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सी बी आई) और राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एन एस जी) के मुख्यालयों का दौरा किया।

दिनांक 12 सितम्बर, 2012 को नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह मंत्री, श्री सुशीलकुमार शिंदे के साथ बैठक में कनाडा के विदेश मंत्री, श्री जॉन बेयर्ड के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल

11.36 सुश्री थेरेसा मे, गृह सचिव के नेतृत्व में यूनाइटेड किंग्डम सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल ने श्री सुशीलकुमार शिंदे, केन्द्रीय गृह मंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल से दिनांक 27.11.2012 को नई दिल्ली में मुलाकात करके द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग से संबंधित विभिन्न मामलों पर विचार-विमर्श किया।

दिनांक 27.11.2012 को नई दिल्ली में सुश्री थरेसा मे, गृह सचिव, युनाइटेड किंग्डम के साथ श्री सुशीलकुमार शिंदे, केन्द्रीय गृह मंत्री

11.37 श्री अब्बा मोरो, नाइजीरिया के गृह मंत्री ने दिनांक 13.12.2012 को श्री सुशीलकुमार शिंदे, केन्द्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करके वीज़ा और आप्रवासन संबंधी मामलों पर विचार-विमर्श किया।

दिनांक 13.12.2012 को नई दिल्ली में श्री अब्बा मोरो, आंतरिक मंत्री, नाइजीरिया के साथ केन्द्रीय गृह मंत्री श्री सुशीलकुमार शिंदे की बैठक

11.38 श्री अंतोनिया गुतरेस, यू एन हाई कमिशनर फॉर रिफ्यूजीज़ ने दिनांक 19.12.2012 को श्री सुशीलकुमार शिंदे, केन्द्रीय गृह मंत्री और श्री आर.के. सिंह, केन्द्रीय गृह सचिव से मुलाकात कर शरणार्थियों से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श किया।

11.39 श्री जेसन कीनी, कनाडा के आप्रवासन मंत्री ने दिनांक 10.01.2013 को नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह मंत्री से मुलाकात करके आपसी हित के द्विपक्षीय सुरक्षा मामलों पर विचार-विमर्श किया।

11.40 श्री रॉबर्ट फॉन्बर्ग, नेशनल डिफेंस ऑफ कनाडा के उप मंत्री और श्री फ्रैंकोयस गुइमोन्ट, पब्लिक सेफ्टी ऑफ कनाडा के उपमंत्री ने दिनांक 23.01.2013 को केन्द्रीय गृह सचिव से मुलाकात करके भारत और कनाडा के बीच द्विपक्षीय सुरक्षा मामलों पर विचार-विमर्श किया।

क्षमता निर्माण

11.41 गृह मंत्रालय सिर्फ अपने ही पुलिस बलों के लिए नहीं, बल्कि विदेशी पुलिस कार्मिकों के लिए भी क्षमता-निर्माण के कार्यक्रम संचालित करता है। अप्रैल-दिसम्बर, 2012 की अवधि के दौरान द्विपक्षीय सहयोग के अन्तर्गत अफगानिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मंगोलिया और मालदीव के पुलिस कार्मिकों के लिए और सार्क सचिवालय के माध्यम से नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, अफगानिस्तान तथा श्रीलंका के पुलिस कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों की पेशकश की गई।

11.42 संयुक्त राज्य अमेरिका (यू एस ए) की सरकार ने आतंकवाद-रोधी सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत और एफ बी आई के माध्यम से भारत और यू एस ए के पुलिस अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑफर/संचालित किए हैं। वर्ष 2012-13 (31.12.2012 तक) के दौरान भारत और यू एस ए में कुल 11 पाठ्यक्रम संचालित किए गए। इन पाठ्यक्रमों में 217 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।

वैश्विक शांति का परिरक्षण

11.43 गृह मंत्रालय वैश्विक शांति कायम रखने में यू एन के प्रयासों में भी अपना योगदान करता है। यू एन द्वारा जब कभी भी मांग की जाती है, विभिन्न स्तर के अधिकारियों को सेकेंडमेंट पर भेजा जाता है और अनुरोध किए जाने पर इसके लिए गठित पुलिस टुकड़ियों की भी नियमित तैनाती की जाती है। अप्रैल, 2011 से दिसम्बर, 2012 की अवधि के दौरान, विभिन्न राज्यों, संघ राज्य क्षेत्रों, केन्द्रीय पुलिस संगठनों और केन्द्रीय पुलिस बलों से 96 भारतीय सिवपोल (सिविलियन पुलिस) अधिकारियों को यू एन शांति परिरक्षण मिशनों पर दक्षिण सूडान, तिमोर, हेती, साइप्रस और लाइबेरिया में तैनात किया गया है। वर्तमान

में यू एन शांति परिरक्षण मिशनों पर निम्नलिखित गठित पुलिस टुकड़ियों (एफ पी यू) को तैनात किया गया हैः-

क) कांगो में बी एस एफ और आई टी बी पी दोनों ही से एक-एक।

ख) लाइबेरिया में सी आर पी एफ से दो एफ पी यू (01 पुरूष और 01 महिला)।

ग) हेती में बी एस एफ, सी आई एस एफ और असम राइफल्स से एक-एक करके तीन एफ पी यू।

11.44 दिनांक 24.09.2012 से 13.10.2012 तक विदेश मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई संपूर्ण निधि से एन एस जी प्रशिक्षण केन्द्र, मानेसर, गुड़गांव (हरियाणा) में 30 श्रीलंकाई पुलिस/सुरक्षा बल कार्मिकों के लिए तीन सप्ताह के स्पेशल वी आई पी सिक्योरिटी कैप्सूल ट्रेनिंग का आयोजन किया गया।

सुरक्षा से संबंधित मुद्दे

आंतरिक सुरक्षा के मुद्दों पर अनुसंधान से संबंधित कागजात तैयार किया जाना

11.45 आंतरिक सुरक्षा से संबंधित मुद्दों/क्षेत्रों के बारे में अनुसंधान और नीति संबंधी विश्लेषण करने के उद्देश्य से रक्षा-अध्ययन और विश्लेषण-संस्थान (आई डी एस ए), नई दिल्ली में एक स्थायी कार्यालय स्थापित किया गया है। इस बारे में वार्षिक व्यय के संबंध में वित्तपोषण गृह मंत्रालय कर रहा है।

आपदा प्रबंधन

एशियाई आपदा संबंधी तत्परता केन्द्र (ए डी पी सी), बैंकाक के सहयोग से भारत में एच ओ पी ई और सी ए डी आर ई पाठ्यक्रमों का कार्यान्वयन

11.46 पी ई ई आर क्षेत्रीय नियोजन बैठक में भाग लेने के लिए श्री आर.के. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव (आपदा प्रबंधन), गृह मंत्रालय के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल द्वारा किए गए मनीला और फिलीपींस के दौरे संबंधी अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में और एन डी आर एफ के लिए दो नए पाठ्यक्रमों अर्थात् आपात स्थितियों के लिए अस्पताल की तैयारी (एच ओ पी ई) और आपदा संबंधी प्रतिक्रिया के लिए सामुदायिक कार्रवाई (सी ए डी आर ई) को कार्यान्वित करने के लिए ए डी पी सी, बैंकाक द्वारा की गई पेशकश के अनुसरण में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन डी एम ए), नई दिल्ली में दिनांक 04.08.2011 को एक बैठक आयोजित की गई ताकि भारत में दोनों पाठ्यक्रमों को कार्यान्वित करने की योजना बनाई जा सके। उपर्युक्त बैठक में ए डी पी सी, बैंकाक, स्वास्थ्य मंत्रालय, एन डी एम ए, एन डी आर एफ और अन्य स्टेकहोल्डरों ने भाग लिया। उपर्युक्त बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया कि ए पी डी सी बाढ़, भूकंप आदि जैसी आपदाओं को शामिल करने के लिए उपर्युक्त दोनों पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या की पुनः संरचना करेगा।

11.47 राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एन डी एम ए) तथा एशियाई आपदा संबंधी तत्परता केन्द्र (ए डी पी सी), बैंकाक के प्रतिनिधियों और अन्य स्टेकहोल्डरों के बीच दिनांक 17.08.2012 को एक बैठक का आयोजन किया गया। उपर्युक्त बैठक में यह निर्णय लिया गया कि उपर्युक्त दो पाठ्यक्रमों में लागू करने के लिए (i) आपात स्थितियों के लिए अस्पताल की तैयारी (एच ओ पी ई) और आपदा संबंधी प्रतिक्रिया के लिए सामुदायिक कार्रवाई (सी ए डी आर ई) नामक दो पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या को भविष्य में आयोजित होने वाले पाठ्यक्रमों में कार्यान्वित करने के लिए पुनर्संरचना की जाए। तदनुसार, एन डी आर एफ द्वारा पुनर्संचित सी ए डी आर ई के पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या को भावी पाठ्यक्रमों में कार्यान्वित करने के लिए ए डी पी सी द्वारा स्वीकार कर लिया गया है।

ई ए एस – इंडिया कार्यशाला- 2012

11.48 नवम्बर, 2011 में इंडोनेशिया में आयोजित छठे पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ई ए एस) के दौरान, वर्ष, 2012 में आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्य के बारे में एक ई ए एस कार्यशाला की मेज़बानी करने की भारत की इच्छा के संबंध में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की गई उद्घोषणा पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में गृह मंत्रालय ने दिनांक 08.11.2012 और 09.11.2012 को नई दिल्ली में भूकंप से जुड़े जोखिम के प्रबंधन के लिए एक क्षेत्रीय फ्रेमवर्क तैयार किए जाने के बारे में ई ए एस – इंडिया कार्यशाला की मेज़बानी की।

दिनांक 08-09.11.2012 को नई दिल्ली में आयोजित किए गए आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्य के बारे में ई ए एस कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए श्री सुशीलकुमार शिंदे, केन्द्रीय गृह मंत्री

11.49 केन्द्रीय गृह मंत्री ने उपर्युक्त कार्यशाला का उदघाटन किया। उपर्युक्त कार्यशाला में भारत सहित पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (ई ए एस) के सदस्य राष्ट्रों के राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों के अधिकारियों ने भाग लिया। उपर्युक्त कार्यशाला में अंतरराष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों और भारत के विभिन्न मंत्रालयों, राज्यों, तकनीकी संस्थानों आदि के विशेषज्ञों ने भी भाग लिया।

11.50 इस दो दिवसीय कार्यशाला का उद्देश्य, राष्ट्रीय प्रतिक्रिया के तंत्रों और क्रियाविधियों का प्रयोग करते हुए, अपेक्षित क्षमता कायम किए जाने के बारे में चर्चा करने के लिए ई ए एस के सभी सदस्य राष्ट्रों को साथ लाना; क्षेत्र में एक बड़े भूकंप के बाद क्षेत्रीय प्रतिक्रिया के तंत्र और क्रियाविधियों पर विचारों का आदान-प्रदान करना; क्षेत्र से जुड़े राष्ट्रों से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श करना, ताकि जान-माल और परिसंपत्तियों पर कम से कम प्रभाव पड़ने देने के लिए संभारिकी, प्रतिक्रिया, बचाव, राहत और रिकवरी के मामले में समन्वय में क्षेत्रीय एप्रोच विकसित की जा सके; संवाद में वृद्धि के माध्यम से सहक्रियाशीलता कायम करना तथा सर्वोत्तम प्रैक्टिसेज की सहभागिता के लिए क्षेत्रीय स्तर पर स्टेकहोल्डरों की भागीदारी सुनिश्चित करना और भूकंप के बाद के हालात में अंतरराष्ट्रीय सहायता के लिए संवाद के स्पष्ट चैनलों के गठन के लिए क्षेत्रीय आपात प्रतिक्रिया के विकास की दिशा में एक रोडमैप तैयार करना; प्रशिक्षण देना, आपदा प्रबंधन एवं आपदा के जोखिम में कमी लाने की दृष्टि से क्षमता-निर्माण और ज्ञान का आदान-प्रदान करना; भूकंप के बाद के रिस्पांस और क्षेत्र में समन्वय के लिए संस्थागत फ्रेमवर्क का विकास करना; और क्षेत्र में अनुसंधान एवं ज्ञान पर आधारित संस्थानों के मध्य समन्वय को मजबूती प्रदान करने के लिए आगे का रास्ता तैयार करना है।

11.51 उपर्युक्त कार्यशाला में ''दिल्ली आउटकम ऑन अर्थक्वेक रिस्क रिएक्शन इन ई ए एस मेम्बर कंट्रीज़'' नामक शीर्षक वाला एक परिणामी दस्तावेज़ तैयार किया गया है, जिसे 18.11.2012 तक नोम पेन्ह, कम्बोडिया में आयोजित किए गए 7वें ईस्ट एशिया सम्मिट के दौरान नेताओं के समक्ष रखा गया। नई दिल्ली में ई ए एस भारत आपदा प्रबंधन कार्यशाला की मेजबानी करने की हमारी पहल की 7वें ईस्ट एशिया सम्मिट के दौरान नेताओं द्वारा अत्यधिक प्रशंसा की गई।

भारत सरकार – यू एस ए आई डी द्वारा सहायता प्राप्त आपदा प्रबंधन सहायता (डी एम एस) परियोजना

11.52 भारत सरकार तथा अंतरराष्ट्रीय विकास से संबंधित संयुक्त राज्य एजेंसी (यू एस ए आई डी) के बीच सितम्बर, 2003 में आपदा प्रबंधन सहायता (डी एम एस) परियोजना के बारे में द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए गए, जिसका उद्देश्य आपदाओं के प्रति अत्यधिक संवेदनशीलता की स्थिति में कमी लाना और प्रमुख भारतीय संस्थानों की क्षमता का निर्माण करना है।

11.53 वर्तमान आपदा प्रबंधन सहायता (डी एम एस) परियोजना के अधीन करार की अवधि 31.03.2010 तक थी। कार्यान्वयन का रोडमैप, क्षमता-निर्माण पर, यथाः इन्सिडेंट कमांड सिस्टम (आई सी एस), प्रबंधन एवं शिक्षा प्रणाली की समीक्षा, नागरिक-रक्षा एवं आपदा-संचार हेतु पाठ्यचर्या तैयार करना, रेट्रोफिटिंग परियोजना के लिए दिल्ली सरकार की सहायता और शीघ्र चेतावनी दिए जाने से संबंधित अध्ययन पर फोकस करता है। उपर्युक्त करार की अवधि को 31.03.2010 से बढ़ाकर 31.03.2015 तक कर दिया गया है। उपर्युक्त करार की बढ़ाई गई अवधि के अन्तर्गत आपदा से संबंधित जोखिम में कमी लाने और जलवायु परिवर्तन को एकीकृत करने से संबंधित क्षेत्र में गतिविधियां संचालित की जाएंगी, जिसके लिए यू एस ए आई डी तकनीकी सहायता प्रदान करेगी।

11.54 वर्तमान करार के अन्तर्गत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों (ए टी आई) के अधिकारियों सहित भारत सरकार के अधिकारियों के दो समूहों ने यू एस के अपने काउन्टरपार्ट्स के साथ व्यावसायिक ज्ञान और कौशल का आदान-प्रदान करने के लिए यू एस ए का दौरा किया है, जिसमें इन्सिडेंट कमांड सिस्टम और इमरजेंसी ऑपरेशन्स सेंटर पर विशेष ज़ोर दिया गया।

आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में भारत-रूस-चीन के विशेषज्ञों की 5वीं त्रिपक्षीय बैठक

11.55 चीनी गणतंत्र की सरकार के नागरिक कार्य मंत्रालय द्वारा दिनांक 12.11.2012 से 15.11.2012 तक चेंगदू, सिचुआन प्रांत, चीन में भारत-रूस-चीन के विशेषज्ञों की 5वीं त्रिपक्षीय बैठक का आयोजन किया गया।

11.56 संयुक्त सचिव, गृह मंत्रालय के नेतृत्व में एन डी एम ए तथा इसरो के प्रतिनिधियों के साथ एक तीन सदस्यीय

भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने उपर्युक्त बैठक में भाग लिया। उपर्युक्त बैठक के दौरान सूचना का आदान-प्रदान करने, परस्पर दौरे, कार्मिकों के प्रशिक्षण और बैठकों की संयुक्त रूप से मेजबानी करने, आपदा में कमी लाने और राहत तथा पुनर्निर्माण कार्य जैसे अंतरराष्ट्रीय सहयोग जुटाने के संयुक्त प्रयास करने और क्षेत्रीय आपदा प्रबंधन में सहयोग तथा समन्वय के तंत्र तथा क्रियाविधियों में सुधार करने और प्राकृतिक आपदा की चुनौतियों पर संयुक्त रूप से रिस्पांड करने जैसे मामलों पर सहयोग को आगे और ज्यादा सशक्त करने का निर्णय लिया गया। वर्ष 2013 के दौरान भारत में विशेषज्ञों की छठी बैठक का आयोजन करने का भी निर्णय लिया गया।

11.57 सेंट पीटर्सबर्ग, रूस में दिनांक 07.09.2011 से 09.09.2011 तक आयोजित चौथी त्रिपक्षीय बैठक के दौरान, सहमति से युक्त कार्य योजना के हिस्से के रूप में अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार ने 17.12.2012 से 22.12.2012 तक की अवधि में राष्ट्रीय रिमोट सेन्सिंग सेंटर (एन आर एस सी), हैदराबाद में स्पेस मॉनीटरिंग और बाढ़ एवं सूखा के मूल्यांकन के बारे में एक 05 दिवसीय प्रशिक्षण-कार्यक्रम का संचालन किया।

अंतरराष्ट्रीय पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण, जिनमें एन डी आर एफ के कार्मिकों ने भाग लिया

11.58 कैलेंडर वर्ष 2012-13 के दौरान एन डी आर एफ के कुल 13 अधिकारियों / कार्मिकों ने केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल और न्यूक्लियर (सी बी आर एन) से संबंधित मामलों/भूकंप/अंतरराष्ट्रीय तलाशी और बचाव सलाहकारी ग्रुप (आई एन एस ए आर ए जी)/ अंतरराष्ट्रीय तलाशी और बचाव फोरम आदि से संबंधित विभिन्न विदेशी अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षणों/पाठ्यक्रमों में भाग लिया।

आपदा जोखिम प्रशमन कार्यक्रम (डी आर आर पी) (2009-12)

11.59 भारत सरकार (जी ओ आई)-यू एन डी पी आपदा जोखिम प्रशमन (डी आर आर) कार्यक्रम (2009-12) लगभग 100 करोड़ रूपए के परिव्यय से शुरू किया गया है। डी आर आर कार्यक्रम का उद्देश्य, महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करके केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा की गई पहलों में सहायता करना है, जिससे आपदा जोखिम प्रशमन के प्रयासों की कार्यकुशलता और प्रभावकारिता बढेगी।

11.60 उपर्युक्त कार्यक्रम का प्रयास, मौसम में बदलाव के कारण बढ़ रहे जोखिमों सहित विभिन्न स्तरों पर आपदा जोखिम प्रशमन गतिविधियां संचालित करने के लिए संस्थागत ढ़ांचे को सशक्त करने और रिकवरी के लिए तत्परता विकसित करने का है। उपर्युक्त कार्यक्रम के दो घटक हैं:

(i) आपदा जोखिम प्रशमन के लिए संस्थागत मजबूती और क्षमता-निर्माण

(ii) शहरी जोखिम प्रशमन

11.61 डी आर आर कार्यक्रम, सचिव (सीमा प्रबंधन), गृह मंत्रालय की अध्यक्षता में कार्यक्रम प्रबंधन बोर्ड के समग्र पर्यवेक्षण में कार्यान्वित किया जा रहा है। घटक (i) को लगभग 63 करोड़ रू. के परिव्यय से एन डी एम ए द्वारा 29 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में कार्यान्वित किया जा रहा है और घटक (ii) को 37 करोड़ रू. के परिव्यय से गृह मंत्रालय द्वारा 57 बहु-जोखिम संभावित शहरों में कार्यान्वित किया जा रहा है।

❖❖❖

अध्याय XII महत्वपूर्ण पहलें और योजनाएं

राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना

12.1 'पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना' आतंकवाद और नक्सलवाद आदि के रूप में आंतरिक सुरक्षा के सामने आ रही चुनौतियों से विशेष तौर पर निपटने हेतु गृह मंत्रालय की राज्य पुलिस बलों की क्षमता निर्माण के लिए कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत जिन कुछ प्रमुख मदों को निधियां प्रदान की गईं उनमें ये शामिल हैं: पुलिस थानों, पुलिस चौकियों, पुलिस लाइनों का निर्माण, आवाजाही, सुरक्षा, आधुनिक हथियारों का प्रावधान, सुरक्षा/निगरानी/संचार/विधि-विज्ञान उपकरण, प्रशिक्षण अवसंरचना का उन्नयन, पुलिस आवास, कम्प्यूटरीकरण आदि की सुनिश्चितता।

12.2 राज्यों को पहले क्रमशः 100% और 75% केंद्रीय वित्त-पोषण के साथ 'क' और 'ख' श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। जम्मू और कश्मीर तथा आठ पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम को 'क' श्रेणी और शेष 19 राज्यों को 'ख' श्रेणी में वर्गीकृत किया गया था । पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना आतंकवाद और वामपंथी उग्रवाद की समस्याओं का सामना कर रहे राज्यों पर विशिष्ट ध्यान केंद्रित किए जाने सहित पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को तीव्र करने के उद्देश्य से बनाई गई थी।

12.3 इस योजना में नक्सलवाद से प्रभावित 76 जिलों में प्रारम्भ में 5 वर्षों की अवधि के लिए 2 करोड़ रूपये प्रति प्रभावित जिला प्रति वर्ष की दर से पुलिस अवसंरचना को सुदृढ़ करने के लिए विशेष संघटक को भी शामिल किया गया था। इसी प्रकार, अन्तर्राष्ट्रीय सीमाओं अर्थात भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमाओं पर स्थित 30 जिलों के लिए प्रारम्भ में 5 वर्षों की अवधि के लिए 1 करोड़ रूपये प्रति जिला प्रति वर्ष का प्रावधान किया गया था। वित्तीय वर्ष 2008-09, 2009-10 और 2010-11 में नक्सल प्रभावित जिलों को 100% केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई थी।

12.4 वर्ष 2000-2001 से 2011-2012 के दौरान एम पी एफ योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को जारी की गई केंद्रीय सहायता का ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	वित्तीय वर्ष	जारी की गई राशि
1	2000-01	1,000.00
2	2001-02	1,000.00
3	2002-03	695.00
4	2003-04	705.27
5	2004-05	960.00
6	2005-06	1,025.00
7	2006-07	1,065.22
8	2007-08	1,248.70
9	2008-09	1,157.64
10	2009-10	1,230.00
11	2010-11	1,224.63
12	2011-12	800.00
कुल		**12,111.46**

उद्देश्य

12.5 इस योजना का प्रमुख उद्देश्य वर्ष 2000 में किए गए अध्ययन में पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी पी आर एंड डी) द्वारा निर्धारित किए गए पुलिस प्रशासन के पहलुओं में पहचान की गई विभिन्न कमियों को दूर करना था। इस योजना का दूसरा उद्देश्य, राज्य पुलिस बलों को पर्याप्त रूप से सुसज्जित करके और अपेक्षित प्रशिक्षण देकर आंतरिक सुरक्षा तथा कानून और व्यवस्था की स्थिति को नियंत्रित के लिए राज्य सरकारों की सेना और केंद्रीय अर्ध-सैनिक बलों पर निर्भरता को कम करना था। इस योजना में मुख्य रूप से पुलिस थानों के निर्माण, पुलिस थानों में आवाजाही के अपेक्षित साधनों की व्यवस्था, आधुनिक हथियार, संचार उपकरण, विधि-विज्ञान स्थापना, आवास आदि उपलब्ध कराके

पुलिस अवसंरचना को अग्रणी स्तर पर सुदृढ़ करने पर बल दिया गया था।

योजना का प्रभाव

12.6 इस योजना का सभी राज्यों में प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ा और इससे पुलिस आधुनिकीकरण को अत्यधिक जरूरी सहायता और गति मिली। अपेक्षित सुविधाओं से परिपूर्ण पुलिस थानों/बाह्य चौकियों के लिए उचित भवनों में सुरक्षित, संरक्षित और आरामदायक वातावरण उपलब्ध कराया गया है, पुलिस कार्मिकों के लिए आवासों के निर्माण और आधुनिक शस्त्रों की उपलब्धता ने, विशेष रूप से उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों में, उनके मनोबल में काफी वृद्धि की है। निश्चित स्तर पर वाहनों की संवर्धित उपलब्धता से आवाजाही में सुधार हुआ है और कार्रवाई करने के समय में कमी आई है।

योजना का अनुवीक्षण तंत्र

12.7 भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (सी एंड ए जी) ने योजना की क्षमता का आकलन करने के लिए 16 राज्यों में वैयक्तिक निष्पादन लेखा-परीक्षा समीक्षाओं के माध्यम से एक व्यापक लेखापरीक्षा करने का कार्य प्रारंभ किया था। सी एंड ए जी ने गृह मंत्रालय को ''भारत में पुलिस बल के आधुनिकीकरण का लेखापरीक्षा मूल्यांकन-निष्पादन लेखा परीक्षा समीक्षा का सार संग्रह-जनवरी 2009'' नामक रिपोर्ट प्रस्तुत की जिसमें 16 राज्यों की रिपोर्टें हैं। इस रिपोर्ट में सी एंड ए जी ने यह संस्तुति की है कि गृह मंत्रालय को इस योजना के अन्तर्गत मंजूर और जारी की गई निधियों के समयबद्ध और उपयुक्त इस्तेमाल का अनुवीक्षण करने के लिए कोई व्यवस्था स्थापित करनी चाहिए। तदनुसार, गृह मंत्रालय में एम पी एफ योजना की समवर्ती लेखापरीक्षा प्रारंभ की गई है जो मार्च, 2009 से प्रभावी है। वर्ष 2010-11 और वर्ष 2011-2012 की सभी तिमाहियों के लिए एमपीएफ योजना की निधियों की तिमाही समवर्ती लेखापरीक्षा पूरी कर ली गई है और लेखापरीक्षा रिपोर्टें संबंधित राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं।

पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के प्रभाव के मूल्यांकन पर पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी पी आर एण्ड डी) द्वारा अध्ययन

12.8 गृह मंत्रालय द्वारा पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो को राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के प्रभाव पर एक समग्र अध्ययन करने और अगले 5-10 वर्षों में राज्य पुलिस बलों की आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने का भी काम सौंपा गया था ताकि वर्ष 2009-10 के बाद योजना को आगे जारी रखने के बारे में निर्णय लिया जा सके।

12.9 पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने यह अध्ययन मैसर्स अर्नेस्ट एण्ड यंग प्राइवेट लिमिटेड को आउटसोर्स किया था। मैसर्स अर्नेस्ट एण्ड यंग प्राइवेट लिमिटेड ने जनवरी 2010 से मार्च 2010 तक आठ चुनिन्दा राज्यों (राजस्थान, छत्तीसगढ़, ओडिशा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, आंध्र प्रदेश और असम) और दो संघ राज्य क्षेत्रों (दमन और दीव और चण्डीगढ़) का दौरा किया और राज्यों के विभिन्न स्तर के पुलिस, राज्य के गृह विभाग और वित्त विभाग के कर्मचारियों सहित प्रमुख हितधारियों के साथ बैठकें कीं और विचार-विमर्श किया। मैसर्स अर्नेस्ट एण्ड यंग प्रा0लि0 ने बी पी आर एण्ड डी को दिनांक 31.03.2010 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। बी पी आर एण्ड डी ने मैसर्स अर्नेस्ट एण्ड यंग प्रा0 लि0 की रिपोर्ट मई 2010 में गृह मंत्रालय को तीन खण्डों में भेजी थी।

12.10 चूंकि संशोधित योजना को बनाने में काफी समय लग रहा था, इसलिए इस योजना को दो बार अर्थात वर्ष 2010-11 और वर्ष 2011-12 के लिए बढ़ाया गया था। उसी समय योजना को वर्ष 2012-13 से 5 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने का प्रस्ताव भी रखा गया था। योजना को वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 तक अगले 5 वर्ष के लिए बढ़ाए जाने का प्रस्ताव तैयार करते समय मैसर्स अर्नेस्ट एण्ड यंग प्राइवेट लि0 के निष्कर्षों को ध्यान में रखा गया था।

पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना को वर्ष 2011-12 से जारी रखना

12.11 पुलिस आधुनिकीकरण की योजना को आंशिक रुप से गैर-योजना और आंशिक रुप से योजनागत व्यय के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 से वर्ष 2016-17 तक 5 वर्ष की और अवधि के लिए बढ़ा दिया गया है।

12.12 चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में इस योजना के लिए गैर-योजना के अन्तर्गत 300 करोड़ रुपए का बजटीय प्रावधान उपलब्ध कराया गया है।

12.13 योजना को वर्ष 2012-13 से आगे बढ़ाए जाने का अनुमोदन लम्बित होने के कारण वर्ष 2012-13 के लिए राज्यों की एम पी एफ वार्षिक कार्य योजनाओं पर विचार करने की कार्रवाई गृह मंत्रालय में अग्रिम रुप से शुरु कर दी गई थी।

राज्यों से वार्षिक कार्य योजनाएं 15.04.2012 तक मांगी गई थीं। गृह मंत्रालय में जून-सितम्बर 2012 के दौरान हुई उच्च शक्ति प्राप्त समिति की बैठकों में राज्यों की वार्षिक कार्य योजना पर विचार किया गया और कुछ संशोधनों के साथ ''सैद्धान्तिक रुप में'' अनुमोदित कर दिया गया था। अधिकांश राज्यों द्वारा भेजी गई संशोधित कार्य योजनाएं गृह मंत्रालय की उच्च शक्ति प्राप्त समिति द्वारा अनुमोदित कर दी गई हैं।

12.14 चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए एम पी एफ योजना के लिए गैर-योजना के अन्तर्गत किए गए 300 करोड़ रूपए के बजटीय प्रावधान में से 282.10 करोड़ रूपए की राशि फरवरी, 2013 तक एमपीएफ योजना के अन्तर्गत राज्यों को अनुदान सहायता के रूप में जारी कर दी गई है। चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 में एमपीएफ योजना के लिए कोई योजनागत बजटीय प्रावधान नहीं किया गया है।

बडे शहरों की पुलिस व्यवस्था

12.15 बड़े शहरों की पुलिस व्यवस्था वर्ष 2012-13 से पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की गैर-योजना के उप-भाग (सब-सेट) के रुप में जारी रखी जाएगी और 60:40 के अनुपात में लागत की भागीदारी के आधार पर वित्तपोषित की जाएगी। अहमदाबाद, मुम्बई, चेन्नई, हैदराबाद, कोलकाता और बेंगलुरु जैसे बड़े शहरों की राज्य पुलिस सम्बन्धी आवश्यकताओं का वित्तपोषण दो वर्ष के लिए बड़े शहरों की पुलिस व्यवस्था के अन्तर्गत किया जाएगा।

विशेष शाखाओं का सुदृढ़ीकरण

12.16 राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अधीन राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में विशेष शाखाओं/आसूचना तंत्र को आधुनिक उपकरणों, संचार के यांत्रिक उपकरणों आदि के सुदृढ़ीकरण के लिए भी सहायता दी जाती है। जब कभी एम पी एफ योजना के अधीन राज्यों की वार्षिक कार्य योजना में इस घटक को शामिल किया गया, तब राज्य सरकारों को निधियां प्रदान की गई हैं।

अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली (सी सी टी एन एस)

12.17 अपराध एवं अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और प्रणाली गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना की मिशन मोड परियोजना है। इस परियोजना का उद्देश्य सही समय पर अपराध एवं अपराधी संबंधी सूचना का आदान-प्रदान करने के लिए देश के 28 राज्यों एवं 7 संघ राज्य क्षेत्रों के 15,000 से अधिक पुलिस स्टेशनों एवं लगभग 6,000 बड़े कार्यालयों को जोड़ने हेतु एक व्यापक एवं एकीकृत प्रणाली एवं एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क सोल्यूशन सृजित करना है। इसके अतिरिक्त, इस परियोजना में राज्यों और केन्द्र दोनों ही स्तरों पर एक विस्तृत और मजबूत निगरानी और समन्वय तंत्र और सख्त शासन ढांचा स्थापित करने की परिकल्पना की गई है ताकि इस परियोजना के परिणाम और लक्ष्य प्राप्त हो सकें।

12.18 इस परियोजना की संकल्पना 'केन्द्रीकृत आयोजना एवं विकेंद्रित कार्यान्वयन' के सिद्धांत के आधार पर की गई है। कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर (सी ए एस) को केंद्रीय स्तर पर सामान्य परिभाषाओं, योजना एवं विनिर्देशों के साथ विकसित किया जा रहा है जिसे राज्य विशेष की जरूरत के अनुरूप राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सौंपा जाएगा। तथापि, ऐसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, जिनको उनके मौजूदा एप्लीकेशनों पर चलाते रहने की अनुमति दी गई है, को सी ए एस के साथ सूचना के आदान-प्रदान को सुगम बनाने के लिए अपने मौजूदा साफ्टवेयर को अनुकूल बनाना होता है।

12.19 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजना के कार्यान्वयन में पूर्ण प्रचालनात्मक स्वतंत्रता है। कार्यान्वयन कई सेवाओं के जरिए किया जाता है जिसमें सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सिस्टम इन्टीग्रेटर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ सेवा स्तरीय किए गए करारों द्वारा यथा परिभाषित सभी आवश्यक सेवाएँ कार्यान्वित करते हैं। परियोजना की गुणवत्ता और समय पर इसका पूरा किया जाना सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न समितियों के साथ एक सुदृढ़ शासन तंत्र भी सी सी टी एन एस परियोजना के भाग के रूप में सृजित किया गया है।

सी सी टी एन एस के उद्देश्य

12.20 सी सी टी एन एस परियोजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं:

(i) पुलिस स्टेशनों के स्तर पर और विभिन्न स्तरों पर अन्य पुलिस कार्यालयों की प्रक्रियाओं एवं कार्यों को स्वचालित करके पुलिस के कार्यकरण को नागरिक हितैषी, पारदर्शी, जवाबदेह, प्रभावी एवं दक्ष बनाना।

(ii) सूचना एवं संप्रेषण प्रौद्योगिकी के प्रभावी उपयोग से नागरिक-केंद्रित सेवाएँ प्रदान करने के कार्य में सुधार लाना।

(iii) पुलिस द्वारा अपराध की तेज एवं और अधिक सही जाँच-पड़ताल करने एवं अपराधियों का पता लगाने के कार्य को सुविधाजनक बनाने के लिए उनको साधन, प्रौद्योगिकी एवं सूचना उपलब्ध कराना।

(iv) कानून एवं व्यवस्था, यातायात प्रबंधन, संगठित अपराधों को रोकने, संसाधन प्रबंधन आदि जैसे अन्य विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस के कार्यकरण में सुधार करना।

(v) भारत सरकार के स्तर सहित पुलिस स्टेशनों, जिलों, राज्य मुख्यालयों एवं अन्य संगठनों/एजेंसियों के स्तर पर सूचना के संग्रहण, संचयन, पुनःप्राप्ति, विश्लेषण, अंतरण एवं आदान-प्रदान के कार्य को सुगम बनाना।

(vi) पुलिस बल के बेहतर प्रबंधन में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को समर्थ बनाना ।

(vii) न्यायालयों में मामलों की प्रगति सहित अपराध एवं आपराधिक जाँच-पड़ताल एवं अभियोजन के मामलों की प्रगति की जानकारी रखना।

(viii) रिकार्ड रखने के मैनुअल एवं अनावश्यक तरीके में कमी करना।

सी सी टी एन एस के अन्तर्गत ई-सेवाएं

12.21 सी सी टी एन एस परियोजना का उद्देश्य नागरिकों को आनलाइन सेवाएँ प्रदान करना है। इसकी संकेतात्मक ई-सेवाएं जिन्हें अभी पूरा किया जाना है नीचे दी गई हैः-

(i) संबंधित पुलिस स्टेशनों में शिकायतें/सूचना दर्ज करना।

(ii) पुलिस स्टेशन में की गई शिकायत या दर्ज किए गए मामले की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त करना।

(iii) प्राथमिकियों, शव-परीक्षा रिपोर्टों एवं अन्य अनुमत्य दस्तावेजों की प्रतियाँ प्राप्त करना।

(iv) गिरफ्तार व्यक्तियों/वांछित अपराधियों एवं उनके गैर-कानूनी क्रियाकलापों आदि के ब्यौरे।

(v) लापता/अपहृत व्यक्तियों के ब्यौरे एवं गिरफ्तार किए गए, बिना पहचान किए गए व्यक्तियों एवं शवों से उनका मिलान करना।

(vi) चोरी/बरामद किए गए वाहनों, शस्त्रों एवं अन्य संपत्तियों के ब्यौरे।

(vii) विभिन्न बेबाकी प्रमाण पत्रों, स्वीकृतियों एवं अनुमतियों को जारी करने/उनके नवीकरण हेतु अनुरोध भेजना तथा ऐसे अनुरोधों की आनलाइन स्थिति।

(viii) नौकरों, रोजगार, पासपोर्ट, वरिष्ठ नागरिक के पंजीकरणों आदि हेतु अनुरोधों का सत्यापन करना।

(ix) सूचना का आदान-प्रदान एवं अपेक्षित फार्मों/प्रमाण पत्रों आदि को डाउनलोड करने में नागरिकों को सक्षम बनाने के लिए पोर्टल।

प्रमुख माइलस्टोन उपलब्धियां

12.22 सी सी टी एन एस योजना के अन्तर्गत प्रमुख माइलस्टोन उपलब्धियों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैंः-

(क) जून, 2010 में क्षमता निर्माण अवसंरचना और प्रशिक्षण शुरु करना।

(ख) जुलाई, 2010 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा गृह मंत्रालय को राज्य योजनाएं प्रस्तुत करना और उनकी समीक्षा करना।

(ग) केन्द्रीय परियोजना प्रबन्धन परामर्शदाताओं (सी पी एम सी) और राज्य परियोजना प्रबन्धन परामर्शदाताओं (एस पी एम सी) की नियुक्ति करना।

(घ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सी सी टी एन एस परियोजना की मानिटरिंग और कार्यान्वयन रिपोर्टें तैयार करना और गृह मंत्रालय को प्रस्तुत करना।

(ड.) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एन सीआर बी) द्वारा साफ्टवेयर विकास एजेन्सी (एस डी ए) की नियुक्ति करना।

(च) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो/गृह मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय परियोजना प्रबन्धन यूनिट (सी पी एम यू) की नियुक्ति।

(छ) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो/गृह मंत्रालय द्वारा परियोजना के कार्यान्वयन एवं निगरानी (पी आई एम) का मूल्यांकन और अनुमोदन।

(ज) सी सी टी एन एस परियोजना के कार्यान्वयन के लिए प्रायोगिक राज्यों का निर्णय करना। प्रायोगिक राज्यों के लिए कार्यशालाएं।

(झ) माडल आर एफ पी जारी करने के लिए राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ सिस्टम इंटीग्रेटरों (एस आई) का चयन करना। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र कस्टमाइज्ड एस आई, आर एफ पी जारी करना और तत्पश्चात राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में एस आई का चयन करना।

(ञ) एस डी ए द्वारा सी सी टी एन एस कोर एप्लीकेशन साफ्टवेयर का डिजाइन बनाना और विकसित करना। अक्तूबर 2012 में एस डी ए द्वारा सी ए एस की पहली रचना (फस्ट बिल्ड) जारी करना

(ट) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ सी ए एस का प्रयोक्ता स्वीकार्य परीक्षण (यूजर एक्सेप्टेंस टेस्टिंग)

(ठ) राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को डाटा माइग्रेशन युटिलिटी जारी करना।

(ड) सी सी टी एन एस परियोजना के लिए नेटवर्क संयोजन एजेन्सी (बी एस एन एल) की नियुक्ति। बी एस एन एल द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में स्थलों (साइट) का सर्वेक्षण पूरा करना और नई दिल्ली में सी सी टी एन एस राष्ट्रीय डाटा सेन्टर की स्थापना।

(ढ) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सी सी टी एन एस नेटवर्क तैयार करना।

(ण) साफ्टवेयर टेस्टिंग क्वालिटी कन्ट्रोल (एस टी क्यू सी) द्वारा सी ए एस की प्रमाणीकरण प्रक्रिया शुरु करना।

वर्तमान स्थिति

12.23 परियोजना की वर्तमान प्रगति की स्थिति दर्शाने वाली प्रमुख उपलब्धियां नीचे दी गई है:-

(i) सिस्टम इंटीग्रेटर (एस आई) का चयनः 28 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने अपने अपने सम्बन्धित एस आई संविदाओं पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के एस आई एस द्वारा स्रोत लगा दिए गए हैं और कार्य शुरु हो गया है।

(ii) राज्य परियोजना प्रबन्धन इकाइयों (एस पी एम यू एस) का चयनः 30 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने-अपने सम्बन्धित एस पी एम यू के साथ संविदाओं पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा अपने संसाधन लगा दिए गए हैं और कार्य शुरु हो गया है।

(iii) नई दिल्ली, शास्त्री पार्क में राष्ट्रीय डाटा केन्द्र (एन डी सी) स्थापित किया गया है।

(iv) दोनों केन्द्रों के बीच संयोजन स्थापित हो जाने के पश्चात एन डी सी आपदा वसूली केन्द्र (डी आर सी) के आंकड़ों की प्रतिकृति का कार्यान्वयन किया जाना है।

(v) नेटवर्क संयोजनः राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में नेटवर्क संयोजन सर्वेक्षण पूरा होने के बाद नेटवर्किंग एजेन्सी (बी एस एन एल) द्वारा 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ सेवा स्तर करारों (एस एल ए एस) पर हस्ताक्षर किए गए हैं और 8 राज्यों को स्वान संयोजकता (एसडब्ल्यूएएन कनेक्टिविटी) की अनुमति दे दी गई है अथवा उनके पास पहले ही से प्रचालनात्मक नेटवर्क है।

(vi) क्षमता निर्माण (अवसंरचना-जिला प्रशिक्षण केन्द्र (डीटीसी), क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र (आर टी सी), पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र (पी टी सी), राज्य अपराध रिकार्ड ब्यूरो (एस सी आर बी): 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पूरा हो गया है।

(vii) क्षमता निर्माण (प्रशिक्षण): कुल 703781 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया गया है ।

(viii) 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जिला मिशन दलों का गठन पूरा हो गया है।

(ix) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सी सी टी एन एस के अन्तर्गत अनुदान सहायता के रुप में कुल 428.60 करोड़ रुपए की निधियां जारी की गई हैं। इनमें से 31.12.2012 तक 15.92 करोड़ रुपए का उपयोग कर लिया गया है।

(x) 16 सी सी टी एन एस राज्य डाटा केन्द्र चालू हो गए हैं।

(xi) सी ए एस में बहुभाषी आवश्यकता के लिए सी-डेक के साथ प्रूफ आफ कान्सेप्ट (पी ओ सी) पूरा हो गया है और इसका प्रदर्शन 09.09.2012 को किया गया था।

12.24 प्रायोगिक आधार पर सी सी टी एन एस दिनांक 4.01.2013 को शुरु किया गया था।

केन्द्रीय गृह मंत्री, श्री सुशीलकुमार शिंदे 4.1.2013 को सीसीटीएनएस प्रायोगिक कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए

नेशनल पुलिस मिशन (एन पी एम)

12.25 पुलिस महानिदेशकों/पुलिस महानिरीक्षकों के सम्मेलन (06.10. 2005) में अपने सम्बोधन में प्रधानमंत्री ने सरकार द्वारा एक पुलिस मिशन स्थापित किए जाने के आशय की घोषणा की । यह राष्ट्रीय पुलिस मिशन (एनपीएम) देश में पुलिस बलों को आवश्यक सामग्री, बौद्धिक और संगठनात्मक संसाधनों से युक्त करके उन्हें आतंरिक सुरक्षा के अनुरक्षण और चुनौतियों का सामना करने के लिए एक प्रभावी तंत्र के रूप में परिवर्तित करेगा।

12.26 एक टू-टायर सिस्टम बनाया गया है जिसमें गृह मंत्री की अध्यक्षता में शक्ति प्राप्त संचालन समूह (ई एस जी) और इसके अधीन गृह सचिव की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समिति (ईसी) गठित की गई है। एन पी एम के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए निम्नलिखित छः माइक्रो मिशन स्थापित किए गए हैं:-

(i) **माइक्रो मिशनः 01 मानव संसाधन विकास**

(पुलिस जनसंख्या अनुपात-कैरियर में उन्नति-नेतृत्व-जवाबदेही - निष्पादन मूल्यांकन - प्रशिक्षण - व्यवहार परिवर्तन, पुलिस कर्मियों का कल्याण-पुलिस विश्वविद्यालय आदि)

(ii) **माइक्रो मिशनः 02 सामुदायिक पुलिस व्यवस्था**

(पुलिस व्यवस्था में समुदाय को शामिल करना-मीडिया, उद्योग तथा अन्य संगत क्षेत्रों के साथ पुलिस का परस्पर सम्पर्क-पुलिस की छवि आदि)

(iii) **माइक्रो मिशनः 03 संचार एवं प्रौद्योगिकी**

(पोलनेट-सीपा-साइबर तकनीक फारेंसिक साइन्स-डी एन ए-नारको एनालिसिस आदि)

(iv) **माइक्रो मिशनः 04 अवसंरचना**

(भवन-कार्यालयी एवं आवासीय-उपकरण तथा हथियार आदि)

(v) **माइक्रो मिशनः 05 नई प्रक्रियाएं (प्रक्रिया इंजीनियरी)**

(इस समय चल रही पुलिस प्रथाएं-समीक्षा एवं परिणाम का विश्लेषण-विद्यमान बेहतर प्रथाएं-भारत में एवं अन्यत्र नवोन्मेष तथा उनका अपनाया जाना-प्रापण की प्रक्रियाएं प्रत्यायोजन एवं विकेन्द्रीकरण आदि)

(vi) **माइक्रो मिशनः 06 सकारात्मक पुलिस व्यवस्था तथा भावी चुनौतियों का अनुमान लगाया जाना**

(उग्रवाद एवं नक्सलवाद - उत्तेजित भीड़ की हिंसा - साइबर अपराध-धनशोधन-नार्को आतंकवाद-मानव तस्करी, आदि)

12.27 माइक्रो मिशनों ने एन पी एम के अन्तर्गत विचार किए जाने के लिए 11 विशिष्ट परियोजनाओं की सिफारिश की है। माइक्रो मिशनों की निम्नलिखित परियोजनाएं कार्यान्वित किए जाने के लिए अनुमोदित की गई हैं:-

(i) पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया (टीआरपी)

12.28 इस परियोजना का उद्देश्य सरल एवं सुपरिभाषित प्रक्रियाएं लागू करके और ओ एम आर शीट, लम्बाई और वजन की डिजिटल रिकार्डिंग, आर एफ आई डी चिप्स, सी सी टी वी, वीडियोग्राफी और बायोमीट्रिक डिवाइस आदि जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके, स्पष्ट, निष्पक्ष, पारदर्शी, वस्तुपरक, अभेद्य (टैम्पर प्रूफ), वैज्ञानिक और योग्यता पर आधारित पुलिस कर्मियों की भर्ती सुनिश्चित करना है।

12.29 केंद्रीय गृह मंत्री ने सभी मुख्य मंत्रियों को टी आर पी कार्यान्वित करने के लिए पत्र लिखा है। बी पी आर एण्ड डी ने परियोजना की सी डी सहित उक्त पत्र सभी राज्यों के पुलिस महानिदेशकों को भी भेजा था। प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए एक मानीटरिंग प्रारूप (प्रोफार्मा) भी तैयार किया गया है। कार्यान्वयन की प्रगति पर चर्चा करने के लिए दिनांक 13.4.2011 को बी पी आर एण्ड डी में एक कार्यशाला आयोजित की गई थी जिसमें बी एस एफ, आई टी बी पी, सी आर पी एफ, सी आई एस एफ, एस एस बी, आई बी एवं आर पी एफ के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भर्ती के विभिन्न चरणों के दौरान प्रयुक्त तकनीकी उपकरणों, उत्पादों एवं सेवाओं से संबंधित कार्य करने वाले 15 वेंडरों द्वारा दी गई प्रस्तुति को देखने के लिए बी पी आर एवं डी में दिनांक 02.08.2011 और 03.08.2011 को टी आर पी पर एक बैठक आयोजित की गई। बी पी आर एण्ड डी ने वेंडरों की सूची राज्यों को संप्रेषित कर दी थी। 6 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 90% से अधिक टी आर पी की विशेषताएं अपनाने का दावा किया है। 13 राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों ने 10% से 40% तक टी आर पी की विशेषताएं अपनाने का दावा किया है। हरियाणा और मिजोरम द्वारा कोई टी आर पी नहीं अपनाई गई है। चूककर्ता राज्यों को केन्द्रीय गृह मंत्री के दिनांक 31.10.2012 के अनुस्मारक के तहत टी आर पी की विशेषताएं अपनाने के लिए अनुस्मारक भेजा गया है।

12.30 बहुत से राज्यों द्वारा मांग की गई है कि प्रौद्योगिकी के प्रापण हेतु वित्त की व्यवस्था केन्द्र द्वारा की जाए। बीपीआरएण्डडी का यह सुझाव स्वीकार कर लिया गया है कि टी आर पी की विशेषताओं को अपनाने के लिए प्रौद्योगिकियों (गैर-आवर्ती) की लागत को पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के अन्तर्गत पुलिस आधुनिकीकरण के लिए उनकी वार्षिक कार्य योजनाओं से वित्त पोषित किया जा सकता है।

(ii) सामुदायिक परामर्शी केन्द्र (सी सी सी)

12.31 इस परियोजना का उद्देश्य स्वैच्छिक संगठनों और अन्य कुशल व्यक्तियों और व्यावसायिक परामर्शदाताओं की भागीदारी से महिलाओं, बच्चों और समाज के अन्य संवेदनशील वर्गों पर प्रतिकूल

प्रभाव डालने वाले परस्पर विरोधों के समाधान को सुकर बनाना है।

12.32 यह परियोजना फिक्की के सहयोग से सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पी पी पी) मोड में कार्यान्वित की जा रही है। प्रारंभ में राजस्थान, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, हरियाणा और ओडिशा में कुल पाँच सी सी सी स्थापित करने का प्रस्ताव था। तथापि, फिक्की, प्रायोजक प्राप्त करने में सफल नहीं हुआ और अब तक केवल तीन सी सी सी के लिए ही सम्पर्क स्थापित किया जा सका है। महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के साथ हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया चल रही है। मुम्बई पुलिस ने इस आधार पर सी सी सी स्थापित करने से मना कर दिया है कि वे पहले से ही सी सी सी चला रहे हैं।

(iii) पुलिस कार्मिक के लिए सॉफ्ट कौशल प्रशिक्षण माड्यूल

12.33 इस परियोजना का उद्देश्य पुलिस कर्मियों को नागरिकों के अनुकूल और सेवा अभिमुखी बनाने और उनमें सकारात्मक और सहायक की भावना विकसित करने के लिए उनके विचारों और व्यवहार में सुधार लाना है।

12.34 सार्वजनिक -निजी भागीदारी में प्रायोगिक कार्य करने के लिए पंजाब एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के राज्यों की पहचान की गई है। प्रबंध विकास संस्थान (एम डी आई), गुड़गाँव द्वारा आवश्यकता का विश्लेषण किया गया है। फिक्की ने प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में जी 4 एस को अभिहित किया है। पंजाब में प्रायोगिक प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। उप-निरीक्षकों एवं उससे उपर के अधिकारियों के लिए 5 दिवसीय प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण और कांस्टेबल/हेड कांस्टेबल एवं सहायक उप निरीक्षकों के लिए 3 दिवसीय माड्यूल की परिकल्पना की गई है। पंजाब पुलिस अकादमी, फिल्लौर में दिसंबर, 2010 में दो प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए थे। अब तक लुधियाना में 3 टी ओ टी एवं 7 नियमित पाठ्यक्रम आयोजित किए गए हैं तथा तथा 250 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। दिल्ली पुलिस के 37 पुलिस कार्मिकों के लिए साफ्ट कौशल कार्यक्रम (दूसरा प्रायोगिक कार्यक्रम) दिनांक 26.07.2011 से 28.07.2011 तक आयोजित किया गया था। लुधियाना में प्रभाव का अध्ययन करने के पश्चात इस परियोजना का स्तरोन्नयन करने का प्रस्ताव है।

(iv) घटना पर प्रभावकारी कार्रवाई हेतु डायल 100

12.35 इसका प्रयोजन आधुनिक नियंत्रण कक्ष कंप्यूटरीकृत प्रेषण, जी पी एस से लैस वाहन आदि प्रदान करके सक्रिय पुलिस कार्रवाई प्रबंधन शुरू करने का है। चेन्नई हैदराबाद, श्रीनगर एवं गुवाहाटी को प्रायोगिक कार्यक्रमों के लिए चुना गया है।

12.36 हैदराबाद के लिए एक प्रारूप परियोजना रिपोर्ट तैयार करने के लिए मैसर्स आप्टीमल साल्यूशन एण्ड टेक्नोलाजीज (ओ एस टी) नामक यू एस आधारित कंपनी को कार्य सौंपा गया है। ओ एस टी के प्रतिनिधियों ने दिनांक 17.06.2011 को बी पी आर एण्ड डी के समक्ष प्रस्तुति दी। एकीकृत आपातकालीन संप्रेषण प्रणालियों (आई ई सी एस) की संकल्पनात्मक डिजाइन की ब्रीफिंग पर ओ एस टी की प्रस्तुति को देखने के लिए दिनांक 02.09.2011 को पुलिस मुख्यालय, हैदराबाद में विभिन्न हितधारकों की बैठक आयोजित की गई थी।

12.37 बी पी आर एण्ड डी द्वारा तकनीकी विशेषज्ञों की एक समिति इस अधिदेश के साथ गठित की गई है कि पहले चरण में यह समिति इस बात की जांच करेगी कि क्या ओ एस टी द्वारा ओ एस टी, यू एस टी डी ए और गृह मत्रांलय के बीच हुए करार के अनुसरण में हैदराबाद के लिए सम्भाव्यता/व्यवहार्यता रिपोर्ट तैयार करने का उसे सौंपा गया कार्य सन्तोषजनक रुप से पूरा कर लिया है। समिति द्वारा ओएसटी के प्रतिनिधियों सहित दिनांक 25.09.2012 और 26.09.2012 को हैदराबाद में और 30.10.2012 को नई दिल्ली में बैठक की गई थी।

कारागारों का आधुनिकीरण

12.38 केन्द्रीय सरकार ने वर्ष 2002-2003 में 27 राज्यों में 1800 करोड़ रुपए के परिव्यय से केन्द्र और राज्य सरकारों के बीच क्रमशः 75:25 के अनुपात में लागत की भागीदारी के आधार पर एक गैर-योजना स्कीम लागू की थी, जो जेलों में भीड़भाड कम करने के लिए नई जेलों के निर्माण, जेलों की मरम्मत, नवीकरण और मौजूदा जेलों में अतिरिक्त बैरकों के निर्माण, सफाई और जल आपूर्ति में सुधार करने और जेल कार्मिकों के रहने के लिए आवास के निर्माण के लिए थी। यह स्कीम दिनांक 31.03.2009 को समाप्त हो गई थी।

12.39 कारागारों के आधुनिकीकरण की स्कीम के परिणामस्वरुप राज्य सरकारों द्वारा अब तक निम्नलिखित अवसंरचना सृजित की गई हैः-

(i)	नई जेलों का निर्माण	-	125
(ii)	अतिरिक्त बैरकों का निर्माण	-	1,579
(iii)	स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण	-	8,658

सुधारात्मक प्रशासन संस्थान

12.40 कारागार प्रशासन की गुणवत्ता में सुधार करने और कारागार कार्मिकों को प्रशिक्षण देने के लिए भारत

सरकार ने वर्ष 1989 में केन्द्र से सम्पूर्ण वित्तीय सहायता से चंडीगढ़ में सुधारात्मक प्रशासन संस्थान की स्थापना की थी। सुधारात्मक प्रशासन संस्थान, चंडीगढ़ सम्पूर्ण भारत के, विशेषकर हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ आदि जैसे पड़ोसी राज्यों के कारागार कार्मिकों को प्रशिक्षण देता है।

12.41 वर्ष 2012 के दौरान संस्थान द्वारा रॉयल भूटान पुलिस के कार्मिकों सहित और डाक्टरों सहित सहायक अधीक्षक से डी आई जी/ए आई जी रैंक तक के विभिन्न रैंकों के कुल 404 अधिकारियों को विभिन्न विषयों पर 22 पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया गया। संस्थान ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विशेष अनुरोध पर ''कारागारों के लिए निरीक्षण प्रारुप'' भी तैयार किया है। इस प्रारुप को देश भर में स्वीकार किया गया है। वर्ष 2012 के दौरान ''कारागार सुरक्षा प्रबन्धन (मुम्बई)'', ''कैदी पुनः एकीकरण और भारत में प्रति कारागार का उपयोग, (जयपुर)'', ''21वीं शताब्दी में कारागार प्रबन्धन (शिमला)'' और ''अपराधियों के पुनः एकीकरण में कारागार प्रशासन की भूमिका (पुणे)'' ''नामक 4 आउटरीच ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित किए गए। वर्ष 2012 में पंजाब विश्वविद्यालय, टी आई एस एस मुम्बई, नेशनल लॉ युनिवर्सिटी, दिल्ली युनिवर्सिटी के 8 अतरंग डाक्टरों ने संस्थान से इन्टर्नशिप की।

12.42 इसके अलावा, वेल्लूर, तमिलनाडु में भी क्षेत्रीय सुधारात्मक प्रशासन संस्थान, जिसका नामकरण कारागार और सुधारात्मक प्रशासन अकादमी (एपीसीए) के रूप में किया गया है, कार्य कर रहा है। उक्त अकादमी को आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से वित्तपोषित किया जा रहा है। गृह मंत्रालय ने संस्थान की स्थापना के लिए एक बारगी अनुदान उपलब्ध कराया था। यह संस्थान निम्नलिखित प्रकार के कार्यक्रम चला रहा है (क) नौ मास और एक वर्ष का बुनियादी पाठ्यक्रम, (ख) 3 मास और 6 मास का सेवाकालीन पाठ्यक्रम, (ग) एक मास का पाठ्यक्रम और (घ) लघु अवधि पाठ्यक्रम। वर्ष 1979 में अपने प्रारम्भ से अब तक संस्थान द्वारा 3,641 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

12.43 पश्चिम बंगाल राज्य सरकार ने हाल ही में पूर्वोत्तर राज्यों की भागीदारी से कोलकाता में क्षेत्रीय सुधारात्मक प्रशासन संस्थान की स्थापना की है जिसके लिए भारत सरकार ने 1.55 करोड़ रूपए का एक बारगी अनुदान प्रदान किया है।

सुधारात्मक सेवा पदक

12.44 अखिल भारतीय जेल सुधार समिति (1980-83) ने सिफारिश की थी कि भारत सरकार को कारागार कार्मिकों को पुरस्कृत करने के लिए पदक प्रदान किए जाने की व्यवस्था करनी चाहिए और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को कारागार कार्मिकों द्वारा की गई विशेष सेवा को उचित प्रकार से मान्यता देनी चाहिए।

12.45 इन सिफारिशों के आधार पर, गणतंत्र दिवस तथा स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रतिवर्ष कारागार कार्मिकों को पुरस्कृत करने के लिए निम्नलिखित पदक शुरू किए गए हैं:

शौर्य पदक

(क) शौर्य के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक (पी सी एस एम जी)

(ख) शौर्य के लिए सुधारात्मक सेवा पदक (सी एस एम जी)

सेवा पदक

(क) विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक (पी सी एस एम डी एस)

(ख) सराहनीय सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा पदक (सी एस एम एम एस)

12.46 एक वर्ष में प्रदान किए जा सकने वाले विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के सुधारात्मक सेवा पदकों और सराहनीय सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा पदकों की संख्या क्रमशः 25 और 75 है। एक वर्ष में शौर्य के लिए प्रदान किए जाने वाले पदकों की संख्या की कोई सीमा नहीं है।

12.47 विशिष्ट सेवा/शौर्य के लिए राष्ट्रपति के सुधारात्मक सेवा पदक और सराहनीय सेवा/शौर्य के लिए सुधारात्मक सेवा पदक निम्नलिखित के संबंध में प्रदान किए जाते हैं:-

(i) सुधारात्मक सेवा में विशिष्ट रुप से सराहनीय रिकार्ड ;

(ii) कैदियों को अत्यधिक मात्रा में दाखिल करने जैसी विशेष कठिन परिस्थितियों में सुधारात्मक सेवा आयोजित करने या प्रशासन चलाने में सफलता; और

(iii) दंगों का शमन करने, कैदियों को भागने से रोकने, खेल भावना, लोक कार्य और सक्षमता सहित अनुकरणीय सेवा की छाप छोड़ने, कर्तव्य के प्रति निष्ठा, सत्यनिष्ठा, वफादारी, अनुशासनबद्धता और त्याग की भावना के संबंध में उत्कृष्ट योग्यता।

12.48 शौर्य के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक और शौर्य के लिए सुधारात्मक सेवा पदक किसी कैदी को गिरफ्तार करने अथवा उनको भागने से रोकने में विशिष्ट/असाधारण सेवा के लिए दिया जाता है। इसके अंतर्गत जोखिम का आकलन संबंधित अधिकारी के दायित्यों एवं कर्तव्यों तथा पूर्ववर्ती वर्ष में किए गए असाधारण कार्य से किया जाता है।

12.49 वर्ष 2012 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक और सराहनीय सेवा के लिए सुधारात्मक सेवा पदक की श्रेणी में 28 पदक प्रदान किए गए हैं।

12.50 गणतन्त्र दिवस, 2013 के अवसर पर सराहनीय सेवा, शौर्य और विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति का सुधारात्मक सेवा पदक की सभी श्रेणियों में कुल 37 पदक प्रदान किए गए हैं।

राज्य विधायन

12.51 गृह मंत्रालय, सरकार के अनुमोदन अथवा भारत के राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त करने के लिए राज्य सरकारों से प्राप्त विधायी प्रस्तावों पर कार्रवाई करने वाला नोडल मंत्रालय है।

12.52 विधायी प्रस्तावों की भारत सरकार के संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ परामर्श करके जांच की जाती है। मुद्दों का टेबल पर बैठकर समाधान करके विधेयकों के शीघ्र अनुमोदन/मंजूरी को सुकर बनाने के लिए अन्य मंत्रालयों/विभागों और संबंधित राज्य सरकारों के साथ बैठकों के माध्यम से स्थिति की आवधिक रूप से समीक्षा की जाती है।

12.53 दिनांक 01.04.2012 से 05.03.2013 की अवधि के दौरान भारत सरकार/भारत के राष्ट्रपति के अनुमोदन/सहमति के लिए गृह मंत्रालय को 37 नए राज्य विधायी प्रस्ताव प्राप्त हुए। इस अवधि के दौरान अंतिम रूप दिए गए प्रस्तावों की संख्या निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	विवरण	संख्या
I	**संविधान के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति के विचारार्थ और स्वीकृति वाले विधेयक**	
	(i) राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत विधेयक	30
	(ii) राष्ट्रपति के संदेश सहित राज्य सरकार को लौटाए गए विधेयक	04
	(iii) विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा रोकी गई स्वीकृति	01
	(iv) राज्य सरकार द्वारा वापस लिए गए विधेयक	06
कुल		**41***

*इसमें 01 अप्रैल, 2012 से पूर्व प्राप्त विधायी प्रस्ताव भी शामिल हैं।

12.54 गृह मंत्रालय का संबंध भारतीय दंड संहिता, 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973, दया, परिहार एवं क्षमा के लिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 72 के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति को दी गई याचिकाओं; दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 188 के अधीन अभियोजन के लिए स्वीकृति और दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 321 के अधीन मामले वापस लेने के विधायी पहलुओं से है।

संसद द्वारा/में पारित/पुरःस्थापित किए गए विधायी प्रस्ताव

12.55 दिनांक 01.04.2012 से 31.12.2012 तक इस मंत्रालय के निम्नलिखित विधायी प्रस्ताव संसद में पारित किए गए थे:-

(i) पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) और सम्बद्ध नियमावली (संशोधन) विधेयक, 2012

(ii) पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) संशोधन विधेयक, 2012

(iii) विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन विधेयक, 2012

(iv) संविधान (संशोधन) विधेयक, 2012 (अनुच्छेद 371- ञ में 98वां संशोधन)

12.56 इस मंत्रालय के निम्नलिखित विधायी प्रस्तावों को लोक सभा में पुरःस्थापित किया गया है और ये विचाराधीन हैं:

(i) दण्ड विधि (संशोधन) विधेयक, 2012

(ii) राज्यपाल (परिलब्धियां, भत्ते और विशेषाधिकार) संशोधन विधेयक, 2012

❖❖❖

अध्याय XIII विदेशी राष्ट्रिक, स्वतंत्रता सेनानी पेंशन और पुनर्वास

विदेशी राष्ट्रिक और नागरिकता

13.1 गृह मंत्रालय आप्रवासन, वीजा, विदेशी अभिदाय तथा नागरिकता संबंधी मामलों के निपटान के लिए उत्तरदायी है। भारत में विदेशियों के प्रवेश, यहां ठहरने और प्रस्थान करने का विनियमन आप्रवासन ब्यूरो (बी ओ आई) और राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है।

विदेशी राष्ट्रिक और वीजा

विदेशी राष्ट्रिकों का प्रवेश तथा आवाजाही

13.2 भारत में विदेशी राष्ट्रिकों का प्रवेश, यहां ठहरना और यहां से प्रस्थान दो प्रमुख अधिनियमों अर्थात् विदेशियों विषयक अधिनियम, 1946 और पासपोर्ट (भारत में प्रवेश) अधिनियम, 1920 द्वारा अभिशासित किया जाता है। मौजूदा वीजा व्यवस्था में जहां प्रारंभिक वीजा, विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों/पोस्टों द्वारा प्रदान किया जाता है, वहीं देश में प्रवेश, उनका ठहरना तथा देश से बाहर जाना, आप्रवासन ब्यूरो (बी ओ आई) और राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा विनियमित किया जाता है।

13.3 वर्ष 2011 के दौरान 63,09,222 विदेशी राष्ट्रिक भारत आए जो पिछले वर्ष की तुलना में 9.24% की वृद्धि दर्शाता है। भारत आने वाले विदेशी राष्ट्रिकों में सबसे ज्यादा संख्या यूएसए (9,80,688), बांग्लादेश (4,63,543), श्रीलंका (3,05,833), कनाडा (2,59,017), जर्मनी (2,40,235), फ्रांस (2,31,423), मलेशिया (2,08,196), जापान (1,93,525) और आस्ट्रेलिया (1,92,592) की थी। इन दस देशों की प्रतिशतता भारत आने वाले कुल विदेशियों की 61.39% थी।

13.4 वर्ष 2011 के दौरान, विदेशी विषयक अधिनियम के विभिन्न उल्लंघनों अथवा अन्य आप्रवासन नियंत्रण नियमों और विनियमों के प्रावधानों के उल्लंघनों के लिए 7,345 विदेशी राष्ट्रिक गिरफ्तार किए गए और वर्ष के दौरान 7,480 विदेशी राष्ट्रिकों को उनके देश वापस भेजा गया।

पाकिस्तानी और भारतीय कैदियों की रिहाई

13.5 वर्ष 2011 के दौरान भारत सरकार ने अपनी सजा पूरी कर चुके 102 पाकिस्तानी सिविल कैदियों और 121 पाकिस्तानी मछुआरों को पाकिस्तान प्रत्यावर्तित किया गया। वर्ष 2012 के दौरान अन्य 50 पाकिस्तानी कैदियों और 64 पाकिस्तानी मछुआरों को पाकिस्तान प्रत्यावर्तित किया गया। वर्ष 2011 के दौरान, पाकिस्तान सरकार ने अपनी सजा पूरी कर चुके 12 भारतीय सिविल कैदियों और 103 भारतीय मछुआरों को भारत प्रत्यावर्तित किया। वर्ष 2012 के दौरान, 26 अन्य भारतीय सिविल कैदियों और 661 भारतीय मछुआरों को भारत प्रत्यावर्तित किया गया है। इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, दिनांक 01.01.2013 की स्थिति के अनुसार 226 भारतीय सिविल कैदी और 215 भारतीय मछुआरे पाकिस्तान में जेलों में बंद हैं। दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित कांसुलर पहुंच संबंधी करार की शर्तों के अनुसार, दिनांक 01.01.2013 को पाकिस्तानी उच्चायोग को उपलब्ध कराई गई विस्तृत सूचियों के अनुसार 260 पाकिस्तानी सिविल कैदी और 37 पाकिस्तानी मछुआरे भारत में जेलों में बंद हैं।

आप्रवासन नियंत्रण

13.6 आप्रवासन, सरकार का एक महत्वपूर्ण प्रधान कार्य है जो आप्रवासन चेक पोस्टों (आई सी पी) के माध्यम से किया जाता है। देश में 81 आप्रवासन चेक पोस्ट (आई सी पी) हैं जिनमें से, 27 आई सी पी आप्रवासन ब्यूरो के नियंत्रणाधीन हैं और शेष 54 आई सी पी संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं।

13.7 गृह मंत्रालय ''आप्रवासन, वीजा और विदेशियों विषयक पंजीकरण और पता लगाना (ट्रैकिंग) (आई.वी.एफ.आर.टी)'' नामक एक योजनागत स्कीम कार्यान्वित कर रहा है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य एक सुरक्षित और एकीकृत सेवा व्यवस्था विकसित और कार्यान्वित करना है जो सुरक्षा को सुदृढ़ करते हुए वैध यात्रियों को सुविधाएं प्रदान करे। आर्थिक मामलों संबंधी मंत्रिमंडल समिति ने वर्ष 2010 में आई वी एफ आर टी के कार्यान्वयन के लिए 1,011 करोड़ रूपए अनुमोदित किए थे। इस परियोजना का कार्यान्वयन प्रभावी संचार, प्रशिक्षण, और क्षमता निर्माण की सहायता से आधारभूत संरचना और

संयोजकता की तैयारी के समरूप योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

13.8 आई.वी.एफ.आर.टी. के कार्यान्वयन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :-

i. वीज़ा आवेदन पत्रों का मानकीकरण कर दिया गया है। विदेश स्थित 101 भारतीय मिशनों में वीज़ा आवेदकों के लिए एकीकृत आनलाइन आवेदन सिस्टम कार्यान्वित किया गया है (दिनांक 31.12.2012 तक)।

ii. आई.वी.एफ.आर.टी. का अनुपालन करने वाले भारतीय मिशनों के लिए और अधिक सुरक्षित वीज़ा स्टिकर लागू किए गए हैं। नए वीज़ा स्टिकर पर निर्माण के समय बार कोड लगाने और पहचान की जानकारी देते समय फोटो लगाने जैसे अतिरिक्त सुरक्षा चिन्ह बनाए गए हैं। अप्राधिकृत प्रिंटरों द्वारा इनकी नकल करना बहुत कठिन है।

iii. दिन प्रतिदिन के प्रचालनात्मक मुद्दों के समाधान के लिए मिशनों की सहायतार्थ नई दिल्ली में केन्द्रीय आई वी एफ आर टी कार्यालय कार्यरत हो गया है और नई दिल्ली में वीज़ा सहायता केन्द्र की स्थापना की गई है। यह केन्द्र प्रतिदिन तीन पारियों (शिफ्टों) में कार्य करता है। इसके अलावा, सहायता केन्द्र बी.ओ.आई. में कार्य कर रहा है जो सभी आई.सी.पी./क्षेत्रीय विदेशी विषयक पंजीकरण अधिकारियों (एफ आर आर ओ)/ विदेशी विषयक पंजीकरण अधिकारियों (एफ आर ओ) को प्रचालन, प्रबंधन और तकनीकी (साफ्टवेयर सहित) सहायता प्रदान करता है।

iv. सभी 78 आई.सी.पी. में कम्प्यूटर हार्डवेयर लगाने और आई.सी.एस. साफ्टवेयर स्थापित करने का कार्य पूरा हो गया है। अब 75 आई सी पी केन्द्रीय विदेशी विषयक ब्यूरो (सी एफ बी) से जुड़ गए हैं।

v. एन.आई.सी. ने केन्द्रीकृत विकसित यात्री सूचना प्रणाली (ए.पी.आई.एस.) के लिए एक माड्यूल विकसित किया है। इस माड्यूल के अंतर्गत नई दिल्ली में 25 हवाई अड्डों की सभी उड़ानों से संबंधित ए.पी.आई.एस. डाटा प्राप्त किया जा रहा है। दिल्ली को छोड़कर, हवाईअड्डों के आई.सी.पी. से संबंधित डाटा बाद में संबंधित हवाईअड्डों को भेजा जा रहा है। अभी इस माड्यूल का परीक्षण किया जा रहा है।

vi. राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के अधिकारियों को आई वी एफ आर टी के बारे में सुग्राही बनाने के लिए नियमित प्रशिक्षण/पुनश्चर्या कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

भारत की विदेशी नागरिकता (ओ सी आई)

13.9 भारत सरकार ने भारत में वीज़ामुक्त यात्रा की सुविधा प्रदान करने और भारत में व्यवसाय एवं शैक्षिक क्रियाकलापों में आवास और भागीदारी का अधिकार प्रदान करने के लिए भारत की विदेशी नागरिकता कार्ड और भारतीय मूल के लोग कार्ड योजना शुरू की थी। ओ सी आई कार्ड योजना दिनांक 02.12.2005 से चल रही है। आवेदन-पत्र, प्रक्रिया विवरणिका और प्रायः पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफ ए क्यू) संबंधी जानकारी मंत्रालय की वेबसाइट http://mha.nic.in पर उपलब्ध है। इस स्कीम के बारे में विदेशी भारतीयों से उत्साहवर्धक प्रतिक्रिया प्राप्त हुई है। दिनांक 31.12.2012 तक 12,43,627 व्यक्तियों को भारत की विदेशी नागरिकता का पंजीकरण (ओ सी आई) प्रदान किया गया है। दिनांक 01.01.2012 से 31.12.2012 तक की अवधि के दौरान 2,23,876 ओ सी आई कार्ड जारी किए जा चुके हैं। भारत सरकार ने हाल ही में इन योजनाओं के कार्यकरण की समीक्षा की है और ओ सी आई एवं पी आई ओ कार्ड का एकल सुविधा में विलय करने का निर्णय किया है। इस प्रयोजन के लिए नागरिकता अधिनियम, 1955 में संशोधन करने के लिए राज्य सभा में एक विधेयक प्रस्तुत किया गया है।

विदेशी अभिदाय

13.10 विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 संस्थानों, संघों और अन्य स्वैच्छिक संगठनों द्वारा प्राप्त और उपयोग किए गए विदेशी अभिदाय को विनियमित करता है। इस अधिनियम का प्रयोजन यह सुनिश्चित करना है कि किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त किए गए विदेशी अभिदाय का दुरूपयोग न किया जाए अथवा राष्ट्रीय हित के लिए हानिकारक गतिविधि में न लगाया जाए। यह अधिनियम राष्ट्रीय जीवन के महत्वपूर्ण क्षेत्र में लगे कतिपय व्यक्तियों द्वारा विदेशी आतिथ्य को स्वीकार किए जाने का विनियमन यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भी करता है कि वे संप्रभु जनतांत्रिक गणतंत्र जैसे भारतीय मूल्यों के अनुरूप कार्य कर सकें।

13.11 विदेशी अभिदाय की प्राप्ति/उपयोग को दिनांक 30.04.2011 तक विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 के उपबंधों के अंतर्गत विनियमित किया जाता था। विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 को पारित

करने के बाद विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 1976 निरस्त हो गया और दिनांक 29.04.2011 को गजट अधिसूचना जारी करने के पश्चात नया अधिनियम दिनांक 01.05.2011 से लागू हो गया है। नए अधिनियम की धारा 48 के अधीन बनाए गए विदेशी अभिदाय (विनियमन) नियम, 2011 को अधिसूचित करते हुए दिनांक 29.04.2011 को एक अन्य गजट अधिसूचना जारी की गयी थी। ये नियम भी दिनांक 01.05.2011 से लागू हो गए हैं। नया अधिनियम निरसित अधिनियम का संशोधित रूप है क्योंकि इसके उपबंधों को अधिक कठोर बनाया गया है ताकि न केवल किसी संगठन द्वारा बल्कि किसी व्यक्ति द्वारा भी प्राप्त विदेशी अभिदाय का दुरूपयोग रोका जा सके।

13.12 दिनांक 01.01.2012 से 31.12.2012 तक की अवधि के दौरान विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन विदेशी अभिदाय लेने हेतु 200 संघों को पूर्वानुमति दी गई है और 1396 संघों का पंजीकरण किया गया है। दिनांक 31.12.2012 तक कुल पंजीकृत संघों की संख्या 40,478 है। वर्ष 2010-11 के दौरान 22,735 संघों द्वारा सूचित की गई कुल विदेशी अभिदाय की राशि 10,334.11 करोड़ रूपए थी। वर्ष 2011-12 के दौरान, दिनांक 31.12.2012 तक 14,391 संघों द्वारा सूचित की गई विदेशी अभिदाय की प्राप्ति की कुल राशि 9,423.34 करोड़ रूपये है।

स्वतंत्रता सेनानी पेंशन

13.13 मानव इतिहास में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम एक अनोखी मिसाल है। इसमें सभी वर्गों के लोगों ने सभी प्रकार की जाति, पंथ या धर्म से ऊपर उठकर एवं एकजुट होकर एक उद्देश्य के लिए कार्य किया। यह संघर्ष 1857 से शुरू होकर 1947 तक जारी रहा जिसमें लोगों की अनेक पीढ़ियों का संघर्ष और बलिदान था जिसके परिणामस्वरूप ही देश को आजादी प्राप्त हुई। स्वतंत्रता संग्राम में लाखों-करोड़ों लोगों ने भाग लिया।

पेंशन योजनाएं

13.14 भारत सरकार ने स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान करने के लिए वर्ष 1969 में 'पूर्व-अंडमान राजनीतिक कैदी पेंशन योजना' नामक एक योजना शुरू की थी। स्वतंत्रता की 25वीं वर्षगांठ के अवसर पर स्वतंत्रता सेनानियों को पेंशन देने के लिए 'स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्कीम' नामक एक नियमित योजना वर्ष 1972 में शुरू की गई थी। दिनांक 01.08.1980 से इस योजना को उदारीकृत करके इसका नाम बदलकर 'स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना' कर दिया गया। 'स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980' की मुख्य विशेषताएं नीचे दी गई हैं:-

(i) **पात्रताः** इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियों के स्वतंत्रता सेनानी सम्मान पेंशन के लिए पात्र हैं:-

(क) शहीदों के पात्र आश्रित।

(ख) स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण कम से कम छह माह का कारावास भोगने वाले व्यक्ति।

(ग) स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण 6 माह से अधिक समय के लिए भूमिगत रहने वाले व्यक्ति।

(घ) स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण कम से कम 6 माह की अवधि के लिए अपने घर में नजरबंद रहने अथवा जिले से निष्कासित कर दिए जाने वाले व्यक्ति।

(ङ) वह व्यक्ति जिसकी सम्पत्ति को स्वतंत्रता संग्राम में उसके द्वारा भाग लेने की वजह से जब्त अथवा कुर्क कर दिया गया था अथवा बेच दिया गया था।

(च) स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण फायरिंग अथवा लाठी चार्ज के दौरान स्थायी रूप से विकलांग होने वाले व्यक्ति।

(छ) ऐसे व्यक्ति जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण अपनी सरकारी नौकरी से हाथ धोना पड़ा हो।

(ज) ऐसे व्यक्ति जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण 10 या इससे अधिक बार डंडों/बेंत से पीटा गया/कोड़े मारे गए।

(ii) **आश्रितः** इस योजना के अंतर्गत आश्रित परिवार पेंशन की मंजूरी हेतु मृत स्वतंत्रता सेनानी (शहीदों के भी) की पत्नी/पति/(विधवा/विधुर), अविवाहित और बेरोजगार पुत्रियां (अधिक से अधिक तीन तक) तथा माता-पिता पात्र हैं। किसी एक समय पर, ऊपर उल्लिखित आश्रितों की श्रेणियों में से केवल एक श्रेणी परिवार पेंशन के लिए पात्र है।

(iii) **महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों के लिए विशेष रियायत:** इस योजना में पेंशन की मंजूरी के लिए पात्रता का मानदंड कम से कम छह माह की अवधि तक जेल में रहने की यातना, जो स्वतंत्रता सेनानी ने स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भोगी है, निर्धारित की गई है। तथापि, महिला स्वतंत्रता सेनानियों और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित स्वतंत्रता सेनानियों के लिए विशेष रियायत के रूप में न्यूनतम अवधि तीन माह रखी गई है।

स्वतंत्रता सेनानियों के लिए अन्य सुविधाएं

13.15 पेंशन के अलावा, स्वतंत्रता सेनानियों को भारत सरकार द्वारा निम्नलिखित सुविधाएं भी प्रदान की जाती हैं:-

i. स्वतंत्रता सेनानी अथवा उनकी विधवा/विधुर के लिए एक साथी के साथ आजीवन निःशुल्क रेलवे पास (राजधानी में II ए सी, शताब्दी में चेयरकार और अन्य सभी गाड़ियों में प्रथम श्रेणी/ए.सी. स्लीपर);

ii. केन्द्र सरकार के सभी अस्पतालों और लोक उद्यम ब्यूरो के नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र के केन्द्रीय उपक्रमों द्वारा चलाए जा रहे अस्पतालों में निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं;

iii. स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को सी.जी.एच.एस. की सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं;

iv. यदि व्यवहार्य हो तो, स्थापना प्रभार के बिना और केवल आधे किराए के भुगतान पर टेलीफोन की सुविधा;

v. दिल्ली में सामान्य पूल का रिहायशी आवास (समग्र 5% विवेकाधीन कोटे के भीतर);

vi. जिन स्वतंत्रता सेनानियों की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, उन्हें नई दिल्ली में बनाए गए स्वतंत्रता सेनानी गृह में आवास;

vii. पूर्व-अंडमान स्वतंत्रता सेनानियों/उनकी विधवाओं को एक साथी के साथ वर्ष में एक बार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की मुफ्त हवाई यात्रा सुविधा; और

viii. सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा पेट्रोल पंपों, गैस एजेंसियों आदि के आवंटन के लिए सामान्य चयन प्रक्रिया में ''स्वतंत्रता सेनानी (एफ.एफ.)'' श्रेणी में 2% की दर से आरक्षण का प्रावधान।

13.16 स्वतंत्रता सेनानियों को उपलब्ध सभी प्रमुख सुविधाएं उनकी विधवाओं को भी प्रदान की जाती हैं।

पेंशन की राशि

13.17 स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन की दर की आवधिक समीक्षा की गई है। वर्ष 1972 में 200 रूपए मासिक की प्रारंभिक राशि की तुलना में विभिन्न श्रेणियों के स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों को देय मासिक पेंशन और महंगाई राहत की मौजूदा दर नीचे दी गई है:-

क्रम सं.	स्वतंत्रता सेनानियों की श्रेणी	मूल पेंशन (₹ में)	दिनांक 01.08.2012 से 165% की दर से महंगाई राहत	पेंशन की कुल राशि (₹ में)
i.	पूर्व-अंडमान राजनीतिक कैदी	7,330	12,095	19,425
ii.	स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने ब्रिटिश भारत के बाहर यातना भोगी (आई एन ए को छोड़कर)	6,830	11,270	18,100
iii.	अन्य स्वतंत्रता सेनानी (आई एन ए सहित)	6,330	10,445	16,775
iv.	उपर्युक्त श्रेणियों के स्वतंत्रता सेनानियों की विधवा/विधुर	वही पात्रता है, जो संबंधित मृत स्वतंत्रता सेनानी की थी		
v.	प्रत्येक अविवाहित एवं बेरोजगार पुत्री (तीन तक)	1,500	2,475	3,975
vi.	माता और पिता प्रत्येक को	1,000	1,650	2,650

स्वतंत्रता सेनानियों के कल्याण पर व्यय

13.18 पेंशन के भुगतान के लिए वर्ष 2012-13 के लिए गृह मंत्रालय के स्वीकृत बजट में 717.08 करोड़ रूपये और स्वतंत्रता सेनानियों के लिए मुफ्त रेलवे पास के लिए 40 करोड़ रूपये का प्रावधान है।

केन्द्रीय सम्मान पेंशनधारियों की संख्या

13.19 योजना के अंतर्गत फरवरी, 2013 तक 1,71,516 स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों को सम्मान पेंशन स्वीकृत की गई है। स्वतंत्रता सेनानियों/उनके आश्रितों को स्वीकृत की गई सम्मान पेंशन का राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का नाम	उन स्वतंत्रता सेनानियों/उनके पात्र आश्रितों की संख्या जिन्हें पेंशन स्वीकृत की गई है (दिनांक 28.02.2013 की स्थिति के अनुसार)
1.	आन्ध्र प्रदेश	15261
2.	अरूणाचल प्रदेश	0
3.	असम	4,441
4.	बिहार	24,886
5.	झारखंड	
6.	गोवा	1,505
7.	गुजरात	3,599
8.	हरियाणा	1,689
9.	हिमाचल प्रदेश	628
10.	जम्मू और कश्मीर	1,807
11.	कर्नाटक	10,100
12.	केरल	3,397
13.	मध्य प्रदेश	3,482
14.	छत्तीसगढ़	
15.	महाराष्ट्र	17, 961
16.	मणिपुर	62
17.	मेघालय	86
18.	मिजोरम	04
19.	नागालैंड	03
20.	ओडिशा	4,195
21.	पंजाब	7,029
22.	राजस्थान	814
23.	सिक्किम	0
24.	तमिलनाडु	4122
25.	त्रिपुरा	888
26.	उत्तर प्रदेश	17,999
27.	उत्तराखंड	
28.	पश्चिम बंगाल	22516
29.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	03
30.	चंडीगढ़	91
31.	दादरा और नगर हवेली	83
32.	दमण और दीव	33
33.	लक्षद्वीप	0
34.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	2,046
35.	पुडुचेरी	318
36.	आजाद हिन्द फौज (आई एन ए)	22,468
	कुल	**1,71,516**

स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान

13.20 भारत के माननीय राष्ट्रपति, श्री प्रणव मुखर्जी ने भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ के अवसर पर दिनांक 09.08.2012 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक स्वागत (एट होम) समारोह में विभिन्न राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के कुछ प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया। देश के विभिन्न भागों से आए 124 स्वतंत्रता सेनानियों ने इस समारोह में भाग लिया और माननीय राष्ट्रपति के साथ बातचीत की।

09.08.2012 को राष्ट्रपति भवन में आयोजित 'एट होम' समारोह में स्वतंत्रता सेनानियों के साथ भारत के राष्ट्रपति

हैदराबाद मुक्ति आंदोलन

13.21 1947-48 के दौरान पूर्ववर्ती हैदराबाद राज्य के भारत संघ के साथ विलय हेतु हैदराबाद मुक्ति आंदोलन में भाग लेने वाले लोगों को वर्ष 1985 में स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के अंतर्गत पेंशन की मंजूरी के लिए पात्रता शर्तों में ढील देकर पात्र बनाया गया था। सीमा शिविरों में यातना झेलने वाले लाभार्थियों की अनुमानित संख्या लगभग 11,000 थी। श्राफ समिति (वर्ष 1985 से 1996 तक) ने 98 सीमा शिविरों की सूची बनाई और लगभग 7,000 मामलों की सिफारिश की। श्राफ समिति द्वारा संस्तुत सभी मामलों में पेंशन स्वीकृत की गई थी।

13.22 तदनंतर दिसम्बर, 1996 में श्री एन. गिरि प्रसाद की अध्यक्षता में एक अन्य अनुवीक्षण समिति गठित की गई थी और श्री एन. गिरि प्रसाद की मृत्यु होने के बाद जून, 1997 में श्री सी.एच. राजेश्वर राव को अनुवीक्षण समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। सी.एच. राजेश्वर राव समिति (वर्ष 1997 से 1998 तक) ने लगभग 13,500 मामलों की सिफारिश की। जुलाई 2004 में गृह मंत्रालय ने 18 अतिरिक्त सीमा शिविरों को मान्यता प्रदान की। जनवरी, 2005 में, सरकार ने इस शर्त पर कि केवल वे ही आवेदक, जिन्होंने दिनांक 15.09.1948 तक अर्थात् हैदराबाद में पुलिस कार्रवाई से पूर्व हैदराबाद मुक्ति आंदोलन में भाग लिया था, पेंशन के पात्र होंगे, लाभार्थियों की अनुमानित संख्या लगभग 11,000 (वर्ष 1985 में अनुमानित) में वृद्धि करके लगभग 15,000 करने का अनुमोदन प्रदान किया। यह शर्त हैदराबाद मुक्ति आन्दोलन के सभी लंबित मामलों में पेंशन की मंजूरी के लिए भविष्यलक्षी प्रभाव से अपनाई गई है।

13.23 तथापि, ऐसी अनेक शिकायतें प्राप्त हुई थीं कि समिति ने फर्जी दावेदारों की संस्तुति की थी जिनमें ऐसे लोग भी थे जो हैदराबाद मुक्ति आंदोलन के समय पैदा भी नहीं हुए थे या फिर घुटने के बल चलते थे। महानिदेशक (सतर्कता और प्रवर्तन) द्वारा की गई जांच से यह पता चला कि अनेक फर्जी दावेदारों ने झूठी सूचना और दस्तावेजों के आधार पर पेंशन प्राप्त करने में सफलता पाप्त कर ली थी। अतः, यह निर्णय लिया गया था कि सी.एच. राजेश्वर राव समिति द्वारा संस्तुत सभी मामले पुनर्सत्यापन के लिए राज्य सरकारों को भेजे जाएंगे। यह निर्धारित किया गया था कि पहले से स्वीकृत मामलों सहित प्रत्येक मामले की गहराई से पुनः जांच की जाएगी और तत्पश्चात् पुनः जांच के परिणामों की संवीक्षा प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों की एक समिति करेगी और यह सुनिश्चित करते हुए अपनी सिफारिशों को अंतिम रूप देगी कि कोई भी फर्जी दावेदार पेंशन प्राप्त नहीं कर रहा है और किसी भी उचित दावेदार की अनदेखी नहीं की गई है। राज्य सरकारों से भी अनुरोध किया गया था कि वे प्रत्येक मामले में अपनी विशिष्ट सिफारिशें प्रस्तुत करें। राज्य सरकारों से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे दावों की जांच करते समय निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखें:-

क) आवेदक की आयु मार्च, 1947 में (अर्थात् हैदराबाद मुक्ति आंदालेन प्रारंभ होने के समय) 15 वर्ष से अधिक होनी चाहिए;

ख) आयु का प्रमाण जन्म पंजीकरण प्रमाणपत्र अथवा विद्यालय के प्रमाणपत्र अथवा मतदाता पहचान-पत्र, 1995 की अथवा उससे पहले की मतदाता सूची जैसे सरकारी रिकार्डों पर आधारित होना चाहिए; और

ग) दावे की सीमा शिविर के उस शिविर प्रभारी से, जिसने आवेदक के पक्ष में प्रमाणपत्र जारी किया था अथवा यदि सीमा शिविर प्रभारी जीवित न हो तो आवेदक के जिले के दो केन्द्रीय स्वतंत्रता सेनानियों से पुनः जांच/ संपुष्टि कराई जाए।

13.24 हैदराबाद मुक्ति आंदोलन के दौरान सीमा शिविर में यातनाओं को झेलने वाले व्यक्तियों से संबंधित पुनः जांच किए गए मामलों की संवीक्षा के लिए मई, 2009 में श्री बोइनापल्ली वेंकट रामाराव की अध्यक्षता में प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों की एक संवीक्षा समिति गठित की गई है। समिति ने राज्य सरकारों से प्राप्त पुनः जांच रिपोर्टों की संवीक्षा करना शुरू कर दिया है। फरवरी, 2013 की स्थिति के अनुसार गैर-समिति मामलों सहित 3,666 पुनः जांच रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं। इनमें से, 3,419 मामलों की संवीक्षा की गई है और 1,519 मामले समिति के समक्ष रखे जाने के लिए उपयुक्त पाए गए हैं। प्रमुख स्वतंत्रता सेनानियों की हैदराबाद संवीक्षा समिति द्वारा विचार किए गए 1,519 मामलों में से 852 मामलों में पेंशन मंजूर की गई है और समिति की सिफारिश पर 667 मामले अस्वीकृत कर दिए गए हैं।

गोवा मुक्ति आंदोलन

13.25 गोवा मुक्ति आंदोलन, जिसमें स्वतंत्रता सेनानियों ने पुर्तगाली प्राधिकारियों के हाथों गंभीर यातनाएं झेली थीं, को निम्नलिखित तीन चरणों में बांटा गया था:-

चरण-I	1946 से 1953 तक
चरण-II	1954 से 1955 तक
चरण-III	1956 से 1961 तक

13.26 आंदोलन के विभिन्न चरणों के उन स्वतंत्रता सेनानियों के लिए, जो निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं और जिनके मामलों में यातनाओं के रिकार्ड उपलब्ध थे, पेंशन मंजूर की गई थी। फरवरी 2003 में, भारत सरकार ने, गोवा मुक्ति आंदोलन के चरण-II के उन स्वतंत्रता सेनानियों को, जिन्हें दिनांक 01.08.2002 तक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गोवा, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा राज्य स्वतंत्रता सेनानी पेंशन स्वीकृत की गई थी, पेंशन प्रदान करने के लिए स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन योजना, 1980 के अंतर्गत पात्रता में छूट प्रदान की।

13.27 फरवरी, 2013 तक, गोवा मुक्ति आंदोलन चरण-II में भाग लेने वाले कुल 2,185 स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मान पेंशन प्रदान की जा चुकी है।

नीतिगत पहलें

13.28 सम्मान पेंशन स्कीम को सरल बनाने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित पहलें की गई हैं:-

(i) सावधानीपूर्वक जाँच के बाद सम्मान पेंशन के दावों पर विचार करने के लिए न्यूनतम आयु सीमा स्वतंत्रता आन्दोलन में भाग लेने के समय 15 वर्ष से अधिक निर्धारित की गई है।

(ii) स्वतंत्रता सैनिक सम्मान पेंशन स्कीम, 1980 के अनुसार, स्वतंत्रता सेनानियों और उनके पात्र आश्रितों को पेंशन का संवितरण पूरे देश में फैली सरकारी क्षेत्र की बैंकों की विभिन्न शाखाओं और राज्य के राजकोषों के माध्यम से किया जाता है।

(iii) चूंकि आश्रित परिवार पेंशन के अन्तरण की शक्ति संवितरण करने वाले प्राधिकारियों को प्रत्यायोजित की गई है, इसलिए जीवित और सरकारी क्षेत्र के बैंकों तथा राजकोषों से पेंशन प्राप्त करने वाले केन्द्रीय सम्मान पेंशनरों/पात्र आश्रितों के आंकड़े वर्ष 2010 में प्राप्त किए गए थे और मंत्रालय की वेबसाइट (http://mha.nic.in) पर अपलोड किए गए थे।

(iv) सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा प्रस्तुत किए गए कुछ आंकड़ों की संवीक्षा की गई थी। पेंशन के संवितरण में पाई गई विसंगतियों की सूचना बैंकों को दी गई थी और उन्हें आंकड़ों को संशोधित करने तथा उसे गृह मंत्रालय को भेजने की सलाह दी गई थी। सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने पेंशन के संवितरण में विसंगतियों को दूर करने के लिए कदम उठाए हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों से पेंशन प्राप्त करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों/आश्रितों के पुनः सत्यापित आंकड़े समेकित किए गए हैं और गृह मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। इस समय 42,733 स्वतंत्रता सेनानी/पात्र आश्रित हैं, जो जीवित हैं और बैंकों से वास्तव में पेंशन प्राप्त कर रहे हैं। ये आंकड़े अब सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं।

(v) इसी प्रकार, राज्य के राजकोषों से पेंशन प्राप्त करने वाले स्वतंत्रता सेनानियों/आश्रितों के पुनः सत्यापित आंकड़ों के समेकन का कार्य चल रहा है।

(vi) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के कार्यालय तथा भारतीय रिज़र्व बैंक को क्रमशः राज्य के राजकोषों तथा सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा सम्मान पेंशन के संवितरण की विस्तृत लेखा परीक्षा करने का परामर्श दिया गया है।

(vii) स्वतंत्रता सेनानी पेंशन की फाइलों की सूची के डिजिटीकरण का कार्य पूरा होने के बाद पुराना रिकार्ड, प्रतिधारित करने के लिए, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार को अन्तरित किया जा रहा है।

(viii) पेंशन की मंजूरी के लिए आवेदनों के निपटान में पारदर्शिता को बढ़ाने के लिए, नए मामलों, जिनमें स्वतंत्रता सेनानी पेंशन मंजूर की जाती है और अस्वीकृत किए जाने वाले मामलों तथा अस्वीकृति के कारणों को भी नवम्बर, 2011 से मासिक आधार पर मंत्रालय की वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है।

विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

श्रीलंकाई शरणार्थी

13.29 श्रीलंका में जातीय हिंसा और लगातार अशांत स्थिति के कारण जुलाई, 1983 और अगस्त, 2012 के बीच विभिन्न चरणों में 3,04,269 श्रीलंकाई शरणार्थी भारत आए।

13.30 शरणार्थियों की निम्नलिखित दो श्रेणियां हैं:-

(i) राज्य विहीन व्यक्ति जिन्होंने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन नहीं किया है अथवा जिन्हें अभी तक श्रीलंका की नागरिकता प्रदान नहीं की गई है; तथा

(ii) श्रीलंकाई नागरिक।

13.31 भारत सरकार का दृष्टिकोण शरणार्थियों के रूप में लोगों की आवाजाही को हतोत्साहित करना है परन्तु यदि इन वर्गों से संबंधित कोई शरणार्थी भारत में आते हैं, तो उन्हें मानवीय आधार पर राहत प्रदान की जाती है। इसका अंतिम लक्ष्य उन्हें श्रीलंका प्रत्यावर्तित किया जाना है। ऐसा प्रत्यावर्तन किए जाने तक उनको राहत प्रदान की जाती है।

13.32 यद्यपि मार्च, 1995 तक 99,469 शरणार्थी श्रीलंका को प्रत्यावर्तित किए जा चुके हैं, तथापि मार्च, 1995 के पश्चात् कोई व्यवस्थित प्रत्यावर्तन नहीं हुआ है। तथापि, कुछ शरणार्थी श्रीलंका लौट गए हैं अथवा स्वयं दूसरे देशों में चले गए हैं। दिनांक 01.11.2012 की स्थिति के अनुसार लगभग 67,307 श्रीलंकाई शरणार्थी तमिलनाडु में 112 शरणार्थी शिविरों में और उड़ीसा में एक शिविर में रह रहे हैं। इसके अतिरिक्त, लगभग 34,783 शरणार्थी समीप के पुलिस थाने में अपना पंजीकरण कराने के पश्चात् शिविरों के बाहर रह रहे हैं।

13.33 शरणार्थियों के आगमन पर उनका संगरोधन किया जाता है तथा उनके पूर्ववृत्त के पूर्ण सत्यापन के पश्चात् उन्हें राहत शिविरों में भेज दिया जाता है। प्रत्यावर्तन होने तक उन्हें कुछ आवश्यक राहत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। इन सुविधाओं में शिविरों में शरण, नकद सहायता, सस्ता राशन, वस्त्र, बर्तन, चिकित्सा-देखभाल और शिक्षा संबंधी सहायता शामिल हैं। श्रीलंकाई शरणार्थियों की राहत पर सम्पूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाता है और बाद में भारत सरकार द्वारा इसकी प्रतिपूर्ति की जाती है। जुलाई, 1983 से फरवरी, 2013 की अवधि के दौरान इन शरणार्थियों को राहत और आवास उपलब्ध कराने के लिए भारत सरकार द्वारा 605.02 करोड़ रू. (लगभग) की राशि व्यय की गई है।

श्रीलंका से आए प्रत्यावासी

13.34 भारत सरकार ने वर्ष 1964, 1974 और 1986 के भारत-श्रीलंका के बीच हुए करारों के तहत व्यक्तियों की संख्या में स्वाभाविक वृद्धि के साथ 5.06 लाख भारतीय मूल के व्यक्तियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना और उनका प्रत्यावासन करना स्वीकार किया है। इन 5.06 लाख व्यक्तियों में से, 3.35 लाख व्यक्ति उनकी 1.26 लाख की स्वाभाविक वृद्धि के साथ, जिसमें 1,16,152 परिवार शामिल हैं, दिसम्बर, 2006 तक प्रत्यावर्तित कर दिए गए थे। प्रत्यावर्तित परिवारों को पुनर्वास सहायता उपलब्ध कराई गई है। श्रीलंका में खराब हालात के कारण वर्ष 1984 के बाद वहां से कोई संगठित प्रत्यावर्तन नहीं हुआ है। तथापि, भारत में अपने आप आने वाले कुछ प्रत्यावर्तियों को तमिलनाडु में विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पुनर्वास प्रदान किया जा रहा है।

प्रत्यावासी सहकारी वित्त एवं विकास बैंक लिमिटेड (आर ई पी सी ओ) (रिपको) चेन्नई

13.35 श्रीलंका, म्यांमार, वियतनाम और अन्य देशों के प्रत्यावासियों के पुनर्वास में सहायता करने और इसे बढ़ावा देने के लिए मद्रास सहकारी समिति अधिनियम, 1961 (1961 की सं. 53) (अब बहु-राज्य सहकारी समितियां अधिनियम 2002) (2002 की संख्या 39) के तहत वर्ष 1969 में समिति के रुप में रिपको बैंक की स्थापना की गयी थी। बैंक का प्रबंधन निदेशक मंडल करता है। भारत सरकार का प्रतिनिधित्व दो निदेशक करते हैं। बैंक की कुल प्राधिकृत पूंजी 500.25 करोड़ रुपए थी, जिसमें से अंशदान पूंजी की राशि 97.22 करोड़ रुपये है। भारत सरकार ने प्रदत्त पूंजी में 76.32 करोड़ रु. की राशि का योगदान किया है। चार दक्षिणी राज्यों, तमिलनाडु (3.03 करोड़ रू.), आन्ध्र प्रदेश (1.79 करोड़ रु.), कर्नाटक (17.47 लाख रु.) और केरल (61.16 लाख रु.) ने भी शेयर पूंजी में योगदान किया है। इसके अतिरिक्त, अन्य शेयरधारकों ने 15.29 करोड़ रु. का योगदान किया है।

13.36 इसके उपनियमों के अनुसार इस समय रिपको, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। इस बैंक ने भारत सरकार को वर्ष 2011-12 का लिए 20.0% की दर से लाभांश के रूप में 13.40 करोड़ रू. की राशि का भुगतान किया है। बैंक की

लेखापरीक्षा अद्यतन है। रिपको बैंक का वर्ष 2011-12 का वार्षिक लेखा और वार्षिक रिपोर्ट संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान क्रमशः दिनांक 18.12.2012 और 19.12.2012 को लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर रख दी गई है।

पुनर्वास बागान लिमिटेड (आरपीएल) पुनालूर, केरल

13.37 पुनर्वास बागान लिमिटेड (आर पी एल) भारत सरकार तथा केरल सरकार के संयुक्त स्वामित्व वाला उपक्रम है। इसका निगमन कंपनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत केरल में रबड़ के बागान लगाकर प्रत्यावर्तित लोगों को श्रमिकों और कर्मचारियों के रूप में पुनः स्थापित करने के लिए वर्ष 1976 में किया गया था। कम्पनी का प्रबंधन, निदेशक मंडल करता है जिसमें भारत सरकार का प्रतिनिधित्व दो निदेशक करते हैं। कंपनी की प्रदत्त शेयर पूंजी (31.03.2012 की स्थिति के अनुसार) 339.27 लाख रु. थी। कंपनी में केरल सरकार की इक्विटी 205.85 लाख रु. तथा भारत सरकार की इक्विटी 133.42 लाख रु. है। चूंकि बड़ी शेयरधारक राज्य सरकार है, इसलिए आर पी एल राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में है। वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान कम्पनी ने कर के पश्चात् 2,192.97 लाख रू. का लाभ अर्जित किया। कंपनी द्वारा भारत सरकार को वर्ष 2011-12 के लिए 26.68 लाख रूपये के लाभांश का भी भुगतान किया गया है। वर्ष 2011-12 के लिए आर पी एल का वार्षिक लेखा और वार्षिक रिपोर्ट संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान क्रमशः दिनांक 18.12.2012 और 19.12.2012 को लोक सभा और राज्य सभा के पटल पर रख दी गई है।

तिब्बती शरणार्थी

13.38 वर्ष 1959 में धर्मगुरु दलाई लामा द्वारा तिब्बत छोड़ने के बाद से तिब्बती शरणार्थियों का भारत में आना शुरु हो गया। भारत सरकार ने उन्हें शरण देने के साथ-साथ अस्थायी तौर पर बसाने के लिए सहायता देने का निर्णय लिया। उनकी पृथक जातीय और सांस्कृतिक पहचान को अक्षुण्ण बनाए रखने का ध्यान रखा गया है।

13.39 धर्मगुरु दलाई लामा के ब्यूरो द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी के अनुसार, फरवरी, 2008 में भारत में तिब्बती शरणार्थियों की जनंसख्या 1,09,015 थी। इनमें से अधिकांश शरणार्थी स्व-रोजगार के माध्यम से या कृषि और हथकरघा योजनाओं के तहत सरकार की सहायता से देश के विभिन्न राज्यों में बस गए हैं। इनमें से तिब्बती शरणार्थियों की सर्वाधिक संख्या कर्नाटक (44,468), हिमाचल प्रदेश (21,980), अरुणाचल प्रदेश (7,530), उत्तराखंड (8,545), पश्चिम बंगाल (5,785) तथा जम्मू और कश्मीर (6,920) में है। गृह मंत्रालय ने तिब्बती शरणार्थियों के पुनर्वास पर दिसम्बर, 2012 तक लगभग 18.72 करोड़ रुपए व्यय किए हैं। तिब्बती शरणार्थियों का पुनर्वास लगभग पूरा हो गया है और उत्तराखंड राज्य में केवल एक आवास योजना कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में है।

पाक-अधिकृत कश्मीर के विस्थापित व्यक्ति और छम्ब-नियाबात क्षेत्र के गैर-शिविर विस्थापित व्यक्ति

13.40 वर्ष 1947 में जम्मू एवं कश्मीर में पाकिस्तानी आक्रमण के बाद, कश्मीर के पाक अधिकृत क्षेत्र (पी ओ के) से बड़े पैमाने पर लोगों का पलायन हुआ और पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्रों से पलायन करने वाले वर्ष 1962 तक पंजीकृत 31,619 परिवार जम्मू एवं कश्मीर में बस गए थे। भारत सरकार ने छम्ब-नियाबात क्षेत्र (1971) के गैर-शिविर विस्थापित व्यक्तियों और पाक-अधिकृत कश्मीर (1947) के विस्थापित व्यक्तियों के लिए क्रमशः अप्रैल और अगस्त 2000 में राहत पैकेजों की घोषणा की थी। पात्र विस्थापित व्यक्तियों के वास्तविक दावों का सत्यापन करने के लिए जम्मू के प्रभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति भी नियुक्त की गई थी। निम्नलिखित लाभ उपलब्ध कराए गए हैं:-

(i) छम्ब-नियाबात क्षेत्र (1971) के गैर-शिविर विस्थापित व्यक्तियों को प्रति परिवार 25,000 रु. की दर से अनुग्रह का भुगतान।

(ii) पाक अधिकृत कश्मीर (1947) के विस्थापित व्यक्तियों को प्रति परिवार 25,000 रु. की दर से अनुग्रह का भुगतान।

(iii) पाक अधिकृत कश्मीर (1947) के विस्थापित व्यक्तियों को प्रति केनाल 25,000 रु. की अधिकतम दर से भूमि की कमी के बदले प्रति परिवार अधिकतम 1.50 लाख रूपये नकद मुआवजे का भुगतान।

(iv) जम्मू और कश्मीर राज्य में पहले ही बस गए विस्थापित लोगों और जिन्हें विगत में प्लाट आबंटित नहीं किए गए हैं ऐसे लोगों को प्लाट के आबंटन के लिए दिए जाने वाले 2 करोड़ रु. की राशि का भुगतान।

(v) विस्थापित व्यक्तियों की 46 नियमित कालोनियों में नागरिक सुविधाओं में सुधार करने के लिए राज्य सरकार को 25 लाख रु. का भुगतान।

13.41 अनुग्रह राहत/पुनर्वास सहायता के भुगतान के लिए वास्तविक दावेदारों की जांच करने के लिए प्रभागीय आयुक्त, जम्मू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है। इस समिति ने पाक अधिकृत कश्मीर (1947) के पात्र लाभार्थियों की पहचान करने का कार्य शुरु कर दिया गया है। जांच किए गए और पात्र परिवारों को संवितरित किए जाने के लिए जम्मू और कश्मीर सरकार को कुल 6.17 करोड़ रु. की राशि जारी की गई है। भारत सरकार ने अप्रैल, 2008 में प्रधानमंत्री द्वारा घोषित पैकेज के अनुसार जम्मू और कश्मीर की राज्य सरकार को दिनांक 24.12.2008 को पाक अधिकृत कश्मीर (1947) के विस्थापित व्यक्तियों को भूमि की कमी के लिए मुआवजे के भुगतान के लिए 49 करोड़ रु. की अतिरिक्त राशि जारी की है। जम्मू और कश्मीर राज्य सरकार द्वारा यह सूचित किया गया है कि पाक अधिकृत कश्मीर (1947) से विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए जारी की गई कुल 55.17 करोड़ रु. की सहायता में से 30.02 करोड़ रुपए की राशि जनवरी, 2013 तक 2,483 पात्र परिवारों/लाभार्थियों को संवितरित की गई है।

13.42 जहां तक छम्ब-नियाबात क्षेत्र (1971) के गैर-शिविर विस्थापित व्यक्तियों का संबंध है, समिति ने प्रति पात्र परिवार को 25,000 रु. की दर से अनुग्रह राहत के भुगतान के लिए कुल 1965 मामलों में से 1502 मामलों की जांच कर ली है। राज्य सरकार ने अब तक 25,000 रूपए प्रति परिवार के अनुग्रह भुगतान का संवितरण 1,230 पात्र लाभार्थियों को किया है।

भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) के विस्थापित व्यक्तियों (डी पी एस) का पुनर्वास

13.43 वर्ष 1946 और 1971 के बीच लगभग 52.31 लाख विस्थापित व्यक्ति (डी पी) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से भारत आए थे। इनमें से लगभग 41.17 लाख विस्थापित व्यक्तियों, जो दिनांक 31 मार्च, 1958 तक भारत आए थे, को 'पुराने प्रवासी' (ओल्ड माइग्रेन्ट्स) कहा जाता है और दिनांक 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच आए लगभग 11.14 लाख विस्थापित व्यक्तियों को 'नए प्रवासी' कहा जाता है। 41.17 लाख 'पुराने प्रवासियों' में से, लगभग 31.32 लाख व्यक्ति पश्चिम बंगाल में बस गए। शेष पुराने एवं नए प्रवासियों का भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत देश के विभिन्न राज्यों में पुनर्वास किया गया है।

13.44 पुराने एवं नए प्रवासियों के पुनर्वास के लिए भारत सरकार ने राहत और पुनर्वास के अनेक उपाय किए थे। पुराने प्रवासियों के पुनर्वास का कार्य कुल मिलाकर वर्ष 1960 की समाप्ति तक और नए प्रवासियों के पुनर्वास का कार्य 1980के अन्त तक पूरा कर लिया गया था। तथापि, इन विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास से संबंधित कुछ शेष योजनाएं कार्यान्वयनाधीन हैं। इन शेष योजनाओं में आबादकारों की कालोनियों को नियमित करना, पश्चिम बंगाल में ग्रामीण डी पी कालोनियों में अवसंरचनात्मक सुविधाओं का प्रावधान करना और मध्य प्रदेश राज्य सरकार के पुराने बकाये के दावों की प्रतिपूर्ति करना शामिल है। पश्चिम बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों के लिए अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विकास के लिए 79.10 करोड़ रूपये की योजना को सरकार ने स्वीकृति दे दी है। पश्चिम बंगाल सरकार को 31 करोड़ रूपये की धनराशि जारी कर दी गई है।

शत्रु सम्पत्ति

13.45 पहले वाणिज्य मंत्रालय द्वारा किया जाने वाला शत्रु सम्पत्ति संबंधी कार्य, भारत सरकार (कार्य आबंटन) नियम, 1961 में संशोधन किए जाने से भारत के संविधान के अनुच्छेद 77 के खंड (3) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा जारी की गई दिनांक 28.06.2007 की अधिसूचना सं. 1/22/4/2007-कैब के माध्यम से गृह मंत्रालय को अंतरित कर दिया गया था।

13.46 भारतीय शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक का कार्यालय इस समय शत्रु सम्पत्ति अधिनियम, 1968 में निहित प्रावधानों के अंतर्गत कार्य कर रहा है। यह अधिनियम भारतीय शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक में निहित शत्रु सम्पत्ति की सतत अभिरक्षा और प्रबंधन के लिए अधिनियमित किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 10.09.1965 से 26.09.1977 के बीच पाकिस्तानी राष्ट्रिकों से संबंधित अथवा उनकी ओर से धारित अथवा प्रबंध की जा रही पूरे भारत में सभी अचल और चल सम्पत्तियां भारतीय शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक में निहित हैं।

13.47 भारतीय शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक का कार्यालय मुंबई में स्थित है और उसका एक-एक शाखा कार्यालय कोलकाता और लखनऊ में है। इस समय शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक विभिन्न राज्यों में स्थित 2,111 अचल सम्पत्तियों का प्रबंधन कर रहा है। इसके अतिरिक्त, 1,600 करोड़ रूपए मूल्य की चल सम्पत्ति जैसे कि शेयर, डिबेंचर, आभूषण आदि भी शत्रु सम्पत्ति अभिरक्षक में निहित हैं।

13.48 वर्ष 1965 और 1971 के भारत-पाक युद्ध के पश्चात् भारत सरकार ने उक्त युद्धों के दौरान पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान के भारतीय राष्ट्रिकों और कंपनियों को उनकी गुम सम्पत्तियों के 25% तक अनुग्रह भुगतान मंजूर करने के लिए दिनांक 15.03.1971 को एक संकल्प संख्या 12/1/1971-ई आई एंड ई पी पारित किया। ऐसे दावेदारों को अनुग्रह भुगतान के रूप में अब तक 71.04 करोड़ रु. की राशि प्रदान की जा चुकी है।

13.49 शत्रु सम्पत्ति अधिनियम, 1968 के प्रावधानों के अनुसार, अभिरक्षक में निहित सम्पत्तियों से अर्जित आय के 2% के बराबर फीस लगाई जाती है और उसे केन्द्रीय सरकार के पास जमा किया जाता है। तदनुसार भारत की समेकित निधि में 1965 से दिनांक 31.12.2012 तक 6.65 करोड़ रु. (2% लेवी के रूप में) जमा किए जा चुके हैं।

13.50 शत्रु सम्पत्ति (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) द्वितीय विधेयक, 2010 दिनांक 15.11.2010 को लोक सभा में पेश किया गया था। विभाग संबंधी संसदीय स्थाई समिति के संबंधित नियमों के अनुसरण में, राज्य सभा के सभापति ने दिनांक 30.12.2010 को शत्रु संपत्ति (संशोधन एवं विधिमान्यकरण) द्वितीय विधेयक को जांच और रिपोर्ट करने के लिए समिति को भेज दिया। समिति ने अपनी रिपोट ‘दिनांक 03.11.2011 को प्रस्तुत कर दी है। समिति ने सिफारिश की है कि सरकार मौजूदा विधेयक को वापस ले सकती है और समिति के विचारों और प्रेक्षणों को शामिल करके एक नया विधेयक संसद के समक्ष प्रस्तुत कर सकती है। संसदीय स्थायी समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं।

❖❖❖

अध्याय XIV भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त

14.1 भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय (ओआरजी एण्ड सीसीआई) गृह मंत्रालय का एक संबद्ध कार्यालय है । यह निम्नलिखित कार्यों के लिए उत्तरदायी है :

(i) **मकानों तथा जनसंख्या की गणना:** दशकीय मकानसूचीकरण और मकानों की गणना तथा जनसंख्या की गणना की आयोजना, समन्वय और पर्यवेक्षण करना। जनगणना अधिनियम, 1948 और जनगणना (संशोधन) अधिनियम, 1993 के प्रावधानों के अन्तर्गत जनगणना के परिणामों के सारणीकरण/संकलन तथा प्रचार-प्रसार का उत्तरदायित्व भी भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय का है ।

(ii) **सिविल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (सीआरएस):** देश में जन्म और मृत्यु अधिनियम, 1969 संबंधी रजिस्ट्रीकरण का समग्र कार्यान्वयन । जन्म और मृत्यु के संबंध में जीवनांक संबंधी आंकड़ों का संकलन ।

(iii) **सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एसआरएस):** एक सुपरिभाषित सैम्पल सर्वेक्षण के माध्यम से राष्ट्रीय और राज्य स्तरों पर प्रजननता दर तथा मृत्यु दर के आकलन प्रकाशित करना ।

(iv) **राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर):** नागरिकता (सुधार) अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त (आरजी एण्ड सीसीआई) राष्ट्रीय रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी तथा महारजिस्ट्रार, नागरिक रजिस्ट्रीकरण के रूप में कार्य करते हैं। भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय एनपीआर परियोजना के कार्यान्वयन के लिए उत्तरदायी है ।

(v) **वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एएचएस):** यह स्कीम राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा योजना आयोग के अनुरोध पर बनाई गई है। इसे जिला स्तर पर जन्म-मृत्यु तथा स्वास्थ्य संबंधी प्रमुख संकेतकों को मानदण्ड प्राप्त करने के लिए तैयार किया गया है।

(vi) **सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना:** भारत सरकार पूरे देश में सामाजिक-आर्थिक एवं जाति आधारित जनगणना आयोजित करा रही है । जहां एक ओर भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय और आवास तथा शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय क्रमशः ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों के संबंध में नोडल मंत्रालय हैं वहीं दूसरी ओर भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय संपूर्ण संभारतंत्रीय तथा तकनीकी सहायता उपलब्ध करा रहा है ।

(vii) **मातृभाषा सर्वेक्षण:** जनगणना 2001 में बताई गई अवर्गीकृत मातृभाषाओं का सर्वेक्षण कार्यान्वयनाधीन है।

(viii) **भाषायी सर्वेक्षण :** भारत का भाषायी सर्वेक्षण भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही एक सतत परियोजना है ।

जनगणना 2011

14.2 भारत में वर्ष 1872 से नियमित दशकीय जनगणनाओं की एक लंबी परम्परा रही है । जनगणना 2011 देश की 15वीं तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद की 7वीं जनगणना है ।

14.3 जनगणना देश की सबसे बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई है जोकि जनसंख्या के विभिन्न सामाजिक-आर्थिक मानदण्डों के संबंध में महत्वपूर्ण आंकड़े उपलब्ध कराती है। जनगणना संबंधी कार्य दो चरणों, अर्थात मकानसूचीकरण और मकानों की गणना तथा जनसंख्या की गणना, में किए जाते हैं। जनगणना 2011 का प्रथम चरण- मकानसूचीकरण और मकानों की गणना अप्रैल-सितम्बर, 2010 में आयोजित किया गया तथा दूसरा चरण- जनसंख्या की गणना फरवरी-मार्च, 2011 में आयोजित किया गया। जनगणना 2011 के दोनों चरणों में परिवारों तथा व्यक्तियों के संबंध में आवासों की मात्रा एवं गुणवत्ता, उपलब्ध सुविधाएं, स्वामित्व के अन्तर्गत परिसम्पत्तियां, आयु, लिंग, साक्षरता, धर्म, निःशक्तता, अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों, भाषाओं/

गृह सचिव, श्री आर.के. सिंह, 11.01.2013 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में आयोजित जनगणना पदक वितरण समारोह में भाषण देते हुए

मातृभाषाओं, आर्थिक गतिविधियों की स्थिति तथा स्थान परिवर्तन इत्यादि जैसे विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और जनसांख्यिकीय मानदण्डों विषयक आंकड़े एकत्र किए गए। जनगणना 2011 में कड़ी मेहनत तथा कर्त्तव्य के प्रति समर्पण की प्रशंसा के प्रतीक के रूप में भारत के राष्ट्रपति ने चुनिंदा जनगणना कार्यकर्ताओं को पदक प्रदान किया।

14.4 मकानूसचीकरण और मकानों की गणना 2011 के पूरे देश में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अन्तर्गत आने वाले परिवारों के संबंध में जनगणना मकानों, उपलब्ध सुविधाओं और स्वामित्व के अन्तर्गत परिसम्पत्तियों-विषयक गुणात्मक और परिणात्मक आंकड़े जारी किए जा चुके हैं । ये आंकड़े तहसील और नगर स्तरों पर भी जारी किए जा

भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त डा. च. चन्द्रमौलि के साथ केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री श्री आर.पी.एन. सिंह राष्ट्रीय आंकड़ा प्रसार कार्यशाला में 28.12.2012 को महिला मुखिया वाले परिवारों के संबंध में मकानसूचीकरण आंकड़े जारी करते हुए ।

चुके हैं। महिला मुखिया वाले परिवारों संबंधी मकानूसचीकरण आंकड़े केन्द्रीय गृह राज्यमंत्री श्री आर.पी.एन सिंह द्वारा 28.12.2012 को जारी किए गए। सभी राज्यों के संबंध में जनगणना अनुसूचियों की स्कैनिंग तथा आंकड़ा संसाधन का कार्य पूरा हो चुका है । प्राथमिक जनगणना सार (पीसीए) को अंतिम रूप दिए जाने के संबंध में समन्वय कार्य चल रहा है।

14.5 जनगणना 2011 का मकानसूचीकरण तथा मकानों की गणना संबंधी सर्वेक्षण (पीईएस) पूरा किया जा चुका है । जनसंख्या की गणना से संबंधित गणना उपरान्त सर्वेक्षण का कार्य चल रहा है।

भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित नगर मानचित्रण

14.6 जनगणना करने की एक पूर्व-शर्त के रूप में विभिन्न प्रकार के मानचित्र तैयार किए जाते हैं । जनगणना करने से पहले और बाद में, दोनों ही अवस्थाओं में मानचित्रण संबंधी कार्य होते हैं । देश के समग्र भौगोलिक क्षेत्र की उपयुक्त कवरेज के लिए जनगणना से पहले शुरू किए जाने वाले मानचित्रण कार्यों में, राज्यों, जिलों, उप-जिलों, गांवों, नगरों और वार्डों की प्रशासनिक इकाइयों को दर्शाने वाले मानचित्रों को तैयार करने और अद्यतन करने का कार्य शामिल है । जनगणना के पश्चात किए जाने वाले मानचित्रण कार्यों में विभिन्न प्रकाशनों अर्थात जनगणना एटलसों, अन्य प्रकाशनों और जिला जनगणना पुस्तिकाओं (डीसीएचबीएस) के लिए जनगणना आंकड़ों संबंधी थीमैटिक मानचित्र तैयार किया जाना शामिल है। प्रत्येक जनगणना के दौरान यह संगठन दस हजार से अधिक प्रशासनिक और थीमैटिक मानचित्र तैयार करता है जोकि प्रयोक्ता अभिकरणों, विभागों, शिक्षाविदों, योजनाकारों, अनुसंधानकर्ताओं, विद्यार्थियों और नीति-निर्माताओं को उपलब्ध कराए जाते हैं। 01-01-2010 की स्थिति के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (35), जिलों (640) और उप-जिलों (5924) की नवीनतम प्रशासनिक सीमाओं को दर्शाने वाला ''भारत का प्रशासनिक एटलस-2011'' तैयार एवं प्रकाशित किया जा चुका है । राज्य और जिला स्तरों पर मानचित्रों की श्रृंखला तैयार की जा रही है ।

14.7 जनगणना 2011 में जनगणना संबंधी कार्य की गुणवत्ता और कवरेज में सुधार करने के लिए तथा किसी भी प्रकार के दोहराव अथवा छूट जाने से बचने के लिए पहली बार देश के 33 राज्य/संघ राज्यक्षेत्र राजधानी शहरों के 2132 वार्डों में जीआईएस आधारित नगर मानचित्रण प्रारंभ किया गया । फरवरी, 2011 में जनसंख्या की गणना से पहले सभी वार्डों में फील्ड सत्यापन सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया तथा डिजिटल फाइलों के निर्माण का कार्य भी पूरा कर लिया गया। विस्तृत वार्ड मानचित्र प्रत्येक मकान/भवन, बड़ी और छोटी सड़कों, गलियों, उप-गलियों तथा सभी महत्वपूर्ण भू-चिह्न संबंधी विशेषताओं को दर्शाते हैं । जीआईएस आधारित नगर मानचित्रण की एक महत्वपूर्ण विशेषता इन शहरों के भीतर सभी क्षेत्रों की पूर्ण कवरेज सुनिश्चित करने के लिए पहले से बनाए गए गणना ब्लाकों का सीमांकन थी । भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय ने राष्ट्रीय स्थानिक आंकड़ा अवसंरचना (एनएसडीआई), विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का नोडल कार्यालय होने के नाते 20-21 दिसम्बर, 2012 को नई दिल्ली में स्थाई विकास के लिए राष्ट्रीय भू-स्थानिक सूचना प्रणाली (एनजीआईएस) के संबंध में दो दिवसीय सम्मेलन आयोजित किया।

भारत का मातृभाषा सर्वेक्षण (एमटीएसआई)

14.8 12वीं पंचवर्षीय योजना अवधि (2012-17) में लगभग 600 वर्गीकृत और अवर्गीकृत मातृभाषाओं (कम व्यक्तियों द्वारा बोली जाने वाली मातृभाषाओं सहित) का भाषाई सर्वेक्षण करने के उद्देश्य से भारत का मातृभाषा सर्वेक्षण (एमटीएसआई) नामक एक प्लान स्कीम शुरू की गई है। यह 11वीं पंचवर्षीय योजना की एमटीएसआई (प्लान) परियोजना के अनुक्रम में है।

14.9 इस प्लान परियोजना में वीडियोग्राफी का प्रयोग करते हुए श्रव्य-दृश्य भाषाई फील्ड आंकड़ा एकत्रण और भारत के महारजिस्ट्रार के कार्यालय तथा जनगणना निदेशालयों के सांख्यिकीय पदाधिकारियों द्वारा निर्धारित सर्वेक्षण साधनों का प्रयोग करते हुए आंकड़ा एकत्रण का कार्य शामिल है। सर्वेक्षण साधनों को तकनीकी सलाहकार समिति (भाषा) के मार्गदर्शन में अंतिम रूप दिया गया है जिसमें कि भाषाविज्ञान के क्षेत्र के प्रमुख विशेषज्ञ तथा भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय के प्रतिनिधि शामिल हैं।

14.10 वर्ष 2012-13 में अभी तक 27 राज्यों की 81 मातृभाषाओं को फील्ड सर्वेक्षण के लिए चुना गया है जिसमें से सितम्बर, 2012 तक 38 मातृभाषाओं के संबंध में फील्ड सर्वेक्षण प्रारंभ हो चुका है । शेष 43 मातृभाषाओं के सर्वेक्षण संबंधी कार्य को 31.03.2013 तक पूरा कर लिया जाना है। सर्वेक्षण की गई मातृभाषाओं की रिपोर्टों को दिसम्बर, 2012 से प्रारंभ करते हुए चरणबद्ध ढंग से संस्थानों और विश्वविद्यालयों भाषाविज्ञान विशेषज्ञ तथा प्रोफेसरों द्वारा अभिलेखित, और उसके पश्चात अंतिम रूप दिया जाना है।

भारत का भाषाई सर्वेक्षण

14.11 भारत का भाषाई सर्वेक्षण (एलएसआई) 6ठी पंचवर्षीय योजना से भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय में अनुसंधान संबंधी एक नियमित क्रियाकलाप रहा है। वर्ष 2011-12 तक इस परियोजना के अन्तर्गत प्रकाशित किए गए पहले के प्रकाशनों के अनुक्रम में वर्ष 2012-13 में भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय की आधिकारिक वेबसाइट पर एलएसआई-सिक्किम (भाग-II) संबंधी वाल्यूम प्रकाशित किया गया है। इस वाल्यूम में सिक्किम, पश्चिम बंगाल और हिमाचल प्रदेश में नेपाली भाषा के व्याकरण संबंधी रेखाचित्र तथा साथ ही भारत के उक्त तीन राज्यों में इसी भाषा का तुलनात्मक विश्लेषण दिया गया है। एलएसआई-बिहार और झारखंड वाल्यूम संपादन की प्रक्रिया में है।

जनगणना 2011 में भाषा संबंधी आंकड़ों के संबंध में आंकड़ा संसाधन

14.12 जनगणना 2011 में दर्ज किए गए मातृभाषा तथा अन्य ज्ञात भाषाओं के आंकड़ों का संसाधन कार्य वर्ष 2013-14 में कम्प्यूटर सहाय्यित कोडिंग के माध्यम से प्रारंभ किया जाएगा। जनगणना 2001 में अवर्गीकृत मानी गई लगभग 540 मातृभाषाओं के नामों के वर्गीकरण का कार्य 11वी पंचवर्षीय योजना में एमटीएसआई(प्लान) योजना के माध्यम से किया गया है। इस परियोजना के परिणामों का उपयोग करते हुए कोडों को अद्यतन करने का कार्य 2012-13 में पूरा कर लिया गया।

आंकड़ा प्रसार

14.13 जनगणना 2011 से संबंधित आंकड़ा संसाधन और आंकड़ों के सारणीकरण के पश्चात जनगणना संगठन द्वारा शुरू किए जाने वाले कार्यों में से एक कार्य आंकड़ा प्रयोक्ताओं के लिए आंकड़ों का प्रसार है। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक जनगणना निदेशालय में स्थापित किए गए आंकड़ा प्रसार केन्द्र को जनगणना संबंधी आंकड़ों की उपलब्धता तथा जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक क्रियाकलाप, स्थान परिवर्तन, प्रजननता इत्यादि जैसे विभिन्न विषयों में उनके प्रयोग संबंधी जागरूकता सृजित करने के लिए प्रेरित किया गया है । देश के भीतर तथा बाहर के विभिन्न आंकड़ा प्रयोक्ताओं जिनमें कि सरकारी विभाग, स्वैच्छिक संगठन तथा स्वतंत्र आधार पर अनुसंधान करने वाले छात्र शामिल हैं, द्वारा प्रयोग किए जाने के लिए जनगणना आंकड़ा उत्पादों को मुद्रित प्रकाशनों और सीडी के रूप में उपलब्ध कराया जा रहा है।

14.14 जनगणना 2011 की जनसंख्या की गणना के अनन्तिम परिणामों और मकानसूचीकरण, परिवार को उपलब्ध सुविधाओं तथा परिसम्पत्तियों संबंधी अंतिम सारणियों को मुद्रित, सीडी के रूप में प्रसारित किया जा रहा है तथा इन्हें भारत की जनगणना की वेबसाइट www.censusindia.gov.in पर भी उपलब्ध कराया गया है । जनगणना 2011 के आंकड़ा सेटों संबंधी सभी सारणियों तथा जारी किए गए प्रकाशनों को निःशुल्क डाउनलोड के लिए तत्काल वेबसाइट पर अपलोड किया जाता है ।

14.15 आवास, परिवार की सुख-सुविधाओं और परिसंपत्तियों के संबंध में जनगणना 2011 के आंकड़ों का प्रचार-प्रसार करने के लिए, सेंससइन्फो इंडिया वर्जन 2.01 नामक एक नए इंटरेक्टिव सॉफ्टवेयर मॉड्यूल को दिनांक 17.12.2012 को जारी किया गया था । यह सॉफ्टवेयर जनसंख्या और आवास संबंधी परिणामों के प्रचार-प्रसार के लिए एक अभिनव तथा लचीली आंकड़ा-आधार प्रौद्योगिकी का प्रयोग करता है । संयुक्त राष्ट्र सांख्यिकी प्रभाग (यू.एन.एस.डी.) द्वारा विकसित किए गए इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग उपयोगकर्ता अनुकूल तरीके से आंकड़े प्रदर्शित करने हेतु सारणियां, चार्ट और मानचित्र तैयार करने में करता है । यह सॉफ्टवेयर वेब तथा सी.डी. दोनों वर्जन में प्रयोग हेतु जारी किया गया था ।

14.16 भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा शुरू की गई दूसरी महत्वपूर्ण नवप्रवर्तनकारी पहल जनगणना से प्रतिदर्श सूक्ष्म-आंकड़ों के संबंध में अनुसंधान करने हेतु कार्यस्थलों की स्थापना करना है। इस कार्यालय ने इन कार्यस्थलों की स्थापना के लिए चार विश्वविद्यालयों, अर्थात् केरल, पटियाला, राजस्थान तथा कश्मीर विश्वविद्यालयों के साथ करार किया है। एक कार्यस्थल जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, दिल्ली में पहले से ही कार्य कर रहा है। कार्यस्थल की स्थापना करने के लिए प्रत्येक विश्वविद्यालय को 20 लाख रुपये की राशि प्रदान की जाएगी। एक बार तैयार होने पर, विश्वविद्यालय के संकाय के पर्यवेक्षणाधीन छात्र प्रतिदर्श सूक्ष्म-आंकड़ा फाइलों से जनगणना का विश्लेषण करते हुए अनुसंधान करने में समर्थ हो जाएंगे।

14.17 भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय ने 1865 से प्रकाशित की गई सभी पुरानी जनगणना रिपोर्टों का अभिलेखागार उपयोगकर्त्ताओं के लिए तैयार करने की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है । इन रिपोर्टों के लगभग 8 लाख पृष्ठों को संरक्षित करने के लिए माइक्रोफिल्म बनायी जाएगी तथा परामर्श हेतु प्रलेख पी.डी.एफ. में उपलब्ध कराए जाएंगे। इन रिपोर्टों तक पहुंच की सुविधा प्रदान करने के लिए 33 जनगणना निदेशालयों में से प्रत्येक निदेशालय में अभिलेखीय कार्यस्थलों की स्थापना की जा रही है ।

14.18 अब तक जारी किए गए जनगणना संबंधी आंकड़ों की उपलब्धता का प्रचार तथा प्रयोग करने के उद्देश्य से, नवम्बर और दिसम्बर, 2012 में पूरे देश में आंकड़ा प्रचार-प्रसार

कार्यशालाएं आयोजित की गईं । विभिन्न क्षेत्रों से विद्वानों को जनगणना 2011 के आंकड़ों के संबंध में विचार-विमर्श हेतु अपना-अपना विश्लेषण प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया ।

14.19 भारत की जनगणना संबंधी वेबसाइट का आंकड़ों के प्रचार-प्रसार हेतु व्यापक रूप से प्रयोग किया जा रहा है। इस उद्देश्य से वेब पर उपलब्ध फेसबुक जैसे सामाजिक मीडिया नेटवर्क का भी व्यापक उपयोग किया जा रहा है। भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय ने नई दिल्ली में आयोजित ओ.ई.सी.डी. वर्ल्ड फोरम, दिनांक 01-09 सितम्बर, 2012 के दौरान आयोजित 18वें दिल्ली पुस्तक मेले और 4-10 फरवरी, 2013 को आयोजित विश्व पुस्तक मेले में भाग लेकर गणमान्य व्यक्तियों, जनसांख्यिकीविदों, अनुसंधानकर्ताओं, विद्वानों आदि को जनगणना आंकड़ों और आंकड़ा उत्पादों के बारे में जागरूक किया ।

14.20 इस वर्ष के दौरान अब तक निम्नलिखित रिपोर्टें प्रकाशित की गई हैं :

क) मकान, परिवारों की सुख-सुविधाएं एवं परिसंपत्तियां – जनगणना 2011 : भारत तथा 35 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

ख) वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (ए.एच.एस.) 2010-2011 तथ्य पत्रक (नौ राज्य-असम, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड

ग) सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली रिपोर्ट – 2010

घ) प्रशासनिक एटलस - 2011 जनगणना भारत

ङ.) प्रशासनिक इकाई की सीमा में परिवर्तनों के संबंध में एटलस 2001-2011, भारत

च) मकानों, परिवारों की सुख-सुविधाओं एवं परिसंपत्तियों पर सी.डी.–जनगणना 2011 : भारत तथा 35 राज्य/संघ राज्यक्षेत्र

छ) एम.डी.डी.एस. कोड 2011

जीवनांक

जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (आर.बी.डी.) अधिनियम, 1969 का कार्यान्वयन

14.21 राज्य सरकारों द्वारा जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (आर.बी.डी.) अधिनियम, 1969 के अंतर्गत नियुक्त किए गए कार्यकर्ताओं द्वारा देश में जन्म और मृत्यु का पंजीकरण किया जाता है । भारत के महारजिस्ट्रार पूरे देश में पंजीकरण संबंधी कार्यकलापों को समन्वित और एकीकृत करते हैं जबकि मुख्य रजिस्ट्रार जन्म और मृत्यु इस अधिनियम के उपबंधों तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियमों और आदेशों को कार्यान्वित करने के लिए संबंधित राज्यों में मुख्य कार्यकारी प्राधिकारी हैं ।

14.22 पिछले कुछ वर्षों से पंजीकृत जन्म और मृत्यु के अनुपात में नियमित वृद्धि देखी गई है । देश के संबंध में जन्म का पंजीकरण स्तर बढ़कर 81.1 प्रतिशत तक हो गया है, जो पिछले वर्ष से वर्ष 2009 में तीन प्रतिशत से अधिक की वृद्धि दर्ज करता है । दूसरी ओर, मृत्यु के पंजीकरण स्तर में 0.2 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है और यह 67 प्रतिशत तक हो गया है । पिछले गत वर्ष की तुलना में वर्ष 2009 में उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और महाराष्ट्र राज्यों में मृत्यु के पंजीकरण के निम्न स्तर के कारण राष्ट्रीय स्तर पर मृत्यु के पंजीकरण के स्तर में मामूली वृद्धि हुई है ।

14.23 राज्यों में पंजीकरण के स्तर में व्यापक विभिन्नताएं बनी रही हैं । अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, केरल, पंजाब, त्रिपुरा राज्यों और चण्डीगढ़, दिल्ली तथा पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्रों ने जन्म के पंजीकरण का शत-प्रतिशत स्तर प्राप्त कर लिया है । गोवा, हरियाणा, कर्नाटक, राजस्थान और तमिलनाडु ने जन्म के पंजीकरण का 90 प्रतिशत से अधिक का स्तर प्राप्त कर लिया है । तथापि, बिहार और छत्तीसगढ़ राज्यों में यह 50 प्रतिशत से भी कम है।

14.24 उत्तर प्रदेश (+15.5 प्रतिशत), बिहार (+13.4 प्रतिशत), राजस्थान (+6.5 प्रतिशत), उत्तराखंड (+3.7 प्रतिशत) और असम (+3.6 प्रतिशत) राज्यों में जन्म के पंजीकरण के स्तर में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है । पिछले वर्ष की तुलना में छत्तीसगढ़ (+2.6 प्रतिशत), मणिपुर (+1.5 प्रतिशत) और जम्मू कश्मीर (+0.5 प्रतिशत) में जन्म के पंजीकरण स्तर में मामूली वृद्धि हुई है ।

14.25 मृत्यु के पंजीकरण के स्तर के दृष्टिगत, गोवा, केरल और मिजोरम राज्यों और चण्डीगढ़, दिल्ली तथा पुदुचेरी संघ राज्यक्षेत्रों ने मृत्यु के पंजीकरण का शत-प्रतिशत स्तर प्राप्त कर लिया है । पंजाब, सिक्किम राज्यों तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह संघ राज्यक्षेत्र में मृत्यु का 90 प्रतिशत से अधिक पंजीकरण किया जा रहा है । अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह (+14.8 प्रतिशत), मणिपुर (+10.1 प्रतिशत), नागालैण्ड (+8.1 प्रतिशत), झारखंड (+5.1 प्रतिशत), पंजाब (+3.0 प्रतिशत) और राजस्थान (+2.9 प्रतिशत) राज्यों में मृत्यु के पंजीकरण में पिछले वर्ष की तुलना में बहुत बड़ा

सुधार हुआ है। अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार और मणिपुर में मृत्यु का पंजीकरण 40 प्रतिशत से कम है । छत्तीसगढ़, गोवा तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीपसमूह को छोड़कर अधिकांश राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में जन्म के पंजीकरण के स्तर की अपेक्षा मृत्यु के पंजीकरण का स्तर अपेक्षाकृत निम्न है। मृत्यु के पंजीकरण के निम्न स्तर का कारण कुछ सीमा तक महिला मृत्यु और नवजात शिशुओं की मृत्यु का पंजीकरण न कराया जाना भी हो सकता है ।

मृत्यु के कारण का चिकित्सीय अनुप्रमाणन

14.26 जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण (आर.बी.डी.) अधिनियम, 1969 के अंतर्गत मृत्यु के कारण का चिकित्सीय अनुप्रमाणन संबंधी योजना (एम.सी.सी.डी.) में मृत्यु के कारणों संबंधी आंकड़ों, जो जनसंख्या की स्वास्थ्य से संबंधित प्रवृत्तियों के अनुवीक्षण के लिए एक पूर्वापेक्षा है, का प्रावधान है । दिनांक 31.10.2012 की स्थिति के अनुसार, 32 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों ने एम.सी.सी.डी. योजना को कार्यान्वित करने के लिए अधिसूचनाएं जारी कर दी हैं । शेष दो राज्य, अर्थात् केरल और मेघालय तथा लक्षद्वीप संघ राज्यक्षेत्र जन्म और मृत्यु रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1969 के अंतर्गत यह योजना क्रियान्वित कर रहे हैं ।

14.27 वर्ष 2007 के लिए ''मृत्यु के कारण का चिकित्सीय अनुप्रमाणन'' संबंधी वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 26 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में कुल पंजीकृत मृत्यु 42,19,770 में से, कुल 7,98,546 मृत्यु (5,00,748 पुरुष और 2,97,798 महिला) की चिकित्सीय रूप से अनुप्रमाणित होने की सूचना दी गई है ।

14.28 एमसीसीडी का दायरा शहरी क्षेत्रों के चुनिन्दा अस्पतालों तक ही सीमित है । एमसीसीडी का सभी चिकित्सा संस्थानों तक विस्तार किए जाने के लिए राज्यों द्वारा कदम उठाए जाते हैं।

सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एसआरएस)

14.29 राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तरों पर जन्म दर, मृत्यु दर तथा अन्य प्रजनन और मृत्यु दर संकेतकों के विश्वसनीय आकलन प्रदान करने के लिए भारत के महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त के कार्यालय द्वारा वर्ष 1964-65 में कुछ चुनिन्दा राज्यों में प्रायोगिक आधार पर प्रारम्भ की गई सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एसआरएस) लगभग 3700 सैम्पल इकाइयों को कवर करते हुए वर्ष 1969-70 में पूरी तरह से संचालित हो गई थी। महत्वपूर्ण दरों में परिवर्तनों का अनुवीक्षण करने के उद्देश्य से, एसआरएस सैम्पलिंग फ्रेम को इसके कार्यक्षेत्र का विस्तार करने और इस प्रणाली को युक्तिसंगत बनाने संबंधी प्रयासों के अतिरिक्त, हर दस वर्ष में संशोधित किया जाता है । अद्यतन प्रतिस्थापन 2001 की जनगणना पर आधारित है तथा 1 जनवरी, 2004 से प्रभावी है । मौजूदा सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली के पास 7,597 सैम्पल इकाइयां हैं (4,433 ग्रामीण और 3,164 शहरी) जो सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में हैं, जिसके दायरे में 1.3 मिलियन परिवार तथा लगभग 7 मिलियन जनसंख्या आती है । एसआरएस एक दुहरे रिकार्ड वाली प्रणाली है तथा इसमें निवासी अंशकालिक गणनाकर्ताओं द्वारा जन्म और मृत्यु की सतत जनगणना और सर्वेक्षकों द्वारा एक स्वतंत्र अर्धवार्षिक सर्वेक्षण सम्मिलित है । इन स्रोतों से मेल न खाते आंकड़ों को क्षेत्र में पुनः सत्यापित किया जाता है । सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली के अंतर्गत क्षेत्र सर्वेक्षण और परिणाम जारी किए जाने के बीच समय-सीमा को घटाकर एक वर्ष से कम कर दिया गया है ।

14.30 एसआरएस बुलेटिन-2012, सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एसआरएस) के अंतर्गत, सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के संबंध में वर्ष 2011 के लिए जन्म दर, मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर के बारे में ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के लिए अलग से आकलन जारी कर दिए गए हैं, जो **अनुबंध-XVII** में दिए गए हैं । वर्ष 2011 के लिए प्रमुख निष्कर्ष निम्नवत हैं:

(i) प्रति 1,000 की जनसंख्या के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर असंसाधित जन्म दर (सीबीआर) 21.8 है; जो ग्रामीण क्षेत्रों में 23.3 और शहरी क्षेत्रों में 17.6 है । अपेक्षाकृत बड़े राज्यों में, असंसाधित जन्म दर केरल में सबसे कम (15.2) और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक (27.8) है;

(ii) प्रति 1,000 की जनगणना के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर असंसाधित मृत्यु दर (सीडीआर) 7.1 है; जो ग्रामीण क्षेत्रों में 7.6 तथा शहरी क्षेत्रों में 5.7 है । अपेक्षाकृत बड़े राज्यों में, दिल्ली ने सबसे कम (4.3) और ओडिशा ने सर्वाधिक मृत्यु दर (8.5) दर्ज की है ।

(iii) जन्म के दौरान प्रति 1,000 जीवित नवजात के संबंध में राष्ट्रीय स्तर पर नवजात मृत्यु दर (आईएमआर) 44 (इ एक वर्ष) है; जो ग्रामीण क्षेत्रों में 48 तथा शहरी क्षेत्रों में 29 है । अपेक्षाकृत बड़े राज्यों में, केरल ने यह दर निम्नतम (12) दर्ज की है जबकि मध्य प्रदेश ने सर्वाधिक (59) की सूचना दी है ।

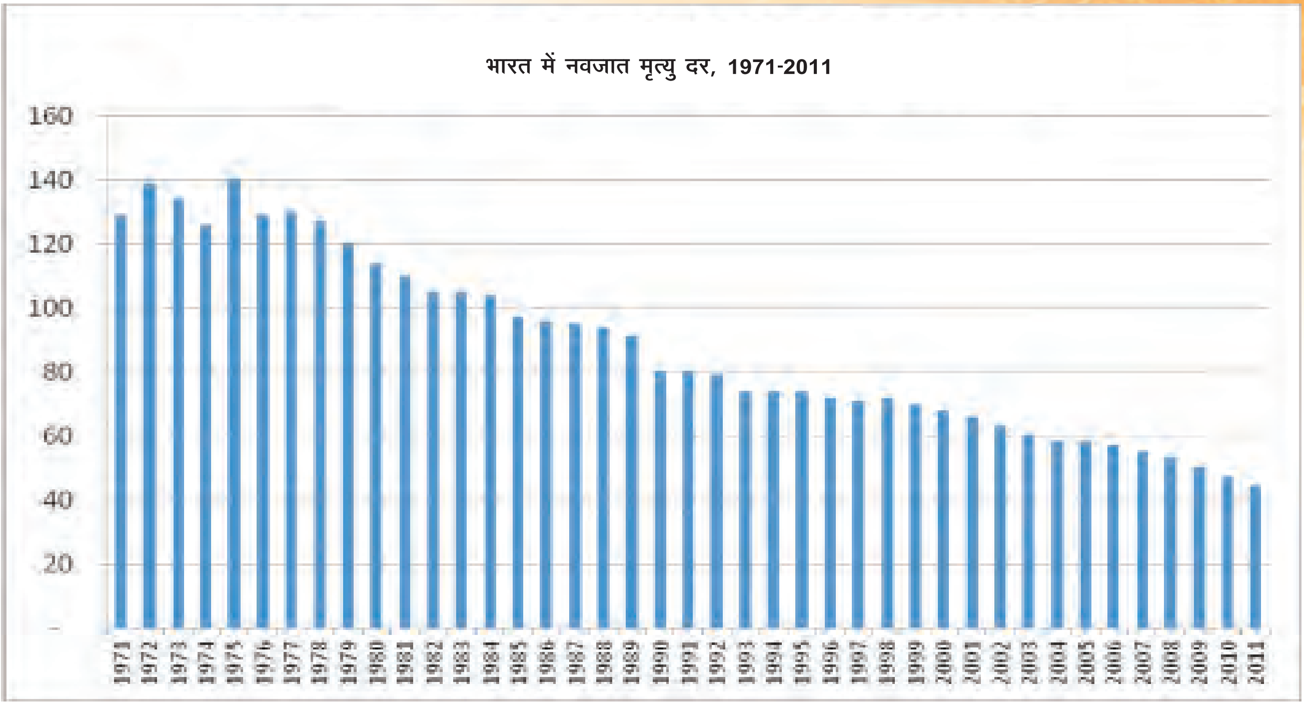

14.31 सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली (एसआरएस) के अंतर्गत भारत में मातृ मृत्यु दर संबंधी विशेष बुलेटिन 2007-09 जारी कर दी गई है । मुख्य-मुख्य निष्कर्ष निम्नवत हैं:

(i) भारत में मातृ मृत्यु दर अनुपात वर्ष 2004-2006 में 254 से घटकर 2007-2009 में 212 रह गया है । अधिकार प्राप्त कार्य दल **(ईएजी)** राज्यों और असम में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कमी 375 से 308 तक की रही है । दक्षिणी राज्यों में यह 149 से घटकर 127 और अन्य राज्यों में 174 से घटकर 149 तक हो गई है ।

(ii) वर्ष 2007-2009 में सहस्राब्दि विकास उद्देश्यों (एमडीजी) का लक्ष्य प्राप्त करने वाले राज्यों की संख्या 1 से बढ़कर 3 हो गई है; वर्ष 2004-2006 में केरल इस विशेषता वाला एकमात्र राज्य था। तमिलनाडु और महाराष्ट्र नवागंतुक हैं। आन्ध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, गुजरात और गुजरात एमडीजी लक्ष्य के बहुत नजदीक हैं ।

14.32 सैम्पल रजिस्ट्रीकरण प्रणाली के अंतर्गत जीवन सारणियों का एसआरएस आधारित संक्षिप्त प्रपत्र 2003-07 से 2006-10 जारी कर दिया गया है । भारत तथा अपेक्षाकृत बड़े राज्यों के लिए लिंग और आवास के आधार जन्म के दौरान जीवन की प्रत्याशा का ब्यौरा **संलग्नक-XVIII** में दिया गया है । वर्ष 2006-2010 के लिए मुख्य-मुख्य निष्कर्ष निम्नवत् हैं:

(i) देश में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 35 वर्षों की कालावधि में 16.4 वर्षों की वृद्धि दर्ज करते हुए 1970-75 के 49.7 वर्ष से बढ़कर 2006-10 में 66.1 वर्ष हो गई है।

(ii) राष्ट्रीय स्तर पर जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 66.1 वर्ष है; पुरूषों के लिए 64.6 वर्ष और महिलाओं के लिए 67.7 वर्ष। बड़े राज्यों में केरल में जीवन प्रत्याशा सबसे अधिक 74.2 वर्ष और असम में सबसे कम (61.9 वर्ष) है।

(iii) ग्रामीण क्षेत्रों में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 64.9 वर्ष है; पुरूषों के लिए 63.5 वर्ष और महिलाओं के लिए 66.5 वर्ष। बड़े राज्यों में ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में केरल में सबसे अधिक 74.2 वर्ष दर्ज किया गया है और असम में यह सबसे कम (61.0) है।

(iv) शहरी क्षेत्रों में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 69.6 वर्ष है; पुरूषों के लिए 68.0 वर्ष और महिलाओं के लिए 71.4 वर्ष। बड़े राज्यों में शहरी क्षेत्रों के संबंध में केरल में सबसे अधिक 74.3 वर्ष दर्ज किया गया और उत्तर प्रदेश में सबसे कम (66.0) वर्ष दर्ज किया गया।

वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण

14.33 वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (ए.एच.एस.) को राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा योजना आयोग के अनुरोध पर तैयार किया गया ताकि जिला स्तर पर आधारभूत जीवनांक एवं स्वास्थ्य सूचकांक मिल सके और इस तरह राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एन.आर.एच.एम.) के अंतर्गत हो रहे कार्यों और विभिन्न संबंधी कार्यों की प्रभावकारिता की समीक्षा के लिए सतत आधार पर इनमें हो रहे परिवर्तनों को मापा जा सके। वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण अन्य बातों के साथ-साथ अशोधित जन्म दर (सी.बी.आर.) अशोधित मृत्यु दर (सी.डी.आर.), शिशु मृत्यु दर (आई.एम.आर.), कुल प्रजननता दर (टी.एफ.आर.), मातृ मृत्यु दर (एम.एम.आर.), जन्म पर लिंग अनुपात संबंधी सूचकांक तथा मातृत्व एवं शिशु देख-रेख, परिवार नियोजन प्रथाओं इत्यादि पर कई अन्य सूचकांक सृजित करेगा और इनमें वर्ष-दर-वर्ष आधार पर होने वाले परिवर्तनों को उपयुक्त स्तर पर संकलित करेगा। 2010-2011 से प्रारंभ हुई अभियान अवधि 2007-2012 के दौरान ए.एच.एस. को अधिकार प्राप्त कार्य समूह (ई.ए.जी.) राज्यों (बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड) तथा असम (इसके पश्चात ए.एच.एस. राज्यों के रूप में संदर्भित) के सभी 284 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण को प्रति वर्ष 20,694 सांख्यिकीय रूप से चयनित सैंपल इकाइयों में किया जाएगा (शहरी क्षेत्रों और गांवों के मामले में जनगणना के गणना ब्लॉकों और ग्रामीण क्षेत्रों में 2000 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों की एक इकाई) जो नौ ए.एच.एस राज्यों में फैले हुए हैं और कुल 18.2 मिलियन जनसंख्या तथा 3.6 मिलियन परिवारों (2001 की जनगणना अनुसार) को कवर करता है। ग्रामीण क्षेत्रों के संबंध में प्रत्येक जिले में किसी गांव में औसतन 1,000 की जनसंख्या वाली लगभग 70 सैंपल इकाइयाँ और शहरी क्षेत्र में एक गणना ब्लाक की 650 इकाइयों को कवर किया जाएगा। तथापि, बेसलाइन सर्वेक्षण में कुल 20.1 मिलियन जनसंख्या तथा 4.14 मिलियन परिवार वास्तव में कवर किए गए तथा प्रथम अद्यतनीकरण सर्वेक्षण के दौरान कुल 20.61 मिलियन जनसंख्या और 4.28 मिलियन परिवार कवर किए गए हैं।

14.34 ए.एच.एस. राज्यों के 284 जिलों में बेस-लाइन सर्वेक्षण (2010-11) का फील्ड कार्य समाप्त होने के बाद और स्वतंत्र थर्ड पार्टी ऑडिट एजेंसियों द्वारा थर्ड पार्टी ऑडिट के माध्यम से सर्वे एजेंसियों द्वारा एकत्र ऑकड़ों की गुणवत्ता का प्रमाणीकरण होने पर बेस-लाइन सर्वेक्षण का ए.एच.एस. बुलेटिन केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव द्वारा विगत वर्ष अगस्त में रिलीज किया गया जिसमें 9 आधारभूत जीवनांक सूचकांक अर्थात् अशोधित जन्म दर, अशोधित मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, पांच साल से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु दर, जन्म पर लिंग अनुपात इत्यादि के संबंध में जिला स्तरीय आंकड़े हैं। ए.एच.एस. बुलेटिन जारी किए जाने के बाद, 9 ए.एच.एस. राज्यों की जिले-वार विस्तृत फैक्टशीट दिनांक 16.7.2012 को केन्द्रीय स्वास्थ्य सचिव द्वारा जारी किया गया जिसमें बेस-लाइन सर्वे से प्राप्त कुल प्रजननता दर, गर्भपात, परिवार नियोजन प्रथाएं, प्रसव-पूर्व देख-रेख, प्रसव देख-रेख, प्रसवोत्तर देख-रेख, टीकाकरण, बच्चों की बीमारियां, स्तनपान एवं अनुपूरण, जन्म रजिस्ट्रीकरण, निःशक्तता, चोट, मृत्युदर, व्यक्तिगत आदतें इत्यादि के शेष 152 सूचकांकों के आंकड़े शामिल थे।

14.35 बेस-लाइन सर्वे की जिला स्तरीय फैक्ट शीट की प्रमुख बातें निम्नलिखित हैं :-

i. 9 ए.एस.एच. राज्यों में फैले 284 जिलों में कुल प्रजननता दर जोकि एक स्त्री के संपूर्ण प्रजनन काल के दौरान जन्मे बच्चों की औसत संख्या दर्शाती है, पिथौरागढ़ (उत्तराखंड) में 1.7 से लेकर श्रावस्ती (उत्तर प्रदेश) में 5.9 तक है जोकि 4 बच्चों से अधिक की विविधता दर्शाता है। 20 जिलों में प्रतिस्थापन स्तर 2.1 तक पहुंच गया है।

ii. परिवार नियोजन का वर्तमान प्रयोग सीतापुर (उत्तर प्रदेश) में 21.9% से लेकर गंगानगर (राजस्थान) में 79.2% तक है जोकि लगभग 4 गुना वैविध्य दर्शाती है। परिवार नियोजन की पूरी न हुई आवश्यकता संबंधी आंकड़ों, जोकि भविष्य में परिवार नियोजन सेवाओं/आपूर्तियों की मांग को जॉचने के लिए एक महत्वपूर्ण सूचक है, से पता चलता है कि 284 जिलों में से केवल 69 जिलों में परिवार नियोजन की पूरी न हुई आवश्यकता 20% से कम है। 284 जिलों में से ओडिशा का बालेश्वर 61% तथा उत्तर प्रदेश का सीतापुर 61.3% के साथ चरम स्थितियों को दर्शाते हैं।

iii. महिलाओं के विवाह की औसत आयु राजस्थान में 19.7 से लेकर उत्तराखंड में 22.0 वर्ष तक की विविधता दर्शाती है। महिलाओं में विवाह की कानूनी आयु (18 वर्ष) से कम आयु में विवाह करने के संबंध में उत्तराखंड

3% से लेकर राजस्थान में 21.9% तक की विविधता दर्शाती है। सभी ए.एच.एस. राज्यों में विवाह की कानूनी आयु (21 वर्ष) से पहले विवाह किए जाने के मामले महिलाओं की अपेक्षा पुरूषों में अधिक हैं।

iv. 284 जिलों में से 94 जिलों में प्रसवोत्तर पूर्व देखभाल की कवरेज 5% से कम है जिसमें केवल 15 जिलों में 25% से अधिक कवरेज रिपोर्ट की गई। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में प्रसवोत्तर पूर्ण देखभाल कवरेज सबसे कम (0.6%) है।

v. 284 जिलों में से 170 जिलों में 60% से कम संस्थागत प्रसव की रिपोर्ट मिली है। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में सबसे कम (16.8%) संस्थागत प्रसव रिकार्ड किये गये जबकि इन्दौर (मध्य प्रदेश) में सबसे अधिक (92.5%) संस्थागत प्रसव रिकार्ड किये गये और यह पांच गुना से अधिक विविधता दर्शाती है। 284 जिलों में से 14 में 90% और अधिक सुरक्षित प्रसव होते हैं जिसमें संस्थागत प्रसव और डॉक्टर/नर्स/सहायक नर्स मिडवाइफ (ए.एन.एम.)/स्थानीय स्वास्थ्य स्वयंसेवक की मदद से घर में कराए जाने वाले प्रसव शामिल हैं। इनमें से दस जिले मध्य प्रदेश के हैं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, ओडिसा एवं असम में प्रत्येक 10 में से 7 प्रसव 'सुरक्षित' होते हैं जबकि झारखंड और छत्तीसगढ़ में यह 5 से कम है।

vi. जननी सुरक्षा योजना (जे.एस.वाई.) के अन्तर्गत, जो संस्थागत प्रसवों को बढ़ावा देकर मातृ-मृत्यु अनुपात और नवजात मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के छत्र के अंतर्गत अति महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में से एक है, वित्तीय सहायता का लाभ प्राप्त करने वाली माताओं की रेंज झारखंड में 14.6% से लेकर ओडिशा में 61.6% के मध्य है।

vii. प्रसव के 48 घंटों के अंदर प्रसवोत्तर देख-रेख प्राप्त करने वाली माताओं की संख्या असम में 57% से लेकर ओडिशा में 74.5% के मध्य अलग-अलग है। जन्म के 24 घंटों के अंदर जिन नवजात की जाँच हुई है, सभी ए.एच.एस. राज्यों में उनकी संख्या 50% से अधिक है और बिहार में यह 52.6% से लेकर ओडिशा में 74.5% तक के मध्य अलग-अलग है।

viii. क्षयरोग का टीकाकरण, डी.पी.टी. और पोलियो की 3 खुराकों और खसरे की एक खुराक सहित पूर्ण प्रतिरक्षण 90 जिलों में 50% से नीचे है। पूर्ण प्रतिरक्षण ओडिशा के रायगढ़ जिले में सबसे कम (11.9%) और छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में सबसे अधिक (93.2%) रहा है।

ix. कम-से-कम 6 मास तक स्तनपान प्राप्त करने वालों की संख्या उत्तर प्रदेश में 17.75% से छत्तीसगढ़ में 47.5% तक की रेंज में है।

14.36 वार्षिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के प्रथम अपडेशन राउंड का फील्ड कार्य अप्रैल, 2012 में पूरा हुआ है। सर्वेक्षण एजेंसियों द्वारा एकत्र किए गए आंकड़ों की गुणवत्ता को प्रमाणित करने से संबंधित थर्ड-पार्टी लेखापरीक्षा का कार्य भी जून, 2012 में पूरा हो चुका है। आंकड़ों के वैधीकरण की कार्यवाही पूरी हो चुकी है। प्रथम अपडेशन रांउड का ए.एच.एस. बुलेटिन मार्च, 2013 के दौरान जारी किया जाना निर्धारित है। प्रथम अपडेशन राउंड की जिला-वार विस्तृत फैक्टशीटें वर्ष 2013 के मध्य में जारी की जानी प्रस्तावित है। सभी ए.एच.एस. जिलों में स्थित परिवारों के चुनिंदा उप-प्रतिदर्शों में आयोडीनयुक्त नमक की परिवार में उपलब्धता, फास्टिंग ग्लुकोज स्तरों में असामान्यताओं, एनीमिया और हाइपरटेंशन तथा अल्प और अतिपोषण की व्यापकता संबंधी जिला स्तर के आंकड़े प्राप्त करने हेतु क्लीनिकल, एन्थ्रोपोमेट्रिक और बायो-केमिकल (सीएबी) जॉच (टेस्टों) के घटक, जिनकी तैयारी वर्तमान में प्रगति पर है, को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

देश में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एनपीआर)

14.37 सरकार ने प्रत्येक 'सामान्य निवासी' की विशिष्ट विशेषताओं के संबंध में सूचना एकत्रित करके देश में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर.) तैयार करने का निर्णय लिया है। एन.पी.आर. में उन सभी 'सामान्य निवासियों', जो 5 वर्ष और उससे अधिक आयु के हैं, के फोटोग्राफ, 10 फिंगर-प्रिंट्स और आयरिस की सूचना होगी।

14.38 देश में एन.पी.आर. तैयार करने के लिए बायोग्राफिक आंकड़ा संकलन का फील्ड कार्य सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में पूरा हो चुका है। इन भरी हुई एन.पी.आर. अनुसूचियों (लगभग 27 करोड़) की स्कैनिंग का कार्य भी पूरा हो चुका है।

14.39 देश के लिए एन.पी.आर. के अंतर्गत बायमैट्री प्राप्त करने और डिजिटाइजेशन का कार्य केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों (सी.पी.एस.यू.) और प्रौद्योगिकी विभाग (डी.आइ.टी.) के सह संघ को सौंपा गया है। 114.35 करोड़ से अधिक अभिलेखों की स्कैन की हुई इमेजिस से आंकड़ा प्रविष्टि का कार्य पूरा किया जा चुका है। बॉयमैट्रिक्स प्राप्त करने का कार्य प्रगति पर है और 11.59 करोड़ व्यक्तियों के बॉयमैट्रिक-नामांकन का कार्य पूरा हो चुका है।

14.40 दोहराव से बचने (डी-डुप्लीकेशन) और यू.आई.डी. संख्या (आधार) देने के लिए एन.पी.आर. डाटाबेस भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यू.आई.डी.ए.आई.) को भेजा जा रहा है। दावों और आपत्तियों को (यदि कोई हों) आमंत्रित करने के लिए आधार संख्या सहित 'सामान्य निवासियों' की सूची स्थानीय क्षेत्र में प्रकाशित की जाएगी। दावों और आपत्तियों पर कार्रवाई निर्धारित कार्यविधि के अनुसार की जाएगी। प्रस्ताव है कि देश में 18 वर्ष और इससे अधिक आयु के सभी 'सामान्य निवासियों' को पहचान (स्मार्ट) कार्ड जारी किए जाएं। भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त का कार्यालय एन.पी.आर. डाटाबेस का रखरखाव और उसे अद्यतन करेगा।

तटीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर.)

14.41 तटीय सुरक्षा को मजबूत करने के उपायों में एक उपाय के रूप में सभी 9 तटवर्ती राज्यों और 4 संघ राज्यक्षेत्रों में 3331 तटीय गांवों में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर.) तैयार करने का कार्य आरम्भ कर दिया गया है। अण्डमान और निकोबार द्वीप समूहों के सभी शहरों में भी कार्य पूरा हो चुका है। इन क्षेत्रों में सीधे आंकड़ा संग्रहण की पद्धति का प्रयोग किया गया है और इन गांवों के सभी सामान्य निवासियों (15 वर्ष और अधिक आयु के) के फोटो और फिंगरप्रिंटस का कार्य भी आरम्भ किया गया है। 120 लाख से अधिक व्यक्तियों का सीधे डाटा संग्रहण किया जा चुका है और 70 लाख लाख से अधिक व्यक्तियों (15 वर्ष और अधिक आयु के व्यक्तियों का) बॉयमैट्रिक ब्यौरा एकत्रित किया जा चुका है। शोधन और आपत्तियां आमंत्रित करने के लिए सामान्य निवासियों का स्थानीय रजिस्टर (एल.आर.यू.आर.) स्थानीय क्षेत्रों में प्रदर्शित किया गया है। ग्राम सभा के पुनरीक्षण के बाद एल.आर.यू.आर. में शुद्धियां शामिल कर दी गई हैं। इन क्षेत्रों में पहचान (स्मार्ट) कार्डों, जो 18 वर्ष और अधिक आयु के 'सामान्य निवासियों' को जारी किए जाते हैं, के उत्पादन और वैयक्तिकरण का कार्य चल रहा है और 62.31 लाख कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। 50 लाख से अधिक कार्ड प्रेषित किए जा चुके हैं।

सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना (एस.ई.सी.सी.) 2011

14.42 केन्द्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय के अनुसार सामाजिक, आर्थिक और जाति आधारित जनगणना (एस.ई.सी.सी.) सारे देश में की जा रही है। एस.ई.सी.सी. भारत सरकार की वित्तीय और तकनीकी सहायता से भारत के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जून, 2011 से चरणबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। भारत सरकार में ग्रामीण विकास मंत्रालय (एम.ओ.आर.डी.) और आवास और शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय (एम.ओ.एच.यू.पी.ए.) क्रमशः ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में इस संयुक्त कार्य के लिए नोडल मंत्रालय हैं। भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त का कार्यालय पूरी लोजिस्टिक और तकनीकी सहायता दे रहा है।

14.43 भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त का कार्यालय के तकनीकी और संभारतंत्रीय आधार में प्रत्यक्ष अन्तर्निविष्ट साधन यथा चार्ज रजिस्टर, नज़री नक्शा और संक्षिप्त मकानसूची उपलबध करान शामिल है जिसका प्रयोग जनगणना, 2011 के दौरान किया गया, राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के सभी स्तरों के कार्यकताओं को ग्रामीण विकास मंत्रालय और शहरी आवास और गरीबी उपशमन मंत्रालय सहित राज्य निदेशालयों में अधिकारियों द्वारा प्रशिक्षण देना और फील्ड कार्यों के दौरान पर्यवेक्षण करना भी शामिल है ।

14.44 ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों दोनों के लिए आंकड़ा संग्रहण के प्रयोजन से अलग-अलग अनुदेश पुस्तिका और प्रश्नावलियां तैयार की गई थीं । इन प्रश्नावलियों में विभिन्न सामाजिक-आर्थिक पहलुओं और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 37 परिवर्तनीय मदें जैसे दीवार में प्रयोग किए गए कच्चे माल, मकान की छत, परिवार के सदस्य का सामाजिक स्तर, रोजगार और आय ढांचा, परिवार की आय का मुख्य स्रोत, भू-स्वामित्व, अन्य परिसम्पत्तियों का स्वामित्व, परिवार की परिसम्पत्तियां आदि शामिल हैं । शहरी क्षेत्रों के लिए प्रश्नावली में आय के मुख्य स्रोत, निःशक्तता, पुरानी बीमारी, भवन सामग्री, मकान के स्वामित्व की स्थिति, परिवार में सुविधाएं और परिसम्पत्तियों सहित 32 परिवर्तनीय मदें शामिल हैं । धर्म और जाति से संबंधित प्रश्नों को दोनों प्रश्नावलियों में समायोजित किया गया है ।

14.45 मेसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बी.ई.लि.) द्वारा डाटा प्रविष्टि के लिए तैयार किए गए सॉफ्टवेयर और हैंड हेल्ड साधनों का प्रयोग करके हरियाणा के सोनीपत (नगर परिषद) स्थित दो गांवों यथा भटगांव और रतनगढ़ में सामाजिक-आर्थिक और जाति आधारित जनगणना का प्रायोगिक सर्वेक्षण किया गया था ।

14.46 इस कार्य में अपनायी जा रही कार्यपद्धति निम्न प्रकार हैं:

(क) प्रगणक, प्रत्येक परिवार का दौरा करेगा और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रो में प्रश्नावली भरेगा ।

(ख) व्यक्तियों के उत्तर उसी प्रकार नोट किए जाएंगे जैसाकि उत्तरदाता द्वारा बताए जाएंगे । उत्तरदाता से किसी प्रकार का प्रमाण या दस्तावेज नहीं मांगा जाएगा ।

(ग) एस.ई.सी.सी. अनुसूची हैंड हेल्ड यंत्र (एच.एच.डी) का प्रयोग करके तैयार की जा रही है । प्रगणक (एक सरकारी कर्मचारी) प्रश्न पूछेगा जबकि आंकड़ा प्रविष्टि प्रचालक (मेसर्स बी.ई.एल. द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा) उत्तर को हैंड हेल्ड यंत्र में दर्ज करेगा ।

(घ) जनसंख्या जनगणना 2011 के प्रथम चरण में भरे गए राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर प्रपत्रों का प्रयोग एस.ई.सी.सी. के आधार के रूप में किया जाएगा। इन प्रपत्रों को पहले ही स्कैन किया जा चुका है और इन इमेजों को हैंड हेल्ड यंत्रों में लोड किया जा रहा है जिनका प्रयोग एस.ई.सी.सी. प्रश्नावलियाँ तैयार करने के लिए किया गया है । यदि वही कुटुम्ब जिसकी गणना एनपीआर में की गई थी, परिवार में उपलब्ध है, तो केवल अतिरिक्त प्रश्न पूछे जाते हैं । यदि कोई नया कुटुम्ब है अथवा कुटुम्ब में कुछ नए सदस्य हों तो उनके सम्पूर्ण ब्यौरे नए सिरे से संग्रहीत किए जाते हैं ।

गणना के बाद प्रत्येक परिवार को पावती पर्ची दी जाएगी ।

14.47 एस.ई.सी.सी. औपचारिक तौर पर 29.06.2011 को त्रिपुरा राज्य से शुरू की गई थी । एस.ई.सी.सी. का फील्ड कार्य 31 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में पहले ही पूरा हो चुका है । शेष राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों का फील्ड कार्य 2013 के मध्य तक पूरा हो जाने की आशा है । सभी 35 राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के कुल 24,73,752 गणना ब्लाकों (ईबीएस) में से अब तक 24,21,317 गणना ब्लाकों (97.9%) में फील्ड कार्य पूरा किया जा चुका है।

14.48 फील्ड से हैंड हेल्ड यंत्रों में डाटा संग्रहण करने के बाद भारत के महारजिस्ट्रार और जनगणना आयुक्त का कार्यालय जाति आधारित डाटा का संसाधन करेगा और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय तथा जनजातीय कार्य मंत्रालय के परामर्श से केन्द्रीय सरकार द्वारा गठित किए जाने वाले प्रस्तावित विशेषज्ञ दल को जातियों/जनजातियों के ब्यौरे श्रेणीकरण और वर्गीकरण हेतु सुपुर्द कर देगा।

❖❖❖

अध्याय XV विविध विषय

पुरस्कार एवं अलंकरण

भारत रत्न पुरस्कार

15.1.1 'भारत रत्न' देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह अलंकरण किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा/निष्पादन में उच्चतम मानव प्रयत्नों के लिए दिया जाता है। वर्ष 1954 में शुरू किए गए इस पुरस्कार से अब तक 41 लोगों को सम्मानित किया जा चुका है। अंतिम बार वर्ष 2009 के लिए यह पुरस्कार पंडित भीमसेन गुरूराज जोशी को प्रदान किया गया था। वर्ष 2012-13 के दौरान किसी को भी भारत रत्न पुरस्कार नहीं दिया गया था।

पद्म पुरस्कार

15.1.2 पद्म पुरस्कार तीन श्रेणियों, अर्थात् 'पद्म विभूषण', 'पद्म भूषण' और 'पद्मश्री' में प्रदान किए जाते हैं। ये पुरस्कार सभी विषयों/गतिविधियों के क्षेत्रों अर्थात कला, सामाजिक कार्य, लोक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य और शिक्षा, खेल, सिविल सेवा और अन्य कार्यों के लिए दिए जाते हैं।

15.1.3 पद्म विभूषण अलंकरण किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट और उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है, पद्म भूषण किसी भी क्षेत्र में उच्च कोटि की उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट सेवा के लिए दिया जाता है।

15.1.4 प्रति वर्ष, सभी राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों, उत्कृष्ट संस्थानों और भारत रत्न/पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित व्यक्तियों से पद्म पुरस्कारों के लिए नामांकन प्राप्त किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, कई केन्द्रीय मंत्रियों, राज्यपालों, मुख्यमंत्रियों, संसद सदस्यों, विधान सभा सदस्यों, निजी व्यक्तियों, संगठनों आदि से स्वयं अपनी ओर से भी अनेक सिफारिशें प्राप्त होती हैं। इन सभी सिफारिशों को विचारार्थ पद्म पुरस्कार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। पद्म पुरस्कार समिति की सिफारिशें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत की जाती हैं और ये पुरस्कार गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर घोषित किए जाते हैं।

15.1.5 भारत के राष्ट्रपति द्वारा गणतंत्र दिवस 2012 के अवसर पर घोषित अलंकरण दिनांक 22.03.2012 और 04.04.2012 को राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली में आयोजित दो समारोहों में प्रदान किये गए। दोनों समारोहों में प्रदान किए गए 108 पुरस्कारों में 5 पद्मविभूषण, 27 पद्म भूषण और 76 पद्म श्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम मंत्रालय की वेबसाइट http://mha.nic..in पर उपलब्ध हैं।

15.5.6 भारत के राष्ट्रपति ने वर्ष 2013 के लिए 107 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की सहमति प्रदान कर दी है, जिनमें 4 पद्मविभूषण, 23 पद्म भूषण और 80 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार भारत के राष्ट्रपति द्वारा मार्च-अप्रैल 2013 में प्रदान किए जाएंगे।

वीरता पुरस्कार

15.1.7 प्रत्येक वर्ष, रक्षा मंत्रालय की देखरेख में गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर अशोक चक्र श्रृंखला के वीरता पुरस्कार घोषित किए जाते हैं। सिविलियन नागरिकों से संबंधित सिफारिशों पर गृह मंत्रालय द्वारा कार्रवाई की जाती है।

15.1.8 राष्ट्रपति ने स्वतंत्रता दिवस, 2012 पर अशोक चक्र श्रृंखला के वीरता पुरस्कार के लिए 2 नागरिकों के नामों को अनुमोदित किया है।

जीवन रक्षा पदक पुरस्कार

15.1.9 जीवन रक्षा पदक पुरस्कार वर्ष 1961 में शुरू किए गए थे जो किसी की जान बचाने वाले व्यक्ति को दिया जाता है।

15.1.10 ये पुरस्कार तीन श्रेणियों, अर्थात्-सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, उत्तम जीवन रक्षा पदक और जीवन रक्षा पदक के अंतर्गत दिए जाते हैं। सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, बचाने वाले व्यक्ति के जीवन को गंभीर खतरे की परिस्थितियों में अदम्य साहस का परिचय देने के लिए दिया जाता है; उत्तम जीवन रक्षा पदक, बचाने वाले व्यक्ति के जीवन को गंभीर खतरे की परिस्थितियों में साहस एवं तत्परता के लिए प्रदान किया जाता है; और जीवन रक्षा पदक किसी व्यक्ति को डूबने, आग, दुर्घटना, बिजली द्वारा जान जाने, भू-स्खलन, पशु हमले आदि से बचाने वाले व्यक्ति को किसी कार्रवाई अथवा कर्रवाइयों की श्रृंखला में शारीरिक रूप से घायल होते हुए भी त्वरित और अदम्य साहस के लिए दिया जाता है।

15.1.11 इन पुरस्कारों के लिए नामांकन प्रत्येक वर्ष समस्त राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से तथा भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों से आमंत्रित किए जाते हैं। इन पर एक पुरस्कार समिति द्वारा विचार किया जाता है। पुरस्कार समिति की सिफारिशों को प्रधानमंत्री एवं राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

15.1.12 इन पुरस्कारों के लिए अलंकरण समारोह पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं से संबंधित राज्य की राजधानियों में आयोजित किए जाते हैं, जहाँ पुरस्कार विजेताओं को पदक और गृह मंत्री द्वारा हस्ताक्षरित एक प्रमाणपत्र दिया जाता है। पुरस्कार विजेताओं को सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक के लिए 1 लाख रूपए, उत्तम जीवन रक्षा पदक के लिए 60,000/- रूपए और जीवन रक्षा पदक के लिए 40,000/- रूपए की दर पर एकमुश्त धनराशि भी दी जाती है।

15.1.13 वर्ष 2012 के लिए, राष्ट्रपति ने 50 व्यक्तियों को जीवन रक्षा पदक पुरस्कार प्रदान करने का अनुमोदन किया है। इसमें 3 सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक, 10 उत्तम जीवन रक्षा पदक और 37 जीवन रक्षा पदक शामिल हैं।

राष्ट्रपति और उप राष्ट्रपति का शपथ समारोह

15.1.14 गृह मंत्रालय ने दिनांक 25.07.2012 को भारत के राष्ट्रपति (श्री प्रणव मुखर्जी) के शपथ ग्रहण समारोह का समन्वय किया।

15.1.15 गृह मंत्रालय ने दिनांक 11.08.2012 को उप राष्ट्रपति (श्री मोहम्मद हामिद अंसारी) के शपथ ग्रहण समारोह का भी समन्वय किया।

सतर्कता तंत्र

15.2.1 गृह मंत्रालय में सतर्कता तंत्र संयुक्त सचिव (प्रशासन) के अधीन कार्य करता है जो मंत्रालय के मुख्य सतर्कता अधिकारी भी हैं। इनके कार्यों में सहायता करने के लिए एक निदेशक और एक अवर सचिव हैं। सतर्कता अनुभाग गृह मंत्रालय (मुख्य) के सभी अनुशासनिक मामलों, वार्षिक गोपनीय रिपोर्टों से संबंधित सभी मामलों को देखता है और गृह मंत्रालय के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में सतर्कता गतिविधियों का समन्वय करता है।

15.2.2 निवारक सतर्कता को सुदृढ़ करने के लिए, गृह मंत्रालय ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित उपाय किए:-

क) मुख्य सतर्कता अधिकारी के सतर्कता कार्य से संबंधित विभिन्न रिपोर्टों/मामलों/ कार्यों को समय पर पूर्ण किया जाना सुनिश्चित करने के लिए सभी संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों से निकट संपर्क बनाए रखा।

ख) सतर्कता/भ्रष्टाचार निरोधक उपायों के लिए कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की वार्षिक कार्य योजना को कार्यान्वित किया गया। मंत्रालय के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों को भी वार्षिक कार्य योजना को कारगर रूप से कार्यान्वित करने और इस बारे में हुई प्रगति की सूचना, प्रत्येक तिमाही में मंत्रालय को देने के लिए कहा गया। मंत्रालय के अधीनस्थ कार्यालयों में सतर्कता संबंधी कार्यों की नियमित रूप से समीक्षाएं की गई और प्रत्येक तिमाही के अंत में रिर्पोटें कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग को भेजी गईं।

ग) केंद्रीय सतर्कता आयोग तथा कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को भेजे जाने के लिए अपेक्षित सभी रिपोर्टें निर्धारित आवधिक अन्तरालों पर भेजी गईं।

घ) स्वतंत्रता सेनानी और पुनर्वास प्रभाग, विदेशी प्रभाग और पुलिस आधुनिकीकरण प्रभाग के प्रापण विंग जैसे कुछ प्रभागों, जिनका जनता के साथ काफी अधिक संबंध है, पर गहन नजर रखी गई।

ङ) संवेदनशील अनुभागों/प्रभागों में कार्य करने वाले सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को एक विशेष सुरक्षा प्रश्नावली भरनी होती है और उनके मामलों में आसूचना एजेंसियों द्वारा सकारात्मक पुनरीक्षण कराया जाता है। यह इस बात को सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावी हथियार के रूप में कार्य करता है कि गृह मंत्रालय में संवेदनशील अनुभागों/प्रभागों में केवल वे व्यक्ति ही तैनात किए जाते हैं जिनकी सत्यनिष्ठा संदेह से परे होती है।

च) जिन प्रभागों को संवेदनशील के रूप में वर्गीकृत किया गया है, उनके प्रमुखों के साथ संपर्क बनाए रखा जाता है ताकि ऐसे प्रभागों में कार्य करने वाले पदाधिकारियों की गतिविधियों पर निकट से नजर रखा जाना सुनिश्चित किया जा सके।

छ) मुख्य सतर्कता अधिकारी विभिन्न स्रोतों से प्राप्त शिकायतों के निपटान की प्रगति और लंबित अनुशासनिक/सतर्कता मामलों की नियमित रूप से निगरानी करते हैं।

ज) निहित स्वार्थों को विकसित होने से रोकने के लिए स्टाफ की विभिन्न प्रभागों के बीच नियमित रूप से अदला-बदली की जाती है। स्टाफ की अदला-बदली को सुगम बनाने के लिए पदों को संवेदनशील और गैर-संवेदनशील श्रेणियों में विभक्त किया गया था।

झ) संदेहास्पद सत्यनिष्ठा वाले अधिकारियों की सूची बनाई जाती है और आवधिक रूप से इसकी समीक्षा की जाती है।

15.2.3 दिनांक 29.10.2012 से 03.11.2012 तक ''सतर्कता जागरूकता सप्ताह'' मनाया गया। दिनांक 29.10.2012 को गृह मंत्रालय के अधिकारियों को शपथ दिलाई गई। ''सरकारी खरीद में पारदर्शिता'' विषय पर दिनांक 01.11.2012 को वाद-विवाद आयोजित किया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह मंत्रालय के सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में भी मनाया गया।

15.2.4 मंत्रालय अपने संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में लंबित पड़े मामलों सहित विभिन्न चरणों में लंबित सतर्कता संबंधी मामलों पर नजर रखता है ताकि ऐसे मामलों को समयबद्ध तरीके से निपटाया जा सके। लंबित मामलों की स्थिति की निगरानी मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा तथा समुचित अंतरालों पर की जाती है ।

15.2.5 वर्ष 2012-2013 के दौरान गृह मंत्रालय और इसके संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में सतर्कता और अनुशासनात्मक मामलों के ब्यौरे **अनुलग्नक-XIX** में दिए गए हैं।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

15.3.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अन्तर्गत, सूचना के अधिकार से संबंधित कार्य का समन्वय करने के लिए एक सूचना का अधिकार (आर टी आई) अनुभाग स्थापित किया गया है। आर टी आई अनुभाग आर टी आई अधिनियम, 2005 के अधीन आवेदनों को प्राप्त करता है और तत्पशचात उन्हें केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों/संबंधित लोक प्राधिकारियों को भेजता है। आर टी आई अनुभाग, केन्द्रीय सूचना आयोग (सी आई सी) आदि से प्राप्त अपीलों/आदेशों पर अनुवर्ती कार्रवाई का समन्वय भी करता है। आरटीआई अनुभाग आर टी आई आवेदनों/अपीलों से संबंधित तिमाही विवरणियां सी आई सी को भेजने के लिए भी उत्तरदायी है। इस संबंध में निम्नलिखित कार्रवाई भी की गई हैः-

(क) सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 4(1) (ख) के अंतर्गत यथा अपेक्षित अधिकारियों आदि के साथ-साथ मंत्रालय के कार्यों के ब्यौरे मंत्रालय की वेबसाइट (http://mha.gov.in) के आर टी आई पोर्टल पर डाले गए हैं।

(ख) अधिनियम की धारा 5(1) के तहत सभी उप सचिव/निदेशक स्तर के अधिकारियों को उनके द्वारा निपटाए जा रहे विषयों के संबंध में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों (सीपीआईओ) के रूप में पदनामित किया गया है।

(ग) अधिनियम की धारा 19(1) के अनुसार सभी संयुक्त सचिवों को उनके अधीन कार्यरत उप सचिवों/निदेशकों (केंद्रीय लोक सूचना अधिकारियों) के संबंध में अपीलीय प्राधिकारियों के रूप में पदनामित किया गया है।

(घ) वर्ष 2010-11 से मंत्रालय और इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालय और अन्य संगठन अपनी-अपनी विवरणी केन्द्रीय सूचना आयोग की वेबसाइट पर स्वतंत्र रूप से अपलोड कर रहे हैं।

(ङ.) आर टी आई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदनों की प्राप्ति को सुविधाजनक बनाने के लिए, नार्थ ब्लॉक और एन डी सी सी-II भवन के स्वागत काउंटर पर आवेदन प्राप्त करने की व्यवस्था की गई है। इस तरह प्राप्त आवेदनों को इसके बाद आर टी आई अनुभाग द्वारा संबंधित सी पी आई ओ/लोक प्राधिकारियों को भेज दिया जाता है।

15.3.2 दिनांक 01.04.2012 से 31.12.2012 की अवधि के दौरान गृह मंत्रालय (मुख्य) में 6,811 आवेदन प्राप्त हुए और इन्हें मांगी गई सूचना देने हेतु संबंधित केन्द्रीय

लोक सूचना अधिकारियों/लोक प्राधिकारियों को भेज दिया गया।

सचिवालय सुरक्षा संगठन

15.4.1 गृह मंत्रालय के सुरक्षा कवच के अन्तर्गत आने वाले सरकारी भवनों की सुरक्षा करने के लिए सचिवालय सुरक्षा संगठन (एस एस ओ) नोडल एजेंसी है। इस समय मंत्रालय के सुरक्षा कवच में आने वाले ऐसे 37 भवन हैं जिनमें भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के कार्यालय स्थित हैं। ये भवन दिल्ली में लगभग 16 किमी. की परिधि में विभिन्न स्थानों पर स्थित हैं।

15.4.2 गृह मंत्रालय के सुरक्षा कवर के अन्तर्गत सरकारी भवनों में प्रवेश-नियंत्रण का विनियमन सचिवालय सुरक्षा संगठन द्वारा स्वागत संगठन के माध्यम से किया जाता है। स्वागत संगठन में 137 कार्मिक हैं जो उक्त 37 सरकारी भवनों में स्थित 53 स्वागत कार्यालयों में कार्यरत हैं। इन भवनों में आगन्तुकों के प्रवेश का विनियमन विभिन्न स्वागत कर्यालयों के माध्यम से किया जाता है जहां आगन्तुक पास जारी किए जाते हैं और उनका रिकार्ड रखा जाता है। आगन्तुक पास पूर्व निर्धारित स्तर के अधिकारियों की इस संपुष्टि के बाद कि आगन्तुक को अंदर आने दिया जाए या नहीं, जारी किए जाते हैं।

15.4.3 सचिवालय सुरक्षा संगठन का दायित्व गृह मंत्रालय के सुरक्षा कवर वाले भवनों की सुरक्षा और प्रवेश नियंत्रण से संबंधित नीतियां बनाना और उनका कार्यान्वयन करना है। इस समय, सरकारी भवनों की सुरक्षा के लिए सी आई एस एफ के साथ-साथ एस एस एफ के सुरक्षा कर्मियों का उपयोग किया जाता है। सरकारी भवनों के वर्गीकरण के आधार पर इन भवनों की सुरक्षा के लिए सी आई एस एफ अथवा एस एस एफ के कर्मियों की तैनाती की जाती है। सी आई एस एफ में ''सरकारी भवनों की सुरक्षा'' (जी बी एस) यूनिट नामक एक समर्पित यूनिट गृह मंत्रालय के प्रशासनिक प्रभाग के नियंत्रणाधीन विशेष रूप से, सरकारी भवनों की सुरक्षा हेतु बनायी गई है। सी आई एस एफ की जी बी एस यूनिट 'ए' और 'बी' श्रेणी के सरकारी भवनों की सुरक्षा की देखभाल करती है और उन्हें निम्नलिखित कार्य सौंपें गए हैं:-

(क) **प्रवेश नियंत्रण** -यह सुनिश्चित करना कि किसी भी अनधिकृत व्यक्ति, वाहन या सामग्री को सरकारी भवनों और उनके परिसरों में प्रवेश की अनुमति न दी जाए। केवल गृह मंत्रालय द्वारा जारी वैध पहचान पत्रधारी वास्तविक व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति दी जाती है। इसके अलावा, वैध अस्थायी/दैनिक आगन्तुक पासधारी आगन्तुकों को उनके बैगों/ ब्रीफकेसों सहित उनकी जांच/जामा तलाशी के बाद ही प्रवेश की अनुमति दी जाती है।

(ख) **आतंकवाद-रोधी उपाय-** भवनों में आतंकवाद-रोधी उपायों के लिए सी आई एस एफ मुख्य रूप से उत्तरदायी है।

(ग) **बलात् प्रवेश/सशस्त्र आक्रमण-** भवनों में बलात् प्रवेश/ सशस्त्र आक्रमण के किसी भी प्रयास को रोकना/उनका सामना करना और ऐसे बलात् प्रवेश/सशस्त्र आक्रमण के खिलाफ सर्वप्रथम कार्रवाई करने वालों के रूप में प्रभावी कार्रवाई करना।

(घ) **अनधिकार प्रवेश-** भवन में किसी भी प्रकार के अनधिकार प्रवेश को रोकना, उसका पता लगाना और उसे निष्प्रभावी करना।

(ङ) **निकास नियंत्रण-** भवन से सरकारी सम्पत्ति की चोरी रोकना ।

15.4.4 सचिवालय सुरक्षा बल (एस एस एफ) गृह मंत्रालय का 1,032 कार्मिकों वाला असैनिक निरस्त्र बल है जिसका गठन विशेष रूप से सरकारी भवनों की सुरक्षा के लिए किया गया है। एस एस एफ, इस समय गृह मंत्रालय के सुरक्षा कवर वाले 'सी' श्रेणी के भवनों की सुरक्षा की देखभाल कर रहा है।

राजभाषा

15.5.1 राजभाषा अधिनियम 1963 (वर्ष 1967 में यथासंशोधित), राजभाषा (संघ के शासकीय प्रयोजनों के लिए प्रयोग) नियम, 1976 (वर्ष 1987 में यथासंशोधित) और समय-समय पर इस विषय पर जारी किए गए अन्य प्रशासनिक अनुदेशों के प्रावधानों को कार्यान्वित करने तथा गृह मंत्रालय और इसके संबद्ध एवं अधीनस्थ कार्यालयों में राजभाषा नीति का अनुपालन सुनिश्चित करने में गृह मंत्रालय का राजभाषा प्रभाग सहायता प्रदान करता है।

राजभाषा नीति का कार्यान्वयन

15.5.2 मंत्रालय के बड़े आकार को ध्यान में रखते हुए, प्रभाग स्तर पर 20 राजभाषा कार्यान्वयन समितियां गठित की गई हैं और प्रत्येक समिति के अध्यक्ष संबंधित प्रभाग के संयुक्त सचिव हैं। संबंधित प्रभाग के अनुभाग अधिकारी/डेस्क अधिकारी रैंक और इससे ऊपर निदेशक रैंक तक के सभी अधिकारी संबंधित समिति के सदस्य हैं। संबंधित प्रभागों के अनुभागों/डेस्कों से प्राप्त सरकारी कामकाज में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग संबंधी तिमाही प्रगति रिपोर्टों की इन समितियों द्वारा समीक्षा की जाती है और कमियों की पुनरावृत्ति को दूर करने के लिए उपचारी उपायों के सुझाव दिए जाते हैं।

राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) का अनुपालन

15.5.3 राजभाषा अधिनियम,1963 (वर्ष 1967 में यथासंशोधित) की धारा 3(3) का पूर्ण रूप से अनुपालन किया जा रहा है और इस धारा के अंतर्गत आने वाले सभी दस्तावेज अनिवार्य रूप से हिन्दी और अंग्रेजी में द्विभाषी रूप में जारी किए जा रहे हैं। हिन्दी में प्राप्त अथवा हस्ताक्षरित सभी पत्रों का उत्तर हिन्दी में ही दिया जा रहा है। केन्द्र सरकार के कार्यालयों, राज्य सरकारों, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों तथा 'क' और 'ख' क्षेत्रों में आम जनता के साथ हिन्दी में पत्र-व्यवहार को बढ़ाने के लिए सतत् प्रयास किए जा रहे हैं।

राजभाषा संबंधी निरीक्षण

15.5.4 वर्ष 2012-13 के दौरान, दिल्ली से बाहर स्थित गृह मंत्रालय के 34 कार्यालयों में राजभाषा संबंधी निरीक्षण किए गए। इसके अलावा, मंत्रालय के राजभाषा प्रभाग के कार्मिकों द्वारा मंत्रालय के 25 अनुभागों का भी निरीक्षण किया गया। संसदीय राजभाषा समिति की पहली उप-समिति ने भी वर्ष के दौरान मंत्रालय के 12 कार्यालयों का निरीक्षण किया ।

हिन्दी दिवस/हिन्दी माह

15.5.5 मंत्रालय में दिनांक 14.9.2012 से 15.10.2012 तक हिन्दी माह का आयोजन किया गया। विभिन्न हिन्दी प्रतियोगिताओं एवं हिन्दी कार्यशाला तथा हिन्दी के प्रख्यात विद्वान श्री लक्ष्मी शंकर बाजपेयी, उप महानिदेशक, आकाशवाणी, नई दिल्ली के शिक्षाप्रद व्याख्यान जैसे कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें बड़ी संख्या में मंत्रालय के हिन्दी भाषी एवं गैर-हिन्दी भाषी कार्मिकों ने बड़े उत्साह के साथ भाग लिया।

हिन्दी टंकण और हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षण

15.5.6 कुल 68 अवर श्रेणी लिपिकों में से, इस समय 58 लिपिक हिन्दी टंकण में प्रशिक्षित हैं। इसी तरह, कुल 134 आशुलिपिकों में से 45 आशुलिपिक हिन्दी आशुलिपि में प्रशिक्षित हैं।

हिन्दी कार्यशाला

15.5.7 कर्मचारियों को अपना काम हिन्दी में करने के लिए प्रोत्साहित करने और हिन्दी में मूल रूप में टिप्पण और प्रारूप तैयार करने का प्रयास करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित करने हेतु दिनांक 03.07.2012 और 28.09.2012 को दो हिन्दी कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। इन कार्यशालाओं में 55 कर्मचारियों ने भाग लिया।

हिन्दी सलाहकार समिति

15.5.8 मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की दिनांक 21.02.2012 को हुई 40वीं बैठक में चर्चा के दौरान लिए गए निर्णयों/दिए गए सुझावों पर आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई करने और समिति की अगली बैठक यथाशीघ्र आयोजित करना सुनिश्चित करने की प्रक्रिया चल रही है।

लोक शिकायतों का निवारण

15.6.1 इस मंत्रालय में कार्यरत आंतरिक शिकायत निवारण तंत्र (आई जी आर एम) सभी शिकायतों पर कार्रवाई करता है। दिनांक 01.04.2012 से 31.12.2012 तक की अवधि के दौरान कुल 5,535 शिकायतें प्राप्त हुईं और उन सभी पर कार्रवाई की गई।

15.6.2 संयुक्त सचिव (समन्वय और लोक शिकायत) को निदेशक, लोक शिकायत के रूप में नामित किया गया है। निदेशक, लोक शिकायत का नाम, पदनाम, कमरा संख्या, दूरभाष संख्या इत्यादि स्वागत काउंटर और मंत्रालय की वेबसाइट (http://mha.gov.in) पर प्रदर्शित किए गए हैं।

15.6.3 प्रत्येक प्रभाग में एक लोक शिकायत अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में नामित किया गया है जो अपने संबंधित प्रभाग के संबंध में लोक शिकायतों के निवारण की प्रगति की निगरानी करता है।

संसदीय कार्य

15.7.1 गृह मंत्रालय ऐसे व्यापक विषयों को निपटाता है जिनकी प्रकृति जटिल और संवेदशील होती है और जिन पर सतत् संसदीय ध्यानाकर्षण की आवश्यकता होती है। यह संसद में चलने वाले गृह मंत्रालय के विधायी और गैर विधायी कार्य से भी परिलक्षित होता है। मंत्रालय ने विभिन्न संसदीय समितियों, यथा गृह मंत्रालय की संसदीय स्थायी समिति, लोक लेखा समिति, सरकारी आश्वासन संबंधी समिति आदि की सिफारिशों पर उपयुक्त कार्रवाई भी की है और उनका समुचित उत्तर भी भेजा है।

15.7.2 गृह मंत्रालय से संबंधित विभिन्न विधायी मामलों और साथ ही आतंकवाद, राष्ट्रीय सुरक्षा आदि जैसे राष्ट्रीय महत्व के मामलों पर चर्चा करने के लिए संसदीय स्थायी समिति की बैठकें आवधिक रूप से आयोजित की गईं।

15.7.3 इस मंत्रालय ने वर्ष 2012-13 (दिनांक 08.03.2013 तक) के दौरान केन्द्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में निम्नलिखित विषयों पर परामर्शदात्री समिति की चार बैठकें आयोजित कीं :

(i) दिनांक 11.05.2012 को आतंकवाद-रोधी अवसंरचना और तंत्र की समीक्षा

(ii) दिनांक 24.7.2012 को सीमा-रक्षा और सीमा प्रबंधन

(iii) दिनांक 12.12.2012 को जम्मू और कश्मीर में सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा

(iv) दिनांक 07.03.2013 को पूर्वोतर राज्यों में सुरक्षा की स्थिति की समीक्षा।

विभागीय लेखा संगठन

15.8.1 गृह मंत्रालय का विभागीय लेखा संगठन (डी ए ओ) गृह मंत्रालय के आन्तरिक वित्त प्रभाग (आई एफ डी) के भाग के रूप में कार्य करता है। डी ए ओ गृह मंत्रालय एवं इसके समस्त संबद्ध कार्यालयों के भुगतान, लेखांकन एवं आन्तरिक लेखा-परीक्षा के लिए उत्तरदायी है। विभागीय लेखा संगठन मंत्रालय से संबंधित मासिक एवं वार्षिक वित्तीय विवरणियां तैयार करता है और इसे लेखा महानियंत्रक को प्रस्तुत करता है। विभागीय लेखा संगठन का प्रमुख मुख्य लेखा नियंत्रक होता है जो मंत्रालय के मुख्य लेखा प्राधिकारी (सचिव) के प्रधान लेखा सलाहकार के रूप में कार्य करता है। मंत्रालय के आन्तरिक वित्त प्रभाग के एक अभिन्न अंग के रूप में, मुख्य लेखा नियंत्रक मंत्रालय में वित्तीय प्रबंधन की सक्षम प्रणाली को बनाए रखने में अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार की सहायता करता है। विभागीय लेखा संगठन अपने भुगतान एवं लेखा कार्यों को संचालित करने के लिए ''कम्पैक्ट'' नामक व्यय लेखा साफ्टवेयर का प्रयोग करके एक कम्प्यूटरीकृत वातावरण में कार्य करता है। कम्पैक्ट से आँकड़ों को ई-लेखा नामक वेब-आधारित एप्लीकेशन पर डाला जाता है, जिसमें समय पर रिपोर्टें तैयार करने की क्षमता है जो मंत्रालय के लिए व्यय सूचना प्रणाली के रूप में कार्य करता है। विभागीय लेखा संगठन बजट को तैयार करने, बजट को निष्पादित करने तथा बजट की रिपोर्टिंग करने में आन्तरिक वित्त प्रभाग की भी सहायता करता है।

15.8.2 लेखा महानियंत्रक के समग्र मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय के आन्तरिक लेखा-परीक्षा स्कंध ने मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं की जोखिम आधारित लेखा परीक्षा की है। संशोधित आन्तरिक लेखा परीक्षा नियमावली, 2009 में मंत्रालय के कार्यकरण के विभिन्न पहलुओं की जोखिम आधारित एवं निष्पादन लेखा परीक्षा करने के लिए आन्तरिक लेखा परीक्षा कार्य को पुनर्गठित करने पर भी जोर दिया गया है। मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया है जो मंत्रालय तथा इसके संबद्ध कार्यालयों में जोखिम प्रबंधन एवं नियंत्रण की कार्यप्रणाली का निरीक्षण करेगी। अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार इस समिति के उपाध्यक्ष हैं और मुख्य लेखा नियंत्रक, जो मुख्य लेखा परीक्षा कार्यपालक भी हैं, इसके सदस्य सचिव हैं। एक आंतरिक लेखा परीक्षा चार्टर भी तैयार एवं जारी किया गया है। आन्तरिक लेखा परीक्षा स्कंध पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए तिमाही और विभिन्न राज्यों में सुरक्षा संबंधी व्यय के लिए लेखा परीक्षा के बाद समवर्ती लेखा परीक्षा करता है। साथ ही, इसे स्वतंत्रता सेनानी पेंशन के संवितरण की लेखा परीक्षाएं करने का कार्य भी सौंपा गया है। लेखा परीक्षा स्कंध ने योजना के कार्यान्वयन का

मूल्यांकन करने के लिए कतिपय नमूना राज्यों में क्राइम एण्ड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क सिस्टम की लेखापरीक्षा की और इसके निष्कर्ष लेखापरीक्षा समिति को प्रस्तुत किए गए। आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध ने एन बी सी सी और अर्ध-सैनिक बलों की विभिन्न अन्य व्यय इकाइयों की भी लेखापरीक्षा की ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि व्यय लागू नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार किया जा रहा है। आंतरिक लेखा परीक्षा स्कंध ने लेखापरीक्षा समिति की तीसरी बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार एफ सी आर ए के प्रावधानों के संबंध में गैर-सरकारी संगठनों की भी लेखा परीक्षाएं कीं।

15.8.3 गृह मंत्रालय की अनुदान मांगों में, विभिन्न केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों, केन्द्रीय पुलिस संगठनों, संघ राज्य क्षेत्रों (विधानमंडल वाले और उसके बगैर), भारत के महारजिस्ट्रार, राजभाषा विभाग इत्यादि की बजटीय आवश्यकताएं शामिल हैं। 10 अनुदान मांगें इन सभी एजेन्सियों की व्यय संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करती हैं। आन्तरिक लेखा-परीक्षा के अतिरिक्त, गृह मंत्रालय के कार्यों एवं वित्तीय विवरणों की सांविधिक लेखा परीक्षा की जाती है, जिसे भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी एण्ड ए जी) के कार्यालय द्वारा किया जाता है।

15.8.4 प्रारंभ में व्यय की लेखा-परीक्षा करने के पश्चात, लेखा परीक्षा की टिप्पणियों को दर्शाते हुए निरीक्षण संबंधी नोट संबंधित इकाइयों/संगठनों को उपलब्ध कराए जाते हैं जो टिप्पणियों को समय पर निपटाने का प्रयास करते हैं। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संसद को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के माध्यम से लेखा परीक्षा पैरा तैयार करते हैं जिन पर गृह मंत्रालय को की गई कार्रवाई की टिप्पणियां तैयार करनी होती हैं। लेखा परीक्षा पैरा का तत्परता से समाधान करने हेतु, लम्बित पैरा की स्थिति की निगरानी लेखा परीक्षा समिति द्वारा की जाती है। लेखा परीक्षा पैरा की प्राप्ति और परिसमापन एक सतत् प्रक्रिया है। दिनांक 01.01.2012 की स्थिति के अनुसार, इस मंत्रालय में ऐसे 29 लेखा परीक्षा पैरा लंबित थे। दिनांक 01.01.2012 से 31.12.2012 की अवधि के दौरान, 36 नए पैरे प्राप्त हुए थे, जिससे इनकी कुल संख्या 65 हो गई। इनमें से, इस अवधि के दौरान 20 पैराओं का समाधान कर दिया गया है और दिनांक 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार ऐसे 45 पैरे शेष हैं।

15.8.5 गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन सभी संगठनों के संबंध में दिनांक 01.01.2012 की स्थिति के अनुसार नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बकाया निरीक्षण नोटों / पैरा की संख्या 4,878 थी। दिनांक 01.01.2012 से 31.12.2012 तक की अवधि के दौरान, निपटाए गए और प्राप्त निरीक्षण नोटों/पैरा की कुल संख्या क्रमशः 1,541 और 1,316 थी। इस प्रकार दिनांक 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार बकाया निरीक्षण नोटों/पैरा की संख्या 4,653 थी। प्रत्येक संगठन के संबंध में ब्यौरे **अनुलग्नक-XX** में दिए गए हैं। इन नोटों/पैराओं के निपटान की प्रगति की निगरानी करने के लिए इस मंत्रालय में तदर्थ समितियों का गठन किया गया है।

15.8.6 पूर्व वार्षिक रिपोर्टों में शामिल की गई महत्वपूर्ण लेखा परीक्षा टिप्पणियों के संबंध में की गई कार्रवाई की स्थिति **अनुलग्नक-XXI** में दी गई है। इस मंत्रालय से संबंधित और सी एंड ए जी द्वारा उपलब्ध कराई गई अद्यतन एवं महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों का सार और उनकी अद्यतन स्थिति क्रमशः **अनुलग्नक-XXII , XXIII** और **XXIV** में दी गई है।

महिलाओं और समाज के कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण

कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों का निवारण

15.9.1 गृह मंत्रालय की पीड़ित महिला कर्मचारियों द्वारा की गई शिकायतों का निवारण करने के लिए दिनांक 28.09.2012 को शिकायत समिति का पुर्नगठन किया गया है और इसमें सदस्यों की संख्या पांच से बढ़ाकर छः कर दी गई है। इस समिति में अध्यक्ष सहित एक पुरूष और पांच महिला सदस्य हैं तथा स्वतंत्र सदस्य के रूप में यंग वूमेन क्रिश्चियन एसोसिएशन की एक सदस्य और गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी समिति में शामिल हैं।

15.9.2 इस समिति को वर्ष 2012 के दौरान कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित एक शिकायत प्राप्त हुई है। समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है और उस पर कार्रवाई की जा रही है।

विकलांग व्यक्तियों को लाभ

15.9.3 केन्द्र सरकार ने विकलांग व्यक्तियों को नौकरियों में 3 प्रतिशत आरक्षण (नेत्रहीन अथवा कमजोर नजर, बहरेपन और चलने-फिरने (लोकोमीटर) की अपंगता अथवा प्रमस्तिष्कीय

पक्षाघात (सेरेब्रल पालजि) प्रत्येक के लिए एक प्रतिशत) निर्धारित किया है।

15.9.4 गृह मंत्रालय में 15 नेत्रहीन, 01 बधिर और 15 शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति कार्यरत हैं।

15.9.5 काम के स्वरूप के कारण, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में 'वर्दीधारी कार्मिकों' की सभी श्रेणियों के पदों को अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी)अधिनियम, 1995 की धारा 33 से छूट प्राप्त है।

लिंग सापेक्ष बजट प्रावधान

15.9.6 महिलाओं के लाभ के लिए गृह मंत्रालय में की गई पहलों के ब्यौरे निम्नलिखित पैराग्राफों में दिए गए हैं।

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी आई एस एफ)

15.9.7 सी आई एस एफ ने अनन्य रूप से महिलाओं के लाभ के लिए रिजर्व बटालियनों एवं प्रशिक्षण संस्थानों में परिवार कल्याण केन्द्रों का निर्माण करने की पहल की है। आर.टी.सी अरक्कानम और आरटीसी बहरोड़ में परिवार कल्याण केन्द का निर्माण कार्य पहले ही पूरा हो गया है। आरटीसी देवली में परिवार कल्याण केन्द्र का कार्य प्रगति पर है और वर्ष 2013-14 में पूरा हो जाएगा। इन परिवार कल्याण केन्द्रों का निर्माण अनन्य रूप से महिलाओं के लिए नए कौशल सीखने तथा सिलाई, हस्तशिल्प, खाद्य सामग्रियों के उत्पादन आदि जैसी गतिविधियों के माध्यम से उपार्जन करके अपनी पारिवारिक आय को बढ़ाने के लिए किया जाता है।

15.9.8 वर्ष 2012-13 के बजट अनुमान में 10 लाख रूपए के बजटीय प्रावधान को वर्ष 2012-13 के संशोधित अनुमान में बढ़ाकर 48 लाख रूप्ए कर दिया गया है।

पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बी पी आर एण्ड डी)

15.9.9 बी पी आर एंड डी पुलिस की समस्याओं संबंधी अध्ययन कर रहा है और पुलिस प्रशिक्षण आदि हेतु नीतियां और कार्यक्रम बना रहा है और उसका समन्वय कर रहा है। बजट अनुमान 2012-13 में 1.25 करोड़ का प्रावधान किया गया है। महिलाओं को लाभ प्रदान करने के लिए निम्नलिखित क्रियाकलाप किए गए हैं:-

1. पुलिस में महिलाओं के लिए 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन (10 लाख रूपए) – इसमें 212 कार्मिकों ने भाग लिया।
2. केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में महिलाओं के सशक्तिकरण और भावी दृष्टिकोण पर अनुसंधान अध्ययन का कार्य श्रीमती नीतू डी. भट्टाचार्य को सौंपा गया और 1.60 लाख रूपए की पहली किस्त जारी की गई।
3. मानव-दुर्व्यापार को रोकने और बचाए गए व्यक्तियों के पुनर्वास में विभिन्न स्टेकहोल्डरों की सहभागिता पर अनुसंधान अध्ययन का कार्य डा. रंजना कुमार को सौंपा गया और 1.65 लाख रूपए की पहली किस्त जारी की गई।
4. अपराध विज्ञान पर डाक्टोरल फेलोशिप 5 महिलाओं को प्रदान की गई (2.75 लाख रूपए)।
5. महिला पेशेवर द्वारा अनुसंधान अध्ययन किए गए (01 लाख रूपए)।
6. उप पुलिस अधीक्षक से लेकर सहायक उप निरीक्षक रैंक तक की महिला पुलिस अधिकारियों के लिए ''आत्म विकास और संघर्ष प्रबंधन'' पर महिलाओं के लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया (01 पाठ्यक्रम आयोजित किया गया और 24 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया)।
7. सी डी टी एस चंडीगढ़, कोलकाता और हैदराबाद में मानवाधिकार की तुलना में महिलाओं के प्रति अपराध, किशोर न्याय और मानवाधिकार तथा महिला भ्रूण हत्या के मामलों की जांच पर पाठ्यक्रम आयोजित किए (5 लाख रूपए)।
8. ''व्यक्तियों का दुर्व्यापार पुलिस की भूमिका'' पर राज्यों में इन मुद्दों के बारे में पुलिस अधिकारियों को सुग्राही बनाने के लिए कार्यशालाएं/सेमिनार आयोजित किए (20 लाख रूपए)।
9. 3 सी डी टी एस में महिला कर्मचारियों के लिए क्रेच और 3 सी डी टी एस में महिलाओं के लिए फिटनेस सेंटर की स्थापना (5 लाख रूपए) ।
10. प्रत्येक सी डी टी एस में महिला प्रशिक्षार्थियों और महिला कर्मचारियों के लिए विश्राम कक्ष की स्थापना (5 लाख रूपए)।

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सी आर पी एफ)

15.9.10 सरकार ने प्रारंभ में वर्ष 1985 के दौरान सी आर पी एफ में एक पूर्ण महिला बटालियन गठित करने का अनुमोदन प्रदान किया था। अल्प समयावधि के अन्दर, दो अन्य महिला बटालियनों का गठन किया गया है और इस समय सी आर पी एफ में तीन महिला बटालियनें कार्यरत हैं। इसके अतिरिक्त, बल ने अनन्य रूप से महिलाओं के लिए तीन सी आर पी एफ इकाइयों के लिए महिला कार्मिकों की भर्ती की है और देश के विभिन्न हिस्सों में तैनात आर ए एफ इकाइयों/ग्रुप सेंटरों सहित इन इकाइयों में उनकी तैनाती

की है। सी आर पी एफ ने अनन्य रूप से महिलाओं को नए कौशल सीखने और सिलाई, हस्तशिल्प तथा खाद्य पदार्थों के उत्पादन इत्यादि जैसी गतिविधियों के माध्यम से अपने परिवार के आयोपार्जन को बढ़ाने के लिए परिवार कल्याण केन्द्रों का निर्माण किया है।

15.9.11 सी आर पी एफ में अनन्य रूप से महिलाओं के लाभ के लिए निम्नलिखित योजनाएं हैं:-

i.	महिला हास्टल।
ii.	मनोरंजन/सामूहिक कर्मचारी कक्षों में महिलाओं से संबंधित पत्रिकाएं, पुस्तकें तथा जर्नल।
iii.	महिलाओं हेतु अनन्य रूप से शारीरिक गतिविधियों के लिए व्यायामशाला एवं अन्य सुविधाएं।
iv	महिला कक्ष में महिलाओं के मनोरंजन के लिए म्यूजिक सिस्टम, टी वी एवं डी वी डी आदि का प्रावधान।
v.	सेवारत महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए आया की सुविधा के साथ डे केयर सेंटर/क्रेच।
vi.	अतिरिक्त कुशलता प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए महिलाओं को पृथक रूप से कढ़ाई मशीनें मुहैया कराना।

15.9.12 कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों को यदि कोई हों, शीघ्रता से निपटाने के लिए, सी आर पी एफ ने सेक्टर स्तर पर एक चार सदस्यीय शिकायत समिति का गठन किया है।

15.9.13 सी आर पी एफ में महिलाओं को पृथक रूप से विश्राम कक्ष, मनोरंजन कक्ष और चल प्रसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। तैनाती के दौरान, महिलाओं को यूनिट वाहनों में भी प्रसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, गर्भावस्था के दौरान पैंट, सर्ट और वेब बेल्ट पहनने से छूट प्रदान की गई है। महिला कार्मिकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए उपयुक्त स्तर पर समस्त प्रयास किए जा रहे हैं। साक्षात्कारों, रोल कॉल, सैनिक सम्मेलनों के माध्यम से नियमित विचार-विमर्श के द्वारा महिलाओं के प्रति सुग्राहीकरण का कार्य भी किया जा रहा है और महिलाओं के अधिकारों की जानकारी भी दी जाती है। फील्ड अधिकारी अपनी कमान के तहत महिला कार्मिकों की गतिविधियों और उनके मानसिक स्वास्थ्य की गहन निगरानी कर रहे हैं।

15.9.14 सी आर पी एफ में तीन विशिष्ट महिला बटालियनें शामिल हैं जिसमें से एक-एक बटालियन दिल्ली, गांधीनगर (गुजरात) और अजमेर (राजस्थान) में हैं। प्रशिक्षित बटालियनों की महिला कार्मिकों को विभिन्न कानून एवं व्यवस्था ड्यूटियों के लिए तैनात किया जाता है। इनके अलावा, विभिन्न स्तरों पर ग्रुप सेंटरों तथा आर ए एफ में तैनात महिला कर्मचारी पूरे देश में कानून और व्यवस्था तथा पुलिस संबंधी अन्य ड्यूटियां कर रही हैं।

15.9.15 प्रत्येक समूह में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या निम्नानुसार है और महिला कर्मचारियों की वार्षिक वेतन लागत लगभग 182.36 करोड़ रूपए हैः-

राजपत्रित	अराजपत्रित	कुल
204	5418	5622

15.9.16 125 महिला पुलिस अधिकारियों से युक्त पहली महिला फार्म्ड पुलिस यूनिट (एफ एफ पी यू) दिनांक 30.01.2007 को मोनरोविया, लाइबेरिया पहुंची और दिनांक 08.02.2007 से यूनिटी कान्फ्रेंस सेन्टर पर ड्यूटी प्रारंभ की। एफ एफ पी यू की तैनाती आज तक जारी है और बाद के बैचों को वर्ष 2008, 2009, 2010 और 2011 में तैनात किया गया है। वर्तमान बैच, अर्थात 125 महिला अधिकारियों/पुरूषों की एफएफपीयू की पांचवीं टुकड़ी को दिनांक 19.02.2012 से यू.एन.एम.आई. एल. के अधीन मोनरोविया, लाइबेरिया में तैनात किया गया है। इस टुकड़ी को फरवरी, 2013 में अन्य टुकड़ा से प्रतिस्थापित किया जाना है। केवल महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली स्कीमें और वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 के दौरान उनमें से प्रत्येक के लिए किये गये प्रावधान निम्नानुसार हैं:

(करोड़ रूपए में)

स्कीमों के ब्यौरे	बजट अनुमान 2012-13		संशोधित अनुमान 2013-14 (प्रस्तावित)	
	गैर-योजना	कुल	गैर योजना	कुल
डे केयर सेन्टर	8.00	8.00	8.50	8.50
महिलाओं के प्रति सुग्राहीकरण	3.00	3.00	2.00	2.00
स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र	8.00	8.00	10.00	10.00
तात्कालिक सेवा	10.00	10.00	11.00	11.00
पोषाहार देखभाल केन्द्र	8.00	8.00	10.00	10.00
महिला हास्टल/पारिवारिक आवास	40.00	40.00	100.00	100.00
कुल	**77.00**	**77.00**	**141.50**	**141.50**

सशस्त्र सीमा बल (एस एस बी)

15.9.17 केवल महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली स्कीमें और एस एस बी के संबंध में वर्ष 2012-13 तथा 2013-14 के दौरान उनमें से प्रत्येक के लिए किये गये प्रावधान निम्नानुसार हैं-

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	स्कीमों के ब्यौरे	आबंटन	
		2012-13	**2013-14**
1.	डे केयर सेन्टर	00.56	00.60
2.	महिलाओं के प्रति सुग्राहीकरण	00.10	00.23
3.	स्वास्थ्य एवं पोषाहार देखभाल केन्द्र	00.34	00.34
4.	महिला हास्टल	00.00	00.25
5.	महिला कर्मचारियों के लिए अलग आवास	00.00	00.10
	कुल	**01.00**	**01.52**

सीमा सुरक्षा बल (बी एस एफ)

15.9.18 महिलाओं को अनन्य रूप से लाभ पहुंचाने वाली निम्नलिखित योजनाएं सीमा सुरक्षा बल द्वारा पूरी कर दी गई हैं:-

(i) पंजाब फ्रंटियर, बी एस एफ की 86 बीओपी में प्रसाधन, कुक हाउस एवं डाइनिंग हाल सहित समस्त महिला आवास

(ii) नार्थ बंगाल फ्रंटियर, बी एस एफ की 04 बी ओ पी में प्रसाधन, कुक हाउस एवं डाइनिंग हाल सहित समस्त महिला आवास

(iii) नार्थ बंगाल फ्रंटियर, बी एस एफ की 04 बी ओ पी में प्रसाधन, कुक हाउस एवं डाइनिंग हाल सहित समस्त महिला आवास

(iv) एस टी सी, बी एस एफ, खारकन कैम्प, होशियारपुर, पंजाब में महिला प्रशिक्षार्थियों के लिए महिला हास्टल

(v) एस टी सी, बी एस एफ, खारकन कैम्प, होशियारपुर, पंजाब में लेक्चर पोस्ट

(vi) एस टी सी, बी एस एफ, खारकन कैम्प, होशियारपुर पंजाब में प्रसाधन ब्लाक

(vii) 25 बटालियन बी एस एफ, चावला कैम्प, नई दिल्ली में प्रसाधन, कुक हाउस एवं डाइनिंग हाल सहित महिला आवास

15.9.19 निम्नलिखित दो परियोजनाएं शीघ्र पूरी की जाएंगी:-

(i) एसएचक्यू बीएसएफ जेपीजी के अधीन 17वीं बटालियन बीएसएफ की बीओपी अर्जुन, 16वीं बटालियन बीएसएफ एसएचक्यू बीएसएफ केएनजे की बीओपी अंबिकानगर और एसएचक्यू बीएसएफ एसएलजी के अधीन बीओपी सिंहपाड़ा में महिला कांस्टेबलों के लिए आवास।

(ii) पंजाब फ्रंटियर के अधीन बीओपी और एसटीसी में महिला आवास (83 इकाइयां)।

भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आई टी बी पी)

15.9.20 बल ने महिलाओं के लाभ के लिए परिवार कल्याण केन्द्रों का निर्माण करने की पहल की है। इन परिवार कल्याण केन्द्रों का निर्माण अनन्य रूप से महिलाओं को नए कौशल सीखने और सिलाई, हस्तशिल्प तथा खाद्य पदार्थों के उत्पादन इत्यादि जैसी गतिविधियों के माध्यम से अपने परिवार के आयोपार्जन को बढ़ाने के लिए किया जाता है।

15.9.21 अनन्य रूप से महिलाओं के लाभ के लिए निम्नलिखित योजनाएं शुरू की गई थीं;

(i) महिला हॉस्टल।

(ii) मनोरंजन/सामूहिक कर्मचारी कक्षों में महिलाओं से संबंधित पत्रिकाएं, पुस्तकें तथा जर्नल।

(iii) महिलाओं हेतु अनन्य रूप से शारीरिक गतिविधियों के लिए व्यायामशाला एवं अन्य सुविधाएं।

(iv) महिला कक्ष में महिलाओं के मनोरंजन के लिए म्यूजिक सिस्टम, टी वी एवं डी वी डी आदि का प्रावधान।

(v) सेवारत महिलाओं के बच्चों की देखभाल के लिए आया की सुविधा के साथ डे केयर सेंटर/क्रेच।

(vi) अतिरिक्त कुशलता प्राप्त करने के लिए महिलाओं को पृथक रूप से कढ़ाई मशीनें मुहैया कराना।

15.9.22 महिलाओं का पृथक रूप से विश्राम कक्ष और चल प्रसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तैनाती के दौरान, महिलाओं को यूनिट वाहनों में भी प्रसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके अतिरिक्त, गर्भावस्था के दौरान पैंट, सर्ट और वेब बेल्ट पहनने से छूट प्रदान की गई है। महिला कार्मिकों की समस्याओं को सुलझाने के लिए उपयुक्त स्तर पर समस्त प्रयास किए जा रहे हैं महिलाओं के प्रति सुग्राहीकरण का कार्य भी किया जा रहा है और महिलाओं के अधिकारों की जानकारी भी दी जा रही है। इसके अतिरिक्त, साक्षात्कारों, रोल काल, सैनिक सम्मेलनों के माध्यम से नियमित विचार-विमर्श के द्वारा फील्ड अधिकारी अपनी कमान के तहत महिला कार्मिकों की गतिविधियों और उनके मानसिक स्वास्थ्य की गहन निगरानी कर रहे हैं।

15.9.23 प्रत्येक समूह में कार्यरत महिलाओं की कुल संख्या निम्नानुसार है:-

समूह-क	समूह-ख	समूह-ग	समूह-घ	कुल
38	56	841	14	949

15.9.24 इस समय 07 महिला आई टी बी पी कार्मिक कांगों/अफगानिस्तान में प्रतिनियुक्ति पर हैं।

15.9.25 केवल महिलाओं को लाभ पहुंचाने वाली स्कीमों के नाम और वर्ष 2011-12 एवं 2012-13 के दौरान उनमें से प्रत्येक के लिए प्रस्तावित प्रावधान निम्नानुसार हैं:-

(करोड़ रूपए में)

क्रम. सं.	योजनाओं के ब्यौरे	बजट अनुमान 2012-13	संशोधित अनुमान 2012-13	बजट अनुमान 2013-14
1.	महिलाओं के लिए क्रेच, डे-केयर सेन्टर खोलना, महिलाओं के प्रति सुग्राहीकरण, स्वास्थ्य देखभाल केन्द्र, पोषाहार देखभाल केन्द्र, महिलाओं के लिए विश्राम कक्ष (फर्नीचर एवं फिक्सचर), 8 स्टेशन बहुप्रयोजनीय जिम, म्यूजिक सिस्ट मएँ	0.10	0.12	0.4
2.	बैरेकों, टायलेटम एवं बाथरूम, महिलाओं के हास्टल, महिलाओं के लिए अटैच्ड टायलेट और बाथरूम सहित मनोरंजन और विश्राम कक्ष	0.00	0.00	0.0.17
	कुल	**0.10**	**0.12**	**0.21**

केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के पुलिस प्रशिक्षण संस्थान

15.9.26 यह योजना 6 केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों अर्थात असम राइफल्स, सीमा सुरक्षा बल, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल, केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, भारत तिब्बत सीमा पुलिस और सशस्त्र सीमा बल में कार्यान्वित की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान इन केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को 15 करोड़ रूपए की धनराशि आबंटित की गई है। सभी केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल अपनी महिला कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान कर रहे हैं और अनन्य रूप से महिलाओं के लाभ के लिए बटालियनों और प्रशिक्षण संस्थानों में महिला कल्याण केन्द्रों (एफ डब्ल्यू सी) के निर्माण के लिए पहल कर रहें हैं ताकि वे नए कौशल सीख सकें और सिलाई, हस्तशिल्प और खाद्य सामाग्रियों के उत्पादन आदि जैसी गतिविधियों के माध्यम से अपनी परिवारिक जीविकोपार्जन में वृद्धि कर सकें। इसके अतिरिक्त, केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में महिला कर्मचारियों को विशेष कंप्यूटर प्रशिक्षण (साफ्ट एवं हार्डवेयर), प्रशिक्षण सामग्री और अन्य महत्वपूर्ण प्रशिक्षण सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। संबंधित केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बलों द्वारा महिला कर्मचारियों के लाभ के लिए अन्य मुख्य शीषों में भी बजट प्रावधान रखा गया है।

एस वी पी एन पी ए, हैदराबाद में अवसंरचना की वृद्धि

15.9.27 राष्ट्रीय पुलिस अकादमी (एन पी ए) भारतीय पुलिस सेवा के नए अधिकारियों को बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान कर रही है और आवाधिक, सेवाकालीन पाठ्यक्रमों के माध्यम से सेवारत अधिकारियों के कौशलों का उन्नयन भी कर रही है जिससे अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उनकी क्षमता में सुधार हुआ है। अधिकारियों को पुलिस व्यवस्था के क्षेत्र में नवीनतम एवं अद्यतन प्रावधानों तथा प्रौद्योगिकियों एवं प्रौद्योगिकीय उपकरणों के बारे में अवगत कराया जाता है। एन पी ए पुलिस व्यवस्था में सुधार के लिए पुलिस संबंधी विषयों पर अनुसंधान भी कर रहा है। एन पी ए को वित्तीय वर्ष 2012-13 के दौरान अपनी अवसंरचना में वृद्धि करने के लिए 100 करोड़ रूपए आबंटित किए गए हैं। व्यय में मुख्य रूप से वेतन और भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारियों (पुरूष एवं महिला) के प्रशिक्षण के मामलों से संबंधित अन्य स्थापना शामिल है।

15.9.28 जहां तक महिलाओं के लाभ के लिए बजट प्रावधान का संबंध है, बजट अनुमान-2012-13 में इस प्रयोजन के लिए अनन्य रूप से 9.02 करोड़ रूपए रखे गए हैं, जिसमें से 2.89 करोड़ रूपए का उपयोग अधिकारी प्रशिक्षार्थियों सहित महिला कर्मचारियों को वेतन/दैनिक मजदूरी के भुगतान के लिए किया जाएगा और शेष राशि का उपयोग निम्नलिखित के लाभ के लिए किया जाएगाः-

i. अनन्य रूप से महिलाओं के लिए शारीरिक गतिविधियों के लिए प्रदान की गई जिम और अन्य सुविधाएं।

ii. महिलाओं को आई पी एस मेस में उनके हास्टल के कमरों में मनोरंजन के लिए म्यूजिक सिस्टम, टी वी और डी वी डी आदि।

iii. आई पी एस मेस में मनोरंजन/सामूहिक हालों में महिलाओं के लिए पत्रिकाएं, पुस्तकें और जर्नल।

iv. व्यायामशालाओं में महिलाओं द्वारा इस्तेमाल के लिए ऐबडोमिनल एक्सरसाइज मशीनों जैसे महिलाओं के लिए विशिष्ट मदों और उपकरणों का प्रावधान।

v. महिला आई पी एस अधिकारियों/सहभागियों के प्रशिक्षण में सहायता के प्रयोजन के लिए 7 उपनिरीक्षकों और 5 कांस्टेबलों वाली महिलाओं की विशेष बैच की भर्ती के लिए विशेष पहल।

vi. ''घरेलू हिंसा'' पर अनन्य रूप से महिलाओं के लिए विशेष जागरूकता अभियान/कार्यक्रम आयोजित करना।

vii. महिला कर्मचारियों और कर्मचारी के परिवारों के स्वास्थ्य की जांच के लिए एक विशेष महिला चिकित्सक और उसकी सहायता के लिए चार महिला स्टाफ की नियुक्ति की गई है।

अनुलग्नक

अनुलग्नक-I

वर्ष 2012-13 के दौरान (दिनांक 06.03.2013 की स्थिति के अनुसार) गृह मंत्रालय में पदों पर रहे/पदस्थ मंत्री, सचिव, विशेष सचिव, अपर सचिव और संयुक्त सचिव	
श्री पी. चिदम्बरम (31.07.2012 तक)	गृह मंत्री
श्री सुशीलकुमार शिंदे (31.07.2012 से)	
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन श्री जितेन्द्र सिंह (28.10.2012 तक) श्री आर.पी.एन. सिंह (29.10.2012 से)	राज्य मंत्री
श्री राज कुमार सिंह	गृह सचिव
श्री ए.ई. अहमद (31.05.2012 तक)	सचिव(सीमा प्रबंधन)
श्री ए.के. मंगोत्रा (17.07.2012 से)	
श्री अजय चड्ढा (19.12.2012 तक)	विशेष सचिव
श्री एस. जयरमन (24.01.2013 से)	
श्री एस.सी. पांडा श्री खुर्शीद अहमद गनई (08.08.2012 से) श्री के. स्कन्दन (23.8.2012 से) श्री राजीव शर्मा (25.01.2013 से)	अपर सचिव
श्री भगवान शंकर श्री धर्मेन्द्र शर्मा (07.01.2013 तक) श्री दीपक कुमार (20.01.2013 से) श्री जी.वी वेणुगोपाल शर्मा श्री इकबाल सिंह चहल (05.03.2013 से) श्री कमल कांत मित्तल श्री के.के. पाठक श्री के. ए. गनई (11.7.2012 से 07.08.2012 तक) श्री के. स्कन्दन (22.08.2012 तक) श्री एल.डी.झा श्री एम. गोपाल रेड्डी श्री एम.ए. गणपति डा. निर्मलजीत सिंह कलसी श्री आर.के. श्रीवास्तव श्री राकेश सिंह श्रीमती रश्मि गोयल श्री आर.पी. नाथ (30.04.2012 तक) श्री राधा रमण झा (31.10.2012 तक) श्री सतपाल चौहान श्री शंभु सिंह श्री एस. सुरेश कुमार श्री वी. वुमलुनुमां (01.05.2012 से) सुश्री वीना कुमारी मीणा (31.12.2012 से) डा. आर.के. मित्रा (23.01.2013 से)	संयुक्त सचिव
डा. (सुश्री) प्रफुल्ल करकेटा श्री जगदीश लाल चुग श्री एम.सी. मेहनाथन (19.10.2012 से) डा. ए.के. सक्सेना (19.10.2012 से) श्रीमती बीना प्रसाद (19.10.2012 से) डा. आर. के .मित्रा (23.01.1013 से)	संयुक्त सचिव (इन-सीटू)
डा. संजीव मिश्र	मुख्य लेखा नियंत्रक

(संदर्भ : अध्याय I, पैरा 1.4)

अनुलग्नक-II

गृह मंत्रालय का संगठनात्मक चार्ट (दिनांक 06.03.2013 की स्थिति के अनुसार)

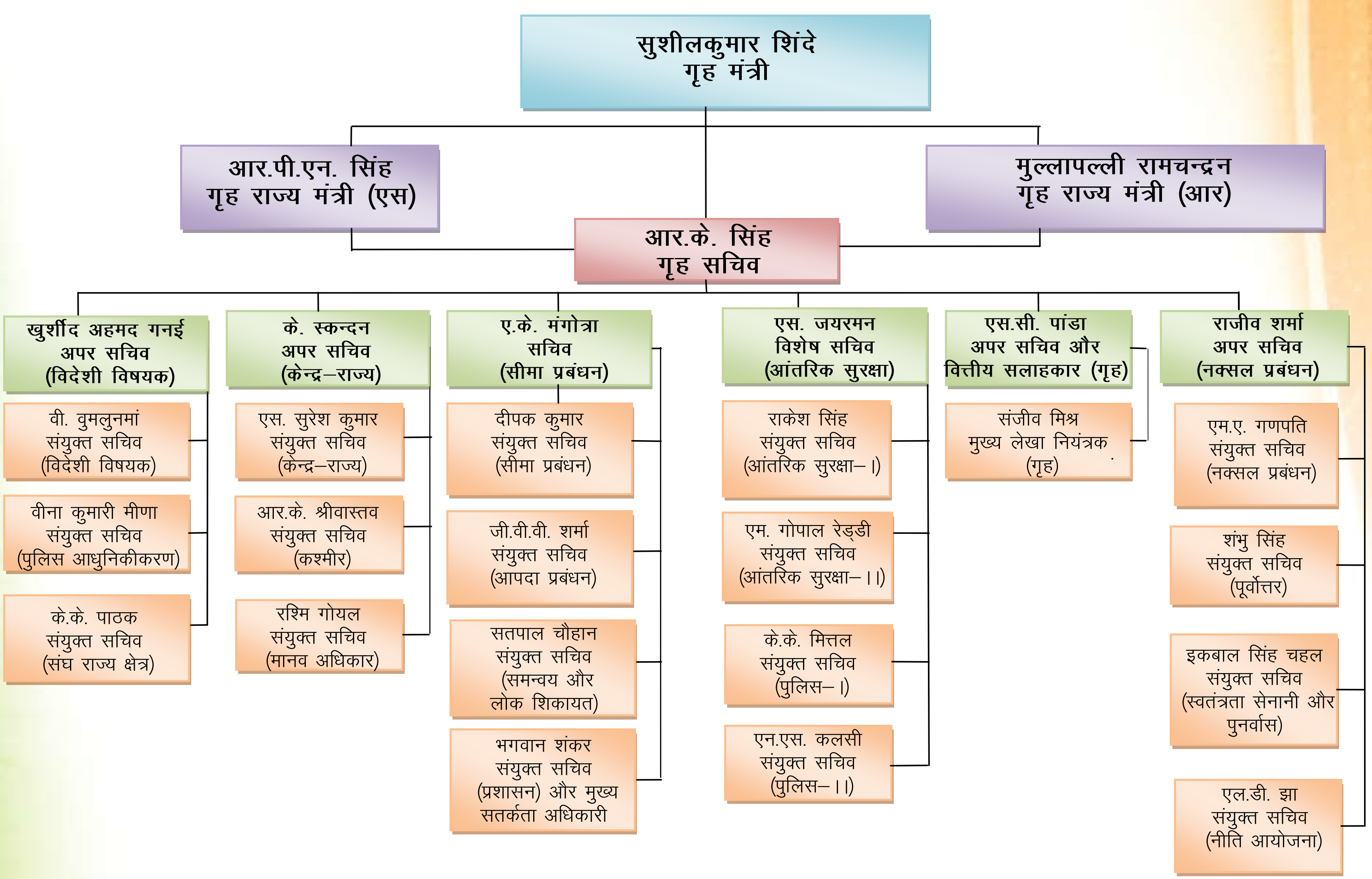

(संदर्भ : अध्याय I, पैरा 1.4)

अनुलग्नक-III

वर्ष 2005-2012 के दौरान पूर्वोत्तर राज्यों में राज्य-वार सुरक्षा की स्थिति

शीर्ष	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
असम								
घटनाएं	398	413	474	387	424	251	145	169
गिरफ्तार किए गए/मारे गए/ आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	544	752	759	1237	1259	1026	542	1228
मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	7	32	27	18	22	12	14	5
मारे गए नागरिक	173	164	287	245	152	53	18	27
मेघालय								
घटनाएं	37	38	28	16	12	29	56	127
गिरफ्तार किए गए/मारे गए/आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	108	112	85	88	67	119	107	128
मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	0	0	1	02	-	-	8	1
मारे गए नागरिक	1	6	9	01	03	4	12	36
त्रिपुरा								
घटनाएं	115	87	94	68	19	30	13	6
गिरफ्तार किए गए/मारे गए/आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	212	196	303	382	308	155	44	61
मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	11	14	6	03	01	2	-	-
मारे गए नागरिक	28	14	14	10	08	2	1	-
अरुणाचल प्रदेश								
घटनाएं	32	16	35	28	53	32	53	54
गिरफ्तार किए गए/मारे गए/आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	58	23	53	26	108	116	95	57
मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	1	0	5	-	-	-	-	-
मारे गए नागरिक	3	0	12	3	3	2	2	4
नागालैंड								
घटनाएं	192	309	272	321	129	64	61	151
गिरफ्तार किए गए/मारे गए/आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	141	203	211	460	206	264	275	345
मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	1	2	1	3	-	-	-	-
मारे गए नागरिक	28	29	44	70	16	-	7	8
मिजोरम								
घटनाएं	4	5	2	1	1	-	1	-
गिरफ्तार किए गए/मारे गए/आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	210	848	21	13	-	-	6	2
मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	0	0	0	4	-	-	-	-
मारे गए नागरिक	2	0	2	-	1	-	-	-
मणिपुर								
घटनाएं	554	498	584	740	659	367	298	518
गिरफ्तार किए गए/मारे गए/आत्मसमर्पण करने वाले उग्रवादी	1186	1097	1443	2112	1896	1626	1677	1701
मारे गए सुरक्षा बल कार्मिक	50	28	39	16	19	06	10	8
मारे गए नागरिक	158	96	130	137	81	33	26	21

[संदर्भः अध्याय II, पैरा 2.3.2]

अनुलग्नक-IV

पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय प्रमुख उग्रवादी/विद्रोही ग्रुप	
असम	
(i)	यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम (उल्फा)
(ii)	नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड (एन डी एफ बी)
मणिपुर	
(i)	पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पी एल ए)
(ii)	यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट (यू एन एल एफ)
(iii)	पीपुल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी आफ कांगलेईपाक (पी आर ई पी ए के)
(iv)	कांगलेईपाक कम्युनिस्ट पार्टी (के सी पी)
(v)	कांगलेई याओल कांबा लुप (के वाई के एल)
(vi)	मणिपुर पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट (एम पी एल एफ)
(vii)	रिवोल्यूशनरी पीपुल्स फ्रंट (आर पी एफ)
मेघालय	
(i)	हिन्नीवट्रेप नेशनल लिबरेशन कांउसिल (एच एन एल सी)
(ii)	गारो नेशनल लिबरेशलन आर्मी (जीएनएलए)
त्रिपुरा	
(i)	आल त्रिपुरा टाइगर फोर्स (ए टी टी एफ)
(ii)	नेशनल लिबरेशन फ्रंट आफ त्रिपुरा (एन एल एफ टी)
नागालैंड	
(i)	दी नेशनल सोसलिस्ट कांउसिल आफ नागालैंड (इजाक मुइवाह) - [एन एस सी एन(आई/एम)]
(ii)	दी नेशनल सोसलिस्ट कांउसिल आफ नागालैंड (खापलांग) [एन एस सी एन(के)]

* नेशनल सोसलिस्ट काउन्सिल ऑफ नागालैंड के दो गुटों को छोड़कर ऊपर उल्लिखित सभी आतंकवादी गुटों को विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 के अन्तर्गत ''विधिविरुद्ध संघ'' के रूप में घोषित किया गया है। इसके अतिरिक्त असम, मणिपुर और त्रिपुरा (एन एस सी एन के दो गुटों को छोड़कर) के संबंध में ऊपर उल्लिखित गुटों को भी उक्त अधिनियम की अनुसूची में ''आतंकवादी संगठन'' के रूप में सूचीबद्ध किया गया है।

** इसके अतिरिक्त, नागा नेशनल काउन्सिल (एन एन सी) आदि जैसे अन्य उग्रवादी समूह भी पूर्वोत्तर राज्यों में सक्रिय हैं।

*** मेघालय में जीएनएलए को केवल आतंकवादी संगठन के रूप में घोषित किया गया है।

(संदर्भः अध्याय-II, पैरा 2.3.14)

अनुलग्नक-V

विगत 10 वर्षों के दौरान सुरक्षा से संबंधित व्यय (एस आर ई) के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को जारी की गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा

(करोड़ रूपए में)

राज्य	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-2011	2011-12	2012--13 (*25.02.2013 की स्थिति के अनुसार*)
असम	92.86	68.01	50.80	75.40	63.91	90.86	75.61	108.60	60.56	92.04	153.04	99.11
नागालैंड	12.71	22.42	19.17	26.49	24.83	25.55	21.97	33.13	41.23	79.81	83.11	69.36
मणिपुर	7.75	7.64	4.00	9.44	33.65	13.60	14.45	21.58	27.26	27.28	28.88	20.62
त्रिपुरा	27.70	29.85	34.33	36.17	27.00	18.24	16.47	45.04	11.85	21.12	39.25	11.32
अरुणाचल प्रदेश	1.90	0.95	2.47	1.35	1.35	1.28	3.02	5.45	7.17	16.57	27.82	50.74
मेघालय	0.60	8.35	1.92	1.56	13.17	3.91	5.88	6.24	1.93	3.16	17.90	--
कुल	**143.52**	**137.22**	**112.69**	**150.41**	**163.91**	**153.44**	**137.40**	**220.04**	**150.00**	**239.98**	**350.00**	**251.15**

[संदर्भः अध्याय II, पैरा 2.3.27]

अनुलग्नक-VI

वर्ष 2000-01 से 2012-13 के दौरान राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण (एम पी एफ) की योजना के तहत पूर्वोत्तर राज्यों को जारी की गई निधियों का ब्यौरा

(करोड़ रूपए में)

राज्य का नाम	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13 (06.03.2013 की स्थिति के अनुसार)
अरुणाचल प्रदेश	6.53	5.21	10.61	8.06	9.13	7.00	11.53	11.71	14.72	11.50	10.52	0.2274	**1.78**
असम	59.03	58.80	32.11	36.89	41.37	56.68	52.18	88.12	68.12	60.79	48.11	0.3790	**11.93**
मणिपुर	10.61	8.57	.12.22	17.52	15.24	16.97	14.09	32.06	39.24	27.44	26.48	22.659	**4.32**
मेघालय	7.89	8.43	5.43	5.32	7.58	6.57	8.59	15.41	10.82	9.73	8.33	0.0758	**1.70**
मिजोरम	9.31	9.15	13.64	8.51	7.45	6.00	10.48	10.98	12.69	11.48	19.40	10.9392	**2.16**
नागालैंड	9.35	19.39	25.83	23.29	13.09	17.52	22.68	30.72	38.43	31.50	33.61	0.1516	**4.86**
सिक्किम	3.89	3.76	1.83	0.95	5.90	2.43	3.46	4.42	6.12	4.72	2.09	0.0758	**0.90**
त्रिपुरा	20.20	13.92	15.92	19.89	11.17	11.83	11.34	8.85	20.66	22.92	23.00	0.0758	**3.55**
कुल	**126.81**	**125.23**	**117.63**	**120.43**	**110.93**	**125.00**	**134.35**	**202.27**	**210.80**	**180.08**	**171.54**	**34.5836**	**31.20**

[संदर्भ : अध्याय II, पैरा 2.3.31]

अनुलग्नक-VII

संघ राज्य क्षेत्रों का क्षेत्रफल और जनसंख्या				
क्रम सं.	**संघ राज्य क्षेत्र**	**क्षेत्रफल (वर्ग किमी. में)**	**जनसंख्या (2001 की जनगणना)**	**जनसंख्या (2011 की जनगणना-अनंतिम)**
1.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	8,249	3,56,152	3,79,944
2.	चंडीगढ़	114	9,00,635	10,54,686
3.	दादरा और नगर हवेली	491	2,20,490	3,42,853
4.	दमन और दीव	112	1,58,204	2,42,911
5.	लक्षद्वीप	32	60,650	64,429
6.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	1,483	1,38,50,507	1,67,53,235
7.	पुदुचेरी	479	9,74,345	12,44,464
	कुल	**10,960**	**1,65,20,983**	**2,00,82,522**

(**संदर्भ : अध्याय VII, पैरा 7.1.2**)

अनुलग्नक-VIII

(करोड़ रूपए में)

विधान सभा रहित संघ राज्य क्षेत्रों के बजट का सारांश			
	2011-12		2012-13
	बजट अनुमान	वास्तविक	बजट अनुमान
अं.और नि. द्वीपसमूह			
योजना	1430.45	814.61	1701.43
गैर-योजना	1173.90	1173.90	1390.74
कुल	***2604.35***	***1988.51***	***3092.17***
चंडीगढ़			
योजना	661.89	482.00	737.23
गैर-योजना	1646.53	1646.53	2178.78
कुल	***2308.42***	***2128.53***	***2916.01***
दादरा और नगर हवेली			
योजना	334.14	282.26	607.68
गैर-योजना	97.30	97.30	1780.32
कुल	***431.44***	***379.56***	***2388.00***
दमण और दीव			
योजना	324.95	228.35	568.25
गैर-योजना	105.40	105.40	835.80
कुल	***430.35***	***333.75***	***1404.05***
लक्षद्वीप			
योजना	388.79	382.46	400.61
गैर-योजना	385.76	385.76	503.06
कुल	***774.55***	***768.22***	***903.67***
विधान सभा वाले संघ राज्य क्षेत्रों को केन्द्रीय सहायता (गैप ग्रांट)			
पुदुचेरी			
योजना	396.56	266.09	609.28
गैर-योजना	565.00	640.00	585
कुल	***961.56***	***906.09***	***1194.28***
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली			
योजना	1192.73	582.3	1031.61
गैर-योजना	3.00	--	1.00
कुल	***1195.73***	***582.3***	***1032.61***

(संदर्भ : अध्याय VII, पैरा 7.1.2)

अनुलग्नक-IX

गृह मंत्रालय द्वारा पुलिस आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत अनुमोदित 18 परियोजनाओं की स्थिति		
क्र.सं.	**परियोजना का नाम**	**स्थिति**
1.	सेक्टर-09, द्वारका में डी ए पी लाइन्स एवं स्टाफ क्वार्टर	डीएपी लाइंस का 100% कार्य पूरा हो गया है। एसटीपी निविदा खोली गई। यह कार्य एएएवंईएस के प्राप्त होने पर दिया जाएगा। स्टाफ क्वार्टर्स-भवन योजनाएं डीडीए द्वारा दिनांक 18.6.2012 को जारी की गईं। विस्तृत अनुमान तैयार किया जा रहा है।
2.	मंडावली फजलपुर (पूर्वी जिला) में डीसीपी कार्यालय एवं स्टाफ क्वार्टर	डीसीपी कार्यालय का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और इसे दिनांक 18.5.2012 को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया है। स्टाफ क्वार्टर - भवन की योजना जारी कर दी गई है।
3.	मंदिर मार्ग पर स्टाफ क्वार्टर (पुनर्विकास)	निर्माण कार्य पूरा हो गया है। समापन कार्य चल रहा है।
4.	पुलिस स्टेशन बाराखम्बा रोड	निर्माण कार्य पूरा हो गया है। बिजली के कनेक्शन सहित जल एवं सीवर की सप्लाई की व्यवस्था अभी की जानी है।
5.	मंडोली (पूर्वी जिला) में पुलिस आवास	टाइप-III क्वार्टर का 79% कार्य पूरा हो गया है। भवन का सिविल कार्य दिनांक 31.12.2012 तक पूरा हो जाएगा। लिफ्ट का कार्य अभी सौंपा जाना है।
6.	आनंद विहार (पूर्वी जिला) में पुलिस स्टेशन एवं स्टाफ क्वार्टर	पुलिस स्टेशन के भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है और दिनांक 17.5.2012 को दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया है। स्टाफ क्वार्टरः एमसीडी ने भवन की योजना अनुमोदन के लिए डीयूएसी को भेज दी है।
7.	मालवीय नगर (दक्षिणी जिला) में स्टाफ क्वार्टर	60% कार्य पूरा हो गया है।
8.	सेक्टर-3, रोहिणी (दक्षिण) (बाहरी जिला) में स्टाफ क्वार्टर	98% कार्य पूरा हो गया है।
9.	आईटीएस, मालवीय नगर (दक्षिणी जिला)	98% कार्य पूरा हो गया है।
10.	दिलशाद गार्डन में पुलिस स्टेशन और स्टाफ क्वार्टर (अधिसूचित नहीं किया गया। भवन का उपयोग पुलिस स्टेशन जीटीबी एनक्लेव के लिए किया जाएगा) उत्तर पूर्वी जिला	पुलिस स्टेशन के भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। स्टाफ क्वार्टर- एमसीडी द्वारा स्टाफ क्वार्टरों का संशोधित नक्शा दिनांक 13.01.2012 को जारी किया गया है। एनआईटी शीघ्र जारी की जा रही है।
11.	सेक्टर 22, रोहिणी (पुलिस स्टेशन बेगमपुर) बाहरी जिला में पुलिस स्टेशन विशेष प्रकोष्ठ (एसबी) एवं स्टाफ क्वार्टर	98% कार्य पूरा हो गया है।
12.	पीवीसी बाजार टीकरी कला पश्चिमी जिला में पुलिस स्टेशन	पुलिस स्टेशन भवन का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। बिजली की आपूर्ति के लिए मीटर कनेक्शन हेतु आवेदन कर दिया गया है। पूर्णता योजना डीडीए में प्रस्तुत कर दी गई है।
13.	सेक्टर-5, रोहिणी, बाहरी जिला में एसीपी कार्यालय एवं पुलिस स्टेशन एसटीएफ (अब पुलिस स्टेशन विजय विहार) एवं स्टाफ क्वार्टर।	80% कार्य पूरा हो गया है।
14.	पी पी गाजीपुर पूर्वी जिला	निर्माण कार्य पूरा हो गया है। यह परियोजना दिनांक 17.05.2012 को दिल्ली पुलिस को सौंप दी गई है।
15.	कोंडली चेक पोस्ट, पूर्वी जिला में डीएपी लाइन्स एवं स्टाफ क्वार्टर	10% कार्य पूरा हो गया है।
16.	सेक्टर-11, रोहिणी (पूर्वी जिला) में पुलिस आवास	20% कार्य पूरा हो गया है।
17.	पी पी जमरूदपुर (दक्षिण पूर्वी जिला)	पूर्ण ।
18.	प्रशान्त विहार, सेक्टर-16, रोहिणी में एसीपी कार्यालय एवं पुलिस स्टेशन तथा स्टाफ क्वार्टर	पूर्ण ।

(संदर्भः अध्याय VII, पैरा 7.3.17)

अनुलग्नक-X

वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए दिल्ली पुलिस को गैर-योजना बजट का आबंटन और व्यय

(करोड़ रूपए में)

		2011-12		2012-13	
		अंतिम बजट आबंटन	वास्तविक व्यय	बजट आबंटन	31.10.2012 तक व्यय
1	वेतन (स्वीकृत)	2542.69	2542.67	2740.00	1828.96
2	वेतन (प्रभारित)	0	0	0.01	0
3	मजदूरी	0	0	0.02	0
4	चिकित्सा उपचार	45.99	45.99	41.25	35.56
5	घरेलू यात्रा व्यय	13.91	12.23	14.81	7.26
6	विदेशी यात्रा व्यय	0.19	0.11	0.19	0.14
7	कार्यालय व्यय	102.00	102.00	100.00	54.66
8	किराया, दर एवं कर	6.05	6.05	5.00	1.65
9	प्रकाशन	2.00	1.67	2.00	2.00
10	अन्य प्रशासनिक व्यय	0.25	0.21	0.15	0.01
11	सामग्री एवं आपूर्ति	5.00	5.00	4.65	1.42
12	हथियार एवं गोला बारुद	62.13	62.13	62.00	4.66
13	राशन की लागत	152.10	152.10	157.00	120.01
14	पी.ओ.एल.	41.79	41.77	44.44	23.66
15	वस्त्र एवं टेंटेज	11.26	11.26	12.92	3.35
16	विज्ञापन एवं प्रचार	18.00	18.00	17.00	14.11
17	गौण कार्य	36.00	33.36	36.00	17.40
18	व्यावसायिक सेवाएं	176.00	176.00	176.00	146.01
19	गुप्त सेवा व्यय	0.40	0.40	0.60	0.37
20	अन्य प्रभार(स्वीकृत)	82.50	82.49	60.00	35.49
21	अन्य प्रभार (प्रभारित)	1.20	1.13	1.20	1.20
22	भर्ती	0	0	0	
	कार्यालय व्यय	0.50	0.50	1.54	1.46
	विज्ञापन एवं प्रचार	0	0	0.05	0
23	सूचना एवं प्रौद्योगिकी (एम एवं ई)	3.50	3.50	3.50	2.07
24	मोटर वाहन	27.00	27.00	25.00	10.13
25	मशीनरी एवं उपकरण	40.00	39.96	60.00	57.56
26	दिल्ली पुलिस का आधुनिकीकरण	96.78	96.77	100.00	22.94
	कुल	**3467.24**	**3462.30**	**3665.33**	**2392.08**

(संदर्भः अध्याय VII, पैरा 7.3.18)

अनुलग्नक-XI

वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए दिल्ली पुलिस को योजनागत बजट का आबंटन और व्यय

(करोड़ रूपए में)

क्र सं.	योजनागत स्कीमें	2011-12		2012-13	
		अंतिम बजट आबंटन	वास्तविक व्यय	बजट आबंटन	15.02.2013 तक व्यय
1	सड़क सुरक्षा प्रकोष्ठ	10.00	10.00	10.50	5.89
2.	एनसीआर/मेगा शहरों में यातायात संचार नेटवर्क और आदर्श यातायात प्रणाली (आईटीएस) का विकास	9.06	9.06	13.50	8.15
3.	संचार अवसंरचना के विस्तार का उन्नयन	0.64	0.46	0	0
4.	कार्यालय भवन	21.00	20.75	156.76	141.50
5.	रिहाइशी भवन	8.50	8.50	24.50	24.50
6.	सिग्नलों एवं ब्लिंकरों की स्थापना	2.00	2.00	1.50	1.04
7.	दिल्ली पुलिस में नवीनतम प्रौद्योगिकी का समावेश	0.45	0.44	0.50	0.10
8.	दिल्ली पुलिस में प्रशिक्षण का उन्नयन	0.50	0.49	2.00	1.61
9.	सार्वजनिक निजी भागीदारी संबंधी पहलें और दिल्ली पुलिस के लिए आवास	0	0	0.90	0.90
	कुल	**52.15**	**51.70**	**210.16**	**183.69**

(संदर्भ: अध्याय VII, पैरा 7.3.19)

अनुलग्नक-XII

वर्ष 2012-13 (31.10.2012 तक) के दौरान एनआईडीएम द्वारा आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम					
क्रसं.	**पाठ्यक्रम का नाम**	**केन्द्र**	**तारीख**	**संकाय**	**सहभागियों की संख्या**
1.	आपदा प्रबंधन में भू-सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग	एनआईडीएम	2-4 अप्रैल	श्रीजा नायर	15
2.	त्वरित दृश्य सर्वेक्षण द्वारा दिल्ली में भवनों का भूकम्पीय सुरक्षा आकलन	एनआईडीएम	24-27 अप्रैल	सी. घोष	68
3.	आईआरएसः बुनियादी एवं मध्यवर्ती	एनआईडीएम	30 अप्रैल -4 मई	अरुण सहदेव	14
4.	क्षेत्रीय टीओटीः मानवीय कार्रवाई में पुनःउत्पादक एवं बाल स्वास्थ्य	एमसीआरएच आरडीआई हैदराबाद	30 अप्रैल -3 मई	एस. सत्पथी	30
5.	बाढ़ आपदा प्रबंधनः राष्ट्रीय जल अकादमी (एनडब्ल्यूए) के सहयोग से कार्रवाई का एजेण्डा	एनडब्ल्यूए, पुणे	30 अप्रैल -4 मई	के.जे. आनंद कुमार	34
6.	अध्यापकों के लिए विद्यालय सुरक्षा के संबंध में टीओटी	एनआईडीएम	7-11 मई	रितु राज	29
7.	भूकम्प जोखिम मूल्यांकन एवं प्रबंधन	हिमाचल प्रदेश	7-11 मई	सी. घोष	26
8.	क्षेत्रीय टीओटीः मानवीय कार्रवाई में पुनःउत्पादक एवं बाल स्वास्थ्य	एएएससी, असम	8-11 मई	एस. सत्पथी	15
9.	विद्यालय प्रबंधन के लिए विद्यालय सुरक्षा के संबंध में टीओटी	एनआईडीएम	14-18 मई	रितु राज	31
10.	आपदा शिक्षा अधिकारियों के लिए विद्यालय सुरक्षा के संबंध में टीओटी	एनआईडीएम	21-25 मई	अजिन्दर वालिया	25
11.	बदलती हुई जलवायु में बाढ़ आपदा का प्रबंधन	यूपीएएम	21-25 मई	अनिल के. गुप्ता डा. ए.डी. कौशिक	28
12.	अध्यापकों के लिए विद्यालय सुरक्षा के संबंध में टीओटी	एनआईडीएम	28 मई -1 जून	रितु राज	19
13.	विद्यालय प्रबंधन के लिए विद्यालय सुरक्षा के सबंध में टीओटी	एनआईडीएम	4-8 जून	अजिन्दर वालिया	20
14.	अशक्त व्यक्तियों के लिए आपदा की तैयारी	एनआईडीएम	11-15 जून	एस. चतुर्वेदी दीपक के. मिश्रा	10
15.	आपदा शिक्षा अधिकारियों के लिए विद्यालय सुरक्षा के संबंध में टीओटी	एनआईडीएम	11-15 जून	रितु राज	21
16.	विद्यालय प्रबंधन के लिए विद्यालय सुरक्षा के संबंध में टीओटी	एनआईडीएम	18-22 जून	रितु राज	24
17.	जिला आपदा प्रबंधन योजना का निर्माणः योजना एवं प्रक्रिया	छत्तीसगढ़	18-22 जून	एस. चतुर्वेदी	34
18.	बाढ़ आपदा प्रबंधन	गुजरात	18-22 जून	के.जे. आनंद कुमार ए. डी. कौशिक	25
19.	आपातकालीन परिचालन केन्द्रों (ईओसी) के संबंध में कार्यक्रम	एनआईडीएम	25-29 जून	अरुण सहदेव	39
20.	त्वरित दृश्य सर्वेक्षण द्वारा दिल्ली में भवनों का भूकम्पीय सुरक्षा आकलन	एनआईडीएम	27-29 जून	सी. घोष	57
21.	सड़क दुर्घटनाएं एवं इसकी सुरक्षा	एनआईडीएम	2-3 जुलाई	एस. चतुर्वेदी	20

क्रसं.	पाठ्यक्रम का नाम	केन्द्र	तारीख	संकाय	सहभागियों की संख्या
22.	आपदा प्रबंधन के लिए विधिक ढांचा	ओडिशा	2-4 जुलाई	अनिल के. गुप्ता श्रीजा नायर	16
23.	जेंडर सेंसिटिव आपदा प्रबंधन	एनआईडीएम	16-20 जुलाई	अजिन्दर वालिया	27
24.	त्वरित दृश्य सर्वेक्षण द्वारा दिल्ली में भवनों का भूकम्पीय सुरक्षा आकलन	एनआईडीएम	25-27 जुलाई	सी. घोष	47
25.	आपदा स्वास्थ्य देखभाल प्रबंधन	बिहार	6-9 अगस्त	संतोष कुमार	27
26.	आईआरएसः परिचालन सेक्शन मुख्य पाठ्यक्रम	एनआईडीएम	3-5 सितम्बर	अरुण सहदेव	12
27.	आपदा के उपरांत क्षति एवं आवश्यकता का आकलन और सुधार का ढांचा	झारखंड	3-7 सितम्बर	संतोष कुमार	25
28.	आपदा प्रबंधन में भू-सूचना प्रौद्योगिकी का अनुप्रयोग	कर्नाटक	3-7 सितम्बर	श्रीजा नायर	17
29.	आपदा जोखिम में कमी और मीडिया	एनआईडीएम	5-7 सितम्बर	सी. बंद्योपाध्याय	22
30.	एनसीसी और एनएसएस अधिकारियों के लिए आपदा प्रबंधन पर कार्यक्रम	एनआईडीएम	17-21 सितम्बर	पी.के. पाठक	14
31.	आपदाग्रस्त बच्चों की आवश्यकताएं	एनआईडीएम	17-21 सितम्बर	अजिन्दर वालिया दीपक के. मिश्रा	21
32.	आपदा प्रभावित क्षेत्रों का पुनर्निर्माण और पुनर्वास	सिक्किम	19-22 सितम्बर	सी. घोष	30
33.	जलवायु परिवर्तन एवं सूखा जोखिम प्रबंधन	एनआईडीएम	24-28 सितम्बर	अनिल के. गुप्ता	22
34.	ग्राम आपदा प्रबंधन योजना का निर्माण	एचआईपीए, हिमाचल प्रदेश	24-28 सितम्बर	अजिन्दर वालिया सुषमा गुलेरिया	23
35.	चक्रवात जोखिम प्रशमन एवं प्रबंधन	पश्चिम बंगाल	24-28 सितम्बर	के.जे. आनंद कुमार	21
36.	त्वरित दृश्य सर्वेक्षण द्वारा दिल्ली में भवनों का भूकम्पीय सुरक्षा आकलन	एनआईडीएम	26-28 सितम्बर	सी. घोष	51
37.	डीआरआर को वातावरण की मुख्यधारा में लाना (आपदा जोखिम में कमी के प्रति इको सिस्टम अप्रोच)	एनआईडीएम	8-12 अक्तूबर	अनलि के. गुप्ता	19
38.	विद्यालय प्रबंधन के लिए विद्यालय सुरक्षा के संबंध में टीओटी	एमएटीआई, मेघालय	8-12 अक्तूबर	एस. चतुर्वेदी	42
39.	त्वरित दृश्य सर्वेक्षण द्वारा दिल्ली में भवनों का भूकम्पीय सुरक्षा आकलन	एनआईडीएम	17-19 अक्तूबर	सी. घोष	38
40.	नागरिक सुरक्षा और आपदा प्रबंधन	एनआईडीएम	29 अक्तूबर -2 नवम्बर	पी.के. पाठक	15
41.	त्वरित दृश्य सर्वेक्षण द्वारा दिल्ली में भवनों का भूकम्पीय सुरक्षा आकलन	एनआईडीएम	31 अक्तूबर -2 नवम्बर	सी. घोष	69
	कुल				**1142**

[संदर्भः अध्याय X, पैरा 10.30]

अनुलग्नक-XIII

वर्ष 2010-2015 के दौरान राज्य आपदा राहत निधि

(करोड़ रूपए में)

क्रम सं.	राज्य	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	कुल 2010-15
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	508.84	534.28	560.99	589.04	618.49	2811.64
2.	अरूणाचल प्रदेश	36.74	38.58	40.51	42.54	44.67	203.04
3.	असम	263.77	276.96	290.81	305.35	320.62	1457.51
4.	बिहार	334.49	351.21	368.77	387.21	406.57	1848.25
5.	छत्तीसगढ़	151.32	158.89	166.83	175.17	183.93	836.14
6.	गोवा	2.96	3.11	3.27	3.43	3.60	16.37
7.	गुजरात	502.12	527.23	553.59	581.27	610.33	2774.54
8.	हरियाणा	192.90	202.55	212.68	223.31	234.48	1065.92
9.	हिमाचल प्रदेश	130.76	137.30	144.17	151.38	158.95	722.56
10.	जम्मू और कश्मीर	172.46	181.08	190.13	199.64	209.62	952.93
11.	झारखंड	259.45	272.42	286.04	300.34	315.36	1433.61
12.	कर्नाटक	160.96	169.01	177.46	186.33	195.65	889.41
13.	केरल	131.08	137.63	144.51	151.74	159.33	724.29
14.	मध्य प्रदेश	392.75	412.39	433.01	454.66	477.39	2170.20
15.	महाराष्ट्र	442.69	464.82	488.06	512.46	538.08	2446.11
16.	मणिपुर	7.22	7.58	7.96	8.36	8.78	39.90
17.	मेघालय	14.65	15.38	16.15	16.96	17.81	80.95
18.	मिजोरम	8.55	8.98	9.43	9.90	10.40	47.26
19.	नागालैंड	4.97	5.22	5.48	5.75	6.04	27.46
20.	ओडिशा	391.58	411.16	431.72	453.31	475.98	2163.75
21.	पंजाब	222.92	234.07	245.77	258.06	270.96	1231.78
22.	राजस्थान	600.66	630.69	662.22	695.33	730.10	3319.00
23.	सिक्किम	22.75	23.89	25.08	26.33	27.65	125.70
24.	तमिलनाडु	293.52	308.20	323.61	339.79	356.78	1621.90
25.	त्रिपुरा	19.31	20.28	21.29	22.35	23.47	106.70
26.	उत्तर प्रदेश	385.39	404.66	424.89	446.13	468.44	2129.51
27.	उत्तराखंड	117.66	123.54	129.72	136.21	143.02	650.15
28.	पश्चिम बंगाल	304.83	320.07	336.07	352.87	370.51	1684.35
	कुल	**6077.30**	**6381.18**	**6700.22**	**7035.22**	**7387.01**	**33580.93**

(संदर्भ : अध्याय X, पैरा 10.51)

अनुलग्नक-XIV

वर्ष 2012-2013 के दौरान (21.11.2012 तक) एसडीआरएफ/एनडीआरएफ से आबंटित और जारी की गई निधियां

(करोड़ रुपए में)

क्रम. सं.	राज्य का नाम	एसडीआरएफ का आवंटन			एसडीआरएफ से जारी निधियां		एनडी आर एफ से जारी निधियां
		केन्द्रीय हिस्सा	राज्य का हिस्सा	कुल	पहली किस्त	दूसरी किस्त	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	आंध्र प्रदेश	420.74	140.25	560.99	210.37	210.37	--
2.	अरूणाचल प्रदेश	36.46	4.05	40.51	18.23	--	100.44
3.	असम	261.73	29.08	290.81	255.495 @	199.50 (130.865और68.64*)	45.00 $
4.	बिहार	276.58	92.19	368.77	138.29	--	--
5.	छत्तीसगढ़	125.12	41.71	166.83	59.585 @	--	--
6.	गोवा	2.45	0.82	3.27	--	--	--
7.	गुजरात	415.19	138.40	553.59	207.595	--	--
8.	हरियाणा	159.51	53.17	212.68	--	--	--
9.	हिमाचल प्रदेश	129.75	14.42	144.17	64.875	64.875	--
10.	जम्मू और कश्मीर	171.12	19.01	190.13	77.605 @	--	--
11.	झारखंड	214.53	71.51	286.04	107.265	--	--
12.	कर्नाटक	133.10	44.36	177.46	66.55	--	282.35
13.	केरल	108.38	36.13	144.51	54.19	--	--
14.	मध्य प्रदेश	324.76	108.25	433.01	162.38	--	--
15.	महाराष्ट्र	366.05	122.01	488.06	174.305 @	--	574.71
16.	मणिपुर	7.16	0.80	7.96	6.99 @	3.58	--
17.	मेघालय	14.54	1.61	16.15	6.92 @	--	--
18.	मिजोरम	8.49	0.94	9.43	4.04	--	--
19.	नागालैंड	4.93	0.55	5.48	9.405 @	--	--
20.	ओडिशा	323.79	107.93	431.72	161.895	--	--
21.	पंजाब	184.33	61.44	245.77	179.94 @	--	--
22.	राजस्थान	496.67	165.55	662.22	248.335	--	--
23.	सिक्किम	22.57	2.51	25.08	11.285	11.285	0.8668
24.	तमिलनाडु	242.71	80.9	323.61	121.355	--	--
25.	त्रिपुरा	19.16	2.13	21.29	9.58	--	--
26.	उत्तर प्रदेश	318.67	106.22	424.89	159.335	--	--
27.	उत्तराखंड	116.75	12.97	129.72	169.565	36.03	--
28.	पश्चिम बंगाल	252.05	84.02	336.07	126.025	--	--
	कुल	**5157.29**	**1542.93**	**6700.22**	**2811.41**	**525.65**	**1003.37**

(संदर्भः अध्याय X, पैरा 10.55)

वर्ष 2012-13 के लिए एसडीआरएफ का हिस्सा वर्ष 2011-12 के दौरान अग्रिम रूप से पहले ही जारी किया गया।

* वर्ष 2013-14 के लिए एसडीआरएफ का हिस्सा वर्ष 2012-13 के दौरान अग्रिम रूप से जारी किया गया।

@ पूर्व वर्ष अर्थात् 2011-12 के लिए केन्द्रीय हिस्से की बकाया राशि शामिल है।

$ 'लेखागत' आधार पर जारी किया गया।

टिप्पणीः - शेष राशि और वर्ष 2011-12 और 2012-13 के लिए एसडीआरएफ के केन्द्रीय हिस्से की शेष राशि और पहली किस्त राज्य सरकार द्वारा मार्गनिर्देशों के पैरा 11 में यथा उल्लिखित अपेक्षित पुष्टिकरण और सहायक दस्तावेज प्रस्तुत न करने की वजह से जारी नहीं की गई है। [अर्थात् राज्य के महालेखाकार (ए एण्ड ई)द्वारा विधिवत प्रमाणित उपयोगिता प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना, राज्य कार्यकारी समिति (एस ई सी) का गठन, वार्षिक रिपोर्ट और एसडीआरएफ का सृजन आदि] ।

अनुलग्नक-XV

वर्ष 2010 से 2015 की अवधि के लिए क्षमता निर्माण हेतु अनुदान का राज्य-वार आबंटन

(करोड़ रूपए में)

क्रम. सं.	राज्य	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	कुल 2010-15
1	2	3	4	5	6	7	8
1	आंध्र प्रदेश	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	30.00
2	अरूणाचल प्रदेश	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
3	असम	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
4	बिहार	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
5	छत्तीसगढ़	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00
6	गोवा	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
7	गुजरात	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	30.00
8	हरियाणा	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
9	हिमाचल प्रदेश	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00
10	जम्मू और कश्मीर	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00
11	झारखंड	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
12	कर्नाटक	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00
13	केरल	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00
14	मध्य प्रदेश	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
15	महाराष्ट्र	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
16	मणिपुर	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
17	मेघालय	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
18	मिजोरम	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
19	नागालैंड	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
20	ओडिशा	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
21	पंजाब	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
22	राजस्थान	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	30.00
23	सिक्किम	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
24	तमिलनाडु	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
25	त्रिपुरा	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	5.00
26	उत्तर प्रदेश	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
27	उत्तराखंड	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	20.00
28	पश्चिम बंगाल	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	25.00
	कुल	**105.00**	**105.00**	**105.00**	**105.00**	**105.00**	**525.00**

(संदर्भ: अध्याय X, पैरा 10.56)

अनुलग्नक-XVI

वर्ष 2012-13 के दौरान चक्रवातीय तूफान/आकस्मिक बाढ़/बाढ़/भू-स्खलन/बादल फटने आदि के कारण हुई क्षति के राज्य-वार ब्यौरे को दर्शाने वाला विवरण

(अनंतिम) **12.12.2012 की स्थिति के अनुसार**

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	मारे गए लोगों की संख्या	मारे गए मवेशियों की संख्या	क्षतिग्रस्त मकानों की संख्या	प्रभावित फसली क्षेत्र(लाख हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
1	आन्ध्र प्रदेश	61	1858	30973	8.37
2	अरुणाचल प्रदेश	68	891	1819	0.13
3	असम	168	9921	531186	3.28
4	बिहार	8	--	1713	0.08
5	छत्तीसगढ़	5	65	--	--
6	गोवा	1	2	34	--
7	गुजरात	26	67	2676	--
8	हिमाचल प्रदेश	29	127	2411	1.57
9	केरल	47	619	2455	0.172
10	नागालैंड	--	2560	849	0.073
11	ओडिशा	4	--	522	0.02
12.	पंजाब	8	3034	149	0.0271
13	सिक्किम	47	105	2780	0.10
14	तमिलनाडु	15	90	4831*	0.173
15	उत्तर प्रदेश	17	--	1344	0.04326
16	उत्तराखंड	201	705	5569	0.3854
17	पश्चिम बंगाल	241	4234	77981	0.02148
18	पुदुचेरी	--	15	27	--
	कुल	**946**	**24293**	**667319**	**14.44**

(संदर्भः अध्याय X, पैरा 10.61)

*** इसमें 4,693 झोपड़ियां शामिल हैं।**

अनुलग्नक-XVII

सारणी 1: अनुमानित जन्म दर, मृत्यु दर, वास्तविक विकास दर और शिशु मृत्यु दर, 2011												
भारत/राज्य/ संघ राज्यक्षेत्र	जन्म दर			मृत्यु दर			वास्तविक विकास दर			शिशु मृत्यु दर		
	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी	कुल	ग्रामीण	शहरी
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
भारत	**21.8**	**23.3**	**17.6**	**7.1**	**7.6**	**5.7**	**14.7**	**15.7**	**11.9**	**44**	**48**	**29**
बड़े राज्य												
1. आंध्र प्रदेश	17.5	17.8	16.6	7.5	8.5	5.2	10.0	9.4	11.3	43	47	31
2. असम	22.8	24.0	15.5	8.0	8.4	5.6	14.8	15.6	9.9	55	58	34
3. बिहार	27.7	28.4	21.7	6.7	6.9	5.5	21.0	21.5	16.2	44	45	34
4. छत्तीसगढ़	24.9	26.3	18.3	7.9	8.3	6.1	17.0	18.0	12.2	48	49	41
5. दिल्ली	17.5	19.3	17.2	4.3	4.7	4.3	13.2	14.6	12.9	28	36	26
6. गुजरात	21.3	22.9	19.0	6.7	7.4	5.7	14.6	15.5	13.3	41	48	27
7. हरियाणा	21.8	22.9	19.5	6.5	7.0	5.3	15.4	15.9	14.1	44	48	35
8. जम्मू और कश्मीर	17.8	19.1	13.1	5.5	5.7	4.7	12.3	13.4	8.4	41	43	28
9. झारखंड	25.0	26.3	19.0	6.9	7.3	5.2	18.1	19.1	13.8	39	41	28
10. कर्नाटक	18.8	19.7	17.2	7.1	8.0	5.4	11.7	11.7	11.8	35	39	26
11. केरल	15.2	15.4	14.4	7.0	7.1	6.6	8.2	8.3	7.8	12	13	9
12. मध्य प्रदेश	26.9	28.8	20.1	8.2	8.7	6.1	18.7	20.1	13.9	59	63	39
13. महाराष्ट्र	16.7	17.3	15.8	6.3	7.3	5.1	10.3	10.0	10.8	25	30	17
14. ओडिशा	20.1	21.0	14.7	8.5	8.8	6.5	11.6	12.1	8.2	57	58	40
15. पंजाब	16.2	16.8	15.2	6.8	7.5	5.6	9.4	9.4	9.5	30	33	25
16. राजस्थान	26.2	27.4	22.5	6.7	7.0	5.8	19.6	20.5	16.7	52	57	32
17. तमिलनाडु	15.9	16.0	15.7	7.4	8.1	6.4	8.5	8.0	9.3	22	24	19
18. उत्तर प्रदेश	27.8	28.8	23.7	7.9	8.3	6.1	20.0	20.5	17.7	57	60	41
19. पश्चिम बंगाल	16.3	18.1	11.5	6.2	6.1	6.5	10.1	12.0	5.0	32	33	26
छोटे राज्य												
1. अरुणाचल प्रदेश	19.8	21.4	14.2	5.8	6.8	2.5	14.0	14.7	11.6	32	36	10
2. गोवा	13.3	12.5	13.7	6.7	8.0	5.9	6.6	4.5	7.8	11	6	13
3. हिमाचल प्रदेश	16.5	17.1	11.2	6.7	7.0	3.6	9.8	10.0	7.6	38	38	28
4. मणिपुर	14.4	14.2	15.0	4.1	4.1	4.2	10.3	10.2	10.8	11	11	12
5. मेघालय	24.1	26.2	14.6	7.8	8.3	5.5	16.3	17.9	9.1	52	54	38
6. मिजोरम	16.6	20.6	12.6	4.4	5.4	3.4	12.2	15.2	9.2	34	43	19
7. नागालैण्ड	16.1	16.3	15.5	3.3	3.4	2.9	12.8	12.9	12.5	21	21	20
8. सिक्किम	17.6	17.7	16.6	5.6	5.9	3.5	12.0	11.8	13.1	26	28	17
9. त्रिपुरा	14.3	15.1	11.0	5.0	4.9	5.4	9.4	10.2	5.6	29	31	19
10. उत्तराखण्ड	18.9	19.7	16.0	6.2	6.5	4.9	12.8	13.2	11.2	36	39	23
संघ राज्यक्षेत्र												
1. अंडमान निकोबार द्वीपसमूह	15.1	14.9	15.3	4.6	5.1	3.6	10.5	9.8	11.7	23	28	14
2. चंडीगढ़	15.0	21.2	14.4	4.1	3.6	4.1	11.0	17.6	10.3	20	19	20
3. दादरा और नगर हवेली	26.1	25.5	28.1	4.6	5.1	3.0	21.4	20.4	25.1	35	39	22
4. दमन और दीव	18.4	18.8	17.9	4.9	5.0	4.8	13.5	13.7	13.2	22	18	29
5. लक्षद्वीप	14.7	15.7	13.7	6.4	6.0	6.7	8.3	9.7	7.0	24	21	27
6. पुदुचेरी	16.1	16.4	15.9	7.2	7.9	6.8	8.9	8.5	9.1	19	21	18

[संदर्भ : अध्याय XIV, पैरा 14.30]

टिप्पणी: छोटे राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों की 2009-11 की अवधि के तीन वर्षों के दौरान शिशु मृत्यु दर ।

अनुलग्नक-XVIII

भारत और बड़े राज्यों में लिंग और निवास के अनुसार जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, 2006-10									
भारत और बड़े राज्य	**कुल**			**ग्रामीण**			**शहरी**		
	कुल	**पुरुष**	**स्त्री**	**कुल**	**पुरुष**	**स्त्री**	**कुल**	**पुरुष**	**स्त्री**
भारत*	**66.1**	**64.6**	**67.7**	**64.9**	**63.5**	**66.5**	**69.6**	**68.0**	**71.4**
आंध्र प्रदेश	65.8	63.5	68.2	64.6	62.2	67.1	68.9	66.9	70.9
असम	61.9	61.0	63.2	61.0	60.2	62.1	68.8	66.9	71.1
बिहार	65.8	65.5	66.2	65.6	65.4	66.0	67.9	67.1	68.9
गुजरात	66.8	64.9	69.0	65.0	62.8	67.4	70.2	68.4	72.0
हरियाणा	67.0	67.0	69.5	66.1	63.7	68.8	69.1	67.5	71.0
हिमाचल प्रदेश	70.0	67.7	72.4	69.7	67.3	72.2	74.1	72.6	75.7
जम्मू और कश्मीर	70.1	69.2	71.1	69.3	68.6	70.2	73.6	72.2	75.0
कर्नाटक	67.2	64.9	69.7	65.5	63.2	68.0	70.5	68.4	72.8
केरल	74.2	71.5	76.9		71.2	77.2	74.3	72.3	76.4
मध्य प्रदेश	62.4	61.1	63.8	61.1	59.8	62.6	68.2	67.3	69.3
महाराष्ट्र	69.9	67.9	71.9	68.9	66.8	71.1	71.3	69.6	73.2
ओडिशा	63.0	62.2	63.9	62.4	61.7	63.2	67.1	65.9	68.5
पंजाब	69.3	67.4	71.6	68.3	66.4	70.5	71.1	69.1	73.5
राजस्थान	66.5	64.7	68.3	65.9	64.1	67.8	68.8	67.2	70.6
तमिलनाडु	68.9	67.1	70.9	67.7	65.9	69.6	70.8	69.0	72.8
उत्तर प्रदेश	62.7	61.8	63.7	62.0	61.2	62.9	66.0	64.8	67.4
पश्चिम बंगाल	69.0	67.4	71.0	68.3	66.6	70.2	71.1	69.6	72.9

[संदर्भ : अध्याय XIV पैरा 14.32]

*** : भारत में सभी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र शामिल हैं।**
टिप्पणी: बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में क्रमशः झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड शामिल नहीं हैं।

अनुलग्नक-XIX

दिनांक 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार गृह मंत्रालय और इसके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में सतर्कता/अनुशासनिक मामलों का ब्यौरा

क्रम सं.	मद	राजपत्रित		अराजपत्रित	
		मामले	अधिकारी	मामले	अधिकारी
1.	दिनांक 1.1.2012 की स्थिति के अनुसार सतर्कता/अनुशासनिक मामलों की संख्या	165	173	795	916
2.	दिनांक 1.1.2012 से 31.12.2012 तक प्रारंभ किए गए सतर्कता/अनुशासनिक मामले	133	146	2353	2454
3.	दिनांक 31.12.2012 तक निपटाए गए सतर्कता/अनुशासनिक मामले	125	137	2204*	2304*
4.	दिनांक 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार सतर्कता/अनुशासनिक मामले (1+2-3)	173	182	944	1016
5.	निपटाए गए सतर्कता/अनुशासनिक मामलों के संबंध में की गई कार्रवाई (क्रम सं. 3 के संदर्भ में) :	-	-	-	-
	(क) बर्खास्तगी	3	3	327	329
	(ख) निष्कासन	4	4	300	303
	(ग) अनिवार्य सेवानिवृत्ति	6	6	61	63
	(घ) रैंक/वेतन आदि में कटौती	10	10	82	85
	(ड.) वेतन वृद्धि रोकना	-	-	328	337
	(च) पदोन्नति रोकना	-	-	4	3
	(छ) वेतन से वसूली के आदेश	-	-	98	117
	(ज) निंदा	6	6	318	325
	(झ) चेतावनी	14	14	131	143
	(ञ) असंतोष	8	9	7	7
	(ट) दोषमुक्ति	16	17	43	60
	(ठ) मामले का स्थानांतरण	2	2	109	117
	(ड) कार्यवाही रोकी गई	47	57	88	88
	(ढ) पेंशन में कटौती	3	3	-	-
	(ण) त्यागपत्र स्वीकार	2	2	7	7
	(त) यूनिट में परिबद्ध	-	-	86	88
	(थ) क्वार्टर गार्ड में परिबद्ध	-	-	175	181
	(द) अन्यत्र स्थानांतरण	3	3	11	11
	(घ) प्रास्थगन	-	-	10	10
	(ण) इंस्टी. एरिया से निष्कासन	-	-	21	21
	(प)न्यायालय के आदेशों के अनुसार कार्यवाही रोकी गई	1	1	6	6
	कुल (क से प)	**125**	**137**	**2212***	**2301****

(संदर्भः अध्याय XV, पैरा सं. 15.2.5)

* अराजपत्रित मामलों में क्रम सं. 3 और 5 में अंतर इस कारण से है कि संलिप्त व्यक्तियों की संख्या और एक एकल मामले में दिया गया दंड एक से अधिक है और इसलिए उसे क्र.सं. 5 के विभिन्न दंडों के कालम में बार-बार दर्शाया गया है।

** 04 अनुशासनिक मामलों में, 04 अराजपत्रित कार्मिकों की भर्त्सना की गई है।

अनुलग्नक-XX

दिनांक 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार बकाया सी एंड ए जी निरीक्षण नोटों/पैराग्राफों का ब्यौरा

क्रम सं.	संगठन का नाम	दिनांक 31.12.2011 के अंत में बकाया पैरा	दिनांक 01.01.2012 से 31.12.2012 के दौरान प्राप्त पैरा	दिनांक 01.01.2012 से 31.12.2012 तक निपटाए गए पैरा	दिनांक 31.12.2012 के अंत में बकाया पैरा
1	गृह मंत्रालय (मुख्य)	32	0	0	32
2	राजभाषा विभाग	37	2	0	39
3	भारत के महारजिस्ट्रार	418	151	179	390
4	सीमा सुरक्षा बल	314	273	144	443
5	केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ)	148	0	30	118
6	राष्ट्रीय सुरक्षा गारद (एनएसजी)	4	55	15	44
7	केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सी.आई .एस. एफ.)	238	88	79	247
8	आसूचना ब्यूरो (आई. बी.)	79	36	22	93
9	एस वी पी, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद (एन. पी. ए.)	19	0	14	5
10	असम राइफल्स	86	65	58	93
11	भारत-तिब्बत सीमा पुलिस(आईटीबीपी)	64	16	29	51
12	पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी)	11	8	10	9
13	राष्ट्रीय अपराध और विधि-विज्ञान संस्थान	23	0	9	14
14	राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो	34	26	22	38
15	लक्षद्वीप	414	88	162	340
16	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	1260	263	453	1070
17	दमण और दीव	205	106	16	295
18	दादरा और नगर हवेली	76	0	0	76
19	चंडीगढ़	1416	125	285	1256
	कुल	**4878**	**1316**	**1541**	**4653**

(संदर्भः अध्याय- XV, पैरा सं. 15.8.5)

अनुलग्नक-XXI

पूर्व की वार्षिक रिपोर्टों में शामिल की गई सी एण्ड ए जी की महत्वपूर्ण लेखा-परीक्षा टिप्पणियों पर की गई कार्रवाई की स्थिति					
क्रम सं.	वर्ष	उन पैराओं/पीएसी की सं. जिनके संबंध में लेखा-परीक्षा के द्वारा पुनरीक्षण किए जाने के बाद की गई कार्रवाई पीएसी को प्रस्तुत की गई	उन पैरा/पीए रिपोर्टों का ब्यौरा जिनके संबंध में एटीएन लंबित हैं।		
			उन एटीएन की संख्या जिन्हें मंत्रालय द्वारा एक बार भी नहीं भेजा गया	उन एटीएन की संख्या जिन्हें भेजा गया किन्तु जिन्हें टिप्पणियों सहित वापस भेजा गया और लेखा-परीक्षा उन्हें मंत्रालय द्वारा पुनः प्रस्तुत किए जाने की प्रतीक्षा कर रहा है	उन एटीएन की संख्या जिनका लेखा परीक्षा द्वारा अंतिम रूप से पुनरीक्षण कर दिया गया है किन्तु मंत्रालय द्वारा पीएसी को प्रस्तुत नहीं किया गया है
1.	2011-12	**4** (वर्ष 2011-12 की रिपोर्ट संख्या 16 का 9.1, 9.2, 9.3 एवं 9.4)	-	**1** (9.5)	-

(संदर्भः अध्याय- XV, पैरा सं. 15.8.6)

अनुलग्नक-XXII

दिनांक 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार सी एण्ड ए जी की बकाया लेखापरीक्षा टिप्पणियां/पैरा और की गई कार्रवाई की रिपोर्ट	
	अद्यतन और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियां/पैरा
I	**मंजूरियों का विभाजन:** महानिदेशक, आई टी बी पी ने जून 2010 और मार्च 2011 के बीच कुल 4.72 करोड़ रूपए मूल्य की अलग-अलग मंजूरियां प्रदान कीं। प्रत्येक मंजूरी सोद्देश्यपूर्ण रूप से 25 लाख रूपए की वित्तीय शक्तियों के भीतर थी ताकि मामले को मंत्रालय के पास भेजने से बचा जा सके। **(वर्ष 2012-13 की रिपोर्ट सं. 13 का पैरा सं. 4.1)** **लेनदेन संबंधी लेखापरीक्षा टिप्पणियां**
II	**अनुचित प्रापण आयोजना जिसके परिणामस्वरूप एक परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ और उपकरण निष्क्रिय पड़े रहे** इनक्रिप्टरों के प्रापण से पहले इन्टेलनेट नेटवर्क को शुरू करने के लिए विभिन्न संबंधित गतिविधियों को सहक्रियाशील बनाने में आसूचना ब्यूरो के असफल रहने की वजह से 2.89 करोड़ रूपए के उपकरण दो वर्ष की अवधि तक निष्क्रिय पड़े रहे। **(वर्ष 2012-13 की रिपोर्ट सं. 13 का पैरा सं. 4.2)** **लेनदेन संबंधी लेखापरीक्षा टिप्पणियां**
III	**स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण में अनावश्यक विलम्ब** सहायक आसूचना ब्यूरो, लखनऊ द्वारा स्टाफ क्वार्टरों के निर्णाण में अनावश्यक विलम्ब की वजह से लागत में 2.17 करोड़ रूपए की वृद्धि हो गई। इसके परिणामस्वरूप, इसके स्टाफ सदस्यों को मकान किराया भत्ता के भुगतान के लिए 86.59 लाख रूपए का परिहार्य व्यय भी हुआ। **(वर्ष 2012-13 की रिपोर्ट सं. 13 का पैरा सं. 4.3)** **लेनदेन संबंधी लेखापरीक्षा टिप्पणियां**
IV	**अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन** **नौवहन सेवा निदेशालय** **चालू न किए गए जलयान के निपटान में विलम्ब की वजह से क्षति:** पुराने जलयान के संबंध में समय पर कार्रवाई शुरू करने में विलम्ब और उचित आरक्षित कीमत निर्धारित करने में परिणामी विलम्ब की वजह से 6.29 करोड़ रूपए का परिहार्य व्यय हुआ। **(वर्ष 2012-13 की रिपोर्ट सं. 13 का पैरा सं. 8.1)** **लेनदेन संबंधी लेखापरीक्षा टिप्पणियां**
V	**पुराने जलयान पर परिहार्य व्यय** अण्डमान और निकोबार प्रशासन द्वारा अप्रभावी समन्वय और अनुवर्ती कार्रवाई के परिणामस्वरूप जलयान को वापस करने में विलम्ब हुआ जिसकी वजह से 3.69 करोड़ का परिणामी परिहार्य व्यय हुआ। **(वर्ष 2012-13 की रिपोर्ट सं. 13 का पैरा सं. 8.2)** **लेनदेन संबंधी लेखापरीक्षा टिप्पणियां**

VI	**लक्षद्वीप प्रशासन** **एक्स-रे बैगेज इन्सपेक्शन सिस्टम का प्रापण** आवश्यक अवसंरचना के सृजन सहित दो एक्स-रे बैगेज इन्सपेक्शन सिस्टमों की आपूर्ति एवं स्थापना करने और उसे प्रारंभ करने की कार्रवाई साथ-साथ करने में लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के असफल रहने की वजह से सिस्टम की खरीद पर 61 लाख रूपए खर्च करने के बावजूद यात्रियों की सुरक्षा एवं संरक्षा को सुदृढ़ करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका। **(वर्ष 2012-13 की रिपोर्ट सं. 13 का पैरा सं. 8.3)** **लेनदेन संबंधी लेखापरीक्षा टिप्पणियां**
VII	**पोर्टब्लेयर नगरपालिका परिषद** **शवदाह भट्ठी के चालू न होने की वजह से निरर्थक व्यय** उचित आयोजना के अभाव और खराब समन्वय के परिणामस्वरूप शवदाह का एक वैकल्पिक माध्यम उपलब्ध कराने का बुनियादी उद्देश्य पूरा न होने के अतिरिक्त, शवदाह भट्ठी के चालू न होने से 74.09 लाख रूपए का निरर्थक व्यय हुआ। **(वर्ष 2011-12 की रिपोर्ट सं. 33 का पैरा सं. 4.1)** **लेनदेन संबंधी लेखापरीक्षा टिप्पणियां**
VIII	**एक्स-रे बैगेज इन्सपेक्शन सिस्टम के प्रापण पर निरर्थक व्यय** एक्स-रे बैगेज इन्सपेक्शन सिस्टम के प्रापण से पहले पोर्टब्लेयर नगरपालिका परिषद द्वारा जल्दबाजी में लिए गए निर्णय और विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ खराब समन्वय के परिणमस्वरूप 47.43 लाख रूपए का निरर्थक व्यय हुआ। **(वर्ष 2011-12 की रिपोर्ट सं. 33 का पैरा सं. 4.2)** **लेनदेन संबंधी लेखापरीक्षा टिप्पणियां**

(संदर्भः अध्याय XV, पैरा 15.8.6)

अनुलग्नक-XXIII

दिनांक 31.12.2012 की स्थिति के अनुसार गृह मंत्रालय से संबंधित अद्यतन और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा टिप्पणियों की स्थिति				
क्र. सं.	**पैरा सं.**	**संक्षिप्त विषय**	**विषयवस्तु मंत्रालय/विभाग**	**वर्तमान स्थिति**
1	वर्ष 2012-13 की रिपोर्ट सं. 13 का 4.1	मंजूरियों का विभाजन- आईटीबीपी ने जून 2010 और मार्च 2011 के बीच 25 लाख रूपए की वित्तीय शक्तियों के अन्दर सीमित कुल 4.72 करोड़ रूपए मूल्य की 19 अलग-अलग मंजूरियां प्रदान कीं ताकि मामले को मंत्रालय के पास भेजने की आवश्यकता से बचा जा सके।	पी एम प्रभाग	एटीएन का प्रारूप प्रक्रियाधीन है।
2	वर्ष 2012-13 की रिपोर्ट सं. 13 का 4.2	आसूचना ब्यूरो द्वारा अनुचित प्रापण आयोजना की वजह से परियोजना के कार्यान्वयन में विलम्ब हुआ और 2.89 करोड़ रूपए के उपकरण दो वर्ष की अवधि तक निष्क्रिय पड़े रहे।	पुलिस प्रभाग	एटीएन का प्रारूप प्रक्रियाधीन है।
3	वर्ष 2012-13 की रिपोर्ट सं. 13 का 4.3	स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण में अनावश्यक विलम्ब-सहायक आसूचना ब्यूरो, लखनऊ द्वारा स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण में अनावश्यक विलम्ब की वजह से लागत में 2.17 करोड़ रूपए की वृद्धि हो गई और इसके परिणामस्वरूप इसके स्टाफ के सदस्यों को मकान किराए के भुगतान के पर 86.59 लाख रूपए का परिहार्य व्यय हुआ।	पुलिस प्रभाग	एटीएन का प्रारूप पुनरीक्षण के लिए महानिदेशक (लेखापरीक्षा) के कार्यालय को भेज दिया गया है।
4	वर्ष 2012-13 की रिपोर्ट सं. 13 का 8.1	अण्डमान एवं निकोबार प्रशासन-नौवहन सेवा निदेशालय-चालू न किए गए जलयान के निपटान में विलम्ब की वजह से क्षति-पुराने जलयान के संबंध में समय पर कार्रवाई शुरू करने में विलम्ब और उचित आरक्षित कीमत निर्धारित करने में परिणामी विलम्ब की वजह से 6.29 करोड़ रूपए का परिहार्य व्यय हुआ।	यू टी प्रभाग	एटीएन का प्रारूप प्रक्रियाधीन है।
5	वर्ष 2012-13 की रिपोर्ट सं. 13 का 8.2	पुराने जलयान पर परिहार्य व्यय-अण्डमान और निकाबार प्रशासन द्वारा अप्रभावी समन्वय और अनुवर्ती कार्रवाई के परिणामस्वरूप जलयान को वापस करने में विलम्ब की वजह से 3.69 करोड़ रूपए का परिणामी परिहार्य व्यय हुआ।	यू टी प्रभाग	एटीएन का प्रारूप प्रक्रियाधीन है।

क्र. सं.	पैरा सं.	संक्षिप्त विषय	विषयवस्तु मंत्रालय/विभाग	वर्तमान स्थिति
6	वर्ष 2012-13 की रिपोर्ट सं. 13 का 8.3	लक्षद्वीप प्रशासन- एक्स-रे बैगेज इन्सपेक्शन सिस्टम का प्रापण- आवश्यक अवसंरचना के सृजन सहित दो एक्स-रे बैगेज इन्सपेक्शन सिस्टमों की आपूर्ति, स्थापना एवं प्रारंभ करने की कार्रवाई साथ-साथ करने में लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के असफल रहने की वजह से सिस्टमों की खरीद पर 61 लाख रूपए खर्च करने के बावजूद यात्रियों की सुरक्षा एवं संरक्षा को सुदृढ़ करने का लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका।	यू टी प्रभाग	एटीएन का प्रारूप प्रक्रियाधीन है।
7	वर्ष 2011-12 की रिपोर्ट सं. 33 का 4.1	**शवदाह भट्टी के चालू ने होने की वजह से निरर्थक व्यय** उचित आयोजना के अभाव और खराब समन्वय के परिणामस्वरूप शवदाह का वैकल्पिक माध्यम उपलब्ध कराने का बुनियादी उद्देश्य पूरा न होने के अतिरिक्त शवदाह भट्टी के चालू न होने से 74.09 लाख रूपए का निरर्थक व्यय हुआ।	यू टी प्रभाग	एटीएन का प्रारूप प्रक्रियाधीन है।
8	वर्ष 2011-12 की रिपोर्ट सं. 33 का 4.1	**एक्स-रे बैगेज इन्सपेक्शन सिस्टम के प्रापण पर निरर्थक व्यय** एक्स-रे बैगेज इन्सपेक्शन सिस्टम के प्रापण से पहले पोर्टब्लेयर नगरपालिका परिषद द्वारा जल्दबाजी में लिए गए निर्णय और विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ खराब समन्वय के परिणामस्वरूप 47.43 लाख रूपए का निरर्थक व्यय हुआ।	यू टी प्रभाग	एटीएन का प्रारूप प्रक्रियाधीन है।

(संदर्भः अध्याय XV, पैरा सं. 15.8.6)

अनुलग्नक-XXIV

संघ सरकार के वर्ष 2010-11 के लेखे पर वर्ष 2011-12 की सीएजी की रिपोर्ट सं. 1

पैरा सं.4.2.1 : प्रावधान में वृद्धि के लिए विधायी अनुमोदन प्राप्त करने में विफलता-'अनुदान-सहायता' के उद्देश्य शीर्ष में प्रावधान में वृद्धि

वित्त मंत्रालय द्वारा मई, 2006 में जारी किए गए निर्देशों के अनुसार सभी मामलों में भारत की समेकित निधि से किसी निकाय अथवा प्राधिकरण को 'अनुदान-सहायता' के उद्देश्य शीर्ष में पुनर्विनियोजन के माध्यम से प्रावधान में वृद्धि केवल संसद के पूर्व अनुमोदन से ही की जा सकती है।

विनियोजन लेखे की जांच से पता चला कि चंडीगढ़ तथा दमन एवं दीव संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित तीन मामलों में संसद का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना मंत्रालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान 'अनुदान-सहायता' के अधीन एक निकाय/प्राधिकरण के लिए 3.41 करोड़ की वृद्धि की गई थी।

पैरा सं. 4.2.2 : प्रावधान में वृद्धि के लिए विधायी अनुमोदन प्राप्त करने में विफलता-'सब्सिडी' के उद्देश्य शीर्ष में प्रावधान में वृद्धि

वित्त मंत्रालय द्वारा मई, 2006 में जारी किए गए निर्देशों के अनुसार पुनर्विनियोजन के माध्यम से 'सब्सिडी' के उद्देश्य शीर्ष के अधीन मौजूदा विनियोजन में प्रावधान में वृद्धि के लिए संसद का पूर्व अनुमोदन आवश्यक होता है बशर्त कि अतिरिक्त सहायता की राशि पहले ही पारित विनियोजन के 10 प्रतिशत से अधिक अथवा 10 करोड़ रूपए, इनमें से जो भी कम हो, है।

विनियोजन लेखे की जांच से पता चला कि संसद का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किए बिना विद्यमान निर्देशों के उल्लंघन में, उद्देश्य शीर्ष 'सब्सिडी' के अधीन वित्तीय वर्ष 2010-11 के दौरान मंत्रालय द्वारा दो मामलों में 5.19 करोड़ रूपए की वृद्धि की गई, जिससे नई सेवा/सेवा के नए लिखत सीमित हो गए।

(संदर्भ: अध्याय XV, पैरा सं. 15.8.6)

सत्यमेव जयते

भारत सरकार

गृह मंत्रालय